चतुर्दश माला, खंड 28, अंक 8

बुधवार, 22 अगस्त, 2007
31 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)



(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 22 अगस्त, 2007/31 श्रावण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	3-640
तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 160	3-55
अतारांकित प्रश्न संख्या 1338 से 1507 और 1509 से 1567	55-640
सभा पटल पर रखे गए पत्र	641-654
लोक लेखा समिति	654
उनचासवां और बावनवां प्रतिवेदन	654
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	654
सत्ताईसवां प्रतिवेदन	654
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	654
विवरण	654-655
याचिका समिति	655
उन्नीसवें से इक्कीसवां प्रतिवेदन	655
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06 और 2006-07) के बारे में परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 84वें, 92वें और 102वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के. एच. मुनियप्पा	656
(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	657
समिति के लिए निर्वाचन	657
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	657-658
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	658
बैठक का रद्द किया जाना	658-659
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	659
17 अगस्त, 2007 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य	659-660

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

सदस्यों द्वारा निवेदन

भारतीय सांसदों तथा मीडिया के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करने के कारण सदस्यों द्वारा अमरीका में भारत के राजदूत को वापस बुलाए जाने की मांग के बारे में 660–686

नियम 377 के अधीन मामले 686–697

(क) तमिलनाडु में विल्लुपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. एस. वी. चित्तन 687

(ख) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद सिटी की आउटर रिंग रोड परियोजना के निर्माण पर होने वाले कुल लागत व्यय का 50% हिस्सा केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजामोहन रेड्डी 687–688

(तीन) झारखंड के बोकारो जिले में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, चंदनकिआरी में उत्खनन कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर दुबे 688–689

(चार) हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य 689

(पांच) दक्षिण भारत में नारियल को प्रभावित करने वाले रोग "मंडारी माईट" के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री फ्रांसिस फैन्थम 689–690

(छह) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नया रेलवे जोन जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में हो सृजित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन 690

(सात) राजस्थान के कोटा जिले के रंगपुर में रेल ऊपरिपुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवीर सिंह कौशल 690–691

(आठ) भरूच-दाहेज, अहमदाबाद-उदयपुर और भिलाडी-सामदाडी खंडों में रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 691

(नौ) ईंधन के रूप में इथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख 691–692

(दस) कोयला खनन के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के कारण विस्थापित हुए लोगों को पर्याप्त राहत दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी 692–693

(ग्यारह) राजस्थान में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भंवर सिंह डांगावास 693

(बारह) पश्चिम बंगाल के झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल-निकासी प्रणाली के पुनरूद्धार हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रूपचन्द मुर्मू 693-694

(तेरह) केरल में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन 694

(चौदह) उत्तर प्रदेश के बीड़ी कर्मकारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु राजसहायता के रूप में स्वीकृत धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 694-695

(पन्द्रह) पूर्वोत्तर रेलवे जोन के केराकट में सभी सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री तूफानी सरोज 695

(सोलह) आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर सेतु के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा इतुरूनगरम में राष्ट्रीय राजमार्ग-202 के टूटे सम्पर्क को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार 695-696

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने की खरीद किए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम 696-697

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-2008 697

श्री पी. चिदम्बरम 697-700

डा. सत्यनारायण जटिया 701-708

श्री अधीर चौधरी 709-715

श्री अनिल बसु 715-720

श्री मोहन सिंह 720-726

श्री सीताराम सिंह 726-730

श्री ई.जी. सुगावनम 730-735

श्री तथागत सत्पथी 735-740

श्री सी.के चन्द्रप्पन 740-746

श्री किशन सिंह सांगवान 746-748

डा. करण सिंह यादव 749-751

श्रीमती सी.एस. सुजाता 752-754

श्री रवि प्रकाश वर्मा 754-759
श्री अविनाश राय खन्ना 759-762
डा. टोकचोम मैन्या 762-764
श्री राम कृपाल यादव 765-768
श्री किन्जरपु येरननायडु 769-771
डा. रामकृष्ण कुसमरिया 771-773
प्रो. एम. रामदास 773-777
श्री रामदास आठवले 777-779
श्री भर्तृहरि महताब 779-782
श्री लक्ष्मण सिंह 782-785
डा. के.एस. मनोज 786-787
श्री पारसनाथ यादव 788-789
श्री खारवेल स्वाईं 789-791
चौधरी लाल सिंह 791-793
श्री विक्रम केशरी देव 793-795
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल 795
श्री गणेश सिंह 795-797

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2007 811-812
विचार करने के लिए प्रस्ताव 811
खंड 2, 3 और 1 811-812
पारित करने के लिए प्रस्ताव 812

कार्य मंत्रणा समिति

चालीसवां प्रतिवेदन 768

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 827-828
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 828-834

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 835-836
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 835-836

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 22 अगस्त, 2007/31 श्रावण 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी कल आपने हाउस में यह आश्वासन दिया था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलें। मैं एक समय में एक ही व्यक्ति की बात सुन सकता हूं। आप सब भी मेरी ही तरह एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बात सुन सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आपने हाउस को यह आश्वासन दिया था कि रोनेन सेन ने जो वक्तव्य दिया है, उस पर आप कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज उसका एक वक्तव्य आया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कड़ी कार्रवाई की बात नहीं कही, मैंने कहा था कि कार्रवाई करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह जो कोरस्पोंडेंट है, उस नीफा ने यह बयान दे दिया कि उन्होंने सब कुछ ऑन रिकार्ड कहा था, एक शब्द भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ और पूरा का पूरा बयान वैसा ही है, जैसा उन्होंने कहा था। हम जानना चाहते हैं कि उसमें क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, वे बतायें कि उन्होंने रोनेन सेन को वापस बुलाने का कोई फैसला किया है या नहीं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब और अधिक नहीं, यह सीमा से बाहर जा रहा है।

प्रश्न संख्या 41, श्री जे. एम. आरून रशीद

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जी नहीं, महोदय, ऐसा कैसे हो सकता है? ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आपको हमने प्रिवलेज मोशन दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। मुझे वक्तव्य पढ़कर कोई निर्णय लेने दीजिए। आप मुझे इस प्रकार मजबूर नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या करें। देखिए न, क्या हो रहा है

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: श्री रोनेन सेन को वापस बुलाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आप चाहते हैं कि कोई कार्यवाही हो तो मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। अध्यक्षपीठ में कुछ तो विश्वास कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर आप चाहते हैं कि हाउस नही चले, तो ठीक है।

[अनुवाद]

ऐसा लगता है कि आप सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते। यदि ऐसा है तो कह दीजिए कि आप सदन में कोई काम नहीं होने देना चाहते, तो मैं चला जाऊंगा। यह आपका सदन है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कृपया हमें बताइए कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

मेहरबानी करके एक दफा बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री नायडु, कम से कम इस समय तक आपको यह सब पता चल जाना चाहिए। आप काफी वरिष्ठ और आदरणीय सदस्य हैं। यदि आपके मन में कोई शिष्टता की भावना नहीं है तो कम से कम अध्यक्षपीठ के प्रति तो शिष्टता दखानी ही चाहिए।

मेरी सभी माननीय सदस्यों से यह विनम्र अपील है कि प्रश्नकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कृपया मुझे इसे पढ़ लेने दीजिए। प्रो. मल्होत्रा कहते हैं कि मैंने आश्वासन दिया है, मुझे पता है कि मैने सदन में क्या कहा है। यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है और यह सदन की कार्यवाही के रिकार्ड में भी है। कतिपय वक्तव्य आए हैं, इसके आधार पर ही मुझे इस मुद्दे पर विचार करना होगा। आप अध्यक्ष को समय नहीं देना चाहते हैं और आप उसे निर्देश देना चाहते हैं कि जल्दी कार्यवाही की जाये। मेरी सभी माननीय सदस्यों से यह अपील है कि इसी मुद्दे पर कल भी सदन की कार्रवाई नहीं चली थी।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैंने कहा है कि यह महत्त्वपूर्ण नहीं है? अपने शब्द जबरन मुझ पर न थोपें। मैंने यह नहीं कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। कृपया मुझे इसे पढ़ने दें। मुझे यह देखना है कि इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव दिये भी गये हैं या नहीं। वे मेरे पास आए भी नहीं हैं। ठीक है, कई अन्य कार्य भी किये जाने हैं। श्री दासगुप्त, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि हर कोई अपनी मनमर्जी से इनका अर्थ निकाल रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या इस देश के किसी देश में राजदूत की कथित टिप्पणी से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी? क्या संसद का कार्य ठप्प हो जाएगा। क्या इस देश का कोई कार्य नहीं होगा? मेरी यह समझ नहीं आ रहा है।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

*141 **श्री जे. एम. आरून रशीद:**
डा. अरूण कुमार शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक गड़बड़ी, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि तथा बड़े पैमाने पर प्रवसन की संभावना व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई अध्ययन कराया है तथा देश पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है; और

(ङ) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं/किये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) विश्व बैंक के हाल के एक नीतिगत अनुसंधान वर्किंग पेपर में, जलवायु परिवर्तन से संभावित समुद्र स्तर में वृद्धि से विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस पेपर ने कोई नीतिगत सिफारिशें या आर्थिक अनुमान नहीं दिए हैं और यह एक सिनारियो आधारित मॉडलिंग कवायद है। तथापि, नीतिगत अनुसंधान वर्किंग पेपर सीरीज में व्यक्त किए गए परिणाम, व्याख्याएं और निष्कर्ष पूर्णत: लेखक के हैं और यह विश्व-बैंक के विचारों को निरुपित नहीं करता है।

उपरोक्त अनुसंधान वर्किंग पेपर में भारत सहित विकासशील देशों में संवेदनशीलता, प्रवास और जी डी पी पर संभावित प्रभावों के प्रक्षेपण दिए गए हैं। भारत के विस्तृत भीतरी प्रदेश और आर्थिक भूगोल की वजह से भारत पर समुद्र स्तर में वृद्धि के सापेक्ष प्रभाव इतने अधिक नहीं होंगे जितने विश्व के अन्य तटीय देशों या क्षेत्रों पर होंगे। समुद्र स्तर सीमा में 1-5 मीटर रेंज की वृद्धि और इस सिनारियो की अन्य पूर्वधारणाओं के अधीन भारत में लगभग 0.25-2.5% जनसंख्या और 0.3-2.5% जी डी पी प्रभावित हो सकती है। यह प्रभाव दक्षिण एशिया में कहीं और की अपेक्षा में काफी कम है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-04 के दौरान यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कलाइमेट चेंज (यू एन एफ सी सी) के लिए भारत का शुरुआती राष्ट्रीय पत्राचार तैयार करते समय सरकार द्वारा जल, कृषि, वानिकी, पारितंत्र, तटीय जोन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे महत्वूर्ण क्षेत्रों पर प्रक्षेपित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और संवेदनशीलता का एक प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया था। प्रक्षेपित जलवायु परिवर्तन सिनेरियो 21वीं शताब्दी में वर्षा और तापमान दोनों, में बढ़ोतरी और परिवर्तनशील रुझान इंगित करता है। यह प्रक्षेपित किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सतही रन ऑफ की मात्रा घट जाएगी और यह विभिन्न

नदी बेसिनों में भिन्न-भिन्न होगी। शुरूआती विश्लेषण से यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से देश के विभिन्न भागों में भारी सूखा और भीषण बाढ़ के रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्बनडाई आक्साईड की सघनता में बढ़ोतरी; तापमान में बढ़ोतरी और वर्षा का परिवर्तशील वितरण क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के उत्पादन के संबंध में मिश्रित प्रक्षेपण दर्शाता है। अभी तक कोई निश्चित रुझान स्थापित नहीं किया गया है। भारत में वनों के स्वरूप प्रक्षेपित जलवायु परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं। तटीय क्षेत्र भी भिन्न-भिन्न डिग्री में जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील हैं।

(ङ) भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से होने वाली विभिन्न चिंताओं के प्रति पहले से ही जागरूक हैं। सरोकार के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा वैधानिक और नीतिगत फ्रेमवर्क, उन कार्यक्रमों सहित जो नदियों के संरक्षण, शहरी वायु गुणता में सुधार, वनीकरण में बढ़ोतरी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकीयों को प्रोत्साहन, ऊर्जा दक्षता के प्रति लक्षित हैं, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के निराकरण में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने अपने आर्थिक विकास के पिछले 55 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन संबंधी सरोकारों को शामिल किया गया है। इनमें चक्रवात चेतावनी और सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, बाढ़ और सूखा नियंत्रण और सहायता, बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएं, मलेरिया नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा उपाय और सूखा रोधी फसलों पर अनुसंधान शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद् नामक एक समन्वय समिति का हाल ही में गठन किया गया है। समिति के फोकस इस प्रकार हैं:

(i) राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के लिए एक समन्वित अनुक्रिया शुरू करना।

(ii) जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के क्षेत्र में कार्य योजनाओं की तैयारी को ध्यान में रखना।

(iii) प्रमुख नीतिगत निर्णयों की आवधिक मानीटरी करना।

सरकार ने "जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक विशेषज्ञ समिति" का गठन भी किया है। इस समिति के विचाराधीन विषय इस प्रकार हैं:-

(i) भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन प्रभावों का अध्ययन करना।

(ii) मानव जनित जलवायु परिवर्तन प्रभावों की संवेदनशीलता के निराकरण के संबंध में भविष्य में हमारे द्वारा किए जाने वाले उपायों की पहचान करना।

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) से संबंधित कोई अन्य संगत मामला।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन न्यायाधिकरण (इआईए)

*142. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन न्यायाधिकरण (इ आई ए) स्थापित करने तथा विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां (एस ई ए सी) भी स्थापित करने के लिए कोई अधिसूचना/आदेश/अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में अद्यतन प्रगति क्या है तथा इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं; और

(घ) न्यायाधिकरण की संरचना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई अधि सूचना/आदेश/अनुदेश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, सरकार ने दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 जारी की है जिसमें राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी "बी" की परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति गठित करने का प्रावधान है।

(ग) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति गठित करने के लिए नामांकन भेजने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को ब्यौरेवार प्रोफार्मा रिज्यूम में परिचालित किया गया है। अभी तक छह राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के लिए सहायता

***143. श्रीमती के. रानी:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के लिए दी जा रही वित्तीय तथा अन्य सहायताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार राज्यों में स्थापित की गई खेलकूद की सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से तमिलनाडु में पता लगाए गए तथा प्रशिक्षित किए गए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) मंत्रालय राज्यों में खेलकूद के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ग्रामीण खेल कार्यक्रम के तहत स्पर्धाएं और टूर्नामेंट ब्लॉक, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं तथा इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता निम्नलिखित पद्धति के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जाती है:-

ब्लाक स्तर	:	-शून्य-
जिला स्तर	:	10 खेल विधाओं के लिए प्रति खेल विधा प्रति जिला- 30,000/-रु. (प्रति जिला अधिकतम 3.00 लाख रु.)
राज्य स्तर	:	10 खेल विधाओं के लिए प्रति खेल विधा 50,000/-रु.
राष्ट्रीय स्तर	:	10 खेल विधाओं के लिए प्रति खेल विधा प्रति जिला- 2.50/-रु.

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खेल उत्सव भी बारी-बारी से प्रर्वोत्तर राज्यों के किसी एक राज्य में आयोजित किए जाते हैं और इसमें केवल पूर्वोत्तर राज्यों के निवासी भाग लेते हैं। जिला स्तरीय स्पर्धाओं के लिए प्रति जिला 50,000/-रु. तथा राज्य स्तरीय स्पर्धाओं के लिए प्रति खेल-विधा 75,000/-रु. की सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, मंत्रालय प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियों को सहायता देने के उद्देश्य से खेल छात्रवृत्ति योजना भी कार्यान्वित कर रहा है । योजना का लक्ष्य खिलाड़ियों की सहायता करना है ताकि उन्हें पौष्टिक आहार खेल उपकरण सहायता मिल सके और प्रतियोगी खेलों में वे भाग लेने में सक्षम हो सकें। छात्रवृत्ति की निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं:-

1. राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति (श्रेणी-1): प्रति राज्य 150 खिलाड़ियों और प्रति केन्द्र शासित क्षेत्र 100 खिलाड़ियों के लिए प्रति माह 550/- रु. की दर से।

2. राष्ट्र स्तरीय छात्रवृत्ति (श्रेणी-2): सभी पात्र खिलाड़ियों के लिए 700/- रु. प्रतिमाह की दर से।

3. विश्वविद्यालय/कॉलेज स्तरीय छात्रवृत्ति (श्रेणी)-3): सभी पात्र विश्वविद्यालयों/कॉलेज विद्यार्थियों के लिए 850/- रु. प्रतिमाह की दर से।

टीम तथा अलग-अलग स्पर्धाओं के लिए पात्रता निम्नलिखित है:-

टीम स्पर्धा: टीमों के विजेता तथा रनर्स अप (सभी सदस्य) तथा अलग-अलग उत्कृष्ट खिलाड़ी, यदि कोई हो जो फाइनल तक नहीं पहुच पाते हैं।

अलग-अलग स्पर्धा: प्रथम, द्वितिय तथा तृतीय स्थान पाने वाले।

(ख) देशभर में भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के तहत अत्याधुनिक, अवसंरचना सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है जिसका उपयोग राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना, भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र योजना, विशेष क्षेत्र खेल योजना, सेना बाल खेल कंपनी तथा भाखेप्रा के उत्कृष्टता केन्द्र जैसी अनेक खेल कोचिंग तथा प्रशिक्षण योजनाओं के संचालन के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में देश भर में इन योजनाओं के तहत 230 केन्द्रों पर लगभग 13000 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण तथा अपेक्षित वैज्ञानिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

31.3.2005 तक मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवसंरचना योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों में खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करता रहा था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, खेल अवसंरचनाओं के सृजन तथा सिंथेटिक खेल परतें बिछाने के लिए अनुदानों की पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता से पूरी की गई खेल अवसंरचनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिर्शाए गए हैं।

इसके अलावा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचनाओं की कमी को मानते हुए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवाओं

के विकास और खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए देश के लिए उपलब्ध प्रतिभा के महत्वपूर्ण प्रसार एक आवश्यक आंतरिक भाग दोनों रूपों में ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक पंचायत स्तर पर तृणमूल स्तर तक बुनियादी खेल अवसंचना के विकास तथा खेलकूदों के संवर्धन के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रव्यापी 'पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान' नामक योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

(ग) भाखेप्रा की संवर्धनकारी योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों के 653 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाया गया है। तमिलनाडु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की सूची

2004-2005

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम/संबंधित फाईल संख्या के साथ स्थिति	जारी की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3
1.	गवर्नमेंट् गर्ल्स हायर सेकेण्डरी चिन्नादरपुरम, जिला कुरूर, तमिलनाडु में वालीबाल कोर्ट सं.एफ. 25-14/2000-खेल-1	0.24150
2.	आर.के. मिशन विद्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इंडोर स्टेडियम (श्रेणी-1) सं.एफ. 25-2/2004-खेल-1	9.00
3.	पाटिल मैदान, अजमेर, राजस्थान में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 सं.एफ. 23-3/2000-खेल-1	8.725
4.	महाराष्ट्रीय मंडल, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा पुणे में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 सं.एफ. 16-8/99-खेल-1	8.00
5.	नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु में तरणताल श्रेणी-2 सं.एफ. 25-3/2000-खेल-1	2.50
6.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, उपीदम आंगलुम, जिला करूर, तमिलनाडु में वालीबाल कोर्ट सं.एफ. 25-15/2000-खेल-1	0.245
7.	येल्लापुर, जिला उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में ताल्लुक स्टेडियम सं.एफ. 13-3/93-खेल-1	1.80
8.	गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, कयार जिला कासरगेट, केरल में खेल का मैदान सं.एफ. 14-5/2000-खेल-1	1.50
9.	हवेरी, कर्नाटक में ताल्लुक स्टेडियम सं.एफ. 13-16/94-खेल-1	2.00
10.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल लोहरा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में बास्केटबाल कोर्ट सं.एफ. 11-4/99-खेल-1	0.10

1	2	3
11.	कोटली मंडी हिमाचल प्रदेश में मिनी स्टेडियम सं.एफ. 11-6/95-खेल-1	0.22400
12.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, चलतरा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में बास्केटबाल कोर्ट सं.एफ. 11-7/2001-खेल-1	0.06250
13.	कुरूक्षेत्र हरियाणा में आऊटडोर स्टेडियम सं.एफ. 6-207/86-खेल-1	1.75
14.	आर. सी. किरे, जिला हासन, कर्नाटक में आऊटडोर स्टेडियम	1.05
15.	जिला स्टेडियम बीजापुर कर्नाटक में साईक्लिंग ट्रैक सं.एफ. 13-8/2002-खेल-1	5.40
16.	जिला यूनिट स्टेडियम, कांचीपुरम तमिलनाडु में खेल मैदान का विकास सं.एफ. 25-6/2000-खेल-1	2.35
17.	मंदसौर मध्य प्रदेश में तरणताल श्रेणी-1 सं.एफ. 15-3/2000-खेल-1	4.90
18.	राजकोट म्यनूनिसिपल कार्पोरेशन, गुजरात में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 सं.एफ. 9-2/99-खेल-1	20.00
19.	अरियालूर, तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर सं.एफ. 25-5/2001-खेल-1	6.90
20.	गवर्नमेट् हायर सेकेण्डरी स्कूल वेस्ट मम्बालो, अशोक नगर चेन्नई, तमिलनाडु में फुटबाल मैदान का विकास सं.एफ. 25-16/2000-खेल-1	0.739
21.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल परिसर सं.एफ. 27-50/92-खेल-1	5.00
22.	अड्डकोट्टई, तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर सं.एफ. 25-4/2000-खेल-1	10.42925
23.	महबूब नगर, आंध्र प्रदेश में तरणताल श्रेणी-2 सं.एफ. 4-19/2000-खेल-1	24.00
24.	बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में खेल छात्रावास सं.एफ. 11-6/99-खेल-1	4.50
25.	लाला दीवानचन्द मोडेरू, कुश्ती एवं योगा केन्द्र, छारा झज्जर, हरियाणा द्वारा छारा झज्जर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 सं.एफ. 10-4/2001-खेल-1	4.41
26.	पड्डल ग्राउण्ड, मण्डी हिमाचल प्रदेश में इंडोर हाल श्रेणी-3 सं.एफ. 11-3/99-खेल-1	3.00

1	2	3
27.	आर.एल. तावड़े फाउण्डेशन, महाराष्ट्र सं.एफ. 16-22/2000-खेल-1	4.54
28.	मदुरै, तमिलनाडु में तरणताल श्रेणी-2 सं.एफ. 25-2/98-खेल-1	12.50
29.	श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में तरणताल श्रेणी-2 सं.एफ. 4-3/2000-खेल-1	6.25
उत्तर-पूर्व राज्य		
30.	जिला टेबल टेनिस संघ, थाऊबाल, मणिपुर द्वारा थाऊबाल में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 सं.एफ. 17-11/99-खेल-1	3.00
31.	नाकोहाऊ नागालैण्ड में खेल मैदान सं.एफ. 20-16/2001-खेल-1	0.25
32.	कूमपूंग, नागालैण्ड में खेल मैदान सं.एफ. 20-18/2001-खेल-1	0.25
33.	गांगचुंग, नागालैण्ड में खेल मैदान सं.एफ. 20-21/2001-खेल-1	0.19
34.	लोंगिया, नागालैण्ड में खेल मैदान सं.एफ. 20-11/2001-खेल-1	0.25
35.	पूनबक, नागालैण्ड में खेल मैदान सं.एफ. 20-6/2001-खेल-1	0.25
36.	नाकसेन, नागालैण्ड में खेल मैदान सं. एफ. 20-22/2001-खेल-1	0.04
37.	एक्सप्रेशन, वालंटियर आर्गेनाइजेशन, दीमापुर नागालैण्ड द्वारा दीमापुर में तरणताल श्रेणी-1 सं. एफ. 20-3/99-खेल-1	36.50
38.	नागालैण्ड टेनिस संघ, नागार्जुन, दीमापुर, नागालैण्ड द्वारा नागार्जुन में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 सं.एफ. 20-14/2000-खेल-1	27.50
39.	चानवांकन डेवलपमेंट सोसायटी, नागालैण्ड द्वारा चेन में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 सं.एफ. 20-8/98-खेल-1	13.00
40.	वेदा स्पोर्टिंग क्लब, नागालैण्ड द्वारा चेन में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 सं. एफ. 20-9/98-खेल-1	27.50
41.	मणिपुर टेनिस संघ, मणिपुर द्वारा तामफाल पाट इम्फाल में टेनिस कोर्ट सं. एफ. 17-2/2002-खेल-1	1.50

1	2	3
42.	उमरांगस्नू, असम में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 सं. एफ. 6-2/2004-खेल-1	27.00

खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की सूची

2005-2006

क्र.सं.	परियोजना का नाम/संबंधित फाईल संख्या के साथ स्थिति	जारी की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3
1.	खेलकूद के विकास के लिए महाराष्ट्र अनुदान को 2005-06 के दौरान अनुदान की दूसरी किश्त जारी की गई सं.एफ. 16-6/95-खेल-1	0.08
2.	अमलपुरम जिला ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में मल्टीपर्पज जीएमसी बालयोगी मेमोरियल इंडोर स्टेडियम सं.एफ. 4-2/2003-1-खेल-1	45.00
3.	सेंट्रल हिन्दू मिलिट्री एजूकेशन सोसायटी, नागपुर महाराष्ट्र द्वारा तरणताल सं.एफ. 16-25/2001-खेल-1	45.00
4.	कोलांगपुर, जिला नागौन, असम में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-3 सं.एफ. 6-3/2002-खेल-1	7.00
5.	नागापट्टिनम तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर सं.एफ. 25-7/99-खेल-1	5.52667

खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की सूची

2006-2007

क्र.सं.	परियोजना का नाम/स्थिति सहित संबंधित फाईल संख्या	जारी की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3
1.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, भावराणा, जिला कांगड़ा में बास्केटबाल मैदान का विकास। अंतिम किश्त जारी की गई सं.एफ. 11-8/2001-खेल-1	0.10
2.	महाराष्ट्र सरकार-डोम्बिविली (पूर्व) में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 16-19/2003-खेल-1	60.00
3.	गुजरात-नवसरी नगरपालिका में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 9-4/2003-खेल-1	45.00

1	2	3
4.	महाराष्ट्र सरकार- चिंचौली, जिला नासिक (पहाड़ी क्षेत्र) में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-1 के निमार्ण के लिए अनुदान 2006-07 में निधि जारी की गई। सं.एफ. 16-3/2002-खेल-1	90.00
5.	आंध्र प्रदेश-विशाखापट्टनम में तरणताल के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 4-5/93-खेल-1	21.50
6.	मणिपुर-क्याम में क्रिकेट मैदान सहित पिच के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 17-13/2000-खेल-1	0.33800
7.	आंध्र प्रदेश-वारंगल में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 4-9/2000-खेल-1	5.32
8.	केरल-पथनामथिट्टा में आऊडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए अुनदान सं.एफ. 14-4/89-खेल-1	1.55
9.	मध्य प्रदेश-रानीताल जबलपुर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 15-2/2000-खेल-1	4.06500
10.	मध्य प्रदेश- में पिछौर, जिला शिवपुरी छत्रसाल स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण सं.एफ. 15-4/95-खेल-1	0.60000
11.	नागालैण्ड- हिल पायनियर द्वारा चेतहाबा में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण सं.एफ. 20-17/99-खेल-1	15.00
12.	कर्नाटक-मानिक नगर, जिला बीदर, कर्नाटक में तरणताल श्रेणी-2 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 13-3/2000-खेल-1	12.50
13.	नागालैण्ड-फुतसेरों में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 20-12/98-खेल-1	10.00
14.	तमिलनाडु-डाल्फिन क्लब, जे.जे. नगर, मोयापियस, वेस्ट चेन्नई में तरणताल, श्रेणी-2 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 25-4/2003-खेल-1	22.50
15.	तमिलनाडु सरकार-तिरूवरूर में जिला खेल परिसर में आऊडोर स्टेडियम श्रेणी-1 और आऊटडोर खेल मैदान के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 25-6/2001-खेल-1	23.00
16.	हिमाचल प्रदेश सरकार–शिमला में आईस स्केटिंग रिंग के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 11-2/1999-खेल-1	37.43
17.	तमिलनाडु सरकार–विल्लूपुरम में जिला स्तरीय खेल परिसर के लिए अनुदान सं.एफ. 25-24/2000-खेल-1	9.25

1	2	3
18.	हिमाचल प्रदेश सरकार-ऊना में तरणताल का निर्माण सं.एफ. 11-2/93-खेल-1	3.00
19.	महाराष्ट्र सरकार-कटोल, महाराष्ट्र, जिला नागौर, म्यूनिसिपल काउंसिल कटोल में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 16-8/2003-खेल-1	40.00
20.	उ.प्र. सरकार-कलहट, मिर्जापुर, रायदीप स्मारक समिति में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 27-7/2002-खेल-1	15.215
21.	तमिलनाडु सरकार-राजन थट्टन, मईलादूथुरल, जिला नागापट्टिनम में स्टेडियम श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 25-2/2003-खेल-1	18.00
22.	हिमाचल प्रदेश सरकार-गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, बालकरूपी, कांगड़ा में बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 11-12/2001-खेल-1	0.07250
23.	उ.प्र.-सेफई, इटावा में खेल मैदान के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 27-10/2003-खेल-1	24.00
24.	मध्य प्रदेश में मुरैना आऊटडोर स्टेडियम, के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 6-136/86-खेल-1	3.00
25.	तमिलनाडु, डिंडगुल में जिला स्तरीय खेल परिसर के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 25-6/99-खेल-1	13.25
26.	उ.प्र. पिजोखारा, मुजफ्फर नगर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण सं.एफ. 27-8/2002-खेल-1	2.50
27.	नागालैण्ड- सचीक्या सोसायटी नागालैण्ड द्वारा चिजामी में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण	14.01
28.	उ.प्र. सेफई, इटावा में (सचिव खेल एवं युवा विभाग उ.प्र. सरकार लखनऊ) खेल छात्रावास के निर्माण के लिए अनुदान सं.एफ. 27-9/2003-खेल-1	15.00
29.	असम-तेजपुर (अध्यक्ष, तेजपुर जिला खेल असम, पोलो फील्ड तेजपुर) जिला सोनितपुर असम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण सं.एफ. 6-2/98-खेल-1	3.00
30.	तमिलनाडु सरकार-तिरूवन्नालई तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण सं.एफ. 25-3/2003-खेल-1	19.20
31.	महाराष्ट्र-सांगली में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 का निर्माण (मैनेजिंग ट्रस्टी राजाराम बाबू पाटिल इंडोमेंट ट्रस्ट, पो.-साखराले, जिला सांगली) सं.एफ. 16-11/99-खेल-1	33.23
32.	तमिलनाडु-इट्टीमाडू, गाँव कोयम्बटूर में तरणताल श्रेणी-1 का निर्माण (माता अमृतानंदकोमई मठ इट्टीमडई, जिला कोयम्बटूर) सं.एफ. 25-8/2003-खेल-1	45.00

1	2	3
33.	हिमाचल प्रदेश-ऊना में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण सं.एफ. 11-3/98-खेल-1	8.13
34.	हरियाणा-ग्राम गढ़ी, बोहर, जिला रोहतक में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 का निर्माण (अध्यक्ष सिंधू एजूकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली) सं.एफ. 10-4/2003-खेल-1	15.00
35.	राजस्थान-गवनर्मेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल देवगढ़, जिला-राजसमंद में बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण सं.एफ. 23-2/2000-खेल-1	0.0500

सिंथेटिक खेल सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाएं

क्र.सं.	पूरी की गई परियोजना	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)	टिप्पणियाँ
2004-2005			
1.	नेहरू स्टेडियम, गुड़गॉव, हरियाणा में हॉकी सतह	100.00	राज्य सरकार को अनुदान दिया गया
2005-2006			
		शून्य	
2006-07			
2.	सेल अकादमी राउरकेला, उड़ीसा में सिंथेटिक हॉकी सतह	100.00	खेल को अनुदान दिया गया
3.	रेलवे स्टेडियम, ग्वालियर में सिंथेटिक हॉकी सतह	100.00	रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड को अनुदान दिया गया
4.	शाहबाद, हरियाणा में सिंथेटिक हॉकी सतह	95.83334	हरियाणा सरकार को अनुदान दिया गया

विवरण II

अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2004-05 से 2006-07 तक राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान चुने गए प्रतिभावान खिलाड़ियों की सूची

2004-05

क्र.सं	नाम	राज्य	खेल
1.	एस. सारनाथ कुमार	तमिलनाडु	एथलेटि
2.	सी. निखिल चित्राघोष	तमिलनाडु	एथलेटिक्स
3.	पी. पेटचियामल	तमिलनाडु	एथलेटिक्स
4.	पी. जामित शिरी	तमिलनाडु	एथलेटिक्स
5.	एस. सुबेशनी	तमिलनाडु	एथलेटिक्स

एड्स प्रभावित बच्चों का उपचार

*144. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एड्स प्रभावित बच्चों के उपचार के लिए सात अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित केन्द्र शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों की एड्स प्रभावित बच्चों के उपचार में क्या भूमिका है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) एड्स प्रभावित बच्चों के उपचार के लिए तृतीयक स्तरीय रेफरल अस्पताल में निदान और उपचार तथा एच आई वी/एड्स से प्रभावित बच्चों की सतत परिचर्या और गम्भीर रोगियों की देखरेख करने के लिए सात उत्कृष्टता वाले केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं। वे निम्नवत् हैं:-

1. क्षेत्रीय शिशु स्वास्थ्य संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु।
2. लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कालेज एवं सियॉन अस्पताल, मुम्बई, महाराष्ट्र।
3. जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, इम्फाल, मणिपुर।
4. इन्दिरा गांधी शिशु स्वास्थ्य संस्थान, बैंगलूर, कर्नाटक।
5. कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
6. कलावती सरन बाल अस्पताल, दिल्ली।
7. गांधी अस्पताल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

उत्कृष्टता वाले केन्द्रों में बाल चिकित्सा एचआईवी नैदानिक व्यवस्था में चिकित्सा अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने और बच्चों में एचआईवी संक्रमण का शीघ्र निदान करने, एचआईवी संक्रमित बच्चों में गम्भीर समयानुवर्ती संक्रमण को नियंत्रित करने तथा संबंधित रोगियों पर आपरेशनल अनुसंधान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इन केन्द्रों को वैश्विक निधि दौर-II और दौर VI के तहत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, उपकरणों, प्रशिक्षण, अतिरिक्त मानव शक्ति तथा आपरेशनल लागत के लिए सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन

*145. श्री सूरज सिंह
श्री अबु अयीश मंडल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दशक के दौरान देश में रोजगारों के अवसरों की वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुपात में नहीं बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी राजशेखरन): (क) और (ख) हाल ही में किए गए रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों के अनुसार रोजगार में वृद्धि वर्ष 1993-94 से 1999-2000 (अवधि-I) के दौरान प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 से 2004-05 (अवधि-II) के दौरान 2.62 प्रतिशत हो गई है। सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि दर अवधि-I के दौरान प्रतिवर्ष 6.5 प्रतिशत तथा अवधि-II के दौरान प्रतिवर्ष 6.0 थी।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 70 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें 65 मिलियन गैर-कृषि तथा 5 मिलियन कृषि रोजगार अवसर हैं। ग्यारहवीं योजना में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के उपायों की परिकल्पना की गई है विशेषकर श्रम गहन निर्माण क्षेत्रों में जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, फुटवेयर, तथा कपड़ा और सेवा क्षेत्रक जैसे पर्यटन और निर्माण।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी पर कम से कम 100 दिन का मैनुअल (श्रम) कार्य सुनिश्चित किया गया है तथा प्रारंभ में जो 200 जिलों में प्रभावी था, को अब बढ़ाकर वर्ष 2007-08 में 330 जिलों तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन संबंधी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जैसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

कोयला खानों का निजीकरण

*146. श्री अनंत गुडे:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला खानों के निजीकरण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार निजी कंपनियों को कोयला ब्लाकों का आवंटन गैसीकरण तथा कोयला द्रवीकरण के माध्यम से विद्युत उत्पादन, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, सिन-गैस के उत्पादन जैसे विशिष्ट अन्त्य उपयोगों में ग्रहीत उपयोग के लिए ही किया जा सकता है।

वानिकी और वन्यजीव संरक्षण हेतु धनराशि

*147 श्रीमती रुपाताई डी. पाटील:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के बार-बार आदेश देने के बावजूद वानिकी और वन्य जीव संरक्षण हेतु काफी राशि अव्ययित पड़ी है जैसा कि 4 मई, 2007 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अव्ययित राशि कितनी है और कब से यह राशि अव्ययित पड़ी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धनराशियों का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 202 में दिनांक 29.10.2002 के आदेश के तहत निदेश दिए हैं कि केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए दी गई वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण, राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों आदि के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सामान्य तौर पर किए गए भुगतान के अलावा किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि वन भूमि के देने से प्राप्त निधियों के प्रबंधन के लिए एक निकाय गठित किया जाएगा। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) का गठन करने के लिए दिनांक 23.04.2004 को एक अधिसूचना को जारी किया। सीएएमपीए अधिसूचना के लिए मंत्रिमंडल अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

इसी बीच, माननीय उच्चतम न्यायालन ने दिनांक 5.5.2006 को यह टिप्पणी की कि सीएएमपीए ने अभी भी काम करना शुरू नहीं किया है, और राज्य/संघ शासित सरकारों के पास अप्रयुक्त पड़ी सभी निधियों के हस्तांतरण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सीएएमपीए के एक तदर्थ निकाय का गठन कर दिया।

अब तक, सीएएमपीए के तदर्थ निकाय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों आदि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से लगभग 5,400 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। तदर्थ सीएएमपीए से राज्यों को अब तक कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तदर्थ सीएएमपीए में जमा की गई निधियां वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण आदि के उपयोग के लिए हैं। इन निधियों का उपयोग सीएएमपीए अधिसूचना को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

कुष्ठरोग उन्मूलन हेतु धनराशि

*148. श्री रशीद मसूद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कुष्ठरोग उन्मूलन हेतु आबंटित की गई धनराशि का कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत

वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार निधियां स्वीकृत की गई थीं। वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित राज्य-वार निधियां और राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

योजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य सोसाइटियों को तुरन्त जारी किए जाने के लिए निधियां, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों को जारी की गई हैं। राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत तिमाही आधार पर कार्यकलापों के कार्यान्वयन और व्यय की मानीटरिंग करने की सलाह दी गई है। केन्द्र सरकार, इन विषयों को नियमित रूप से राज्य सरकार के साथ उठा रही है। इस विषय पर भी विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में, जुलाई 2007 में स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य के स्वास्थ्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों की वित्तीय प्रगति

क्रम	राज्य/संघ क्षेत्र	आवंटित निधियां			दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार सूचित खर्च न की गई निधि	वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य द्वारा सूचित व्यय (5-6)	आवंटित निधियों में से उपयोग में लाई गई निधियों का प्रतिशत 7/5*100
		दिनांक 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक अतिशेष	वर्ष 2006-07 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 2006-07 के दौरान आवंटित कुल निधियां (3 + 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	56.26	138.86	195.12	70.62	124.5	63.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.77	51.9	64.67	0.45	64.22	99.30
3.	असम	29.52	71.28	100.8	33.29	67.51	66.97
4.	बिहार	250.6	0	250.6	213.79	36.81	14.69
5.	छत्तीसगढ़	21.32	110.01	131.33	30	101.33	77.16
6.	गोवा	1.73	2.83	4.56	0.2	4.36	95.61
7.	गुजरात	41.21	87.54	128.75	24.32	104.43	81.11
8.	हरियाणा	29.79	47.66	77.45	42.15	35.3	45.58
9.	हिमाचल प्रदेश	16.12	60.69	76.81	32.93	43.88	57.13
10.	जम्मू डिवीजन	8.93	18.74	27.67	6.58	21.09	76.22
11.	कश्मीर डिवीजन	9.66	13.52	23.18	13.29	9.89	42.67
12.	झारखंड	80.59	47.07	127.66	62.89	64.77	50.74
13.	कर्नाटक	86.43	51.25	137.68	27.89	109.79	79.74
14.	केरल	78.64	54.26	132.9	70.93	61.97	46.63
15.	मध्य प्रदेश	301.9	0	301.9	118.6	183.3	60.72
16.	महाराष्ट्र	73.17	205.34	278.51	70.38	208.13	74.73

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मणिपुर	15.33	21.37	36.7	0.5	36.2	98.64
18.	मेघालय	6.97	17.35	24.32	5.84	18.48	75.99
19.	मिजोरम	9.04	32.38	41.42	11.85	29.57	71.39
20.	नागालैंड	0.37	40.29	40.66	0.76	39.9	98.13
21.	उड़ीसा	161.28	28.09	189.37	63.43	125.94	66.50
22.	पंजाब	34.92	41.06	75.98	45.97	30.01	39.50
23.	राजस्थान	38.82	89.51	128.33	49.38	78.95	61.52
24.	सिक्किम	3.35	19.24	22.59	2.06	20.53	90.88
25.	तमिलनाडु	49.87	145.83	195.7	85.96	109.74	56.08
26.	त्रिपुरा	13.39	6.83	20.22	9.14	11.08	54.80
27.	उत्तर प्रदेश	198.05	317.16	515.21	169.52	345.69	67.10
28.	उत्तरांचल	48.48	29.76	78.24	29.32	48.92	62.53
29.	पश्चिम बंगाल	41.71	192.4	234.11	90.1	144.01	61.51
30.	अंडमान व नीकोबार द्वीपसमूह	14.25	0	14.25	11.72	2.53	17.75
31.	चंडीगढ़	3.83	3	6.83	1.82	5.01	73.35
32.	दादरा एवं नगर हवेली	4.47	2.75	7.22	0.59	6.63	91.83
33.	दमण व दीव	5.1	0	5.1	2.27	2.83	55.49
34.	दिल्ली	16.8	44.81	61.61	12.96	48.65	78.96
35.	लक्षद्वीप	9.42	0	9.42	9.1	0.32	3.40
36.	पांडिचेरी	2.77	7.24	10.01	0.86	9.15	91.41
	कुल	1776.86	2000.02	3776.88	1421.46	2355.42	62.36

आयोडिन युक्त नमक से होने वाली बीमारियां

*149. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से देश में कई बीमारियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, नहीं। आयोडीन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्मपोषक तत्व है और मानव की सामान्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए प्रतिदिन 100-150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीनयुक्त नमक में उपलब्ध आयोडीन की गुणवत्ता पूर्णरूपेण सुरक्षित है और इससे कोई रोग नहीं होता है बल्कि यह 'अयोडीन अल्पताजन्य विकारों' नामक रोग समूहों को होने से रोकता है। जिनमें से अधिकतर रोगों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती है और ये रोग स्थायी प्रकृति के होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

*150. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण निगरानी योजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कितने उद्योगों का निरीक्षण किया;

(ख) कितने उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को उल्लंघन करते पाया गया तथा उनके अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उद्योगों को बन्द करने के कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की स्थितिनुसार इन उद्योगों की स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाता रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2005 में 76, वर्ष 2006 में 203 और वर्ष 2007 में (अब तक) 48 थी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर वर्ष 2005 में 65 औद्योगिक इकाइयां, वर्ष 2006 में 107 औद्योगिक इकाइयां और वर्ष 2007 में (अब तक) 15 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है जो प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों का उल्लंघन कर रही हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत वर्ष 2005 में 2 औद्योगिक इकाइयों, वर्ष 2006 में 63 औद्योगिक इकाइयों और वर्ष 2007 में (अब तक) 11 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वर्ष 2005 में एक औद्योगिक इकाई, वर्ष 2006 में एक इकाई और वर्ष 2007 में छः इकाईयों को तब तक बंद करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं जब तक कि निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने की दृष्टि से अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की स्थापना और संतोषजनक प्रचालन नहीं हो जाता।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को जारी निर्देशों के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी करता है। जिन औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध निर्देश जारी किए गए थे उन्हें या तो बन्द कर दिया गया है या उनमें जारी निर्देशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली में सुधार किए गए हैं।

नकली औषधियां

*151. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ (आई.एम.ए.) के निष्कर्षों के अनुसार भारत में बेची जा रही औषधियों में से 35 प्रतिशत औषधियां नकली हैं और मलेरिया-रोधी औषधियां आमतौर पर सबसे अधिक मिलने वाली नकली औषधि है जैसाकि दिनांक 24 जुलाई, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिष्ठित कम्पनियों के नाम पर नकली औषधियों, इंजेक्शनों और सिरप इत्यादि का विनिर्माण अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा है और इनका देश में बड़ी मात्रा में विपणन भी किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा मारे गए छापों में बरामद हुई नकली औषधियों की मात्रा का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान नकली औषधियों के विपणन/विनिर्माण में संलिप्त कितने लोगों को राज्यवार और वर्षवार गिरफ्तार किया गया है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में नकली औषधियों की समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) दिनांक 24 जुलाई, 2007 को मिन्ट (हिन्दुस्तान टाईम्स का एक प्रकाशन) में एक रिपोर्ट दी गई थी कि दिल्ली चिकित्सा संघ (डीएमए) ने भागीरथ पैलेस से एकत्र किए गए 53 औषध नमूनों में से 4 नमूने सही पाए हैं। तथापि, डीएमए ने पूछे जाने पर यह पुष्टि की है कि वर्ष 2004 के दौरान उन्होंने भागीरथ पैलेस में कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। भारतीय चिकित्सा संघ ने भारत में बेची जाने वाली 35 प्रतिशत औषधों के नकली व मिलावटी होने की कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

देश में नकली/गैर मानक स्तर वाली औषधियों की बिक्री के कुछ मामलों की रिपोर्टें मिली हैं। तथापि, जब कभी भी ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, राज्य औषध नियंत्रण विभाग द्वारा पुलिस की सहायता से अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए हैं।

वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 से संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस वर्ष के अब तक के आंकड़े राज्यों से एकत्र किए जा रहे हैं।

हाल ही में उत्तर प्रदेश औषध नियंत्रण द्वारा पुलिस की सहायता से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों जैसे मुज्जफरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मोदी नगर इत्यादि से नकली/मिलावटी दवाइयां बरामद की गई हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में बोलनगीर जिले में नकली दवाईयों का पता चला है।

देश में नकली दवाईयों की उपलब्धता को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

विनियामक कार्यढांचे को सुदृढ़ करने तथा औषधों के निर्माताओं पर समान नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय औषध प्राधिकरण का सृजन करने के लिए संसद के इस सत्र में एक विधेयक पेश किया गया है।

कठोर दण्ड देने, औषध संबंधी अपराधों पर द्रुत गति से मुकदमा चलाए जाने के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने, अपराधों का प्रशमन करने, औषध संबंधी अपराधों के लिए अभियोजन दर्ज करने के लिए पुलिस को भी प्राधिकृत करने तथा ऐसे सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने के लिए एक अन्य विधेयक संसद में पहले ही पेश कर दिया गया है संसद के चालू सत्र के दौरान विधेयक पर विचार करने एवं उसे पारित किए जाने की संभावना है।

औषध की अनुसूची 'एम' और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में एक संशोधन किया गया है ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर बनाया जा सके और औषध निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे बेहतर गुणवत्ता वाली औषधियों का निर्माण करें।

नकली औषधियों के सम्भावित कारोबार पर संकेन्द्रित निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार के विनियामक अधिकारियों के लिए आसूचना कार्य के संभारतंत्र, अभियोजन इत्यादि पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

विवरण

राज्यों से उपलब्ध फीड बैक के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान जांचे गए नमूनों की संख्या, मानक गुणवत्ता के नहीं बताए गए नमूनों की संख्या, नकली बताए गए नमूनों की संख्या, शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या और निर्णित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जांच किए गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के नहीं बताए गए नमूनों की संख्या	नकली बताए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए अभियोजन की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	4893	112	5	73	29	शून्य
3.	अरूणाचल प्रदेश	219	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	असम	433	31	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	बिहार	1097	शून्य	शून्य	118	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	चंडीगढ़	226	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
8.	दादरा एवं नगर हवेली	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दमण और दीव	51	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली	1109	53	3	3	शून्य	शून्य
11.	गोवा	172	24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	3810	673	4	14	3	शून्य
13.	हरियाणा	3023	159	1	14	22	शून्य
14.	हिमाचल प्रदेश	834	6	1	2	1	2
15.	जम्मू-कश्मीर	664	40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	झारखण्ड	330	5	शून्य	3	शून्य	4
17.	कर्नाटक	3670	205	8	9	शून्य	1
18.	केरल	4716	496	1	1	शून्य	शून्य
19.	लक्षद्वीप	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
20.	मध्य प्रदेश	5662	168	23	34	4	शून्य
21.	महाराष्ट्र	5386	532	2	11	17	शून्य
22.	मणिपुर	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
23.	मेघालय	204	16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	मिजोरम	25	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	नागालैंड	71	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	उड़ीसा	1916	165	2	1	1	शून्य
27.	पांडिचेरी	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पंजाब	2140	216	13	6	1	शून्य
29.	राजस्थान	897	112	7	28	24	शून्य
30.	सिक्किम	14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	तमिलनाडु	4793	420	47	33	शून्य	शून्य
32.	त्रिपुरा	467	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	उत्तर प्रदेश	986	156	7	3	2	6
34.	उत्तरांचल	45	3	शून्य	11	शून्य	1
35.	पश्चिम बंगाल	1409	84	20	6	1	9
	कुल योग	49287	3695	144	370	105	23

एन-ए. अनुपलब्ध

राज्यों से उपलब्ध फीड बैक के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान जांचे गए नमूनों की संख्या, मानक गुणवत्ता के नहीं बताए गए नमूनों की संख्या, नकली बताए गए नमूनों की संख्या, शुरू किए गए अभियोजन की संख्या और निर्णित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	राज्य/संघ क्षेत्र	जांच किए गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के नहीं बताए गए नमूनों की संख्या	नकली बताए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए अभियोजन की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2.	आंध्र प्रदेश	4502	56	11	33	40	शून्य
3.	अरूणाचल प्रदेश	300	2	0	0	0	
4.	असम	416	23	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	बिहार	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
6.	चंडीगढ़	2073	185	8	2	1	
7.	छत्तीसगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
8.	दादरा एवं नगर हवेली	27	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दमण और दीव	60	3	2	2	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली	829	29	5	2	1	
11.	गोवा	172	24	—	—	—	शून्य
12.	गुजरात	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
13.	गंगटोक	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
14.	हरियाणा	1974	129	3	32	13	3
15.	हिमाचल प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
16.	जम्मू-कश्मीर	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
17.	झारखण्ड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
18.	कर्नाटक	2942	219	13	4		1

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	केरल	4085	157	1	1	शून्य	शून्य
20.	लक्षद्वीप	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
21.	मध्य प्रदेश	3200	124	1	4	2	
22.	महाराष्ट्र	6210	723	14	175	26	12
23.	मणिपुर	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
24.	मेघालय	68	0	0	0	0	
25.	मिजोरम*	20	1	शून्य	198	शून्य	
26.	मुम्बई	1110	27	2	एन.ए.	एन.ए.	
27.	नागालैंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
28.	उड़ीसा	1209	165	6	एन.ए.	शून्य	
29.	पांडिचेरी	29	3	4	शून्य	-	
30.	पंजाब	2073	185	8	2	1	शून्य
31.	राजस्थान	1246	153	8	3	-	2
32.	सिक्किम	20	0	0	0	0	शून्य
33.	तमिलनाडु	3457	262	9	14	शून्य	शून्य
34.	त्रिपुरा	569	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
36.	उत्तरांचल	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
37.	पश्चिम बंगाल	882	96	2	16	8	
	कुल योग	36034	2470	95	472	83	18

एन ए-अनुपलब्ध

*अवधि 01.01.2005 से 04.05.2006 तक है।

राज्यों से उपलब्ध फीड बैक के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान जांचे गए नमूनों की संख्या, मानक गुणवत्ता के नहीं बताए गए नमूनों की संख्या, नकली बताए गए नमूनों की संख्या, शुरू किए गए अभियोजन की संख्या और निर्णित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	राज्य/संघ क्षेत्र	जांच किए गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के नहीं बताए गए नमूनों की संख्या	नकली बताए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए अभियोजन की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2.	आंध्र प्रदेश	2350	33	9	21	64	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरूणाचल प्रदेश	300	2	0	0	0	
4.	असम	416	23	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	बिहार	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
6.	चंडीगढ़	2473	105	5	10	6	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
8.	दादरा एवं नगर हवेली	41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दमण और दीव	35	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली	829	29	5	2	1	
11.	गोवा	42	8	-	-	-	शून्य
12.	गुजरात	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
13.	गंगटोक	22	1	शून्य	शून्य	शून्य	
14.	हरियाणा	1217	61	2	24	13	
15.	हिमाचल प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
16.	जम्मू-कश्मीर	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
17.	झारखण्ड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
18.	कर्नाटक	2110	211	शून्य	5		1
19.	केरल	3414	187	शून्य	1	शून्य	शून्य
20.	लक्षद्वीप	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
21.	मध्य प्रदेश	3200	124	1	4	2	
22.	महाराष्ट्र	6210	723	14	175	26	12
23.	मणिपुर	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
24.	मेघालय	68	0	0	0	0	
25.	मिजोरम*	20	1	शून्य	198	शून्य	
26.	मुम्बई	1110	27	2	एन.ए.	एन.ए.	
27.	नागालैंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
28.	उड़ीसा	1209	165	6	एन.ए.	शून्य	
29.	पॉडिचेरी	29	3	4	शून्य	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	पंजाब	2073	185	8	2	1	शून्य
31.	राजस्थान	1821	120	1	1	-	शून्य
32.	सिक्किम	20	0	0	0	0	शून्य
33.	तमिलनाडु	3255	213	2	11	2	शून्य
34.	त्रिपुरा	449	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
36.	उत्तरांचल	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
37.	पश्चिम बंगाल	882	96	2	16	8	
	कुल योग	32264	2223	59	454	115	13

एन ए-अनुपलब्ध

शिशु मृत्यु दर

*152. श्री कीरेन रिजीजू:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिशु मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शिशु मृत्यु दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस दर को कम करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) जी, नहीं। देश में शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है। विगत पांच वर्षों के दौरान शिशु मृत्यु का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अवलोकन करने पर पता चलता है कि देश में तथा देश के सभी प्रमुख राज्यों में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

शिशु मृत्यु की समस्या पर काबू पाने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था की बीमारियों की समेकित उपचार कार्यनीति (आई एम एन सी आई) का कार्यान्वयन है। इस कार्यनीति में शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में होने वाली मृत्यु के सर्वाधिक सामान्य कारणों सेप्सिस, तीव्र श्वसनी संक्रमण, अतिसार, खसरा तथा मलेरिया जो कि कुपोषण से और गंभीर हो जाते हैं, के नियंत्रण के प्रति समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था की बीमारियों की समेकित उपचार कार्यनीति का कार्यान्वयन देश भर में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। इस समय देशभर के 154 जिलों में शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था की बीमारियों की समेकित उपचार कार्यनीति का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

उन जिलों में जहां शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था की बीमारियों की समेकित उपचार कार्यनीति का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया जा रहा है, वहां पर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के पहले चरण के अंतर्गत शिशु तथा बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों का कार्यान्वयन जारी रहेगा ये न्युमोनिया तथा अतिसार के कारण होने वाली मौतों को नियंत्रित करने, पोषण संबंधी परामर्श देने तथा आयरन फोलिक एसिड तथा विटामिन ए से सूक्ष्मपोषक तत्व का संपूरण करने से संबंधित कार्यक्रम हैं।

सभी अन्य कार्यकलाप देशभर में समान रूप से किए जा रहे हैं। निवार्य जानलेवा स्थितियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों का रोग प्रतिरक्षण मुख्य कार्यकलापों में से एक है। रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार छह वैक्सीन निवार्य रोगों अर्थात क्षयरोग, डिप्थीरिया,, कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो तथा खसरा के लिए वैक्सीन प्रदान कर रही है। इसके अलावा, संस्थागत प्रसव

सुनिश्चित करने तथा अनिवार्य शिशु परिचर्या के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया जा रहा है जिससे कि प्रसव के समय कुशल परिचर्या उपलब्ध हो सके और सभी नवजात शिशुओं को विशेषज्ञ परिचर्या मिल सके। नवजात शिशुओं को सुविधा केन्द्र में तथा घर दोनों स्थानों में परिचर्या प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। विटामिन ए, आयरन फोलिक एसिड तथा जिंक से सूक्ष्म पोषक तत्व का संपूरण किया जा रहा है। नवजात शिशु तथा छोटे बच्चों के पोषण पर बल दिया जा रहा है। रोग प्रतिरक्षण इस समय चल रहे प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक मुख्य विषय है। अप्रैल 2005 में 7 वर्षों (2005 से 2012) की अवधि के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समग्रतावादी दृष्टिकोण वाला एक प्रमुख कार्यकलाप है और इसमें हासिल किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य में वर्ष 2012 तक शिशु मृत्युदर को कम करके 30 प्रति हजार करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

शिशु मृत्यु दर

भारत तथा प्रमुख राज्य 2000 से 2005

क्र.सं.	भारत/राज्य	2000 कुल	2001 कुल	2002 कुल	2003 कुल	2004 कुल	2005 कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	68	66	63	60	58	58
1.	आंध्र प्रदेश	65	66	62	59	59	57
2.	असम	75	74	70	67	66	68
3.	बिहार	62	62	61	60	61	61
4.	छत्तीसगढ़					60	63
5.	दिल्ली					32	35
6.	गुजरात	62	60	60	57	53	54
7.	हरियाणा	67	66	62	59	61	60
8.	हिमाचल प्रदेश	51	43	61	42	51	49
9.	जम्मू-कश्मीर					49	50
10.	झारखंड					49	50
11.	कर्नाटक	57	58	55	52	49	50
12.	केरल	14	11	10	11	12	14
13.	मध्य प्रदेश	87	86	85	82	79	76
14.	महाराष्ट्र	48	45	45	42	36	36
15.	उड़ीसा	95	91	87	83	77	75
16.	पंजाब	52	52	51	49	45	44

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	राजस्थान	79	80	78	75	67	68
18.	तमिलनाडु	51	49	44	43	41	37
19.	उत्तर प्रदेश	83	83	80	76	72	73
20.	पश्चिम बंगाल	51	51	49	46	40	38

न्याय पंचायतों की स्थापना

***153. श्री संतोष गंगवार:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पंचायतों को न्यायिक अधिकार देकर उन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से न्याय पंचायतों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्षेत्राधिकार का दायरा क्या होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सरकार के पास न्याय पंचायतों पर एक बिल लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो निचले स्तर पर विवादित संकल्पों के निमित्त सामुदायिक सहभागिता पर मध्यस्थता, सुलह तथा समझौता के जरिए एक वैकल्पिक मंच उपलब्ध कराएगा। न्याय पंचायतों पर प्रस्तावित बिल को ड्राफ्ट करने के लिए प्रख्यात विधिवेत्ता प्रो. उपेन्द्र बख्शी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा चुकी है। ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य ग्राम न्यायालयों पर बिल को पूरा करना है जिसे संसद के द्वारा माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

कोकिंग कोल और नान-कोकिंग कोल का उत्पादन

***154. श्री रामदास आठवले:**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोकिंग कोल और नान-कोकिंग कोल का अलग-अलग कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में उनका उपयोग किया गया;

(ख) क्या स्वदेशी रूप से उत्पादित कोयले में राख और गन्धक की मात्रा कम करने हेतु एक नई तकनीक विकसित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किन कंपनियों से कोकिंग कोल की खरीद की जा रही है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में किस-किस देश से कोकिंग और नान-कोकिंग कोल का आयात किया गया?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कोकिंग कोयले और नान-कोकिंग कोयले की मात्रा तथा देश में उपयोग में लाई गई कोकिंग कोयले और नान-कोकिंग कोयले की मात्रा नीचे दी गई है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोकिंग कोयला		नान-कोकिंग कोयला	
	उत्पादन	उपयोग में लाया गया (आयात सहित)	उत्पादन	उपयोग में लाया गया (आयात सहित)
2004-05	30.224	47.673	352.391	376.879
2005-06	31.511	47.428	375.528	386.745
2006-07 (अनंतिम)	32.188	47.586*	398.662	409.781*

*फरवरी 2007 तक आयात

(ख) और (ग) देश में उत्पादित अधिकांश कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है परंतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कोयले की तुलना में कम सल्फर होता है। राख की मात्रा को कम करके कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कोयले की धुलाई की जाती है।

चूंकि भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा काफी कम है, इसलिए सल्फर की मात्र को कम करने के लिए किसी विशेष प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता है। तथापि, केवल असम कोलफील्ड्स के मामले में सल्फर की मात्रा अधिक है जबकि कुल उत्पादन की तुलना में उत्पादन बहुत कम है।

(घ) देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल), भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.(डब्ल्यूसीएल) और साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)से कोकिंग कोयले की खरीद की जा रही है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित कोकिंग तथा नान कोकिंग कोयले की देशवार और वर्ष-वार कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

(मिलियन टन)

देश	2004-05		2005-06		2006-07 (फरवरी, 07 तक)	
	कोकिंग कोयला	नान कोकिंग कोयला	कोकिंग कोयला	नान कोकिंग कोयला	कोकिंग कोयला	नान कोकिंग कोयला
अर्जेंटीना	0.024					
आस्ट्रेलिया	14.044	0.309	13.973	0.392	13.575	0.514
कनाडा	0.048				0.043	
चीन	0.877	1.590	0.906	2.175	0.545	3.470
इंडोनेशिया	0.214	9.207	0.319	15.739	0.137	16.174
न्यूजीलैंड	0.437		0.606		0.661	
रूस	0.189	0.021	0.045			0.050
दक्षिण अफ्रीका	0.083	0.473	0.021	3.223	0.216	1.539
स्वीटजरलैंड	0.014	0.006				
यू एसु ए	0.771	0.002	1.022		0.597	0.035
वियतनाम	0.007	0.203		0.120		0.259
अन्य	0.217	0.214		0.044	0.005	0.001
कुल	16.925	12.025	16.892	21.693	15.780	22.042

[अनुवाद]

प्रति परिवार एक संतान का मानदंड

*155. **श्री पी. सी. गद्वीगउडर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीन की तर्ज पर प्रति परिवार एक संतान के मानदंड को प्रचारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, नहीं। चीन की तरह देश में एक-बच्चे के मानक प्रचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चीन के परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक ही पार्टी के माहौल में विकसित किया गया है जबकि भारत में बहु-दलीय प्रजातंत्रात्मक प्रणाली है। चीन ने एक बच्चे के मानक को विभिन्न हतोत्साहनों/प्रोत्साहनों के प्रयोग से अपनाया है जो बाध्यकारी प्रकृति के हैं। भारत में ऐसे उपाय, जो समाज के लिए हानिकारक हैं, नहीं अपनाए जा सकते। दूसरी ओर भारत एक विकासात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है जिसमें सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया जाता है।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृत्ति का है जिसमें किसी भी दम्पति को बिना किसी बाध्यता के अपनी पसंद के अनुसार उनके लिए सबसे उपयुक्त परिवार कल्याण तरीका अपनाने की सुविधा है। केरल, गोवा और तमिलनाडु, नागालैंड, आंध्र प्रदेश आदि जैसे कुछ राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता दर्शाती है कि जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए बाध्यकारी उपायों की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

*156. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का पुनरीक्षण करने हेतु सरकार द्वारा अपनायी गयी रणनीति का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों पर कार्य कर रहे विभिन्न विभागों और राज्यों के बीच समन्वय का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो संरक्षण कार्यक्रमों पर कार्य कर रहे विभिन्न विभागों और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जनसंख्या में वृद्धि के कारण निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण भार को देखते हुए नदियों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। संरक्षण नीति की कार्य पद्धति की पुनरीक्षा और अतिरिक्त शहरों तथा नदियों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है। जल राज्य का विषय होने के कारण नदियों में प्रदूषण के प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त सीवेज अवसंरचना का सृजन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंन्द्र सरकार अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों के लिए पूंजीगत कार्यों के लिए एक बार अनुदान उपलब्ध करवाकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रदूषण निवारण कार्यों का कार्यान्वयन किया जाता है। केंन्द्र और राज्य स्तर पर बहुस्तरीय निगरानी तंत्र नीति मामलों, निधियन पद्धति और कार्य की प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा करता है। राज्य सरकारों ने प्रधान सचिव/मुख्य सचिव द्वारा नियमित बैठकों के आयोजन के माध्यम से कार्यान्वयन स्तर पर विभिन्न विभागों/एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने और भूमि अधिग्रहण, विद्युत आपूर्ति, अन्य के अलावा संसाधन का पता लगाने जैसे अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने का सुझाव दिया गया है।

स्टेम सेल थिरेपी का नैदानिक परीक्षण

*157. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्टेम सेल थेरेपी के नैदानिक परीक्षणों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का वित्त पोषण करने हेतु कितना बजट निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस क्षेत्र में अनुसंधान के विविधीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) स्टेम सेल थिरेपी में अनुसंधान को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ब्राह्य वित्त पोषण के अधीन बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में स्टेम सेल अनुसंधान के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों में स्टेम सेल के उपयोग के लिए ऐसे अनुसंधान के अंग के रूप में क्लिनिकल परीक्षणों सहित अनुसंधान आयोजित करने के लिए अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट हैं। भारत के औषध महानियंत्रक कार्यालय द्वारा क्लिनिकल परीक्षणों को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्टेम सेल में नौ अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अब तक 50.00 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कार्यसूची में इस क्षेत्र में अध्ययनों के विविधीकरण को शामिल किया है।

विश्वभर में प्रतिबंधित औषधियों का प्रयोग

*158. श्री सी. के. चन्द्रप्पन:
श्री निखिल कुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनाल्जिन, सिसाप्राइड, निमेसलाइड, ड्रोपेरोल, फ्यूरोक्सोन, हेलमेजन आदि जैसी औषधियां, जो गम्भीर दुष्प्रभावों की वजह से पूरे विश्व में प्रतिबंधित हैं, भारत में सर्वाधिक बिकने वाली औषधियों में शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) कथित दवाइयों, जैसे एनालजिन, सिसाप्राइड, निमेस्युलाइड, ड्रोपेरोल, फ्यूरोक्सोन, हैलमाजैन (हैलमाइजिन) को इनके गम्भीर दुष्प्रभावों के कारण विश्व भर में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ये दवाइयां भारत सहित कई देशों में उपलब्ध हैं।

अवैध भ्रूण हत्या

***159. श्रीमती पी. सतीदेवी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में बिना समुचित लाइसेंस के नर्सिंग होमों और क्लीनिकों में व्यापक स्तर पर अवैध तरीके से बड़ी संख्या में बालक व बालिका भ्रूणों की हत्या की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रथा को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) दिनांक 01.08.2007 की स्थिति के अनुसार गर्भधारण-पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पी सी एंड पी एन डी टी एक्ट) के अधीन अल्ट्रासाउंड परीक्षण करने वाले 31332 एकक पंजीकृत हैं। अधिनियम के अधीन न्यायालय में चल रहे मामलों की संख्या 402 है जिनमें से भ्रूण के लिंग निर्धारण और प्रकटीकरण से संबंधित 61 मामले इस प्रकार हैं:- बिहार (3) हरियाणा (18), कर्नाटक (1), मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (13), पंजाब (17), तमिलनाडु (1), उत्तराखंड (2) और दिल्ली (4)। दिनांक 01.08.2007 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश (8), बिहार (6), गोवा (1), गुजरात (3), हरियाणा (2), हिमाचल प्रदेश (1), कर्नाटक (8), मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (16), पंजाब (11), तमिलनाडु (22), उत्तर प्रदेश (17), पश्चिम बंगाल (8) और दिल्ली (35) राज्यों में पी सी और पी एन डी टी अधिनियम के अधीन क्लिनिकों का पंजीकरण न करने के लिए 140 मामले दायर किए गए हैं।

(ग) कन्या भ्रूण हत्या के प्रचलन को रोकने के किए गए उपायों में राष्ट्रीय सहायता और मानीटरिंग कक्ष, राष्ट्रीय निरीक्षण और मानीटरिंग समिति जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, विधि मंत्रालय एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, का गठन करके, संसद सदस्यों को सुग्राही बना कर; प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-11 के अधीन राज्यों को वित्त पोषित करके; इस मुद्दे को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल करके; न्यायपालिका को सुग्राही बनाकर और न्यायपालिका के कार्मिकों को प्रशिक्षित करके तथा जागरूकता पैदा करने वाले कार्यकलाप चलाकर देश में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना शामिल है।

तटीय विनियमों की समीक्षा

***160. श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय विनियमों की समीक्षा करने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विनियमों से देश के तटीय क्षेत्रों की किस हद तक सुरक्षा होने की उम्मीद है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नामोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 1991 के कार्यान्वयन और यदि आवश्यक हो, संशोधन के संबंध में पुनरीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए जुलाई, 2004 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। विशेषज्ञ समिति ने सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2005 में स्वीकार किया गया था। सिफारिशों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

(1) एक समान विनियामक दृष्टिकोण के स्थान पर एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन।

(2) प्राकृतिक एवं मानवजनित खतरों को ध्यान में रखते हुए तटों की संवेदनशीलता के आधार पर तटीय क्षेत्रों का विकास।

(3) विनियमन के लिए महासागर जोन को शामिल करना।

(4) नीतिगत और कानूनी मामलों के समाधान के लिए तटीय जोन प्रबंधन संस्थान स्थापित करना।

(5) तटीय क्षेत्रों और समुद्री जल का समयबद्ध रूप से प्रदूषण निवारण।

(6) कच्छ वनस्पति, प्रवाल कछुवा प्रजनन क्षेत्रों जैसे तटीय परिसंवेदी क्षेत्रों की पहचान करना और मानचित्रण करना।

(7) तटीय जैव शील्ड का विकास।

(ग) प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर नए विनियमनों को अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, सिफारिशों के अनुसार पहचान किए गए संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के सीमांकन के लिए पायलट अध्ययन शुरू किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों का बचाव उलब्ध करवाएगा।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय युद्धबंदी

1338. **श्री नवीन जिंदल:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय युद्धबंदियों के संबंधियों के एक 14 सदस्यीय शिष्टमंडल ने पाकिस्तानी जेलों का जून, 2007 में दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दौरे में क्या परिणाम रहे;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पाकिस्तानी जेलों में भारतीय युद्धबंदियों का पता लगाने तथा उन्हें रिहा कराने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) लापता रक्षा कार्मिकों के परिवार के सदस्यों का एक दल 1-14 जून, 2007 तक पाकिस्तान की यात्रा पर गया। उन्होंने पाकिस्तान में 10 जेलों का दौरा किया। भारतीय कैदियों को रिश्तेदारों के समक्ष पेश किया गया। दौरे पर गए परिवार के सदस्यों ने जिन जेलों का दौरा किया, उनमें उन्हें कोई लापता रक्षा कार्मिक नहीं मिला। तथापि इस बात की पुष्टि हुई कि एक लापता कार्मिक कार्रवाई के दौरान मारा गया था और उसे युद्ध बंदी नहीं माना गया। यात्रा का निष्कर्ष न निकलने के बावजूद सरकार इस यात्रा को संभव बनाने में पाकिस्तान सरकार के इस प्रयास की सराहना करती है। सरकार लापता रक्षा कार्मिकों के मसले को तब तक, जब तक यह मसला हल नहीं हो जाता, पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती रहेगी जैसा कि यह विगत में करती रही है।

सर क्रीक पर वार्ता

1339. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17-18 मई, 2007 को रावलपिंडी में समग्र वार्ता के चौथे दौरे में सर क्रीक पर 2 दिवसीय वार्ता हुई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले पर अब तक कितनी प्रगति हुइ है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। दोनों पक्षों ने समुद्री सीमा के परिसीमन तथा सरक्रीक में सीमा की सरेखण पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने सरक्रीक में सीमा के सरेखण तथा समुद्री सीमा के परिसीमन पर अपनी-अपनी स्थिति को दर्शाने वाले मानचित्रों/चार्टों का आदान-प्रदान किया। सरक्रीक तथा उसके संलग्न क्षेत्रों के संयुक्त सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया और वे इस मसले के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमत हुए।

रेल पटरियों पर भारी संख्या में वन्य जीवों की मृत्यु

1340. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे के उत्तरी बंगाल तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र में बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने से बाघ, जंगली भैसा, हाथियों सहित वन्य जीवों की जान पर बन आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आमान परिवर्तन के समय से, वर्षवार, इन रेल पटरियों पर कितने जानवर मारे गए हैं; और

(ग) वन्य जीवों की इस हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार विशेषकर असम और उत्तर बंगाल में दुर्घटनाओं से रेलवे पटरियों पर वन्य पशुओं की यदा-कदा मृत्यु की रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ट्रेनों की गति को नियंत्रित करने के लिए रेलवे दुर्घटनाओं द्वारा वन्य पशुओं की मृत्यु का मामला रेलवे प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है। इस बारे में रेलवे प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके बहुत से एहतियाती उपायों की पहचान भी की गई है। वनों से होकर जाने वाली ट्रेनों के चालकों और गार्डों को सुग्राही बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए हैं। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के निर्देशों के आधार पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्डों को ऐसे क्षेत्रों से होकर जाने वाली ट्रेनों की गति सीमा की जांच के लिए भी लिखा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	वन्य पशुओं की मौतों की संख्या
1.	असम	1987	1
2.	असम	1988	1
3.	असम	1991	1
4.	असम	1992	2
5.	असम	1994	3
6.	असम	1995	2
7.	असम	1996	2
8.	असम	1997	1
9.	असम	1998	6
10.	असम	2000	1
11.	असम	2001	7
12.	असम	2002	3
13.	असम	2004	4
14.	पश्चिम बंगाल	2004	3
15.	असम	2005	2
16.	असम	2006	4
17.	पश्चिम बंगाल	2006	7
18.	असम	2007	3
19.	पश्चिम बंगाल	2007	3
		कुल	56

हाईटेक नर्सरियों में गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण

1341. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाईटेक नर्सरियों में गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री के उत्पादन को राष्ट्रीय पौधरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को अनुदान सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार इस उद्देश्य हेतु स्वैच्छिक संगठनों को कुल कितनी राशि जारी की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं। केन्द्रीय हाई-टेक नर्सरियों में पिछले तीन वर्षों में गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री के उत्पादन के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक संगठनों को कोई वित्तिय सहायता मंजूर नहीं की है। मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय हाई-टेक नर्सरियों की स्थापना के लिए कोई प्रत्यक्ष अनुदान प्रदान नहीं करता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत निर्माण योजना

1342. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत संघटक-वार वास्तविक प्रगति, वित्तीय आबंटन तथा जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2007-08 की प्रथम तिमाही के दौरान राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या भारत निर्माण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि तुलनात्मक रूप से कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या बाधाएं पाई गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) भारत निर्माण के छः घटक, अर्थात सिंचाई, ग्रामीण सड़कें,

ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार जुड़ाव हैं। भारत निर्माण के तहत वर्ष 2006-07 और 2007-08 (प्रथम तिमाही) के दौरान की वास्तविक एंव वित्तीय प्रगति रिपोर्टें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (ङ) ग्रामीण आवास और ग्रामीण दूरसंचार की उपलब्धियाँ लक्ष्य के अनुसार हैं। भारत निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अन्य घटकों, अर्थात, सिंचाई, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण सड़के और ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी उपलब्धियों की ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की जा रही है।

विवरण

भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के तहत वर्ष 2006-07 और 2007-08 की उपलब्धियां

क्र सं	राज्य	2006-07 000 हैक्टेयर में सिंचाई (9/2006 तक)	2007-08 000 हैक्टेयर में सिंचाई (03/2007 तक)	2006-07 पेयजल आवासों की संख्या (09/2007 तक)	2007-08 पेयजल आवासों की संख्या (06/2007 तक)	ग्रामीण सड़कें 2006-07 (3/07 तक)			ग्रामीण सड़कें 2007-08 (6/07 तक)		
						आवासों की संख्या	नई संपर्कता कि.मी. में	उन्नयन और मजबूतीकरण कि.मी. में	आवासों की संख्या	नई संपर्कता कि. मी. में	उन्नयन और मजबूतीकरण कि.मी. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	231.28		5000.00	1585.00	4.00	476.58	2131.79	0.00	40.55	431.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	400.00		245.00		3.00	128.17	0.00	8.00	61.31	0.00
3.	असम	एल.आर.		2491.00	165.00	804.00	1552.51	0.00	61.00	98.03	0.00
4.	बिहार	एल.आर.		15430.00		193.00	240.74	585.78	14.00	23.54	0.00
5.	छत्तीसगढ़	12.40		8056.00		632.00	2645.37	298.88	205.00	682.77	464.41
6.	गोवा	एल.आर.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	70.23		2361.00		284.00	473.41	1528.90	48.00	92.73	101.05
8.	हरियाणा	11.41		768.00	172.00	0.00	0.00	1016.76	0.00	0.00	474.98
9.	हिमाचल प्रदेश	1.29		3594.00	492.00	145.00	797.87	1095.71	21.00	190.34	390.18
10.	जम्मू-कश्मीर	0.14		549.00	0.00	16.00	48.59	4.00	0.00	0.00	10.00
11.	झारखंड	0.00		1982.00	162.00	108.00	308.37	2239.25	34.00	93.95	0.00
12.	कर्नाटक	135.33		2866.00	990.0	4.00	11.90	1973.58	0.00	0.00	802.32
13.	केरल	3.47		1505.00		19.00	41.41	0.00	5.00	37.30	0.00
14.	मध्य प्रदेश	एल.आर.		13344.00	3981.00	1345.00	3788.51	5755.91	397.00	1336.27	0.00
15.	महाराष्ट्र	122.48		6152.00	133.00	135.00	450.00	3664.00	4.00	655.00	1100.00
16.	मणिपुर	0.00		178.00		0.00	146.61	52.94	0.00	28.60	6.10
17.	मेघालय	0.35	प्रथम तिमाही की	1118.00	79.00	4.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	एल.आर.	उपलब्धियां दिसम्बर	134.00	0.00	1.00	146.38	0.00	4.00	67.87	0.00
19.	नागालैंड	एल.आर.	2007 तक उपलब्ध	123.00		0.00	22.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	30.05	हो जाएगी	8425.00	1215.00	322.00	1601.93	970.43	112.00	511.54	342.38
21.	पंजाब	19.09		875.00	45.00	43.00	81.07	1498.10	0.00	0.00	207.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	राजस्थान	100.01		7990.00	879.00	1222.00	3939.93	2147.00	467.00	2010.23	1160.50
23.	सिक्किम	एन.आर.		138.00	26.00	18.00	324.11	0.00	0.00	40.00	0.00
24.	तमिलनाडु	10.54		7156.00	666.00	0.00	0.00	4825.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	1.54		570.00		53.00	175.60	0.00	0.00	0.81	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	112.57		10947.00	140.00	979.00	2383.26	16259.90	223.00	659.38	44.78
27.	उत्तरांचल	27.9		1896.00	178.00	15.00	105.89	0.00	6.00	57.06	5.30
28.	पश्चिम बंगाल	एन.आर.		3039.00	0.00	980.00	1508.14	0.00	131.00	266.88	6.50
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00		31.00							
30.	दादर और नागर हवेली			9.00							
31.	दमन व दीव										
32.	दिल्ली										
33.	लक्षद्वीप										
34.	पांडिचेरी	0.00		85.00							
35.	चंडीगढ़										
	कुल जोड़	865.36		108978.00	10909.00	7289.00	21422.85	46129.93	1740.00	6974.16	5557.73

कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा/राजस्थान की सिंचाई की उपलब्धियां 3/2007 तक की हैं और उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां 12/06 तक ही हैं।

विवरण

भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के तहत वर्ष 2006-07 और 2007-08 की उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	2006-07 ग्रामीण आवास घरों की संख्या	2006-07 ग्रामीण आवास घरों की संख्या	2006-07 विद्युतीकरण (3/2007 तक)		2007-08 विद्युतीकरण (10/8/07 तक)		2006-07 टेलीफोन	2007-08 टेलीफोन
				गांवों की संख्या	बीपीएल परिवारों की संख्या	गांवों की संख्या	बीपीएल परिवारों की संख्या	संचर्क गांवों की संख्या	संचर्क गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	146403.00		0.00	226654.00	0.00	316724.00	190.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4600.00	रिपोर्ट	0.00				187.00	393
3.	असम	125441.00	करना	0.00				5117.00	122
4.	बिहार	348693.00	शेष	8415.00	2724.00	1386.00	18904.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	20818.00		0.00		29.00	41.00	1143.00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	1115.00		0.00					
7.	गुजरात	65195.00		0.00	10373.00	0.00	9607.00	1144.00	39.00
8.	हरियाणा	10375.00		0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3317.00						572.00	16
10.	जम्मू-कश्मीर	10867.00		0.00				873.00	23
11.	झारखंड	57246.00		0.00	0.00	31.00	0.00	668.00	44
12.	कर्नाटक	49086.00		0.00	107047.00	0.00	105239.00	0.00	0.00
13.	केरल	30817.00						0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	54544.00		0.00		15.00	309.00	4088.00	27
15.	महाराष्ट्र	78427.00						2555.00	92
16.	मणिपुर	3460.00		0.00					
17.	मेघालय	1475.00		0.00				147.00	70
18.	मिजोरम	2178.00							
19.	नागालैंड	6321.00							
20.	उड़ीसा	81345.00		0.00				515.00	17
21.	पंजाब	8250.00						0.00	0
22.	राजस्थान	33397.00		765.00	9236.00	332.00	95655.00	3996.00	223.00
23.	सिक्किम	1554.00							
24.	तमिलनाडु	16760.00						0.00	0
25.	त्रिपुरा	10612.00							
26.	उत्तर प्रदेश	164921.00		16620.00	251628.00	1855.00	60284.00	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	17239.00		796.00	21539.00	83.00	15477.00	1087.00	80.00
28.	पश्चिम बंगाल	128838.00		2108.00	26572.00	728.00	13850.00	0.00	0.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	62.00						0.00	0
30.	दादर और नगर हवेली	69.00							
31.	दमन और दीव	1.00							
32.	दिल्ली								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	लक्षद्वीप	88.00							
34.	पांडिचेरी	261.00							
35.	चंडीगढ़								
	कुल जोड़	1483577.00		28706.00	655773.00	4459.00	637082.00	22282.00	1156.00

टेलीफोन संपर्क के लिए, गुजरात में दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली भी शामिल हैं, महाराष्ट्र के आंकड़ों में गोवा भी शामिल है। मेघालय के आंकड़ों में मिजोरम और त्रिपुरा भी शामिल हैं।
अरूणाचल के आंकड़ों में नागालैंड और मणिपुर भी शामिल हैं।

विवरण

भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के तहत वर्ष 2006-07 और 2007-08 की वित्तीय उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	2006-07 सिंचाई (आई) एआईबीपी		2007-08 सिंचाई (आई) एआईबीपी		2006-07 पेयजल (डब्ल्यू) एआईबीपी		2006-07 पेयजल (डब्ल्यू) एआईबीपी		2006-07 ग्रामीण सड़कें (आरआर) एआईबीपी		2007-08 ग्रामीण सड़कें (आरआर) एआईबीपी	
		अनुदान सीमा	जारी निधियां	अनुदान सीमा	जारी निधियां	आवंटन	जारी निधियां (प्रस्तावित)	आवंटन	जारी निधियां	आवंटन	जारी निधियां	आवंटन	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	450.00	843.4220	1250.00	80.69	200.84	272.22	322.15		100.00	155.09	105.00	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.00	27.0000	60.00	0.00	102.99	136.64	114.19		52.00	54.22	77.00	0.00
3	असम	45.00	30.2685	45.00	13.90	173.69	113.72	304.76		316.00	431.05	456.00	65.00
4	बिहार	75.00	3.2300	75.00	30.97	185.71	130.07	373.22		332.00	570.50	457.00	139.74
5	छत्तीसगढ़	45.00	10.7050	100.00	30.61	65.49	65.49	111.63		535.00	708.52	690.00	200.00
6	गोवा	18.00	1.9100	15.00	18.34	2.53	1.27	3.31		5.00	0.00	5.00	0.00
7	गुजरात	330.15	121.8695	350.00	162.42	131.62	140.33	250.48		60.00	117.20	65.00	32.55
8	हरियाणा	12.00	3.1700	10.00		60.46	63.73	63.64		25.00	200.43	30.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	36.00	3.9300	50.00	37.62	97.07	156.21	116.90		82.00	139.90	267.00	40.14
10	जम्मू और कश्मीर	54.00	37.7716	50.00	39.30	263.25	233.15	328.07	रिपोर्ट	60.00	0.00	115.00	0.00
11	झारखंड	13.50	1.2900	30.00	3.71	72.61	36.31	138.69	कम	170.00	56.83	225.00	0.00
12	कर्नाटक	150.00	160.3729	200.00	193.86	195.02	243.36	393.87	शेष	105.00	45.73	110.00	4.86
13	केरल	18.00	16.6468	18.00	0.00	62.16	62.16	86.56		25.00	15.00	30.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	300.00	48.3100	550.00	229.12	187.97	197.33	322.77		760.00	1165.27	690.00	258.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	महाराष्ट्र	360.00	465.5213	350.00	234.80	351.52	351.52	494.63		140.00	108.85	145.00	100.00
16	मणिपुर	135.00	155.3042	110.00		33.79	16.90	38.71		28.00	0.00	33.00	0.00
17	मेघालय	4.50	0.7500	4.00		40.73	51.05	44.85		40.00	0.00	45.00	0.00
18	मिजोरम	22.50	14.2354	17.00	5.26	29.20	42.71	31.96		27.00	27.00	52.00	19.39
19	नागालैंड	18.00	10.5995	45.00	4.06	29.98	29.98	33.15		25.00	0.00	30.00	0.00
20	उड़ीसा	150.00	133.8946	390.00	173.58	103.32	97.23	269.49		427.73	641.76	543.00	546.83
21	पंजाब	30.00		25.00		40.98	40.98	77.02		30.00	80.63	35.00	50.00
22	राजस्थान	120.00	11.6000	125.00	100.26	414.90	314.66	665.25		753.81	1154.06	434.00	576.51
23	सिक्किम	4.50	3.3235	4.00		12.29	16.31	13.44		25.00	36.85	30.00	64.50
24	तमिलनाडु	3.00		3.00		120.57	124.96	203.42		85.00	20.00	90.00	50.00
25	त्रिपुरा	27.00	22.5131	30.00		36.13	45.78	51.44		35.00	74.50	40.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	150.00	81.8954	140.00	80.94	279.90	283.89	460.72		595.19	325.19	675.00	380.36
27	उत्तरांचल	54.00	84.7298	200.00	52.57	75.23	83.29	89.30		95.00	12.79	130.00	78.74
28	पश्चिम बंगाल	15.00	6.7000	15.00		158.06	171.18	359.18		296.27	123.89	376.00	123.15
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह					0.33	0.00	0.12					
30	दादर व नगर हवेली					0.06	0.00	0.38					
31	दमण व दीव					0.14	0.00	0.00					
32	दिल्ली					0.00	0.00	0.31					
33	लक्षद्वीप					0.04	0.00	0.00				10.00	0.00
34	पांडिचेरी					0.39	0.00	0.90					
35	चंडीगढ़					0.05	0.00	0.00					
	अन्य						1153.45	735.49					
	कुल	2867.15	2301.97	4261.00	1492.01	3539.00	4665.88	6500.00		5230.00	6265.08	6210.00	2828.82

पेय जल के लिए-अन्यों में शामिल है मानीटरिंग एवं मूल्यांकन, एम एण्ड आई यूनिटें, ठप मिशन, एचआरडी प्रशिक्षण, आईईसी, एमआईएस, आपदा आदि।

विवरण

भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के तहत वर्ग 2006-07 और 2007-08 की वित्तीय उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	2006-07 दौरान आवंटन 3/07 तक		2007-08 दौरान आवंटन 4/07 तक		2006-07 विद्युतीकरण (3/2007 तक)	2007-08 विद्युतीकरण (4/2007 तक)	2006-07 टेलीफोन संपर्क (3/2007 तक)	2007-08 टेलीफोन मुहैया (5/2007 तक)
		आवंटन	जारी निधियां	आवंटन	जारी निधियां	जारी निधियां	जारी निधियां	जारी निधियां	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	259.39	260.89	360.28	60.05	94.35	160.63	0.750	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.19	10.56	13.95	1.90	0.00	0.00	0.360	0.00
3.	असम	225.25	225.44	308.54	31.38	39.22	0.00	10.660	0.00
4.	बिहार	765.66	777.69	1063.44	92.84	470.14	108.67	0.000	
5.	छत्तीसगढ़	40.11	40.11	55.71	8.07	36.18	11.23	4.420	0.00
6.	गोवा	1.60	1.35	2.22	0.26	0	0.00		
7.	गुजरात	127.21	127.21	176.69	26.72	13.36	12.16	1.620	0.00
8.	हरियाणा	17.86	17.63	24.81	4.13	12.33	1.48	0.000	
9.	हिमाचल प्रदेश	6.30	6.30	8.75	0.56	7.48	0.00	1.280	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	19.57	18.86	27.18	1.78	19.59	0.00	1.570	1.05
11.	झारखंड	68.29	60.55	94.85	14.83	285.24	0.00	0.320	0.00
12.	कर्नाटक	99.94	99.94	138.81	19.91	104.25	64.13	0.000	
13.	केरल	55.57	55.57	77.19	10.74	5.13	0.00	0.000	
14.	मध्य प्रदेश	79.78	79.96	110.80	17.85	104.66	30.05	14.790	0.00
15.	महाराष्ट्र	156.43	160.97	217.27	20.42	10.02	0.00	10.020	0.94
16.	मणिपुर	8.84	6.62	12.11	0.52	13.53	0.00		
17.	मेघालय	15.40	7.51	21.09	0.70	0.00	7.20	0.120	0.00
18.	मिजोरम	3.28	2.94	4.50	0.65	0	0.00		
19.	नागालैंड	10.19	6.35	13.96	1.98	4.23	0.26		
20.	उड़ीसा	150.43	150.43	208.93	33.76	63.67	52.54	0.000	0.00
21.	पंजाब	22.09	15.44	30.68	3.31	0	0.00	0.000	
22.	राजस्थान	63.93	66.18	88.79	14.80	87.19	33.76	9.490	0.00
23.	सिक्किम	1.95	1.95	2.67	0.44	0	0.00	0.00	
24.	तमिलनाडु	103.85	103.85	144.25	20.63	0	0.00	0.00	
25.	त्रिपुरा	19.84	33.57	27.18	3.77	0	0.00		
26.	उत्तर प्रदेश	343.90	344.45	477.66	56.71	1544.40	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उत्तरांचल	17.24	17.14	23.95	3.99	278.28	17.89	0.000	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	207.50	207.45	288.21	47.80	160.06	70.56		
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.29	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00		
30.	दादर व नगर हवेली	0.55	0.00	0.76	000	0.00	0.00		
31.	दमण व दीव	0.25	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00		
32.	दिल्ली					0.00	0.00		
33.	लक्षदीप	0.21	0.21	0.30	0.00	0.00	0.00		
34.	पांडिचेरी	1.64	0.38	2.28	0.00	0.00	0.00		
35.	चंडीगढ़					0.00	0.00		
	अन्य					0.00	0.00		
	कुल	2907.53	2907.50	4032.72	500.50	3353.31	570.56	55.4000	1.99

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए-अन्यों में बीपीएल दावे, । प्रतिशत कार्यकलापों को समर्थ बनाने वाले शामिल हैं।
ग्रामीण विद्युतीकरण और टेलीफोन जुड़ाव के लिए-मांग आधारित कार्यक्रम। अतः कोई आबंटन नहीं किया गया है।
टेलीफोन जुड़ाव के लिए-गुजरात में दमन एवं दीव और अंडमान व नगर हवेली शामिल हैं।
महाराष्ट्र के आंकड़ों में मिजोरम और त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश के आंकड़ों में नागालैण्ड एवं मणिपुर राज्य शामिल हैं।

उत्तर पूर्व राज्यों में प्रति व्यक्ति आय

1343. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है;

(ख) देश के अन्य राज्यों की तुलना में इस क्षेत्र के प्रति व्यक्ति कम आय के यदि कोई कारण हों, तो वे क्या हैं; और

(ग) उत्तर पूर्व राज्यों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1993-94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति एन एस डी पी (राज्य आय) और 21.7.2006 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय व्यक्ति एन एन पी संबंधी विवरण निम्न प्रकार हैं:

(रुपये)

राज्य	1993-94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (राज्य आय)		
	2002-03	2003-04	2004-05
अरूणाचल प्रदेश	9670	10253	10226
असम	6254	6466	6721
मणिपुर	7446	7532	8015
मेघालय	10262	10795	11278
नागालैंड	12292	लागू नहीं	लागू नहीं
सिक्किम	11367	12026	12637
त्रिपुरा	10261	11136	लागू नहीं
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एन एन पी	17281	18517	19649

मिजोरम के लिए अद्यतन प्रति व्यक्ति एन एस डी पी (राज्य आय) सिर्फ 2002-03 के लिए प्रचलित मूल्यों पर निम्न प्रकार है:

रुपये

राज्य	2002-03
मिजोरम	22207
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एन एन पी	18988

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर राज्यों का विकास संवेदनशील भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं, संपर्क समस्याओं, राजनीतिक चेतना, कमजोर भौतिक अवसंरचना इत्यादि से बाधित हुआ है। इन सभी लक्षणों ने क्षेत्र में उद्यमिता विकास, बाजार विकास आय सृजन और पूँजी निर्माण संवद्ध को बुरी तरह प्रभावित किया है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास राष्ट्रीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। उदार योजना सहायता हेतु विशेष श्रेणी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों पर विचार करने के अलावा, केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों हेतु निधियों का 10% आवश्यक निर्धारण करना, संसाधनों के अव्यपनीय केन्द्रीय पूल (एन एल सी पी आर) का सृजन, पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का निधियन और डी ओ एन ई आर की स्थापना करना, पूर्वोत्तर राज्यों के संपूर्ण विकास हेतु विशेष पहलें हैं और ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान लागू की जाएंगी।

भारत-जापान समझौता

1344. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु जापान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बांग्लादेश द्वारा भूमि अतिक्रमण

1345. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से इसकी दो कि.मी. भूमि पर बांग्लादेश द्वारा अवैध कब्जे किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों के पुनर्वास हेतु मुआवजा

1346. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सतारा के पाटन तहसील में कोयना अभयारण्य की सीमा से लगे गांवों के पुनर्वास हेतु महाराष्ट्र को कोई मुआवजा दिया है/देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मॉल का निर्माण

1347. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधानमंत्री मॉल का निर्माण के बारे में दिनांक 18.12.2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3683 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्संबंधी सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में विलंब के क्या कारण हैं तथा कब तक यह एकत्र कर ली जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी विभाग/ऐजेंसियों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के दिनांक 30.7.2004, 21.3.2005, 27.1.2006 और 27.4.2006 के पत्रों के तहत दिनांक

7.7.2004 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की सीमा में आने वाली परियोजनाओं का अभिनिर्धारिण करने और उक्त अधिसूचना के उल्लंघन में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना चल रही परियोजनाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2004 के अंतर्गत सहमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए शापिंग मॉल से 11 (ग्यारह) आवेदन प्राप्त हुए थे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा छह मामलों में जन सुनवाई की गई थी यद्यपि केवल एक परियोजना को सहमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। इसके अलावा जिन छह मामलों में जन सुनवाई की गई उनमें से तीन, जो बसंतकुज फेज-II में 92 हैक्टेयर के नियंत्रण क्षेत्र में स्थित है, ने अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 1.5.2006 को टी एन गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम संघ सरकार एवं अन्य के मामले में रिट याचिका 202/1995 में आई ए. सं. 1463 की सुनवाई करते समय निर्देश दिए कि वसंत कुंज के 92 हैक्टेयर संरक्षित भूमि पर अगला आदेश होने तक इन परियोजना प्रस्तावकों द्वारा आगे और कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। रिट याचिका का 17 अक्तूबर, 2006 को निपटान हो चुका है। उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों के अनुपालन के साथ ही मंत्रालय ने चार प्रक्षकार, जिन्होंने पूर्वानुमति के बिना निर्माण शुरू कर दिया है, के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई की है।

उक्त तीन परियोजनाओं के नाम और पते सहित उनकी परियोजना लागत कुल नीचे दी गई है:-

नाम और पता	भूमि की लागत सहित निवल पूंजीगत निवेश (करोड़ रुपये)
1. रीजेंसी पार्क मैनेजमेंट सर्विस प्रा.लि., प्लाट नं. 4, वसंतकुंज माल, वसंतकुंज, नई दिल्ली	249.00
2. बेरवरली पार्क मेन्टेनेंस सर्विस लि., प्लाट नं. 3 वसंतकुंज माल, वसंतकुंज, नई दिल्ली	358.00
3. एम्बियंस डिवेल्पर प्रा. लि., प्लाट नं. 02, वसंतकुंज माल वसंतकुंज, नई दिल्ली	393.90

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य सामग्री संरक्षण के लिए रेडियेशन प्रौद्योगिकी

1348. **श्री हितेन बर्मन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य सामग्री संरक्षण के लिए रेडियेशन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य सामग्री संरक्षण के क्षेत्र में रेडियेशन से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में राज्यवार कितने रेडियेशन प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए; और

(च) देश में इस सुविधा के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) खाद्य समग्री का विकिरण द्वारा परिरक्षण कर सकने के लिए परमाणु ऊर्जा (खाद्य सामग्री के किरणन पर नियंत्रण) नियमावली जारी की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम नियमावली के तहत कई प्रकार के मसालों, खाद्य उत्पादों, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों और फार्मुलेशनों के विकिरण संसाधन को अनुमोदित कर दिया है। किरणन को पादप संरक्षण और संगरोध व्यवस्था में एक संगरोध उपाय के रूप में शामिल किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन यूनिटें स्थापित की हैं, एक अधिक मात्रा की किरणन वाली वाशी, नवीं मुंबई में जोकि मुख्यत: मसालों को स्वास्थ्यकर बनाने के लिए है, और दूसरी नासिक के पास लासरगांव में कृषक किरणक नामक कम मात्रा की किरणन सुविधा, जोकि आलू और प्याज में भंडारण के दौरान अंकुरण को नियंत्रित करने के लिए तथा कृषि संबंधी वस्तुओं को कीटों से विसंक्रमित करने के लिए है। इस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करने हेतु 157 टन आमों का सभी अपेक्षित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संसाधन किया गया। सरकार ऐसी और सुविधाएं स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों और को-आपरेटिव्ज को प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों ने खाद्य परिरक्षण के क्षेत्र में किरणन से प्राप्त किए जा सकने वाले कई लाभ प्रदर्शित किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(1) खाद्य उत्पादों को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म करके शैल्फ-लाइफ बढ़ाना।

(2) खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले रोगाणुओं और परजीवियों को खत्म कर उन्हें अधिक सुरक्षित बनाना।

(3) ट्यूबरों, बल्बों और राइज़ोमों में अंकुरण को रोकना।

(4) फलों के पकने में विलंबन।

(5) भंडारित उत्पादों और फलों में नाशक कीटों को खत्म करना।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा, नीचे वर्णित अनुसार, पांच विकिरण संसाधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं:-

1. कर्नाटक (एक संयंत्र)	2006
2. हरियाणा (एक संयंत्र)	2005
3. गुजरात (एक संयंत्र)	2005
4. महाराष्ट्र (एक संयंत्र)	2005
5. पश्चिम बंगाल (एक संयंत्र)	2004

(च) परमाणु ऊर्जा विभाग देश में विकिरण संसाधन संयंत्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। निजी उद्यमियों द्वारा छः संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है-महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रत्येक जगह तीन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने निजी उद्यमियों द्वारा छः और संयंत्र (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रत्येक जगह एक) स्थापित करने के लिए स्थल संबंधी अनुमति दे दी है। यह विभाग इस प्रौद्योगिकी के बारे में उद्यमियों को प्रेरित करने और जन-जागरूकता के उद्देश्य के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है तथा संगठनों और निकायों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग भी लेता है।

[हिन्दी]

पंजाब में चिकित्सा महाविद्यालय

1349. **श्री अविनाश राय खन्ना:**
श्री एम. शिवन्ना:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विशेष रूप से पंजाब में कितने सरकारी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या इन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय मानक के अनुसार महाविद्यालय चलाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने नए चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता दी गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) इस समय देश में सरकारी क्षेत्रों में 138 मेडिकल कालेज और प्राइवेट क्षेत्र में 131 मेडिकल कालेज चल रहे हैं। जहां तक पंजाब राज्य का संबंध है, वहां 3 सरकारी मेडिकल कालेज और 5 प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं। नए मेडिकल कालेज स्थापित करने की अनुमति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अनुशंसाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद मेडिकल कालेजों का निरीक्षण करती है और वहां शिक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं की जांच करने के बाद अनुशंसा करती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार मान्यता प्रदान किए गए नए मेडिकल कालेजों की संख्या निम्न प्रकार है:

1. अप्रैल, 2004-मार्च 2005	:	6
2. अप्रैल, 2005-मार्च, 2006	:	4
3. अप्रैल, 2006-मार्च, 2007	:	13

(ङ) से (छ) केन्द्र सरकार ने राज्य-वार निम्नलिखित मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है:

1. केमिनी आयुर्विज्ञान संस्थान, नारकेटपल्ली, नालगोण्डा, आंध्र प्रदेश में 100 से बढ़ाकर 150

2. नायारण मेडिकल कालेज, नेल्लोर, आंध्र पद्रेश, 100 से बढ़ाकर 150

3. महात्मा गांधी मेडिकल कालेज और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, 100 से बढ़ाकर 150

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. योजना समाप्त किया जाना

1350. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सी.जी.एच.एस. योजना को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पेंशनधारियों सहित सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाने के लिए कौन सी वैकल्पिक योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीआईएल कर्मचारियों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल

1351. श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लि. के कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए बीसीसीएल के केन्द्रीय अस्पताल सहित पांच और अस्पतालों का उन्नयन अत्याधुनिक अस्पतालों के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की 6 जनवरी, 2007 को सम्पन्न चौथी बैठक में निम्नलिखित पांच अस्पतालों को सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है:

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	विशेषज्ञताएं
1.	सेंट्रल अस्पताल, भारत कोकिंग कोल लि., जगजीवन नगर, धनबाद	न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और आपथलमोलॉजी
2.	सेंट्रल अस्पताल, गांधी नगर, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., रांची	गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी, ले और सर्जरी और नेफरोलॉजी
3.	सेंट्रल अस्पताल, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., कल्ला	एडवांस्ड आर्थोपीडिक सेंटर
4.	नेहरू शताब्दी सेंट्रल अस्पताल, महानदी कोलफील्ड्स लि., तलचर	यूरोलॉजी
5.	नेहरू चिकित्सालय सेंट्रल अस्पताल, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली	यूरोलॉजी एवं लिथोट्रिप्सी

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) में उल्लिखित अस्पतालों में विशेषताएं दो वर्षों में स्थापित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

असुरक्षित सीरिंजें

1352. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस्तेमाल होने वाली सिरिंजों में से लगभग 65 प्रतिशत असुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने के प्रस्ताव हैं;

(ग) देश में सीरिंजों की वर्षवार कुल मांग और उत्पादन कितना है; और

(घ) सीरिंजों की ऐसी मांग और आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं।

विश्व बैंक ने सुरक्षित सीरिंजों का निर्धारण करने के लिए कोई जांच नहीं की है। तथापि, भारत में इन्जेक्शन की प्रक्रियाओं की निर्धारण करने के लिए नैदानिक जानपदिक-रोग-विज्ञान एकक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समन्वय से और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व बैंक के समर्थन से नैदानिक जानपदिक रोग विज्ञान (आई एन सी एल ई एन) द्वारा एक अध्ययन किया गया था।

रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग दो तिहाई इन्जेक्शन असुरक्षित पाए गये थे जिनके कारण निम्नवत् हैं-

1. अपर्याप्त निष्फल सीरिंज/निडिल का उपयोग करना और/या यदि सीरिंज/नीडिल का पुन: उपयोग अन्य रोगी के लिए किया गया था।

2. खुले पैक से ली गई प्रयोज्य प्लास्टिक सीरिंज/निडिल।

3. इन्जेक्शन देने की दोषपूर्ण विधि उदाहरणार्थ इन्जेक्शन से पूर्व निडिल को रूई के फाहा से साफ न करना; दस्ताना न पहनना, बहुधारक शीशी को साफ न करना, या दवा खींचने से पूर्व शीशी साफ न करना, टूटे/पहले से प्रयुक्त शीशी या सम्पुटक से दवा निकालना, उपयोग के बाद शीशे की सीरिंज और मेटल निडिल को साफ न करना इत्यादि इन्जेक्शन को असुरक्षित माना गया था।

(ग) और (घ) देश में प्रयोज्य/एकबारगी उपयोग की सीरिंज और निडिलों के 300 से अधिक विनिर्माण एकक हैं और देश में आयात के लिए प्रयोज्य/एकबारगी उपयोग की सीरिंज तथा निडिलों के 10 पंजीकृत विदेशी विनिर्माण एकक हैं। देश में प्रयोज्य/एक बारगी उपयोग की सीरिंज और निडिलों की कमी की सूचना इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्ताव

1353. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में राजमार्गों के उन्नयन हेतु वृक्षों को हटाने/काटने के उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यह अनुरोध कब से लंबित है; और

(ग) कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) कर्नाटक में राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंतरण सूचकांक संबंधी एनसीएईआर की रिपोर्ट

1354. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन पंचायतों को अतिरिक्त निधि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है जो बेहतर सेवाएं दे रही हैं और अधिक सुधार का प्रदर्शन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने अंतरण सूचकांक संबंधी अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्ष 2005-2006 के दौरान 5 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पी ई ए आई एस) का प्रारंभ और कार्यान्वयन किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य सातवें गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुसार पंचायतों को सत्ता हस्तांतरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना और ऐसे सुधारों के माध्यम से सशक्त पंचायतों को उन्हें हस्तांतरित जिम्मेवारियों का प्रभावकारी पद्धति से निर्वहन किया जाना था। पहचाने गये सुधार पहलुओं के मील-पत्थर और निर्देशचिह्नों के विरूद्ध राज्यों के द्वारा किये गये विकास के अनुसार इस स्कीम के लिये निधि जारी की गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान, पंचायत सशक्तिकरण और

जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपये का आबंटन था। एन सी ए ई आर के द्वारा तैयार हस्तांतरण अनुक्रमणिका में श्रेणीक्रम के आधार पर प्रथम 10 राज्यों को 8 करोड़ रुपये और 6 संघ शासित क्षेत्रों को 2 करोड़ रुपये जारी किये गये थे।

(ग) और (घ) जी हां, एन सी ए ई आर ने अगस्त 2006 में मंत्रालय को एक अंतरिम हस्तांतरण अनुक्रमणिका प्रस्तुत की थी। तदुपरांत पंचायती राज मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों और विभिन्न राज्यों/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एन सी ए ई आर ने विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए मूल्यांकन वातावरण को मापा है और सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को लब्धांक और श्रेणीक्रम दिया है। इसी आधार पर वर्ष 2006-07 के दौरान पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम का प्रचालन किया गया था।

(ङ) समयोपरि हस्तांतरण पर प्रगति के मापन के लिए गत वर्ष तैयार की गई अनुक्रमणिका को पुन: परिष्कृत करना और विभेद मालूम किया जाना है। बारीक अन्तर इस उद्देश्य से एन सी ए ई आर द्वारा आवश्यक हस्तांतरण अनुक्रमणिका सूचना या आंकड़ों का निर्माण और अनुक्रमणिका का अनुप्रयोग का ब्यौरा देते हुए एक सिद्धांत प्रपत्र तैयार किया गया है। ऐसा प्रस्तावित है कि वर्तमान वर्ष के दौरान इस व्यापक अनुक्रमणिका का सदुपयोग पंचायत सशक्तिकण और जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए किया जाने वाला है। यह व्यापक अनुक्रमणिका गत वर्ष निरूपित की गई अनुक्रमणिका का पर्याप्त सुधरा हुआ रूप है। पिछली अनुक्रमणिका के द्वारा राज्यों के मापांकन कार्य, कोष और कार्यकर्त्ताओं के हस्तांतरण जैसे बड़े सूचकों के आधार पर करती थी। वर्तमान अनुक्रमणिका में एक पृथक ढांचे उप अनुक्रमणिका को सम्मिलित किया गया है जो संविधान के नौवें भाग में अधिदेशात्मक प्रावधानों को ध्यान में रखेगा। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सभी सूचकों का अप्रिय ढंग से उत्तरदायित्व लेने के उद्देश्य से हस्तांतरण अनुमणिका को और ज्यादा परिष्कृत और सूक्ष्म बनाने का कार्य जारी रखेंगे। आशा है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस हस्तांतरण अनुक्रमणिक को अंतिम स्वरूप दे दिया जाएगा।

एमपीएलएडी स्कीम संबंधी अध्ययन

1355. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में एमपीएलएडी स्कीम की रूपरेखा, क्रियान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके नतीजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एमपीएलएडी स्कीम के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए इसकी कमजोरियों और सबल पक्षों की पहचान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग ने एमपीएलडीए स्कीम की रूपरेखा, कार्यान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन शुरू नहीं किया है। तथापि, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने नवम्बर, 2001 में एमपीएलडीए स्कीम पर एक मूल्यांकन रिर्पोट प्रकाशित की थी।

(ख) स्कीम के मुख्य जांच-परिणाम निम्नलिखित थे:-

- 1993-99 के दौरान 57 प्रतिदर्श निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू किए गए 25702 कार्यों में से सड़क और पुलों के अन्तर्गत वर्गीकृत कार्यों की प्रधानता थी जो लगभग क्रमश: 29 और 24 प्रतिशत थे। समग्र कार्यों में से 68% के लगभग कार्य पूरे होने की सूचना थी, 14% कार्य प्रगति पर थे, 9% अभी शुरू किए जाने थे और शेष कार्यों (9%) की स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

- चुनिंदा जिलों में अधिकांश कार्यों के किए निधियों के आबंटन को इस तथ्य के बावजूद अपर्याप्त पाया गया कि एम पी.एल.ए.डी. राशि का बड़ी मात्रा में व्यय न किया अतिशेष (46%) मौजूद था। समग्र रूप से लगभग 46.9% कार्यों को 50,000 से कम का आबंटन प्राप्त हुआ था जब कि 5 लाख अथवा उससे अधिक के आबंटन वाले कार्य केवल 3.6% हैं।

- स्कीम के मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण भाग को स्कीम का सबसे कमजोर भाग पाया गया जो मुख्य रूप से उत्तरदायी जिलाधीश के पास उपलब्ध अपर्याप्त अवसंरचना की वजह से था। सृजित परिसम्पतियों का रख-रखाव भी स्कीम की एक अन्य कमजोरी थी। यह मुख्यत: इसके लिए विशेष रूप से आबंटित संसाधनों के अभाव की वजह से था।

- सुविज्ञ व्यक्तियों और स्थानीय लोगों द्वारा यथा अनुभूत स्कीम के प्रभाव से यह ज्ञात हुआ कि सृजित परिसम्पतियों के लगभग 65% को अच्छी श्रेणी में रखा गया है और उनमें से अधिकांश का यह मत था कि सृजित परिसम्पतियाँ अनुभूत आवश्यकताओं के अनुरूप थीं

और उन्होंने उनकी जीवन दशा में सुधार किया है तथापि। परिसम्पतियों के कार्यान्वयन और रख-रखाव के संबंध में उनके विचार ने अपर्याप्त व्यवस्था और स्कीम को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भागीदारी की ओर संकेत किया था।

ये निष्कर्ष 22 राज्य नोडल विभागों, 92 लोक सभा सदस्यों, 25 राज्य सभा सदस्यों, 103 जिलाधीशों/ 590% विकास कार्यकर्त्ताओं, 590% ग्राम/शहरी सुविज्ञ व्यक्तियों और 2892 स्थानीय लोगों की संरचनाबद्ध अनुसूचियों से प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से संदर्भ अवधि 1994-95 से 1998-99 के लिए एकत्रित आंकड़ों और सूचना पर आधारित थे। मूल डाटा का संपूरण सरकारी विभागों के प्रकाशित और अप्रकाशित रिकार्ड के गौण डाटा और विभिन्न प्रतिवादियों के साथ गहन चर्चाओं और मूल्यांकन टीम के सदस्यों द्वारा कई कार्यस्थलों की यात्रा द्वारा किया गया था।

(ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एम पी एल ए डी स्कीम के निष्पादन में सुधार के लिए उठाए गए अनुवर्ती कदम निम्नानुसार हैं:

- वित्तीय अनुशासन अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व वृद्धि के उद्देश्य से माननीय संसद सदस्यों एमपीएलडीएस स्कीम पर लोक सभा और राज्य सभा समितियों की सिफारिशों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की दो रिपोर्टों कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग की रिपोर्ट और दशक के दौरान प्रचालनात्मक अनुभव को ध्यान में रखते हुए एमपीएलएडी दिशानिर्देशों को नवम्बर, 2005 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।

- अधिक वित्तीय जवाबदेहिता और निधियों के उपयुक्त आयोग के लिए एमपीएलएडीएस निधि को जारी करने को दिशा निर्देशों के अनुसार सुकर बना दिया गया है और निधि जारी करने को मासिक प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने से जोड़ दिया गया है।

- स्कीम के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और जिला प्राधिकरणों को अब अधिक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त लगाई गई है कि एमपीएलएडीएस के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए जिला प्राधिकारियों और संसद सदस्यों सहित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति कम से कम वर्ष में एक बार एमपीएलएडीएस के कार्यान्वयन की प्रगति के पुनरीक्षण के लिए गठित की जाएगी।

- स्कीम की प्रगति की केन्द्र और राज्यों/संघ क्षेत्र स्तर, दोनों पर माननीय राज्य मंत्री (एसएण्डपीआई) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने स्कीम के अन्तर्गत कार्यों की वास्तविक मानीटरिंग के लिए एक मैकेनिज्म की शुरूआत की है। नाबार्ड की अनुषंगी नाबार्ड परामर्शी सेवा (एनएबीसीओएनएस) को 30 चुनिंदा जिलों में प्रतिदर्श आधार पर (एमपीएलएडीएस) की वास्तविक मानीटरिंग का कार्य सौंपा गया है।

टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड फैक्ट्री की स्थापना

1356. **श्री ए. वी. बेल्लारमिन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के कन्याकुमारी-तिरूनेलवेली-तूतिकोरिन जिलों के समुद्र तट पर बालू में भारी धातुओं तथा महत्वपूर्ण खनिजों यथा गार्नेट व टाईटेनियम का भारी भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा टाइटेनियम डाई आक्साइड फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा टाइटेनियम डाइ-ऑक्साइड परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां, निजी उद्यमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में टाइटेनियम उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखाते रहे हैं।

मैसर्स सराफ एजेंसीज, प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता टाइटेनियम मिनरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के साथ मिलकर, टाइटेनियम उत्पादों के विनिर्माण हेतु सेंट पीटर्सबर्ग के जेएससी टेक्नोकिम होल्डिंग नामक एक रूसी कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम गठित करके, उड़ीसा में एक एकीकृत रसायनिक और धात्विक काम्पलेक्स स्थापित करने का विचार कर रहा है।

आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार का इरादा मैसर्स बेम्बली ट्रेड एजी., और मैसर्स वी. वी. मिनरल्स (प्राईवेट) लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत मूल्यवर्धित उत्पादों को तैयार करने के लिए खनिज पृथक्करण संयंत्र स्थापित करने का है।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने तूतीकोरिन में मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टील लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बार्क का परमाणु कृषि कार्यक्रम

1357. श्री जोवाकिम बखला: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के परमाणु कृषि कार्यक्रम में देश में इस्तेमाल हेतु अधिक पैदावार वाले फसल बीजों का विकास शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित और अब तक जारी फसल की किस्मों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) में अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र फसल को बेहतर बनाने हेतु उत्परिवर्तन प्रजनन का कार्य है। विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तन और संकरण की सहायता से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित 29 संवर्धित किस्मों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए जारी और अधिसूचित कर दिया गया है। इनमें तिलहनों की 16 (12 मूंगफली, 2 सोयाबीन और 2 सरसों); दालों की 11 (4 उड़द, 5 मूंग, 2 अरहर) तथा चावल और पटसन की एक-एक किस्म शामिल हैं। ये सभी अधिक उपज देने वाली हैं। और कुछ में रोग प्रतिरोधकता, बेहतर गुणवत्ता प्राचलों आदि जैसी अतिरिक्त वांछनीय विशेषताएं हैं। इनमें से कुछ किस्में खेतीहर समुदाय के बीच लोकप्रिय हो गई हैं। इन किस्मों के कारगार प्रसारण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि सहकारी विभाग (डीएसी), राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय और राज्य बीज निगमों, राष्ट्रीय संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, प्रगतिशील किसानों आदि के साथ प्रभावी सम्पर्क स्थापित किए गए हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वाणिज्यिक खेती के लिए जारी और अधिसूचित ट्रॉम्बे फसल की किस्में

फसल	किस्म	जारी करने का वर्ष	एम: परिपक्वता (दिन) वाई: उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर) वाईआई: उपज में बढ़ोतरी (%)	को जारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
मूंगफली	टीएलजी-45	2007	एम: 114 वाई: 1506 वाईआई: 28	महाराष्ट्र	बड़े बीज, खरीफ का मौसम
	टीजी-38	2006	एम: 115 वाई: 2500 वाईआई: 20	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा असम/पूर्वोत्तर राज्य	अवशिष्ट नमी की स्थिति में अधिक पैदावार की क्षमता रबी/ग्रीष्म
	टीजी-37ए	2004	एम: 110 वाई: खरीफ 1993 वाई आई: 26-38	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम/पूर्वोत्तर राज्य	नए बीजों की प्रसुप्ति तेल 51%

1	2	3	4	5	6
	टीपीजी-41	2004	एम: 120 वाई: ग्रीष्म 2407 वाई आई: 26	संपूर्ण भारत	बड़े बीज (70 ग्राम/100 बीज) नए बीजों की प्रसुप्ति खेतों में किए परीक्षण 4551 किलोग्राम/हेक्टेयर 49% की वृद्धि
	टीजी-26	1995	एम: 110-120 वाई: ग्रीष्म 2500 वाई आई: 23-39	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	अर्धवामन, जल्दी परिपक्व होने वाला, अधिक पैदावार अभिसूचक, विखण्डन की अधिक क्षमता, नए बीजों की प्रसुप्ति दूसरी लोकप्रिय टीजी किस्म, अधिक उपज देने की योग्यता (9000-10000 किलोग्राम/हेक्टेयर) व्यापक अनुकूलन शीलता
	टीजी-24	1991	एम: खरीफ 100-105 ग्रीष्म 112-117 वाई: खरीफ 1300 ग्रीष्म 2500 वाईआई: खरीफ 24 ग्रीष्म 50	महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल राजस्थान कर्नाटक	राष्ट्रीय किस्म के रूप में पहचानी गई, मूंगफली पैदा करने वाले सभी राज्यों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, अधिक उपज देने की क्षमता (9000-10000 किलोग्राम/हेक्टेयर) अर्धवामन प्रकृति, जल्दी परिपक्व होने वाला, अधिक पैदावार अभिसूचक, विखण्डन की अधिक क्षमता, व्यापक अनुकूलन शीलता
	टीकेजी-19 ए	1994	एम: 120-125 वाई: 2000-2500 वाई आई: 12-13	महाराष्ट्र	बड़े बीज, नए बीजों की प्रसुप्ति
मूंगफली	टीजी-22	1992	एम: खरीफ 115-120 वाई: खरीफ 1677 वाई आई: 30	बिहार	मध्यम आकार के बड़े बीज, नए बीजों की प्रसुप्ति
	सोमनाथ (टीजीएस-1)	1989	एम: 110-125 वाई: खरीफ 2000 वाई आई: 23	गुजरात	बड़े बीज फैलाव की प्रकृति
	टीजी-3	1987	एम: 110 वाई: 2000-2500	केरल	अधिक शाखाएं
	टीजी-17	1985	एम: 115-120 वाई: 1700-2000 वाई आई: 15-20	महाराष्ट्र	कम शाखाएं
	टीजी-1	1973	एम: 130-135 वाई: 2400-2500 वाई आई: 15-20	महाराष्ट्र, गुजरात	बड़े बीज

1	2	3	4	5	6
सोयाबीन	टीएएमएस 98-21	2007	एम: 103 वाई: 2318 वाई आई: 20	महाराष्ट्र	अधिक पैदावार बैक्टीरिया पूयस्फोटिका, माइरोथेसियम पर्ण चित्ती और सोयाबीन मोजेइक वायरस रोगों के प्रति प्रतिरोधक
	टीएएमएस-38	2005	एम: 90-95 वाई: 1800-2000 वाई आई: 20	महाराष्ट्र	जल्दी परिपक्वता, बैक्टीरिया पूयस्फोटिका, माइरोथेसियम पर्ण चित्ती के प्रति प्रतिरोधक
सरसों	टीएम-2	1987	एम: 90 वाई: 1370 वाई आई : 25	असम	अधिलग्न फली
	टीएम-4	1987	एम: 95 वाई: 1470 वाई आई: 35	असम	पीला बीज
मूंग	टीएमबी-37	2005	एम: 64 वाई: 1100 वाई आई: 20	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार झारखण्ड, असम, पश्चिम बंगाल	पीले मोज़ेइक वायरस के प्रति सहिष्णु
	टीएआरएम-18	1995	एम: 65-70 वाई: 1051	महाराष्ट्र	भुरभुरी फफूंदी के प्रति प्रतिरोधक
	टीएआरएम-1	1995	एम: 80 वाई: 765 वाई आई: 45	महाराष्ट्र, गुजरात मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा	भुरभुरी फफूंदी के प्रति प्रतिरोधक
मूंग	टीएआरएम-2	1992	एम: रबी: 90 वाई: 1000-1100 वाई आई: 80	महाराष्ट्र	भुरभुरी फफूंदी के प्रतिरोधक
	टीएपी-7	1983	एम: 60 वाई 700-800 वाई आई: 23	महाराष्ट्र, कर्नाटक	भुरभुरी फफूंदी के प्रति सहिष्णु
उड़द	टीयू 94-2	1999	एम: 70 वाई: 900-1000 वाई आई: 19-37	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	पीले मोज़ेइक वायरस के प्रतिरोधक
	टीएयू-2	1992	एम: 70-75 वाई: 900-1000 वाई आई: 18	महाराष्ट्र	अधिक पैदावार
	टीपीयू-4	1992	एम: 70-75 वाई: 900-1000 वाई आई: 22	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	बड़े बीज़

1	2	3	4	5	6
	टीएयू-1	1985	एम: 70-75 वाई: 800-1000 वाईआई: 24	महाराष्ट्र	बड़े बीज महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोकप्रिय किस्म
अरहर	टीएटी-10	1985	एम: 110-115 वाई: 900-1000	महाराष्ट्र	जल्दी परिपक्व
	टीटी-6	1983	एम: 135-140 वाई: 1200-1300 वाई आई: 15	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल	बड़े बीज
चावल	हरी	1988	एम: 135-140 वाई: 6000 वाईआई: 20	आंध्र प्रदेश	पतले दाने के प्रकार की
पटसन	टीकेजे-40	1983	एम: 125-130 वाई: 28000-31000 वाई आई: 10-13	उड़ीसा	अधिक पैदावार

पेंशनभोगियों को सीजीएचएस सुविधा

1358. श्री के. एस. राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीजीएचएस के अंतर्गत शामिल सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए महानगरों और बड़े शहरों में प्रत्यायित विशेषज्ञता प्राप्त निजी अस्पतालों और सामान्य अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ख) इन प्रत्यायित अस्पतालों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कितनी राशि बकाया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रत्यायित अस्पतालों द्वारा कड़ाई से क्रियान्वयन हेतु निर्देशों को पुन: जारी करने तथा स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होने का बहाना बना कर योजना का अनुसरण करने से इंकार करने तथा पेंशनभोगियों के चिकित्सा बिलों का भुगतान नकद में लेने वाले चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिना किसी सरकारी चिकित्सक की सिफारिश के पेंशनभोगियों को सीजीएचएस संबद्ध निजी अस्पतालों से सीधे इलाज कराने की अनुमति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके लिए प्रक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, जो सीजीएचएस के लाभार्थी हैं, को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीजीएचएस, दिल्ली के अन्तर्गत 59 विशिष्ट निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

(ख) सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों के बकाया बिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बिलों का भुगतान करना एक सतत् प्रक्रिया है जो निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) सीजीएचएस और अस्पतालों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में पेंशनभोगी सीजीएचएस लाभार्थियों को क्रेडिट सुविधा देने के लिए प्रावधान निहित हैं।

(ङ) और (च) पेंशनभोगी सीजीएचएस लाभार्थी सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में केवल आपातकालीन स्थिति में ही सीधे जा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, वे संबंधित औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी-इन्चार्ज द्वारा रेफर किए जाने पर ही सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में जा सकते हैं।

विवरण

लम्बित बिलों की स्थिति

10.8.2007 की स्थिति के अनुसार, लम्बित बिलों की कुल संख्या, जिसमें "स्टाप रेफरल अस्पताल" के लिए 52 बिल भी शामिल हैं	सप्ताह के दौरान प्राप्त किए गए बिलों की कुल संख्या	कुल लम्बित दावे संख्या (1+2)	प्रक्रियाबद्ध एवं तैयार किए गए बिलों की संख्या	तिथि, जब तक बिलों को प्रक्रियाबद्ध किया गया है	अनुमानित वित्तीय देयता	रोकड़-बाकी
1	2	3	4	5	6	7
400+52=452	28	480	20	11 अप्रैल	लगभग 17.60 करोड़	लगभग 14.52 करोड़ रुपए

अवक्रमित क्षेत्रों का संरक्षण

1359. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से वर्तमान कच्छ वनस्पति समूह के संरक्षण कच्छ वनस्पति प्रॉप गुल्स से अवक्रमित क्षेत्रों में वनरोपण, अनुसंधान क्रियाकलाप, जागरूकता कार्यक्रम, निगरानी इत्यादि के संबंध में प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि मांगी गयी है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव अब भी केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक में अभिनिर्धारित चार कच्छ वनस्पति स्थलों नामश: मंगलौर वन डिविजन (92.75 लाख रुपये), कुन्डापुर (53 लाख रुपये), होनावर (20.54 लाख रुपये) और कारवार (19 लाख रुपये) के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। कर्नाटक राज्य सरकार के पास 31.3.2007 तक खर्च न की गई उपलब्ध बकाया राशि को होनावर और कुन्डापुर के मामले में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोग करने के लिए विधिवत रूप से पुन: वैध किया गया है। राज्य सरकार से अभिनिर्धारित स्थलों के लिए वर्ष 2007-08 के लिए कोई नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। मंत्रालय ने एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए भी राज्य सरकार को 90.04 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

[हिन्दी]

सीआईएल द्वारा किसानों को खनन भूमि लौटाना

1360. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने कोयला खनन कार्य पूरा होने के पश्चात किसानों को खनन भूमि लौटाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रावधान के अंतर्गत कितने विस्थापित किसानों की भूमि लौटायी गयी है; और

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा अब तक कितनी हैक्टेयर भूमि पुन: भर दी गयी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा अब तक 15537 हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्र और राज्य सांख्यिकीय संगठनों की बैठक

1361. श्री के. सी. पल्लानी शामी: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र और राज्य सांख्यिकीय संगठनों की एक बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. के. वासन): (क) जी, हां। 10-11 अप्रैल, 2007 के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों (सीओसीएसएसओ) का 14वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(ख) सम्मेलन में दो दिवसीय कार्यक्रम में यह विचार-विमर्श किया गया: (i) कोर सांख्यिकी तथा सांख्यिकीय सलाहकारों की भूमिका सहित राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण; (ii) स्थानीय स्तर पर विकास हेतु बुनियादी आंकड़े; तथा (iii) बागवानी से संबंधित आंकड़ों की समस्याएं। इन तीन कोर विषयों के अलावा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों का संसाधन तथा राज्यों के लिए सांख्यिकीय उत्पादों/प्रकाशनों के मानकीकृत सेट पर भी विचार किया गया।

(ग) और (घ) देश में सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 1953 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है ताकि प्राथमिक आंकड़ों का बेहतर संग्रहण हो सके।

(ii) राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली भी अधिदेशित की गई है ताकि कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन एवं प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार की जा सकें।

(iii) मंत्रालय ने एक परियोजना, जिसका उद्देश्य 10वीं योजना में भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना के भाग के रूप में राज्य सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करना है, आरंभ की है और 11वीं योजना में परियोजना का चरण-II चल रहा है।

यकृत कैंसर के लिए नई दवा

1362. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी वैज्ञानिकों ने एक नई दवा विकसित की है जिससे यकृत कैन्सर के मरीज की जीवन अवधि बढ़ने में सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारत में यकृत कैन्सर के मरीजों के इलाज के लिए इस नई दवा का आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत के औषधि महानियंत्रक के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका में हैपाटोसेल्यूलर कारसिनोमा के 600 रोगियों के साथ की गई क्लिनिकल जांचों में नेक्सावर (सोराफेनिब 200 एम. जी. गोली की एक ब्रैंड) ने इन रोगियों की जीवन अवधि को कुछ महीनों के लिए बढ़ा दिया। नेक्सावार को इस समय संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों में यकृत कैंसर के इलाज के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। भारत में भी यकृत कैंसर के लिए आवेदन आयात पंजीकरण प्रक्रिया में है।

तारापुर में भारीजल रिएक्टर

1363. श्री रनेन बर्मन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तारापुर में संपीड़ित गुरुजल रिएक्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में स्थापित किए जाने वाले तथा वर्तमन में निर्माणाधीन परमाणु विद्युत रिएक्टरों का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए स्थानवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) इनके द्वारा उत्पादन कब तक शुरु किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) 540 मेगावाट-ई के दो रिएक्टरों वाली तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना को उसके अनुमोदित कार्यक्रम जनवरी, 2007 से पहले ही अगस्त, 2006 में पूरा कर लिया गया।

(ग) और (घ) इस समय निर्माणाधीन परमाणु विद्युत रिएक्टरों और उनके पूरा होने के अनुमानित वर्ष का विवरण निम्नानुसार है:

रिएक्टर/स्थान	क्षमता (मेगावाट-ई)	वाणिज्यिक प्रचालन का अनुमानित वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत करोड़ रुपए में
कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 तथा 4, कर्नाटक	2×220	यूनिट-3 06.05.2007 को पूरा हुआ यूनिट-4 2008	3282
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-5 तथा 6, राजस्थान	2×220	यूनिट-5 2007 यूनिट-6 2008	3072
कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-1 तथा 2, तमिलनाडु	2×1000	यूनिट-1 2008 यूनिट-2 2009	13171
भाविनी लिमिटेड द्वारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर), तमिलनाडु	1×500	2011	3492

ग्यारहवीं योजना में आयात के आधार पर 5600 मेगावाट-ई की कुल क्षमता के आठ स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों और 10,000 मेगावाट-ई की कुल क्षमता के दस साधारण पानी रिएक्टरों पर कार्य करना प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने गुजरात में ककरापार और राजस्थान में रावतभाटा में, दोनों जगह पर 2×700 मेगावाट-ई क्षमता के दाबित भारी पानी रिएक्टर स्थापित करने के लिए और तमिलनाडु में कुडनकुलम तथा महाराष्ट्र में जैतपुर में, दोनों जगह पर 2×1000 मेगावाट-ई के साधारण पानी रिएक्टर स्थापित करने के लिए स्थलों हेतु 'सिद्धांत:' अनुमोदन दे दिया है।

नए कोयला भंडार

1364. श्री नरहरि महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषत: उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में नए कोयला भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों पर अनुमानित कोयला भंडार कितना है; और

(ग) उन क्षेत्रों में कोयला अन्वेषण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी हां, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित अनेक कोलफील्डों में 10वीं योजना अवधि के दौरान अन्वेषण कार्यकलाप से अतिरिक्त संसाधनों का पता चला है। जनवरी, 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के दौरान देश में 4080 मिलियन टन नए कोयला भंडारों का अनुमान लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में भूगर्भीय संसाधनों की भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा तैयार इनवेंटरी में 4080 मि.ट. की वृद्धि हुई है जिसे नीचे दर्शाया गया है:

आकलन की तारीख	भारत में कोयले का कुल अनुमानित भूगर्भीय भंडार (मिलियन टन में)
1.4.07 की स्थिति के अनुसार	257,381
1.1.06 की स्थिति के अनुसार	253,301
1.1.06 से 1.4.07 तक अतिरिक्त कोयला संसाधन	4,080

उपर्युक्त कोयले के कुल अतिरिक्त संसाधनों में से 520 मिलियन टन का पश्चिम बंगाल राज्य में तथा 1234 मिलियन टन का उड़ीसा राज्य में अनुमान लगाया गया है।

उन ब्लाकों में अतिरिक्त कोयला संसाधनों के अनुमान का राज्यवार और कोलफील्ड-वार ब्यौरा निम्नवत है जहां, जनवरी, 2006 से मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान अन्वेषण पूरा किया गया है:

राज्य	कोलफील्ड	अनुमानित नया कोयला संसाधन (मिलियन टन में)
1	2	3
पश्चिम बंगाल	रानीगंज	520
झारखंड	रामगढ़	79

1	2	3
झारखंड	वेस्ट बोकारो	186
झारखंड	नार्थ करनपुरा	229
मध्य प्रदेश	सिंगरोली	588
छत्तीसगढ़	हस्दो-अरांद	8
महाराष्ट्र	वर्धा वैली	173
महाराष्ट्र	काम्पटी	55
महाराष्ट्र	नंद बंदेर	366
उड़ीसा	तलचर	1234
आंध्र प्रदेश	गोदावरी वैली	569
सिक्किम	रनगीत वैली	73
	जोड़	4080

(ग) क्षेत्रीय अन्वेषण आंकड़ों में प्रदर्शित ब्लाकों की क्षमता के आधार पर विभिन्न ब्लाकों/क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण प्रक्रियाधीन है।

भारतीयों को विदेश भेजने वाली एजेंसियां

1365. **श्री एम. अप्पावुरई:**
श्री रामदास आठवले:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में श्रमिकों/मजदूरों/कुशल और अकुशल कामगारों को अन्य देशों में भेजने का कार्य कर रही पंजीकृत/मान्यता प्राप्त रोजगार एजेन्सियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या खाड़ी देशों सहित अन्य देशों में आकर्षक रोजगार के नाम पर मुम्बई सहित महानगरों में कुछ ट्रैवेल एजेन्सियां लोगों से भारी धनराशि वसूल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकार के ध्यान में राज्यवार ऐसे कितने मामले आए हैं;

(घ) जिन एजेन्सियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेश जा रहे श्रमिकों को विनियमित करने तथा औपचारिक रूप से भर्ती करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) अपंजीकृत एजेन्सियों, जिनमें वे ट्रेवल एजेन्सियां भी शामिल हैं, जो उत्प्रवास अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके श्रमिकों को रोजगार के लिए विदेश भेजती हैं, द्वारा श्रमिकों/कामगारों की भर्ती के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों को समुचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों को भेजा जाता है। वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान प्राप्त अपंजीकृत एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतों की राज्यवार संख्या विवरण-II के रूप में संलग्न है। वर्ष 2004, 2005 और 2006 में जारी की गई अभियोजन स्वीकृतियों की संख्या विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) भारतीय उत्प्रवासियों के अधिकारों और कल्याण के विनियमन और संरक्षण के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में व्यापक संशोधन किया जा रहा है।

विवरण-I

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत 31.07.2007 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत भर्ती एंजेटों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत भर्ती एजेंटों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	82
2.	चंडीगढ़	47
3.	दिल्ली	316
4.	गोवा	22
5.	गुजरात	17
6.	हरियाणा	11
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू-कश्मीर	3

1	2	3
9.	कर्नाटक	31
10.	केरल	226
11.	मध्य प्रदेश	2
12.	महाराष्ट्र	682
13.	मिजोरम	2
14.	उड़ीसा	1
15.	पांण्डिचेरी	1
16.	पंजाब	86
17.	राजस्थान	39
18.	तमिलनाडु	216
19.	उत्तर प्रदेश	12
20.	उत्तरांचल	1
21.	पश्चिम बंगाल	10
	योग	1808

विवरण-II

2004, 2005 और 2006 के दौरान अपंजीकृत एंजेसियों के विरूद्ध शिकायतों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	6	5
2.	चंडीगढ़	1	-	3
3.	दिल्ली	8	7	10
4.	गोवा	-	-	
5.	गुजरात	1		
6.	हरियाणा	2	1	2
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	
8.	जम्मू और कश्मीर	-	-	
9.	कर्नाटक	-	2	
10.	केरल	5	10	25
11.	मध्य प्रदेश	-	-	
12.	महाराष्ट्र	10	13	4
13.	मिजोरम	-	-	
14.	उड़ीसा	-	-	
15.	पांण्डिचेरी	-	-	
16.	पंजाब	2	1	
17.	राजस्थान	-	-	
18.	तमिलनाडु	4	8	27
19.	उत्तर प्रदेश	1	-	
20.	पश्चिम बंगाल	3	3	2
21.	विविध		2	
	योग	38	53	78

विवरण-III

वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान जारी की गई अभियोजन स्वीकृतियां

वर्ष 2004

क्र.सं.	एंजेन्टों के नाम
1.	श्री शेख मौला और श्री गंगी रेड्डी आन्ध्र प्रदेश
2.	मैसर्स इन्टरनेशनल मेनपॉवर रिर्सोसिस, दिल्ली
3.	मै. रेन ट्रेवल का हेनरी पोल डेन्टस, मुम्बई
4.	श्री एजाज हसन शेख, मुम्बई
5.	करन मोनिका एडवर्ड और फारिश अबुबकर, दिल्ली
6.	श्री सलीम जावेह अलाह पीचाई, मुम्बई
7.	मैसर्स एन. एस. ट्रेवल सर्विसस, मुम्बई
8.	श्री अब्दुल रहमान मिर्जा काला, सत्यपाल लेखराज शर्मा और बदरूद्दीन अहमद पिल्लै, मुम्बई
9.	श्री सत्य नारायण, गंगा राम और तंगेला, मुम्बई

वर्ष 2005

क्र.सं.	एंजेटों के नाम
1.	मैसर्स एमएसआर इन्टरनेशनल कंसलटेन्ट्स, हैदराबाद के श्री एम. एस. राजू
2.	श्री टी. श्रीधर गौड़ और अन्य हैदराबाद
3.	श्री मोजूद्दीन सिद्दिकी, मुम्बई
4.	मैसर्स एस. एन. टूर और ट्रेवल, मुम्बई के श्री गगन कुमार गोवर्धन शर्मा
5.	श्री अंजलीन संजया नायडू, मुम्बई
6.	मैसर्स संतोष इन्टरप्राइसिस चेन्नई के जाहिर हुसैन
7.	श्रीमति लूसी पीटर वाज, इस्माइल कादर नायक, महेश नन्द कुमार सरवदे, मिस रेशमा इगबाल सैयद, शाकिर मेमन, आशिफ चिकोडी, आमिर भट्ट और असलम
8.	श्री चन्दू जगदीश सोणे, मुम्बई

वर्ष 2006

क्र.सं.	एंजेटों के नाम
1.	मैसर्स आयशा ट्रैवल्स, चेन्नई
2.	श्री के. सी. शानमुगम, चेन्नई
3.	श्री मैलापल्ली कन्ना रॉव और मैलापाल्ली कुमार, विशाखापटनम (एपी)
4.	श्री मोतीमारी प्रसाद, पेनुगोंडा, जिला वेस्ट गोदावरी (आ.प्र.)
5.	श्री मोहम्मद यासिन शमशुद्दीन (11) श्रीमती वजूदा अब्दुल रज़ाक तरन्नुम और श्रीमती सीमा चन्द्रा, मुम्बई
6.	मैसर्स अलमीराश ट्रैवल्स, पन्नीयाकारा देशम के श्री पी. मोहम्मद कोया
7.	मैसर्स माल्ही एंड बसरा एमीग्रेंट एंड एलाइड सर्विसस, चंडीगढ़ के श्री किरपाल सिंह माल्ही, पंचकुला
8.	श्री ई. के. सईद अलवी, जिला मालापुरम (2) अबूबेकर देसम, जिला कोझीकोडे एंड (3) कुन्ही मोहम्मद, जिला कोझीकोडे
9.	श्री मोहम्मद इब्राहिम पुत्र श्री अब्दुल मोहम्मद, लोट 196, जालान सिंगाई, पोटुस बाटु, कियांग सोलांगर, मलेशिया, (2) श्री कुमार आलिया वसंत कुमार पुत्र श्री के. रामास्वामी, नं. 34, रिमास्सी स्ट्रीट, मन्नाडी, चेन्नई-1 और (3) श्री कनन एलियास रामालिंगा, पुत्र श्री पेरियानायागाम, नं. 3/8, वेमबुली स्ट्रीट, रामापुरम, चेन्नई
10.	श्री के. अन्सारी पुत्र श्री खाजा मुहियुद्दीन, नं. 10/19, डा. नाटेसन रोड, बी.बी. 2 लेन, ट्रिपलीकेन, चेन्नई
11.	मैसर्स वेलफेयर मेनपॉवर सप्लाई कं. नं. 108/109, तीसरी मंजिल, हमिदा शॉपिंग, हॉल, ट्रिपलीकेन हाई रोड, चेन्नई-600 005 के श्री विश्वजीत मिश्रा
12.	मैसर्स इर. वर्ल्ड, नं. 52-20, अन्ना मेन रोड, एमजीआर नगर चेन्नई के श्री एस. के. राथीनासामी और ए. एन. मनोहरन
13.	श्री एल. मारिमुथु पुत्र श्री के. आर. लक्ष्मण आफ मैसर्स जी. जी. इन्टरप्राइजिज, अदायार, चेन्नई-20
14.	श्री कोट्टाई मेडासामी सन आफ श्री पोन्नाया, नं. 176 कुमारन नगर पालायामकोट्टाई, तिरूनेलवी और प्रकाश सन आफ श्री सुब्बाई, नं. 2/35-ए, पिल्लायार कोली सेंट पेगानलुर, कोद्दायानालुर,तिरूनेलवेली
15.	श्री अजीज खान [20 रफीक एंड (3) राजा मलिकसर आफ चेन्नई]
16.	मैसर्स गणेश टूरस एंड ट्रैवल्स, नं. 50, मन्नाडी स्ट्रीट, 1 मंजिल शॉप नं. 5, चेन्नई-1 के श्री आर, वंसथकुमार पुत्र श्री रामासामी, प्रोपराइटर
17.	मैसर्स पी.एम.एस. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, नं. 100, महालिंगापुरम मेन रोड, नुंगामबक्कम, चेन्नई के श्री मोयुद्दीन राजा, प्रोपराइटर
18.	मैसर्स एसटीएस कंसलटेंट, नं 18, सोराष्ट्र नगर, पहली गली छूलेमेयडू, चेन्नई-94 के श्री थायनीस, राथीनाम और जॉन अरोकीयादोस
19.	श्री लियो आर. गणेश पुत्री श्री रहमान पिल्लई, 93 आरकोट रोड, फ्लैट नं. 1, चौथी मंजिल, कोडामबक्कम, चेन्नई-600 024
20.	विनीत बलवन्त पथारे आफ मैसर्स सऊदी एक्सपोर्ट एंड ट्रेवल्स सर्विसिस, मुम्बई
21.	मैसर्स साई राम टेवल्स, चेन्नई के पी. गोपालकृष्ण

दो संतान संबंधी मानदण्ड

1366. श्री सुनील खां: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की दो संतान संबंधी मानदण्ड हेतु विधान लाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) 79वां संविधान संशोधन विधेयक, 1992, जो दो से अधिक संतानें रखने वाले व्यक्ति को संसद और राज्य विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य बनने के लिए अयोग्य बनाता है। (भूतलक्षी प्रभाव से), को राज्य सभा में दिसम्बर, 1992 में प्रस्तुत किया गया था। बाद में, इस विधेयक को मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थाई समिति के पास भेज दिया गया था। मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों पर, सरकार ने इस विधेयक का पारित होना सुनिश्चित करने के लिए संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठकें बुलाई थीं। इस विधेयक के पक्ष में कोई सम्मति नहीं हो पाई थी। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक समूहों/दलों के बीच इस विषय पर सर्वसम्मति न हो पाने के कारण यह विधेयक राज्य सभा में लम्बित है।

चिकित्सा प्रतिष्ठानों का पंजीकरण

1367. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अस्पतालों, स्थानीय क्लिनिकों, नर्सिंग होमों तथा पुस्तकालयों सहित सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों का पंजीकरण जिला प्रशासन के पास कराना/अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जैव-चिकित्सकीय कचरे के निपटान अथवा अस्पतालों में स्वच्छता, इत्यादि सहित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय मानक तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) संसद के वर्तमान सत्र में "क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (विनियमन एवं पंजीकरण) विधेयक, 2007" नामक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के तहत देश में क्लिनिकल स्थापनाओं के पंजीकरण और विनियमन करने के लिए व्यवस्था है। एक राष्ट्रीय परिषद क्लिनिकल स्थापनाओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित करेगी।

केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण का गठन

1368. श्रीमती मिनाती सेन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अन्तर्गत विनिर्माण लाइसेंसों के केन्द्रीयकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभ्यावेदन में उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य मंत्रालय ने माशेलकर समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात औषधियों एवं प्रसाधनों हेतु राष्ट्रीय विनियामक प्रणाली का उन्नयन करने और निर्माण लाइसेंस के चरण-बद्ध केन्द्रीयकरण के लिए भारत के केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव किया है।

डी.एन.ए. परीक्षण प्रयोगशालाएं

1369. प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराधों का पता लगाने के लिए डी.एन.ए. तकनीक एक पुष्ट तरीका है;

(ख) देश में डीएनए परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या विद्यमान प्रयोगशालाएं परीक्षण करने के लिए अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना

के अनुसार डीएनए तकनीकी, अपराधों का पता लगाने के लिए बहुत पुख्ता, सुरक्षित और क्षमतावान औजार है।

(ख) न्याय विज्ञान निदेशालय, गृह मंत्रालय के अनुसार कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़ और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशालाएं डीएनए परीक्षण करती हैं। प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत डीएनए नैदानिक एवं आंगुल छाप केन्द्र, हैदराबाद में भी स्टेट ऑफ आर्ट डीएनए टाईपिंग सुविधा है। इसके अलावा, दिल्ली गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु महाराष्ट्र, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कार्यरत राज्य स्तरीय न्याय संबंधी प्रयोगशालाओं में डीएनए टाइपिंग सुविधाएं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) गृह मंत्रालय के अंतर्गत देश में न्याय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नोडल संगठन-न्याय विज्ञान निदेशालय, डीएनए परीक्षण सुविधाओं की स्थापना में विभिन्न राज्य न्याय विज्ञान प्रयोगशालाओं को परामर्श एवं प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। इस संबंध में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। भारत सरकार, गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण अनुदान के माध्यम से भी आधुनिक डीएनए परीक्षण सुविधाओं के सृजन में राज्य सरकारों की सहायता करता है। देश में डीएनए परीक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए न्याय विज्ञान निदेशालय और डीएनए नैदानिक एवं आंगुल छाप केन्द्र, हैदराबाद ने संयुक्त रूप से एक एकीकृत प्रस्ताव तैयार किया है।

हेलोनिक और सीएफसी नियंत्रण

1370. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मॉट्रियल प्रोटोकाल के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार हेलोनिक और सीएफसी के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। भारत 17 सितम्बर, 1992 को ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थों पर मॉट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना। क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) और हेलोन सहित ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए वर्ष 1993 में कन्ट्री प्रोग्राम तैयार किया गया था। दी मल्टीलेटरल फण्ड (एम एल एफ) ने सीएफसी और हेलोन के उत्पादन और खपत को 1.1.2010 तक चरणबद्ध रूप से पूरी तरह समाप्त करने के लिए 303.29 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध कराए गए हैं।

नए मेडिकल कोलेजों की स्थापना

1371. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में नए मेडिकल कालेज खोलने तथा इस उद्देश्य हेतु वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) से ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल कालेज स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) इस समय, केन्द्र सरकार के पास सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों समेत देश के प्रत्येक जिले में नया चिकित्सा महाविद्यालय गठित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों सहित कोई भी व्यक्ति जो चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना विनियम 1999 में निर्धारित योग्यता मानदण्डों और अर्हताओं को पूरा करता है, वह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10क के तहत नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकता है।

[हिन्दी]

जल और वायु प्रदूषण

1372. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिकीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया ने देश में जल और वायु प्रदूषण के लिए एक कारक के रूप में कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रदूषण तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाए किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) यदि परियोजनाओं में विभिन्न उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों के अनुपालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपाय सम्मिलित नहीं किए जाएं तो ऐसी स्थिति में विकासात्मक गतिविधि यां, उनकी प्रकृति और माप के आधार पर वायु और जलगुणता सहित पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। उदारीकरण नीति भी किसी गतिविधि को पर्यावरणीय कनूनों से छूट नहीं देती। प्रदूषण और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए जा रहे उपयों में निम्नलिखित शामिल है:

- सामान्य और उद्योग विशिष्ट उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित करना;
- उद्योगों को जल, (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रत बोर्डों से प्रचालन शुरू करने से पहले "स्थापना की सहमति" साथ ही "प्रचालन की सहमति" प्राप्त करनी होती है।
- विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और सितम्बर, 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंध योजना को तैयार करना;
- स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को अपनाना और बेहतर ईंधन गुणता का उपयोग;
- पर्यावरणीय अनुपालन के लिए औद्योगिक इकाइयों की नियमित नगरानी;
- पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों के मामले में निर्देश जारी करना।

[अनुवाद]

एमसीएल द्वारा नाल्को को कोयले की आपूर्ति

1373. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि. ने कुछ समय से नेशनल एल्युमीनियम कंपनी को दी जा रही कोयले की आपूर्ति में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नाल्को को कोयले की कम आपूर्ति करने के क्या कारण हैं; और

(घ) महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा नाल्को को कोयले की पूरी आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) जी, नहीं। नालको को कोयले की आपूर्ति चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान किए गए आबंटन के अनुसार की गई। तथापि, जुलाई, 2007 के माह के दौरान कानून तथा व्यवस्था की समस्याओं के कारण उत्पन्न परिवहन दिक्कतों की वजह से कोयले की आपूर्ति थोड़ी बहुत प्रभावित हुई है। रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता तथा भरतपुर खानों में सतही खनिकों के काम न करने के कारण भी आपूर्ति प्रभावित हुई है। तथापि, मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए एक अल्पावधि उपाय के रूप में अन्य स्रोतों से नाल्को को कोयले की आपूर्ति हेतु पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का क्रियान्वयन

1374. श्री अधीर चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत शेडयूल 'एम' के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बाजार में दवाओं की शुद्धता में भारी सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। औषधि उद्योग द्वारा औषधि एवं प्रसाधन नियम, 1945 के शेडयूल 'एम' के तहत संशोधित जीएमपी के प्रति बढ़े अनुपालन को देखते हुए, देश में संदेहास्पद औषधियों के लिए गए नमूनों में से मानक गुणवत्ता के रूप में घोषित औषधियों की रिपोर्टों की संख्या में हाल ही में वृद्धि हुई है। भारतीय फर्मों द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन जीएमपी के अनुपालन के परिणामस्वरूप पश्चिमी देशों में भारतीय औषधियों की स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय असमानता

1375. **श्री अनवर हुसैन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार सुधार और अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मुद्दे पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा दृष्टिकोण पत्र में क्या मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं;

(घ) क्या योजना आयोग ने मामले की जांच करने तथा बढ़ती क्षेत्रीय असमानता को रोकने के लिए कदम उठाने की सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा की वार्षिक विकास दर से अखिल भारतीय औसत विकास दर की तुलना में उच्चतर विकास दर प्रकट होता है असम, मिजोरम और मेघालय राज्यों की विकास दर थोड़ी कम थी। अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर की तुलना में कम है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की कम विकास दर होने का कारण मुख्य रूप से उनकी भौगोलिक स्थिति और मणिपुर में अशांति का होना है।

(ग) से (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोणपत्र में क्षेत्रीय मतभेदों की पहचान प्रमुख चुनौतियों के रूप में की गई है। संतुलित क्षेत्रीय विकास राष्ट्रीय योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। इस दृष्टिकोण पत्र में सामान्य सिद्धान्त रूप में विशेष रूप से उल्लेख है कि विगत में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों और लक्षित कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न नीतिगत पहलें विकसित की गई हैं।

योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सम्यक विकास के संबंध में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। इस विशेषज्ञ दल का एक विचारार्थ विषय उदारीकरण, भूमण्डलीकरण और कार्यविधि पारेषण के उन संयोजनों की योजना बनाना जिनका पिछड़े क्षेत्रों की विकास पृष्ठभूमि पर प्रभाव पड़े और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यनीति का सुझाव देना है।

[हिन्दी]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम

1376. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत ग्यारह मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियां/फर्में इन मानदंडों का उल्लंघन करती पाई गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अर्न्तगत 11 खाद्य पदार्थों के बारे में बी आई एस प्रमाणन अनिवार्य बनाया है जिसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) बीआईएस अधिनियम, 1996 की धारा 33 के अन्तर्गत, बीआईएस, बीआईएस अधिनियम, 1996 की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करता है।

जहां तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का संबंध है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियम, 1955 के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, जहां नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियम, 1955 के उपबंधों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं वहां प्रवर्तन कर्मचारी विभिन्न खाद्य पदार्थों के यादृच्छिक नमूने लेते हैं और अभियुक्तों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे बाजार में बेचे जाने वाली खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखें तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियम, 1955 के उपबंधों के उल्लंघन किए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई करें।

विवरण

बीआईएस आवश्यक प्रमाणन के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत शामिल उत्पादों की सूची

क्र.सं.	बीआईएस मानक (संख्या)	बीआईएस आवश्यक प्रमाण के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत शामिल उत्पाद
1.	आईएस 1165	मिल्क पाउडर
2.	आईएस 1166	संघनित दूध, आंशिक मलाई एवं मलाई संघनित दूध
3.	आईएस 1656	दूध अन्न आधारित दूध छुड़ाई खाद्य
4.	आईएस 11536	बच्चों के लिए प्रसंस्कृत अन्न आधारित पूरक खाद्य
5.	12176	मीठा अति उच्च तापमान संसाधित संघनित दूध
6.	13334 (भाग-1)	मलाईयुक्त मिल्क पाउडर, स्टैण्डर्ड ग्रेड
7.	13334 (भाग-2)	मलाईयुक्त मिल्क पाउडर, एक्सट्रा ग्रेड
8.	14542	आंशिक मलाई युक्त मिल्क पाउडर
9.	14433 (भाग-1)	शिशु दूध अनुकल्प, प्रोटीन आधारित दूध
10.	आईएस	पैकेज प्राकृतिक खनिज जल
11.	आईएस	पैकेज पेय जल (पैकेज प्राकृतिक खनिज जल)

[अनुवाद]

वनरोपण को बढ़ावा देना

1377. श्री भर्तृहरि महताब: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा देश में वनरोपण को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन राज्यों में कदम उठाए गए हैं;

(ग) ग्यारहवीं योजना में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) दसवीं योजनावधि के दौरान वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई सी एफ आर ई) देश में अपने आठ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों और चार केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न वानिकी प्रजातियों के वन-वर्धन पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाएं चला रहा है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश में वनवर्धन को बढ़ावा देने के लिए आई सी एफ आर ई के प्रस्ताव पर जैव-विविधता मूल्यांकन संरक्षण और विकास, पौधरोपण स्टाक सुधार, सतत वन प्रबंध, वन उत्पाद विकास, कृषि-वानिकी विकास/सामाजिक वानिकी मॉडल/भागीदारी वन प्रबन्ध/संयुक्त वन प्रबन्ध, सतत वन उत्पाद के लिए प्रमाणीकरण कार्यतन्त्र की स्थापना, बांस और बेंत के लिए उन्नत अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 75.45 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई।

(घ) संयुक्त वन प्रबन्ध/भागीदारी वन प्रबन्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत सघन वनवर्धन प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वनवर्धन की समस्याओं से निपटने हेतु अखिल भारतीय क्षेत्रीय समन्वित परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आनुवंशिक सामग्री विशेषत: एन डब्ल्यू एफ पी को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अवक्रमित क्षेत्रों का पुनर्वास। बैंचमार्किंग जैव विविधता और

देश के 15 राज्यों में परिरक्षण भूखण्डों के द्वारा महत्वपूर्ण प्रजातियों/वन प्रकारों के सामान्य समूह का परिरक्षण/महत्वपूर्ण वृक्षों के कृत्रिम पुनरुद्धार के लिए प्रौद्योगिकी का विकास। महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के लिए आयतन सारणियों, स्थल सूची समीकरणों और वृद्धि/उपज कार्यों का विकास/उच्च अपरदित स्थलों के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण वानिकी प्रजातियों का फील्ड ट्रायल्स। पोषक चक्रण के विशेष संदर्भ के साथ, मृदा वनस्पति अन्योन्य क्रिया हेतु (अल्यूवियल), तटीय (कोरटल), लेटेरिटिक, मृदाओं के अंतर्गत 132 पौधरोपण स्थलों में रोपी गई सर्व सामान्य वृक्ष प्रजातियों के विकास की तुलना करना। राज्य वन विभाग और अन्य स्टेक होल्डरों के साथ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों की नेटवर्किंग।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

1378. श्री अर्जुन सेठी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पिछड़े जिलों के त्वरित विकास हेतु स्वीकृत और जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (बीआरजीएफ) 2006-2007 वित्तीय वर्ष में अनुमोदित किया गया था इस कार्यक्रम के तीन घटकों नामश: बिहार के लिए विशेष योजना, उड़ीसा के के बी के जिलों के लिए विशेष योजना एवं 2006-2007 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम में विलयित राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) में शामिल किए गए पिछड़े जिले पहल के जिला घटक। बिहार एवं उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष प्लान योजना आयोग द्वारा संचालित की जाती हैं। बीआरजीएफ के जिला घटकों के तहत आबंटन के दो वित्त पोषण विण्डो में (क) पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए निधियां एवं (ख) एक अनटायड विकास अनुदान शामिल हैं। वर्तमान नीति के अनुसार राष्ट्रीय विकास योजना के तहत शामिल किए गए जिले बीआरजीएफ के निधिकरण-प्रद्धति में शिफ्ट किए जाने से पहले पूर्व कार्यक्रम के तहत 45 करोड़ रुपये प्रति जिले के हिसाब से अपना आबंटन पूरा करेंगे। इन तीन घटकों के तहत 2005-06 से आगे राज्य-वार जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत जारी निधियां

क. उड़ीसा के केबीके जिले एवं बिहार के लिए विशेष योजना

(रुपये करोड़ में)

		2005-06	2006-07	2007-08
I.	बिहार के लिए विशेष योजना	536.03	999.99	762.41
II.	उड़ीसा के केबीके जिले के लिए विशेष योजना	250.00	250.00	43.33

(ख) पिछड़ा जिला पहल-आर एस वी वाई जिलों को निधियों की निर्मुक्ति

क्रम संख्या	राज्य	2005-06 में जारी की गयी राशि (रुपये करोड़ में)	2006-07 में जारी की गयी राशि (रुपये करोड़ में)	2007-08 में जारी की गयी राशि (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	37.50	82.5	45.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.50	7.5	0.00
3.	असम	7.50	52.5	15.00
4.	बिहार	135.00	232.5	30.00

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	90.00	127.5	22.50
6.	गुजरात	15.00	37.50	7.50
7.	हरियाणा	15.00	22.5	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	30.00	15.00
9.	जम्मू-कश्मीर	22.50	22.5	0.00
10.	झारखंड	142.50	315.00	22.50
11.	कर्नाटक	15.00	37.50	0.00
12.	केरल	15.00	15.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	150.00	135.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	60.00	90.00	7.50
15.	मणिपुर	15.00	15.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	15.00	0.00
17.	मिजोरम	7.50	15.00	7.50
18.	नागालैण्ड	7.50	22.50	0.00
19.	उड़ीसा	45.00	45.00	22.50
20.	पंजाब	7.50	15.00	0.00
21.	राजस्थान	37.50	15.00	0.00
22.	सिक्किम	7.50	22.5	7.50
23.	तमिलनाडु	75.00	30.00	0.00
24.	त्रिपुरा	7.50	15.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	202.50	300.00	75.00
26.	उत्तराखण्ड	22.50	37.50	7.50

1	2	3	4	5
27.	पश्चिम बंगाल	45.00	60.00	22.50
28.	नाबार्ड	3.24	3.30	0.00
	कुल	1210.74	1818.30	307.50

क्रम संख्या	राज्य	क्षमता निर्माण निधि		विकासात्मक अनुदान	
		2006-07 में जारी की गयी राशि (रुपये करोड़ में)	2007-08 में जारी की गयी राशि (रुपये करोड़ में)	2006-07 को जारी की गयी राशि (रुपये करोड़ में)	2007-08 में जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.5	0	0	0
3.	असम	9.122	0	0	35
4.	बिहार	14.45876	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	9.1	0	0	21
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
10.	झारखण्ड	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	5	0	7.5
12.	केरल	0	2	0	9.25
13.	मध्य प्रदेश	14.9597	0	20.0451	0
14.	महाराष्ट्र	6.19	0	0	0
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0
18.	नागालैण्ड	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	0	0	0	37
20.	पंजाब	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
21.	राजस्थान	7.78707	0	0	75
22.	सिक्किम	0.9492	0	0	0
23.	तमिलनाडु	0	0	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	0	25.3	0	0
26.	उत्तराखंड	0	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	10.5	0	0	30
	कुल	86.56673	32.3	20.0451	214.75

थोरियम का ईंधन के रूप में प्रयोग

1379. **श्री फ्रांसिस फैन्त्रम:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य विद्यमान ईंधन की तुलना में थोरियम के फायदे के मद्देनजर उसे परमाणु रिएक्टर हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के परमाणु रिएक्टरों में थोरियम का प्रयोग करने की अनुमति देने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त प्रौद्योगिकी को देश के रिएक्टरों में कब तक प्रयोग हेतु उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

- कलपाक्कम स्थित 'कामिनी' अनुसंधान रिएक्टर में यूरेनियम-233 ईंधन जोकि किरणित थोरियम से प्राप्त होता है, का इस्तेमाल किया जाता है। यह रिएक्टर 1997 से काम कर रहा है। इस रिएक्टर के लिए ईंधन का प्रजनन, पुनर्संसाधन और संविरचन कार्य स्वदेशी रूप से किया गया है।
- थोरियम आधारित ईंधन का किरणन ट्रांबे स्थित अनुसंधान रिएक्टर 'सायरस' में और दाबित भारी पानी रिएक्टरों में किया गया है।
- थोरियम आधारित ईंधन का इस्तेमाल करने वाले प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर) का डिजायन और विकास अंतिम चरण में है। प्रगत भारी पानी रिएक्टर की लाईसेंस-पूर्व सुरक्षा पुनरीक्षा का कार्य परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने पूरा कर लिया है।
- भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में एएचडब्ल्युआर क्रांतिक सुविधा जिसमें थोरियम आधारित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, का निर्माण पूरा हो गया है।
- भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र किरणित थोरियम ईंधन को पुनर्संसाधित करने की, और यूरेनियम-233 आधारित ईंधन तैयार करने की प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहा है।

(ग) चालू त्रि-चरणीय भारतीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम के तीसरे चरण के अंतर्गत किरणित थोरियम से प्राप्त किए गए यूरेनियम-233 पर आधारित नाभिकीय रिएक्टरों को काम में लाने की परिकल्पना की गई है। एएचडब्ल्युआर के भौतिक डिजायन के प्रमाणिकरण हेतु प्रगत भारी पानी रिएक्टर क्रांतिक सुविधा कमीशनन के लिए तैयार है। एएचडब्ल्युआर का लाइसेंस-पूर्व सुरक्षा संबंधी अनुमोदन कार्य परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा पूरा कर लिया गया है। एक विद्युत परियोजना के रूप में इसका क्रियान्वयन ग्याहरवीं योजनावधि में शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

भारत निर्माण हेतु विश्व बैंक से ऋण

1380. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'भारत निर्माण योजना' परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) भारत निर्माण के छः मुख्य घटक हैं। नामतः सिंचाई, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण टेलीफोन सम्पर्क। सिंचाई और सड़क घटक के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया गया था जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत अन्य घटकों के लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है।

सिंचाई:

जलसंसाधन मंत्रालय ने विश्व बैंक से भारत निर्माण योजना के लिए विशिष्ट रूप से किसी भी ऋण की मांग नहीं की है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों ने विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के लिए सयम-समय पर विश्व बैंक से सहायता की मांग की हैं। विश्व बैंक सहायता से चल रही जल संसाधन परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	समझौते की तिथि पूरा होने की तिथि	राशि अमरीकी डालर (मिलियन $ में)
1.	राजस्थान जल क्षेत्रक पुनर्संरचना परियोजना राजस्थान	15.3.2002 31.3.2008	125.00
2.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्रक पुनर्संरचना परियोजना (उत्तर प्रदेश)	8.3.2002 31.10.2007	109.10
3.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (कर्नाटक)	6.6.2002 31.1.20009	73.80
4.	मध्य प्रदेश जल क्षेत्रक पुनर्संरचना परियोजना (मध्य प्रदेश)	30.10.2004 30.3.2011	394.00
5.	महाराष्ट्र जल क्षेत्रक सुधार परियोजना (महाराष्ट्र)	19.8.2005 30.12.2012	325.00
6.	तमिलनाडु सिंचाई कृषि एवं आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार परियोजना (तमिलनाडु)	23.1.2007 31.3.2013	485.00
7.	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (आंध्र प्रदेश)	19.4.2007 31.12.2012	189.00
	कुल		1700.90

सड़कें

भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक सहित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए निधिकरण अंतराल को कम करने हेतु विश्व बैंक के साथ अक्तूबर 2004 में 400 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 500 मिलियन अमरीकी डालर का एक अन्य ऋण प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार के ऋण नए सम्पर्क एवं प्रधान ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए हैं।

वार्षिक विकास दर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय

1381. श्री मोहन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान देश की वार्षिक विकास दर कितनी रही;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों की वार्षिक विकास दर कितनी रही;

(ग) क्या सरकार प्रति व्यक्ति आय को वार्षिक विकास दर की गति के बराबर लाने हेतु कोई योजना लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में प्रति व्यक्ति औसत आय और सकल राष्ट्रीय वार्षिक विकास दर के बीच कोई समन्वय है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2006-07 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, स्थिर (1999-2000) के मूल्यों पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के अर्थों में मापी गई देश की वार्षिक विकास दर वर्ष 2006-07 के दौरान 9.4 प्रतिशत है।

(ख) वर्ष 2006-07 हेतु विभिन्न राज्यों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वार्षिक विकास दरें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रति व्यक्ति आय, जैसा की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा परिभाषित किया गया है, जीडीपी की वार्षिक विकास दर और आबादी की वार्षिक विकास दर के कारण प्रतिवर्ष परिवर्तित होता है। स्थिर जनसंख्या के पहचानते हुए जनसंख्या की जीवन तालिका और आबादी में परिवर्तन को परिलक्षित दर को ध्यान में रखते हुए इस वक्त प्रति व्यक्ति आय को वार्षिक विकास दर से ऊपर ले जाने हेतु पूर्वापेक्षा संभव नहीं है। हालांकि, भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का दीर्घावधि उद्देश्य दीर्घावधि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के समप्रवाह के स्तर पर सन् 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना है।

(ङ) और (च) जी, हां। प्रति व्यक्ति औसत आय की विकास दर जीडीपी की विकास दर और जनसंख्या की विकास दर से निर्धारित होती है।

विवरण

स्थिर (1999-2000) मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की विकास दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8.02
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.24*
3.	असम	5.94
4.	बिहार	4.72
5.	झारखंड	6.78
6.	गोवा	6.44*
7.	गुजरात	12.17*
8.	हरियाणा	8.05*
9.	हिमाचल प्रदेश	9.27
10.	जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	7.90
12.	केरल	8.01*
13.	मध्य प्रदेश	23.50*
14.	छत्तीसगढ़	12.30*
15.	महाराष्ट्र	9.20*
16.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं
17.	मेघालय	5.68
18.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	6.02
21.	पंजाब	4.93
22.	राजस्थान	7.96
23.	सिक्किम	8.21
24.	तमिलनाडु	7.38

1	2	3
25.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	6.07*
27.	उत्तरांचल	10.28*
28.	पश्चिम बंगाल	8.13*
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10.78*
30.	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं
31.	दिल्ली	9.18*
32.	पांडिचेरी	7.43

*आंकड़े 2005-06 से संबंधित हैं; एन. ए: उपलब्ध नहीं
स्रोत: राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना

1382. श्री विजय कृष्ण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक अंतरिक्ष विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एक शैक्षिक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय से कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को स्नातक बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रस्ताव के लिए कितना अनुदान निर्धारित किया गया है और विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं। केंन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी) की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक शैक्षिक वर्ष के दौरान लगभग 150 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को स्नातक बनाए जाने की संभावना है।

(घ) आई आई एस टी की स्थापना हेतु 270 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश तथा 40 करोड़ रुपये के वार्षिक आवर्ती व्यय को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रथम शैक्षिक सत्र सितम्बर 2007 में प्रारम्भ किए जाने के लिए निर्धारित है।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन का महत्व

1383. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी विदेश मंत्री ने हाल ही के अपने वक्तव्य में पावर ब्लॉक्स के समाप्त होने पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन को जारी रखने की निरर्थकता की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अमेरिकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार ने विचाराधीन वक्तव्य को देखा है, जिसमें यह सुझाया गया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता समाप्त हो गई है।

(ख) से (घ) अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा दिए गए वक्तव्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में भारत सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने 29 जून, 2007 को कहा कि "गुट-निरपेक्ष आंदोलन के प्रति भारत की दृढ़ और स्थायी प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता। रंगभेद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने में गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आज भी दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संवर्धन और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लोकतंत्रीकरण में इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। भारत अपने आदर्शों के प्रति निरंतर वचनबद्ध है।"

आंध्र प्रदेश द्वारा कोयला-ब्लाकों की मांग

1384. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के पक्ष में नौ कोयला ब्लाक आबंटित करने हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकारी संवितरण के अंतर्गत 10 कोयला ब्लाकों के आवंटन के लिए 7 नवम्बर, 2006 को की गई पेशकश के प्रत्युत्तर में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन ब्लाकों में से 9 ब्लाकों में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.एल.), जो एक खनन कंपनी है, की रूचि दशाई गई थी।

(ग) एससीसीएल, एक खनन कंपनी का आवेदन विद्युत उत्पादन कंपनियों समेत अनेक केंद्रीय और राज्य पीएसयू से प्राप्त आवेदनों में से एक था। उड़ीसा और झारखंड में स्थित उक्त ब्लाकों का आवंटन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ उन राज्यों के पीएसयू को दी जाने वाली अधिमानता जिन्हें अब तक कोई ब्लाक आबंटित नहीं किया गया था, उन राज्यों की आवश्यकता जहां ब्लाक स्थित थे, विद्युत परियोजनाओं के लिए पहले से स्वीकृत कोयला ब्लाक और कोयला लिंकेज आदि शामिल थे।

एपीजेनको को हाल में उनकी विद्युत परियोजनाओं के लिए 4 ब्लाक और दीर्घावधिक कोयला लिंकेज आवंटित किये गये। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी कोयला ब्लाक आबंटित किए गए।

उपर्युक्त तथा उक्त दस ब्लाकों के लिए प्राप्त आवेदनों की बड़ी संख्या के सापेक्ष गुणावगुण के आधार पर एससीसीएल को कोई ब्लाक आबंटित नहीं किया जा सका।

लोहित चैलन पर पुल का निर्माण

1385. डॉ. अरूण कुमार शर्मा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय से अरूणाचल प्रदेश में कुछ बड़ी विद्युत परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन में सहायता हेतु असम में धोला और सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के लोहित चैनल पर एक पुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने उक्त पुल के बारे में पहले ही एक व्यवहार्यता अध्ययन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या योजना अयोग ने संबंधित मंत्रालयों और पूर्वोत्तर परिषद में राज्य सरकार के परामर्श से उक्त योजना को ग्यारहवीं योजना में निष्पादित करने का फैसला किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) परियोजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) असम में धोला और सदिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के लोहित चैनल के ऊपर पुल निर्माण के लिए विद्युत मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर नौवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर परिषद ने लोहित चैनल पर नदी पर पुल निर्माण की परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन हेतु निधियन किया है। पुल के निर्माण को व्यवहार्य पाया गया था और पहुंच मार्गों सहित इसकी लागत लगभग 216.71 करोड़ रुपये आंकी गई थी। आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट को अरूणाचल प्रदेश और असम सरकारों को भेज दिया गया था।

(ङ) से (ज) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह प्रक्रियाधीन है और प्रस्तावों पर परियोजना की प्रतियोगी मांगों के बीच प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

प्रयुक्त ईंधन का पुर्नसंवर्धन

1386. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम देश प्रयुक्त ईंधन का अपने संयंत्रों में पुन: संवर्धन नहीं करते हैं और उसके पुन: संवर्धन हेतु उसे भारतीय संयंत्रों में भेज देते हैं ताकि वह पुन:संवर्धित होकर उन्हें वापस मिले जैसाकि दिनांक 20 जुलाई, 2007 के 'द एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों के खतरनाक रेडियोधर्मी अपशिष्ट की भारी मात्रा को संभालने तथा उसका निपटान करने का भार भी भारत पर पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या अमेरिका ने भारत से परमाणु करार पर जारी वार्ता में ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं। हमारे पास किसी भी देश से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जलवायु परिवर्तन संबंधी बैठक

1387. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री सुरेश कलमाडी:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन परिषद की पहली बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु उसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 'ग्रीन इंडिया' नामक एक प्रमुख वनरोपण कार्यक्रम शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितने हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि को हरित क्षेत्र में बदले जाने की संभावना है; और

(च) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन परिषद की 13.7.2007 को हुई पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) योजना आयोग द्वारा सेक्टोरल योजनाओं में स्वच्छ विकास रणनीतियों को ग्यारहवीं योजना रणनीति के मूलभूत अंश के रूप में शामिल किया जाना है।

(ii) भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने और जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने की प्रस्तावित कार्रवाई करने के लिए एक राष्ट्रीय दस्तावेज संकलन कार्रवाई शुरू की गई है।

(iii) हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने से निपटने के लिए एक दीर्घावधिक कार्यनीति तैयार करना।

(iv) कृषि मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के कृषिकीय एजेंडे पर एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना तथा इसे ग्यारहवीं योजना में शामिल कराने हेतु योजना आयोग के पास अग्रेषित करना।

(v) जलवायु परिवर्तन एजेंडे के प्रति सुग्राही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक नीति तैयार करना।

(ग) से (च) 'ग्रीन इंडिया' कार्यक्रम में देश की अवक्रमित वन भूमि में व्यापक स्तर पर वनीकरण करना अभिकल्पित है। इसके लिए जिन वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाना है, उनमें "प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व आयोजना प्राधिकरण" (कैंपा) के अंतर्गत उपलब्ध निधियां लेना, बाजार से निधियां जुटाना, पार्टनर एसोसिएशंस विकसित करना तथा पारिस्थितकीय रूप से उपयुक्त अन्तरालों पर काटे गए वृक्षों से प्राप्त आय शामिल हैं। "ग्रीन इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10 वर्षों में देश में करीब छ: मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया जाएगा। शुरू में अवक्रमित वनों का तीन मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र वर्ष 2007 में वनीकरण हेतु लिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

एचआईवी/एड्स प्रभावित क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध करना

1388. **श्री एल. राजगोपाल:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एड्स के मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार एड्स के मरीजों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने देश के 163 जिलों को ग्रेड-ए या अति जोखिम वाले क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध किया है जहां पर महामारी का खतरा एक प्रतिशत बढ़ गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जिलों को श्रेणीबद्ध करने से समस्या को सुलझाने और रोग पर काबू पाने में सहायता मिलती है;

(छ) आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए अभियान 'बी होल्ड' के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस रोग के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में रोगियों की अनुमानित संख्या 2 मिलियन से लेकर 3.1 मिलियन तक है। पिछले चार वर्षों में व्याप्तता दर 0.36 प्रतिशत पर स्थिर हो गई है।

(ग) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा सूचित एड्स रोगियों की संख्या सलग्न विवरण-I में दशाई गई है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-2006 की अवधि के प्रहरी निगरानी आंकड़ों के आधार पर 156 जिलों को श्रेणी 'क' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां प्रसवपूर्व महिलाओं में तीन वर्षों में से किसी वर्ष में व्याप्तता दर 1 प्रतिशत या अधिक है।

श्रेणी की जिला राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) श्रेणी 'क' जिलों के लिए कार्यान्वयन की उच्च प्राथमिकता और निधियां मंजूर की जाती हैं।

(छ) आन्ध्र प्रदेश में शुरू ''निसंकोची बने'' अभियान का लक्ष्य लोगों को उनकी एचआईवी स्थिति के परीक्षण हेतु आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(ज) रोकथाम, परिचर्या, सहायता और उपचार के एकीकृत कार्यक्रमों द्वारा अगले 5 वर्षों में देश में महामारी को रोकने और इसका रूख मोड़ने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III शुरू किया है। इसे एक चार मुखी कार्यनीति के माध्यम से हासिल किया जाएगा:

1. उच्च जोखिम समूहों और आम जनता में नए संक्रमणों की रोकथाम करना,
2. अधिक संख्या में पीएलएचए को व्यापक परिचर्या, सहायता और उपचार प्रदान करना,
3. जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर रोकथाम, परिचर्या सहायता और उपचार कार्यक्रमों में आधारभूत ढांचे, प्रणालियों और मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण करना,
4. राष्ट्रव्यापी कार्यनीतिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना।

विवरण-I

वर्ष में एड्स के सूचित रोगी

क्र.सं.	राज्य	2004	2005	2006	30 जून, 2007 तक
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	4	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	5611	7806	10167	2335
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	13	0
4.	असम	13	40	107	0
5.	बिहार	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
6.	चंडीगढ़	223	749	451	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	68	1464	346	0
11.	गोवा	109	167	23	19
12.	गुजरात	1624	1955	859	0
13.	हरियाणा	85	198	202	0
14.	हिमाचल प्रदेश	75	73	6	0
15.	जम्मू-कश्मीर	0	0	34	0
16.	झारखंड	0	173	159	0
17.	कर्नाटक	222	2219	0	0
18.	केरल	73	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	209	359	230	171
21.	महाराष्ट्र	4831	5683	4347	0
22.	मणिपुर	0	0	80	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	54	0	4	38
25.	नागालैंड	269	18	0	0
26.	उड़ीसा	186	177	116	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0	0
28.	पंजाब	62	103	239	0
29.	राजस्थान	228	303	302	0
30.	सिक्किम	0	3	0	0
31.	तमिलनाडु	15271	3856	11481	2441
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
33.	उत्तर प्रदेश	109	339	0	0
34.	उत्तरांचल	19	49	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल योग	29342	25738	29166	5004

विवरण-II

एचआईवी प्रहरी निगरानी 2004, 2005 और 2006 के आधार पर श्रेणी क वाले जिले

आन्ध्र प्रदेश

आदिलाबाद

अनन्तपुर

चित्तूर

कुड्डापाह

पूर्वी गोदावरी

गुंटूर

हैदराबाद

करीम नगर

खम्माम

कृष्णा

कुरनूल

महबूबनगर

मेडाक

नलगोंडा

नेल्लौर

निजामाबाद

प्रकाशम

रंगारेड्डी

सिरकाकुलम

विशाखापट्नम

विजयनगरम

वारंगल

पश्चिम गोदावरी

अरुणाचल प्रदेश

लोहित

बिहार

अररिया

लखीसराय

गोवा

नार्थ गोवा

गुजरात

बनासकांठा

दहौद

महसाना

नवसारी

सूरत

सुन्दर नगर

हरियाणा

भिवानी

कर्नाटक

बागलकोट

बेंगलूर सिटी

बंगलौर ग्रामीण

बेलगाम

बेल्लारी

बीदर

बीजापुर

चामराजनगर

चिकमंगलूर

दक्षिण कन्नड़

देवनगीर

धारवड़

गाडग

गुलबर्गा

हासन

हवेरी

कोडागु

कोलार

कोप्पल

मांडया

मैसूर

रायपुर

शिमोगा

तुमकुर

उडपी

उत्तर कन्नड़

मध्य प्रदेश

बालाघाट

देवास

हर्दा

पन्ना

रीवा

महाराष्ट्र

अहमदनगर

अकोला

अमरावती

औरंगाबाद

ब्रांदा

बीड

बुलडाना

चन्दरपुर

धुले

गडचिरोली

हिंगोली

जलगांव

जालना

कोल्हापुर

लातुर

मुम्बई

मुम्बई (उ. रा.)

नागपुर

नांदेड

नांदूरबाड़

नासिक

उस्मानाबाद

परभनी

पुणे

रायगढ़

रत्नागिरी

सांगली

सतारा

शोलापुर

धाणे

वर्धा

यवतमाल

मणिपुर

बिशनुपुर

चंदेल

चूड़ाचांदपुर

इम्फाल

सेनापति

तामेंगलांग

थाऊबल

उखरूल

मोरेह

मिजोरम

आईजोल

चम्पई

नागालैंड

दीमापुर

कोहिमा

मोकाकचुंग

मोन

फेक

तवानसांग

कोरबा

किपहेरा

पेरेन

जुनेहबोतो	कन्याकुमारी	टूथूकुडी
उड़ीसा	कारूर	वेल्लौर
अनुगुल	कृष्णागिरी	विलुपुरम
बोलनगीर	मदुरै	**त्रिपुरा**
भद्रक	नामाक्कल	पश्चिम त्रिपुरा
गंजाम	प्रेमाबल्लुर	**उत्तर प्रदेश**
पंजाब	पुडुकोट्टई	इलाहाबाद
लुधियाना	रामनाथपुरम	बांदा
राजस्थान	सलेम	देवरिया
गंगानगर	शिवगंगा	इटावा
तमिलनाडु	थेनी	मऊ
कोयम्बटूर	नीलगिरी	**पश्चिम बंगाल**
कुड्डालोर	थिरुवल्लूर	कोलकाता
धर्मपुरी	तिरूचिरापल्ली	पुरुलिया
इरोड	तिरुवनमलाई	बर्द्धमान
		उत्तर दीनाजपुर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेलों को लोकप्रिय बनाने हेतु नीति

1389. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या सरकार का विचार हॉकी, फुटबॉल, बॉलीबाल, कुश्ती और एथलेटिक्स आदि राष्ट्रीय खेलों की उपेक्षा के मद्देनजर इन्हें बढ़ावा देने/लोकप्रिय बनाने हेतु कोई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे खेलों/खेल-स्पर्धाओं को बढ़ावा देने और विकसित करने हेतु अपेक्षित अवसंरचना सृजित करने के लिए कोई ठोस कदम कठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान आज तक आबंटित की गई धनराशि और सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने पर वहन किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक खेल विधा के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एलटीडीपी) में भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, विदेश में टूर्नामेंटों और प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों की सहभागिता, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से कोचिंग का प्रावधान, अपेक्षित तकनीकी समर्थन सहित बैक-अप, उपस्करों को मुहैया कराना आदि के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता की योजना के माध्यम से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के प्रयासों को पर्याप्त बढ़ावा देकर हॉकी, फुँटबॉल, बालीबॉल, कुश्ती और एथलेटिक्स तथा अन्य प्रमुख खेल विधाओं के संवर्धन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

यह मंत्रालय प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण की योजनाओं तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि के माध्यम से विभिन्न खेल विधाओं के प्रतिभाशाली और शीर्ष खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए समर्थन भी प्रदान कर रहा है। विभिन्न खेल विधाओं की लोकप्रियता और बुनियादी स्तर पर मांग को ध्यान में रखते हुए, भाखेप्रा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण इनपुट अर्थात कोचिंग, उपकरण समर्थन, खेल किट तथा प्रतियोगिता के अवसर आदि प्रदान करके पता लगाए गए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने और प्रतिभा का पता लगाने और उसे पोषित करने के लिए सब-जूनियर, जूनियर तथा सीनियर स्तरों पर विभिन्न योजनाएं चलाता है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना;
2. सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) योजना;
3. भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) योजना;
4. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना; तथा
5. उत्कृष्टता केन्द्र योजना।

भाखेप्रा के प्रयासों के परिणामस्वरूप उसके केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, जो 10वीं योजनावधि के प्रारंभ में 10,000 से कम थी, इस योजनावधि के अंत तक बढ़कर लगभग 13,000 हो गई है। 8 से 25 वर्ष के आयु-वर्ग के खिलाड़ियों को हॉकी (50 केन्द्र), फुटबॉल (61 केन्द्र), बालीबॉल (48 केन्द्र), कुश्ती (29 केन्द्र) और एथलेटिक्स (93 केन्द्र) के अलावा 27 अन्य खेल विधाओं में देश भर के भाखेप्रा केन्द्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न भागों, जिनमें विभिन्न खेल विधाओं के लिए विशेष क्षमता वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, में अत्याधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना और सुविधाओं को स्थापित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसमें 10 केन्द्रों में हॉकी एस्ट्रो टर्फ और 9 केन्द्रों में एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक बिछाना शामिल है। इस समय देश भर में भाखेप्रा के 230 केन्द्र हैं।

मंत्रालय ने व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति का मसौदा भी तैयार किया है जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा युवाओं के एक व्यापक वर्ग को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, संगठित खेलकूद सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने के अवसर सृजित करने के लिए यह मंत्रालय 11वीं योजनावधि के दौरान पंचायत युवा खेल अभियान (पीवाईकेए) नामक योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है।

(ङ) पिछले 2 वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष में, आज की तारीख तक, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर किये गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रु. लाखों में)

योजना का नाम	किया गया व्यय		
	2005-06	2006-07	2007-08 (15 अगस्त 2007 तक)
राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना	3866.92	3222.66	2116.90
प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण की योजना	50.00	280.00	200.00
राष्ट्रीय खेल विकास निधि	48.14	96.10	57.80
भाखेप्रा की योजनाएं	15868.00	13676.00	2007-08 में आवंटित 18300.00

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल

1390. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों के लिए अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाने हेतु कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और देश में ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाले उत्सर्जनों को घटाने हेतु सरकार अथवा निजी भागीदारी से किस परियोजना पर काम किया जा रहा है; और

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं से क्या लाभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। क्योटो प्रोटोकाल ने प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता विकसित देशों (अनुबंध-ख पक्षकार) के लिए अपने ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों का स्तर 1990 के स्तर से वर्ष 2012 तक कम से कम 5.2 प्रतिशत तक घटाने के संबंध में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अनुबंध-ख में निर्दिष्ट अलग-अलग लक्ष्यों में विभिन्नता है अर्थात् जर्मनी और फ्रांस को 1990 के अपने स्तरों से 92 प्रतिशत तथा जापान को 1990 के अपने स्तर से 94 प्रतिशत उत्सर्जन कम करना है।

(ग) और (घ) भारत जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशनंस फ्रेमवर्क (यू एन एफ सी सी सी) के क्योटो प्रोटोकॉल का पक्षकार है और मानकेच अभिसंधि की आवश्यकताओं के अनुसार पात्र स्वच्छ विकास तंत्र को मेजबान देश अनुमोदन अभिसंधि के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र प्राधिकरण स्थापित किया गया है। स्वच्छ विकास तंत्र स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रसारण को प्रोत्साहित करता है। भारत की क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में परियोजनाएं हैं जो निवल ग्रीन हाऊस

गैस उत्सर्जन को कम करती है। इस तारीख तक भारत ने 717 परियोजनाओं को मेजबान देश अनुमोदन सहमति प्रदान की है जिनमें वर्ष 2012 तक 418 मिलियन टन कार्बन-डाईऑक्साइड कम करने की संभावना है, यदि उन सभी को यू एन एफ सी सी सी के स्वच्छ विकास तंत्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इसके अलावा भारत जलवायु परिवर्तन की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम को अपनाकर सतत विकास मार्ग पर चल रहा है उसमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और उन्नत ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऊर्जा क्षमता ब्यूरो स्थापित करना।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

(iii) पावर सैक्टर सुधार तथा सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम।

(iv) परिवहन के लिए स्वच्छतर और न्यून कार्बनयुक्त इंटेंसिव फ्यूल का उपयोग।

(v) ईंधन के स्थान पर स्वच्छतर ऊर्जा का उपयोग।

(vi) वनीकरण और वन संरक्षण।

(vii) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना

(viii) गैस की लौ को कम करना।

(ix) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली को प्रोत्साहित करना।

(x) सभी क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करना।

बाघों की गणना करने हेतु कार्य-प्रणाली

1391. एडवोकेट सुरेश कुरुप:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 में से 15 राज्य बाघों की संख्या के बारे में अपने आरंभिक गणना के आंकड़े नहीं दे पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अपने गणना संबंधी आंकड़े दे दिए हैं और किन-किन राज्यों ने अभी तक अपने आंकड़े नहीं दिए हैं और प्रत्येक राज्य में बाघों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाघों की संख्या के बारे में अधिक सटीक अनुमान देने हेतु कोई वैज्ञानिक कार्य-प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाघों की संख्या के बारे में अंतिम रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी नहीं। बाघ परियोजना (अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा मानकीकृत, परिष्कृत अखिल भारतीय बाघ गणना प्रक्रिया के चरण-1 से संबंधित आंकड़े देश के सभी 17 बाघ रेंज राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं। इस समय केवल चार राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़) से संबंधित बाघ गणना आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया है, जो संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से बाघ परियोजना (अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा एक पायलट अध्ययन के आधार पर अखिल भारतीय बाघ गणना प्रक्रिया को परिष्कृत किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ टास्क फोर्स ने इस प्रक्रिया को अनुमोदित कर दिया है, जिसे बाघों की राष्ट्रीय स्तर की गणना के लिए अपनाया गया है।

(ङ) अखिल भारतीय बाघ गणना से संबंधित अंतिम रिपोर्ट संभवत: दिसम्बर, 2007 तक तैयार हो जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	संख्या अनुमान (संख्या)
1.	राजस्थान	32 (एसई ± 30-35)
2.	मध्य प्रदेश	300 (एसई ± 228-364)
3.	महाराष्ट्र (पश्चिमी घाट संख्या को छोड़कर)	103 (एसई ± 76-131)
4.	छत्तीसगढ़ (इंद्रावती संख्या को छोड़कर)	26 (एसई ± 23-28)

एसई: मानक त्रुटि

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत/रख-रखाव कार्य

1392. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/रख-रखाव सहित विभिन्न परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए आबंटन और खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई राशि लक्ष्य प्राप्ति हेतु पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केंद्र सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राशि में वृद्धि करने का है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही और क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और मरम्मत/रखरखाव कर रहा है जो एक सतत प्रक्रिया है। गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित परियोजनाओं के ब्योरे इस प्रकार हैं:

(करोड़ रु.)

वर्ष	विकास कार्यों का कार्यान्वयन		मरम्मत/अनुरक्षण कार्य
	संख्या	धनराशि	धनराशि
2004-05	64	1348.00	57.50
2005-06	36	1974.00	55.00
2006-07	32*	222.00	44.50

*इसमें राज्यीय सड़क पर एक परियोजना (विशाखापत्तनम पत्तन सड़क संपर्क) शामिल है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आबंटन और व्यय के ब्योरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	विकास कार्यों का कार्यान्वयन		मरम्मत/अनुरक्षण कार्य	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2004-05	888.56	881.73	47.71	33.57
2005-06	296.18	289.95	46.80	46.80
2006-07	665.91	664.30	81.27	73.42

(ग) और (घ) धनराशि का आबंटन चालू कार्यों की प्रगति, स्वीकृत किए जाने वाले नए कार्यों और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। संशोधित प्राक्कलन स्तर पर धनराशि की आवश्यकता की समीक्षा की जाती है।

(ङ) चालू विकास कार्यों और भविष्य में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यों के ब्योरे इस प्रकार हैं:

(धनराशि करोड़ रु.)

	विकास कार्यों का कार्यान्वयन	
	संख्या	धनराशि
चालू कार्य	64	4410.00
स्वीकृत/सौंपे जाने वाले कार्य	33	*

*विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसका कार्य प्रगति पर है, पूरी हो जाने के बाद ही अनुमानित लागत की जानकारी मिलेगी।

[हिन्दी]

भारतीय जी.डी.पी. का घटता मूल्य

1393. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तें जी.डी.पी. का मूल्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान, जर्मनी, यू.के., कनाडा, ब्राजील आदि जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में जी.डी.पी. स्वदेशी संसाधनों के उत्पादन के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम है;

(घ) यदि नहीं, तो मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जी.डी.पी. को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतक डाटाबेस के अनुसार वर्ष 2006 में अमेरिकी डॉलर में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के हिसाब से अमरीका, जापान, जर्मनी, चीन, यू.के., फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन, ब्राजील और रूसी संघ के बाद भारत का 12वां स्थान है। तथापि, उसी स्रोत के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) को क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के हिसाब से मापने पर अमरीका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के अनुसार मापने की तुलना में, सरकारी विनिमय दरों के अनुसार मापने पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि सरकारी विनिमय दरें, उसी प्रकार की वस्तुओं की कीमतों में अंतर को पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं करती।

(ग) और (घ) देश में उत्पादन के कुल अनुमानित मूल्य में से, सकल घरेलू उत्पाद 53.3 प्रतिशत है। मध्यवर्ती उपभोग 46.7 प्रतिशत है।

(ङ) सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में सुधार करने के लिए कुछेक उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं:-कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, आधारभूत ढांचे को बढ़ाना, जैसे विद्युत एवं सड़कें, स्वास्थ्य व शिक्षा; शासन व्यवस्था में सुधार करना और वितरण प्रणाली की कुशलता में वृद्धि करना। सकल घरेलू उत्पाद में सुधार संबंधी रणनीतियों और उपायों का ब्यौरा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अप्रोच पेपर में सूचीबद्ध है जिसे संसदीय पुस्तकालय में रखा गया है।

[अनुवाद]

खेलों में डोपिंग से निपटने हेतु नीति

1394. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान डोपिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद खेलों में डोपिंग से निपटने हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने खेलों में डोपिंग के विरुद्ध कोपेनहेगन उदघोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं तथा खेलों में डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) का गठन किया है जो कि देश में डोपिंग रोधी से संबंधित परीक्षणों के आयोजन, परिणाम प्रबंधन तथा निष्कर्ष कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी है। सरकार ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का भी गठन किया है जो कि वर्तमान में वाडा से मान्यता प्राप्त करने के लिए परिवीक्षाधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानक

1395. श्री सुब्रत बोस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे परमाणु संयंत्रों हेतु क्या सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या ये मानक पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा हेतु एक स्वतंत्र परमाणु संयंत्र निगरानी प्रणाली स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार पुराने रिएक्टरों को बदलने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को हमारे नाभिकीय संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित करने का कार्य सौंपा हुआ है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने इन संयंत्रों के स्थल चयन, डिजायन, गुणवत्ता आश्वासन और परिचालन के लिए सुरक्षा कोड जारी किए हैं। इन कोडों की पुष्टि सुरक्षा गाइडों द्वारा की जाती है जो इन कोडों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में मार्गदर्शन करती हैं। कोडों से संबंधित आवश्यकताओं के विभिन्न

पहलुओं को डील करने वाली कई सुरक्षा गाइड भी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा जारी की गई हैं। इन कोडों और गाइडों को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत परमाणु विद्युत संयंत्रों के परिचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है। इससे हमारे परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा को निरंतर बढ़ाना सुनिश्चित होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार ने 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) का गठन देश में नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित सभी गतिविधियों जिनमें परमाणु विद्युत संयंत्र भी शामिल हैं, के लिए नियामक और सुरक्षा प्रकार्य क्रियान्वित करने के लिए किया था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड इन प्रकार्यों को प्रभावी और स्वतंत्र तरीके से कर रहा है।

(च) जी, नहीं। भारत में ऐसा कोई रिएक्टर नहीं है जिसे पुराना कहा जा सके।

(छ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला ब्लाकों की नीलामी

1396. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों को कोयला ब्लाकों की नीलामी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीलामी की वजह से विद्युत क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला क्षेत्र में अपनी प्राथमिक स्थिति गंवानी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्राथमिक स्थिति को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोयला ब्लाकों की नीलामी में उन कंपनियों को मूल्य प्राथमिकता देने का है जो उन राज्यों में भूमि प्रयोग सुविधाएं स्थापित करने को इच्छुक हैं जहां उक्त ब्लाक अवस्थित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (च) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन हेतु प्रतियोगी बोली की पद्धति करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाना

1397. श्री वी. के ठुम्मर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बामनबोर और जैतपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या जूनागढ़ के ऊना सिटी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइपास रोड बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 8बी की बामनबोर (216 कि.मी.) से जैतपुर (117 कि. मी) खंड की कुल लंबाई 99 कि.मी है। इसमें से 63 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है और इसे मार्च, 2008 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) वार्षिक योजना 2007-08 में राष्ट्रीय राजमार्ग 8ई पर ऊना बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है। गुजरात सरकार से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सी.एस.एम.ए. कार्ड धारक

1398. श्री बसुदेव आचार्य: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. कार्डधारकों को दी जा रही सुविधाएं सेन्ट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेन्डेंस (सी.एस.एम.ए.)नियम, 1944 कार्डधारकों को प्राप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे देश में सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को, जहां वे रह रहे हैं उस शहर में सीजीएचएस की सुविधा मुहैया कराने के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी किए जाते हैं। सीजीएचएस की सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें अंशदान देना पड़ता है। सीएस (एमए) नियम, 1944 केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए हैं जो सीजीएचएस द्वारा कवर न किए गए स्थानों/शहरों में रहते हैं। इन नियमों के तहत लाभ उठाने के लिए, उन्हें अपने वेतन में से काई अंशदान देने की आवश्यकता नहीं होती है। सी.एस. (एमए) नियम, 1944 के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों को कोई कार्ड जारी नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) मार्च-अप्रैल, 2004 के दौरान, सरकार ने सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए शहरों से विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नई दरें निर्धारित करने और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध करने लिए निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में विभिन्न चिकित्सीय/जांच प्रक्रियाओं के लिए भुगतान की जाने वाली दरों को, सीजीएचएस, दिल्ली के लिए 1 नवम्बर, 2006 को और अन्य राज्यों के संबंध में जून, 2007 को संशोधित कर दिया गया है। यह संशोधन अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया गया।

निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया इस समय चल रही है और कोई भी पात्र अस्पताल/नैदानिक केन्द्र किसी भी समय सूची में आने के लिए आवेदन कर सकता है, इससे लाभार्थियों को अस्पताली सुविधाओं की उपलब्धता के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1399. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित व संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) परिचालनरत परमाणु विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

	यूनिट	रिएक्टर का प्रकार	क्षमता (मेगावाट-ई)	वाणिज्यिक प्रचालन
1	2	3	4	
I.	महाराष्ट्र			
1.	तारापुर परमाणु बिजलीघर (टीएपीएस)-1 और 2	बीडब्ल्युआर	2×160	28.10.1969
2.	टीएपीएस-3	पीएचडब्ल्युआर	540	18.08.2006
	टीएपीएस-4	पीएचडब्ल्युआर	540	12.09.2005
II.	गुजरात			
1.	ककरापार परमाणु बिजलीघर (केएपीएस)-1	पीएचडब्ल्युआर	220	06.05.1993
2.	केएपीएस-2	पीएचडब्ल्युआर	220	01.09.1995

1		2	3	4
III. राजस्थान				
1.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस)-1	पीएचडब्ल्युआर	100	16.12.1973
2.	आरएपीएस-2	पीएचडब्ल्युआर	200	01.04.1981
3.	आरएपीएस-3	पीएचडब्ल्युआर	220	01.06.2000
4.	आरएपीएस-4	पीएचडब्ल्युआर	220	23.12.2000
IV. उत्तर प्रदेश				
1.	नरोरा परमाणु बिजलीघर (एनएपीएस)-1	पीएचडब्ल्युआर	220	01.01.1991
2.	एन ए पी एस-2	पीएचडब्ल्युआर	220	01.07.1992
V. कर्नाटक				
1.	कैगा परमाणु विद्युत परियोजना (केएपीपी)-1	पीएचडब्ल्युआर	220	16.11.2000
2.	केएपीपी-2	पीएचडब्ल्युआर	220	16.03.2000
3.	केएपीपी-3	पीएचडब्ल्युआर	220	06.05.2007
VI. तमिलनाडु				
1.	मद्रास परमाणु बिजलीघर (एमएपीएस)-1	पीएचडब्ल्युआर	220	27.01.1984
2.	एमएपीएस-2	पीएचडब्ल्युआर	220	21.05.1986

(ख) इस समय निर्माणाधीन (राज्यवार) परमाणु विद्युत रिएक्टरों का और उनके अनुमानत: पूरा होने संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं:

रिएक्टर/स्थान	क्षमता (मेगावाट-ई)	अनुमानत: वाणिज्यिक प्रचालन	
कर्नाटक			
कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-4	1 × 200	यूनिट-4	2008
राजस्थान			
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना	2 × 200	यूनिट-5	2007
यूनिट-5 और 6		यूनिट-6	2008
तमिलनाडु			
कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना	2 × 1000	यूनिट-1	2008
यूनिट-1 और 2		यूनिट-2	2009
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर)	1 × 500		2011

ग्याहरवीं योजना में आयात के आधार पर 5600 मेगावाट-ई की कुल क्षमता के आठ स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों और 10,000 मेगावाट-ई की कुल क्षमता के दस सारधारण पानी रिएक्टरों पर कार्य करना प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने गुजरात में ककरापार और राजस्थान में रावतभाटा दोनों जगह पर 2 × 700 मेगावाट-ई क्षमता के दाबित भारी पानी रिएक्टर स्थापित करने के लिए और तमिलनाडु में कुडनकुलम तथा महाराष्ट्र में जैतापुर में दोनों जगह पर 2 × 1000 मेगावाट-ई साधारण पानी रिएक्टर स्थापित करने के लिए स्थलों हेतु 'सिद्धांत:' अनुमोदन दे दिया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा

1400. श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) वर्ष 2007-2008 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) चालू वर्ष हेतु इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मंत्री जी ने 5 जून, 2007 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा की थी। इस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे, जो निम्नवत हैं-

- अपर सचिव (इस समय रिक्त) के स्तर के एक मिशन डायरेक्टर को शीघ्र तैनात किया जाएगा,
- निधि उपयोगिता के लिए विशेष प्रबन्ध से संबंधित व्यय विभाग द्वारा उठाया गया मुद्दा जांच एवं समाधान के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ उठाया जाएगा,
- केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की एक बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी जिसमें दो विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा- (क) एन आर एच एम का कार्यान्वयन (ख) क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए विनियामक ऐजेंसियों का सुधार,
- संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न मंत्रालय द्वारा सुझाई गई मिशन की मध्यावधि अर्थात दिसम्बर, 2008 के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन कर दिया गया।

(ग) राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्यवार वर्तमान स्थिति विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान एनआरएचएम के तहत सभी राज्यों को 8980.7 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ङ) वर्ष 2007-08 के लिए मिशन के तहत निष्कर्ष विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

मॉनीटर किए जाने योग्य सूचक 2008

- विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों और सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 की आबादी/वृहत निवास क्षेत्र के लिए कुल आशाओं में से 50 प्रतिशत आशाएं कार्यरत, प्रशिक्षित और औषध किटों से लैस हैं।
- सभी उपकेन्द्र (लगभग 1.50 लाख) पूरी तरह कार्य कर रहे हैं और 30 प्रतिशत (30,000) दो ए एन एम की सहायता से दवाओं सहित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- 10,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (कुल का 30 प्रतिशत) 3 स्टाफ नर्सों की सहायता से सातों दिन चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- 2000 खंड स्तरीय अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) अंतरंग रोगी संबंधी व्यवस्थाओं से सातों दिन चौबीस घंटे अस्पताल संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- 200 जिला अस्पतालों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुदृढ़ किया गया है।
- कम से कम 50 प्रतिशत खण्ड स्तरीय अस्पताल में कार्यपरक अस्पताल विकास समितियां हैं।
- देश के कम से कम 50 प्रतिशत जिलों द्वारा जिला स्वास्थ्य कार्रवाई योजनाएं तैयार की जानी हैं।

- प्रत्येक उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को असंबद्ध (अनटाइड) अनुदान और वार्षिक अनुरक्षण अनुदान रूप से जारी किए जाते हैं और उनका उपयोग स्थानीय स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए किया जाता है।
- 300 जिलों में सचल चिकित्सा एकक पूरी तरह कार्य कर रहे हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार

क्रम	कार्यक्रम बिंदु		कुल	(10) अधिक ध्यान दिए जाने वाले गैर-पूर्वोत्तर राज्य	(8) अधिक ध्यान दिए जाने वाले पूर्वोत्तर राज्य	(10) अधिक ध्यान न दिए जाने वाले बड़े राज्य	(7) अधिक ध्यान न दिए जाने वाले छोटे राज्य व संघ क्षेत्र
1	2		3	4	5	6	7
1.	गठित एवं संचालित वीएचएससी की संख्या		32536	14037	0	18407	92
2.	पंजीकृत की गई रोगी कल्याण	जिला अस्पताल	494	202	84	201	7
	समितियों की संख्या	सा.स्वा.केन्द्र	3134	1297	165	1661	11
		प्रा. स्वा. केन्द्र	8343	3445	1092	3774	32
3.	चयन की गई आशा की संख्या	2005-06	129041	119983	9058	0	0
	(जनजातीय क्षेत्रों में चुनी जाने	2006-07	302708	262057	31122	9529	0
	वाली आशा शामिल है)	2007-08	0	0	0	0	0
		कुल	431749	382040	40180	9529	0
4	चयन की गई आशा के अलावा लिंक	2005-06	0	0	0	0	0
	कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2006-07	91013	30655	0	60358	0
		2007-08	0	0	0	0	0
5	राज्य में आयोजित हुए मासिक स्वास्थ्य	2006-07	1954718	973145	21570	959307	696
	दिवसों की कुल संख्या	2007-08	35254	0	0	35234	20
6	ऐसे उप केन्द्रों की कुल संख्या जहां संयुक्त लेखा संचालित हो गया है		103003	45471	6346	50959	227
7	अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों वाले उप-केन्द्रों की संख्या		6915	2376	2240	2116	183
8	24x7 के आधार पर कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या		6805	1950	586	4192	97
9	ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या जहां 3 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं		2719	474	248	1966	31
10	आईपीएचएस में उन्नयन हेतु चयनित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या		2783	1304	222	1243	14

1	2		3	4	5	6	7
11	ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है		2079	867	211	989	12
12.	प्रथम रेफरल यूनिटों में उन्नयनित किए गए एसडीएच केन्द्रों की कुल संख्या		700	113	33	533	21
		सा. स्वा. केन्द्र	736	296	54	375	11
		प्रा. स्वा. केन्द्र	49	20	10	19	0
13	2007-08 के दौरान अनुबंध आधार पर नियुक्त की गई जनशक्ति की संख्या	विशेषज्ञ	3163	2139	1	1013	10
		चिकित्सक	3673	2517	34	967	155
		एस एन	8661	3453	6	5185	17
		ए.एन.एम.	15643	12219	110	2767	547
		अन्य	2052	967	9	1048	28

अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्य–पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं	कार्यकलाप बिन्दु		कुल	झारखंड	मध्य प्रदेश	राजस्थान	बिहार	उत्तरांचल	छत्तीसगढ़	उत्तर प्रदेश	उड़ीसा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	गठित एवं संचालित कोएक्सस की संख्या		14037	7249						0	0		6788
2.	पंजीकृत की गई ग्रेमी कल्याण समितियों की संख्या	जिला अस्पताल	202	15	48	28	5	14	15	22	30	12	13
		सा.स्वा. केन्द्र	1297	138	257	395	29	0	128	0	307	12	80
		प्रा.स्वा.केन्द्र	3465	179	870	1473	91	0	497	0	0	2	333
3.	चयन की गई आशा की संख्या (जनजातीय क्षेत्रों में चुनी जाने वाली आशा शामिल है)	2005-06	119983	2086	16090	20765	39468	4104	5030	19887	12730	0	2773
		2006-07	262057	12722	19597	14681	41355	4592	24407	104469	33516	0	6727
		2007-08	0										
		कुल	382040	14818	35577	3546	77844	8696	29437	124356	46246	0	9500
4.	चयन की गई आशा के अलावा लिंक कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2005-06	0										
		2006-07	30855	0	0	0	0	0	30855	0	0	0	0
		2007-08	0										
5.	कल्प में आवंटित हुए मासिक स्वास्थ्य दिवसों की कुल संख्या	2006-07	973145	13818	88576	559443	0	0	191341	0	73366	27835	19576
		2007-08	0	0									
6.	ऐसे उप केन्द्रों की कुल संख्या जहां संयुक्त लेखा संचालित हो गया है		45471	2125	8134	10363	0	1560	4692	8886	6090	2071	1750
7.	अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों वाले उप-केन्द्रों की संख्या		2376	0	542	1648	0	0	15	0	171	0	0

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	24x7 के आधार पर कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या		1950	0	326	603	426	23	192	25	0	95	60
9.	ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या जहां 3 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं		474	0	378	43	0	23	0	0	0	0	30
10.	अहर्तादायक में उन्नयन हेतु चयनित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या		1304	60	95	325	65	26	113	164	348	35	70
11.	ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है		857	18	0	260	65	26	113	169	128	15	42
12.	प्रथम रेफरल यूनिटों में उन्नयनित किए गए केन्द्रों की कुल संख्या	एसडीएच	113	0	31	0	0	7	0	0	18	15	42
		सा. स्वा. केन्द्र	236	0	92	0	0	5	64	24	51	32	28
		प्र. स्वा. केन्द्र	20	0	0	0	0	0	0	0	18	2	0
13.	2007-08 के दौरान अनुमोदन आधार पर नियुक्त की गई चिकित्सीय की संख्या	विशेषज्ञ	2139	0	70	0	1825	0	231	0	0	13	0
		चिकित्सक	2517	0	204	721	0	0	1477	75	0	0	40
		एमएस	3453	0	460	1476	0	55	714	507	15	125	80
		एएनएम	12219	0	1102	2876	1092	13	4725	2119	171	71	50
		अन्य	957	0	13	581	0	1	0	94	2	206	70

अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्य–पूर्वोत्तर राज्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं	कार्यक्रम बिन्दु		कुल	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	मेघालय	त्रिपुरा
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गठित एवं संचालित कोरअसमी की संख्या		0								
2.	संचालित की गई कोर कल्याण समितियों की संख्या	जिला अस्पताल	84	21	13	7	8	11	4	7	13
		सा.स्वा.केन्द्र	165	93	28	16	0	0	0	28	10
		प्र.स्वा.केन्द्र	1092	780	67	72	0	0	0	99	74
3.	चयन की गई आशा की संख्या (जनजातीय क्षेत्रों में चुने जाने वाली आशा सहित है)	2005-06	9058	9058	0	0	0	0	0	0	0
		2006-07	31122	16342	2782	2840	737	1309	450	5438	1224
		2007-08	0								
		कुल	40180	25400	2782	2840	737	1309	450	5438	1224
4.	चयन की गई आशा के अलावा लिंक कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0								
5.	ब्लॉक में आवंटित हुए मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिकों की कुल संख्या	2006-07	21570	14942	28	516	0	0	0	2668	3426
		2007-08	0								

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ऐसे उप केन्द्रों की कुल संख्या जहां संयुक्त लेखा संचालित होगया है		6346	4692	149	164	355	397	147	0	531
7.	अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों वाले उप-केन्द्रों की संख्या		2240	1694	50	190	160	28	0	0	98
8.	24x7 के आधार पर कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या		566	272	50	20	95	28	24	24	52
9.	ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या जहां 3 स्टाफ कार्यरत हैं		248	149	0	7	52	0	0	6	34
10.	आईपीएचएस में उन्नयन हेतु चयनित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या		222	103	31	14	9	28	4	24	9
11.	ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है		211	93	27	16	9	28	4	24	10
12.	प्रथम रेफरल यूनिटों में उन्नयनित किए गए केन्द्रों की कुल संख्या	एसडीएच	33	2	11	0	2	11	0	3	4
		सा.स्वा.केन्द्र	54	29	2	0	18	0	4	1	0
		प्रा.स्वा.केन्द्र	10	2	0	0	8	0	0	0	0
13.	2007-08 के दौरान अनुबंध आधार पर नियुक्त की गई जनशक्ति की संख्या	विशेषज्ञ	1	0	0	0	0	1	0	0	0
		चिकित्सक	34	0	0	0	0	34	0	0	0
		एस.एन	6	0	0	0	0	6	0	0	0
		एएनएम	110	0	0	0	0	110	0	0	0
		अन्य	9	0	0	0	0	9	0	0	0

अधिक ध्यान न केन्द्रित किए जाने वाले राज्य–बड़े
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं	कार्रवाई बिन्दु		कुल	पंजाब	हरियाणा	आंध्र प्रदेश	प. बंगाल	गोवा	कर्नाटक	गुजरात	तमिलनाडु	महाराष्ट्र	केरल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गठित एवं संचालित वीएचएससी की संख्या		18407	0	3189		0		15218		0		
2	पंजीकृत की गई रोगी कल्याण समितियों की संख्या	जिला अस्पताल	201	20	45	18	15	2	23	23	29	26	0
		सा.स्वा.केन्द्र	1651	0	85	167	346	2	184	255	365	236	0
		प्रा.स्वा.केन्द्र	3774	0	414	1397	922	5	0	0	1035	0	0
3	चयन की गई आशा की संख्या (जनजातीय क्षेत्रों में चुनी जाने वाली आशा शामिल है)	2005-06	0			0			0	0	0	0	
		2006-07	9529			8500			0	1029	0	0	
		2007-08									0		
		कुल	9529		0	8500	0	0	0	1029	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	वर्ष को गई आशा के अलावा लिंक कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2005-06	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006-07	60558		6986	51281	2111	0	0	0	0	0	0
		2007-08								0			
5	वर्ष में आयोजित हुए मासिक स्वास्थ्य दिवसों की कुल संख्या	2006-07	959307	0	4677	432870	1875	0	82443	315334	0	122080	18
		2007-08	35234		0	0			35221	0		0	13
6	ऐसे उप केन्द्रों की कुल संख्या जहां संयुक्त लेखा संपादित हो गया है		50859	2658	2321	12230	10356	0	7061	622	8706	9883	0
7	अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों वाले उप-केन्द्रों की संख्या		2116	0	2116	0	0	0	0	0	0	0	0
8	24x7 के आधार पर कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या		4192	155	453	800	157	39	339	337	1140	307	394
9	ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या जहां 3 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं		1988	0	3	800	341	19	23	0	780	0	0
10	आईपीएचएस में उन्नयन हेतु चयनित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या		1243	116	41	92	33	5	54	273	409	105	115
11	ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है		989	0	65	120	211	5	54	273	20	105	115
12	प्रथम रेफरल यूनिटों में उन्नयनित किए गए केन्द्रों की कुल संख्या	एसडीएच	533	55	62	188	30	2	0	31	132	53	0
		सा.स्वा.केन्द्र	375	77	45	165	0	0	0	21	0	65	0
		प्रा.स्वा.केन्द्र	19	5	6	8	0	0	0	0	0	0	0
13	2007-08 के दौरान अनुबंध आधार पर नियुक्त की गई जनशक्ति की संख्या	विशेषज्ञ	1013	0	16	92	115	3	0	742	0	32	13
		चिकित्सक	957	2	2	77	0	9	76	317	0	0	484
		एल एच	5165	24	172	1097	0	4	324	355	2278	0	911
		एएनएम	2767	0	1585	0	0	12	121	666	0	383	0
		अन्य	1048	0	22	0	150	0	54	822	0	0	0

अधिक ध्यान न केन्द्रित किए जाने वाले राज्य–छोटे एवं संघ क्षेत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं	कार्यकलाप बिन्दु		कुल	दमन व दीव	दादर एवं नगर हवेली	चंडीगढ़	दिल्ली	अंडमान व नि. द्वीपसमूह	पांडिचेरी	लक्षद्वीप
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गठित एवं संचालित वीएचएसएनसी की संख्या		92						92	
2.	पंजीकृत की गई रोगी कल्याण समितियों की संख्या	जिला अस्पताल	7	2	1	0	0	2	0	2
		सा.स्वा.केन्द्र	11	0	0	0	0	4	4	3
		प्रा.स्वा.केन्द्र	32	3	0	0	0	0	25	4

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
3.	चयन की गई आशा की संख्या		2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0
	(जनजातीय क्षेत्रों में चुनी जाने		2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0
	वाली आशा शामिल है)		2007-08	0							
			कुल	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	चयन की गई आशा के अलावा लिंक कार्यकर्ताओं की कुल संख्या		2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0
			2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0
			2007-08	0							
5.	राज्य में आयोजित हुए मासिक स्वास्थ्य दिवसों की कुल संख्या		2006-07	696	23	346	242	0	0	9	76
			2007-08	20		20					
6.	ऐसे उप केन्द्रों की कुल संख्या जहां संयुक्त लेखा संचालित हो गया है			227	21	0	13	0	102	77	14
7.	अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों वाले उप-केन्द्रों की संख्या			183	4	7	13	41	31	73	14
8.	24x7 के आधार पर कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या			97	6	6	0	3	13	57	12
9.	ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या जहां 3 स्टाफ नर्स कार्यरत है			31	1	0	0	8	14	8	0
10.	आईपीएचएस में उन्नयन हेतु चयनित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या			14	1	1	2	0	4	3	3
11.	ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है			12	1	1	2	0	4	4	0
12.	प्रथम रेफरल यूनिटों में	एसडीएच		21	0	0	0	20	0	0	1
	उन्नयित किए गए	सा. स्वा. केन्द्र		11	1	1	2	0	0	4	3
	केन्द्रों की कुल संख्या	प्र. स्वा. केन्द्र		0	0	0	0	0	0	0	0
13.	2007-08 के दौरान अनुबंध	विशेषज्ञ		10	4	1	0	0	0	5	0
	आधार पर नियुक्त की गई	चिकित्सक		155	0	0	0	150	0	2	3
	जनशक्ति की संख्या	एस एन		17	0	8	0	0	0	9	0
		ए एन एम		547	6	7	30	396	31	77	0
		अन्य		28	0	0	10	13	0	5	0

नई खेल नीति

1401. **श्री अमिताभ नन्दी:**
श्री नवीन जिन्दल:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई खेल नीति बनायी जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से नई नीति लाने की आवश्यकता पड़ रही है;

(ग) क्या पिछली खेल नीतियां वांछित परिणाम देने में विफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। मंत्रिमंडल के अनुरोध पर मंत्रालय ने एक व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति का मसौदा तैयार किया है और इसे 26 जुलाई, 2007 से वेबसाइट पर डाल दिया है। स्वामित्वधारियों के साथ परामर्श किया जा रहा है और परामर्श को ध्यान में रखते हुए मसौदे में संशोधन करने के बाद एक अंतिम मसौदा मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे अधिकतर बच्चों, किशोरों और युवाओं को संगठित खेलकूद उपलब्ध नहीं है, वर्ष 2006 में गांधी जयंती पर संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम अपनाया गया जिसका राष्ट्रीय उद्देश्य 'सभी के लिए खेल' है। मसौदे में इस कमी को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रावधान है। 'खेलों में उत्कृष्टता' के दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति के रास्ते में आने वाली कमियों का पता लगा लिया गया है और 'खेलों में उत्कृष्टता' हासिल करने के लिए' सभी के लिए खेल' प्रस्तावित है। सांविधानिक, विधायी और संस्थागत उपायों का पता लगाया गया है और इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों पर सुझाव दिए गए।

(ग) और (घ) मसौदा दर्शाता है कि 35 वर्ष से कम आयु की अनुमानित 77 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 72 करोड़ को संगठित खेलकूद उपलब्ध नहीं है, इससे यह पता चलता है कि पूर्व की खेल नीतियां सभी के लिए खेल के संवर्धन में सफल नहीं हुई हैं। दूसरे जहां तक खेलों में उत्कृष्टता का संबंध है, मसौदा दर्शाता है कि ओलंपिक और अन्य खेल विधाओं में हमारे प्रदर्शन अधिकतर देशों से पीछे हैं इसलिए पूर्व नीतियों में संशोधन की आवश्यकता है जिनकी वजह से हम खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में पीछे रह गए हैं तीसरे चिन्हित कमियों को दूर करने की प्रक्रिया दर्शाती है कि सांविधानिक, विधायी और संस्थागत तरीके अपनाए जाने की आवश्यकता है। मसौदा इन तीन स्तंभों पर तैयार किया गया है:-

- सभी के लिए खेल
- खेलों में उत्कृष्टता; और
- सांविधानिक, विधायी और संस्थागत उपाय।

[हिन्दी]

परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नीति

1402. श्री तुकाराम गणपत राव रेंगे पाटील:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन मंत्रालयों का नाम क्या हैं जिनसे ये परियोजनाएं संबंधित हैं;

(ग) अब तक पिछले वित्तीय वर्ष तक परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो तय समय-सीमा से दस वर्षों से अधिक पीछे चल रही हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय परियोजनाओं की अनुमोदित लागत एवं समय अनुसूची को ध्यान में रखते हुए प्रबोधन की फ्लैश रिपोर्ट प्रणाली के माध्यम से 100 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की सभी परियोजनाओं का प्रबोधन करता है तथा कार्यान्वयन के दौरान समय एवं लागत वृद्धि को रोकन के लिए विभिन्न उपयों का सुझाव देता है।

(ख) और (ग) दसवीं योजनावधि (अप्रैल, 2002-मार्च, 2007) के दौरान, 100 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक लागत वाली 156 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य था। इन परियोजनाओं का (क्षेत्र-वार) ब्यौरा, लागत, संचयी व्यय, अनुमोदित एवं प्रत्याशित समापन तिथि सहित संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इनमें से तीन परियोजनाएं जिन्हें दसवीं योजना में पूरा किए जाने का लक्ष्य था, 10 से भी अधिक वर्ष पीछे चल रही हैं। इन परियोजनाओं का (क्षेत्र-वार) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

100 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं जिन्हें 10वीं योजना के दौरान पूरा करने का लक्ष्य था

क्रम सं	परियोजना [एजेंसी]	लागत (करोड़ रु.) (अद्यतन अनुमोदन)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु.)	चालू होने की तारीख मूल (अद्यतन अनुमोदन)	चालू होने की प्रत्याशित तारीख	सृजित किया गया अंतिम व्यय (करोड़ रु.)	की स्थिति* के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
परमाणु ऊर्जा							
1.	तारापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, तारापुर महाराष्ट्र [न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	3447.06 (6421.00)	6525.00	1/2007 1/2007	9/2008	5687.00	पूर्ण 2006-07 की दूसरी तिमाही
नागर विमानन							
2.	विशाखापट्टनम हवाई अड्डे का विकास [एयरपोर्ट एथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड]	191.52 (191.52)	191.52	12/2005 12/2005	3/2007	158.00	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
कोयला							
3.	चूकी-बलिहारी यूजी (बीसीसीएल) [भारत कुकिंग कोल लिमिटेड]	199.87 (199.87)	182.60	3/1994 3/2000	9/2007	178.08	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
4.	झारखंड ओसी (सीसीएल) [सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड]	110.89 (110.89)	110.89	3/2004 3/2004	4/2004	62.46	पूर्ण 2004-05 की पहली तिमाही
5.	सत्ग्राम यूजी (ईसीएल) [ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड]	26.37 (118.87)	118.87	3/1989 3/2003	3/2003	109.32	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
6.	दुधीचुआ (एनसीएल) [नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड]	868.93 (1281.39)	1281.39	3/1998 3/2004	4/2004	1236.93	पूर्ण 2004-05 की पहली तिमाही
7.	निगाही ओसी विस्तार (एनसीएल) [नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड]	1846.49 (1846.49)	1846.49	3/2004 3/2004	4/2004	1423.44	पूर्ण 2004-05 की पहली तिमाही
8.	टीपीएस-I विस्तार (एनसीएल) [नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन]	1590.58 (1420.27)	1423.47	3/2001 5/2002	12/2003	1185.98	पूर्ण 2003-04 की दूसरी तिमाही
9.	खन-I (एनएलसी) [नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन]	1032.81 (1032.81)	1015.74	3/2003 3/2003	3/2003	774.97	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
10.	खन-I का विस्तार (एनएलसी) [नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन]	1336.93 (1658.39)	1667.76	10/1996 4/2003	4/2003	1475.45	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
11.	रविन्द्रखनी न्यू टेक यूजी (एससीसीएल) [सिंगरौनी कोइलरी कंपनी लिमिटेड]	242.95 (33.82)	33.82	3/2003 3/2003	3/2003	23.72	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
उर्वरक							
12.	नामरूप संयंत्र पुनरुद्धार (बीसीएफसी) (एचएफसी) [ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम]	350.00 (509.40)	610.24	5/2001 2/2002	10/2005	525.47	पूर्ण 2005-06 की तिसरी तिमाही
खान							
13.	स्मैलटरन एवं सीपीपी की क्षमता का विस्तार [नैशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड(नाल्को)]	2061.98 (2061.98)	2061.98	5/2002 5/2002	9/2004	1593.05	पूर्ण 2004-05 की दूसरी तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	केपटिव विद्युत संयंत्र की 8वीं इकाई का संस्थापन [नैशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)]	480.00 (480.00)	480.00	2/2004 2/2004	2/2004	288.98	पूर्ण 2003-04 की चौथी तिमाही
इस्पात							
15.	10/11ए बेसडिस्त डिवेंचिट (एनएमडीसी) [राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी)]	430.50 [430.50]	449.02	8/1999 8/1999	11/2002	327.29	पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
16.	कोरेफ-7 का तकनीकी उन्नयन [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)]	170.41 [170.41]	170.41	1/2006 1/2006	2/2007	118.46	पूर्ण 2006-08 की चौथी तिमाही
17.	ब्लास्ट फर्नेस-4 की मरम्मत [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)]	95.64 [95.64]	118.32	10/2005 10/2005	8/2005 00	104.89	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
18.	आर एंड एस मिल में स्लॉग रेल सुविधा [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)]	320.00 [320.00]	320.00	8/2004 8/2004	8/2004	197.03	पूर्ण 2004-05 की पहली तिमाही
पेट्रोलियम							
19.	रिफाइनरी आधुनिकीकरण (सीपीसीएल) [भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड]	1592.65 [1592.65]	1631.00	9/2003 9/2003	7/2005	1557.97	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
20.	रिफाइनरी विस्तार एवं आधु. परियोजना (सीपीसीएल) [भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड]	2360.38 [2360.38]	2360.38	7/2003 7/2003	7/2004	2107.87	पूर्ण 2004-05 की दूसरी तिमाही
21.	एचबीजे पाईपलाइन उन्नयन परियोजना-पीएचआई (गेल) [गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड]	2936.00 [2936.00]	2306.00	9/2004 9/2004	4/2004	2087.81	पूर्ण 2004-05 की पहली तिमाही
22.	विशाख-सिकंदराबाद एलपीजी (गेल) [गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड]	480.65 [480.65]	463.26	8/2003 8/2003	5/2004	415.44	पूर्ण 2004-05 की पहली तिमाही
23.	एकीकृत पैक-नाफ्तिन (आईओसीएल) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	4228.00 [5104.00]	4562.00	8/2005 8/2005	8/2008	3746.00	पूर्ण 2006-07 की दूसरी तिमाही
24.	पानीपत रिफाइनरी विस्तार (आईओसीएल) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	3365.00 [4165.00]	4354.00	1/2005 1/2005	8/2008	3543.00	पूर्ण 2006-07 की दूसरी तिमाही
25.	डीहल्दाडीटी एवं एमएसयू परियोजनाए मथुरा रिफाइनरी (आईओसीएल)[इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	1483.00 [1483.00]	1808.00	8/2004 8/2004	6/2005	1257.47	पूर्ण 2005-06 की पहली तिमाही
26.	सीनियर अल्काईल बेनजीन (आई ओ सी एल) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	1248.00 [1248.00]	1202.00	3/2004 3/2004	8/2004	1073.94	पूर्ण 2004-05 की दूसरी तिमाही
27.	कोयलारी-पीरपमा-सिद्धपुर उत्प्रेरण पाईपलाइन संवर्धन गुजरात (आईओसीएल) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	119.01 [119.01]	61.50	7/2003 7/2003	10/2003	58.73	पूर्ण 2003-04 की तीसरी तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	डिगबोई रिफाइनरी में हाइड्रोट्रीटर (आईओसीएल) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	343.00 [343.00]	384.00	5/2002 5/2002	2/2004	354.15	पूर्ण 2003-04 की तीसरी तिमाही
29.	एसएस की पीरंगम पाईपलाइन का संवर्धन (आईओसी) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	329.05 [329.05]	134.00	3/2003 3/2003	7/2003	122.15	पूर्ण 2003-04 की दूसरी तिमाही
30.	न्यू सॉल्वे डीवैक्सिंग इकाई (आईओसी), डिगबोई [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	419.00 [419.00]	432.00	11/2002 11/2002	6/2003	367.75	पूर्ण 2003-04 की पहली तिमाही
31.	ईआरआईपी, पारादीप (आईओसी) के लिए पीओएल टर्मिनल का निर्माण [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	569.00 [569.00]	569.00	5/2003 5/2003	उन.	14.77	अवरुद्ध 2002-03 की चौथी तिमाही
32.	कैटालिटिक डीवैक्सिंग इकाई, हल्दिया (आईओसी) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	422.00 [422.00]	409.00	5/2003 5/2003	3/2003	367.66	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
33.	गुवाहाटी (आईओसी) में हाइड्रोट्रीटिंग संयंत्र [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	497.00 [497.00]	541.00	5/2002 5/2002	12/2002	506.90	पूर्ण 2002-03 की तीसरी तिमाही
34.	बरौनी रिफाइनरी विस्तार (आईओसी) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	1803.00 [1803.00]	1983.00	5/2002 5/2002	12/2002	1532.16	पूर्ण 2002-03 की तीसरी तिमाही
35.	एचबीसीपीएल का संवर्धन (आईओसी) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	472.00 [472.00]	288.00	2/2002 2/2002	8/2002	282.05	पूर्ण 2002-03 की पहली तिमाही
36.	आईओआर-लखमनी (ओएनजीसीएल) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	345.10 [345.10]	429.38	3/2007 3/2007	3/2010	237.74	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
37.	आईओआर जैलिकी (ओएनजीसीएल) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	390.09 [390.09]	834.90	3/2007 3/2007	3/2011	344.08	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
38.	आईओआर रूपसागर (ओएनजीसीएल) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	113.90 [113.90]	219.22	3/2006 3/2006	3/2009	122.78	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
39.	मुंबई हाई नार्थ डेव. (ओएनजीसीएल) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	2929.40 [2929.40]	3239.43	12/2005 12/2005	12/2006	3130.00	पूर्ण 2006-07 की दूसरी तिमाही
40.	आईओआर योजना नीलम (ओएनजीसीएल) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	347.69 [347.69]	347.69	7/2003 7/2003	7/2005	299.77	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
41.	आईओआर गंधार (ओएनजीसीएल) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	609.44 [609.44]	692.45	3/2004 3/2004	6/2005	546.43	पूर्ण 2006;07 की पहली तिमाही
42.	अतिरिक्त विकास हीरा एवं दक्षिण हीरा (ओएनजीसी) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	309.08 [309.08]	309.08	1/2004 1/2004	11/2002	123.27	पूर्ण 2002-03 की तीसरी तिमाही
43.	अतिरिक्त कम्प्रैसर (ओएनजीसीएल) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	177.64 [177.64]	177.64	4/2002 4/2002	4/2002	212.49	पूर्ण 2002-03 की पहली तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	पोचमपाड-कोटा पाईपलाइन परियोजना [गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड]	299.84 [299.84]	241.00	12/2006 12/2006	1/2007	117.33	पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
45.	जगदीश-पैगमपुर पाईपलाइन [गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड]	194.82 [194.82]	151.19	10/2006 10/2006	3/2007	89.89	पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
46.	कैलास-मालनपुर पाईपलाइन [गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड]	104.73 [104.73]	104.73	7/2006 7/2006	7/2006	70.17	पूर्ण 2006-07 की दूसरी तिमाही
47.	धुलेटी-फूलपुर पाईपलाइन परियोजना (गेल) [गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड]	220.00 [220.00]	155.00	4/2006 4/2006	5/2006	118.26	पूर्ण 2006-07 की दूसरी तिमाही
48.	गुजरात में एमएस गुणवत्ता उन्नयन सुविधा (आईओसीएल) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	390.00 [390.00]	491.00	7/2005 7/2005	10/2006	462.62	पूर्ण 2006-07 की तीसरी तिमाही
49.	चेन्नई-त्रिची-मदुरै उत्पादन पाईपलाइन (आईओसीएल) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	363.21 [363.21]	363.21	7/2005 7/2005	12/2005	309.66	पूर्ण 2005-06 की तीसरी तिमाही
50.	इन्दिरा में एमएस गुणवत्ता उन्नयन सुविधा (आईओसीएल) [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड]	359.00 [359.00]	382.00	7/2005 7/2005	10/2005	288.91	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
51.	मुंबई हाई-उरन ट्रंक पाईपलाइन (ओएनजीसीएल) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	2792.50 [2792.50]	2792.50	5/2005 5/2005	10/2005	2244.02	पूर्ण 2005-06 की तीसरी तिमाही
52.	बी । एवं बीएस-15 का विकास (ओएनजीसीएल) [ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड]	429.82 [429.82]	1262.93	3/2005 3/2005	3/2007	853.20	अवरुद्ध 2006-07 की चौथी तिमाही
विद्युत							
53.	टपूरियल जल-विद्युत परियोजना (नैपको) [नार्थ ईस्ट इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन]	388.72 [388.72]	687.80	7/2006 7/2006	3/2009	233.67	अवरुद्ध 2006-07 की चौथी तिमाही
54.	तीस्ता छठवें इलैक्ट्रिक परियोजना चरण-V (एनएचपीसी) [नैशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन]	2198.04 [2198.04]	2198.04	2/2007 2/2007	1/2008	2214.89	अवरुद्ध 2006-07 की चौथी तिमाही
55.	दुलहस्ती छठवें इलैक्ट्रिक परियोजना (एनएचपीसी) [नैशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन]	183.45 [3559.77]	4982.62	11/1980 3/2001	3/2007	4980.41	पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
56.	सैलेशिला जल-विद्युत परियोजना-I (एनएचपीसी) [नैशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन]	601.98 [1578.31]	1578.31	10/1998 3/2005	10/2005	1679.01	पूर्ण 2005-06 की तीसरी तिमाही
57.	सपेश जल-विद्युत परियोजना चरण-II (एनएचपीसी) [नैशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन]	1684.02 [1684.02]	1684.02	5/20. 5/2004	5/2004	1899.80	पूर्ण 2003-04 की चौथी तिमाही
58.	सिन्द एस्टीपेसी चरण-II (एस्टीपेसी) [नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड]	3394.77 [3394.77]	3451.97	5/2006 5/2006	9/2005	2381.83	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	तलचर एसटीपीपी चरण-II (एनटीपीसी) [नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड]	6648.83 [6648.83]	6648.83	2/2006 2/2006	2/2005	4378.35	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
60.	रामगुंडम एसटीपीपी चरण-III [नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड]	1780.99 [1780.99]	2072.45	8/2005 8/2005	8/2005	1177.56	पूर्ण 2004-05 की दूसरी तिमाही
61.	सिंहाद्री एसटीपी चरण-I (एनटीपीसी) [नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड]	3650.79 [3650.79]	4155.03	12/2002 12/2002	12/2002	2947.37	पूर्ण 2002-03 की दूसरी तिमाही
62.	टिहरी परिवहन प्रणाली (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	421.00 [913.84]	913.84	3/1999 12/2002	5/2006	854.46	पूर्ण 2006-07 की पहली तिमाही
63.	धौलीगंगा ट्रांसमिशन (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	150.53 [150.53]	195.62	1/2005 1/2005	7/2005	154.10	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
64.	पूर्वी क्षेत्र के लिए यूएलडीसीएस (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	290.01 [290.01]	305.70	9/2003 9/2003	दत्त	281.21	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
65.	पश्चिमी क्षेत्र के लिए यूएलडीसीएस (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (लिमिटेड)]	294.82 [294.82]	226.71	2/2003 2/2003	8/2005	114.42	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
66.	[मदुरै-तिरुवनंतपुरम 400 के.वी. डी/सी लाइन (पी. ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (लिमिटेड)]	195.97 [195.97]	247.69	10/2003 10/2003	7/2005	241.33	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
67.	माजुवाका एचवीडीसी बैक टु बैक परि. II 500 एम. डब्ल्यू. [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	769.25 [769.25]	770.48	1/2005 1/2005	3/2005	464.08	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
68.	बिहार में ट्रांस. प्रणाली सुदृढ़ीकरण (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	162.88 [162.88]	125.96	2/2004 2/2004	10/2004	103.86	पूर्ण 2004-05 की तीसरी तिमाही
69.	खंडवा में 400/200/केवी सब स्टेशन [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	109.77 [109.77]	89.62	1/2005 1/2005	12/2005	73.75	पूर्ण 2004-05 की तीसरी तिमाही
70.	कहलगांव-बिहारशरीफ 400 केवी डी/सी लाईन-II (पी. ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	135.77 [135.77]	135.77	6/2004 6/2004	11/2004	117.97	पूर्ण 2004-05 की तीसरी तिमाही
71.	मेहगुंडाली-वेपेंर 400 केवी डी/सी लाईन (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	166.51 [166.51]	166.51	4/2003 4/2003	1/2004	135.41	पूर्ण 2003-04 की चौथी तिमाही
72.	द.पू. क्षेत्र में एलडी एंड सी योजना (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	158.94 [158.94]	249.27	3/2000 3/2000	12/2003	133.80	पूर्ण 2003-04 की पहली तिमाही
73.	तलचर-II ट्रांसमिशन प्रणाली (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	3066.73 [3066.73]	2998.32	1/2003 1/2003	6/2003	2642.61	पूर्ण 2003-04 की पहली तिमाही
74.	सिस्टम स्ट्रैंथनिंग इन साउथ-ईस्टर्न रीजन (पी. ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	396.26 [396.26]	396.26	2/2003 2/2003	2/2003	307.93	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
75.	रायपुर-राउरकेला 400 केवी डी/सी लाईन (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	237.38 [237.38]	210.10	1/2004 1/2004	3/2003	186.85	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	उत्तर-पूर्वी एक्सीलेरेटेड लिंक (पी.डि.)	671.56	671.56	12/2001	12/2002	473.36	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[671.56]		12/2001			2002-03 की तीसरी तिमाही
77.	कोलहापुर-नरसुल 400 केवी लाईन (पी.डि.)	161.94	150.27	7/2003	7/2003	100.64	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[161.94]		7/2003			2002-03 की तीसरी तिमाही
78.	उत्तरी क्षेत्र के लिए लोड डिस्पैच स्कीम (एलडीसी)	478.51	668.92	3/2000	7/2002	465.44	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[668.92]		7/2002			[2002-03 की पहली तिमाही
79.	यूनिवर्सल लोड डिस्पैच कम्यूनिकेशन प्रणाली	621.57	663.80	3/2000	7/2002	454.74	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[663.00]		7/2002			2002-03 की पहली तिमाही
80.	नवम झलरी एचईपी (एनएचपीसी)	1678.02	8495.03	4/1998	7/2004	7951.52	पूर्ण
	[सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड]	[7888.31]		5/1999			2004-05 की दूसरी तिमाही
81.	कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (1 X 210 एमडब्लू)	1301.56	1301.56	4/2005	6/2010	448.35	चालू
	[टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड]	[1301.56]		4/2005			2006-07 की चौथी तिमाही
82.	एनटी ठेंगलार टीपीपी चरण-III (1 X 210 एमडब्लू)	939.28	939.28	9/2006	9/2006	662.58	पूर्ण
	[नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन]	[939.28]		9/2006			2006-07 की दूसरी तिमाही
83.	पूर्वी क्षेत्र में सिस्टम सुदृढ़ीकरण (पी.डि.)	247.91	427.01	5/2006	2/2007	407.65	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[247.91]		5/2006			2006-07 की चौथी तिमाही
84.	दक्षिणी क्षेत्र का सिस्टम सुदृढ़ीकरण-III	284.79	235.08	4/2007	4/2007	220.02	चालू
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[284.79]		4/2007			2006-07 की चौथी तिमाही
85.	सिंगरौली-कोरबा (पी.डि.)	184.02	222.00	2/2007	4/2007	173.32	चालू
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[184.02]		2/2007			2006-07 चौथी तिमाही
86.	पुलगासी कम्पाइंट स्टेशन प्रणाली (पी.डि.)	557.05	465.01	7/2006	10/2006	460.03	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[557.05]		7/2006			2006-07 की तीसरी तिमाही
87.	उत्तरी क्षेत्र में सिस्टम सुदृढ़ीकरण (पी.डि.)	143.29	143.29	8/2006	10/2006	382.33	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[143.29]		8/2006			2006-07 की तीसरी तिमाही
88.	नीलमंगलम-मैसूर ट्रांसमीशन सिस्टम	154.93	154.93	7/2006	4/2006	139.34	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[154.93]		7/2006			2006-07 की पहली तिमाही
89.	तलचर-सिलेरुरी ट्रांसमीशन लाईन (पी.डि.)	231.53	280.09	10/2004	6/2006	264.16	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[231.53]		10/2004			2006-07 की पहली तिमाही
90.	दक्षिणी क्षेत्र का सिस्टम सुदृढ़ीकरण-III (पी.डि.)	101.94	101.94	7/2006	5/2006	85.42	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[101.94]		7/2006			2006-07 की पहली तिमाही
91.	सिंगरौली-II ट्रांसमीशन (पी.डि.)	1044.44	855.60	12/2005	11/2005	823.75	पूर्ण
	[पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	[1044.44]		12/2005			2005-06 की तीसरी तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	तारापुर 3 एवं 4 ट्रांसमीशन प्रणाली (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड]	237.00 [237.00]	237.02	9/2005 9/2005	7/2005	222.39	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
93.	रायपुर-चंद्रपुर 400 केवी लाईन (पी.ग्रिड) [पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	248.60 [248.60]	235.35	12/2005 12/2005	5/2005	225.88	पूर्ण 2005-06 की चौथी तिमाही
94.	उत्तरी पूर्वी इंदिरा गांधी स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान [स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]	71.18 [422.60]	422.60	3/1999 3/2005	6/2007	294.85	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
95.	नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलोजिकल्स [स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण] रेलवे	69.74 [269.24]	269.24	9/1998 3/2005	8/2006	234.72	पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
96.	बिरूपा एवं महानदी (बी एंड एस), इंसीओआर) पर दूसरा पुल [पुल एवं ढांचे]	93.10 [109.45]	122.00	दत्त दत्त	7/2007	63.30	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
97.	मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) [मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली	520.00 [422.79]	422.79	3/1995 3/1995	दत्त	401.35	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
98.	होतगी-गडग (जीसी) दमरे [गेज परिवर्तन]	180.00 [180.00]	318.66	3/1999 3/2003	दत्त	333.12	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
99.	गोंडिया-जबलपुर (जीसी)दपूमरे [गेज परिवर्तन]	356.00 [356.00]	511.86	3/1998 3/1998	दत्त	167.20	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
100.	हुबली-अंकोला (जीसी) दपरे [गेज परिवर्तन]	227.00 [227.00]	997.58	दत्त दत्त	दत्त	70.48	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
101.	न्यू जलपाईगुरी-न्यू कोचबिहार (जीसी) एनईएफआर) [गेज परिवर्तन]	536.85 [536.85]	890.83	3/2003 3/2003	3/2008	824.15	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
102.	सिकंदराबाद-मुदखेड-जनकमपेट-बोधन (जीसी)दमरे [गेज परिवर्तन]	98.42 [282.45]	363.00	दत्त दत्त	दत्त	352.20	पूर्ण 2006-07 की दूसरी तिमाही
103.	कटपाडी-पकाला-तिरुपति (जीसी) दमरे [गेज परिवर्तन]	71.70 [117.58]	174.00	12/1998 3/2001	4/2003	136.77	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
104.	के-पुरम कालीकट शोरनुर एम-लोड सहित (दरे) [लाईन दोहरीकरण]	178.76 [177.34]	188.13	दत्त दत्त	दत्त	170.40	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
105.	कालीकट-मंगलौर दोहरीकरण (दरे) [लाईन दोहरीकरण]	240.00 [240.00]	572.51	दत्त दत्त	दत्त	522.83	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
106.	होसपेट-गुंटकल (एलडी) दमरे [लाईन दोहरीकरण]	105.22 [105.22]	268.08	12/1999 12/1999	दत्त	192.04	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	नलुंदी-कटक रेलखंड दलाही (डीजलेकरण) [स्वीकृत योजनाकरण]	105.32 [123.66]	174.60	दत. दत.	10/2005	157.60	पूर्ण 2005-06 की तिसरी तिमाही
108.	पुरुल-रेवेनुंडा (दलाही) दत्तरे [स्वीकृत योजनाकरण]	139.89 [157.34]	175.04	दत. दत.	3/2005	159.52	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
109.	खोरीकसी-सिंहा मध्यप्रदेशिंग, दरे [मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट परियोजना]	325.47 [325.47]	504.22	3/2004 6/2000	दत.	391.68	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
110.	खाने-खुले-नेपल-चाकी (एमटीपी) [मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट परियोजना]	403.39 [403.39]	403.39	3/2000 3/2000	दत.	375.81	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
111.	खेलपुर-खेड़ुड़-पूल हाईस्पीडवाड़ रेलवे स्टेशन (एमटीपी)-चरण-I [मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट परियोजना]	401.81 [401.81]	495.44	3/2004 3/2004	3/2008	93.56	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
112.	केन्द्रीं खेप-खेलाखाड़ु खंड रेलवाल (एमटीपी) [मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट परियोजना]	484.89 [480.25]	622.52	4/2004 4/2004	12/2006	486.37	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
113.	दलाही-सिरोंज खंडवली नई लाइन (डीजलेकरण) [नई लाइन]	242.50 [537.74]	910.00	12/1997 12/1997	दत.	714.00	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
114.	कुमारघाट-अमलाहा (एमएल) एवंदरम्यान [नई लाइन]	575.00 [575.00]	878.99	दत. दत.	12/2007	633.67	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
115.	मुलेखार-चाकूल नगर (एमएल), एसडीजेड [नई लाइन]	377.32 [236.41]	497.47	दत. दत.	दत.	34.82	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
116	मुल-हटवा (एसडीजेड), एमएल [नई लाइन]	168.77 [274.58]	400.00	3/1994 3/1994	6/2007	198.43	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
117	खेलप-इंदौर-खेलाप-चाकी (डब्लूआरएस.एस.) [नई लाइन]	287.15 [287.15]	1124.93	दत. 12/1998	दत.	56.07	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
118	एकलाही-चाकूघाट (एमएल), एवंदरम्यान [नई लाइन]	36.80 [274.41]	282.74	दत. दत.	दत.	218.76	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
119	कोटरम-खंडी खंड चाकाखाल (एमएल), डीजेड [नई लाइन]	491.19 [491.19]	1033.00	7/2005 7/2005	दत.	335.63	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
120	अमलाही-चाकी एमएल (सीजेड) [नई लाइन]	120.90 [175.30]	284.27	6/1999 6/1999	3/2007	170.67	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
121	पनेरा-कटवा (एमएल) (सीजेड) [नई लाइन]	89.00 [89.00]	137.44	3/1997 3/1997	दत.	130.16	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
122	कमू-उधी उधमपुर नई लाइन (एमजेड) [नई लाइन]	60.00 [407.74]	510.00	3/1994 12/2000	4/2004	463.00	पूर्ण 2004-05 की पहली तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
123	हल्दी-हल्दिया (एनएल), एनईएफआर [नई लाइन]	156.00 [156.00]	156.00	दन दन	12/2005	0.04	अवरुद्ध 2002-03 की चौथी तिमाही
124	चर्चगेट-विरार:कनवर्शन ऑफ 1500 वी डीसी ट्रैक्शन टू 25 केवी एसी, ए.ट. [रेलवे विद्युतीकरण]	273.67 [654.51]	648.76	दन दन	12/2009	218.47	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
125	खड़गपुर-भुवनेश्वर (आरई) आईएनसीएल अन्न सिदरपुर (आरई)(सीईआर) [रेलवे विद्युतीकरण]	258.58 [258.58]	371.01	3/2000 3/2000	3/2007	336.00	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
126	अम्बाला-मुरादाबाद (आरई) [रेलवे विद्युतीकरण]	152.21 [157.76]	222.96	3/1998 3/1998	6/2007	232.70	आंशिक पूर्ण 2006-07 की चौथी तिमाही
127	जीएम लोको प्रोजेक्ट-एमएफआर ऑफ 4000 एण्ड 3000 एचपी जीएम डीजल लोको डीएलडब्ल्यू [कर्मशाला तथा उत्पादन इकाई]	155.54 [155.54]	141.22	3/2003 3/2003	दन	100.47	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
128	रेल कोच फैक्टरी: कपूरथला फेज-II (एनआर) [कर्मशाला तथा उत्पादन इकाई]	180.00 [314.57]	433.68	3/1992 3/1992	दन	463.08	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग						
129	नैनी ब्रिज तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के बीच लिंक रोड [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण]	100.38 [300.00]	219.78	6/2001 12/1998	7/2004	281.11	पूर्ण 2004-05 की दूसरी तिमाही
130	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस वे (जीक्यू) [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण]	128.40 [766.50]	766.50	12/1991 12/1998	5/2004	663.47	पूर्ण 2004-05 की पहली तिमाही
131	एनएच 5 : 4 लेनिंग आफ चिपेट विजयवाड़ा-(355 कि.मी. से 420) (जीक्यू) [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण]	322.50 [377.00]	208.00	5/2002 5/2002	दन	178.70	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
132	एनएच 5 : 4 लेनिंग आफ जगतपुर-चंद्रोखोल-उड़ीसा (27.8 कि.मी.-61 (जीक्यू) [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण]	137.80 [137.80]	103.35	11/2002 11/2002	2/2003	93.03	पूर्ण 2002-03 की चौथी तिमाही
133	आंध्र प्रदेश में एनएच 5 (विजयवाड़ा एनेक्स) (एसएचएआई) (जीक्यू) का कार्यान्वयन [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण]	135.42 [135.42]	335.35	6/1999 6/1999	6/2002	329.60	पूर्ण 2002-03 की पहली तिमाही
134.	चेन्नई नगर के भीतर जीक्यू की पहुंच में सुधार [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण]	210.00 [210.00]	210.00	4/2007 4/2007	4/2007	318.80	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
:35.	श्रीनगर बाईपास (286 कि.मी. 303.8 कि.मी. (एनएस-कॉरिडोर फेज II) [भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण]	125.00 [125.00]	125.00	5/2006 5/2006	6/2006	46.44	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
	जहाजरानी तथा पत्तन						

1	2	3	4	5	6	7	8
136.	रिवर रेगुलेटरी मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्राउट इन तुलसी [पत्तन]	350.84 [350.84]	421.03	12/2003 12/2003	11/2007	6.38	छटाई गई 2006-07 की पहली तिमाही
137.	बेही (पत्तन) में 1, 2 और 3 मोटर बेटी का आधुनिकीकरण [पत्तन]	167.99 [215.34]	215.34	2/2003 2/2003	दत्त	196.24	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
138.	पोर्ट कैपिसिटीज फॉर एमआरपीएल रेफ एक्सपेंशन (एमआरपी) [पत्तन]	236.50 [236.50]	135.00	1/2002 1/2002	5/2003	128.94	पूर्ण 2003-04 की पहली तिमाही
139.	एक्सपेंशन ऑफ 700 पास-कम-160 एमटी कार्गो बेसिस एफआर हिन्दुस्तान शिपयार्ड [जहाजरानी]	129.62 [129.62]	129.62	2/2004 2/2004	4/2007	121.12	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
140.	एक्सपेंशन ऑफ 4-110,000 डीडब्ल्यूटी ड्राई डॉक्स कैरियर ड्राम हल्दिया [जहाजरानी]	672.28 [629.39]	628.09	8/2003 8/2003	8/2003	636.66	पूर्ण 2003-04 की दूसरी तिमाही
141.	एक्सपेंशन ऑफ 2-300,000 डीडब्ल्यूटी वैरी लार्ज क्रूड कैरियर्स [जहाजरानी]	610.80 [610.80]	610.80	दत्त दत्त	8/2005	470.95	पूर्ण 2005-06 की दूसरी तिमाही
	दूरसंचार						
142.	स्टैंड अलोन सक्सनलिंग ट्रांसफर प्वाइंट (सीसएसएल) [भारत संचार निगम लिमिटेड]	160.00 [160.00]	160.00	12/2005 12/2005	12/2005	0.00	चालू 2006-07 की चौथी तिमाही
143.	आईपी नेटवर्क फिर स्टर्स [भारत संचार निगम लिमिटेड]	250.00 [250.00]	200.00	10/2004 10/2004	3/2005	75.59	पूर्ण 2004-05 चौथी तिमाही
144.	सीएमटीएस-फेज III (सीसएसएलए पंजाब) [भारत संचार निगम लिमिटेड]	233.20 [233.20]	106.30	7/2004 7/2004	3/2005	72.30	पूर्ण 2004-05 चौथी तिमाही
145.	आंध्र प्रदेश सीएमटीएस फेज III [भारत संचार निगम लिमिटेड]	137.05 [137.05]	137.05	11/2004 11/2004	3/2005	67.10	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
146.	ब्रॉड बैंड आरएसए [भारत संचार निगम लिमिटेड]	350.00 [350.00]	300.00	12/2004 12/2004	5/2005	8.85	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
147.	आईपी प्रोजेक्ट [भारत संचार निगम लिमिटेड]	120.00 [120.00]	160.00	10/2004 10/2004	3/2005	22.38	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
148.	मेनेज्ड लीज लिंक नेटवर्क [भारत संचार निगम लिमिटेड]	210.00 [210.00]	140.00	1/2004 1/2004	3/2005	58.00	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	सीएमटीएस-फेज II (बैंगलोर, कर्नाटक) [भारत संचार निगम लिमिटेड]	154.18 [154.18]	154.18	6/2004 6/2004	3/2005	72.98	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
150.	सेकिंड एण्ड थर्ड जेनेरेशन मोबाईल कम्युनिकेशन्स [सेंटर फॉर डिवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, टेलीकॉम, बेंगलूरु]	147.00 [147.00]	147.00	3/2006 3/2006	6/2008	38.98	अग्रगत 2004-05 की तीसरी तिमाही
151	मैंगलूर जीएमएस 400 मैसर्स मॉटरोला का विस्तार [महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड]	216.37 [216.37]	216.37	1/2005 1/2005	4/2007	107.50	चालू 2004-05 की चौथी तिमाही
152	जीएसएम नेटवर्क (एमटीएनएल) (दिल्ली) का विस्तार [महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड]	216.37 [216.37]	216.37	1/2005 1/2005	3/2005	54.15	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
153	जीएसएम प्रोजेक्ट मॉटरोला (एमटीएनएल) (दिल्ली) [महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड]	227.42 [227.42]	227.42	1/2005 1/2005	3/2005	132.02	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
154	सीडीएमए डब्ल्यूएलएल उपस्करों का विस्तार [महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड]	460.28 [460.28]	460.28	9/2004 9/2004	3/2005	7.36	पूर्ण 2004-05 की चौथी तिमाही
	शहरी विकास						
155	एसपीजी प्रोजेक्ट [केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग]	98.88 [98.88]	105.00	7/1998 7/1998	दत.	103.71	पूर्ण 2003-04 की दूसरी तिमाही
156	दिल्ली मैट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम फेज-I [दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन]	4880.00 [10571.00]	10571.00	3/2005 3/2005	10/2006	10246.14	पूर्ण 2006-07 की तीसरी तिमाही

विवरण-II

10 वर्ष से भी अधिक समय पीछे चल रही 100 करोड रुपए और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की सूची (01/04/2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र सं	परियोजना [एजेंसी]	लागत (करोड़ रु.) [अद्यतन अनुमोदन]	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु.)	चालू होने की तारीख मूल [अद्यतन अनुमोदन]	चालू होने की प्रत्याशित तारीख	सूचित किया गया अंतिम व्यय (करोड़ रु.)	मूल अनुसूची के संदर्भ में समय वृद्धि (महीनों में)
	कोयला						
1.	पूतकी-बलिहारी यूजी (बीसीसीएल) [भारत कुकिंग कोल लिमिटेड]	199.87 [199.87]	182.60	3/1994 3/2000	9/2007	178.08	162
	रेलवे						
2.	राजकोट-वीरावल और वांसजालिया-जीतलसर जीसी (प.रे.) [गेज परिवर्तन]	112.53 [320.66]	374.34	3/1996 3/1996	3/2008	265.14	144
3.	गुना-इटावा (एनसीआर), एनएल [नई लाइन]	158.77 [274.56]	400.00	3/1994 3/1994	6/2007	196.43	159

[अनुवाद]

सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत एनएचएआई परियोजनाओं का निष्पादन

1403. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन में सरकारी निजी भागदारी की प्रभावोत्पादकता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी-निजी परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य की प्रगति धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निगरानी तंत्र अपनाया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सार्वजनिक-निजी भागीदारी विधि के अंतर्गत राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी विधि से 30,535 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 4606 किमी. लंबाई की 79 परियोजनाएं सौंपी जिनमें से 902 किमी. लंबाई की 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष 63 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

(ग) जी नहीं। पहले सौंपी गई परियोजनाएं नियत समय के अनुसार चल रही हैं।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रणाली के माध्यम से नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा परियोजनाओं पर निगरानी रखी जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सभी परियोजनाओं पर उचित निगरानी के लिए खंड वार उपयुक्त स्थान पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापित की हैं जिनकी अध्यक्षता परियोजना निदेशक द्वारा की जाती है और उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी होते हैं। वरिष्ठ अधिकारी परियोजनाओं पर निगरानी के लिए नियमित रूप से परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं। पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना आयोग और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति द्वारा भी परियोजना पर निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास हेतु नीति

1404. श्री महावीर भगोरा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर सड़कों के पुनरुद्धार व मरम्मत और निर्माण कार्य हेतु राज्यों को धनराशि आबंटित करने के मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों विकास परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास परियोजना चरण-III और अगले चरणों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से कार्यान्वित करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति पर कार्यान्वयन के लिए भी अभिनिर्धारित कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं रियायतग्राही के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए जहां भी आवश्यकता होती है, केवल साध्यता अध्ययन, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानातंरण से संबंधित व्यय और अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण ही वहन करती है। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धनराशि के आबंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

वीजा प्रक्रिया का सरलीकरण

1405. **श्री पंकज चौधरी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान के बीच वीजा प्रक्रिया के सरलीकरण के पश्चात भारतीयों द्वारा जापानी वीजा प्राप्त करने हेतु वार्षिक आय का सबूत और यात्रा टिकट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वीजा प्रक्रिया के सरलीकरण से दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं। जापानी वीजा प्राप्त करने के लिए आज की स्थिति के अनुसार भारतीयों को अपनी वित्तीय स्थिति और यात्रा टिकट से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

(ख) यदि आवेदक यात्रा के खर्चे स्वयं वहन करता है, तो अपेक्षित दस्तावेजों में हवाई बुकिंग के सबूत, यात्रा-कार्यक्रम, कर भुगतान के प्रमाणपत्र अथवा बैंक विवरण होते हैं। यदि कोंसल अधिकारी आवश्यक समझता है, तो वह जापान से प्राप्त आमंत्रण-पत्र की मांग कर सकता है।

(ग) और (घ) जी हां। जापान चुनिंदा देशों की हमारी सूची में शामिल है, जिनके नागरिकों को पांच वर्षों की बहुप्रवेशीय पर्यटन वीजा दिए जा सकते हैं। पर्यटन आवागमन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 को भारत-जापान पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों देश वीजा प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए विचार-विमर्श में भी लगे हैं।

पोत-परिवहन उद्योग की घटती आय

1406. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात-निर्यात में वृद्धि के बावजूद पोत-परिवहन क्षेत्र की आय घट रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आय का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्योग की आय के घटने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पोतों और श्रमशक्ति की कमी इसका कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) उत्साहवर्धक माल-भाड़ा बाज़ार की स्थिति के अनुरूप पिछले वर्षों में भारतीय पोत-परिवहन कंपनियों की समग्र आय में बढ़ोतरी का रुझान प्रदर्शित हो रहा है। 5 बड़ी पोत-परिवहन कंपनियों, जो कुल भारतीय टनभार के करीब 67% का प्रतिनिधित्व करती हैं, की 2004-2005 से 2006-2007 तक की प्रचालनात्मक कमाई और कुल आय निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये)

कंपनी	2004-05		2005-06		2006-07	
	प्रचालनात्मक कमाई	कुल आय	प्रचालनात्मक कमाई	कुल आय	प्रचालनात्मक कमाई	कुल आय
भारतीय नौवहन निगम	3396.10	3645.80	3531.02	3762.33	3703.44	4210.36
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी	2049.20	2119.23	1934.77	2342.08	1997.51	2251.11
एस्सार शिपिंग	845.95	862.57	678.81	760.29	1024.30	1039.21
वरूण शिपिंग	398.96	398.23	642.93	644.31	672.63	724.00
वेस्ट एशिया मेरीटाइम	384.23	387.59	161.08	209.70	110.73	175.94
योग	7064.44	7403.42	6948.61	7718.71	7508.61	8400.62

पीआईबी प्रत्यायित पत्रकारों को सीजीएचएस सुविधा

1407. श्री मित्रसेन यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्यायित पत्रकारों को सीजीएचएस सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो द्वारा प्रत्यायित कितने पत्रकारों को यह सुविधा मुहैया करायी जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने पत्रकारों को दी जा रही यह सुविधा वापस लेने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, 1258 मान्यता प्राप्त पत्रकार सीजीएचएस की सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों हेतु सुविधा केन्द्र

1408. श्री अजीत जोगी: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों हेतु भारतीय सुविधा केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय भारतीयों के हितों की पूर्ति के लिए "एक सेवा द्वार" के रूप में भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत एक गैर-लाभअर्जक ट्रस्ट के रूप में एक प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाता है।

केन्द्र के उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के भारत में निवेश को बढ़ाना, डायस्पोरा ज्ञान नेटवर्क स्थापित करना और उसे बनाये रखना, सभी निवेश संबंधी सूचना के लिए एक क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना, संरचना और सामाजिक क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के परियोजना निवेश अवसरों में भारत के राज्यों की सहायता करना और परामर्शी प्रश्नों, भारत में रहने, निवेश और वित्तीय मामलों आदि जैसे विषयों पर भारतीय मूल के लोगों और अनिवासी भारतीयों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना है।

[अनुवाद]

कश्मीरियों के प्रति भेदभाव

1409. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक वर्षों से प्रवासित और देश के विभिन्न भागों में बसे कश्मीरियों को अपना पासपोर्ट पाने हेतु एक भिन्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा बर्ताव वर्षों से देश के विभिन्न भागों में रह रहे कश्मीरियों के नागरिक अधिकारों के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर राज्य से बाहर रह रहे राज्य के प्रवासियों को संबंधित अभिकरणों द्वारा निर्धारित सुरक्षा सत्यापन के पश्चात जल्द से जल्द पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी

1410. श्री पी. मोहन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों कॉरपोरेट मेडिकल हाउसेज को पूरे देश में क्लीनिक, अस्पताल, प्रयोगशाला इत्यादि खोलने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नीति तैयार करने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 प्राइवेट क्षेत्र में मानकों की आवश्यकता पर जोर देती है। संघ सरकार द्वारा वर्ष, 2006 में अनुमोदित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन का ढांचा जन स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी की अनुमति देता है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा प्राइवेट क्लीनिकों/अस्पतालों/प्रयोगशालाओं का विनियमन, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विनियमों के अनुसार होता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका तथा गुणवत्ता एवं मानकों को लागू करने के लिए विनियमों की आवश्यकता पहले ही निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु ढांचे में जन स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए जनोन्मुखी की गैर-सरकारी क्षेत्र से भागीदारी की व्यवस्था भी है।

कर्नाटक में नए मेडिकल कॉलेज

1411. **श्री डी. वी. सदानन्द गौडा:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) हाल ही में, केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार की ओर से छः नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। उचित संवीक्षा के पश्चात, केन्द्र सरकार ने शैक्षिक वर्ष, 2006-07 के दौरान बेलगाम, मांड्या और हासन में नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी थी और शैक्षिक वर्ष, 2007-08 के दौरान बिदर, शिमोगा और रायचूर में नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

वर्षा/बाढ़ के पानी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान

1412. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री अर्जुन सेठी:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा तथा बाढ़ के पानी के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा का पता लागने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई बजटीय आबंटन नियत किया है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए राज्य-वार कितनी निधि स्वीकृत की गई है

(ङ) इनकी मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न स्थानों पर विशेषकर उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 पर अपर्याप्त निकास स्थल/सेतु के परिणामस्वरूप वर्षा तथा बाढ़ के कारण लोगों की जानें गई तथा फसलों एवं संपत्तियों का नुकसान हुआ; और

(छ) यदि हां, तो इस क्षति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) राज्य सरकारों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों

जो भारी बारिश और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, के राज्यवार ब्योरे और उनकी मरम्मत के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों जो बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, के ब्योरे और उनकी मरम्मत के लिए किए गए उपाय विवरण-I में दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, क्षतिग्रस्त खंडों की मरम्मत ठेका/रियायत करारों के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारी के तौर पर सिविल/प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के माध्यम से तत्काल कराई जाती है; राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत उन अभिनिर्धारित खंडों के मामले में जिनका सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा विद्यमान सड़कों को हुई क्षति का आकलन/अनुमान लगाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित धनराशि के ब्योरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए अपर्याप्त वेटेज/कॉजवे के कारण बारिश/बाढ़ के दौरान जनजीवन, फसलों और संपत्ति के किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुई क्षति और उनकी मरम्मत के लिए किए गए उपायों के ब्योरे

क्र.सं.	राज्य	रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति की मात्रा और किए गए उपाय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	9, 18, 63, 205, 221	गड्ढे, टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि।
2.	अरुणाचल प्रदेश	52ए, 153	गड्ढे, टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शेल्डरों का कटवा और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि।
3.	असम	31, 31बी, 36, 37, 37 ए, 38, 39, 44, 52, 53, 154	गड्ढे टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सहत को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि
4.	बिहार	28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 77, 82, 83, 99, 104, 107, 110	सड़क टूटना, सड़क सतह को क्षति, पुलियों और पुलों, उनके पहुंच मर्गों, संरक्षण कार्य आदि को क्षति सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए कटाव, गड्ढों की मरम्मत, पैच कार्य, आर पार जल निकासी कार्य और उनके पहुंच मार्गों आदि की मरम्मत जैसे कार्य किए जा रहे हैं
5.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 43, 78, 200	गड्ढे, मरकंडी पुल, जुगनी पुल, बांद्रा खसरा नाला के पहुंच मार्गों की क्षति। पैच वर्क किया गया है।
6.	गोवा	4ए, 17	गड्ढे, साइड शोल्डर का क्षरण, जल निकासी व्यवस्था को क्षति भूस्खलन आदि।
7.	गुजरात	6, 8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15, 59 व 113	गड्ढे टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि।
8.	हरियाणा	21ए, 71, 71ए, 71बी, 73	गड्ढे

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	20, 21, 21ए, 22, 70, 73ए, 88	गड्ढे रिटेनिंग वॉल को क्षति चक्की पुल और चिकनी पुल को स्पैन का ढहना
10.	जम्मू व कश्मीर	1डी	फामेशन बह गए। मरम्मत कार्य शुरू किए गए
11.	कर्नाटक	4ए, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218	गड्ढे टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि। राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए तत्काल मरम्मत करके अस्थायी उपाय किए गए हैं।
12.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213, 220	गड्ढे, सहत को क्षति, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि।
13.	मणिपुर	39, 53, 150	गड्ढे, टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि
14.	मेघालय	40, 44, 51, 62	गड्ढे, टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों पुलों को क्षति आदि
15.	मिजोरम	44ए, 150, 154	गड्ढे, टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि।
16.	महाराष्ट्र	3, 6, 9, 13, 17, 50, 69 204, 211, 222	गड्ढे, सी डी कार्यों को क्षति, भूस्खलन, रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल को क्षति
17.	मध्य प्रदेश	3, 12, 59, 59ए, 69, 75	गड्ढे, शोल्डर को क्षति, सी डी कार्यों और पहुंच मार्गों को क्षति बारिश के बाद मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा।
18.	नागालैंड	36, 61, 155	गड्ढे, टो और रिटैनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति आदि
19.	उड़ीसा	5, 6, 23, 42, 43, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 224	गड्ढे, धंसाव, ऊपरी सतह में दरार, रिटेनिंग वॉल को क्षति, ऊपरी सतह और संरक्षण कार्यों का बहना, सीडी कार्यों को क्षति आदि। क्षति की मरम्मत के लिए उपाय किए जा रहे है।
20.	पांडिचेरी	45ए	दरारें, गड्ढे, कच्चे शोल्डरों और बर्मों का कटाव, सीडी कार्यों के पहुंच मार्गों को क्षति आदि।
21.	पंजाब	15, 72	गड्ढे

22.	राजस्थान	8, 12, 14, 65, 79, 90, 112, 113	गड्ढे, टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति, सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति, आदि।
23.	तमिलनाडु	45ए, 49, 208, 210, 220	दरारें, गड्ढे, कच्चे शोल्डरों और बर्मों का कटाव, सीडी कार्यों के पहुंच मार्गों को क्षति, आदि.
24.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 74, 87, 94 109, 119, 121, 123, 125	तटबंध का कटाव, पुलियों को क्षति, शोल्डरों और कैरिजवे का कटाव, रिटेनिंग वॉल को क्षति, भूस्खलन आदि आवश्यक मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं
25.	उत्तर प्रदेश	7, 11, 19, 24, 24ए, 27 29, 56, 58ई, 72ए, 73 74, 75, 75ई, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 96, 97, 28बी, 91ए, 119, 76ई,	गड्ढे, टो और रिटेनिंग वॉल को क्षति सतह को क्षति, सड़क टूटना, कच्चे शोल्डरों का कटाव और क्षरण, पुलियों और पुलों को क्षति, आदि।
26.	पश्चिम बंगाल	31, 32, 35, 55, 60, 60ए 81, 117	गड्ढे, धंसाव, अंडूलेशन, सतह को क्षति, सीडी कार्यों को क्षति भूस्खलन, आदि। राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए अस्थायी मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	आबंटन (लाख रु.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	6488.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.33
3.	असम	3219.74
4.	बिहार	2921.46
5.	चंडीगढ़	73.00
6.	छत्तीसगढ़	2508.71
7.	दिल्ली	0.00
8.	गोवा	307.00
9.	गुजरात	2981.17
10.	हरियाणा	1317.00
11.	हिमाचल प्रदेश	1535.00
12.	झारखंड	2011.00
13.	कर्नाटक	3533.81
14.	केरल	2353.21
15.	मध्य प्रदेश	5868.00
16.	महाराष्ट्र	4954.65
17.	मणिपुर	1565.33
18.	मेघालय	1798.67
19.	मिजोरम	392.61
20.	नगालैंड	364.39
21.	उड़ीसा	4101.07
22.	पांडिचेरी	90.78
23.	पंजाब	1802.00
24.	राजस्थान	5813.00
25.	तमिलनाडु	2775.00
26.	उत्तर प्रदेश	5424.00
27.	उत्तराखंड	2438.80
28.	पश्चिम बंगाल	1650.73
29.	त्रिपुरा	98.00
30.	जम्मू-कश्मीर	1704.00
31.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण*	6000.00

*भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क का रख-रखाव/मरम्मत

1413. श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए तथा किए जाने हेतु प्रस्तावित रख-रखाव तथा मरम्मत कार्यों का कार्य-वार अलग-अलग विवरण क्या है;

(ख) क्या अहमदाबाद-मुंबई तथा भड़ौच-वापी सड़क का भी मरम्मत कार्य किया गया है तथा किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सामान्य मरम्मत अवधिक नवीकरण, बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत और विशेष मरम्मत कार्यों के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुरक्षण और मरम्मत कार्य से संबंधित व्यय 255.21 करोड़ रु. है।

(ख) जी हां,

(ग) भड़ौच-वापी खंड सहित अहमदाबाद-मुंबई राजमार्ग के सुधार और अनुरक्षण पर किया गया वर्षवार व्यय इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय (करोड़ रु.)
2004-05	20.05
2005-06	50.51
2006-07	61.65

[हिन्दी]

जापानी मस्तिष्क शोथ

1414. योगी आदित्यनाथ:
श्री राजनारायन बुधौलिया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जापानी मस्तिष्क शोथ (जे. ई.) खतरनाक दर से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जापानी मष्तिष्क शोथ के कारण मरने वाले व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2007 के दौरान 16 अगस्त तक देश के 9 राज्यों से गंभीर इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम के 837 रोगियों और इससे हुई 185 मौतों की सूचना प्राप्त हुई है। विगत तीन वर्षों में जापानी इन्सेफलाइटिस की आशंका वाले रोगियों और उससे हुई मौतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जापानी इन्सेफलाइटिस एवं वायरल और महामारी की संभावना वाला रोग है जिसके प्रकोप में मौसमी एवं चक्रीय अन्तर होते हैं। इस रोग का होना कई कारकों जैसे कि वर्षा, तापमान, अर्द्रता, एम्प्लीफायर होस्ट की मौजूदगी आदि पर निर्भर करता है। यह रोग मुख्य रूप से मानसून आने मानसून के बाद मौसम में जुड़ा हुआ है जब मच्छर अधिक संख्या में पनपते हैं। जापानी इन्सेफलाइटिस के उपचार के लिए कोई विशिष्ट विषाणु रोधी औषध नहीं है।

(घ) जापानी इन्सेफलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं:

- जापानी इन्सेफलाइटिस रोगियों के नैदानिक एवं क्लिनिकल उपचार प्रबंधन और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचारात्मक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के जरिए रोगी की मृत्यु को कम करने के लिए गंभीर इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम वाले रोगियों का शुरू में ही पता लगाना और समुचित उपचार प्रबंधन।
- जापानी इन्सेफलाइटिस का शुरू में ही पता लगाने और रोगी का उपचार प्रबंधन करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी, निदानकर्ताओं और नर्सों का प्रशिक्षण।
- जापानी इन्सेफलाइटिस के स्थानिकमारी जिलों में त्वरित कार्रवाई दल बनाना।
- जापानी इन्सेफलाइटिस रोग के उपचार प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और इनका प्रचार-प्रसार किया गया है।

- रोग की शीघ्र सूचना देने, व्यक्तिगत सुरक्षा एम्लीफायर होस्ट को अलग रखने आदि को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार परिवर्तन संबंधी सम्प्रेषण।
- गंभीर इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम दृष्टिकोण पर आधारित गंभीर इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम/जापानी इन्सेफ्लाइटिस निगरानी का सुदृढ़ीकरण।
- स्थानिकमारी क्षेत्रों में जापानी इन्सेफ्लाइटिस के निदान के लिए प्रहरी प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।
- स्थिति की गहन मानीटरिंग करने और जापानी इन्सेफ्लाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय, लखनऊ का एक उपकेन्द्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में जानपदिक रोग विज्ञानी और कीटविज्ञानी निगरानी के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता से बी आर डी मेडिकल कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में "वेक्टर जनित रोग नियंत्रण निगरानी यूनिट" स्थापित की गई है।
- गंभीर इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम वाले रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक औषधें डिसपोजेबल सामग्री बी आर डी मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराई जा रही है।
- बी आर डी मेडिकल कालेज के सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग को सुदृढ़ करने के लिए इस विभाग में भारत सरकार की निधियों में से एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर एक प्रयोगशाला तकनीशियन को नियुक्त करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है।
- वर्ष 2006 में 4 राज्यों के 11 जिलों में सर्वव्यापी रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अभिन्न भाग के रूप में 1 से 15 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए जापानी इन्सेफलाइटिस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 9 राज्यों के अन्य 29 स्थानिकमारी जिलों को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। टीका लगाने से छूट गए बच्चों और 1-12 वर्ष की आयु वाले बच्चों को नेमी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत कवर किया जा रहा है।
- तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दलों ने वर्ष, 2007 के दौरान प्रभावित राज्यों (उत्तर प्रदेश और असम) का दौरा किया।
- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, गंभीर इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम वाले रोगियों की नियमित मानीटरिंग करता है। स्थिति की समीक्षा अवधिक रूप से की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान जापानी इन्सेफेलाइटिस की आशंका वाले रोगियों और इससे हुई मौतों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	प्रभावित राज्य/संघ क्षेत्र	2004		2005		2006		2007 (16.8.2007 तक)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7	3	34	0	11	0	1	0
2.	असम	235	64	145	52	392	119	368	115
3.	बिहार	85	28	192	64	21	3	0	0
4.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	17	0	6	0	1	0	0	0
6.	गोवा	0	0	4	0	0	0	44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	37	27	46	39	2	1	6	3
8.	कर्नाटक	181	6	122	10	73	3	6	0
9.	केरल	9	1	1	0	3	3	1	0
10.	महाराष्ट्र	22	0	51	0	10	0	0	0
11.	मणिपुर	0	0	1	0	0	0	11	2
12.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	तमिलनाडु	88	9	51	11	18	1	17	0
14.	उत्तर प्रदेश	1030	228	6061@	1500@	2320#	528#	383*	65*
15.	प. बंगाल	3	1	12	6	0	0	0	0
	कुल	1714	367	6727	1682	2851	658	837	185

@बी आर डी मेडिकल कालेज गोरखपुर द्वारा सूचित बिहार के 448 रोगियों और 109 मौतों और नेपाल के 31 रोगियों और 4 मौतों और मध्य प्रदेश के 1 रोगी और शून्य मृत्यु सहित

#बी आर डी मेडिकल, गोरखपुर द्वारा सूचित बिहार के 237 रोगियों और 54 मौतों और नेपाल के 10 रोगियों और 1 मौत सहित

*बी आर डी मेडिकल कालेज गोरखपुर द्वारा सूचित बिहार के 40 रोगी और 6 मौतों और नेपाल के 1 रोगी सहित।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

1415. श्री उदय सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने कोयले के विपणन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. को विपणन से संबंधित अनियमितताओं की कंपनी-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(घ) चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कंपनी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना से ऐसी शिकायतों का समाधान कितनी तेजी से होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नाराधण राव): (क) और (ख) सामान्य शिकायतों और कोयले की ई-मार्किटिंग से संबंधित शिकायत के निवारण के संबंध में कोलकाता में कोल इंडिया लि. के मार्किटिंग डिवीजन में दो उपभोक्ता शिकायत निवारण सैल कार्य कर रहे हैं। कोल इंडिया लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी में भी सामान्य शिकायत निवारण सैल की स्थापना की गई है।

(ग) सीआईएल ने बताया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान उनके शिकायत निवारण सैलों में 20 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन 20 शिकायतों में से 17 का निवारण कर दिया गया है। इस संबंध में कंपनीवार ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार है:-

कोयला कंपनी	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निवारण की गई शिकायतों की संख्या
1	2	3
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	10	10
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि. (बी सी सी एल)	1	0
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	4	3

1	2	3
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	0	0
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	0	0
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	2	1
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	3	3
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी)	0	0
कुल	20	17

(घ) ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित हो।

(ङ) मौजूदा शिकायत निवारण सैल संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं और शिकायतों के निवारण में विलम्ब होने से संबंधित मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

[हिन्दी]

वन भूमि पर पर्यावास

1416. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों तथा जनजातियों समेत काफी संख्या में लोग वन भूमि में रह रहे हैं तथा कई वर्षों से वन भूमि पर खेती कर कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव ऐसी वन भूमि को वहां 12 वर्षों से अधिक अवधि तक रहने वाले भूमिहीन किसानों तथा जनजातियों को सौंपने का है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां। 2474 वन गांवों में लोगों सहित, जनजातियों सहित काफी बड़ी संख्या में लोग वन भूमि पर रह रहे हैं तथा खेती कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने और अन्य पुराने पर्यावासों की भूमि व्यवस्था के लिए 1990 में दिशानिर्देश जारी किए थे। उन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, भारत सरकार ने 511 गांवों में 40987 हेक्टेयर वन भूमि को पहले ही नियमित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.11.2000 के आदेश द्वारा वनों को अनारक्षित करने पर लगे प्रतिबंध के कारण वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की प्रक्रिया रुक गई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वन भूमि पर रह रही जनजातियों सहित लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक रूप से वनों में रह रहे अन्य निवासियों का (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006, अधिनियमित किया है।

गंगा डॉल्फिनों को खतरा

1417. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गढ़मुक्तेश्वर के नजदीक गंगा नदी में सिम्भावली चीनी मिल द्वारा छोड़े जाने वाले औद्योगिक अपशिष्टों से दुनियां में अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात गंगा डॉल्फिनों को दुर्लभ प्रजाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त चीनी मिल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स सिम्भावली चीनी मिल ने उद्योग से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जल के शोधन के लिए बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग को अपने बहिस्राव को भूजल सतही जल में निस्तारण रोकने के भी निर्देश दिए हैं। गढ़मुक्तेश्वर के उर्ध्वप्रवाह और अधोप्रवाह में नदी जल का विश्लेषण प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार द्वारा किया जाता है। जल गुणता आंकड़े इस क्षेत्र में स्नान मानक की पुष्टि करते हैं और इससे गंगा डॉल्फिन के लिए कोई खतरा प्रतीत नहीं होता।

[अनुवाद]

नए बाघ अभयारण्य

1418. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में आठ नए बाघ अभयारण्यों के लिए स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई बैठक हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से क्या विस्तृत रणनीति तैयार की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां। प्राप्त प्रस्तावों तथा बाघ परियोजना की संचालन समिति की 23.2.2003 को आयोजित 37वीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर सात राज्यों में फैले आठ नए बाघ रिजर्वों को घोषित करने के बारे में "सिद्धांत रूप में अनुमोदन" प्रदान कर दिया गया है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। इस मुद्दे पर दिनांक 27 और 28 जून, 2007 को सवाई माधोपुर में आयोजित फील्ड निदेशकों की अखिल भारतीय बैठक में और दिनांक 26 और 27 जुलाई 2007 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में अन्य बातों के साथ-साथ इस मुद्दे पर राज्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। पारि-विकास और सेक्टोरल एकीकरण के माध्यम से, कोर के आस-पास चिन्हित "बफर क्षेत्र" में स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इनपुट्स के अतिरिक्त 'कोर क्षेत्र' में बाघों, जीव भक्षियों और शिकारी जानवरों की एक व्यवहार्य संख्या के पालन पोषण के लिए स्थल-विशिष्ट पर्यावास सुनिश्चित करने हेतु 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में हाल ही में किए गए संशोधनों में अपेक्षा के अनुसार रणनीति में प्रत्येक बाघ रिजर्व के लिए एक बाघ संरक्षण योजना तैयार करना शामिल है।

विवरण

नए बाघ रिजर्वों की सूची

क्र.सं.	नए बाघ रिजर्व का नाम	राज्य
1.	अन्नामलाई-पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु और केरल
2.	उदान्ति और सीतानड़ी वन्यजीव अभयारण्य	छत्तीसगढ़
3.	सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य	उड़ीसा
4.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
5.	अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य	छत्तीसगढ़
6.	दान्डेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान	कर्नाटक
7.	संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय दुबरी वन्य जीव अभयारण्य	मध्य प्रदेश
8.	मदुमलई वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु

भारत-पाक आतंकवाद-रोधी तंत्र बैठक

1419. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 3 महीने पहले हुई भारत-पाक आतंकवाद-रोधी तंत्र बैठक में 7/11 विस्फोटों तथा समझौता एक्सप्रेस पर हमले के बारे में पाकिस्तान को दी गई सूचना के संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को हाल में हुई गृह सचिव स्तर की वार्ता में उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) 11 जुलाई, 2006 के मुंबई और 18 फरवरी, 2007 को दिल्ली-अटारी संपर्क एक्सप्रेस विस्फोटों में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आस्थानी संगठनों और व्यक्तियों का हाथ होने से संबंधित सूचना से पाकिस्तान को संयुक्त आतंकवादरोधी तंत्र की रूपरेखा के भीतर और उसके बाद समग्र वार्ता की रूपरेखा के अतर्गत 3-4 जुलाई, 2007 को गृह सचिव स्तर की वार्ता के दौरान अवगत करा दिया गया है। संप्रेषित सूचना के संबंध में सरकार को पाकिस्तान की सरकार से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

जीवनरक्षक दवाओं की कमी

1420. श्री तूफानी सरोज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं.

(ग) यदि हां, तो सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने प्रतिशत जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) तथा पटेल चेस्ट इंस्टीटयूट, नई दिल्ली ने देश के पांच राज्यों में जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस सर्वेक्षण से यह भी पता लगा है कि लोग जीवनरक्षक दवाओं की 80 प्रतिशत अधिक मूल्य चुकाकर खरीदने के लिए बाध्य हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) मंत्रालय ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देश में सुविधा सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रथम रेफरल यूनिटों से लेकर जिला अस्पतालों तक ही विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के बारे में सूचना एकत्र की गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 45.4 प्रतिशत जिला अस्पतालों, 40.6 प्रतिशत प्रथम रेफरल यूनिटों, 37.3 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपाती प्रसूति परिचर्या औषधों (ई एम ओ सी) वाली किट है तथा 32.2 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य प्रसूति परिचर्या संबंधी औषध किट हैं। इसके अतिरिक्त 97 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 95.2 प्रतिशत उपकेन्द्रों में औषध किट ए और बी उपलब्ध हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से V में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन बल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान और हेल्थ एक्शन इन्टरनेशनल ने सरकारी और प्राइवेट सुविधा केन्द्रों में सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाने वाली अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता और दवा की कीमतों का आकलन करने के लिए पांच राज्यों में अक्तूबर 2004 से जनवरी 2005 के दौरान छह सर्वेक्षण किए थे। ये सर्वेक्षण हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल राज्यों, महाराष्ट्र राज्य के दो स्थानों और चेन्नई शहर नगर में किया गया। यह अध्ययन "अनिवार्य" दवा से संबंधित था न कि "जीवन रक्षक औषध" से।

इस अध्ययन के परिणामों से यह देखा गया है कि सरकारी सुविधा केन्द्रों (तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों) में विशिष्ट दवाओं की प्रतिशत उपलब्धता अलग-अलग दवा के लिए अलग-अलग है और विशिष्ट राज्यों में भी इसकी उपलब्धता भिन्न-भिन्न है। भारत में सर्वेक्षण वाले छह क्षेत्रों में विशिष्ट जेनरिक दवाओं की प्रतिशत उपलब्धता संलग्न विवरण-VI में दी गई है।

(च) इस अध्ययन से यह पता नहीं चलता है कि जीवन रक्षक औषधों को अधिकतम खुदरा कीमत में 80 प्रतिशत अधिक कीमत

पर बेचा जा रहा है। सरकारी सुविधा केन्द्रों में दवाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लोग प्राइवेट खुदरा फार्मेसी से खरीदने के लिए बाह्य हो जाते हैं।

(छ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र, राज्य सरकारों के नियंत्रण में होते हैं। तथापि, भारत सरकार राज्यों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में दर्शायी गई राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम के तहत औषधें एवं किटें उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकारों द्वारा उनकी राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में दर्शायी गई आवश्यकताओं के अनुसार औषधों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण I

तालिका एच 4: भारत के राज्यों में जिला अस्पतालों में ट्यूबल रिंगों और किटों की आपूर्ति, सुविधा सर्वेक्षण, 2003

क्रमांक	राज्य	निम्नलिखित प्रावकर्ता जिला अस्पतालों का प्रतिशत							
		डीएक्सी की संख्या	ट्यूबल रिंग (स्टॉक)	मानक सर्जिकल किट[1]	ईएमओसी किट[2]	आर टी आई/ एसटीआई प्रयोग शाला किट	आईपीडी किट	एनसीडी किट किट[3]	किट आई[4]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू-कश्मीर	12	41.7	58.3	41.7	25.0	50.0	25.0	58.3
2.	हिमाचल प्रदेश	7	42.9	100.0	71.4	71.4	100.0	71.4	100.0
3.	पंजाब	5	20.0	80.0	40.0	40.0	40.0	40.00	80.00
4.	उत्तरांचल	7	42.9	57.1	0.0	14.3	57.1	0.0	57.1
5.	हरियाणा	14	7.1	100.0	64.3	64.3	100.0	64.3	100.0
6.	राजस्थान	21	47.6	71.4	52.4	61.9	61.9	47.6	52.4
7.	उत्तर प्रदेश	99	15.2	50.5	32.3	31.3	35.4	23.2	34.3
8.	बिहार	20	20.0	25.0	10.0	5.0	20.0	5.0	25.0
9.	अरुणाचल प्रदेश	10	30.0	70.0	10.0	0.0	60.0	30.0	70.0
10.	नागालैण्ड	5	80.0	60.0	40.0	40.0	60.0	40.0	60.0
11.	मणिपुर	4	25.0	100.00	25.0	25.0	75.0	5.0	75.0
12.	मिजोरम	3	66.7	66.7	33.3	33.3	66.7	33.3	66.7
13.	त्रिपुरा	1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.00	100.0	100.0
14.	मेघालय	1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
15.	असम	11	81.8	90.0	36.4	27.3	63.6	45.5	72.7
16.	पश्चिम बंगाल	8	12.5	87.5	50.0	37.5	62.5	37.5	62.5
17.	झारखंड	8	37.5	100.0	0.0	0.0	87.5	37.5	75.0
18.	उड़ीसा	21	23.8	100.0	95.2	66.7	100.0	100.0	100.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	छत्तीसगढ़	9	33.3	88.9	66.7	77.8	88.9	88.9	88.9
20.	मध्य प्रदेश	30	56.7	93.3	70.0	63.3	89.7	72.4	93.3
21.	गुजरात	13	38.5	53.8	53.8	46.2	53.8	46.2	53.8
22.	महाराष्ट्र	19	5.3	68.4	36.8	42.1	63.2	31.6	68.4
23.	आन्ध्र प्रदेश	11	0.0	90.9	63.6	72.7	81.8	63.6	72.7
24.	कर्नाटक	14	14.3	100.0	92.9	78.6	92.9	92.9	92.9
25.	केरल	2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
26.	तमिलनाडु	15	6.7	100.0	26.7	40.0	100.0	80.0	100.0
	भारत	370	27.8	72.2	45.4	42.7	63.2	46.1	64.0

(1) छह मानक सर्जिकल किट का सेट (2) आपातपकालीन प्रसूति परिचर्या औषधों वाली किट (3) नवजात शिशु परिचर्या उपकरण के लिए सामान्य प्रसव किट (4) सामान्य प्रसव किट

विवरण-II

तालिका एफ 4: भारत के राज्यों में प्रथम रेफरल एककों में टयूबल रिंगों और किटों की आपूर्ति, सुविधा सर्वेक्षण, 2003

क्रमांक	राज्य	निम्नलिखित प्राप्तकर्ता प्रथम रेफरल एककों का प्रतिशत							
		एफआरयू की संख्या	टयूबल रिंग (स्टाक)	मानक सर्जिकल किट	ईएमओएसी किट (2)	आर टी आई/ एसटीआई प्रयोगशाला किट	आईयूडी किट	एमवीवीई किट (3)	किट आई (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू-कश्मीर	57	24.6	70.2	31.6	17.5	61.4	22.8	68.4
2.	हिमाचल	58	12.1	82.8	37.9	25.9	79.3	34.5	82.8
3.	पंजाब	31	12.9	80.6	38.7	32.3	64.5	35.5	58.1
4.	उत्तरांचल	27	18.5	63.0	7.4	7.4	55.6	29.6	55.6
5.	हरियाणा	72	1.4	91.7	48.6	30.6	81.9	36.1	84.7
6.	राजस्थान	132	41.7	87.1	52.3	40.2	81.1	42.4	80.3
7.	उत्तर प्रदेश	352	21.6	66.2	29.8	15.6	57.4	28.7	57.1
8.	बिहार	76	11.8	48.7	15.8	6.6	42.1	17.1	46.1
9.	अरुणाचल प्रदेश	18	27.8	55.6	5.6	5.6	50.0	27.8	55.6
10.	नागालैंड	11	81.8	63.6	45.5	54.5	45.5	54.5	54.5
11.	मणिपुर	3	33.3	100.0	33.3	33.3	66.7	66.7	66.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मिजोरम	5	40.0	100.0	40.0	20.0	40.0	60.0	80.0
13.	त्रिपुरा	3	100.0	100.0	100.0	66.7	100.0	100.0	100.0
14.	मेघालय	5	60.0	60.0	60.0	60.0	40.0	60.0	40.0
15.	असम	30	60.0	80.0	36.7	30.0	70.0	43.3	80.0
16.	पश्चिम बंगाल	85	5.9	89.4	23.5	10.6	77.6	37.6	81.2
17.	झारखंड	25	28.0	76.0	8.0	4.0	64.0	12.0	76.0
18.	उड़ीसा	114	6.1	92.1	32.6	19.3	84.2	50.9	88.6
19.	छत्तीसगढ़	59	23.7	94.9	59.3	27.1	94.9	47.5	94.9
20.	मध्य प्रदेश	165	34.5	93.5	57.0	28.5	90.3	67.3	88.5
21.	गुजरात	102	13.7	81.4	63.7	21.6	78.4	39.2	79.4
22.	महाराष्ट्र	86	5.8	68.6	30.2	30.2	61.6	33.7	62.8
23.	आन्ध्र प्रदेश	120	0.0	72.5	28.3	14.2	57.5	25.0	52.5
24.	कर्नाटक	124	6.5	99.2	84.7	28.2	96.0	70.2	99.2
25.	केरल	12	50.0	100.0	83.3	33.3	100.0	83.3	91.7
26.	तमिलनाडु	110	2.7	96.4	11.8	20.0	90.9	45.5	92.7
	भारत	1882	18.0	80.6	40.6	22.1	73.1	40.4	74.3

(1) छह मानक सर्जिकल किट सेट (2) आपातकालीन प्रसूति परिचर्या औषधों वाली किट (3) नवजात शिशु परिचर्या उपकरण के लिए सामान्य प्रसव किट (4) सामान्य प्रसव किट।

विवरण III

तालिका सी 4: भारत के राज्यों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टयूबल रिंगों और किटों की आपूर्ति, सुविधा सर्वेक्षण, 2003

क्रमांक	राज्य	निम्नलिखित प्रावधान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रतिशत							
		सीएचसी	टयूबल रिंग (स्टॉक)	मानक सर्जिकल (किट)	इंस्ट्रूमेंटेशन किट (2)	आर टी आई/ एसटीआई प्रयोगशाला किट	आईयूडी किट	एमवीए किट (3)	किट आई (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू-कश्मीर	22	18.2	50.0	9.1	13.6	36.4	4.5	59.1
2.	हिमाचल प्रदेश	49	8.2	87.8	24.5	14.3	83.7	22.4	89.8
3.	पंजाब	15	20.0	93.3	53.3	33.3	86.7	60.0	73.3
4.	उत्तरांचल	19	10.5	68.4	5.3	5.3	52.6	36.8	57.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	हरियाणा	63	1.6	90.5	39.7	22.2	76.2	25.4	79.4
6.	राजस्थान	191	27.2	93.2	40.8	36.1	87.4	34.6	86.9
7.	उत्तर प्रदेश	256	20.3	79.7	27.7	10.2	72.7	33.2	72.7
8.	बिहार	26	11.5	38.5	15.4	3.8	34.6	3.8	42.3
9.	अरुणाचल प्रदेश	16	37.5	37.5	0.0	6.3	31.3	18.8	37.5
10.	नागालैंड	8	75.0	50.0	50.0	50.0	25.0	50.0	62.0
11.	मणिपुर	4	25.0	100.0	0.0	0.0	75.0	25.0	100.0
12.	मिजोरम	9	66.7	88.9	22.2	33.3	55.6	66.7	77.8
13.	त्रिपुरा*		-	-	-		-	-	-
14.	मेघालय	5	40.0	40.0	60.0	40.0	20.0	40.0	20.0
15.	असम	39	48.7	66.7	20.5	12.8	56.4	33.3	64.1
16.	पश्चिम बंगाल (बीपीएचसी) +	83	2.4	81.9	6.0	2.4	77.1	15.7	75.9
17.	झारखंड*	-	-	-	-	-	-	-	
18.	उड़ीसा	87	0.0	83.9	49.4	6.9	79.3	33.3	87.4
19.	छत्तीसगढ़	97	14.4	95.9	59.8	11.3	93.8	23.7	91.8
20.	मध्य प्रदेश	180	26.0	93.9	43.3	12.2	90.6	51.1	83.9
21.	गुजरात	111	8.1	80.2	60.4	14.4	76.6	34.2	77.5
22.	महाराष्ट्र (आरएच)+	187	4.8	62.0	32.6	34.6	48.7	32.1	49.7
23.	आन्ध्र प्रदेश	70	0.0	60.0	14.3	1.4	42.9	10.0	38.6
24.	कर्नाटक	73	9.6	100.0	83.6	13.7	98.6	54.8	100.0
25.	केरल	13	30.8	100.0	38.5	0.0	100.0	15.4	92.3
26	तमिलनाडु	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
	भारत	1625	15.5	81.0	37.3	16.8	73.8	32.6	74.5

नोट:* त्रिपुरा और झारखंड राज्यों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के बराबर कोई अस्पताल नहीं है।

(1) छह मानक सर्जिकल किट का सेट (2) आपातकालीन प्रसूति परिचर्या औषधों वाली किट (3) नवजात शिशु परिचर्या उपकरण के लिए सामान्य प्रसव किट (4) सामान्य प्रसव किट।

+ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। महाराष्ट्र में ग्रामीण अस्पताल और पश्चिम बंगाल में खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माना गया है।

विवरण IV

तालिका पी 6: भारत के राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित आपूर्ति की स्थिति, सुविधा सर्वेक्षण, 2003

क्रमांक	राज्य	पीएच की संख्या	निम्नलेख सुविधा युक्त पीएचसी का प्रतिशत								
			किट बी (1)	किट ए (2)	इंसुलेबेली औषध (3)	मांटाटिड लेप 200 वाट	ओरल पिल्स*	डमरा केसलेन*	आईएफए गोली (बड़ी)*	आईएफए गोली (छोटी)*	ओआरएस पैकेट*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जम्मू-कश्मीर	280	35.2	43.8	12.4	7.6	90.7	95.7	96.7	96.8	91.5
2.	हिमाचल प्रदेश	199	56.3	62.8	25.1	14.1	96.1	92.6	99.0	98.9	100.0
3.	पंजाब	71	56.3	54.9	36.6	16.9	100.0	100.0	98.0	97.7	100.0
4.	उत्तरांचल	144	26.4	27.8	13.2	7.6	100.0	100.0	98.6	100.0	98.9
5.	हरियाणा	282	63.0	46.2	28.2	12.6	93.8	96.1	96.4	97.3	95.3
6.	राजस्थान	671	81.0	66.9	36.1	6.9	99.0	98.4	99.5	99.1	98.8
7.	उत्तर प्रदेश	2081	27.2	30.4	22.1	5.6	95.4	98.4	96.0	96.5	96.2
8.	बिहार	845	6.6	38.2	28.4	2.5	82.7	92.5	86.7	85.4	84.2
9.	अरुणाचल प्रदेश	845	34.1	48.8	36.6	4.9	93.1	88.9	91.2	91.2	78.6
10.	नागालैंड	37	57.0	48.6	48.6	16.2	82.9	100.0	94.1	94.1	94.3
11.	मणिपुर	32	66.0	37.5	46.9	12.5	90.0	93.8	85.7	85.7	93.1
12.	मिजोरम	27	63.0	81.5	59.3	3.7	73.7	86.7	94.4	94.4	92.9
13.	त्रिपुरा	11	64.0	90.9	81.8	100.0	100.0	100.0	90.9	81.8	100.0
14.	मेघालय	25	56.0	60.0	44.0	8.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
15.	असम	290	53.4	60.3	38.6	9.0	90.2	96.0	99.2	98.0	95.7
16.	पश्चिम बंगाल	209	36.4	35.9	10.0	1.9	68.3	93.0	93.0	92.0	92.8
17.	झारखंड	285	73.3	59.6	24.9	4.9	96.6	99.0	99.1	99.1	98.6
18.	उड़ीसा	595	14.0	16.6	10.3	1.0	81.8	97.6	86.0	90.1	97.2
19.	छतीसगढ़	320	29.0	24.0	50.0	0.9	54.3	100.0	77.6	84.5	95.3
20.	मध्य प्रदेश	729	49.5	44.0	32.6	4.7	95.7	100.0	95.7	95.4	95.6
21.	गुजरात	356	88.2	84.8	71.3	5.1	99.7	100.0	100.0	100.0	99.6
22.	महाराष्ट्र	677	82.2	77.8	48.7	18.5	98.8	99.8	97.9	98.8	99.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	आन्ध्र प्रदेश	380	63.0	62.4	34.5	7.6	100.0	100.0	98.7	98.3	100.0
24.	कर्नाटक	540	94.0	90.6	76.5	4.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
25.	केरल	70	63.0	44.3	32.9	2.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
26.	तमिलनाडु	501	94.0	87.2	14.4	17.2	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
	भारत	9888	50.0	50.5	32.2	7.1	94.6	96.6	96.0	95.8	96.5

(1) आईयूडी निवेशन किट (2) सामान्य प्रसव किट (3) अनिवार्य प्रसूति परिचर्या औषध किट।
* प्रतिशत का संदर्भ सर्वेक्षण के दिन कुछ स्टाक रखने वाले पीएससी शहर।

विवरण V

तालिका एस 7: भारत के राज्यों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध किटों उपकरण वाले उपकेन्द्रों का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	एस सी की संख्या	किट ए		किट बी		किट सी		सुइयों की पर्याप्तता*	सिरिंजों की पर्याप्तता*	रोग प्रतिरक्षण की प्रतिशतता*	कार्ड पंजीकरण पर्याप्तता*
			प्राप्त	प्रयोगों की	प्राप्त	प्रयोग की	प्राप्त	प्रयोग की				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	जम्मू-कश्मीर	529	89.4	97.7	78.1	97.3	14.4	93.4	68.4	64.1	82.8	85.8
2.	हिमाचल प्रदेश	365	38.8	98.3	37.5	98.3	11.7	86.1	92,6	94.7	93.1	93.5
3.	पंजाब	142	100.0	100.0	100.0	97.2	20.4	96.6	92.5	87.2	95.2	95.5
4.	उत्तरांचल	262	100.0	100.0	100.0	100.0	31.7	100.0	98.0	98.4	94.4	85.1
5.	हरियाणा	523	99.8	100.0	99.6	98.8	14.0	97.3	97.0	95.1	95.0	86.0
6.	राजस्थान	1302	96.0	99.7	93.9	99.1	16.6	97.2	96.0	96.4	96.0	94.1
7.	उत्तर प्रदेश	4346	98.8	99.5	97.4	98.7	20.0	97.8	94.1	94.1	91.2	84.3
8.	बिहार	1237	92.6	96.9	88.7	94.4	4,8	84.7	84.2	81.1	89.0	83.3
9.	अरुणाचल प्रदेश	71	63.4	93.3	59.2	85.7	14.1	80.0	51.0	49.1	68.8	20.0
10.	नागालैंड	68	94.1	100.0	92.6	100.0	44.1	96.7	72.6	71.0	39.7	81.6
11.	मणिपुर	60	81.7	100.0	75.0	100.0	23.3	100.0	39.0	36.6	87.9	68.0
12.	मिजोरम	53	100.0	98.1	100.0	98.1	45.3	100.0	63.5	76.9	92.0	65.3
13.	त्रिपुरा	22	95.5	100.0	90.9	100.0	72.7	100.0	100.0	100.0	100.0	31.8
14.	मेघालय	39	97.4	86.8	84.6	90.9	5.1	100.0	100.0	94.1	97.0	81.8
15.	असम	522	99.4	99.6	96.9	98.8	37.2	95.9	91.0	90.1	90.8	82.8
16.	पश्चिम बंगाल	418	100.0	99.5	97.4	96.3	1.4	0.0	83.0	77.8	84.6	86.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	झारखंड	289	97.9	98.9	92.4	98.1	29.1	70.2	81.3	83.3	91.4	77.0
18.	उड़ीसा	1270	99.5	99.3	99.1	99,0	14.6	98.4	96.9	95.5	95.2	83.0
19.	छत्तीसगढ़	678	98.4	99.7	97.5	99.7	19.3	99.2	88.5	89.6	90.8	80.5
20.	मध्य प्रदेश	1378	99.3	99.9	98.0	99.4	47.7	96.7	91.7	89.7	94.1	78.6
21.	गुजरात	712	98.9	99.9	97.5	100.0	20.8	97.3	91.2	90.6	88.4	84.6
22.	महाराष्ट्र	1351	99.0	99.9	98.7	99.9	70.8	99.2	95.3	93.2	90.9	92.1
23.	आंध्र प्रदेश	762	99.6	99.3	97.2	99.3	16.4	76.0	95.5	95.0	94.3	62.4
24.	कर्नाटक	881	99.1	100.0	97.8	100.0	46.5	99.5	83.9	82.9	92.6	82.3
25.	केरल	158	100.0	100.0	100.0	99.4	42.4	98.5	94.2	96.2	89.0	1100.0
26.	तमिलनाडु	947	99.7	99.9	99.5	100.0	26.9	98.8	93.9	91.7	98.6	98.3
	भारत	1838	97.0	99.4	95.2	98.8	26.0	96.6	91.5	90.5	91.9	85.3

नोट: किट ए घटक आई एफ ए गोली (बड़ी और छोटी), विटामिन ए घोल, ओ आर एस पैकैट को ट्रीमेक्साजॉल गोली (बच्चे के लिए), डिस्पोजेबल प्रसव किट; किट बी: गोली मेथेलरमोगेट्राइन मेलिएट 0.125 मिग्रा पैरासिटामॉल (500 मि.ग्रा.), मेथेलरमोगेट्रान 0.2 मि.ग्रा./मिली; 1 मिली मेबेनडाजॉल (100 मिग्रा.) डिकामफोमाइनर (10 मि. ग्रा.), क्लोरेमफेनिकाल नेत्र मरहेम (250 मिग्रा.) मरहम पोविडॉन (5%), सेन्ट्रीमाइड पाउडर (125 मि. ग्रा.), एब्जारवेंट कॉटन रोल, किट सी: आवश्यकतानुसार विभिन्न उपकरणों की उपलब्धता (2) उपलब्ध उपकरण वाले उपकेन्द्र से पर्याप्तता (अगले एक महीने के लिए), 3 पात्र दम्पति रजिस्टर अगले छह महीनों के लिए पर्याप्त है जो रजिस्टर की आपूर्ति वाले उपकेन्द्रों की संख्या से है।

विवरण VI

तालिका III. भारत में छह सर्वेक्षण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में विशिष्ट दवाओं (जेनरिक) की उपलब्धता प्रतिशत

राज्य/स्थल	ग्लिबेनक्लेमाइड (5 मि.ग्रा.)	एटिनोकाल (50 मि.ग्रा.)	एमाक्सिसिलीन (20 मि.ग्रा.)	को-ट्रिमेक्साजॉल (8+40 मि.ग्रा./एम.ए)	सिप्राफ्लाक्सासीन (100 मि.ग्रा.)
चेन्नई	95.0	100.0	100.0	45.0	55.0
हरियाणा	83.3	90.0	73.3	6.7	80.0
कर्नाटक	100.0	4.2	45.8	29.2	83.3
महाराष्ट्र (12 जिले)	15.0	46.7	81.7	78.3	61.7
महाराष्ट्र (4 क्षेत्र)	42.1	47.4	52.6	31.6	42.1
पश्चिम बंगाल	3.8	15.4	96.2	3.8	0.0

नोट: सरकारी क्षेत्र में तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र।

[अनुवाद]

बाघ की हड्डियों की तस्करी

1421. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाघ की हड्डियों की अवैध रूप से विभिन्न एशियाई देशों में तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाघ की हड्डियों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) बाघों की हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों की तस्करी की घटनाओं के बारे में पता चला है।

(ख) बाघों की हड्डियों संबंधी जब्ती और राज्य रिपोर्ट के अनुरूप शरीर के अन्य हिस्सों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वन्यजीव सुरक्षा सहित बाघों की हड्डियों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

राज्य से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर बाघ की हड्डियों और अन्य शारीरिक अंगों की जब्ती से संबंधित ब्यौरा

मदें	1999		2000		2001		2002		2003		2004		कुल
	मात्रा संख्या में	वजन किग्रा	मात्रा संख्या में	वजन किग्रा	मात्रा संख्या में	वजन किग्रा	मात्रा संख्या में	वजन किग्रा	मात्रा संख्या में	वजन किग्रा	मात्रा संख्या में	वजन किग्रा	
खाल	62	-	58	-	46	-	24	-	31	-	21	-	242
हड्डी	-	260.40	-	190.30	-	106	-	35.00	-	13	-	-	604.70 किग्रा
पंजा	59	-	149	-	10	-	45	-	20	-	561	-	844
खोपड़ी	-	-	1	विवरण नहीं दिया गया	24	विवरण नहीं दिया गया	1	विवरण नहीं दिया गया	1	विवरण नहीं दिया गया	-	-	27
खोपड़ी सहित हड्डी	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00 किग्रा
जबड़ा	4	विवरण नहीं दिया	- गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
बाल	72	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	72*
गलमुच्छे	72		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
दांत	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
ढांचा	6	55.00	1	विवरण नहीं दिया गया	5	2.40	-	-	1 n.s.	-	-	-	13 (57.40 किग्रा)
हेड माउण्टेड ट्राफी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
अस्थिपंजर	-	-	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	6

विवरण II

बाघों की हड्डियों की तस्करी रोकने सहित वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों को सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6.6.2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. निम्नलिखित बाघ रिजर्वों/सुरक्षित क्षेत्रों की संवेदनशील सीमाओं के किनारे अवैध शिकाररोधी रणनीति में सहायोग करने के लिए सीमाओं के किनारे अवैध शिकार की समस्याओं की आवधिक समीक्षा करने हेतु अंतर-राज्यीय समन्वय समितियां गठित की गई हैं:

(i) रणथम्भोर बाघ रिजर्व (राजस्थान) और पालपुरकुनो वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)

(ii) बांदीपुर बाघ रिजर्व (कर्नाटक), मुडमालई वनयजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान (तमिलनाडु) और व्यानाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल)

(iii) पेंच बाघ रिजर्व (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश)।

वित्तीय उपाय

6. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

8. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

9. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशनन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केलव वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

विश्व बाजार में भारतीय जड़ी-बूटी से निर्मित दवाएं

1422. श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बाजार में भारतीय जड़ी-बूटियों से निर्मित दवाओं की लोकप्रियता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विश्व बाजार में भारतीय जड़ी-बूटियों से निर्मित दवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद-निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने औषधीय और सुगंधित पादपों पर अध्ययन कराया है। इस अध्ययन का उद्देश्य औषधीय और सुगंधित पादप क्षेत्र में भारत हेतु बाजार अवसरों की पहचान करने के साथ साथ निर्यात संवर्धन हेतु रणनीतियों को तैयार करना था। भारत औषधीय पादपों का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

I. निर्यात की जाने वाली सभी विशुद्ध जड़ी-बूटीय आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों में भारी धातुओं का परीक्षण 1.1.2006 से आगे शुरू किया गया है। इसे आयातक देशों की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

II. केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, 29 राज्य औषधि प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है और 26 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा अन्य एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को देश में ए.एस.यू. औषधियों के परीक्षण हेतु अनुमोदित किया गया है।

III. 8 सर्वाधिक प्रयुक्त भस्मों के भौतिक रसायनिक गुणों का अध्ययन करने और इनके विषाक्तता अध्ययनों को निष्पादित करने तथा औषधियों को वैज्ञानिक रूप से विधिमान्यकरण करने हेतु स्वीणम त्रिभुज भागीदारी परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) की विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए एक अनुसंधान परियोजना संस्वीकृत की गई है।

IV. निर्यात संवर्धन के लिए औषधियों के मानकों में सुधार हेतु देश में सभी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि विनिर्माण एकांशों हेतु उत्तम विनिर्माण पद्धतियों को अनिवार्य किया गया है।

5. औषधियों की गुणवत्ता में सुधार लाने और निर्यात संवर्धन के लिए उद्योगों हेतु साझा परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 11 वीं योजना में "आयुष औद्योगिक समूह" संबंधी एक विशेष स्कीम शुरू की गई है।

6. आयुष औषधियों के संवर्धनार्थ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता हेतु उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी

1423. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007 के दौरान पासपोर्ट कार्यालय, तिरूअनंतपुरम में पासपोर्ट जारी करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) क्या सभी आवेदकों को पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) यदि हां, तो जारी किए गए पासपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त कार्यालय में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(च) कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(छ) क्या उक्त कार्यालय सहित केरल के कार्यालयों में कर्मचारियों की कोई कमी है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) तिरूअनंतपुरम स्थित पासपोर्ट कार्यालय में 1.1.2007 से 31.7.2007 के बीच कुल 88,841 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) और (ग) पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राप्त 88,841 आवेदनों में से कुल 78,989 पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं।

(घ) पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण कुल 3535 पासपोर्ट आवेदन लंबित हैं, 2669 आवेदन आवेदकों से अतिरिक्त सूचना के अभाव में लंबित हैं और 3648 पासपोर्ट आवेदनों पर नियत समय में पासपोर्ट जारी करने के लिए विभिन्न चरणों में कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) 2004, 2005, 2006 और 2007 के दौरान तिरूअनंतपुरम स्थित पासपोर्ट कार्यालय में प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 24, 20, 22 और 21 है। पासपोर्ट कार्यालय के तीन कर्मिकों के विरुद्ध सतर्कता आधार पर कार्रवाई की गई थी।

(छ) और (ज) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में कर्मचारियों और अधिकारियों की आमतौर पर कमी है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों में वृद्धि के अनुरूपी नहीं रह रही है। इस समस्या के निवारण हेतु कदम उठाए गए हैं।

सी.आई.एल. द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर

1424. **श्री किशनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. का विचार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने का है जैसाकि दिनांक 13 जुलाई, 2007 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में ट्रांसपैरेन्सी इन्टेग्रेटेड (टी.आई.) इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए गए सहमति ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सत्यनिष्ठा समझौते की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस प्रकार की पारदर्शिता से ग्यारहवीं योजना अविध में कोल इंडिया लि. के उत्पादन तथा करोबार में कितनी वृद्धि होगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। आरंभ में उन सामानों की खरीद और सेवाओं के संबंध में हस्ताक्षर किए जाएं जिनके लिए कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(ख) से (ङ) कोल इंडिया लि. की योजना अपनी सार्वजनिक खरीद प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ट्रांसपैरेन्सी इन्टरनेशनल इंडिया के साथ औपचारिक तौर पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपनी खरीद और ठेका प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चत करना है। सीआईएल में खरीददारी और ठेका प्रणाली में ऐसी पारदर्शिता लाने की तत्काल आवश्यकता मुख्य रूप से 11वीं योजनावधि के दौरान ओपनकास्ट तथा भूमिगत दोनों खानों से कोयला उत्पादन में लक्षित तीव्र वृद्धि और कोयला परिष्करण पर बल देने के कारण महसूस की गई। इसके लिए कोयला कंपनियों को काफी मात्रा में वैश्विक खरीद की आवश्यकता होगी जिसका निर्णय शीघ्रतापूर्व लिया जाएगा। हाल के अनुभव से सीआईएल ने यह पाया कि कई बड़ी निविदाओं में विभिन्न स्रोतों से शिकायतों और प्रति शिकायतों के कारण विलंब हुआ। इसलिए ऐसी स्थितियों से नीतिगत तरीके से निपटने के लिए एक प्रभावशाली तंत्र तैयार करने की एक आवश्यकता महसूस की गयी।

सार्वजनिक ठेका प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता विश्वव्यापी ट्रांसपैरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा तैयार किया गया एक तंत्र है। इस दस्तावेज का नमूना बर्लिन एयरपोर्ट पुनर्संरचना परियोजना पर आधारित है और यह बहुराष्ट्रीय बोली प्रणाली के विधायी मानदंडों को पूरा करता है। यह विचार किया गया कि सीआईएल में काफी मात्रा में सार्वजनिक निविदाओं के मामलों में शिकायतों और प्रति-शिकायतों की समस्या से निपटने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है।

सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद सीवीसी के परामर्श से चयनित अक्षुण्ण सत्यनिष्ठा वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पेनल से स्वतंत्र बाह्य मानीटरों का चयन करके नियुक्ति की जाएगी जो एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य वाले सभी ठेकों की निगरानी करेंगे। वे सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को मानीटर करने के लिए ओमबडजमैन का कार्य करेंगे। सत्यनिष्ठा समझौता पर प्रत्येक निविदा के एवज में बोलीदाताओं तथा सीआईएल द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद इसकी प्रयुक्ता आरंभ होगी और दोनों संविदाकारी पक्षों को सभी संतोषजनक भुगतान करके ठेका निष्पादित कर दिए जाने के बाद यह समाप्त होगी। यदि किसी निविदा को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया के दौरान कोई आरोप लगाया जाता है तो स्वतंत्र बाह्य मानीटर, प्रबंधन और बोलीदाताओं से फाइल तथा अन्य कोई सूचना मांग सकता है, निविदा समिति के निर्णय पर अपनी राय बनाकर प्रबंधन को उपयुक्त सलाह दे सकता है।

ट्रांसपैरेन्सी इन्टरनेशनल, भारत के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद सीआईएल द्वारा सत्यनिष्ठा समझौता के प्रारूप दस्तावेज को विक्रेताओं और बड़े ठेकेदारों को परिचालित किया जाएगा तथा सभी स्टेकहोल्डरों को मुहैया कराया जाएगा। प्रावधानों को अपेक्षाकृत जवाबदेह तथा पारस्परिक रूप स्वीकार्य बनाने के लिए प्रारूप पर स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों भावी विक्रेताओं के सुझाव माँगें जाएंगे। इसके पश्चात, यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करते समय सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो सीआईएल उसकी बोली पर विचार नहीं करेगी। सत्यनिष्ठ/समझौते में, निविदा प्रक्रिया के दौरान कतिपय नैतिक तथा विधिक दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए क्रेताओं तथा विक्रेताओं दोनों पर जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है। इसमें तब तक कोई जोखिम नहीं

है जब तक कोई बेईमान न हो अथवा उसकी बेईमानी की प्रवृत्ति न हो। सीआईएल की ठेका व्यवस्था में एक बार सत्यनिष्ठ/समझौता की संकल्पना स्थापित हो जाने के बाद यह व्यक्तिमत ठेकों से परे होगा और सामान्यत: सीआईएल की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आत्म-विश्वास तथा विश्वास को विकसित करने में सहायक होगी। इससे अधिक प्रतिस्पर्धा का वातारण उत्पन्न होगा और सभी स्टेकहोल्डरों के मन में विश्वास आएगा।

[हिन्दी]

संरक्षित विद्युत संयंत्रों को बंद किया जाना

1425. श्री मो. ताहिर:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले की कमी के कारण कुछ संरक्षित विद्युत संयंत्र बंद कर दिए गए हैं जैसाकि दिनांक 28 जुलाई, 2007 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे संयंत्रों के बंद किए जाने के कारण कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा; और

(घ) ऐसे संयंत्रों को प्रतिदिन कुल कितनी मात्रा में कोयला प्रदान किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) 'राष्ट्रीय सहारा' ने 28 जुलाई, 2007 के अपने अंक में कोयले की कमी के कारण नालको के केप्टिव विद्युत संयंत्र के बंद होने का समाचार प्रकाशित किया। नालको, अंगुल संयंत्र को कोयले के प्रेषण की तुलना में कोयले का आबंटन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(आंकड़े 000 टन में)

अवधि	आबंटन	आपूर्ति	प्राप्ति
अप्रैल-जून, 07	1179.12	1193.47	101.21%
जुलाई, 07	393.04	353.80	90.02%
अप्रैल-जुलाई, 07	1572.15	1547.27	98.41%

लिंकेज प्राप्ति आबंटन का 98.4% थी। नालको को कोयले की आपूर्ति मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही के दौरान किए गए आबंटन के अनुसार की गई। तथापि, जुलाई 2007 के दौरान कानून और व्यवस्था की समस्याओं से उत्पन्न परिवहन दिक्कतों के कारण कोयले की आपूर्ति थोड़ी प्रभावित हुई। रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता और भरतपुर खानों में सतही खनिजों के कार्य नहीं करने के कारण भी आपूर्ति प्रभावित हुई। तथापि, मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए अल्पावधिक उपाय के रूप में अन्य स्रोतों से नालको को कोयले की आपूर्ति व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

मेडिकल तथा डेन्टल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा

1426. डा. के. एस. मनोज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत एम. बी. बी. एस. तथा बी. डी. एस. की राज्य-वार कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या वर्ष, 2007 के लिए परामर्श का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रथम दौर का परामर्श पूरा होने के पश्चात् विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कुछ सीटें खाली पड़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) राज्यों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पिछले वर्ष एम. बी.बी.एस./बी.डी.एस. की कुल कितनी सीटें खाली रही;

(छ) क्या सरकार सीटों को भरने के लिए तृतीय दौर का परामर्श अथवा विस्तारित द्वितीय दौर के परामर्श आयोजित करने पर विचार कर रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय कोटे के तहत उपलब्ध एम बी बी एस/बी डी एस सीटों की संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I मे दी गई है।

(ख) और (ग) 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा-2007 के तहत एम बी बी एस/बी डी एस सीटों के आबंटन के लिए पहले

दौर का परामर्श दिनांक 15.6.07 से 26.6.2007 तक किया गया और दूसरे दौर का परामर्श दिनांक 27.7.07 से 7.8.2007 तक किया गया। पहले दौर के परामर्श के दौरान 1520 एम बी बी एम और 161 बी डी एस सीटें आबंटित की गई और दूसरे दौर के परामर्श के दौरान 656 एम बी बी एस सीटें 114 सीटें मेधा/प्रतीक्षा सूची को पुन: आबंटित/आबंटित की गई। इसमें से 307 एम बी बी एस सीटें और 73 बी डी एस सीटों के रिक्त होने की सूचना विभिन्न कालेजों से प्राप्त हुई क्योंकि पहले परामर्श के दौरान आबंटित सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं कराया/कोर्स छोड़ गए। मौजूदा कालेजों में सीट संख्या में हुई वृद्धि और नए कालेजों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए शेष 353 एम बी बी एस सीटें और 41 बी डी एक सीटें जोड़ी गई हैं।

(घ) और (ङ) सभी 1520 एम बी बी एस और 161 बी डी एस सीटें परामर्श के पहले दौर में आवंटित की गई। तथापि, परामर्श के पहले दौर के दौरान आबंटित सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन नहीं कराने/कोर्स छोड़ देने के कारण 303 एम बी बी एस और 73 बी डी एस सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। ये सीटें परामर्श के दूसरे दौर में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को पुन: आबंटित/आवंटित की गई।

(च) परामर्श के दोनों दौरों के पूरा होने के बाद पिछले वर्ष के दौरान कोई भी एम बी बी एस/बी डी एस सीटें रिक्त नहीं रही। सभी उपलब्ध एम बी बी एस/बी डी एस सीटों को 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा- 2006 में उम्मीदवारों को आबंटित कर दिया गया है। तथापि, विभिन्न राज्यों/कालेजों से प्राप्त सूचना के अनुसार 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे की कुल 66 एम बी बी एस और 51 बी डी एस सीटें पिछले वर्ष राज्य कोटे में वापस कर दी गई थीं। राज्य कोटे में वापस की गई ऐसी सीटों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(छ) से (झ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई और अनुमोदित "स्कीम" के अनुसार परामर्श क विस्तारित दूसरे दौरे के लिए तीसरे दौर के परामर्श की कोई व्यवस्था नहीं है।

विवरण I

15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा-वर्ष, 2007 की सीटें

क्र.सं.	राज्य	एम बी बी एस सीटें	बी डी एस सीटें	कुल सीटें
1	2	3	4	5
1.	असम	58	6	64
2.	बिहार	56	6	62
3.	चण्डीगढ़	7	0	7
4.	छत्तीसगढ़	22	15	37
5.	दिल्ली	77	6	83
6.	गोवा	15	6	21
7.	गुजरात	149	13	162
8.	हरियाणा	22	9	31
9.	हिमाचल प्रदेश	16	6	22
10.	झारखंड	27	0	27
11.	कर्नाटक	157	9	166
12.	केरल	128	18	146
13.	महाराष्ट्र	286	36	322

1	2	3	4	5
14.	मध्य प्रदेश	93	6	99
15.	उड़ीसा	66	3	69
16.	iqlÄpsjh	11	6	17
17.	पंजाब	52	12	64
18.	राजस्थान	98	6	104
19.	तमिलनाडु	246	15	261
20.	त्रिपुरा	15	0	15
21.	उत्तर प्रदेश	132	6	138
22.	पश्चिम बंगाल	140	18	158
	कुल	1873	202	2075

विवरण II

वर्ष 2006 में 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा की सीटों में से राज्यों को वापस की गई सीटें

क्र.सं.	राज्य	एम बी बी एस की वापिस की गई सीटें	बी डी एस की वापिस की गई सीटें	कुल सीटें
1	2	3	4	5
1.	असम	7	2	9
2.	बिहार	4		4
3.	चण्डीगढ़	0	0	0
4.	छत्तीसगढ़	0	0	0
5.	दिल्ली	2		2
6.	गोवा	0	3	3
7.	गुजरात	4	5	9
8.	हरियाणा	4	3	7
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1

1	2	3	4	5
10.	झारखंड	2	0	2
11.	कर्नाटक	7	2	9
12.	केरल	1	5	6
13.	महाराष्ट्र	7	9	16
14.	मध्य प्रदेश	3	1	4
15.	उड़ीसा	1	2	3
16.	iqlÄpsjh	0	3	3
17.	पंजाब	2	4	6
18.	राजस्थान	3	5	8
19.	तमिलनाडु	12	2	14
20.	त्रिपुरा	1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	6	2	8
	कुल	66	51	117

इस्पात कंपनियों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

1427. श्री जुएल ओराम:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने वाली कंपनियों के नाम तथा उनकी संख्या राज्यवार क्या है;

(ग) क्या पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने वाली सभी कंपनियां निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी कंपनियों को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार सभी स्टील संयंत्रों के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (जनवरी, 2004 से जुलाई, 2007) के दौरान उड़ीसा राज्य सहित स्टील संयंत्रों को प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ऐसी सभी कंपनियों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय निर्धारित पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों के अनुपालन को नियमित रूप से मानीटर करते हैं। यदि कोई अनानुपालन पाया जाता है तो उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

1 जनवरी, 2004-31 जुलाई, 2007 के दौरान राज्यवार स्टील संयंत्रों को प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य और परियोजना का नाम	स्वरूप	मंजूरी की तारीख
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम	आयरन एंड स्टील	11 अगस्त, 05
2.	मैसर्स श्री वेंकटेश्वर स्पंज एण्ड पावर प्रा. लि.	स्टील	18 अप्रैल, 07
3.	मैसर्स कार्तिक रुकमिणि एलाय एनर्जी लिमि.	फेरो एलाय	18 मई, 07
	छत्तीसगढ़		
4.	मैसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमि. (पूर्व में इस्पात गोदावरी लि. के नाम से जाना जाता था)	आयरन एंड स्टील	2 मार्च, 06
5.	मैसर्स एसकेएस इस्पात लिमि.	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट	25 अगस्त, 06
6.	मैसर्स जायसवाल निको लिमि.	आयरन एंड स्टील	14 मई, 04
7.	मैसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमि.	आयरन एंड स्टील	03 अगस्त, 04
8.	मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज	आयरन एंड स्टील	27 जनवरी, 05
9.	मैसर्स मॉन्नाट इस्पात लिमि.	आयरन एंड स्टील	30 मई, 05
10.	मैसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमि.	आयरन एंड स्टील	10 अगस्त, 05
11.	मैसर्स नलवा स्पोंज आइरन लिमि.	स्टील	24 जनवरी, 07
12.	मैसर्स इंड सिनर्जी लिमि.	स्टील	14 दिसम्बर, 06
	गुजरात		
13.	मैसर्स एस्सार स्टील लिमि.	आयरन एंड स्टील	7 नवम्बर, 05
14.	मैसर्स एस्सार स्टील लिमि.	आयरन एंड स्टील	13 जनवरी, 06
15.	मैसर्स एस.ए.एल. स्टील लिमि.	आयरन एंड स्टील	14 नवम्बर, 06
16.	मैसर्स एस्सार स्टील लिमि.	स्टील	27 अप्रैल, 07
	झारखंड		
17.	मैसर्स टाटा स्टील लिमि.	आयरन एंड स्टील	24 मई, 05
18.	मैसर्स टाटा स्टील लिमि.	स्टील	16 अप्रैल, 07

1	2	3	4
	कर्नाटक		
19.	मैसर्स जिंदल साउथ वेस्ट स्टील लिमि. (जे एस डब्ल्यु एल)	स्टील	27 जनवरी, 06
20.	मैसर्स कल्यानी स्टील्स लिमि.	आयरन एंड स्टील	16 मार्च, 06
21.	मैसर्स मुकुंद लिमि.	आयरन एंड स्टील	16 मार्च 06
22.	मैसर्स जे.एस.डब्ल्यु. स्टील लिमि.	स्टील	5 मई, 07
	महाराष्ट्र		
23.	मैसर्स लायड् स्टील इंडस्ट्रीज लिमि.	आयरन एंड स्टील	21 जून, 05
24.	मैसर्स सनफ्लैग आयरन एण्ड स्टील कं. लिमि.	आयरन एंड स्टील	21 फरवरी, 06
	उड़ीसा		
25.	मैसर्स भूषण लिमि.	आयरन एंड स्टील	12 मई, 04
26.	मैसर्स नीपाज मेटल्स लिमि.	आयरन एंड स्टील	21 जून, 05
27.	मैसर्स भूषण स्टील एण्ड स्ट्रीपस लिमि.	आयरन एंड स्टील	30 जून, 05
28.	मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमि.	आयरन एंड स्टील	5 अगस्त, 05
29.	मैसर्स उड़ीसा स्पोंज आयरन लिमि.	आयरन एंड स्टील	19 जुलाई, 06
30.	मैसर्स टाटा स्टील लिमि.	आयरन एंड स्टील	8 नवम्बर, 06
31.	मैसर्स टाटा स्पोंज आयरन लिमि.	स्पोंज आयरन	11 अप्रैल, 07
32.	मैसर्स श्री मेटालिक्स लिमि.	स्पोंज आयरन	28 जून, 07
33.	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमि.	स्टील	22 फरवरी, 07
34.	मैसर्स आधुनिक मैटालिक्स लिमि.	स्टील	9 मार्च, 07
35.	मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमि.	स्टील	29 मार्च, 07
36.	मैसर्स टाटा स्पोंज आयरन लिमि.	स्पोंज आयरन	11 अप्रैल, 07
37.	मैसर्स एसएमसी पावर जेनरेशन लिमि.	स्टील	24 अप्रैल, 07
38.	मैसर्स टाटा स्टील लिमि.	स्टील	7 मई, 07
39.	मैसर्स श्री मेटालिक्स लिमि.	स्पोंज आयरन	28 जून, 07
40.	मैसर्स पोस्को-इंडिया	स्टील	19 जुलाई, 07
41.	टाटा स्पोंज आयरन लिमि.	आयरन एंड स्टील	11 नवम्बर, 04
	तमिलनाडु		
42.	मैसर्स साऊथर्न आयरन एंड स्टील कं.	आयरन एंड स्टील	2 जनवरी, 07
	पश्चिम बंगाल		
43.	मैसर्स रामस्वरूप लौह उद्योग लिमि.	आयरन एंड स्टील	23 अक्तूबर, 06
44.	मैसर्स एसएआईएल लिमि.	स्टील	29 मार्च, 07

[हिन्दी]

यूनानी चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता

1428. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितने अस्पताल/औषधालय हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में और अधिक संख्या में यूनानी औषधालय खोलने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो केंन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) 1.4.2006 के अनुसार, यूनानी अस्पतालों और औषधालयों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। स्वास्थ्य राज्य संबंधी विषय है और यह राज्यों का उत्तरदायित्व है कि वे जन-स्वास्थ्य अपेक्षानुसार औषधालयों को खोलें।

(घ) केंन्द्र सरकार ने देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं जिसमें शैक्षणिक संस्थानों का विकास, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और अस्पतालों तथा औषधालयों हेतु आयुष औषधियों की आपूर्ति करने के लिए केंन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के अतंर्गत राज्य सरकारों को सहायतानुदान देना शामिल है। इसके अलावा, यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष पद्धतियों को भी दृश्य-श्रव्य प्रचार के माध्यम से और मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन/सहभागिता के द्वारा संवर्धित और प्रसारित किया जा रहा है।

विवरण

1.4.2006 के अनुसार भारत में यूनानी अस्पतालों और औषधालयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूनानी	
		अस्पताल	औषधालय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	193
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	-	1
4.	बिहार	4	144
5.	छत्तीसगढ़	1	6
6.	दिल्ली	2	25
7.	गोवा	-	-
8.	गुजरात	-	-
9.	हरियाणा	1	19
10.	हिमाचल प्रदेश	-	3
11.	जम्मू-कश्मीर	3	235
12.	झारखंड	-	30
13.	कर्नाटक	13	51
14.	केरल	-	1
15.	मध्य प्रदेश	3	50
16.	महाराष्ट्र	5	25
17.	मणिपुर	-	-
18.	मेघालय	-	-
19.	मिजोरम	-	-
20.	नागालैंड	-	-
21.	उड़ीसा	-	9
22.	पंजाब	-	35
23.	राजस्थान	3	92
24.	सिक्किम	-	-
25.	तमिलनाडु	1	21
26.	त्रिपुरा	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	209	49
28.	उत्तरांचल	2	3
29.	पश्चिम बंगाल	1	3

1	2	3	4
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	-
31.	चंडीगढ़	-	-
32.	दादरा और नगर हवेली	-	-
33.	दमन और दीव	-	-
34.	लक्षद्वीप	-	-
35.	पांडिचेरी	-	-
36.	सीजीएचएस	-	9
37.	अनुसंधान परिषद	12	5
38.	रेल मंत्रालय	-	-
39.	श्रम मंत्रालय	-	-
40.	कोयला मंत्रालय	-	-
	कुल	267	1010

आंकड़े अनंतिम हैं।
(-) का तात्पर्य है शून्य
स्रोत: राज्य सरकारें और कुछ केन्द्र सरकार संगठन।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कूड़ा-कचरा पाया जाना

1429. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कूड़ा-कचरा तथा अन्य ठोस अपशिष्ट निक्षेप के लिए पाटन स्थल बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कूड़ा-कचरे के पाटन से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रशासनिक यूनिटों में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश सब-रीजन जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर और बागपत जिला शामिल हैं, राज्यस्थान सब-रीजन जिसमें अलवर जिला शामिल है, और हरियाणा सब-रीजन जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, झज्जर और पानीपत जिला शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिले और शहर अपने निजी अपशिष्ट का प्रबंध करते हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपने अपशिष्ट का प्रबंध करना अपेक्षित है और साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अपशिष्ट प्रोसैसिंग और निपटान के लिए प्राधिकार प्राप्त करना होता है। दिल्ली नगर निगम के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 6000-6500 मीट्रिक टन कूड़ा-करकट/ठोस अपशिष्ट सृजित होता है जिसे तीन भूमि भरण स्थल भलसवा, गाजीपुर और ओखला ले जाया जाता है। इन सभी तीनों स्थलों की भरण अवधि पूरी हो चुकी है और अब कूड़े-करकट के निपटान के लिए जैतपुर में एक नया इंजीनियर्ड सेनेटरी भूमिभरण स्थल निर्माणाधीन है। नरेला, बवाना में भी इंजीनियर्ड सेनेटरी भूमिभरण का विकास किया जा रहा है जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गई है।

गुजरात में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी

1430. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे पत्तन विकास तथा नौवहन क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए एक मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) भारत सरकार को गुजरात सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों में समुद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए। भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 13.3.2007 को लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में यह परिकल्पना है कि इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय चेन्नै में होगा और इसके परिसर मुम्बई, कोलकाता, विशाखापट्टणम और इसके क्षेत्राधिकार में ऐसे अन्य स्थानों में होंगे जो उपयुक्त समझे जाएं। इस विधेयक को अब जांच-पड़ताल के

लिए परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

वनों की कटाई

1431. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वनों की कटाई के कारण प्रतिवर्ष विश्व वन क्षेत्र के 13 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रतिवर्ष राज्यवार कितने वन क्षेत्र का नुकसान होता है; और

(घ) देश में इस प्रकार बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां। खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) द्वारा किए गए आकलन और 'ग्लोबल वन संसाधन आकलन (जी एफ आर ए), 2005' में दी गई सूचना के अनुसार 1990-2005 की अवधि के दौरान, प्रति वर्ष वैश्विक वनों की कटाई की दर 13 मिलियन हैक्टेयर अनुमानित थी।

(ख) 1990-2005 के दौरान, वन क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक शुद्ध हानि वाले 10 देशों की सूची निम्नलिखित है:

देश	वार्षिक परिवर्तन (000 हेक्टेयर/प्रति वर्ष)	
	1990-2000	2000-2005
1	2	3
ब्राजील	-2,681	-3,103
इन्डोनेशिया	-1,872	-1,871
सूडान	-589	-589
म्यांमार	-466	-466
जाम्बिया	-445	-445
यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया	-412	-412
नाईजीरिया	-410	-410
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोन्गा	-532	-319
जिम्बाबे	-313	-313
वेनेजुएला (बोलीवेरियन रिपब्लिक)	-228	-228

1990-2005 के दौरान वन आवरण में आए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय परिवर्तन नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्षेत्र/उप क्षेत्र	वार्षिक परिवर्तन ('000 हेक्टेयर/प्रति वर्ष)	
	1990-2000	2000-2005
पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका	-1,731	-1,702
उत्तरी अफ्रीका	-1,013	-982
पश्चिमी और केन्द्रीय अफ्रीका	- 1,631	-1,356
कुल अफ्रीका	-4,375	-4,040
पूर्वी एशिया	1,751	3,840
दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया	-2,578	-2,851
पश्चिमी और केन्द्रीय एशिया	34	14
कुल एशिया	-792	1,003
कुल यूरोप	877	661
केरीबियन	36	54
केन्द्रीय अमरीका	-380	-285
उत्तरी अमरीका	17	-101
कुल उत्तरी और केन्द्रीय अमरीका	-328	-333
कुल ओशियाना	-448	-356
कुल दक्षिणी अमरीका	-3,802	-4,251
विश्व	-8,868	-7,317

यह देखा जा सकता है कि विश्व के कुल क्षेत्रों/उप क्षेत्रों में वन आवरण में वृद्धि हुई है जिसमें पूर्वी एशिया के साथ-साथ यूरोपीय देश शामिल हैं।

(ग) खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश में 1990-2005 के दौरान वन आवरण में ह्रास नहीं हुआ है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वन आवरण में अनुमानित वृद्धि, 1990-2000 में 362,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष और 2000-2005 के दौरान 29,000 हेक्टर प्रति वर्ष थी।

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ एस आई), देश में वन आवरण का द्विवार्षिक रूप में आकलन कर रहा है और वन स्थिति रिपोर्ट 2001 और 2003 में प्रकाशित किया गया राज्य-वार वन आवरण और परिवर्तन को नीचे पुन: उद्धृत किया गया है:

2001 और 2003 में परिवर्तन सहित राज्य-वार वन आवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001 आकलन	2003 आकलन	परिवर्तन
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	44,637	44,419	-218
अरुणाचल प्रदेश	68,045	68,019	-26
असम	27,714	27,826	112
बिहार	5,720	5,558	-162
छत्तीसगढ़	56,448	55,998	-450
दिल्ली	111	170	59
गोवा	2,095	2,156	61
गुजरात	15,152	14,946	-206
हरियाणा	1,754	1,517	-237
हिमाचल प्रदेश	14,360	14,353	-7
जम्मू-कश्मीर	21,237	21,267	30
झारखंड	22,637	22,716	79
कर्नाटक	36,991	36,449	-542
केरल	15,560	15,577	17
मध्य प्रदेश	77,265	76,429	-836
महाराष्ट्र	47,482	46,865	-617
मणिपुर	16,926	17,219	293
मेघालय	15,584	16,839	1,255
मिजोरम	17,494	18,430	936
नागालैण्ड	13,345	13,609	264
उड़ीसा	48,838	48,366	-472

1	2	3	4
पंजाब	2,432	1,580	-852
राजस्थान	16,367	15,826	-541
सिक्किम	3,193	3,262	69
तमिलनाडु	21,482	22,643	1,161
त्रिपुरा	7,065	8,093	1,028
उत्तर प्रदेश	13,746	14,118	372
उत्तरांचल	23,938	24,465	527
पश्चिम बंगाल	10,693	12,343	1,650
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,930	6,964	34
चण्डीगढ़	9	15	6
दादरा और नगर हवेली	219	225	6
दमन और दीव	6	8	2
लक्षद्वीप	27	23	-4
पांडिचेरी	36	40	4
कुल	675,538	678,333	2,795

यह देखा जा सकता है कि 2001-2003 के दौरान, वन आवरण में 2,79,500 हैक्टेयर की शुद्ध वृद्धि हुई है। ये आंकड़े, अवधि में अंतर और अपनाई गई क्रियाविधि के कारण एफ ए ओ के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

(घ) भारत सरकार अवक्रमित वनों के पुनरुद्भव के लिए वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरणों (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जे एफ एम सी) के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रित ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) स्कीम, वनों की सुरक्षा और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए समेकित वन सुरक्षा स्कीम (आई एफ पी एस) और विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण हेतु बाघ परियोजना और हाथी परियोजना को क्रियान्वित कर रही है।

तटीय वनरोपण परियोजना

1432. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र तट सहित अन्य तटीय क्षेत्रों में कच्छ-वनस्पति और अन्य सम्बद्ध पौधों के संरक्षण तथा प्रबंधन द्वारा तटीय वनरोपण हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के छ: कच्छ वनस्पति क्षेत्रों, नामत: वसाई-मानोरी क्रीक, वैतरना नदी, मुम्बरा-दीवा, रेवादान्दा-कुण्डालीका, श्रीवर्धन-वराल-थुरुम्बवाड़ी और देवगढ़-विजयदुर्ग के संरक्षण, और विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को वर्ष 2000-2001 के दौरान 89 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। राज्य सरकार ने केवल 1.32 लाख रुपए की राशि खर्च की और काफी बड़ी राशि अर्थात् 87.68 लाख रुपए की राशि खर्च नहीं की गई। इस राशि का मंत्रालय ने वर्ष

2001-2002 के दौरान विधिवत रूप से पुन:वैधीकरण कर दिया। बार-बार अनुस्मारक भेजने और अनुरोध करने पर राज्य सरकार ने मार्च, 2007 में लेखे प्रस्तुत किए और राज्य सरकार के पास मौजूद 87.68 लाख रुपए की खर्च न की गई राशि का उपयोग करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र और राज्य सरकार के प्रस्ताव के संबंध में कई स्पष्टीकरण मांगे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का यातायात घनत्व

1433. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से होकर गुजरने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज के यातायात घनत्व का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज का उद्देश्य विशेषकर राजस्थान में यातायात घनत्व से निपटना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां, इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अतंर्गत संपूर्ण-स्वर्णिम चतुर्भुज जिसमें राजस्थान से गुजरने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज भी शामिल है।) को 6 लेन का बनाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V को दिसंबर, 2012 तक पूरा किया जाना है।

(ङ) इन परियोजनाओं का निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर प्रस्ताव किया जाता है।

विवरण

चतुर्भुज के विभिन्न स्थानों पर राज्यवार की गई यातायात घनत्व के आकलन के ब्यौरे

क्र.सं.	खंड का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.		राज्य
1	2	3		4
1.	दिल्ली-आगरा खंड	किमी. 32.400		हरियाणा
		किमी. 72.00	रारा-2	हरियाणा
		किमी. 164.50		उत्तर प्रदेश
2.	आगरा-बरवा अड्डा	किमी. 132		उत्तर प्रदेश
		किमी. 111		बिहार
		किमी. 220	रारा-2	बिहार
		किमी. 271+ 100		झारखंड
		किमी. 339+ 450		झारखंड
3.	दिल्ली-गुड़गांव	रारा-8		हरियाणा
4.	कोटपुतली-आमेर खंड	किमी. 211 रारा 8		राजस्थान
5.	जयपुर बाइपास	रारा-8		राजस्थान
6.	जयपुर-किशनगढ़	रारा-8		राजस्थान

1	2	3	4
7.	किशनगढ़-उदयपुर खंड	किमी. 122.20 रारा-8	राजस्थान
		किमी. 192.20 रारा-8	राजस्थान
		किमी. 192.20 रारा-8	राजस्थान
		किमी. 216.400 रारा-8	राजस्थान
		किमी. 262.200 रारा-8	राजस्थान
8.	किशनगढ़-कंवालास खंड	रारा 79ए/रारा 79	राजस्थान
9.	कंवालास-बजारो का खेड़ा	रारा 79	राजस्थान
10.	किमी. 278 किमी. 340	कि.मी 311 रारा 8	राजस्थान
11.	किमी. 340 से किमी. 388.18	किमी. 349 रारा 8	राजस्थान
12.	किमी. 113.8 से कि.मी 220	किमी. 166 रारा 76	राजस्थान
13.	ए वी एक्सप्रेस मार्ग	अहमदाबाद पथकर किमी. 2.8 एनई-I	गुजरात
		नाडियाड (किमी. 44.000) एनई-I	गुजरात
		निकास से पूर्व आनंद (किमी. 59.000) एनई-I	गुजरात
		वड़ोदरा टॉल प्लाजा (किमी. 86.2) एनई-I	गुजरात
		अहमदाबाद टॉल प्लाजा (किमी. 2.8)	गुजरात
		प्रवेश के बाद नाडियाड किमी. 44.000	गुजरात
14.	रतनपुर-हिम्मतनगर	किमी. 416 रारा 8	गुजरात
15.	हिम्मतनगर-चिलोड़ा	किमी. 472 रारा 8	गुजरात
16.	चल्थन-दहिसार	किमी. 288.2 रारा-8	गुजरात
		किमी. 346.4 रारा-8	गुजरात
		किमी. 413.6 रारा-8	महाराष्ट्र
		किमी. 440 रारा-8	महाराष्ट्र
17.	कृष्णागिरि-बनियामबाड़ी खंड	किमी. 46/850 रारा-46	तमिलनाडु
18.	बनियामबाड़ी-रानीपेट	किमी. 98.520 रारा-46	तमिलनाडु
19.	वालेजापेट-कांचीपुरम	किमी. 104.990 रारा-4	तमिलनाडु
20.	रारा 4 पुणे-सतारा	किमी. 815.5 रारा-4	महाराष्ट्र
		किमी. 748.60 रारा-4	महाराष्ट्र
21.	पुणे शहर के लिए पश्चिमी डायवर्जन	किमी. 30 रारा 4	महाराष्ट्र

1	2	3	4
22.	बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा	किमी. 537.77 रारा 4	कर्नाटक
23.	बेलगाम-धारवाड़	किमी. 483.6 रारा 4	कर्नाटक
24.	सीरा-तुमकुर व सीरा बाईपास	किमी. 76.6 रारा 4	कर्नाटक
25.	किमी. 725 से किमी. 797	रारा 4	महाराष्ट्र
26.	किमी. 0 से किमी. 34.43	रारा 4	महाराष्ट्र
27.	हटरगी गांव किमी. 537.770	रारा 4	महाराष्ट्र
28.	हीरेबागेबाड़ी गांव किमी. 537.770	रारा 4	कर्नाटक
29.	किमी. 28.2	रारा 4	कर्नाटक
30.	किमी. 33	रारा 4	कर्नाटक
31.	पूनामाली-कांचीपुरम किमी. 13.8 से किमी. 70.2	रारा 4	कर्नाटक
32.	कांचीपुरम-बालेजापेट किमी. 70.2 से किमी. 104.06	रारा 4	कर्नाटक
33.	पल्लीकोंडा-रानीपेट	किमी. 145 से किमी. 100 रारा 46	तमिलनाडु
34.	बनियामबाड़ी-पल्लीकोंडा	किमी. 100 से किमी. 49 रारा 46	तमिलनाडु
35.	कृष्णागिरि-बनियामबाड़ी	किमी. 49 से किमी. 0 रारा 46	तमिलनाडु
36.	दनकुनी-कोलाघाट	रारा 6	पश्चिम बंगाल
37.	कोलाघाट-खड़गपुर	रारा 6	पश्चिम बंगाल
38.	इच्छापुरम-श्रीकाकुलम	रारा 5	आंध्र प्रदेश
39.	चंपावती-अनापल्ली	रारा 5	आंध्र प्रदेश
40.	राजमुंदरी-गुंडुगोलानु	रारा 5	आंध्र प्रदेश
41.	विजयवाड़ा-गुंडुगोलानु खंड	किमी. 31.5	आंध्र प्रदेश
		किमी. 52.5 } रारा-5	आंध्र प्रदेश
		किमी. 416.7	आंध्र प्रदेश

कोयले की चोरी

1434. **श्री चन्द्र शेखर दुबे:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले की चोरी तथा इसके कारणों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, कोयले के अवैध खनन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए नीतियां तैयार करने हेतु इस समिति की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं जिसमें झारखंड सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप अवैध खनन की समस्या से निपटने के लिए समिति में कुछ पहलकदमियां की गई हैं।

पत्तन क्षेत्र के लिए प्रशुल्क मानदण्ड

1435. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तनों के लिए प्रशुल्क मानदण्ड तथा बोली लगाने संबंधी मापदण्ड निर्धारित करने के लिए एक कृतिक बल कि नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कृतिक बल ने अपनी सिफ़ारिशें सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) महापत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी की परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क नियतन तंत्र एवं बोली लगाने के मानदण्डों की जांच के लिए श्री अनवरूल होडा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) उक्त कार्यदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पत्तनों पर सुविधाएं

1436. **डा. पी.पी. कोया:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोच्ची, बेयपुर तथा मैंगलौर पत्तनों पर यात्री कक्ष, पेयजल, जनसुविधाएँ आदि जैसी सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पत्तन पर सामान की जांच के लिए एक्स-रे मशीन लगाने तथा सामान को लाने-ले जाने के लिए विमानपत्तनों जैसी ट्रॉली उपलब्ध कराए जाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पत्तन तथा यात्री पोतों को जोड़ने के लिए एरो ब्रिज बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारत में महापत्तन पोत परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। बेयपुर पत्तन जैसे निजी पत्तन राज्य समुद्रीय बोर्डों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। अत: बेयपुर पत्तन से संबंधित सूचना इस विभाग के पास तत्काल रूप में सुलभ नहीं है।

नव मैंगलोर पत्तन पर आने वाले परिभ्रमण (क्रूज) जलयानों के लिए आधुनिक क्रूज लाउंज निर्माणाधीन है जहां क्रूज यात्रियों के आराम के लिए सभी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

कोचीन पत्तन में लक्षद्वीप से आने वाले और वहां जाने वाले यात्रियों के लिए पीने के और जन सुविधाओं जैसी सामान्य सुविध

ाओं की व्यवस्था की गई है। यात्रियों के जहाज पर चढ़ने और जहाज से उतरने के लिए वहां पर विशिष्ट यात्री घाट या यात्री हाल नहीं है।

(ग) और (घ) नव मैंगलोर पत्तन में क्रूज लाठंज में सामान की जांच के लिए एक्स-रे सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

लक्षद्वीप प्रशासन का कोचीन पत्तन पर लक्षद्वीप के यात्रियों के लिए विशिष्ट यात्री घाट बनाए जाने का एक प्रस्ताव है जिसके लिए उक्त पत्तन ने जलाग्र (वॉटर फ्रंट) सहित अपेक्षित स्थान की पुष्टि कर दी है। लक्षद्वीप प्रशासन का प्रस्ताव है कि इस विशिष्ट घाट पर देशी यात्रियों के सामान की जांच के लिए एक्स-रे मशीनें लगाई जाएं जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होने की अपेक्षा है।

(ङ) और (च) नव मैंगलोर पत्तन में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन में बदला जाना

1437. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन में बदले जाने का है। जैसाकि दिनांक 10 अगस्त, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राजमार्गों का खण्ड-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डी बी एफ ओ) पद्धति का अनुपालन करके निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 41,210 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 6500 कि.मी राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज के 5700 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 800 कि.मी. के अन्य खंड शामिल हैं, को छह लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V को दिसंबर, 2012 तक पूरा किया जाना है। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन का बनाना

खंड	राज्य	लंबाई
(क) स्वर्णिम चतुर्भुज	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड	5700
(ख) अन्य खंड		
(i) पानीपत-जालंधर	हरियाणा और पंजाब	300
(ii) दिल्ली-हापुड़-मुरादाबाद	दिल्ली और उत्तर प्रदेश	170
(iii) समख्याली-गांधीधाम	गुजरात	56
(iv) इंदौर-देवास	मध्य प्रदेश	55
(v) आगरा-ग्वालियर	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	85
(vi) चंडीखोल-पारादीप	उड़ीसा	77
(vii) लुधियाना-चंडीगढ़	पंजाब	82

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में सुधारों हेतु समिति का गठन

1438. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में सुधारों पर गौर करने के लिए किसी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने श्री टी.एल. शंकर की अध्यक्षता में एक सात-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(ग) से (ङ) समिति रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत कर चुकी है। रिपोर्ट के भाग-I में समिति द्वारा की गई सिफारिशें/टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

(i) चूंकि कोयला वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत का प्रमुख स्रोत रहेगा, इसलिए भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, कोल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट और कोयला मंत्रालय, भारत सकरार द्वारा 15 वर्षों में क्षेत्रीय योजना के द्वारा पूरे देश को शामिल करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।

(ii) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को नवरत्न कम्पनी का दर्जा दिया जा सकता है और सीआईएल की सहायक कम्पनियों को मिनी रत्न कम्पनियां का दर्जा दिया जा सकता है जिस मामले में ऐसी सहायक कम्पनी के केवल उन्हीं प्रस्तावों के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जिसमें पूंजीगत व्यय 500 करोड़ रु. से अधिक है।

(iii) परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे को प्राथमिकता आधार पर सरकार द्वारा विचार करने हेतु उठाया जाना चाहिए।

(iv) कोयले के योजनाबद्ध आयात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(v) जो समस्त घरेलू कोयला विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं है, उसके बढ़ते अनुपात को आगामी 2 से 3 वर्षों में ई-नीलामी मार्किट में लाया जाना चाहिए।

(vi) विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति की लिंकेज की मौजूदा पद्धति के स्थान पर औपचारिक दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति और परिवहन करार किया जा सकता है जिसमें रेलवे शामिल हो।

(vii) केप्टिव कोयला ब्लाकों का पारदर्शी और प्रभावी तरीके से शीघ्र आबंटन करने के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने की आवश्यकता है।

(viii) यदि आबंटी ने आबंटित खानों में कोयले का उत्पादन करने या अन्य उपयोग यूनिटें स्थापित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं तो पूर्व में जारी लाइसेंसों को रद्द करने के लिए हर संभव कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ix) बाजार की वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में कोयले के मूल्य को विनियमित करने की आवश्यकता होगी। कोयले के मूल्य के विनियमन में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के मूल्य निर्धारण में भेद करना होगा क्योंकि यह स्वदेशी उत्पादन का 80% खपत करता है और कोयले की गुणवत्ता जो यह खपत करता है, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों को आसानी से बेची नहीं जा सकती है।

(x) कोयला के लिए रेलवे शुल्क दर अधिमानत: उच्च/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र एजेंसी द्वारा विस्तृत समीक्षा के अधीन होनी चाहिए।

(xi) योजना आयोग और कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों के परामर्श से रेलवे को मुख्य कारीडोरों का निर्धारण करना चाहिए जिनके माध्यम से बड़ी मात्रा में कोयला विद्युत संयंत्रों को जाएगा तथा कोयला परिवहन के लिए समर्पित मुख्य मार्गों को स्थापित करने की लागत और व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए।

सरकार द्वारा कृत/किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई निम्नवत हैं:

1. सीआईएल में ई-नीलामी वर्ष 2005-06 के दौरान लागू की गई है। सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा

ट्रायल आधार पर वर्ष 2005-06 में ई-मार्केटिंग के द्वारा आरंभ में 10 मिलियन टन कोयला बेचने का निर्णय लिया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 मिलियन टन कर दिया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार ने सीआईएल को ई-मार्केटिंग के द्वारा 36 मिलियन टन कोयला बेचने की अनुमति दी हैं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर इसे बंद कर दिया गया है।

2. सरकार ने सीआईएल और इसकी कुछ सहायक कंपनियों जैसे एनसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा एसईसीएल को मिनीरत्न का दर्जा दिया है।

3. "आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना के द्वारा उत्पादन बढ़ाने" की स्कीम के तहत सीआईएल ने उन 16 ओपनकास्ट परियोजनाओं/खानों की पहचान की है जहां मौजूदा खानों/परियोजनाओं से उत्पादन उच्च स्तर तक बढ़ाया जाएगा जिससे वर्ष 2012-13 तक 71.3 मि.ट. अतिरिक्त कोयला प्राप्त होगा। 16 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं सरकार/कोयला कंपनियों द्वारा अनुमोदित की गई है तथा दो परियोजनाएं अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

4. सीएमपीडीआई को आउटसोर्सिंग के द्वारा ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाने की सलाह दी गयी है।

5. विद्युत क्षेत्र और अन्यों के पक्ष में कुछ कोयला ब्लाकों का आरक्षण समाप्त करने की कार्रवाई आरंभ की गई है।

6. स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकीयों की प्रोन्नति के लिए भारत-अमेरिका कार्यदल, भारत-ईयू कार्यदल तथा एशिया प्रशांत भागीदारी आदि के सहयोग से कार्रवाई आरंभ की गई है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का तीसरा चरण

1439. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तीसरे चरण में शामिल करने के लिए कोई कार्य योजना सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-III को बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए इसके अन्तर्गत परिकल्पित योजनाएं/कार्यक्रम कौन-कौन से हैं तथा प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्रवाई योजना अनुमोदित कर दी गई है तथा वर्ष, 2007-08 के लिए 6672.89 लाख रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है।

(ग) और (घ) अवसरघाती संक्रमणों के उपचार, एंटीरिट्रोवायरल औषधों की व्यवस्था और एच आई वी कार्यनीतिक रणनीतियों को मुख्य धारा में लाने समेत उच्च जोखिम समूहों में लक्षित कार्यकलाप का दर्जा बढ़ाने, बेहतर जागरूकता हेतु व्यवहारगत परिवर्तन सम्प्रेषण, निवारक परिचर्या के विस्तार, रक्त निरापदता, एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों की सहायता और उपचार द्वारा एच आई वी के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का चरण-III तैयार किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य की निम्नलिखित योजनाओं के लिए 6672.89 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है:-

(लाख रुपए)

क्र.सं.	संघटक	आबंटन		
		पूल निधियां	एड्स, क्षय रोग और मलेरिया से निबटने के लिए वैश्विक निधि	
1.	नए संक्रमणों को रोकना	2189.25		
2.	परिचर्या, सहायता और उपचार	79.95	दौर-II और III	2627.54
3.	संस्थागत सुदृढ़ीकरण	370.04	दौर-IV	868.51
4.	कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	71.60		
	कुल आबंटन	2710.84		3496.05

इसके अतिरिक्त, एड्स क्षयरोग और मलेरिया संबंधी वैश्विक निधि के दौर-VI के लिए 466.00 लाख रुपए का आवंटन रखा गया है जिसका कार्यान्वयन बाद में दिया जाएगा।

नई कृषि योग्य भूमि का आवंटन

1440. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कारण हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बहुत से योग्य तथा गरीब लोगों को नई कृषि योग्य भूमि आवंटित करने से संबंधित मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को विशेष रियायत देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वर्ष 2002 के दौरान भरमौर और किन्नौर के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित एच.पी. नोटूर नियमावली, 1968 के अंतर्गत नोटूर की मंजूरी के लिए 167 व्यक्तियों और 34.79 हैक्टेयर वनभूमि को शामिल करके लगभग 26 मामले राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को भेजे गए थे। इन्हें कतिपय टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया गया था। अब राज्य ने पुन: 27.7.2007 को किन्नौर जिले के संबंध में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को मामला भेजा है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वनभूमि के संबंध में लोगों को पारम्परिक अधिकार प्रदान करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिनांक 12.9.1990 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे जिनमें पात्र अतिक्रमणों को विनियमन करना, वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलना तथा वन समझौते और पट्टों/लीज आदि की मंजूरी के कारण वनभूमि पर होने वाले विवादित दावों का निपटान करना आदि शामिल है।

हेपाटाइटिस-बी को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाना

1441. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत हेपेटाइटिस-बी को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में हेपेटाइटिस-बी टीका की छह मिलियन खुराक की आवश्यकता होगी;

(घ) देश में वर्तमान में इस टीके की कितनी मात्रा उपलब्ध है; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी हां, सरकार का हेपेटाइटिस "बी" को राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ख) हेपेटाइटिस "बी" का कोई प्रभावी उपचार नहीं है परन्तु एक उच्च सुरक्षित और प्रभावी टीका है जो हेपेटाइटिस-बी संक्रमण और इसके यकृत सिरोसिस और यकृत कैंसर जैसे घातक परिणामों की रोकथाम कर सकता है। राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम में सभी शिशुओं को हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाकर इसके कारण 1.5 मिलियन (15 लाख) दीर्घकालिक हेपेटाइटिस-बी संक्रमण और 0.2 मिलियन (2 लाख) मौतों को रोका जा सकेगा।

(ग) देश में प्रति वर्ष हेपेटाइटिस-बी की 6 मिलियन से भी अधिक खुराकों की आवश्यकता होगी। देश में सभी शिशुओं को टीका लगाने के लिए लगभग 100 मिलियन खुराकों की अपेक्षा होगी।

(घ) इस समय देश में पांच वैक्सीन विनिर्माता संस्थान हेपेटाइटिस-बी टीके का निर्माण कर रहे हैं। इन पांचों संस्थानों की मिश्रित स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 5160 लाख खुराकें हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाएं

1442. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर में राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा विनिर्दिष्ट विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी. आर.) से धनराशि जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंन्द्र सरकार इस संबंध में कठोर दिशा-निर्देश लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में अवस्थापना विकास की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है और उनके कार्यान्वयन के लिए निधियाँ जारी करता है। कुछ प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से संबंधित दुर्लभ मामलों में राज्य सरकारों के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में अवस्थापना विकास की कुछ उत्कृष्ट परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई निधियों के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) एन एल सी पी आर के प्रशासन के लिए समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं।

(घ) यह उपर्युक्त वर्णित मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

नए पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना

1443. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयंबटूर, मदुरै तथा देश के कुछ अन्य भागों में पासपोर्ट कार्यालय खाले जाने की मांग कॉफी समय से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए पासपोर्ट कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2007 के अंत तक कोयंबटूर, मदुरै, अमृतसर, देहरादून और रायपुर में नए पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

वीसा देने से इंकार

1444. श्री संतोष गंगवार:
श्री अनवर हुसैन:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री जुएल ओराम:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश संवर्ग के एक आई. ए. एस. अधिकारी को वीसा देने से इंकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामत: द्विपक्षीय संबंध पर क्वा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने इस विषय को चीन की सरकार के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या नतीजे निकले हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) जी, हां। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अरुणाचल प्रदेश संवर्ग के एक अधिकारी को मई, 2007 में अध्ययन दौरे के लिए चीन की यात्रा हेतु वीजा देने से इंकार कर दिया गया था, क्योंकि चीन पूर्वी क्षेत्र में लगभग 90000 वर्ग किमी भारतीय भू-क्षेत्र पर अवैध दावा करता है। सरकार ने इस मसले को राजनयिक माध्यमों से उठाया है और चीन की सरकार के समक्ष यह बात दोहराई है कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।

सेतुसमुद्रम पोत चैनल परियोजना

1445. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेतुसमुद्रम पोत चैलन परियोजना का इस परियोजना के आस-पड़ोस के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना से प्रभावित गांव कौन-कौन से हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) विस्तृत पर्यावरण-प्रभाव आकलन अध्ययन और विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जाता है कि सेतुसमुद्रम जहाज़ी नहर परियोजना के निकर्षण और पाटन (डम्पिंग) क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अत: इस परियोजना स्थल के आस-पास रह रहे लोगों की आजीविका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 31 मार्च, 2005 के आदेश के अनुसार मछुवारों सहित तटीय समुदायों के लिए लगातार बनी रहने वाली आजीविका के अवसरों की व्यवस्था के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे क्रिया-कलापों के लिए परियोजना की लागत का करीब 2% हिस्सा उपलब्ध करवाया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सी.जी.एच.एस. सुविधाएं

1446. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में किन-किन कस्बों/शहरों में सी. जी. एच. एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे और अधिक कस्बों/शहरों में सी.जी.एच.एस. सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए दो शहर शिलांग और गुवाहाटी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बांग्ला देश संयुक्त सर्वेक्षण

1447. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप के अंत:क्षेत्रों (एन्कलेवों) की दशकों पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संयुक्त सर्वेक्षण करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बांग्ला देश भी संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्टों को मानने पर सहमत है;

(ग) क्या संयुक्त सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा इसकी रिपोर्ट भारत और बांग्लादेश दोनों को मिल गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नदी प्रदूषण

1448. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में स्थित बल्लारपुर पेपर मिल द्वारा किये जो रहे बहिस्राव के कारण हो रहे नदी तथा पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण फैलाने हेतु बल्लारपुर पेपर मिल के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार बलारपुर पेपर मिल ने ब्लैक लिक्वर से रसायनों को निकालने के लिए रसायन रिकवरी संयंत्र सहित बहिस्राव शोधन सुविधा लगा ली हुई है। जैव-रसायन आक्सीजन मांग और जैव-आक्सीजन लांग को अनुज्ञेय सीमा में पाया गया है। शोधित बहिस्राव का आंशिक रूप से फैक्टरी के परिसर में प्रयोग किया जाता है और शेष का वार्धा नदी में निस्तारण किया जाता है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चूना भट्टी, गंध नियंत्रण यूनिट और सीवेज शोधन संयंत्र स्थापना के माध्यम से प्रदूषण निंत्रण प्रणाली में और सुधार के लिए उद्योग को निर्देश दिए हैं।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को प्रायोजकता

1449. श्री रनेन बर्मन: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन खिलाड़ियों को पूर्ण प्रयोजकता प्रदान करती है जिन्हें अन्तत: अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन स्तर को सुधारने के लिए बहुचरणीय प्रयास कर रही है। भारत में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, टूर्नामेंटों और विदेशी प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों की सहभागिता, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से प्रशिक्षण का प्रावधान, अपेक्षित तकनीकी सहायता से युक्त बैक-अप, उपस्करों आदि की खरीद के लिए 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता योजना' के माध्यम से सरकार द्वारा विभिन्न खेल विधाओं के विकास तथा उनमें उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही है। 'प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण' से संबंधित योजना के अंतर्गत तथा' राष्ट्रीय खेल विकास निधि' के माध्यम से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपस्कर की खरीद, वैज्ञानिक समर्थन और प्रशिक्षण का प्रावधान तथा सहभागिता के लिए मंत्रालय द्वारा सीधे सहायता भी दी जा रही है।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न अभिनिर्धारित खेल विधाओं के विशेष संभावित क्षेत्रों सहित, देश के विभिन्न भागों में नवीनतम तकनीकी विशेषताओं से युक्त प्रशिक्षण अवसंरचना और सुविधाओं की स्थापना के लिए तथा समूचे देश में अपने केन्द्रों में खेल प्रतिभा का पता लगाने और पोषण करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

युवाओं के एक बड़े वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, युवा विकास के एक अंग के रूप में और प्रतिभाओं का पता लगाने को काफी विस्तार देने हेतु संगठित खेलकूद सुविधाओं में भागीदारी प्रदान करने के लिए खेलों को व्यापक आधार प्रदान किए जाने और अवसर सृजित किए जाने को ध्यान में रखकर मंत्रालय 'पंचायत युवा खेल एवं क्रीड़ा अभियान' नामक योजना के संवर्धन की उन्नत अवस्था में है।

वन लकड़ी की अवैध कटाई

1450. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के वनों से सागवान इमारती लकड़ी तथा अन्य वन लकड़ी की वृहत स्तर पर अवैध कटाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इमारती लकड़ी तथा अन्य वन लकड़ी की अनुमानित कितनी हानि हुई; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के वनों से वृक्षों की वृहत स्तर पर अवैध कटाई की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अवैध कटाई की कुछ मामलों की सूचना मिली है। और इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वनों के अवैध दोहन के निवारण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 और उनके नियम, दिशा-निर्देश जैसे विधिक उपाय।
2. अनुमोदित कार्ययोजनाओं के अनुसार वनों से संबंधित कार्यप्रणाली, वन विकास अभिकरण और संयुक्त वन प्रबंध जैसे प्रबंध उपाय।
3. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने जैसे वित्तीय उपाय।
4. सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	इमारती लकड़ी की हानि (घन मीटर में वाल्यूम)	हानि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	असम	2003-04	2989.46	96.14
		2004-05	2586.85	124.17
		2005-06	2281.64	91.31

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2003-04	एन.ए	एन.ए.
		2004-05	एन.ए.	एन.ए.
		2005-06	एन.ए.	एन.ए.
3.	मणिपुर	2003-04	260.77	2.4
		2004-05	504.79	8.22
		2005-06	555.23	9.28
4.	मिजोरम	2003-04	326.39	10.83
		2004-05	490.77	11.84
		2005-06	275.26	7.97
5.	नागालैंड	2003-04	एन.ए.	एन.ए.
		2004-05	53.30	0.42
		2005-06	575.12	एन.ए.
6.	सिक्किम	2003-04	35.14	3.33
		2004-05	47.29	5.35
		2005-06	45.36	3.78
7.	त्रिपुरा	2003-04	1761.94	8.8
		2004-05	838.23	4.19
		2005-06	2036.44	10.18
8.	मेघालय*		4823.68	177.65

एन.ए. - उपलब्ध नहीं।
*गत पांच वर्षों के दौरान जब्त की गई इमारती लकड़ी से संबंधित सूचना।

पासपोर्ट सूचना हेतु दूरभाष-पूछताछ प्रणाली

1451. **श्री ई. जी. सुगावनम:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों ने पासपोर्ट सूचना हेतु दूरभाष-पूछताछ प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवेदकों को राज्य-वार क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सुविधाओं को देश में सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रदान किए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) 31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार 32 पासपोर्ट कार्यालयों में से 20 में पासपोर्ट से संबंधित सूचना हेतु दूरभाष-पूछताछ प्रणाली कार्य कर रही है। इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1. अहमदाबाद
2. बैंगलोर
3. बरेली
4. चंडीगढ़
5. चेन्नै
6. कोचीन
7. दिल्ली
8. गाजियाबाद
9. हैदराबाद
10. जयपुर
11. जालंधर
12. कोलकाता
13. कोझिकोड
14. मुंबई
15. पणजी
16. पुणे
17. थाणे
18. तिरुचिरापल्ली
19. तिरूवनंतपुरम
20. विशाखापटनम।

दूरभाष-पूछताछ प्रणाली के अंतर्गत, पासपोर्ट जारी करने और वैयक्तिक आवेदन-पत्रों की स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के विषय में सूचना उपलब्ध है।

(ग) और (घ) शेष बचे बारह पासपोर्ट कार्यालयों में, इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर धीरे-धीरे इस सुविधा का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

दृष्टिहीनता के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

1452. श्री रूपाताई डी. पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दृष्टिहीनता के 20 प्रतिशत मामले पराबैंगनी किरणों के कारण होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पराबैगनी किरणों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक बनाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान बताते हैं कि मोतियाबिंद के लगभग 20 प्रतिशत मामले ओवरएक्सपोरेडिएशन के कारण होते हैं। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन आगे यह भी स्पष्ट करता है कि मोतीयाबिंद से जुड़े सभी रोगों के 5 प्रतिशत मामले पराबैंगनी किरणों (यू.वी.आर.) के प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण होते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, धूप से सुरक्षा करने वाले उपायों तथा टोपियों, सनस्क्रीन एवं धूप के चश्मों, वेल्डिंग करने वालों के लिए सुरक्षात्मक शीशों आदि के प्रयोग को बढ़ावा देकर पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों के बारे में सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की जा रही है ताकि यू.वी.आर. और सूर्य की गर्मी से आंखों को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

जैव विविधता के लिए उपग्रह आंकड़े

1453. प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपग्रह आंकड़ों का उपयोग कर देश की जैव विविधता का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन के परिणामों का जैव-विविधता संरक्षण उपायों की योजना बनाने में उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय दूर संवेदी उपग्रह अधिकरण, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार ने समूचे देश के संबंध में उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए लैंडस्केप स्तर पर जैवविविधता संबंधी विशेषता पर तीन चरणों में से एक कार्यक्रम शुरू किया है। पहले दो चरण क्रमशः वर्ष 2002 और 2006 में पूरे हो चुके हैं। पहले चयन के दौरान पश्चिमी घाटों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों की जैव विविधता पर सफलता पूर्वक विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। दूसरे चरण के दौरान मध्य भारत, पूर्वी घाटों और पूर्वी तटीय क्षेत्र की कच्छ वनस्पति लैंडस्केप के संबंध में अध्ययन किया गया था। वन आवरण के प्रकार और भू-उपयोग मानचित्रण के लिए उपग्रह दूरसंवेदी आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अब तक समूचे देश के प्राकृतिक लैंडस्केप का 88 प्रतिशत और वनक्षेत्र का 91 प्रतिशत क्षेत्र कवर किया जा चुका है।

(ग) और (घ) परियोजना के अंतर्गत सृजित आंकड़ों का उपयोग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब और असम सहित विभिन्न राज्यों द्वारा किया गया है। इन राज्यों ने संबंधित राज्यों के संबंध में वन कार्य योजना तथा जैव विविधता हेतु संरक्षण कार्यनीतियां तैयार करने के लिए सृजित आंकड़ों का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय दूर संवेदी अधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन

1454. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जापान की अनुदान सहायता से महाराष्ट्र में स्थित विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए मशीनरी तथा अनिवार्य उपकरणों की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार का कोल्हापुर, लातूर, चन्द्रपुर, गढचिरौली और अमरावती में स्थित सिविल अस्पतालों और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को क्षेत्रीय रेफरल केन्द्रों में उन्नयन करने हेतु लगभग 21.45 करोड़ रुपए की लागत वाला एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के माध्यम से ज्ञापन सरकार के समक्ष वित्तीय वर्ष 2002-03 में और पुन: 2004-05 में रखा गया था।

जापान के दूतावास ने दिनांक 23 नवम्बर, 2004 के अपने सम्प्रेषण के संदर्भ से सूचना दी है कि वित्तीय सहायता के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया है।

ईस्टर्न फ्री वे परियोजना

1455. श्री मिलिन्द देवरा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई पत्तन न्यास (एम पी टी) ईस्टर्न फ्री वे परियोजना जो द्वीप नगर को जोड़ेगा, को शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ईस्टर्न फ्री वे परियोजना के निर्माण से मुम्बई क्षेत्र में यातायात संबंधी भीड़-भाड़ में कितनी कमी आएगी;

(घ) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत ईस्टर्न फ्री वे परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) ईस्टर्न फ्री वे परियोजना का ब्यौरा, इस परियोजना से मुम्बई क्षेत्र के यातायात संबंधी भीड़-भाड़ में कितनी कमी आने की संभावना है और जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त किया जा रहा है। जहां तक मुम्बई पत्तन न्यास का संबंध है अंतिम सीध एवं अन्य शर्तों के अनुमोदन की शर्त पर यह मुम्बई पत्तन न्यास संपदा से होते हुए ईस्टर्न फ्री वे परियोजना के लिए सिद्धांतत: राजी हो गया है।

पेंढारी नाला परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

1456. श्री प्रतीक ए. पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु, विशेषकर नागपुर में शिवनेर की पेंढारी नाला

परियोजना के निर्माण हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सड़क परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1457. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों के विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने और सड़क निर्माण करने के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लगाने के लिए कोई नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुरू की गई/शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान करने में किसी त्रुटि से बचने के लिए कोई निदेश/अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए एशियाई विकास बैंक, जापानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल कारपोरेशन आदि जैसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से विदेशी सहायता प्राप्त की गई है। सड़क निर्माण कार्यों में लगी विदेशी कंपनियों को सड़क निर्माण कंपनियों में 100% तक की इक्विटी के निवेश की अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई परियोजनावार विदेशी सहायता के ब्योरे संलग्न विविरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) अधिकारियों को व्यवस्था प्रक्रिया की समीक्षा और जिम्मेदारी के निर्धारण के अलावा ऋण दायित्व के समय से भुगतान की आवश्यकता की संवदेनशीलता के बारे में बताया गया है।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण की स्थिति (जुलाई, 2007)

एजेंसी	ऋण सं.	परियोजना के ब्यौरे	राज्य	समझौते की तारीख	ऋण राशि
1	2	3	4	5	6
एडीबी	1747-इंड	सूरत-मनोर टालवे परियोजना	गुजरात, महाराष्ट्र	05/10/2000	अमरीकी डालर 165,000,0000
	1274-इंड	एडीबी III, कुल 5 सड़क कार्य	हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश	12/09/1996	अमरीकी डालर 245,000,000
	1839-इंड	पश्चमी परिवहन कोरीडोर परियोजना	कर्नाटक	14/12/2001	अमरीकी डालर 191,478,791
	1944-इंड	पूर्व-पश्चिम कोरीडोर परियोजना	गुजरात	25/08/2003	अमरीकी डालर 320,000,000
	2029-इंड	राष्ट्रीय राजमार्ग कोरीडोर सेक्टर-I परियोजना	उत्तर प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश	27/10/2004	अमरीकी डालर 400,000,000
	2154-इंड	राष्ट्रीय राजमार्ग कोरीडोर सेक्टर-II परियोजना	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश	15/12/2005	अमरीकी डालर 400,000,000
		जोड़			अमरीकी डालर 1721,478,791

1	2	3	4	5	6
विश्व बैंक	4764-इन	लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	उत्तर प्रदेश, बिहार	18/11/2005	अमरीकी डालर 620,000,000
	4719-इन	इलाहाबाद बाइपास परियोजना	उत्तर प्रदेश	16/12/2003	अमरीकी डालर 240,000,000
	4622-इन	ग्रांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड	27/07/2001	अमरीकी डालर 576,470,000
	4559-इन	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड	08/11/2000	अमरीकी डालर 409,840,000
		जोड़			अमेरिकी डालर 1,846,310,000
जेबीआईसी	आईडीपी-91	उत्तर प्रदेश में पहुंच मार्गों के साथ इलाहाबाद/नैनी में यमुना पर पुल का निर्माण	उत्तर प्रदेश	24/01/1994	10037 मिलियन येन
	आईडीपी-92	आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 355 से 434 किमी. तक विद्यमान दो लेन की सड़क के सुदृढ़ीकरण सहित चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड को 4 लेन का बनाना	आंध्र प्रदेश	24/01/1994	11360 मिलियन येन
	आईडीपी-100	आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के सुदृढ़ीकरण सहित जगतपुर-चंडीखोल खंड को 4 लेन का बनाना	उड़ीसा	28/05/1995	5836 मिलियन येन
	आईडीपी-101	उत्तर प्रदेश में हापुड़ बाईपास के निर्माण सहित गाजियाबाद-हापुड़-खंड राष्ट्रीय राजमार्ग-24 का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण	उत्तर प्रदेश	28/02/1995	4827 मिलियन येन
		जोड़			32060.00 मिलियन येन

भारत में कुपोषण

1458. **श्री रशीद मसूद:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुपोषण के मामले में विश्व मंच पर भारत को अफगानिस्तान और इथियोपिया जैसे देशों के समान माना गया है;

(ख) यदि हां, तो कुपोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित करके कुपोषण को रोकने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन राज्यों/जिलों में उक्त योजना क्रियान्वयनाधीन है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 'विश्व के बच्चों की स्थिति-2007', नामक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत अफगानिस्तान और इथियोपिया में अल्प पोषण से पीड़ित पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत निम्नलिखित है:

भारत	-	46 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III)
अफगानिस्तान	-	39
इथियोपिया	-	38

(ख) सरकार ने लोगों की पोषणिक स्थिति बेहतर करने के लिए कई उपाय किए हैं। किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक लक्ष्य जन स्वास्थ्य सेवाओं अर्थात महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, रोग प्रतिरक्षण और पोषण की सर्वव्यापी सुविधा प्रदान करना है। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिक्षा और सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर पर मासिक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दिनांक 12.4.2005 को शुरू किया गया और देश भर में प्रचालित किया गया। इसमें 18 राज्यों पर, जिसमें अधिकार प्राप्त कार्य दल वाले 8 राज्य (बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, उड़ीसा एवं राज्यस्थान) 8 पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर शामिल हैं, विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

विवरण

लोगों की पोषणिक स्थिति बेहतर करने संबंधी उपाय

- कृषि और बागवानी उत्पाद बढ़ाना।
- विभिन्न आय सर्जक स्कीम के जरिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए रियायती लागत पर अनिवार्य खाद्य सामग्री की उपलब्धता।
- जागरूकता बढ़ाने, स्तानपान और विभिन्न प्रकार के आहार लेने को बढ़ावा देने सहित खान-पान की आदतों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण संबंधी शिक्षा।
- सम्पूरक आहार सहित एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीमें।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम (दोपहर का भोजन संबंधी कार्यक्रम)
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संस्थागत प्रसव, प्रसव पूर्व परिचर्या के कवरेज और गुणवत्ता, गर्भवती महिलाओं के लिए कुशल परिचर्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसवोत्तर परिचर्या को बढ़ावा देकर मातृ स्वास्थ्य।
- रोग प्रतिरक्षण।
- नवजात शिशु और बाल्यावस्था रुग्णता एवं कुपोषण का एकीकृत उपचार प्रबंधन।
- 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को लिए विटामिन-ए के सम्पूरक तथा स्कूल जाने में पहले की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आयरन एवं फालिक एसिड के सम्पूरण द्वारा विटामिन-ए और आयरन एवं फालिक एसिड की सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी को रोकन एवं नियंत्रित करने पर जोर।

* राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता जन्यविकार नियंत्रण कार्यक्रम।

[अनुवाद]

एशिया प्रशांत सम्मेलन

1459. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में आयोजित एशिया-प्रशांत सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सम्मेलन के क्या परिणाम निकले हैं;

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं। (भारत एपेक (एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग) का सदस्य नहीं है।)

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों के विनियमन हेतु प्रस्ताव

1460. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने एक ड्राफ्ट नेशनल पेपर के रूप में गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकरण और वित्तपोषण के विनियमन हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने स्वैच्छिक क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठनों संबंधी राष्ट्रीय नीति जारी की है/अन्तिम रूप दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस नीति को अन्तिम रूप देने में हो रही देरी के क्या कारण हैं और इसे कब तक अन्तिम रूप और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओज) की कार्य प्रणाली और वित्त-पोषण को विनियमित करने का कोई मसौदा राष्ट्रीय-पत्र के रूप में प्रस्तावित नहीं है। योजना आयोग द्वारा स्वैच्छिक क्षेत्रक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है जिसे गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की कार्य प्रणाली को सुकर बनाने के लिए मई, 2007 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यह नीति योजना अयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह नीति (i) स्वैच्छिक क्षेत्रक हेतु अनुकूल वातावरण बनाने; (ii) विकास में स्वैच्छिक क्षेत्रक की भागीदारी, और (iii) स्वैच्छिक क्षेत्रक के सुदृढ़ीकरण संबंधी सुझाव प्रस्तुत करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कर्मचारियों की कमी

1461. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के परिणामस्वरूप जांच में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 5959 की संस्वीकृत पद संख्या में से रिक्त पदों की संख्या 1341 है।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) विद्यमान कार्मिकों के प्रभावी प्रयोग और तैनाती से रिक्तियों के कारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

अधिकारियों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पदभार ग्रहण करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सिपाही से निदेशक स्तर तक के सभी अधिकारियों हेतु एक विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रारंभ किया है। यह सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पदों के भर्ती नियमों को भी, जब कभी आवश्यक हो, संशोधित किया गया है कि रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरा जाना है।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादों पर चित्र सहित चेतावनी

1462. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अप्पलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तम्बाकू उत्पादों पर चित्र सहित खोपड़ी और हड्डियों वाली विवादस्पद चेतावनी प्रदर्शित करने की इच्छुक नहीं है जैसा कि 12 जुलाई, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार वैकल्पिक डिजाइन तैयार करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) खोपड़ी और क्रास बोन के चित्रण के खिलाफ समाज के कतिपय वर्गों द्वारा व्यक्त चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने खोपड़ी और क्रास बोन को प्रदर्शित करना ऐच्छिक करने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य संबंधी विशेष चेतावनी 1.10.2007 से प्रवृत्त होगी।

[हिन्दी]

एचआईवी/एड्स हेतु चिकित्सीय किट

1463. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एचआईवी और एड्स जैसे घातक रोगों के निदान के लिए सस्ती चिकित्सीय किट विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में व्यापक प्रचार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी हां। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार लागत सार्थक दो देशी नैदानिक किटों नामत: नेक्स्ट आई किन्युअल एग्गल्युटिनेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स (एनईवीए) तथा वेस्टर्न इम्युनोब्लॉट ऐस्से का विकास किया गया है। इन किटों को मई 1999 में बाजार में लाया गया था। भारतीय भेषजीय उद्योगों द्वारा इनका विपणन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारत-मेक्सिको समझौता

1464. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मेक्सिको ने निवेश, उत्पादन और संरक्षण संबंधी किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त समझौते से दोनों देशों के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी हां। मेक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्री की भारत यात्रा के दौरान 21 मई, 2007 को द्विपक्षीय निवेश संरक्षण एवं संवर्धन करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) मैक्सिको के साथ करार एक मानक पाठ है, जिसे भारत ने बहुत से अन्य देशों के साथ संपन्न किया है। करार की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) करार का उद्देश्य है एक-दूसरे के देश में निवेश का संवर्धन और संरक्षण करना।

विवरण

निवेशों के संवर्धन और संरक्षण हेतु

भारत गणराज्य की सरकार तथा

युनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स की सरकार
के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और युनाईटेड मेक्सिकन स्टेट्स की सरकार (जिन्हें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष कहा गया है")

संविदाकारी पक्षों के परस्परिक लाभ के लिए आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने की इच्छा रखते हुए;

एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकरी पक्ष के भू-भाग में निवेश करने की अनुकूल स्थितियां सृजित करने तथा बनाए रखने का विचार करते हुए;

लाभकर पूंजी तथा आर्थिक समृद्धि के प्रवाह को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ निवेशों के प्रोत्साहन तथा परस्परिक संरक्षण की जरूरत को स्वीकारते हुए;

निम्न रूप में सहमत हुई हैं:

अध्याय I: सामान्य उपबंध

अनुच्छेद-1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ, शब्द:-

1. **"विवादकारी पक्षों"** का अर्थ है विवादकारी निवेशक तथा विवादकारी संविदाकारी पक्ष;

2. **"विवादकारी पक्ष"** का अर्थ है विवादकारी निवेशक अथवा विवादकारी संविदाकारी पक्ष;

3. **"उद्यम"** का अर्थ है संविदाकारी पक्ष के कानून के अतंर्गत गठित अथवा स्थापित कोई भी निकाय, जिसमें निगम, न्यास, भागीदारी व्यक्तिगत कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा अन्य संस्था शामिल हैं जो लाभ हेतु अथवा बिना लाभ की तथा निजी अथवा सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी हो सकती है;

4. **"आईसीएसआईडी"** का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केन्द्र;

5. **"आईसीएसआईडी** अतिरिक्त सुविधा नियमावली" का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केन्द्र के सचिवालय द्वारा कार्यवाहियों के प्रशासन के लिए अतिरिक्त सुविधा को शासित करने वाले नियम, जैसा भी संशोधित किया जाए;

6. **"आईसीएसआईडी अभिसमय"** का अर्थ है 18 मार्च 1965 को वाशिंगटन में संपन्न राष्ट्रों तथा अन्य राष्ट्रों के राष्ट्रिकों के बीच निवेश विवाद निपटान संबंधी अभिसमय, जैसा भी संशोधित किया जाए;

7. **"निवेश"** का अर्थ है निम्नलिखित परिसंपत्तियां, जो एक संविदाकारी पक्ष के निवेशक द्वारा संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निवेश किया गया हो, के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार स्थापित अथवा अधिगृहीत की गई हों और जिसमें पूंजी वचनबद्धता, लाभ अथवा नफे की आशा अथवा जोखिम का पूर्वानुमान शामिल हो:

(क) मेजबान संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पर्याप्त कारोबारी कार्यकलाप वाला कोई उद्यम;

(ख) किसी उद्यम में शेयर, स्टाक तथा इक्विटी भागीदारी के अन्य समान रूप;

(ग) किसी उद्यम के बांड, डिबेंचर तथा अन्य ऋण प्रतिभूति;

(i) जहां उद्यम निवेशक से संबद्ध है, अथवा

(ii) जहां ऋण प्रतिभूति की मूल परिपक्वता कम से कम तीन वर्षों की है,

किन्तु इसमें किसी संविदाकारी पक्ष अथवा राष्ट्र के उद्यम की मूल परिपक्वता के बावजूद ऋण प्रतिभूति शामिल नहीं है;

(घ) किसी उद्यम को दिए गए ऋण

(i) जहां उद्यम निवेशक से संबंद्ध है, अथवा

(ii) जहां ऋण की मूल परिपक्वता कम से कम तीन वर्षों की है,

किन्तु इसमें किसी संविदाकारी पक्ष अथवा राष्ट्र के उद्यम की ऋण प्रतिभूति शामिल नहीं है चाहे उसकी मूल परिपक्वता कुछ भी हो;

(ङ) आर्थिक लाभ के प्रयोजन अथवा अन्य व्यापार प्रयोजन की प्रत्याशा में अधिगृहीत अथवा प्रयुक्त चल और अचल संपत्ति के साथ-साथ अन्य अधिकार अधिकार जैसे बंधक-पत्र, ग्रहणाधिकार अथवा गिरवी रखना;

(च) एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ऐसे भू-भाग में आर्थिक गतिविधि में पूंजी अथवा अन्य संसाधनों की वचनबद्धता से उद्भूत हित जो निम्न प्रकार से हो;

(i) दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निवेश की संपत्ति को सम्मिलित करने वाली संविदाएं, जिनमें टर्नकी अथवा निर्माण संविदाएं शामिल हैं;

(ii) कानून द्वारा अथवा संविदा के तहत प्रदत्त व्यापार रियायतें जिनमें प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा उसके निष्कर्षण के लिए रियायतें शामिल हैं;

(iii) ऐसी संविदाएं जिनमें पारिश्रमिक बहुत हद तक किसी उद्यम के उत्पादन राजस्व तथा लाभों पर निर्भर करता है;

(छ) बौद्धिक संपत्ति अधिकार; तथा

(ज) ऊपर (क) से (छ) में दिए गए हितों के प्रकार से संबंधित धन के दावे, किन्तु उस धन हेतु ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता, जो मात्र निम्नलिखित से उद्भूत हो:

(i) एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में राष्ट्रिक अथवा उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उद्यम को माल अथवा सेवाओं को बेचने के लिए वाणिज्यिक संविदाओं से, अथवा

(ii) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (घ) से वर्णित ऋण के अलावा व्यापार वित्त पोषण जैसे वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित ऋण प्रदान करने से;

8. **"संविदाकारी पक्ष के निवेशक"** का अर्थ है:

(क) संविदाकारी पक्ष के प्रयोज्य कानूनों के अनुसार उसकी राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता प्राप्त देशजात व्यक्ति, अथवा

(ख) संविदाकारी पक्ष के कानून के अंतर्गत गठित अथवा अन्य प्रकार से संगठित कोई उद्यम जो उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में वास्तविक कारोबार संचालन में लगा हो;

जिसने दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निवेश किए हैं;

9. **"न्यूयार्क अभिसमय"** का अर्थ है 10 जून 1958 को न्यूयार्क में सम्पन्न विदेश मध्यस्थ पंचाट की मान्यता तथा प्रवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय, जैसा भी संशोधित किया जाए;

10. **"पीसीए वैकल्पिक नियमों"** का अर्थ है 20 अक्तूबर 1992 के दो राष्ट्रों के बीच विवाद में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता वैकल्पिक नियमों का स्थायी न्यायालय, जैसा भी संशोधित किया जाए;

11. **"भू-भाग"** का अर्थ है:

(क) भारत के संबंध में: भारत गणराज्य का भू-भाग जिसमें इसका सीमांतर्गत जलक्षेत्र और इसके ऊपर का वायुक्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तट हैं, जिस पर भारत गणराज्य का अपने प्रवृत्त कानूनों, समुद्र संबंधी कानून पर संयुक्त राष्ट्र के 1982 के अभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता, प्रभुसत्तात्मक अधिकार अथवा विशिष्ट क्षेत्राधिकार हो।

(ख) युनाईटेड मेक्सिकन स्टेट्स के संबंध में: युनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स का भू-भाग जिसमें उसके तट के निकट का समुद्री जल क्षेत्र यथा सीमांतर्गत समुद्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा महाद्वीपीय तट शामिल है, जिन क्षेत्रों पर मेक्सिको अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्तात्मक अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार रखता हो।

12. **"यूएनसीआईटीआरएएल माध्यस्थ नियमों"** का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के माध्यस्थम नियम, जैसा भी संशोधित किया जाए।

अनुच्छेद-2

निवेशों की अनुमति

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को निवेश करने की अनुमति देगा।

अध्याय-II निवेशों का संरक्षण

अनुच्छेद-3

राष्ट्रीय व्यवहार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को निवेशों के प्रबंधन, रखरखाव, उपयोग, उपभोग या निपटान के संबंध में ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो समान परिस्थितियों में इसके अपने निवेशकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को निवेशों के प्रबंधन, रखरखाव, उपयोग, उपभोग या निपटान के संबंध में ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो समान परिस्थितियों में इसके अपने निवेशकों के निवेशों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा।

अनुच्छेद-4

सर्वाधिक अनुग्रह-प्राप्त राष्ट्र का व्यवहार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को निवेशों के प्रबंधन, रखरखाव, उपयोग, उपभोग या निपटान के संबंध में ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो समान परिस्थितियों में किसी तीसरे राज्य के निवेशकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को प्रबंधन, रखरखाव, उपयोग, उपभोग या निपटान के संबंध में ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो समान परिस्थितियों में किसी तीसरे राज्य के निवेशकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा।

अनुच्छेद-5

न्यूनतम व्यवहार मानदण्ड

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशों को उचित एवं साम्यूपर्ण तथा पूर्ण संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करेगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को न्याय से वंचित नहीं करेगा।

3. अधिक निश्चितता के लिए:

(क) ऊपर पैराग्राफ 1 और 2 में निर्धारित दायित्वों में ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की गई है जो विदेशियों के साथ व्यवहार के पारंपरिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के न्यूनतम मानदण्ड के अतिरिक्त या उससे अधिक हो; और

(ख) यह निर्धारण कि इस करार या किसी अलग अन्तर्राष्ट्रीय करार के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, यह सिद्ध नहीं करता कि इस अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है।

अनुच्छेद-6

हानियों की क्षतिपूर्ति

एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के साथ, जिनके दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए निवेशों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में हुए युद्ध सशस्त्र संघर्ष, राष्ट्रीय आपात स्थिति, विद्रोह, दंगे अथवा गृह उपद्रवों के कारण हानियां हुई हों, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण, मुआवजे, क्षतिपूर्ति अथवा अन्य निपटान के संबंध में ऐसा व्यवहार प्रदान किया जाएगा जो किसी ऐसे व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा जो कि दूसरा संविदाकारी पक्ष अपने निवेशकों को अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों को प्रदान करता है।

अनुच्छेद-7

स्वामित्वहरण

1. कोई भी संविदाकारी पक्ष स्वामित्वहरण या राष्ट्रीयकरण का प्रभाव रखने वाले उपायों के जरिए (जिन्हें इसके बाद "स्वमित्वहरण" कहा गया है) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निवेश का स्वामित्वहरण या राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा; सिवाय तब जब यह:

(क) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हो;

(ख) भेदभाव रहित आधार पर हो;

(ग) कानूनी प्रक्रिया के अनुसार विधिवत किया गया हो; और

(घ) नीचे पैराग्राफ 2 के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए।

2. क्षतिपूर्ति:

(क) स्वामित्वहरण से तत्काल पूर्व स्वामित्वहरित निवेश के उचित बाजार मूल्य के समकक्ष होगी। उचित बाजार मूल्य में इस वजह से मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा कि अभिप्रेत स्वामित्वहरण पहले सार्वजनिक हो गया था।

उचित बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन मापदण्ड में किसी एक मापदण्ड की एकमात्र वैधता पर ध्यान दिए बिना, प्रचलित संबंधित मूल्य, परिसम्पत्ति मूल्य जिसमें भौतिक सम्पत्ति का घोषित कर-मूल्य शामिल है और अन्य यथा-उपयुक्त मापदण्ड शामिल होंगे।

(ख) अविलंब भुगतान किया जाएगा।

(ग) स्वामित्वहरण की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक वाणिज्यिक रूप से उचित दर पर ब्याज शामिल होगा।

(घ) पूर्णतया वसूली योग्य और मुक्त रूप से अंतरणीय हो।

3. कोई निवेशक जिसके निवेश का स्वामित्वहरण हुआ है, उसे अधिकार होगा कि संबंधित संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अनुसरण में किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम व स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा इस मामले की तत्काल पुनरीक्षा कराए और इस अनुच्छेद में निर्धारित उपबंधों के अनुसार ऐसे निवेश का मूल्यांकन कराए।

अनुच्छेद-8

अंतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक के निवेश से संबंधित सभी अंतरण निर्बाध और अविलंब किए जाने की अनुमति देगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अंतरणों को अंतरण की तारीख को प्रचलित बाजार विनिमय दर पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में करने की अनुमति देगा। ऐसे अंतरणों में ये शामिल हैं:

(क) लाभ, लाभांश, ब्याज, पूंजी लाभ, रायल्टी भुगतान, प्रबंधन शुल्क, तकनीकी सहायता और अन्य शुल्क तथा निवेश से प्राप्त राशियां;

(ख) निवेश के सभी अथवा किसी भाग की बिक्री अथवा निवेश के आंशिक या पूर्ण परिसमापन से प्राप्तियां;

(ग) निवेशक द्वारा की गई संविदा के तहत किए गए भुगतान अथवा इसके निवेश जिसमें ऋण करार के अनुसरण में किए गए भुगतान शामिल हैं;

(घ) स्वामित्वहरण से संबंधित क्षतिपूर्ति से उत्पन्न भुगतान;

(ङ) विवादों के निपटान से संबंधित उपबंधों के अनुप्रयोग के अनुसरण में भुगतान;

(च) अनुच्छेद 6 के अतंर्गत हानियों के लिए क्षतिपूर्ति से उत्पन्न भुगतान; और

(छ) एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों अथवा राष्ट्रिकों की आय, जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निवेश से संबंधित कार्य करते हैं।

3. ऊपर पैराग्राफ 1 और 2 के रहते हुए भी, एक संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित मामलों में अपने कानूनों के उचित, भेदभाव रहित और सद्भावपूर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से अंतरण रोक सकता है।

(क) दिवालियापन, शोध अक्षमता, ऋण दाताओं के अधिकारों की रक्षा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा सरकारी सेवानिवृत्ति अथवा सांविधिक बचत योजनाएं भविष्य निधियां सेवानिवृत्ति उपदान कार्यक्रम और कर्मचारी बीमा कार्यक्रम शामिल हैं;

(ख) प्रतिभूतियों का निर्गम करना, व्यापार करना अथवा सौदा करना;

(ग) आपराधिक अथवा प्रशासनिक उल्लंघन;

(घ) न्यायाधीन कार्यवाहियों में निर्णयों की तुष्टि सुनिश्चित करना।

4. गंभीर भुगतान संतुलन और बाह्य वित्तीय कठिनाईयों अथवा उनकी आशंका की हालत में एक संविदाकारी पक्ष निवेश से संबंधित भुगतानों अथवा अंतरणों पर प्रतिबंध लागू कर सकता है अथवा बनाए रख सकता है, जो

(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कारार की शर्तों के अनुरूप होंगे;

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक के वाणिज्यिक, आर्थिक और वित्तीय हित को अनावश्यक नुकसान से बचाएं।

(ग) इस पैराग्राफ में वर्णित परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों से अधिक ने हों;

(घ) अस्थायी होंगे और ज्यों ही इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट स्थिति सुधरती है, इन्हें प्रगामी रूप में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा;

(ङ) न्यायोचित, भेदभाव-रहित और सद्भावपूर्ण आधार पर लागू किये जाएंगे;

(च) दूसरे संविदाकारी पक्ष को तत्काल अधिसूचित किया जाएगा।

इस पैराग्राफ के अंतर्गत कोई प्रतिबंध अपनाने वाला संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर इसके द्वारा अपनाए गए प्रतिबंधों की पुनरीक्षा के लिए उसके साथ परामर्श कर सकता है।

अनुच्छेद-9

प्रतिस्थापन

1. यदि किसी संविदाकारी पक्ष अथवा इसके नामित अभिकरण ने दूसरे संविदकारी पक्ष के भू-भाग में इसके किसी निवेशक द्वारा किए गए निवेश के संबंध में गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के प्रति वित्तीय गारंटी दी हो अथवा प्रतिस्थापक के रूप में अपने अधिकारों के अतंर्गत कार्य किया हो तो दूसरा संविदाकारी पक्ष विद्यमान अथवा भावी किसी अधिकार, हकदारी, दावे, विशेषाधिकार अथवा कार्यों के प्रतिस्थापन को मान्यता देगा। संविदाकारी पक्ष अथवा उसका नामोद्दिष्ट अभिकरण को प्रतिस्थापक के रूप में मूल निवेशक से ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

2. कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जिस संविदाकारी पक्ष को निवेशक के अधिकार प्रतिस्थापित किए गए हैं, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता अथवा भाग नहीं ले सकता, न ही इस करार के अध्याय के उपबंधों के अनुसार मामले को अंतर्राष्ट्रीय विर्वाचन के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

अनुच्छेद-10

अपवाद

अनुच्छेद 3 और 4 के उपबंधों की इस प्रकार व्याख्या नहीं की जाएगी कि एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों और उनके निवेशों को निम्नलिखित के कारण किसी व्यवहार, तरजीह अथवा विशेषाधिकार के लाभ जो ऐसे संविदाकारी पक्ष द्वारा दिए जा सकते हैं, प्रदान करने पड़े:

(क) कोई विद्यमान अथवा भावी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन, मुक्त व्यापार क्षेत्र सीमा शुल्क संघ, मौद्रिक संघ अथवा कोई अन्य ऐसी ही एकीकरण व्यवस्था जिसका संविदाकारी पक्षों में से कोई एक पक्षकार है अथवा बन सकता है; अथवा

(ख) संविदाकारी पक्ष के कोई अधिकार और देनदारियां, जो पूर्णत: अथवा मुख्यत: कराधान से संबंधित अथवा पूर्णत: या मुख्यत: कराधान से संबंधित किसी देशीय कानून से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करार अथवा व्यवस्था के परिणामस्वरूप उद्भूत हों। इस करार और किसी दूसरे कर संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय करार अथवा व्यवस्था के बीच असंगति होने पर परवर्ती करार अभिभावी होगा।

अध्याय-III: विवाद निपटान

खण्ड एक: एक संविदाकारी पक्ष और दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक के बीच विवाद का निपटान

अनुच्छेद-11

निपटान के तरीके

1. यह खण्ड एक संविदाकारी पक्ष और दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक के बीच इस करार के अध्याय-II में निर्धारित किसी देनदारी के कथित उल्लंघन से उत्पन्न विवादों पर लागू होगा। किसी भी विवाद का निपटारा यथासंभव परामर्श से होना चाहिए। यदि इसका निपटारा छ: महीने के भीतर नहीं होता है तो निवेशक इसे सुलझाने के लिए निम्न को प्रस्तुत करने का चयन कर सकता है:

(क) विवादकारी संविदाकारी पक्ष के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को, अथवा

(ख) इस खण्ड के अनुसार माध्यस्थम द्वारा।

2. यदि निवेशक अथवा उद्यम जिस पर निवेशक का स्वामित्व अथवा नियंत्रण है, ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित विवाद को विवादकारी संविदाकारी पक्ष के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक न्यायालय अथवा प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करता है, वही विवाद अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम को प्रस्तुत न किया जाए जैसा कि इस खण्ड में व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद-12

आशय की सूचना, परामर्श और माध्यस्थम को दावे का प्रस्तुतीकरण

1. एक संविदाकारी पक्ष का निवेशक यह दावा माध्यस्थम को प्रस्तुत कर सकता है कि दूसरे संविदाकारी पक्ष ने इस करार के अध्याय-II में निर्धारित किसी दायित्व का उल्लंघन किया है और कि निवेशक को उस उल्लंघन के कारण अथवा उसके परिणामस्वरूप हानि अथवा नुकसान उठाना पड़ा है।

2. एक संविदाकारी पक्ष का निवेशक, दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अनुसार विधिक रूप से निगमित किसी उद्यम की ओर से, जो कि ऐसे निवेशक के स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में विविध व्यक्ति है, ऐसा दावा माध्यस्थम को प्रस्तुत कर सकता है कि दूसरे संविदाकारी पक्ष ने इस करार के अध्याय में निर्धारित दायित्व का उल्लंघन किया है और कि उद्यम ने उस उल्लंघन के कारण अथवा उसके परिणामस्वरूप हानि अथवा नुकसान उठाया है।

3. विवादकारी निवेशक द्वारा माध्यस्थम को दावा प्रस्तुत करने से पहले, विवादकारी पक्ष दावे के सौहार्दपूर्ण हल के प्रयास में पहले परामर्श करेंगे। दावा माध्यस्थम को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना देने के बाद परामर्श होंगे। परामर्श का स्थान विवादकारी संविदाकारी पक्ष की राजधानी होगी, जब तक विवाद करने वाले पक्ष अन्यथा सहमत हों।

4. विवादकारी निवेशक माध्यस्थम को दावा तभी प्रस्तुत करेगा यदि;

(क) निवेशक इस खण्ड में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माध्यस्थम हेतु सहमति दे दे;

(ख) निवेशक ने दावा प्रस्तुत करने से कम से कम 180 दिन पहले माध्यस्थम को दावा प्रस्तुत करने के अपने आशय की लिखित सूचना संविदाकारी पक्ष को सौंप दी है। ऐसे नोटिस में ये निर्दिष्ट होंगे: (i) निवेशक का नाम और पता, और उद्यम की ओर से दावा कहां किया गया है, उद्यम का नाम और पता; (ii) इस करार के उपबंध जिनका कथित रूप से उल्लंघन हुआ है और कोई अन्य संगत उपबंध; (iii) दावे का वास्तविक और विधिक आधार; (iv) मांगी गई राहत और दावा किए गए नुकसान की समुचित राशि; और (v) यह स्थापित करने वाले साक्ष्य कि यह दूसरे संविदाकारी पक्ष का निवेशक है और जब उद्यम की ओर से दावा प्रस्तुत किया गया, यह साक्ष्य कि यह ऐसे उद्यम का स्वामी है अथवा इसका नियंत्रण रखता है;

(ग) उस तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं गुजरे हों जिस तारीख को निवेशक अथवा उस उद्यम, निवेशक जिसका स्वामी है अथवा जिसका नियंत्रण करता है, को कथित उल्लंघन की पहली जानकारी मिली अथवा मिलनी चाहिए थी और यह जानकारी कि उससे निवेशक अथवा उद्यम को हानि अथवा नुकसान उठाना पड़ा है;

(घ) निवेशक और, जहां किया गया दावा उस उद्यम के हित को हानि अथवा नुकसान के संबंध में है जिस पर निवेशक का स्वामित्व अथवा नियंत्रण है, वह उद्यम संविदाकारी पक्ष के कानूनों अथवा अन्य विवाद निपटान

प्रक्रियाओं के अंतर्गत किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष विवादकारी संविदाकारी पक्ष द्वारा किए गए उपाय जो अध्याय-II के तहत हुआ कथित उल्लंघन हैं, के संबंध में किसी कार्यवाही को शुरू करने या जारी रखने के अपने अधिकार का अधित्याग कर दे, सिवाय ऐसी कार्यवाहियों के जो आदेशार्थ, उद्घोषणात्मक या अन्य असाधारण राहत के लिए हों, जिनमें विवादकारी संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अतंर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष हानियों का भुगतान शामिल न हो।

(ङ) जहां विवादकारी निवेशक द्वारा उद्यम की ओर से दावा किया जाता है, निवेशक और उद्यम दोनों ऊपर पैराग्राफ (क) और (ख) के अंतर्गत सहमति देंगे और बाजदावा प्रस्तुत करेंगे;

(च) ऊपर पैराग्राफ (क), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सहमति और बाजदावा लिखित होगा, विवादकारी पक्ष को सुपुर्द किया जाएगा और माध्यस्थम को दावे के प्रस्तुतीकरण में शामिल किया जाएगा।

5. विवादकारी निवेशक जो ऊपर पैराग्राफ 4 में निर्धारित शर्तें पूरी करता है, निम्न के अंतर्गत माध्यस्थम को दावा प्रस्तुत कर सकता है:

(क) आईसीएसआईडी अभिसमय बशर्ते कि विवादकारी संविदाकारी पक्ष और निवेशक का संविदाकारी पक्ष दोनों आईसीएसआईडी अभिसमय के पक्षकार हैं;

(ख) माध्यस्थम के यूएनसीआईटीआरएएल नियम; अथवा

(ग) आईसीएसआईडी अतिरिक्त सुविधा नियमों सहित अन्य माध्यस्थम नियम, यदि दोनों विवादकारी पक्ष सहमत हों।

अनुच्छेद-13

संविदाकारी पक्ष की सहमति

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष एतद्द्वारा इस खण्ड के अनुसार विवाद को अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम को प्रस्तुत करने की बिना शर्त सहमति देता है।

2. ऊपर पैराग्राफ 1 के अंतर्गत सहमति और विवादकारी निवेशक द्वारा माध्यस्थम को दावे का प्रस्तुतीकरण निम्न की अपेक्षाएं पूरी करेगा:

(क) आईसीएसआईडी अभिसमय (केंद्र का क्षेत्राधिकार) का अध्याय और

(ख) "लिखित में करार" हेतु न्यूयार्क अभिसमय का अनुच्छेद

अनुच्छेद-14

विवाचन न्यायाधिकरण का गठन

1. जब तक विवाद के पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, तीन मध्यस्थों को मिलाकर विवाचन न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। विवाद का प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और विवादकारी पक्ष तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होंगे जो विवाचन न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा।

2. ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित मध्यस्थों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और निवेश मामलों का अनुभव होना चाहिए।

3. यदि विवाचन न्यायाधिकरण का गठन माध्यस्थ को दावा प्रस्तुत किये जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर विवादकारी पक्ष मध्यस्थ नियुक्ति करने में असफल रहने के कारण अथवा विवादकारी पक्षों द्वारा अध्यक्ष के प्रश्न पर सहमत होने में असफल रहने के कारण नहीं किया जाता तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अगले वरिष्ठ न्यायाधीश, जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है, को विवादकारी पक्षों के अनुरोध पर अपने विवेक से अब तक नियुक्त नहीं किए गए मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति करने के लिए कहा जाएगा। तो भी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अगले वरिष्ठ न्यायाधीश अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि वह (पुरुष अथवा महिला) दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी का राष्ट्रिक न हो।

अनुच्छेद-15

समेकन

1. इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अगला वरिष्ठ न्यायाधीश, जो दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है, माध्यस्थम के यूएनसीआईटीआरएएल नियमों के अनुसार समेकन न्यायाधिकरण का गठन कर सकता है और इस खण्ड द्वारा यथा आशोधित नियमों के सिवाय ऐसे नियमों के अनुसार कार्यवाही संचालित करेगा।

2. न्यायोचित तथा कार्यक्षम समाधान के हित में, तथा जब तक विवाद से जुड़े किसी पक्ष के हितों को गंभीर हानि नहीं होती है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण कार्यवाहियों को समेकित कर सकता है जब:

(क) एक ही निवेश के संबंध में दो अथवा अधिक निवेशक इस करार के तहत मध्यस्थता का दावा प्रस्तुत करते हैं; अथवा

(ख) सामान्य कानूनी तथा तथ्यपरक मुद्दों से उठे दो अथवा अधिक दावे मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. विवादकारी पक्ष के अनुरोध पर इस करार के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण, नीचे दिए गए पैराग्राफ 4 के अनुसार समेकन न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए, अपनी शुरू की गई कार्यवाहियों को आस्थगित कर सकता है।

4. विवादकारी पक्षों को सुनने के पश्चात इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण;

(क) न्यायाधिकरण ग्रहण करके सभी अथवा दावों के भागों की साथ-साथ सुनवाई तथा निर्णय कर सकता है;

(ख) न्यायाधिकार ग्रहण करके एक अथवा अधिक दावों की सुनवाई तथा निर्णय कर सकता है बशर्ते ऐसा करके वह अन्य दावों के निपटान में सहयोग करे।

5. इस करार के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण को उस दावे अथवा उसके भाग की सुनवाई तथा निर्णय करने का न्यायाधिकार नहीं होगा जिसके लिए समेकन न्यायाधिकरण ने न्यायाधिकार ग्रहण किया है।

6. इस अनुच्छेद के अंतर्गत दावे के समेकन का इच्छुक विवादकारी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अगले वरिष्ठ न्यायाधीश को न्यायाधिकरण स्थापित करने का अनुरोध कर सकता है और अपने अनुरोध में निम्नलिखित का उल्लेख करेगा:

(क) समेकन प्रक्रिया में शामिल किए जाने वाले विवादकारी संविदाकारी पक्ष अथवा विवादकारी निवेशकों के नाम तथा पते;

(ख) किए गए समेकन अनुरोध का स्वरूप; और

(ग) किए गए अनुरोध का आधार।

7. विवादकारी पक्ष कार्यवाहियों का समेकन किए जाने के अपने अनुरोध की एक प्रतिलिपि दूसरे विवादकारी पक्ष को अथवा किसी दूसरे विवादकारी निवेशक को सौंपेगा।

8. अनुरोध प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अगला वरिष्ठ न्यायाधीश विवादकारी पक्षों के विचारों को सुनने के बाद एक न्यायाधिकरण स्थापित करेगा। न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ होंगे। एक मध्यस्थ विवादकारी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक होगा; दूसरा मध्यस्थ उस संविदाकारी पक्ष का होगा जिसके निवेशक विवाद से जुड़े हैं। तीसरा मध्यस्थ, जो विवाचन न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा, किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं होगा।

9. जहां एक विवादकारी निवेशक ने इस करार के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए दावा प्रस्तुत किया है किन्तु समेकन के अनुरोध में इसका उल्लेख नहीं किया है, तब विवादकारी निवेशक अथवा विवादकारी संविदाकारी पक्ष न्यायाधिकरण से लिखित में कह सकता है उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के अंतर्गत किए गए किसी भी आदेश में विवादकारी निवेशक को शामिल करें, यथा संदर्भित अनुरोध में निम्नलिखित का उल्लेख करेगा:

(क) विवादकारी निवेशकों के नाम एवं पते;

(ख) किए गए समेकन अनुरोध का स्वरूप; तथा

(ग) किए गए अनुरोध का आधार;

10. पैराग्राफ 9 में संदर्भित विवादकारी निवेशक उपर्युक्त पैराग्राफ 6 के अनुसरण में अनुरोध करते हुए अपने अनुरोध की एक प्रतिलिपि दूसरे विवादकारी पक्ष को सौंपेगा।

अनुच्छेद-16

मध्यस्थ का स्थान

जब तक विवादकारी पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत नहीं होते हैं, ऐसा स्थान न्यायाधिकरण द्वारा निश्चित किया जाएगा। इस खण्ड के अंतर्गत किसी भी मध्यस्था को न्यूयार्क अभिसमय के पक्षकार राष्ट्र में संपन्न किया जाएगा। न्यूयार्क अभिसमय के अनुच्छेद-1 के प्रयोजन के लिए, इस करार के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत दावों को व्यापारिक संबंध अथवा लेनदेन से उद्भूत समझा जाएगा।

अनुच्छेद-17

क्षतिपूर्ति

इस खण्ड के अंतर्गत मध्यस्थता में, विवादकारी संविदाकारी पक्ष यह प्रतिवाद, प्रतिदावा, क्षतिपूर्ति के अधिकार पर अथवा अन्यथा दावा नहीं दावा नहीं करेगा कि दूसरे विवादकारी निवेशक ने बीमा अथवा गारंटी संविदा के कारण अपने कथित क्षतिमूल्य के सभी अथवा उसके हिस्से के लिए क्षतिपूर्ति अथवा अन्य मुआवजा प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करेगा।

अनुच्छेद-18

प्रयोज्य कानून

1. इस खण्ड के अनुसरण में स्थापित किया गया न्यायाधिकरण प्रस्तुत विवादित मुद्दों के संबंध में इस करार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रयोज्य नियमों और सिद्धांतों के अनुसार निर्णय करेगा।

2. इस करार के किसी भी उपबंध के संबंध में संविदाकारी पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित तथा सहमति से बनी व्याख्या इस खण्ड के अंतर्गत स्थापित किसी भी न्यायाधिकरण के लिए बाध्यकारी होगी।

अनुच्छेद-19

पंचाट और पंचाटों का प्रवर्तन

1. जब तक विवादकारी पक्ष अन्यथा सहमत न हों, ऐसा पंचाट जिसमें कहा गया हो कि इस करार के अनुसरण में एक संविदाकारी पक्ष ने अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है, निम्नलिखित का केवल अलग से अथवा संयुक्त रूप से निर्णय दे सकता है:

(क) मौद्रिक क्षतिमूल्य तथा कोई प्रयोज्य ब्याज; अथवा

(ख) वस्तु रूप में क्षतिपूर्ति, बशर्ते संविदाकारी पक्ष क्षतिपूर्ति के बदले आर्थिक मुआवजे का भुगतान कर सकता है।

2. जब किसी उद्यम की ओर से मध्यस्थता के लिए दावा प्रस्तुत किया जाता है:

(क) वस्तु रूप में क्षतिपूर्ति के पंचाट में प्रावधान होगा कि क्षतिपूर्ति उद्यम को की जाए;

(ख) मौद्रिक क्षतिमूल्य तथा प्रयोज्य ब्याज के पंचाट में प्रावधान होगा कि राशि का भुगतान उद्यम को किया जाए; तथा

(ग) पंचाट में यह प्रावधान होगा कि यह किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है जो प्रयोज्य देशीय कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को राहत स्वरूप प्राप्त हुआ हो।

3. मध्यस्थता पंचाट अंतिम होगा तथा विशेष मामले के संबंध में विवादकारी पक्षों के बीच में पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा।

4. मध्यस्थता पंचाट को सार्वजनिक किया जाएगा, जब तक कि विवादकारी पक्ष अन्यथा सहमत न हों।

5. न्यायाधिकरण दंडात्मक हानियों का पंचाट नहीं दे सकता।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, अपने कार्य क्षेत्र के भीतर, इस अनुच्छेद के अनुसरण में जारी किए गए पंचाटों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाएगा, तथा जिसका वह पक्ष है, उन कार्यवाहियों के भीतर दिए गए किसी भी पंचाट के प्रवर्तन को सुसाध्य बनाएगा।

7. विवादकारी निवेशक आईसीएसआईडी अभिसमय अथवा न्यूयार्क अभिसमय के अंतर्गत विवाचन पंचाट की मांग कर सकता है, यदि दोनों संविदाकारी पक्ष ऐसी संधियों के पक्षकार हों।

8. विवादकारी पक्ष अंतिम पंचाट के प्रवर्तन की मांग तब तक नहीं कर सकता जब तक:

(क) आईसीएसआईडी अभिसमय के अंतर्गत दिए गए अंतिम पंचाट की स्थिति में:

(1) पंचाट दिए जाने की तिथि से 120 दिन बीत चुके हैं तथा किसी भी विवादकारी पक्ष ने पंचाट के संशोधन अथवा निरसन का अनुरोध नहीं किया है; अथवा

(2) संशोधन अथवा निरसन की कार्यवाहियां समाप्त हो चुकी हैं; और

(ख) आईसीएसआईडी अतिरिक्त सुविधा नियमों, यूएनसीआईटीआरएएल मध्यस्थता नियमों, अथवा अन्य मध्यस्था नियमों के अंतर्गत अंतिम पंचाट की स्थिति में:

(1) पंचाट दिए जाने की तिथि से तीन महीने बीत चुके हैं तथा किसी भी विवादकारी पक्ष ने पंचाट को संशोधित करने, अलग रखने अथवा निरस्त करने के लिए कार्यवाहियाँ आरंभ नहीं की हैं, अथवा

(2) न्यायालय ने पंचाट को संशोधित करने, अलग रखने अथवा निरस्त करने के आवेदन को खारिज अथवा स्वीकार किया है और अगली अपील नहीं है।

9. एक संविदाकारी पक्ष इस खण्ड के अंतर्गत विवाद के संबंध में खण्ड 2 के अनुसार कार्यवाहियों की पहल नहीं कर सकता, जब तक कि दूसरा संविदाकारी पक्ष इस खण्ड के अनुसार प्रस्तुत विवाद में दिए गए अंतिम पंचाट को मानने अथवा उसके अनुपालन में असफल नहीं होता।

अनुच्छेद-20

संरक्षण के अंतरिम उपाय

विवाचन न्यायाधिकरण विवादकारी पक्ष के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण के अंतरिम उपाय अथवा विवादकारी पक्ष

के स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में रहने वाले साक्ष्यों को सुरक्षित रखने अथवा विवाचन न्यायाधिकरण के न्यायाधिकार की रक्षा करने के आदेश सहित विवाचन न्यायधिकारण के न्यायाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आदेश दे सकता है। विवाचन न्यायाधिकरण इस करार के अनुच्छेद 12 में संदर्भित उल्लंघन करने वाले कथित उपाय के अनुप्रयोग को जब्त करने अथवा लागू करने का आदेश नहीं दे सकता। इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ आदेश में सिफारिश शामिल है।

खण्ड दो: संविदाकारी पक्षों के बीच विवादों का निपटान

अनुच्छेद-21

कार्यक्षेत्र

यह खण्ड इस करार के उपबंधों की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग से संविदाकारी पक्षों के बीच में उठे विवादों का निपटान करने के लिए लागू होगा।

अनुच्छेद-22

परामर्श तथा वार्ता

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस करार की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग पर परामर्श का अनुरोध कर सकता है। दूसरा संविदाकारी पक्ष इस अनुरोध पर पर्याप्त विचार करेगा।

2. यदि इस करार की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग पर दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच में विवाद होता है तो उसे जहां तक संभव हो सके, आपस में परामर्श और वार्ता के माध्यम से सद्भावपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा।

3. ऐसी वर्ताओं अथवा परामर्शों हेतु लिखित रूप से किए गए अनुरोध की तिथि से 6 महीनों के भीतर ऊपर उल्लिखित उपायों के माध्यम से विवाद का निपटान न होने की स्थिति में, कोई भी संविदाकारी पक्ष इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार स्थापित विवाचन न्यायाधिकरण अथवा, दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा सहमति से, किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद प्रस्तुत कर सकता है।

अनुच्छेद-23

विवाचन न्यायाधिकरण की स्थापना

1. राजनयिक माध्यमों से एक संविदाकारी पक्ष (अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष) द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष (प्रतिवादी संविदाकारी पक्ष) को लिखित नोटिस भेजे जाने पर माध्यस्थम कार्यवाहियां शुरू होंगी। ऐसे नोटिस में दावे के कानूनी तथा तथ्यात्मक आधार पर विवरण, करार के इस खण्ड के अंतर्गत कार्यवाहियां शुरू करने की अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष की इच्छा, तथा ऐसे अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थ के नाम का समावेश होगा।

2. ऐसे नोटिस को सौंपने के तीस दिनों के भीतर, प्रतिवादी संविदाकारी पक्ष अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष को अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का नाम अधिसूचित करेगा।

3. दूसरे मध्यस्थ को नियुक्त किए जाने की तिथि के बाद तीस दिनों के भीतर, संविदाकारी पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ पारस्परिक सहमति से तीसरे मध्यस्थ की नियुक्त करेंगे, जो संविदाकारी पक्षों के अनुमोदन से माध्यस्थम न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा।

4. यदि उपर्युक्त पैराग्राफ 2 और 3 में की गई व्यवस्था की समय-सीमा के भीतर आवश्यक नियुक्तियां नहीं की गई अथवा आवश्यक अनुमोदन नहीं दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष अभी तक नियुक्त नहीं किए गए मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को आमंत्रित कर सकता है। यदि अध्यक्ष किसी संविदाकारी पक्ष का नागरिक अथवा स्थायी निवासी है, अथवा वह अन्य प्रकार से यह कार्य करने में असमर्थ है, तो संदर्भित नियुक्तियां करने के लिए उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया जाएगा। यदि उपाध्यक्ष भी किसी संविदाकारी पक्ष का नागरिक अथवा स्थायी निवासी है, अथवा वह यह कार्य करने में असमर्थ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अगले वरिष्ठ सदस्य, जो किसी संविदाकारी पक्ष का नागरिक या स्थायी निवासी नहीं है, को आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

5. यदि इस अनुच्छेद में की गई व्यवस्था के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ त्यागपत्र देता है अथवा कार्य करने में असमर्थ होता है, तो उत्तराधिकारी मूल मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए निर्धारित तरीके से ही नियुक्त किया जाएगा तथा उसे मूल मध्यस्थ की सारी शक्तियां तथा कर्तव्य प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद-24

कार्यवाहियां

1. जब तक कि संविदाकारी पक्ष अन्यथा सहमत नहीं है, मध्यस्थता के स्थान का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा।

2. माध्यस्थम न्यायाधिकरण अपनी सक्षमता से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय करेगा और संविदाकारी पक्षों के बीच हुए किसी करार के अध्यधीन पीसीए वैकल्पिक नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

3. कार्यवाहियों के किसी भी चरण पर और किसी भी समाधान के जारी किए जाने से पूर्व माध्यस्थम न्यायाधिकरण संविदाकारी पक्षों के समक्ष प्रस्ताव रख सकता है कि विवाद को सद्भाव पूर्ण तरीके से निपटाया जाए।

4. माध्यस्थम न्यायाधिकरण सदैव संविदाकारी पक्षों की उचित सुनवाई करेगा।

अनुच्छेद-25

पंचाट

1. माध्यस्थम न्यायाधिकरण बहुमत से अपना निर्णय करेगा। पंचाट लिखित रूप में जारी किया जाएगा और इसमें प्रयोज्य तथ्यात्मक और विधिक निष्कर्ष निहित होंगे। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को हस्ताक्षरित पंचाट दिया जाएगा।

2. पंचाट निर्णायक होगा और संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद-26

प्रयोज्य कानून

इस खण्ड के तहत स्थापित न्यायाधिकरण इस करार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रयोज्य नियमों और सिद्धान्तों के अनुसार विवाद से संबद्ध मुद्दों का निर्णय करेगा।

अनुच्छेद-27

वाद-व्यय

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष नियुक्त किए गए अपने मध्यस्थ का और कार्यवाहियों में किसी विधिक प्रतिनिधित्व का वाद व्यय वहन करेगा। पीठासीन मध्यस्थ का वाद व्यय और माध्यस्थम के संचालन से जुड़े अन्य व्यय संविदाकारी पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे, जब तक कि माध्यस्थम न्यायाधिकरण यह निर्णय नहीं लेता कि वाद व्यय का बड़ा हिस्सा किसी एक संविदाकारी पक्ष द्वारा वहन किया जाए।

अध्याय IV अंतिम उपबंध

अनुच्छेद-28

करार का अनुप्रयोग

इस करार के उपबंध एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए सभी निवेशों पर लागू होंगे, भले ही वे इस कारार के प्रवृत होने की तिथि से पूर्व या बाद में किए गए हों।

अनुच्छेद-29

परामर्श

1. कोई भी संविदाकारी पक्ष इस करार से संबंधित किसी मामले पर परामर्श करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के समक्ष प्रस्ताव रख सकता है। ये परामर्श संविदाकारी पक्षों द्वारा सम्मत स्थान और समय पर किए जाएंगे।

2. संविदाकारी पक्ष इस करार के प्रवृत्त होने के बाद किसी भी समय इस करार के अनुच्छेद 18 के पैराग्राफ 2 के अनुसार अनुच्छेद 7 की संयुक्त व्याख्या करने पर एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद-30

कार्मिकों का प्रवेश और निवास

गैर-नागरिकों के प्रवेश और निवास से संबंधित अपने प्रयोज्य कानूनों के अध्यधीन रहते हुए संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के देशजात व्यक्तियों को और दूसरे संविदाकारी पक्ष के उद्यमों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को निवेशों से जुड़े कार्यकलाप करने के प्रयोजनार्थ अपने भू-भाग में प्रवेश करने और रहने की अनुमति प्रदान करेगा।

अनुच्छेद-31

सुरक्षा से संबंधित अपवाद

इस करार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेजबान संविदाकारी पक्ष को अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण अथवा अत्यधिक आपातिक परिस्थितियों में समान्यतया और युक्तिसंगत रूप से भेदभाव रहित आधार पर प्रयोज्य अपने कानूनों के अनुसार कार्वाई करने से बाधित करे।

अनुच्छेद-32

करार का प्रवृत्त होना, समयावधि और समाप्ति

1. संविदाकारी पक्ष इस कारार के अनुमोदन और प्रवृत्त होने से संबंधित अपनी संवैधानिक अपेक्षाओं के पूर्ण होने की एक-दूसरे को लिखित में अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार राजनयिक माध्यमों से अंतिम अधिसूचना दिए जाने की तिथि से तीस दिन बाद प्रवृत्त होगा।

3. इस करार में संविदाकारी पक्षों की परस्पर सहमति से संशोधन किया जा सकता है, और सम्मत संशोधन ऊपर पैराग्राफ 1 और 2 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में प्रवृत्त किए जाएंगे।

4. यह करार दस वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। इसके बाद यह दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष को करार समाप्ति के लिखित नोटिस दिए जाने की तिथि से बारह महीने तक जारी रहेगा।

5. इस करार के समाप्त होने से पूर्व किए गए निवेशों के संबंध में, इस करार के उपबंध करार समाप्त होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी बने रहेंगे।

नई दिल्ली में दिनांक 21 मई, 2007, को सम्पन्न इस करार की हिन्दी, स्पेनिश तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियां तैयार की गई हैं, प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	युनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स की सरकार की ओर से
(पी. चिदम्बरम) वित्त मंत्री	(एदुआरदो सोखो गारज़ा-अल्देप) अर्थ मंत्री

अर्थव्यवस्था

अनुच्छेद 12 का अनुबंध

1. इस करार के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित आशय का नोटिस निम्नलिखित विधि से भेजा जाएगा:

भारत के संबंध में, सचिव का कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को; और मेक्सिको के संबंध में, अर्थ मंत्रालय के विदेशी निवेश महानिदेशालय को।

उपयुक्त स्थानों में कोई भी परिवर्तन मेक्सिको के मामले में सरकारी राजपत्र में तथा भारत के मामले में प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि ऐसा कोई संशोधन किया जाता है, तो यह संबंधित संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष को राजनयिक टिप्पणी के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

2. विवादकारी निवेशक इस करार के अनुच्छेद 12.2 में उल्लिखित आशय की लिखित सूचना संविदाकारी पक्ष जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, के आधार पर जैसा भी प्रयोज्य हो, स्पेनिश या अंग्रेजी में प्रस्तुत करेगा। यदि उक्त आशय का नोटिस उक्त भाषाओं से इतर किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो किसी विशेषज्ञ द्वारा किया गया तदनुरूप अनुवाद भी शामिल किया जाएगा।

3. परामर्श की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए निवेशक आशय के नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएगा:

(क) पासपोर्ट या राष्ट्रीयता का कोई भी अन्य सरकारी दस्तावेज जहां निवेशक देशजात व्यक्ति है अथवा विवाद-भिन्न संविदाकारी पक्ष के कानून के अंतर्गत निगमन या संगठन का कोई अन्य दस्तावेज या निगमन का कोई अधिनियम जहां निवेशक ऐसे संविदाकारी पक्ष का कोई उद्यम है;

(ख) जहां संविदाकारी पक्ष का निवेशक दूसरे संविदाकारी पक्ष के उद्यम, जो ऐसा विधिक निकाय है जिस पर उस निवेशक का स्वामित्व या नियंत्रण है, की ओर से माध्यस्थम हेतु दावा प्रस्तुत करता है:

(1) विवादकारी संविदाकारी पक्ष के कानून के अंतर्गत निगमन का कोई अधिनियम अथवा निगमन या संगठन का कोई स्तावेज; और

(2) यह सिद्ध करने वाला दस्तावेज कि विवादकारी निवेशक के पास उद्यम का स्वामित्व या नियंत्रण है।

(ग) जहां भी प्रयोज्य हो, मुख्तारनामा या ऐसा दस्तावेज जो यह सिद्ध करे कि वह व्यक्ति विवादकारी निवेशक की ओर से कार्य करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत है।

गुर्दों का अवैध प्रत्यारोपण

1465. श्री अबु अयीश मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में "किडनी रैकेट" के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए/पता चला हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपराधियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पीड़ितों की सुरक्षा के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन मानव अंगों की खरीद और बिक्री पहले ही प्रतिबंधित है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन नियुक्त किए गए समुचित प्राधिकारी मानव अंगों की खरीद और बिक्री से संबंधित शिकायतों सहित इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की जांच करने के लिए सशक्त हैं। इस अधिनियम में बिना प्राधिकार के मानव अंगों को हटाने के लिए और मानव अंगों का व्यावसायिक व्यापार करने के लिए दण्ड देने हेतु पहले से ही कठोर उपबंध हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों में अवैध वृक्क और अन्य अंगों के प्रतिरोपण के सूचित मामले और उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित मामले के ब्यौरे
1	2	3
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली पुलिस ने रिसर्च एवं रैफरल अस्पताल, नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली, सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली और कक्कड़ अस्पताल, अमृतसर में अवैध वृक्क प्रतिरोपण के संबंध में छह एफआईआर दर्ज की हैं। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस ने दस लोगों को गिरफ्तार किया।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी, 2004 में बम्बई अस्पताल, मुम्बई के डा. एस.पी. त्रिवेदी पर मानव अंगों का अवैध व्यापार करने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के लिए अभियोग चलाया गया है।
3.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में प्रतिरोपण के लिए मानव अंगों विशेषकर वृक्क की बिक्री के कुछ मामलों का पता चला है जिनकी जांच इस प्रयोजन के लिए गठित विशेष जांच दल द्वारा की जा रही है। जांचों के परिणामस्वरूप, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अस्पताल नामत: राम सरण दास किशोरी लाल चेरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, अमृतसर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। तथापि, राज्य में अंग प्रतिरोपण के नाम पर गरीबों का बड़े पैमाने पर शोषण नहीं हो रहा है।
		अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अंगों की कोई व्यावसायिक बिक्री सूचित नहीं की है।

[हिन्दी]

गंगा नदी में प्रदूषण

1466. श्री जे.एम. आरुन रशीद:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार 'गंगा' नदी में प्रदूषण के उपशमन से संबंधित कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय स्रोतों का ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के लिए विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कितना ऋण दिया गया है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) भारत सरकार ने नदी के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण कार्य करने के लिए वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना चरण-I शुरू किया गया था और यह वर्ष 2000 में पूरा हो गया। गंगा कार्य योजना चरण-1 में गंगा के पूरे प्रदूषण भार को शामिल नहीं किया गया अत: वर्ष 1993 के आगे गंगा कार्य योजना-II को चरणों में अनुमोदित किया गया था। गंगा नदी के लिए स्वीकृत 541 स्कीमों में से प्रदूषण निवारण की 380 स्कीमें दोनों चरण में पूरी हो चुकी हैं। जिसके परिणामस्वरूप अब तक प्रतिदिन 953 मिलीयन लीटर की सीवेज शोधन क्षमता की गई है। गंगा कार्य योजना के दोनों चरण के अंतर्गत पूरे हो चुके प्रदूषण निवारण कार्यों से गंगा नदी की जल गुणता में देश के स्वतंत्र ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा की गई मानीटरिंग के अनुसार गंगा कार्य योजना से पूर्व की इसकी गुणता में मुख्य स्थलों पर बहुत अधिक सुधार देखा गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के लिए दोनों चरणों के अंतर्गत कार्यों के लिए कुल 714.14 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं जिसमें 33.04 करोड़ रुपये विदेशी एजेंसियों से लिया गया ऋण है।

नदी प्रदूषण निवारण कार्यों का कार्यान्वयन भारत सरकार का चल रहा और सतत कार्य है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमानित प्रदूषण भार के आधार पर गंगा नदी के लिए प्रदूषण निवारण की विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है। गंगा के किनारे लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि और कार्यों को करने के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में अंतर होने के कारण निपटाए गए प्रदूषण और वास्तविक प्रदूषण भार के बीच निरन्तर भिन्नता रहने की संभावना होती है।

भारत-अमरीका असैनिक परमाणु समझौता

1467. **डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया:**
श्री संतोष गंगवार:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्रीमती नीता पटैरिया:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री पी. सी. थामस:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री मोहन सिंह:
श्री अर्जुन सेठी:
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:
श्री मोहन रावले:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री मो. ताहिर:
श्री सुभाष महरिया:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-अमरीकी असैनिक परमाणु सहयोग जिसे "123 समझौते" के नाम से भी जाना जाता है, को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते में "हाइड एक्ट" और प्रयुक्त परमाणु ईंधन का पुनर्संवर्धन इत्यादि जैसे मुद्दों पर भारत द्वारा जताई गई चिंताओं का भी ध्यान रखा गया है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में जी-8 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति से मुलाकात की है;

(ङ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या सरकार ने परमाणु समझौते के ब्यौरे को जारी करने का निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एन एस जी) के सदस्य देशों ने इस परमाणु समझौते को अपना समर्थन दिया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों ने इस समझौते का समर्थन किया है तथा यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) उक्त समझौते के परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग), (च) और (छ) भारत और अमरीका ने पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग पर एक करार के पाठ को अंतिम रूप दिया है, जो जुलाई, 2005 और मार्च, 2006 की सहमति तथा 17 अगस्त, 2006 को संसद में प्रधानमंत्री की व्यक्त प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। करार के पूर्ण पाठ को 3 अगस्त, 2007 को सार्वजनिक कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जून, 2006 और जुलाई, 2007 के बीच वार्ता के पांच दौर हुए थे। जून, 2007 में हुए जी-8 शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश से मिले थे और दोनों नेताओं ने पूर्ण नाभिकीय सहयोग के द्विपक्षीय करार को शीघ्र पूरा करने की अपनी-अपनी प्रतिबद्धताएं दुहरायी।

(ज) और (झ) पूर्ण नाभिकीय सहयोग पर भारत-अमरीका के बीच सहमति के संबंध में सकारात्मक प्रगति का यू. के., फ्रांस और रूस जैसे महत्वपूर्ण एन एस जी देशों ने स्वागत किया है। एन एस जी सदस्य देशों के साथ यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ञ) इस करार से भारत ऊर्जा सुरक्षा तथा दीर्घकालिक विकास की दोहरी चुनौतियों को पूरा कर सकने में सक्षम होगा और इससे

प्रौद्योगिकी विहीन व्यवस्था समाप्त होगी, जो कि कई दशकों से हमारे विकास में मुख्य बाधा बनी हुई थी।

महानगरों में प्रदूषण

1468. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री पारसनाथ यादव:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों सहित देश के विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) महानगरों में प्रदूषण का वर्तमान स्तर कितना है;

(घ) क्या देश में किसी वायु निगरानी स्टेशन की स्थापना की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन स्टेशनों द्वारा विशेषकर बड़े शहरों में वायु गुणवता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अंतराष्ट्रीय निकायों से मदद लेने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा देश में वायु प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जबकि महानगरों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सल्फर डाईआक्साइड के प्रदूषण स्तर में कमी के रुख को देखा गया है, नाईट्रोजन डाइआक्साइड में उतार-चढ़ाव का रुख पाया गया, ये दोनों प्रदूषक सामान्य तौर पर अनुमेय सीमा के अंतर्गत हैं। तथापि, श्वसनीय निलंबित विविक्त कण पदार्थ के स्तर (वायु प्रदूषण का एक अन्य संकेतक) उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश शहरों में निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक पाए गए हैं।

(घ) से (च) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संघ शासित क्षेत्र और अन्य स्थानों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी सी सी) के सहयोग से 339 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणता की निगरानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरिंग प्रोग्राम के तहत देश के 25 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में 126 शहरों/कस्बों में कवर कर रहा है। वायु गुणवत्ता का उचित मूल्यांकन करने के लिए देश में सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना करने के लिए संबंधित एस पी सी बी/पी सी सी के सहयोग से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक कार्यक्रम को भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत 32 सतत् वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।

(छ) और (ज) इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जी टी जेड के माध्यम से सतत् वायु गुणवत्ता मानीटरी करने और स्त्रोत संविभाजन और उत्सर्जन इनवेंट्री अध्ययन जैसे विशिष्ट अध्ययन करने के लिए एक मोबाइल वैन विकसित करने के लिए जर्मनी से सहयोग लिया है।

(झ) वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किये गये उपायों में शामिल हैं:

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत उद्योगों और वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना।
- विनिर्माण स्तर पर नए वाहनों के ऑटो एग्जास्ट उत्सर्जन मानकों को लागू करना।
- उन्नत ईंधन की क्वालिटी।
- थर्मल पावर स्टेशनों में लाभकारी कोयले का उपयोग।
- स्त्रोत संविभाजन अध्ययनों की शुरूआत करना।
- पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक ट्रन्सपोर्ट वाहनों को हटाना।
- 24 गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान करना और इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की पुन: स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार करना।

सी.बी.आई. जांच

1469. **श्री रामदास आठवले:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राज्यवार कितने मामलों की जांच की जा रही है;

(ख) उक्त मामलों की जांच कब से की जा रही है;

(ग) इन मामलों की जांच पूरी होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों की जांच पूरी करके इन्हें शीघ्र न्यायालयों में भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) 31.07.2007 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास 1331 मामले निम्नलिखित विवरण के अनुसार जांचाधीन थे:

(i)	एक वर्ष से कम	734
(ii)	एक वर्ष से अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम	414
(iii)	दो वर्ष से अधिक	183

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भारी भरकम दस्तावेजों की छानबीन तथा बड़ी संख्या में गवाहों/साक्ष्यों की जांच की अपेक्षा रखने वाले मामलों की जटिल प्रकृति के कारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को मामलों की जांच करने में समय लगता है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सभी मामलों की जांच शीघ्रातिशीघ्र पूरी करने का प्रयत्न करता है। मासिक तथा त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित करने की एक निर्धारित व्यवस्था है जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषणाधीन मामलों को शीघ्रता से अंतिम रूप देने की दृष्टि से उनकी जांच की जाती है। विभिन्न प्रकार के मामलों में जांच को अंतिम रूप दिए जाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अपराध) मैनुअल में मानक भी निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 218 को चौड़ा करना

1470. श्री पी.सी. गद्दीगउडर क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुलागेरी से केरुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 218 को चौड़ा करने के कार्य में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 218 के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ करने के लिए, सुविधाओं के स्थानांतरण और 92.00 से 115.00 किमी. जिसमें कुलागेरी से केरुर तक खंड शामिल है, तक पुलियाओं के पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण के लिए 290.42 लाख रु. का एक प्राक्कलन प्रथम स्तर पर वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत किया गया था। यद्यपि, वार्षिक योजना 2007-08 में इस खंड को चौड़ा करने का प्रावधान है, इस कार्य को सुविधाओं के स्थानांतरण का कार्य पूरा होने के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

मलेरिया की रोकथाम हेतु उपाय

1471. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में मलेरिया की रोकथाम के लिए गम्बूजिया और लार्वा फिश का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। मछली का जनस्वास्थ्य में व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया है। मच्छर के लार्वा के विरुद्ध सर्वाधिक सफल एवं व्यापक तौर पर प्रयुक्त जैविक नियंत्रण अभिकर्मकों में से एक पानी की ऊपरी सतह में पाई जाने वाली मिनों या मॉसक्वीटो फिश गैम्बुशिया एफिनिस है। गैम्बुशिया के अलावा जिस मछली ने मच्छर नियंत्रक अभिकर्मक के रूप में सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया है और वह पोएसिलिया रेटिक्युलेटा, सामान्य गुप्पी है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शहरी मलेरिया योजना में मच्छर के नियंत्रण के लिए मछली का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। हाल के वर्षों में राज्यों ने वेक्टर नियंत्रण के संपूरक उपाय के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के मच्छर पैदा होने वाले उपयुक्त स्थानों में गैम्बुशिया तथा पोएसिलिया मछलियों के प्रयोग को बढ़ाया है। सभी राज्यों को जैविक नियंत्रण की विधि के रूप में मछली के प्रयोग को बढ़ाने की सलाह दी गई है।

(ग) भारत सरकार ने इन मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- जिला/खंड स्तर पर लार्वाभोजी मछली की हैचरी का विकास।

- ग्राम स्तर पर छोटी हैचरी का निर्माण जिससे कि उन्हें गांव के विभिन्न जलाशयों में डाला जा सके।
- लार्वाभोजी मछली के संवर्धन के लिए सभी राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश तथा सलाह दी गई है।
- कृषि मंत्रालय (मत्स्य उद्योग प्रभाग) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय (पंचायती राज संस्था) को भी इन मछलियों के उत्पादन कार्य में शामिल किया गया है।

हज यात्री

1472. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के लिए कितने हज यात्रियों का चयन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) हज 2007 के लिए सऊदी अरब की सरकार द्वारा भारत के लिए आबंटित कोटा 1,57,000 हज यात्रियों का है। भारत की हज समिति को 1,10,000 हज यात्रियों का और निजी टूर आपरेटरों को 47,000 हज यात्रियों का कोटा आबंटित किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) राज्यों के लिए निर्धारित भारत की हज समिति का कोटा उनकी मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बराबरी से राज्यों को पहले ही आबंटित कर दिया गया है, साथ ही उन राज्यों के अप्रयुक्त कोटे को भी राज्यों में आबंटित कर दिया गया है जहां अतिरिक्त कोटा उपलब्ध था।

अवैध शिकाररोधी रणनीति संबंधी समिति

1473. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाघ अभयारण्यों में और उसके आस-पास के संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी अवैध शिकाररोधी रणनीति के एक भाग के रूप में किसी अंतर्राज्यीय समन्वय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए अवैध शिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा बाघों के अवैध शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, निम्नलिखित बाघ रिजर्वों/सुरक्षित क्षेत्रों की संवेदनशील सीमाओं के किनारे अवैध शिकाररोधी रणनीति में सहयोग करने के लिए सीमाओं के किनारे अवैध शिकार की समस्याओं की आवधिक समीक्षा करने हेतु अंतर-राज्यीय समन्वय समितियां गठित की गई हैं:

(i) रणथम्भोर बाघ रिजर्व (राजस्थान) और पालपुरकुनो वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)

(ii) बांदीपुर बाघ रिजर्व (कर्नाटक), मुडमालई वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान (तमिलनाडु) और व्यानाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल)

(iii) पेंच बाघ रिजर्व (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश)

(ग) विभिन्न राज्यों के विभिन्न फील्ड फार्मेशन्स में व्यक्तिगत अवैध शिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का भारत सरकार स्तर पर मिलान नहीं किया जाता है।

(घ) बाघों का अवैध शिकार रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

बाघों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों को सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6.6.2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. निम्नलिखित बाघ रिजर्वों/सुरक्षित क्षेत्रों की संवदेनशील सीमाओं के किनारे अवैध शिकाररोधी रणनीति में सहयोग करने के लिए सीमाओं के किनारे अवैध शिकार की समस्याओं की आवधिक समीक्षा करने हेतु अंतर-राज्यीय समन्वय समितियां गठित की गई हैं:

(i) रणथम्भोर बाघ रिजर्व (राजस्थान) और पालपुरकुनो वन्यजीव अभयारण्य/मध्य प्रदेश)

(ii) बांदीपुर बाघ रिजर्व (कर्नाटक), मुडमालई वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान (तमिलनाडु) और व्यानाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल)

(iii) पेंच बाघ रिजर्व (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश)

वित्तीय उपाय

6. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

8. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

9. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

वियतनाम के प्रधानमंत्री की यात्रा

1474. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में वियतनाम के प्रधान मंत्री ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उस दौरान हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस अवसर पर किन-किन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) शिष्टमंडल स्तरीय वार्ताओं के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंर्तराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित पर हस्ताक्षर किए गए: भारत और वियतनाम के बीच सामरिक भागीदारी की स्थापना करने पर एक संयुक्त घोषणा और मत्स्य-पालन एवं जलकृषि क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन सहित आठ करार/समझौता ज्ञापन, वर्ष 2007-2010 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, वर्ष 2007-2009 के लिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में कार्य योजना, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा वियतनाम के दनांग नगर में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन, शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, राजनयिक संपत्तियों के आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन और टाटा स्टील तथा वियतनाम निगम के बीच समझौता ज्ञापन।

(घ) इस यात्रा के दौरान हुए करारों और समझौतों से भारत और वियतनाम के बीच और मजबूत संबंध स्थापित करने में योगदान मिलेगा, जो दोनों देशों के हित में है और इससे वृहत एशियाई क्षेत्र में शांति और समृद्धि में योगदान मिलेगा।

कोयला क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर चर्चा हेतु बैठक

1475. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता में 1 जनवरी, 2007 को कोयला क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों विशेषकर एकीकृत ऊर्जा नीति संबंधी समिति द्वारा की गई मांग अनुमानों के मद्देनजर कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयला क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 11 जनवरी, 2007 को एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी।

(ख) बैठक में चर्चा किए गए कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुद्दे और उनके परिणाम नीचे दिए गए हैं:-

(i) **कोयला लिंकेज:** कोल इंडिया लि. (सीआईएल) से लिंकेज के लिए अपेक्षाकृत अधिक कोयला मुहैया कराने के लिए कहा गया था।

(ii) **भूमिगत खनन:** 11वीं योजना के दौरान भूमिगत खानों से उत्पादन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) **हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का उपयोग (हैम):** सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों को अपने सभी उपकरणों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करना चाहिए।

(iv) **कोयला परिष्करण:** वाशरियों की स्थापना करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और विद्यमान वाशरियों को अपनी क्षमता उपयोग में सुधार करना चाहिए।

(v) **सकल कैलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) के आधार पर कोयले का मूल्य निर्धारण:** कोयले की ग्रेडिंग उपयोगी ताप मूल्य (यूएचवी) से जीसीवी में परिवर्तित की जा सकती है

(vi) **कार्मिक प्रबंधन:** सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता है और कार्यपालकों के कैरियर की उन्नति/प्रोन्नति की प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।

(vii) **ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए):** विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(viii) **कोयला खानों** में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

(ix) **परियोजना प्रतिपादन:** कोयला परियोजनाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

(x) **कोयले का अन्वेषण:** कोयले के अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) मंत्रालय, बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रहा है।

अस्पतालों में सेवाओं का निजीकरण

1476. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में अपने प्रमुख अस्पतालों में विभिन्न सेवाओं का निजीकरण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ चयनित अस्पतालों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम्स जैसे प्रस्तावित छह संस्थानों को भी निजी-सरकारी भागीदारी के मॉडल के अंतर्गत लाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) वर्तमान में केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में विभिन्न सेवाओं के निजीकरण तथा सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल पर एम्स जैसी छह संस्थाएं स्थापित करने को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

खेल विद्यालय और संस्थाएं

1477. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने खेल विद्यालय/संस्थाएं हैं और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन विद्यालयों/संस्थाओं को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार इन विद्यालयों/संस्थाओं के कार्यकरण से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है।?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कोई खेल स्कूल नहीं खोला है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण के 126 राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा केन्द्र, 10 विशिष्ट क्षेत्र खेल केन्द्र, 57 भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र 18 सेना बाल खेल कंपनी योजना केन्द्र और 10 उत्कृष्टता केन्द्र हैं जहां खिलाड़ियों को विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण का पाटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान नाम एक शैक्षिक स्कंध है।

(ख) निधियां किसी भी केन्द्र को सीधे नहीं दी जाती है। निधियां भाखेप्रा के क्षेत्रीय केन्द्रों को दी जाती हैं जो बदले में आवश्यकता के आधार पर विभिन्न केन्द्रों को देते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान को खेल छात्रवृति योजना के संचालन, ग्रामीण खेल कार्यक्रम, पूर्वोत्तर खेल उत्सव तथा महिला खेल उत्सवों के लिए दी गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	प्रदत्त अनुदान (रु. लाखों में)
2004-05	987.83
2005-06	1041.41
2006-07	731.61

(ग) और (घ) जी हां, किंतु सुधार के लिए सुझावों का सदैव स्वागत है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा	विशेष क्षेत्र खेल	भाखेप्रा के प्रशिक्षण केन्द्र	सेना बाल. कंपनी योजना	उत्कृष्टता केंद्र
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01	01		—	—
2.	आंध्र प्रदेश	05	—	05	02	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	01		—	—
4.	असम	04	02	02	—	—
5.	बिहार	04	03	01	01	—
6.	चंडीगढ़	03	—	01	—	—
7.	छत्तीसगढ़	04	—	01	—	—
8.	दमन और दीव	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
9.	दिल्ली	07	—	01		01
10.	गोवा	01	—	01	—	—
11.	गुजरात	02	—	01	—	01
12.	हरियाणा	09	—		—	01
13.	हिमाचल प्रदेश	02	—		—	—
14.	जम्मू-कश्मीर	03	—		01	—
15.	झारखंड	06	01	—	01	—
16.	कर्नाटक	03	—			01
17.	केरल	03	02		—	01
18.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
19.	मध्य प्रदेश	09	—			01
20.	महाराष्ट्र	17	—			—
21.	मणिपुर	04	02		—	01
22.	मेघालय	—	—		01	—
23.	मिजोरम	—	01	—	—	—
24.	नागालैण्ड	01	—		—	—
25.	उड़ीसा	08	02		—	
26.	पांडिचेरी	01	—		—	—
27.	पंजाब	06	—		—	01
28.	राजस्थान	07	—		01	—
29.	सिक्किम	01		—	—	—
30.	तमिलनाडु	01	02		—	—
31.	त्रिपुरा			—	—	—
32.	उत्तर प्रदेश	07	—			01
33.	उत्तरांचल	02	—		01	—
34.	पश्चिम बंगाल	02	—		—	01
	कुल	126	19	57	18	10

[अनुवाद]

कोयला खानों के धंसने की घटनाएं

1478. **श्री सुशील खां:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई क्षेत्रों विशेषकर आसनसोल, रानीगंज, पंडालेश्वर और लांधोवा क्षेत्रों में कोयला खानों के धंसने की घटनाएं हुई हैं/हो रही हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जमीन से हाथ धोने वालों के लिए रोजगार के प्रावधान सहित उन क्षेत्रों के लोगों की सामजिक सुरक्षा के लिए किसी योजना पर विचार किया है;

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान ईसीएल और अन्य कंपनियों द्वारा कोयले के उत्पादन और प्रतिमाह इसकी लागत का कंपनीवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खानों के धंसने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी हां। जहां कहीं भी कोयले के निष्कर्षण के लिए खुदाई की पद्धति को अपनाया जाता है, वहां नियोजित धंसाव होगा और ऐसा अक्सर रानीगंज कोलफील्ड्स में हो रहा है। तथापि, पिछले 12 महीनों के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर अनियोजित धंसाव हुआ है:-

घटना की तारीख	कोलियरी/स्थान	धंसाव का संक्षिप्त विवरण
जून, 06 तथा जुलाई 06	हरियाजाम कोलियरी/मुग्मा क्षेत्र	अवैध खनन के कारण धंसाव हुआ और क्षेत्र को मिट्टी से भर दिया गया था।
23.06.06	कालीपहाड़ी कोलियरी की कालीपहाड़ी इकाई/श्रीपुर क्षेत्र	क्षेत्र में अवैध खनन के कारण पिट सं. 2 के दक्षिण-पूर्व में लगभग 130 मीटर पर पोट होल की घटना घटी। रेत भरायी का काम किया गया और क्षेत्र की बाड़ की गई।
15.07.06	पोनीयती वर्कशाप/श्रीपुर क्षेत्र	पुरानी खदानों में धंसाव हुआ। दोमोहानी जमूरिया डीबी रोड के दाहिने ओर पोनीयती वर्कशाप के 4 क्वार्टरों में राष्ट्रीयकरण की अवधि के पूर्व के दौरान कार्य हुआ। सभी 4 क्वार्टरों को खाली कर दिया गया।
27.08.06	लूअर केंदा/केंदा क्षेत्र	केंदा सीम (1928 से परित्यक्त) की पुरानी परित्यक्त खदान के कारण रानीगंज-सूरी रोड से लगभग 225 मीटर पर गोपालपारा में पोट होल की घटना घटी।
16.10.06	पोनीयती वर्कशाप/श्रीपुर क्षेत्र	पोनीयती वर्कशाप तथा पोरिहारपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क के लिए भूमिगत में छोड़े गए कोल बेरियर के ऊपर अवैध खनन के कारण धंसाव की घटना घटी।
16.01.2007	पुरानी उत्तरी मुस्लिया कोलियरी पूर्ववर्ती कंपनी (श्रीपुर एरिया)	16.01.07 को लगभग सुबह 3.30 बजे पुरानी खदानों के कारण आसनसोल डाइवर्जन प्वाइंड से रोड़ में लगभग 400 मीटर पश्चिम की तरफ घागरबुरी मंदिर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के बाईपास में तथा उसके इर्द-गिर्द धंसाव की घटना घटी।
15.06.07	कालीपहाड़ी/श्रीपुर क्षेत्र	भूमि के अंदर राष्ट्रीयकरण से पूर्व की खदान के कारण सतह पर दरारा आ गई।
26.07.07	कालीपहाड़ी/श्रीपुर क्षेत्र	भूमि के अंदर राष्ट्रीयकरण से पूर्व की खदानों के कारण सतह पर पोत होल की घटना घटी।

अनियोजित धंसाव का मुख्य कारण पूर्ववर्ती मालिकों द्वारा किया गया अवैज्ञानिक खनन है। धंसाव मुख्यत: पुरानी खदानों की पूरी ऊंचाई तक निष्कर्षण करने और चौड़ी गैलरियों, बहु-सीमों एवं शैलो कवर के अधीन बहु-खण्डों के विकसित होने तथा खनित सीमों के नीचे विकसित खदानों के होने के कारण हुआ है। ऐसी परित्यक्त खानों से पानी की निकासी के समय भी धंसाव की घटना घटती है।

(ग) और (ङ) जी. हां। आग तथा धंसाव के खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करने के प्रयोजनार्थ एक अलग आर एंड आर पैकेज तैयार किया गया है तथा झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों में आग, धंसाव और पुनर्वास से निपटने के लिए इसे मास्टर/कार्य योजना में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कार्य-योजना के अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार के पास ऐसे खतरे वाले क्षेत्रों में निर्माण को रोकने का एक अधिनियम है। कोयला कंपनियों तथा राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने का एक अधिनियम है। कोयला कंपनियों तथा राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने तथा उसे हतोत्साहित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। जहां कहीं संभव है, क्षेत्र के स्थिरीकरण के लिए हाइड्रो-न्यूमैटिक रेत भराई की जाती है। समय-समय पर उन क्षेत्रों में किसी क्रियाकलाप में शामिल होने से लोगों को अलग करने हेतु नजदीकी खतरे की संभावना वाले क्षेत्रों के बारे में स्थानीय कोलियरी प्राधिकारियों द्वारा भी निवासियों को सूचित किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक कोल इंडिया लि. में कोयला उत्पादन के कंपनीवार तथा वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(आंकड़े मि.ट. में)

कंपनी	2007-08 (अनंतिम) (जुलाई 07 तक)	2006-07 (अनंतिम)	2005-06	2004-05
ईसीएल	6.94	30.47	31.11	27.25
बीसीसीएल	7.03	24.20	23.31	22.32
सीसीएल	9.69	41.32	40.51	37.39
एनसीएल	17.20	52.16	51.52	49.95
डब्ल्यूसीएल	13.12	43.21	43.20	41.41
एसईसीएल	27.65	88.50	83.03	78.55
एमसीएल	24.17	80.00	69.61	66.08
एनईसी	0.27	1.05	1.10	0.63
सीआईएल	106.07	360.91	343.39	323.58

कोयले की कंपनी-वार उत्पादन लागत संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महीने-वार कंपनी-वार उत्पादन लागत

(लाख रुपये में)

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

माह	2004-05	2005-06	2006-07 अनंतिम	2007-08 अनंतिम
1	2	3	4	5
अप्रैल	24263	25948	27201	28847

1	2	3	4	5
मई	24891	25616	28018	29023
जून	24701	25249	26044	29166
जुलाई	25801	27475	26669	
अगस्त	25720	28341	28247	
सितम्बर	26891	28455	28453	
अक्तूबर	27267	29619	30537	
नवम्बर	28005	27505	30161	
दिसम्बर	32822	29731	32523	
जनवरी	28350	30085	32369	
फरवरी	27434	27714	33146	
मार्च (सम्भावित)	30287	21913	28697	
भारत कोकिंग कोल लि.				
अप्रैल	19227	20223	21605	22707
मई	19196	19718	21304	22128
जून	18493	19525	20337	23235
जुलाई	19788	19551	21610	
अगस्त	19821	27243	21705	
सितम्बर	20273	23551	22428	
अक्तूबर	20003	23052	22022	
नवम्बर	19717	20431	22563	
दिसम्बर	20708	20281	23934	
जनवरी	20433	22832	23797	
फरवरी	20922	23453	22455	
मार्च (सम्भावित)	36237	18321	22817	
सेन्ट्रल कोलफील्डस लि.				
अप्रैल	16634	17391	18620	21387
मई	16872	17575	18797	21203
जून	15456	16767	18801	20678
जुलाई	17912	17222	18437	

1	2	3	4	5
अगस्त	17679	19188	17909	
सितम्बर	17780	18510	18909	
अक्तूबर	18806	22679	18558	
नवम्बर	20405	19981	20390	
दिसम्बर	20785	21346	20109	
जनवरी	19891	20743	24128	
फरवरी	20086	21477	23469	
मार्च (समायोजित)	35789	36579	35829	
नार्दन कोलफील्ड्स लि.				
अप्रैल	14635	16917	19208	20103
मई	19121	19175	22641	23136
जून	11587	18532	20023	21377
जुलाई	16898	20079	20649	
अगस्त	17509	19948	23356	
सितम्बर	17978	20193	22798	
अक्तूबर	18436	23704	22139	
नवम्बर	20307	22687	23084	
दिसम्बर	20692	23426	25354	
जनवरी	21303	24352	26875	
फरवरी	25186	23578	24063	
मार्च (समायोजित)	42130	29157	35285	
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.				
अप्रैल	22458	26193	27363	28009
मई	22122	24912	27048	30205
जून	22437	27624	29417	28153
जुलाई	22557	27562	28121	
अगस्त	22530	28071	27521	
सितम्बर	23264	28151	31613	

1	2	3	4	5
अक्तूबर	23579	27933	29343	
नवम्बर	23842	26415	29606	
दिसम्बर	23618	29101	30040	
जनवरी	26919	30417	31417	
फरवरी	26104	30580	30677	
मार्च (समायोजित)	30830	10053	35697	
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.				
अप्रैल	27936	32086	33367	36369
मई	28083	29575	34709	38669
जून	27408	30550	37077	39366
जुलाई	27669	31191	36447	
अगस्त	29462	35580	36173	
सितम्बर	29219	34339	36167	
अक्तूबर	31219	33904	38534	
नवम्बर	32316	33817	36606	
दिसम्बर	34809	35997	39222	
जनवरी	36345	38390	43461	
फरवरी	33694	31339	42965	
मार्च (समायोजित)	40703	69273	48090	
महानदी कोलफील्ड्स लि.				
अप्रैल	10442	11453	13904	15677
मई	9939	11372	14110	16391
जून	10579	10787	13979	16004
जुलाई	11137	11781	14418	
अगस्त	11071	12814	15625	
सितम्बर	11407	15408	14880	
अक्तूबर	12335	13537	15016	
नवम्बर	11872	12912	16058	

1	2	3	4	5
दिसम्बर	14780	13374	15034	
जनवरी	9660	13100	11605	
फरवरी	9917	14673	13548	
मार्च (समायोजित)	26416	14967	27072	
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स लि.				
अप्रैल	1141	1168	1707	1320
मई	1126	1187	1666	1509
जून	1220	909	1349	1443
जुलाई	1114	1276	1273	
अगस्त	1199	1265	1605	
सितम्बर	1225	1335	1557	
अक्तूबर	1292	1732	1911	
नवम्बर	1300	1708	1831	
दिसम्बर	1470	2035	1950	
जनवरी	1643	2033	2070	
फरवरी	855	1436	2036	
मार्च (समायोजित)	4296	4134	2415	
समग्र				
अप्रैल	136736	151380	162975	174419
मई	141350	149130	168293	182264
जून	131881	149943	167027	179422
जुलाई	142876	156137	167624	
अगस्त	144991	172450	172141	
सितम्बर	148037	169942	176805	
अक्तूबर	152937	176160	178060	
नवम्बर	157764	165456	180299	
दिसम्बर	169684	175291	188166	
जनवरी	164544	181952	195722	
फरवरी	164198	174250	192359	
मार्च (समायोजित)	246688	204397	235902	

ग्यारहवीं योजना प्रस्ताव और पूर्वोत्तर परिषद की प्राथमिकताएं

1479. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री दिनांक 22 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न सं 2914 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं योजना प्रस्ताव और पूर्वोत्तर परिषद की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या लखीमपुर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय को सुदृढ़ बनाए जाने और असम में लोहित और खबोलू नदी पर पुल के निर्माण कार्य, जिन्हें नौवीं योजना के दौरान आरंभ किया गया था, को ग्यारहवीं योजना के दौरान पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ब्रह्मपुत्र नदी के लोहित चैनल पर पुल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) ग्यारहवीं योजना प्रस्तावों और पूर्वोत्तर परिषद की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रक्रियाधीन है।

(ग) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन अभी इंगित नहीं किए हैं।

(घ) से (छ) असम सरकार के योजना विभाग ने लखीमपुर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए संशोधित डीपीआर 21.03.2007 को पूर्वोत्तर को अग्रेषित की है। असम में लोहित और खबोलू नदी के ऊपर पुलों के निर्माण हेतु एनईसी द्वारा वित्तपोषित व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है और इन नदियों पर प्रस्तावित पुल को 260.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर व्यवहार्य पाया गया था। एनईसी की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इन प्रस्तावों पर परियोजना की प्रतियोगी मांगों के बीच प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय युवक नीति

1480. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय युवक नीति 2003 की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन-कौन से कार्यक्रम युवक और किशोरों के विकास और उन्हें सशक्त बनाने के लिए नीतिगत निर्देश उपलब्ध कराते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह समीक्षा कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां।

(ख) विद्यमान राष्ट्रीय खेल नीति 2003 में इसके कार्यान्वयन के प्रारंभ की तारीख से 5 वर्षों के बाद समीक्षा की व्यवस्था है। अब प्रधानमंत्री के नीति संबंधी वक्तव्यों में स्पष्ट मान्यता है, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से पहुंच तथा "विकास और अगली पीढ़ी" पर 2007 विश्व विकास रिपोर्ट, सभी युवा विकास तथा समग्र राष्ट्रीय विकास के बीच गहरे अंतर-संबंध को रेखांकित करते हैं। समीक्षा में इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास और संचार नेटवर्क ने युवाओं की प्राथमिकताओं तथा मुख्य क्षेत्रों पर पुन: विचार करने को जरूरी बना दिया है। पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं तथा ग्रामीण युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को नीति की समीक्षा में सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

(ग) 10वीं योजना के दौरान युवाओं एवं किशोरों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे:

1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन
2. राष्ट्रीय सेवा योजना
3. मूल्यांकन सहित ग्रामीण युवा तथा खेल क्लबों को वित्तीय सहायता

4. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना

5. राष्ट्रीय सदभावना योजना

6. युवा गतिविधियों के संवर्धन तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

7. राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता

8. साहस के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता

9. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

10. युवा छात्रावास

11. स्काउटिंग और गाइडिंग

12. राष्टमंडल युवा कार्यक्रम तथा युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) को तैयार करने के लिए युवा कार्य तथा किशोर विकास पर कार्यकारी समूह द्वारा 2006-07 में इन योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी थी।

[हिन्दी]

कोयले का अवैध खनन और तस्करी

1481. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड की सीसीएल कोयला खान सहित विभिन्न कोयला खानों पर कोयले के अवैध खनन और तस्करी के कारण प्रत्येक वर्ष राजस्व का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवैध कोयला खनन की घटनाओं के कारण अनेक मौतें हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक अवैध कोयला खनन के कारण कंपनीवार और वर्षवार कितने लोग मारे गए है;

(ङ) क्या अवैध कोयला खनन की घटनाएं अधिकारियों की लापरवाही अथवा सांठगांठ के फलस्वरूप होती हैं;

(च) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) देश की वर्तमान में और भविष्य में कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला भंडारों के विकास और उपयोग को सुनियोजित तरीके से बढ़ावा देने हेतु कोयले के अवैध खनन/तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) बदमाशों द्वारा विभिन्न स्थानों पर कोयले का अवैध खनन/तस्करी चोरी-छिपे तथा गुप्त रूप से की जाती है। इस प्रकार झारखंड की सीसीएल कोलियरी सहित विभिन्न कोलफील्डों में चोरी किए गए तथा कोयले के अवैध खनन/तस्करी की वजह से हुई हानि की सही राशि बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, कोयला कंपनियों के पास अवैध कोयला खनन की प्रक्रिया में मरे व्यक्तियों के संबंध में कोई डाटा नहीं है।

(ङ) और (च) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के किसी भी अधिकारी को अवैध खनन की गतिविधियों में लिप्त नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

आई.ए.एस. के काडर पदों के लिए निश्चित कार्यकाल

1482. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के काडर पदों के लिए दो वर्ष की न्यूनतम अवधि का नियम लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने के लिए उन्हें लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955, भारतीय पुलिस सेवा

(संवर्ग पद का नियतन) नियमावली, 1995 तथा भारतीय वन सेवाएं (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नियमावली, 1966 की अनूसची की मद 1 में संबंधित राज्य के लिए विनिर्दिष्ट सभी संवर्ग पदों या किसी संवर्ग पद के न्यूनतम कार्यकाल का प्रावधान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके दिनांक 24 अगस्त, 2006 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954, भारतीय पुलिस सेवा, (संवर्ग) नियमावली, 1954 तथा भारतीय वन सेवाएं (संवर्ग) नियमावली, 1966 में संशोधन करने वाली अधिसूचनाएं जारी की हैं।

(ग) और (घ) सभी राज्यों से संबंधित राज्यों की भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की तैनाती के लिए न्यूनतम कार्यकाल के नियतन के लिए अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, अरूणाचल प्रदेश, दमन एवं दीव, गोवा, चंडीगढ़ तथा मणिपुर इस प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा कर्नाटक की भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल नियत कर दिया गया है। वे राज्य, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल का प्रावधान करने के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी है, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र पदेश, गुजरात तथा त्रिपुरा हैं। अन्य राज्यों ने अपनी अंतिम टिप्पणियां नहीं दी हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

1483. श्री एल. राजगोपाल: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों की पहचान करने के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के कई जिलों को बीआरजीएफ में शामिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस कोष के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिले को यूनिट मानने की अपेक्षा गांव को एक यूनिट मानने हेतु किसी संसद सदस्य या राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (बीआरजीएफ) के अन्तर्गत आने वाले जिलों की पहचान दो मानदण्ड समूहों पर आधारित है, पहले मानदंड समूह में वे जिले स्वीकृत किये गये हैं जो राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन एफ एफ डब्ल्यू पी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आर ई जी पी) के प्रथम चरण क्षेत्र में आते हैं। दूसरे मानदंड समूह में वे जिले जिनकी अन्तर्मंत्रालय कार्यदल (आई एम टी जी) की सिफारिशों के आधार पर 17 सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं को आधार मानते हुए 170 जिलों की पिछड़े जिलों के रूप में पहचान की गई है, स्वीकृत किये गये हैं। जिलों के चयन के मापदंड पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न विवरण I में दी गयी है।

(ख) और (ग) चयन के मापदंड के आधार पर आंध्रप्रदेश के 13 जिलों को बीआरजीएफ योजना में सम्मिलित किया गया है।

(घ) से (च) माननीय सदस्य श्री एल. राजगोपाल ने सुझाव दिया था कि एक सम्पन्न जिले में पिछड़ा निवास क्षेत्र हो सकता है, इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं के प्रभावकारी परिस्तवण के लिए जिलों की जगह ग्राम पंचायत या राजस्व प्रभाग को इकाई माना जा सकता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा माननीय सदस्य को भेजे गये उत्तर की प्रतिलिपि संलग्न विवरण-II में दी गयी है। जहां बी आर जी एफ के अंतर्गत जिलों के चयन हेतु जिले को इकाई माना गया है, वहां कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम मध्यवर्ती और जिले स्तर की पंचायतों को नियोजन और कार्यान्वयन के प्राधिकार हैं। कार्यक्रम दिशा निर्देश भी यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक राज्य को (बी आर जी एफ) योजना के अन्तर्गत पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के हर स्तर पर कोष के लिए नियामक सूत्र निर्दिष्ट करना चाहिए।

विवरण-I

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी आर जी एफ) कार्यक्रम- जिलों की पहचान के मापदंड

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम 250 जिलों को शामिल करता है। 250 जिलों की सूची में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आर ई जी पी) के प्रथम चरण के अन्तर्गत सभी शामिल 200 जिले और बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन के समंजन पर अन्तरमंत्रालय कार्य दल (आई.एम.टी.जी) द्वारा पहचाने गये 170 पिछड़े जिले आते हैं।

एन आर ई जी पी द्वारा शामिल 200 जिलों की सूची में राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के द्वारा सम्मिलित सभी

147 जिले और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन एफ एफ डब्ल्यू पी) के अंतर्गत शामिल किये गये 150 जिलें आते हैं इन जिलों की पहचान एक पिछड़ेपन सूचकांक पर आधारित है जिसमें इन तीन पैरामीटरों को बराबर-बराबर महत्व दिया गया है, नामशः प्रति कृषक मजदूर का उत्पादन मूल्य, कृषि मजदूरी दर और जिलों, में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की प्रतिशतता।

147 जिलों की सूची में 115 पिछड़े जिलों को और वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर 32 जिलों को सम्मिलित किया गया था। 115 जिलों में से 20 जिलों को विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के निमित्त आरक्षित रखा गया था। यह निर्णय लिया गया था कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गोवा, पांडिचेरी, दिल्ली और अन्य संघ शासित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा। राज्यों की राजधानियों, एक मिलियन से ज्यादा शहरी जनसंख्या वाले जिलों, जिनमें राज्य के बड़े शहर स्थित हैं, उन्हें भी बाहर रखा गया था। बाकी के 95 जिलों को गैर-विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के मध्य बांट दिया गया था। गैर-विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों और असम के मामले में प्रति राज्य जिलों का निर्धारण गरीबी प्रभावित क्षेत्र पर आधारित था। असम को छोड़कर विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के बीच जिलों का आबंटन वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या के आधार पर किया गया था। उपर्युक्त मापदंड के आधार पर पिछड़ेपन के सूचकांक में सम्मिलित जिलों को श्रेणी निर्धारण के जरिए गैर-विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों और असम के पिछड़े जिलों की सूची को अंतिम रूप दिया गया था। चूंकि इन मापदंडों से संबंधित आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे, इसलिए विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों (असम को छोड़कर) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने पिछड़े जिलों को निर्दिष्ट करने का आग्रह किया गया था।

आर एस वी वाई और एन एफ एफ डब्ल्यू पी जिलों की संयुक्त सूची में 195 जिले थे। एक विशिष्ट पृष्ठभूमि में योजना के प्रभाव को मूल्यांकन करने के लिए पांच जिलों की अलग से पहचान की गई थी और इन्हें इस सूची में जोड़ दिया गया था।

बढ़ते हुये क्षेत्रीय असंतुलन के समंजन पर योजना आयोग ने अगस्त 2004 में एक अन्तरमंत्रालय कार्य दल (आई एम टी जी) का गठन किया था आई एम टी जी ने 17 सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं के आधार पर 170 जिलों की पिछड़े जिलों के रूप में पहचान की थी।

इन 170 आई एम टी जी जिलों में से 120 जिलों को 200 एन आर ई जी पी जिलों में पहले से ही शामिल कर लिया गया था। शेष 50 जिलों को, जिन्हें 200 एन आर ई जी पी जिलों में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें इस सूची में जोड़ा गया था। इस प्रकार बी आर जी एफ के अन्तर्गत कुल 250 जिले शामिल किये गये।

विवरण-II

एम.एस. आहलुवालिया
उपाध्यक्ष
योजना आयोग
भारत

अ.शा.संएम-12053/19/वीआईपी/2006-
एमएलपी/डीसी-II/11/06/3621
7 सितम्बर, 2006

प्रिय श्री राजगोपाल

कृपया अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक राजस्व प्रभाव को संपूर्ण जिले की जगह एक इकाई मानते हुए पिछड़े गांवों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष को प्रयोज्य बनाने से संबंधित प्रधानमंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री को भेजे गये दिनांक 9 मई और 26 मई, 2006 के अपने पत्र का संदर्भ ले।

मैंने मामले की जांच करा ली है। बी आर जी एफ की रीतियों को हाल ही में सरकार की स्वीकृति मिली है। यह योजना पिछड़े जिलों का संकेन्द्रित विकास करने के लिए है। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि राजस्व प्रभाग को आरएसवीवाई जो कि बीआरजीएफ की पूर्वगामी योजना है, के कार्यान्वयन की इकाई नहीं माना गया था। मुझे भी खेद है कि विजयवाड़ा जिले को, उन 250 जिलों में शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें बीआरजीएफ में शामिल किया जाना है क्योंकि यह कोष के अन्तर्गत शामिल किये जाने के लिए जिलों की पहचान के मानदण्ड को पूरा नहीं करता था।

सभिवादन,

भवदीय
ह./-
(मांटेक सिंह आहलुवालिया)

श्री एल. राजगोपाल,
संसद सदस्य,
(लोक सभा)
14, लोधी इस्टेट,
इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर के सामने,
नई दिल्ली-110003

[हिन्दी]

विश्व हिंदी सम्मेलन

1484. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री मित्रसेन यादव:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाशिंगटन में जुलाई, 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दूसरे देश में ऐसा सम्मेलन आयोजित करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) उक्त सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए;

(घ) सम्मेलन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया;

(ङ) इन सदस्यों के चयन का क्या आधार है; और

(च) सम्मेलन पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन अमरीका के न्यूयार्क में 13-15 जुलाई, 2007 को आयोजित किया गया।

(ख) हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है विदेशों में हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हिंदी विद्वानों, लेखकों, शिक्षकों एवं अन्य को, विश्व के अलग-अलग भागों में हिंदी के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण से संबंधित मुद्दों का हल ढूंढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इन सम्मेलनों से भारत के बाहर हिंदी का और अधिक प्रचार-प्रसार करने के तरीकों को ढूंढने में भी मदद मिलती है।

(ग) आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर नौ शैक्षिक सत्र आयोजित किए गए:

(i) संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी।

(ii) देश-विदेश में हिंदी शिक्षण: समस्याएं और समाधान।

(iii) वैश्वीकरण, मीडिया और हिंदी।

(iv) विदेशों में हिंदी साहित्य सृजन-प्रवासी हिंदी साहित्य-

(v) हिंदी के प्रचार-प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

(vi) हिंदी के प्रचार-प्रसार में हिंदी फिल्मों की भूमिका

(vii) हिंदी, युवा पीढ़ी और ज्ञान-विज्ञान

(viii) हिंदी, भाषा और साहित्य-विभिन्न आयाम।

(ix) साहित्य, हिंदी बाल साहित्य, देवनागरी लिपि में अनुवाद की भूमिका।

सम्मेलन के मुख्य-मुख्य निर्णयों को दर्शाने वाला सम्मेलन के घोषणा-पत्र की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सम्मेलन में भारत, अमरीका और कई अन्य देशों के लगभग 850 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ङ) भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत स्थित हिंदी संगठनों से सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि नामित करने के लिए अनुरोध किया गया था। चयन सिर्फ सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के मामले में किया गया था। जिसे प्रधानमंत्री जी ने अनुमोदित किया था। शेष सहभागियों ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया था। इन लोगों के संबंध में कोई चयन नहीं किया गया।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का घोषणा पत्र

आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 जुलाई, 2007 को न्यूयार्क में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन समारोह संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में संपन्न हुआ। विश्व के समस्त हिंदी प्रेमियों और कर्मियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभाकक्ष में पहली बार आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बान की मून ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया। यह अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।

सम्मेलन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के उद्घाटन सत्र के दृश्य-श्रव्य सम्बोधन में पहले से ही अनेक देशों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के संकल्प का हार्दिक स्वागत करता है।

सम्मेलन प्रधानमंत्री जी के इस सुझाव का भी स्वागत करता है कि बाहर बसे अनिवासी भारतीय लेखकों का हिंदी साहित्य भी पाठयक्रम में शामिल किया जाए और दुनिया के अनेक दूसरे देशों में हिंदी पढ़ाए जाने के लिए मानक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं।

सम्मेलन प्रधानमंत्री जी के हिंदी को इन्टरनेट की ताकतवर भाषा बनाने के लिए अच्छे हिंदी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और खोज इंजन बनाने की व्यवस्था एवं देश-विदेश में बसे हिंदी कार्यकर्ताओं को आदर और सम्मान देने की आवश्यकता के आह्वान का भी स्वागत करता है।

प्रधानमंत्री के संदेश का स्वागत करते हुए सम्मेलन भारत सरकार से आग्रह करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का बहुमत जुटाने के लिए सरकार-अधिकृत अभियान चलाया जाए और हर संभव प्रयास किए जाए जिससे कि हिंदी शीघ्रतिशीघ्र संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बने। विदेश स्थित प्रवासी भारतीय संगठन भी अपने-अपने देशों की सरकार से इसके लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें।

इसके अतिरिक्त आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हुई चर्चाओं एवं विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रस्ताव किए जाते हैं:

1. हिंदी शिक्षण और देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए एक मानक पाठ्यक्रम बनाया जाए तथा हिंदी के शिक्षकों को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।

2. विश्व हिंदी सचिवालय के कामकाज को सक्रिय एवं उद्देश्यपरक बनाने के लिए सचिवालय को भारत तथा मारीशस सरकार सभी प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करें और दिल्ली सहित विश्व के चार-पांच अन्य देशों में इस सचिवालय के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार किया जाए। सम्मेलन सचिवालय से यह आह्वान करता है कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए "विश्व मंच पर हिंदी" वेबसाइट बनायी जाए।

3. हिंदी में ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विषयों पर सरल एवं उपयोगी हिंदी पुस्तकों के सृजन को प्रोत्साहित किया जाए। हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के प्रभावी उपाय किए जाएं। एक सर्वमान्य व सर्वत्र उपलब्ध यूनीकोड प्रणाली को विकसित व सर्वसुलभ बनाया जाए।

4. विदेशों में जिन विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होता है उनका एक डाटा-बेस बनाया जाए। हिंदी अध्यापकों की एक सूची भी तैयार की जाए।

5. यह सम्मेलन विश्व के सभी हिंदी प्रेमियों, विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिकों से भी अनुरोध करता है कि वे विदेशों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार में योगदान करें।

6. वर्धा स्थिति महात्मा गांधी अतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विदेशी हिंदी विद्वानों को अनुसंधान के लिए शोधवृत्ति की व्यवस्था की जाए।

7. केन्द्रीय हिंदी संस्थान भी विदेशो में हिंदी के प्रचार-प्रसार व पाठ्यक्रमों के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे।

8. विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ की स्थापना पर विचार किया जाए।

9. हिंदी को साहित्य के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और वाणिज्य की भाषा बनाया जाए।

10. भारत द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाने वाली संगोष्ठी व सम्मेलनों में हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए।

[अनुवाद]

निजी फर्मों द्वारा हानिकारक अपशिष्ट का आयात

1485. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछेक निजी फर्में अवैध रूप से हानिकारक अपशिष्टों का आयात कर रही हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों में पाटा जा रहा है।;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में किस किस्म के अपशिष्ट आयात किए गए तथा किन-किन राज्यों में इन अपशिष्टों को पाटा जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, नहीं। खतरनाक अपशिष्ट के ऐसे किसी अवैध आयात की सूचना नहीं है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2000 और 2003 में यथा

संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में सूचीबद्ध खतरनाक अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान, आयात तथा निर्यात को विनियमित करते हैं।

खतरनाक अपशिष्टों के आयात को उक्त नियमों के नियम 11 से 14 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अनुसार खतरनाक अपशिष्टों की डंपिंग और निपटान हेतु भारत में खतरनाक अपशिष्टों के किसी तरह के आयात पर प्रतिबंध है। ऐसे किसी खतरनाक पदार्थ जिसमें इन नियमों की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध श्रेणियों के खतरनाक अपशिष्ट मौजूद हैं अथवा उनसे संदूषित है, का आयात करने पर भी प्रतिबंध है।

तथापि, इन नियमों की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध अपशिष्टों को छोड़कर पंजीकृत पुन:चक्रणकर्ताओं व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत और इस तरह के अपशिष्टों की रीप्रौसैसिंग हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर प्रबंधन सुविधाओं से युक्त पुन:चक्रणकर्ताओं द्वारा पुन:चक्रण हेतु देश में ऐसे अपशिष्टों के आयात की अनुमति है। खतरनाक अपशिष्टों के आयात का विनियमन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत की निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत भी किया जाता है।

डाक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य तैनाती

1486. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने डाक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य तैनाती के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा चर्चा किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक्टरों की ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में एक वर्ष की तैनाती को अब अकादमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इसे निजी मेडिकल कालेजों में भी लागू किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार देश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले एम.बी.बी.एस. के छात्रों का चिकित्सा कार्य के लिए स्थायी पंजीकरण करने से पहले ग्रामीण इलाकों में एक वर्षीय नियुक्ति को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष तक नियुक्ति को स्थायी पंजीयन दिए जाने से पूर्व अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि रिपोर्ट

1487. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र की सहस्त्राब्दि रिपोर्ट-2007 की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उल्लिखित रिपोर्ट में बढ़ती आर्थिक विषमता पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट में व्यक्त चिंता के मद्देनजर कोई उपाय करने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) सरकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट से अवगत है। यह रिपोर्ट अब तक की प्रगति का व्यापक वैश्विक आकलन प्रस्तुत करती है, जो डाटा के एक सैट पर आधारित है और जिसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर के बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील विश्व में आर्थिक विकास के लाभ की देशों के भीतर और उनके बीच दोनों में असमान भागीदारी रही है। वर्ष 1990 और 2004 के बीच विकासशील क्षेत्रों में जनसंख्या के निर्धनतम पांचवें व्यक्ति का राष्ट्रीय उपभोग का हिस्सा 4.6 प्रतिशत से घटकर 3.9 प्रतिशत हो गया।

(ग) से (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार यह एक नये विज़न, जो तीव्र, अधिक व्यापक और

समावेशी विकास पर आधारित है, की उपलब्धि के लिए नीतियों के पुनः निर्माण हेतु एक अवसर उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा-अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 9% प्रतिवर्ष का विकास लक्ष्य निर्धारित किया है और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को इस अवधि की समाप्ति तक लगभग 10% की विकास दर हासिल करने के धारणीय विकास पथ की ओर ले जाना है। इस प्रकार के उच्च विकास से आर्थिक विषमताओं में कमी आने की उम्मीद है। दृष्टिकोण पत्र में नीति में उपयुक्त हस्तक्षेपों सहित सभी उत्पादक क्षेत्रकों, उद्योग और सेवाओं में तीव्र विकास लक्षित है। दृष्टिकोण पत्र में अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसमें साक्षरता/शिक्षा और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार, अधिक रोजगार अवसरों और विभिन्न सामाजार्थिक वर्गों पर अधिक ध्यान के माध्यम से समावेशिता की उपलब्धि की मांग की गई है। तीव्र और समावेशी विकास के लक्ष्यों को (i) आय और गरीबी (ii) शिक्षा (iii) स्वास्थ्य (iv) महिलाओं और बच्चों के मुद्दे (v) अवसंरचना, और (vi) पर्यावरण के क्षेत्रों में स्पष्ट लक्ष्यों के एक सैट में संक्षेप में व्यक्त किया गया है।

[अनुवाद]

एकीकृत रोग निगरानी तंत्र

1488. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई एकीकृत रोग निगरानी तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तंत्र के घटक क्या हैं और ऐसे तंत्र के लिए क्या प्रोटोकॉल अपनाया जाता है;

(ग) क्या इस तंत्र के अंतर्गत देश के कुछ भागों में हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने के बारे में कोई अग्रिम आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत सरकार रोगों के प्रकोप का पता लगाने के कार्य को बढ़ावा देने और रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुचित कार्रवाई शुरू करने के लिए नवम्बर, 2004 में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना आरंभ की गई थी। इसमें देश में एक विकेन्द्रीकृत राज्य और जिला आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था है। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है और वर्तमान में यह परियोजना 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

परियोजना के घटक हैं- (i) राज्य और जिला स्तर पर रोग निगरानी को एकीकृत करना; (ii) निगरानी कार्यकलापों को समन्वित और विकेन्द्रीकृत करना; (iii) स्टेक होल्डरों को रोग निगरानी और अनुक्रिया में प्रशिक्षण देना, प्रयोगशाला सहायता में सुधार लाना; और (iv) आई टी नेटवर्किंग और एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के अन्तर्गत सीमित संख्या में लक्षित रोगों के बारे में आंकड़ों की गुणवत्ता, विश्लेषण और कार्रवाई के लिए संबद्धता को सुदृढ़ बनाना।

(ग) से (ङ) हाल ही में हुए डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के अन्तर्गत कवर किए गए राज्य अभी अपनी निगरानी प्रणालियों को स्थापित करने के विभिन्न चरणों में हैं और आंकड़ों का कार्य शुरू की अवस्था में है। जब एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली को पूरी तरह से कार्यान्वित कर लिया जाएगा, तब इसके द्वारा आसन्न प्रकोपों की आरंभिक चेतावनी संकेत का पता लगाए जाने और कारगर तथा सामयिक अनुक्रिया करने में मदद मिलने की आशा है।

ब्राजील के राष्ट्रपति की यात्रा

1489. श्री अधीर चौधरी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है, जिन पर चर्चा की गई थी और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उक्त यात्रा के दौरान परमाणु प्रतिष्ठानों की स्थापना सहित किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी हां। ब्राजील संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम लूइस इनेसियो लूला डी सिल्वा भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निमंत्रण पर 3-5 जुलाई, 2007 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आये।

(ख) और (ग) एक व्यापक घोषणा जारी की गयी जिसमें यात्रा के परिणामों का उल्लेख किया गया। इसकी प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत-ब्राजील: लाल किला घोषणा, 2007

भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के निमंत्रण पर, ब्राजील संघीय गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति लूइस इनेसियो लूला डी सिल्वा 3-5 जून, 2007 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। राष्ट्रपति लूला के साथ एक अधिकारिक और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। राष्ट्रपति लूला ने राष्ट्रपति कलाम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ गहन विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष ने भी उनसे भेंट की।

2. पिछले वर्ष सितंबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ब्राजील यात्रा के आठ महीनों के अंदर, ब्राजील के राष्ट्रपति की यह यात्रा, व्यापक रूप में द्विपक्षीय संबंधों के विकास और उनमें विविधता लाने की पारस्परिक वचनबद्धता की द्योतक है। यह दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक भागीदारी की ताकत भी दर्शाती है।

3. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की तथा पारस्परिक लाभप्रद सहयोग के विकास की गति पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने अप्रैल, 2007 में संपन्न भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक का विशेष रूप से स्वागत किया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता ब्राजील के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री द्वारा की गई थीं संयुक्त आयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है।

4. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति लूला ने भारत-ब्राजील सामरिक वार्ता की प्रथम बैठक के शुभारंभ पर विशेष संतोष प्रकट किया। इसकी सह-अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन और ब्राजील के विदेश मंत्री श्री सेल्सो अमोरिम द्वारा की गई। इस वार्ता के फलस्वरूप दोनों पक्ष, सहयोग की स्थिति की समीक्षा कर सके और अंतरिक्ष, शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा, रक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जैसे क्षेत्रों में भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार की गई।

5. दोनों देशों के नेताओं ने मजबूत आर्थिक आधार के साथ सामरिक भागीदारी का महत्व रेखांकित किया। इस संदर्भ में, उन्होंने सीईओ मंच की शुरूआत पर संतोष व्यक्त किया जिसमें दोनों देशों के उद्योगों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं और सन् 2010 तक व्यापार का 10 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने इस लक्ष्य के संदर्भ में दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक संपर्क विकसित करने के महत्व और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से अवसंरचना क्षेत्र में निवेश पर बल दिया।

6. दोनों पक्ष, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों के विकास के लिए आगामी वर्षों में संयुक्त अभियान शुरू करने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि अपनी आर्थिक भागीदारी के विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ तीसरे संयुक्त आयोग की बैठक में लिए गए निर्णयों को शीघ्र लागू करना आवश्यक है। अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों के मापदंडों के अंदर दोनों पक्ष, अपने उद्यमियों, व्यवसायियों, सेवा पेशेवरों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के माध्यम से एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में भागीदारी में सहायता करेंगे।

7. दोनों देशों के नेताओं ने भारत-ब्राजील रक्षा समिति की पहली बैठक शीघ्र आयोजित करने तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग में सहयोग कार्यक्रम शीघ्र तैयार करने पर बल दिया।

8. दोनों पक्षों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के विकास पर संतोष व्यक्त किया और सन् 2007-2010 के लिए सहयोग कार्यक्रम शीघ्र पारित करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुप्रयोग में सहयोग के निर्णय का स्वागत किया जिससे दोनों देशों के विकास प्रयासों में सहायता मिलेगी।

9. जन-जन आदान-प्रदान और एक दूसरे की परंपराओं की बेहतर सांस्कृतिक समझ के विकास को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। दोनों नेताओं ने जनवरी-मार्च, 2008 में भारत में ब्राजील सांस्कृतिक उत्सव और जुलाई-सितंबर, 2008 में ब्राजील में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव के आयोजन के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि दोनों देशों के बीच पर्यटकों, छात्रों और युवाओं का अधिक आदान-प्रदान होना चाहिए।

10. दोनों पक्षों के नेताओं ने अपने देशों में सामाजिक रूप से विशेष आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने का महत्व दोहराया। भारतीय पक्ष ने राष्ट्रपति लूला द्वारा लागू की गई नीतियों की सराहना की जो ब्राजील में गरीबी दूर करने में काफी कारगर रही हैं। अपनी ओर से ब्राजील पक्ष ने गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में लागू की जा रही नीतियों की सराहना की जिनसे लाखों लोग गरीबी के चंगुल से सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं। दोनों पक्षों ने कहा कि यह प्रयास जारी रहना चाहिए तथा गरीबी उन्मूलन के संबंध में

दोनों देशों के बीच अनुभव और कार्यक्रमों के आदान-प्रदान से एक दूसरे को काफी लाभ होगा। यह भी सहमति हुई कि अपनी जनता के सबसे अधिक असुरक्षित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के अपने अनुभव को वे दूसरे विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दे सकते हैं ताकि भुखमरी और गरीबी का मुकाबला किया जा सके।

11. दोनों पक्षों ने ब्राजील, भारत और अन्यत्र तेल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खोज, उत्पादन और व्यापार के लिए पेट्रोब्रास और भारतीय कंपनियों के बीच भागीदारी में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने इस समझ-बूझ की पुष्टि की कि दोनों पक्ष दोनों देशों में तेल और गैस क्षेत्र में कंपनियों के बीच सहयोग को आगे भी प्रोत्साहन देते रहेंगे।

12. दोनों पक्षों ने भारत और ब्राजील के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने में शैक्षिक सहयोग की भूमिका स्वीकार की और दोनों देशों में उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच भागीदारी बढ़ाने में रुचि दिखाई।

13. ब्राजील और भारत की संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और यू एन एफ सी सी सी सहित क्षेत्रीय और बहुक्षेत्रीय मंचों पर उपयोगी सहयोग की लंबी परंपरा रही है। यह सहयोग साझा विश्व दृष्टिकोण और समान सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का परिचायक है।

14. दोनों पक्षों ने अपने निर्णय लेने वाले निकायों में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाकर विश्व व्यवस्था के ढांचे के लोकतंत्रीकरण को बढ़ाना देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संबंध में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद को अधिक लोकतांत्रिक, विधिसम्मत और प्रतिनिधिक बनाने के लिए विशेष रूप से दुनिया के सभी विकासशील क्षेत्रों से देशों को स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल करके इसमें सुधार और विस्तार के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सुरक्षा परिषद में विचार-विमर्श में नई गतिशीलता का स्वागत किया तथा लंबे समय से चले आ रहे इस मसले पर शीघ्र निर्णय के लिए जी-4 के अन्य भागीदारों के साथ मिलकर वार्ता में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि सुरक्षा परिषद में सुधार के बगैर संयुक्त राष्ट्र में कोई सुधार पूरा नहीं होगा। उन्होंने विस्तृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक दूसरे की स्थायी सदस्यता के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

15. दोहा विकास कार्यसूची के संबंध में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति लूला ने वार्ता के परिणाम के प्रत्येक पहलू में विकास आयाम को कारगर ढंग से प्राप्त करने के लिए दोनों सरकारों के बीच घनिष्ठ समन्वय के महत्व पर बल दिया। उन्होंने दोहा अधिकार पत्र के अनुरूप विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए दोहा दौर को सफलतापूर्वक पूरा करने की तात्कालिक आवश्यकता दोहराई तथा जी-20 और नाम-11 में मिलकर काम करते रहने के लिए अपनी सरकारों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कृषि में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति और सब्सिडी को समाप्त करने के संदर्भ में महत्वाकांक्षी परिणाम और विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा के संरक्षण, ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका के महत्व चिंता के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने हांगकांग घोषणा और नामा में बाजार प्रवेश की उच्च महत्वाकांक्षा पर जोर दिया और कहा कि कटौती वचनबद्धताओं में पूर्ण से कम आदान-प्रदान के सिद्धांत के अनुरूप संतुलित और समानुपाती ढंग से यह महत्वाकांक्षा प्राप्त की जानी है।

16. दोनों पक्षों ने कहा कि वे जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों को काफी महत्व देते हैं तथा यह सहमति हुई कि जलवायु परिवर्तन जो निश्चित रूप से विकसित देशों के अपोषनीय उत्पादन और खपत पद्धति का परिणाम है, की समस्या का समाधान विकासशील देशों में गरीबी के स्थायीकरण में नहीं हो सकता। वे विकासशील देशों की विकास संबंधी विशिष्ट स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही साथ विश्व परिदृश्य, ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अधिक भागीदारी के लिए कार्य करते हुए सभी भागीदारों के साथ इस महत्वपूर्ण मसले पर रचनात्मक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता पर सहमति हुई। विकासशील देश ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते जो विकास में बाधा हो और गरीबी उन्मूलन के दायित्वों को कम करता हो। उनमें सहमति हुई कि दोनों पक्ष, यूएनएफसीसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल की रूपरेखा में अन्य विकासशील देशों के साथ प्रगाढ़ सहयोग कर रहे हैं। पर्यावरण संबंधी द्विपक्षीय कार्य समूह की दूसरी बैठक 2007 में बाद में आयोजित की जानी है और दोनों पक्ष साझा लाभ के लिए अपनी स्थितियों में समन्वय कर सकेंगे।

17. दोनों पक्षों ने मार्च, 2007 में अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन मंच के शुभारंभ पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने गैसोलिन के साथ इथानोल के मिश्रण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन जिस पर सन् 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, के तहत तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार सहयोग मजबूत बनाने की अपनी पारस्परिक इच्छा दोहराई। राष्ट्रपति लूला ने ब्राजील के जैव ईंधन कार्यक्रम के संबंध में भारत के साथ सूचना के आदान-प्रदान में तीव्रता लाने के लिए अपनी सरकार की वचनद्धता दोहराई। दोनों पक्ष स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के पक्षधर हैं तथा इथानॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थापना के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे जिससे जीवाश्म ईंधन पर दुनिया की निर्भरता में कमी लाने में मदद मिलेगी।

18. दोनों पक्षों ने कहा कि वे आईबीएसए को बहुत महत्व देते हैं। यह अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के तीन महाद्वीपों

के विशाल, बहुजातीय, बहुप्रजातीय और बहुधर्मी विकासशील देशों का विशेष मंच है जो बहुलवाद और लोकतंत्र के साझा बंधनों और सिद्धांतों से जुड़े है। उन्होंने सितंबर, 2006 में ब्राजील में आयोजित सफल आईबीएसए सम्मेलन का उल्लेख किया तथा कहा कि वे प्रगति का जायजा लेने और अक्तूबर, 2007 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली द्वितीय शिखर बैठक में आईबीएसए रुपरेखा तैयार करने के लिए नए निर्देश देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आईबीएसए के त्रिपक्षीय आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक जो 16-17 जुलाई, 2007 को भारत में होगी, में सुनिश्चित किया जाए कि द्वितीय शिखर बैठक के लिए तैयारियां सार्थक और पर्याप्त हों। दोनों पक्षों ने यह भी कहा कि आईबीएसए रूपरेखा में सहयोग के विकास से तीनों देशों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

19. राष्ट्रपति लूला और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में अपनी इस बैठक का उपयोग जर्मन, हेलीजेंडम में जी-8 + ओ 5 की आगामी बैठक के संबंध में गहन विचार-विमर्श के लिए किया है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक के प्रति दोनों पक्षों द्वारा दिखाई गई एकता पर संतोष व्यक्त किया तथा इस मंच पर सहयोग जारी रखने का वादा किया।

20. इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

- सीमा-शुल्क मामले में आपसी सहायता संबंधी समझौता
- दृश्य-श्रव्य सह-उत्पादन संबंधी समझौता
- भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह से डाटा प्राप्त करने और प्रोसेस करने के लिए ब्राजील के भू-केंद्र की क्षमता विस्तार में सहयोग संबंधी कार्यान्वयन व्यवस्था।
- शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- भारत-ब्राजील सीईओ मंच संबंधी समझौता ज्ञापन
- ओएनजीसी, ओवीएल और पेट्रोब्रास के बीच हेड्स ऑफ एग्रीमेंट; और
- नेशनल कांउसिल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च और ब्राजील की इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च के बीच समझौता ज्ञापन

21. राष्ट्रपति लूला ने अपने और अपने प्रतिनिधिमंडल के भव्य आतिथ्य और स्वागत के लिए भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति आभार व्यक्त किया।

22. राष्ट्रपति लूला ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ब्राजील की सरकारी यात्रा का निमंत्रण दिया। ये निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिए गए हैं। राजनयिक माध्यमों से तारीखें निर्धारित की जाएंगी।

23. दोनों पक्षों में सहमति थी कि राष्ट्रपति लूला की सरकारी भारत यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच सामरिक भागीदारी के आगे विकास को निर्णायक प्रोत्साहन मिला है।

नई दिल्ली,

04 जून, 2007

ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रीय संयंत्र

1490. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम एन सी) ने भारत में ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रीय संयंत्र लगाने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) कुछ भारतीय उद्यमियों और एजेंसियों ने कुछ बाहरी सहयोग से इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट पुन:चक्रण यूनिटें स्थापित करने में रुचि दिखाई है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत वर्ष 2000 और 2003 में यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 को अधिसूचित किया है। यह नियम खतरनाक अपशिष्ट, जिसमें इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट शामिल है, के संग्रहण, भण्डारण, शोधन, निपटान और आयात को नियमित करते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट के रख-रखाव के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ शासित क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों और उद्योगों के लिए "एन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट आफ ई-वेस्ट" नामक मार्गनिर्देशक तैयार करने का काम शुरू किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इन मार्गनिदेशों को अंतिम रूप देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों द्वारा दवाइयों की आपूर्ति

1491. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को मांगी गई दवाईयों के बाजार में उपलब्ध होने के बावजूद निर्धारित समय के भीतर दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में कितने मामले आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या लिखी गई दवाइयों के स्थान पर वैकल्पिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्राधिकृत केमिस्टों की ओर से यदा-कदा होने वाले विलंब को छोड़कर, कुल मिलाकर दवाएं नियत समय के भीतर प्रदान की जाती हैं। निविदा दस्तावेज में जिसके जरिए प्रत्येक औषधालय के लिए स्थानीय केमिस्टों को पैनल में शामिल किया गया था, जुर्माना लगाने का एक प्रावधान है। शर्तों को पूरा करने वाले स्थानीय प्राधिकृत केमिस्ट के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भिन्न ब्रांड/जेनरिक नाम और समान रासायनिक संघटन और समान चिकित्सीय कार्य वाली फार्मूलरी दवाओं के औषधालय में उपलब्ध होने पर लाभार्थी को उनकी आपूर्ति की जाती है जो कि विकल्प नहीं है। तथापि, प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों से इंडेंट किए जाने पर कोई वैकल्पिक दवाइयां स्वीकार नहीं की जाती।

विवरण

निम्नलिखित केमिस्ट को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी दी गई

क्र.सं.	केमिस्ट का नाम	औषधालय जहां सप्लाई की गई
1.	विकास केमिस्ट, रमेशनगर	इन्द्रपुरी राजौरी गार्डन
2.	अंकित लाइफ केयर लिमिटेड अशोक विहार	तिमारपुर डिस्पेंसरी और अस्पताल एन्ड्यूज गंज, अशोक विहार त्रि नगर, राजपुर रोड, नोएडा फरीदाबाद, पी एच ए
3.	सचदेवा स्टोर, लोदी कालोनी	लोदी कालोनी-II
4.	राज मेडिकोज, पहाड़ गंज	मिन्टो रोड चांदनी चौक
5.	कुकरेजा मेडिकोज, विकासपुरी	आर.के.पुरम-वी (सेक्टर-XII) सुन्दर विहार, पूसा रोड, करोल बाग देव नगर
6.	कैलाश कैमिस्ट और ड्रगिस्ट, बस्तूरकर मार्किट	नारौजी नगर नेताजी नगर चाणक्य पुरी
7.	लक्की फार्मेसिस्ट, जंगपुरा	श्रीनिवास पुरी लाजपत नगर जंगपुरा

निम्नलिखित केमिस्ट को पैनल से हटा दिया गया है:

क्र. सं.	केमिस्ट का नाम	औषधालय जहां सप्लाई की गई
1.	सतनाम सन्स	एन्ड्यूज गंज सादिक नगर
2.	अमित मेडिकोज	आर.के.पुरम (सेक्टर-XII) पूसा रोड, करोल बाग देव नगर

अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की हानि

1492. **श्रीमती निवेदिता सेन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कोयला खानों, विशेषकर झरिया कोयला खानों में अपनाए गए अवैज्ञानिक खनन प्रक्रिया के कारण बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला नष्ट हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की किसी सहायक कंपनी में कोई अवैज्ञानिक खनन प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही है। खानों को सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआई) द्वारा प्रतिपादित तथा अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परिचालित किया जा रहा है। खनन प्रचालन और कोयले का निष्कर्षण खान सुरक्षा महानिदेशक की अनुमति के अनुसार किया जाता है। संरक्षण का सम्यक ध्यान रखते हुए कोयले का निष्कर्षण कुशलतापूर्वक करने के लिए सेन्ट्रल मानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन स्कूल आफ माइन्स तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थान से दिशा-निर्देश आवश्यकतानुसार लिया जा रहा है। अत: अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है।

कोयला खनन के लिए विदेशी सहयोग

1493. **श्री वसुदेव आचार्य:**
श्री प्रद्योत पाण्डा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का देश में भूमिगत खनन के लिए अन्य देशों के साथ समझौता करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विदेशी खनन कंपनी को देश की कोयला खानों में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु सरकार की स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) वर्तमान में किसी विशिष्ट परियोजना के लिए विदेशों के साथ कोई समझौता नहीं है। तथापि, कोल इंडिया लि. रूफ बोल्टिंग तकनीकों तथा रेसिन कैप्सूल पद्धति सहित हाईवाल माइनिंग, कोल बेड मीथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण, गहरी खानों के विकास, भूमिगत खानों की सुरक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ भूमिगत खान के विकास के लिए रूस, चीन तथा आस्ट्रेलिया के साथ विचार-विमर्श कर रही है। कुछ सहायक कंपनियां, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., भारत कोकिंग कोल लि. तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. भूमिगत खानों में उत्पादन में वृद्धि/विकास करने के लिए विदेशी सहयोग के विकल्पों का पता लगा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1494. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"
श्री काशीराम राणा:
श्री मोहन सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र को राज्यों में सशस्त्र बल तैनात करने हेतु व्यापक शक्तियां प्रदान करने तथा आतंकवाद और मानव दुर्व्यापार जैसे अपराधों की जांच के लिए सी.बी.आई. को सशक्त बनाने हेतु एक नये कानून का समर्थन करने की सिफारिश की है जैसा कि दिनांक 26 जून, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों की टिप्पणियां मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सार्वजनिक व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि:

(एक) किसी राज्य में सांविधिक तंत्र को तोड़ने का मार्ग-प्रशस्त करने वाली प्रमुख सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी समस्याओं के मामले में संघ सरकार को अपने सशस्त्र बल तैनात करने और ऐसे सशस्त्र बलों को निर्देश के लिए इसे शक्ति प्रदान करने हेतु भी एक कानून बनाया जाना चाहिये। तथापि, ऐसी तैनाती केवल तभी की जानी चाहिए जब संबंधित राज्य सरकार संविधान की धारा 256 के अंतर्गत संघ द्वारा जारी 'निदेश' पर कार्यवाही करने में असफल हो गई हो। इस प्रकार की सभी तैनातियां एक अस्थायी अवधि जो तीन महीने से अधिक नही हो, के लिए होनी चाहिए और उसे संसद द्वारा अनुमोदित करने के बाद अगले तीन महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(दो) कानून में सिविल प्रशासन के अधिकारी-वर्ग का उल्लेख किया जाना चाहिये जो ऐसी परिस्थितियों में सशस्त्र बलों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(तीन) अंतर्राज्यीय अथवा राष्ट्रीय प्रशासन वाले कुछ अपराधों की पुन: जांच किए जाने और उन्हें एक नये कानून में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इस कानून में इस प्रकार के अपराधों की जांच-पड़ताल और परीक्षण की प्रक्रिया का भी उल्लेख होना चाहिए। इस श्रेणी में निम्नलिखित अपराधों को शामिल किया जा सकता है।

(i) संगठित अपराध

(ii) आतंकवाद

(iii) राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कार्य

(iv) शस्त्र एवं मानव-दुर्व्यापार

(v) राजद्रोह

(vi) अन्तर्राज्यीय प्रशाखनों वाले प्रमुख अपराध

(vii) प्रमुख लोक हस्तियों की हत्या (उन पर किये गये प्रयासों सहित)

(viii) गंभीर आर्थिक अपराध

(चार) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के कार्यकलापों को शासित करने के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिये। इस कानून में इसके क्षेत्राधिकार सहित नई श्रेणी के अपराधों की जांच-पड़ताल करने हेतु शक्ति भी निर्धारित की जानी चाहिये।

(पांच) 'गवर्नेंस में नीतिशास्त्र' पर आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित शक्ति प्राप्त समिति केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लिये जाने वाले मामलों के संबंध में निर्णय करेगी।

(ग) से (ङ) सिफारिशों की जांच की जा रही है। आवश्यक होने पर राज्यों से भी परामर्श किया जाएगा।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीयों को निरुद्ध किया जाना

1495. श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में विदेशों में रह रहे कुछ भारतीयों से कथित आतंकवादी गतिविधियों/सम्पर्क हेतु पूछताछ की गयी थी/उनको गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या संबंधित देशों द्वारा उनके वीजा रद्द किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) (क) जी हां।

(ख) डा. मोहम्मद हनीफ को 29-30 जून, 2007 को यू.के. में किए गए आतंकवाद बम हमले के प्रयास के संबंध में 2 जुलाई, 2007 को आस्ट्रेलिया में निरुद्ध किया गया था। श्री सबील अहमद को इसी बम हमले के संबंध में यू.के. में पकड़ा गया था।

(ग) सरकार ने इस मामले को आस्ट्रेलिया और यू.के. सरकारों के साथ उठाया और स्थानीय कानूनों के तहत "निष्पक्ष और उचित" कार्रवाई का अनुरोध किया। सरकार ने लगातार इन मामलों पर निगाह रखी और विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों ने कोंसली सुविधा उपलब्ध करवाई। लंदन स्थित हमारे उच्चायोग के अधिकारियों के एक दल ने 30 जुलाई, 2007 को श्री सबील अहमद से मुलाकात की। आस्ट्रेलिया की सरकार ने डा. मोहम्मद

हनीफ के विरुद्ध आपराधिक आरोप वापस ले लिए और डा. हनीफ 29 जुलाई, 2007 को भारत लौट आए।

(घ) से (च) डा. हनीफ का वीजा रद्द कर दिया गया। आरोप वापस ले लिए जाने के साथ डा. हनीफ ने अपने वीजा को बहाल करने के लिए मुकदमा दायर किया है। आस्ट्रेलिया स्थित भारत के उच्चायोग ने भी उनके वीजा की बहाली के लिए आस्ट्रेलिया की सरकार से संपर्क किया है।

खिलाड़ियों और कोचों के लिए नकद पुरस्कार

1496. श्री मनोरंजन भक्त:
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश को उपलब्धियां दिलाने वाले खिलाड़ियों और कोचों को नकद पुरस्कार देने के लिए किसी नीति की रूपरेखा का प्रारूप तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ खिलाड़ियों और कोचों को वर्ष 2004 के बाद नकद पुरस्कार दिया जाना अभी बाकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है प्रत्येक मामले में पुरस्कार और विभिन्न प्रकार के खेलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय में उक्त धनराशि/पुरस्कार प्राप्त करने/जारी करने में कोई विलंब है;

(च) यदि हां, तो पुरस्कारों के कुशलतापूर्वक वितरण के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(छ) गत तीन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में ऐसे मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या अनेक खिलाड़ियों और कोचों को पुरस्कार से वंचित किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सरकार 1986 से अंर्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षणों को विशेष नकद पुरस्कार की योजना चला रहा है योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है:-

1. उच्च उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कैरियर के रूप में खेलों को अपनाने के लिए युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना।

2. पदक विजेताओं को उनके सक्रिय खेल जीवन, जो काफी लघु अवधि का होता है, की समाप्ति के पश्चात, उनके सम्मान, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं को बनाये रखने में सहायता करना।

3. समाज में उनके सामान्य हैसियत को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सम्मान प्रदान करना और समाज में उन्हें ज्यादातर गौरव तथा सम्मानित स्थान प्रदान करना।

4. खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अपने उच्च प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रेरित करना।

(ख) से (घ) वर्ष 2004 से संबंधित नकद पुरस्कार पात्र खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दिया गया है। वर्ष 2005 के लिए नकद पुरस्कार केवल खिलाड़ियों को दिया गया है। 2006 के लिए खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए जाने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुरस्कार की राशि और खेल विधाओं के संबंध में ब्यौरे विवरण में संलग्न है।

(ङ) और (च) मंत्रालय ने पहले ही पूरक मांग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है जो वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

(छ) ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए है।

(ज) और (झ) जी नहीं।

विवरण-I

निम्नलिखित खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को वर्ष 2004 के लिए नकद पुरस्कार दिए गए हैं।

क्र.सं.	खिलाड़ियों के नाम	राशि (रुपए)
1	2	3
1.	वाई. प्रतिभा	5618
2	पंकज राठी	1769

1	2	3
3.	अनुज प्रकाश	4605
4.	त्यागराज	7595
5.	एस. चंदन प्रिया रेड्डी	5420
6.	नवनीत गौतम	5991
7.	सतीश जोशी	5475
8.	अलका तोमर	1959
9.	एल. निरुपमा देवी	6885
10.	रोहित अशोक	5813
11.	प्रियंका सिंह	1959
12.	विकास कपिला	4605
13.	प्रमोद	5900
14.	सुभद्रा प्रधान	5557
15.	अनमोल रतन टेटे	5557
16.	फुलमनी साय	5777
17.	कु.सुमरइ टेटे	5750
18.	सुशीला लाकड़ा	5777
19.	एम. सुरंजॉय	5263
20.	नवीन	2144
21.	छोटे लाल यादव	4705
22.	मनावर हुसैन	4775
23.	वृशंक जिमोनकर	4605
24.	सुनील कुमार	6139
25.	गुरुकीरत सिंह	6139
26.	जगपाल सिंह	5521
27.	आर. बंगरीख	5146
28.	सतीश राज	6425
29.	तेजादीप अटूबाला	5195
30.	सुश्री मिनर्वा सिंह	2185

1	2	3
31.	सुंदर सिंह	1445
32.	रवीन्द्र कुमार	1765
33.	सुरेश कुमार	1860
34.	गीतिका जाखड़	2211
35.	अर्चना	2183
36.	राझीर सिंह	1769
37.	आलोक कुमार	2533
38.	वाई. संदीप	5125
39.	पी. हरित	5175
40.	सुश्री दयानी बी. दवे	3935
41.	अभिजीत गुप्ता	2807
42.	मनोज कुमार	3750
43.	भूपिंदर सिंह	2429
44.	पोन. एन. कृतिका	5650
45.	ज्योति सुमित कुल्लू	5847
46.	एस.जी. सावंत	4645
47.	राकेश कुमार	4605
48.	पंकज अडवाडी	6049
49.	पल्लवी नाईक	4800
50.	अभिशेक म्हात्रे	4655
51.	राम कुमार सिंह	4705
52.	दिनेश कुमार	1765
53.	स्वाती घाटे	4780
54.	ज्योति	1637
55.	मल्लू अबलेश रेड्डी	5195
56.	टी राजसूर्य	5663
57.	मनप्रीत सिंह	9090
58.	विकास कुमार	5538

1	2	3
59.	जी एल यादव	5223
60.	श्रीमती चिट्टू	3711
61.	सुजीत मान	6225
62.	रोमी देवी	5533
63.	संजीव कुमार	2805
64.	दिव्या	2237
65.	जगदीर सिंह	1765
66.	रमेश कंमार	2583
67.	रिचा सहगल	625
68.	बलविंदर कौर	1985
69.	राजबाला	1985
70.	हेमंत कुमार साहु	5107
71.	जॉय थामस	5100
72.	एस तेजस्विनी रेड्डी	5195
73.	मोकारा स्वोरेश	5713
74.	युमनाम रेनुबाला चानु	6725
75.	लालश्रम मोनिका देवी	6925
76.	नरेश कुमार यादव	6254
77.	रोहिनी रति	5413
78.	आई रमैया कृष्णा	4935
79.	फारोख तारापोरे	4405
80.	के. प्रियदर्शन	5413
81.	ए. अनीता चानु	6833
82.	पूर्णिमा जनाने	4405
83.	सूमा शिरूर	4605
84.	श्री हर्षा लिंगाला	4825
85.	जे. दीपन चक्रवर्ती	5413
86.	सौरव घोषाल	5413
87.	सोमैय्या	5413
88.	जे. मोहनप्रिया	5413
89.	रोनक पंडित	4714
90.	लखन मार्डी	4523
91.	बच्चू दुर्लाव	3951
92.	आदित्य मेहता	4405
93.	जगमेंन्दर सिंह	4405
94.	गिरिजा देसाई	5600
95.	सुमन कुंडू	2050
96.	तेजस आर. बाकरे	4087
97.	मीनाक्षी देवी	1825
98.	सुदेश कुमारी	1825
99.	कु. सबा अंजुम	4625
100.	एस. पूबेझ आनंद	5975
101.	सैय्यद एन. फरहीम	5518
102.	सूरज सिंह	4550
103.	गुरमिंदर सिंह	3251
104.	आशीष सिंह यादव	5145
105.	अकरम साह	2267
106.	सी.पी.आर. सुदनीर कुमार	5829
107.	गीतारानी	1925
108.	गीता	1925
109.	ले. अमित अरविंद	5148
110.	रामकुमार	5195
111.	करनाती हर्ष	5195
112.	सत्पर्षि राय चौधरी	5357
113.	एन. गोमती चानू	6833
114.	ए. संध्या रानी देवी	5633

1	2	3
115.	अमिषा सईद	5053
116.	संजीव सिंह चौहान	4655
117.	राजेश एस. धुलाजी	4655
118.	मनीष छोटरानी	4655
119.	नेह माहेश्वरी	4405
120.	जी. संतू कुमार	5513
121.	आर. कालिदास	5413
122.	त्रिनाल हेलगावकर	4530
123.	सिप्ला त्रिलोक ओबेराय	4655
124.	तिकना गोपाल	5355
125.	मंटू घोष	750
126.	गुरुनौर कौर कांग	2845
127.	एस.पी. सेतु रामन	5653
128.	राजेश चौधरी	4675
129.	विजयासाई कृष्णा गोट्टीपाती	5195
130.	तेजिन्दर सिंह	2895
131.	बी.सी. सुरेश	6535
132.	प्रीतम बिंद	6150
133.	विकी बट्टा	6125
134.	मधु कुमार	6139
135.	जाकिर खान	2334
136.	सुरेन्द्र सिंह	6139
137.	दासरी साई श्रीनिवास	5374
138.	एन. श्रीनाथ	5413
139.	नंदिता साहा	3090
140.	शुभजीत साहा	3090
141.	ए. सारनाथ कमल	3690
142.	सौम्यदीप राय	3050
143.	ममता प्रभी	4030
144.	श्वेता चौधरी	1050
	कुल	644143

प्रशिक्षक

क्र.सं.	नाम	विधा	उपलब्धि	टूर्नामेंट/स्पर्धा का नाम	राशि (रु.)	
1	2	3	4	5	6	
1.	श्री बलवान सिंह	कबड्डी	स्वर्ण (टी)	विश्व कप	125000	
2.	श्री उदय कुमार	वही	स्वर्ण (टी)	वही	125000	
3.	श्री शैल शेख	नौकायन	कांस्य (टी)	एशियाई चैंपियनशिप	9000	
4.	ले.कमा. आर. महेश	वही	स्वर्ण	वही	150000	325000
	नितिन मोगिया	वही	रजत	वही	100000	
	और रामकुमार सिंह के प्रशिक्षक	वही	कांस्य	वही	75000	
5.	श्री अनिल मदपोनकर, डोरिक मेनेजीज के प्रशिक्षक	वही	कांस्य	वही	75000	

1	2	3	4	5	6	
6.	कमा. एच डी मोतीवाला, एन के यादव और जी एल यादव के प्रशिक्षक	वही	कांस्य	वही	28125	
7.	कमा. एस के मोगिया, एन के यादव और जी एल यादव के प्रशिक्षक	वही वही	कांस्य कांस्य कांस्य	विश्व चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप	28125 56250	84375
8.	मेजर गौतम दत्त राजेश चौधरी, ले. अमित अरविंद, पल्लवी नाइक और रोहिनी राव, श्रीमती शिल्पा ओबेराय और नेहा मोहश्वरी, नानंद मयेकर और शेलाव प्रसाद, विकास कपिला और संजीव चौहान और राजेश धुलाजी	वही वही वही वही वही वही	स्वर्ण कांस्य स्वर्ण (टी) कांस्य (टी) कांस्य (टी) स्वर्ण (टी) रजत (टी)	एशियाई चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप	150000 75000 37500 225000 22500 112500 75000	495000
9.	श्री भवानी मुखर्जी	टेबल टेनिस	कांस्य	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	150000	
10.	श्री मनजीत सिंह दुआ	टेबल टेनिस	कांस्य	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	6250	
11.	श्री परवीन ओझा	टेबल टेनिस	कांस्य	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	6250	
12.	श्री तपन चंद्र	टेबल टेनिस	कांस्य	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	6250	
13.	मधु दीवान	टेबल टेनिस	स्वर्ण (एअर राइफल महिला)	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	6250	

1	2	3	4	5	6	
14.	प्रो. सन्नी थामस	निशानेबाजी	स्वर्ण	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	150000	1050000
15.		निशानेबाजी	कांस्य	विश्व कप	900000	
16.	श्री एम. के. कौशिक	हाकी (महिला)	स्वर्ण (टीम स्पर्धा)	एशिया कप	3750	7500
17.	हाकी	हाकी महिला	कांस्य (टीम स्पर्धा)	एशिया कप	3750	
18.	वासु थपलियाल	हाकी (महिला)	स्वर्ण (टी)	एशिया कप	37500	
19.	अनुरीता सैनी	हाकी (महिला)	कांस्य (टी)	एशिया कप	3750	
20.	नरेंद्र सिंह सैनी	हाकी (महिला)	वही	एशिया कप	3750	
21.	वाई. एस. चौहान	वही	वही	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	3750	
22.	एस. पी. एस. यादव	रोइंग	रजत	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	20000	
23.	जोश जैकब	रोइंग	कांस्य	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	30000	
24.	श्री मोहिंदर सिंह	बाक्सिंग	स्वर्ण	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	25000	
25.	के. श्रीनिवास राव	बाक्सिंग	स्वर्ण	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	25000	
26.	जे. एस. वाल्दिया	बाक्सिंग	कांस्य	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	15000	
27.	आर.वी. राव	बाक्सिंग	कांस्य	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	15000	
28.	एम. वीनू	बाक्सिंग	रजत	विश्व जूनियर चैंपियनशिप	75000	
29.	ए. राजन सिंह	भारोत्तोलन	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	150000	
30.	श्री पाल सिंह संधू	भारोत्तोलन	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	15000	

1	2	3	4	5	6	
31.	परमाजीत शर्मा	भारोत्तोलन	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	150000	
32.	श्री रमेश कुमार मल्होत्रा	भारोत्तोलन	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	150000	
33.	श्री जसवंत सिंह	भारोत्तोलन	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	150000	
34.	कोनेरू अशोक	शतरंज	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	150000	
35.	श्री नरहरि वेंकट	शतरंज	कांस्य	एशियाई चैंपियनशिप	150000	90000
		शतरंज	स्वर्ण	विश्व चैंपियनशिप	50000	
		शतरंज	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	25000	
36.	वर्गीस कोशी	शतरंज	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	20000	
37.	के. सेल्वराज	शतरंज	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	20000	
38.	श्री श्रीनिवास राव मरीडू	शतरंज	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	20000	85000
			रजत	एशियाई चैंपियनशिप	20000	
			स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	25000	
			रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	20000	
39.	बी. शक्ति प्रभाकर	शतरंज	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	25000	
40.	पी. एल. मीनाक्षी	शतरंज	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	25000	32500
		शतरंज	कांस्य	एशियाई चैंपियनशिप	7500	

1	2	3	4	5	6	
41.	टी. सुब्रमनियन	शतरंज	स्वर्ण	एशियाई चैंपियनशिप	25000	
42.	वी. रविचंद्रन	शतरंज	स्वर्ण	राष्टमंडल चैंपियनशिप	25000	50000
			स्वर्ण	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	25000	
43.	के. ज्योति प्रकाशम	शतरंज	कांस्य	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	15000	70000
			कांस्य	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	15000	
44.	श्री उम्मेद सिंह	वही	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	25000	45000
			रजत	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	20000	
45.	वाइवीरू श्रीनिवास	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	20000	57500
		वही	स्वर्ण (संयुक्त विजेता)	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	12500	
		वही	स्वर्ण	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	25000	
46.	शैक खासिम	वही	स्वर्ण	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	25000	
47.	मंथन जे. चोकसी	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	20000	
48.	एम. डी. अंथोनी	वही	कांस्य	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	15000	
49.	के. संतन महालिंगम	वही	कांस्य (संयुक्त विजेता)	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	7500	
50.	जी. एम. जाकिर	वही	रजत (संयुक्त विजेता)	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	10000	

1	2	3	4	5	6	
51.	एस. पनाइप्पन	शतरंज	स्वर्ण (संयुक्त विजेता)	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	12500	
52.	एस. मारी अरूल	वही	स्वर्ण (संयुक्त विजेता)	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	12500	
53.	एन. जयचंद्रन	वही	रजत (संयुक्त विजेता)	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	10000	
54.	श्री विशाल सरीन	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	20000	50000
		वही	कांस्य	विश्व सब जूनियर चैंपियनशिप	30000	
55.	श्री नरहरि वेंकट	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	100000	
56.	सीताराम राजू	वही	रजत	एशियाई महिला चैंपियनशिप	100000	305000
			स्वर्ण	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	50000	
			स्वर्ण	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	25000	
			कांस्य	विश्व सब जूनियर चैंपियनशिप	30000	
			रजत	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	20000	
			रजत	विश्व सब जूनियर चैंपियनशिप	40000	
			रजत	विश्व सब जूनियर चैंपियनशिप	40000	
57.	श्री धर्मेन्द्र तिवारी	तीरंदाजी	रजत	विश्व चैंपियनशिप	18750	
58.	सुश्री पूर्णिमा महतो	वही	रजत	विश्व चैंपियनशिप	18750	

1	2	3	4	5	6	
59.	श्री सुभाष अग्रवाल	बिलियार्ड एवं स्नूकर	कांस्य	एशियाई चैंपियनशिप	30000	
60.	श्री माइकल फरेरा	वही	स्वर्ण	एशियाई चैंपियनशिप	150000	225000
			कांस्य	विश्व चैंपियनशिप	75000	
61.	टी. चंद्रशेखर	टेनिस	रजत	एशियाई चैंपियनशिप	100000	
62.	श्री नतिन किरताने	वही	रजत	एशियाई चैंपियनशिप	20000	
63.	साइरस पोंका	स्क्वैश	कांस्य	एशियाई चैंपियनशिप	37500	
				कुल	5190250	

वर्ष 2005 के लिए खिलाड़ियों को दिया गया नकद पुरस्कार

क्र.सं.	खिलाड़ियों के नाम	विधा	उपलब्धि	स्पर्धा का नाम	राशि (रु.)	कुल राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पलविंदर सिंह चीमा	कुश्ती	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	450000
		कुश्ती	कांस्य	एशियाई चैंपियनशिप	150000	
2.	श्री अनिल मान	कुश्ती	स्वर्ण	राष्टमंडल चैंपियनशिप	300000	
3.	सुश्री गीतिका जाखड़	कुश्ती	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	730000
		कुश्ती	रजत	एशियाई चैंपियनशिप	200000	
		कुश्ती	रजत	एशियाई सब जूनियर चैंपियनशिप	80000	
		कुश्ती	रजत	जूनियर विश्व चैंपियनशिप	150000	

1	2	3	4	5	6	7
4.	श्री रमेश कुमार	कुश्ती	कांस्य	सीनियर एशियाई चैंपियनशिप	150000	450000
		कुश्ती	कांस्य	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	
5.	श्री कृपाशंकर पटेल	कुश्ती	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	600000
		कुश्ती	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	
6.	श्री मुकेश खत्री	कुश्ती	कांस्य	एशियाई चैंपियनशिप	150000	300000
		कुश्ती	कांस्य	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	150000	
7.	श्री कुलदीप सिंह	कुश्ती	कांस्य	राष्टमंडल एशियाई चैंपियनशिप	150000	
8.	कुमारी गीता	कुश्ती	स्वर्ण	चैंपियनशिप	100000	
9.	श्री अनूप कुमार	कुश्ती	रजत	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	80000	
10.	श्री गरविंदर सिंह	कुश्ती	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	
11.	श्री शिवाजी पटेल	कुश्ती	स्वर्ण	एशियाई चैंपियनशिप	100000	
12.	श्री सतीश कुमार	कुश्ती	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	
13.	श्री शोखिन्दर तोमर	कुश्ती	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	200000	
14.	सुश्री मीना	कुश्ती	स्वर्ण	एशियाई चैंपियनशिप	300000	450000
		कुश्ती	कांस्य	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	150000	
15.	सुश्री बबीता	कुश्ती	रजत	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	80000	

1	2	3	4	5	6	7
16.	श्री विनोद कुमार	कुश्ती	स्वर्ण	एशियाई जूनियर चैंपियनशिप	100000	
17.	श्री रविन्द्रर सिंह	कुश्ती	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	500000
		कुश्ती	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	200000	
18.	बलराज सिंह	वही	स्वर्ण	विश्व चैंपियनशिप	100000	180000
		वही	रजत	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	80000	
19.	मास्टर नरसिंह यादव	वही	कांस्य	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	60000	
20.	श्री संदीप	वही	रजत	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	80000	
21.	श्री जगदीश	वही	स्वर्ण	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	80000	
22.	श्री नीरज	वही	कांस्य	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	60000	
23.	श्री संजय	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	200000	
24.	कु. सुमन कूनू	वही	कांस्य	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	60000	
25.	श्री सुमित	वही	स्वर्ण	विश्व जूनियर चैंपियनशिप	100000	250000
		वही	रजत	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	150000	
26.	श्री योगेश्वर दत्त	वही	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	300000	500000
		वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	200000	
27.	श्री जयदीप	वही	रजत	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	80000	
28.	श्री वीरेन्द्र सिंह	जूडो	कांस्य	एशियन जूनियर चैंपियनशिप	60000	

1	2	3	4	5	6	7
29.	सुश्री पूजा जालान	जूडो	कांस्य	एशियन जूनियर चैम्पियनशिप	60000	
30.	श्री रूस्तम सारंग	भारोत्तोलन	स्वर्ण	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	50000	
31.	श्री बड़ी राजकुमार	वही	स्वर्ण	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	50000	
32.	श्री सुखेन डे	वही	रजत	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	40000	
33.	सुश्री सुप्रिया पाटिल	वही	कांस्य	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	30000	
34.	सुश्री कल्पना प्रकाश हिंगे	वही	कांस्य	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	30000	
35.	श्री टाटा राज शेखर	वही	कांस्य	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	30000	
36.	सुश्री प्रस्मिता मांगराज	वही	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	300000	
37.	सुश्री पुजारी शैलजा	वही	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	300000	500000
		वही	रजत	एशियन चैम्पियनशिप	200000	
38.	श्रीमती गीतारानी	वही	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	300000	4500000
		वही	कांस्य	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
39.	श्री जी. वीरप्रदन	वही	स्वर्ण	राष्टमंडल चैम्पियनशिप	300000	
40.	सीपीआर सुधीर कुमार	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	200000	
41.	श्री सुतिषा राय	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	200000	

1	2	3	4	5	6	7
42.	श्री जी. संदीप	भारोत्तोलन	रजत	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	200000	
43.	श्री के. अंबू काठी रवन	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	200000	
44.	जितेन्द्र कुमार	वही	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	300000	
45.	अखिल कुमार	वही	स्वर्ण	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	300000	
46.	बलबीर	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	200000	
47.	विजेन्द्र	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	200000	
48.	अर्जुन सिंह	वही	रजत	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	200000	
49.	परविंदर	वही	कांस्य	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	150000	
50.	जय भगवान	वही	कांस्य	राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	150000	300000
		वही	कांस्य	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
51.	सीवी अस्वाथीमूल	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	300000	600000
		वही	कांस्य	विश्व चैम्पियनशिप	300000	
52.	करमजीत कौर	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	300000	
53.	लेखा केशी	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	300000	
54.	ज्योत्स्ना	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	300000	600000
		वही	कांस्य	विश्व चैम्पियनशिप	300000	
55.	परनामिका बोरा	वही	रजत	एशियन चैम्पियनशिप	200000	

1	2	3	4	5	6	7
56.	अरुण मिश्रा	भारोत्तोलन	रजत	एशियन चैम्पियनशिप	200000	
57.	चौ. चनका दुर्गा	वही	कांस्य	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
58.	अस्वथी प्रभा	वही	कांस्य	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
59.	कल्पना चौधरी	वही	कांस्य	विश्व चैम्पियनशिप	300000	
60.	सुश्री राम्या कृष्णा इनापुरी	शतरंज	रजत	एशियन सब जूनियर चैम्पियनशिप	40000	
61.	सुश्री के. साई निरूपमा	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियिनशिप	50000	
62.	श्री संदीप वालमांचिली	वही	रजत	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	40000	
63.	सुश्री मन्वपल्ली नव्या वैष्णवी	वही	स्वर्ण	एशियन सब जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
64.	श्री वी.एवी. राजेश	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
65.	श्री के. प्रियदर्शन	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
66.	अभिजीत गुप्ता	वही	मास्टर टाइटल	मास्टर टाइटल	100000	
67.	आर. बालासुब्रमणयम	वही	मास्टर टाइटल	मास्टर टाइटल	100000	
68.	मेरी एन. गोम्स	वही	रजत मास्टर टाइटल स्वर्ण	एशियाई टीम जूनियर चैम्पियनशिप	225000	75000 100000 50000
69.	मा. सहज ग्रोवर	वही	स्वर्ण	विश्व चैम्पियनशिप	100000	

1	2	3	4	5	6	7
70.	परिमार्जन नेगी	शतरंज	खिताब जीता (प्रथम)	मास्टर टाइटल	100000	
71.	स्वाती सुरेश घाटे	वही	रजत	एशियन चैम्पियनशिप	100000	
72.	अभिजीत प्रकाश कुंटे	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
73.	सुंदर राजनकिदाम्बी	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
74.	संदीपन चंदा	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
75.	सूर्य शेखर गांगुली	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
76.	सप्तर्षि राय चौधरी	वही	स्वर्ण	कनाडियन शतरंज चैम्पियनशिप	300000	
77.	एस. माल्यारूल	वही	स्वर्ण	विश्व (12 वर्ष से कम) चैम्पियनशिप	100000	
78.	मा. एन. श्रीनाथ	वही	स्वर्ण	एशियन (12 वर्ष से कम) चैम्पियनशिप	100000	200000
		वही	स्वर्ण	एशियन (12 वर्ष से कम) चैम्पियनशिप	100000	
79.	श्रीमती रत्नमणीराय	वही	स्वर्ण	एशियाई एवं विश्व चैम्पियनशिप	150000	
80.	एस मारियारूल	वही	स्वर्ण	मास्टर टाइटल	100000	
81.	सुश्री इवाना फ्रुतादो	वही	कांस्य	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	30000	
82.	मा. विदित गुजराती	वही	रजत	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	40000	
83.	सुश्री भक्ति कुलकर्णी	वही	कांस्य	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	30000	

1	2	3	4	5	6	7
84.	सुश्री पद्मिनी राउत	शतरंज	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
85.	श्री एन. श्रीनिवासन	वही	मास्टर टाइटल	मास्टर टाइटल	100000	
86.	सुश्री निशा मोनोटा	वही	रजत	एशियन चैम्पियनशिप	100000	
87.	श्रीमती अनुपमा गोखले	वही	रजत	एशियन चैम्पियनशिप	100000	
88.	श्री कृष्णन शशिकरन	वही	स्वर्ण	एशियन चैम्पियनशिप	150000	
89.	प्रिंस बजई	वही	रजत	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	40000	
90.	डी.एस. नेगी	वही	रजत	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	40000	
91.	दीपसेन गुप्ता	वही	मास्टर टाइटल	मास्टर टाइटल	100000	
92.	सुश्री प्रियंका कुमारी	वही	रजत	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	40000	
93.	सुश्री ध्यानी भारत दवे	वही	स्वर्ण	सब-जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप	50000	
94.	श्री सुनील कुमार	कबड्डी	स्वर्ण	एशियन सब-एशियाई चैम्पियनशिप	50000	
95.	श्री संजय कुमार	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
96.	श्री सुरेन्द्र यादव	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	

1	2	3	4	5	6	7
97.	श्री महेश जी. भीलवाड़े	कबड्डी	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
98.	श्री संजीव	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
99.	राजा गुरु	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
100.	श्री संजू वर्मा	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
101.	श्री वीरेन्द्र सिंह	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
102.	श्री पी. संतोष	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
103.	श्री मुकेश पवार	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
104.	श्री अरुण बी. वी.	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
105.	श्री वजीर सिंह	वही	स्वर्ण	एशियन सब-जूनियर चैम्पियनशिप	50000	
				कुल:	17815000	

निम्नलिखित खिलाड़ियों को वर्ष 2005 के लिए नकद पुरस्कार दिया गया है

क्र.सं.	खिलाड़ी/प्रशिक्षक का नाम	राशि (रु.)
1	2	3
	वालीबाल	
1.	श्री सूबे सिंह	15000
2.	श्री अशोक कुमार	15000
3.	श्री शेल्टन मोसेस	15000
4.	श्री विक्रम सिंह मान	15000
5.	श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धु	15000

1	2	3
6.	श्री कार्तिकेयन	15000
7.	श्री पृथ्वी राज	15000
8.	श्री गुट्टिकोण्डा प्रदीप	15000
9.	श्री ललित कुमार	15000
10.	श्री गुरचंद सिंह	15000
11.	श्री बलविंदर सिंह	15000
12.	श्री गुरिंदर सिंह	15000
13.	श्री नदाराजन जे.	40000
14.	श्री जी. प्रदीप	40000
15.	श्री ई.के. किशोर कुमार	40000
16.	श्री सुनील कुमार	40000
17.	श्री शिवबालन पी.	40000
18.	श्री बलवान सिंह	40000
19.	श्री राहुल एस.ए.	40000
20.	श्री एम. कारी वश्ववंधा राजू	40000
21.	श्री एम.एन. विक्सम	40000
22.	श्री पी.एस. श्रीकांत	40000
23.	श्री अरुण जकमोला	40000
24.	मुकेश कुमार	40000
	कबड्डी	
25.	सुश्री सुमति रमन्ना पुजारी	150000
26.	सुश्री मेगलीकर गायनकर	150000
27.	सुश्री पी. पोनारूल्लू	150000
28.	सुश्री के. सनाहनबी देवी	150000
29.	सुश्री के. श्वेता	150000
30.	सुश्री रोज मैरी	150000
31.	सुश्री श्वाति	150000
32.	सुश्री लता पंचल	150000
33.	सुश्री पूजा	150000
34.	सुश्री राजबाला	150000
35.	सुश्री एस. शशी	150000
36.	सुश्री तेजस्विनी	150000
37.	सुश्री प्रमोद	150000
38.	सुश्री रणजीता	150000
39.	श्री राकेश कुमार	150000
40.	श्री नवीन गौतम	150000
41.	श्री सुखबीर सिंह	150000
42.	श्री रमेश कुमार	150000
43.	श्री जितेन्द्र कुमार	150000
44.	श्री जगदीप सिंह	150000
45.	श्री बी.सी. सुरेश	150000
46.	श्री सोनू नरवाल	150000
47.	श्री विनय विचारे	150000
48.	श्री जोगिन्दर	150000
49.	श्री श्रीनिवास रेड्डी	150000
50.	श्री पंकज श्रीसत	150000
	निशानेबाजी	
51.	सुश्री तेजस्विनी सावंत	500000
52.	अशोक आर. करांदे	100000
53.	श्रीनवनाथ फरतादे	200000
54.	श्री संदीप तारदे	100000
55.	श्री अभिनव बिंद्रा	300000
56.	सुश्री मीना कुमारी	350000
57.	श्री गगन नारंग	1025000
58.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर	112500
59.	श्री संजीव राजपूत	225000

1	2	3
60.	श्री सुशील घाटे	487500
61.	सुश्री सीमा सिरूर	375000
62.	सुश्री कुहेली गांगुली	225000
63.	सुश्री अंजली भागवत	660000
64.	सुश्री देवाली देशपांडे	350000
65.	सुश्री पूर्णिमा जनाने	225000
66.	श्री मनोज कुमार	425000
67.	श्री समरेश जंग	1120500
68.	सुश्री सुषमा राणा	150000
69.	सुश्री श्वेता चौधरी	466666
70.	श्री जाकिर खान	100000
71.	श्री रौनक पंडित	166666
72.	श्री सतेन्द्र कुमार	133333
73.	श्री विवेक सिंह	133333
74.	श्री जसपाल राणा	900000
75.	श्री अशोक पंडित	425000
76.	श्री प्रेमबा तामंग	525000
77.	श्री विजय कुमार	150000
78.	श्री राम किशन यादव	300000
79.	श्री महाबीर सिंह	150000
80.	श्री मो. कलामुद्दीन	200000
81.	श्री अमरप्रीत सिंह	66666
82.	सुश्री अर्पणा सालवांखे	66666
83.	सुश्री हरवींस राव	216666
84.	सुश्री सर्वेश तोमर	150000
85.	ले.क. राज्य वर्धन सिंह राठौर	925000
86.	मुराद अली खान	200000
87.	श्री रंजन सोढ़ी	425000
88.	श्री मानव जीत सिंह संधू	650000
89.	श्री मनसेर सिंह	200000
90.	श्री जोरावर सिंह संधू	350000
91.	सुश्री आरती सिंह राव	300000
	बिलियर्ड्स और स्नूकर	
92.	श्री पंकज अडवाणी	400000
93.	श्री अशोक हरीशंकर शांडिल्य	450000
94.	श्री गीत सेठी	500000
95.	श्री देवेन्द्र जोशी	600000
96.	सुश्री अनुजा प्रकाश ठाकुर	1000000
	तीरंदाजी	
97.	सुश्री डोला बनर्जी	475000
98.	1. सुश्री रीना कुमारी	100000
	2. सुश्री सुमंगला	100000
99.	1. सुश्री रीना कुमार	75000
	2. सुश्री लक्ष्य रानी माझी	75000
100.	1. श्री जयंत तालुकदार	100000
	2. श्री तरूणदीप राय	100000
	3. राहुल बनर्जी	100000
	4. श्री माझी सवाईवान	100000
101.	श्री विवेक कुमार	150000
102.	श्री नरेश दामोर	150000
103.	श्री शिवनाथ नागेशिया	150000
104.	सुश्री झानू हंसदा	150000
105.	सुश्री साकरोबेसरा	100000
106.	सुश्री बंसालरानी धर	75000
107.	हवलदार तरूणदीप राय	100000
108.	श्री जयंत तालुकदार	100000
109.	श्री गौतम सिंह	100000
110.	हवलदार रोबिन हंसदा	100000

1	2	3
	एथेलेटिक्स	
111.	सुश्री मंजीत कौर	300000
112.	सुश्री सोमा बिस्वा	300000
113.	श्रीमती अंजु बॉबी जॉर्ज	300000
114.	सुश्री राजविंदर कौर	150000
115.	सुश्री एस. गीता	150000
116.	सुश्री चित्रा के. सोमन	150000
117.	सुश्री मंजीत कौर	150000
118.	नवप्रीत सिंह	200000
119.	विकास गोडा	200000
120.	श्री सुष्मिता सिंह राय	200000
121.	एस. शांति	200000
112.	कृष्णा पूणिया	150000
123.	श्री अनिल कुमार रोहिल	75000
*124.	श्री भूपिन्द्रर सिंह	75000
125.	श्री पी. शंकर	75000
126.	श्री सतबीर सिंह	75000
127.	श्री जगदीश कुमार	150000
128.	श्री अनिल कुमार	150000
129.	श्रीमती अंजु बॉबी जॉर्ज	700000
	टेनिस	
130.	सनम के. सिंह	600000
131.	जीवन नेदुन चेझियान	300000
132.	साना भाम्रे	200000
133.	अदन्या नायक	100000
134.	सुदानवा सीताराम	100000
	रोइंग	
135.	श्री कुदरत अली	150000
136.	श्री जगबीर सिंह ग्रेवाल	150000
137.	श्री साजी थोमस	112500
138.	श्री साजी थोमस	300000
139.	श्री सतीश जोशी	262000
140.	श्री सुनील काकड़े	112500
141.	श्री धर्मेश	262500
142.	श्री बालूराख	262500
143.	श्री बलदेव सिंह कल्याण	150000
144.	श्री सुखजीत सिंह	150000
145.	श्री गुरदर्शन	150000
146.	*श्री नरायण सिंह	187500
147.	श्री प्रदीप कुमार बलियान	225000
148.	श्री राज कुमार	75000
149.	श्री मनोज अगस्टीन	150000
150.	श्री ज्ञानेन्द्र पाल सिंह	225000
151.	श्री रतीश डी.बी.	225000
152.	सुश्री ममता जेना	75000
153.	सुश्री परवासिनी द्विवेदी	150000
154.	सुश्री स्वाति संजय	225000
155.	सुश्री सरोज बाला	75000
156.	सुश्री जूली वर्गीस	150000
157.	कुमारी कविता शांति	75000
158.	कुमारी राजी. पी. आर.	150000
159.	परवीन कुमार ढल	225000
160.	बजरंग लाल	412500
161.	हरिदेव कादियान	225000
	कुश्ती	
162.	कु. निर्मला	300000

1	2	3
163.	श्री नवीन	80000
164.	श्री संजीत	80000
165.	श्री अनुज कुमार	450000
166.	नेहा राठी	300000
167.	राजीव तोमर	200000
168.	श्री राजबीर चिकारा	100000
169.	श्री सुमित कुमार	150000
170.	श्री कृष्ण कुमार	80000
171.	राहुल मान	30000
172.	श्रीमती ज्योति	200000
173.	श्री अरविंद कुमार	60000
	कुल	3,60,32,496

(ख) प्रशिक्षक

निम्नलिखित प्रशिक्षकों को वर्ष 2005 के लिए नकद पुरस्कार दिया जाएगा

क्र.सं.	प्रशिक्षक का नाम	विद्या	उपलब्धि	राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	ए.एल लाकड़ा (प्रशिक्षक)	बाक्सिंग	स्वर्ण	150000	
2.	सुश्री करणम कल्याणी	भारोत्तोलन प्रशिक्षक	स्वर्ण	50000	
3.	श्री प्रीतम सिंह	वालीबाल	कांस्य	3750	
4.	श्री कोटेश्वर राव		कांस्य	3750	
5.	श्री एम एच कुमार		रजत	10000	
6.	श्री वरप्रसाद राव		रजत	10000	
7.	सुश्री एम मंजूरी राव	कबड्डी	स्वर्ण	37500	
8.	ए. इल्पस रानी		स्वर्ण	37500	
9.	बलवान सिंह		स्वर्ण	75000	
10.	प्रो. सन्नी थामस	निशानबाजी	स्वर्ण, रजत और कांस्य	250000	
11.	श्री मनोज कुमार कोठारी	बिलियर्ड एवं स्नूकर	स्वर्ण	150000	
12.	श्री संभाष अग्रवाल		स्वर्ण	500000	
13.	श्री धर्मेन्द्र तिवारी	तीरंदाजी	रजत	25000	
14.	श्री लोकेश चन्द्र		रजत	25000	
15.	सुश्री पूर्णिमा महतो		कांस्य	37500	87500
			रजत	50000	
16.	श्री संजीव कुमार सिंह		स्वर्ण, रजत और कांस्य	75000	
17.	श्री सी.आर. कुर्मी		स्वर्ण और कांस्य	37500	
18.	श्री हरेंद्र सिह		स्वर्ण और कांस्य	37500	

1	2	3	4	5	6
19.	राबर्ट बाबी जार्ज	एथलेटिक्स	रजत	250000	
20.	श्री जी. एस. नायर	रोइंग	कांस्य	37500	
21.	श्री जोश जैकब		स्वर्ण	75000	
22.	राम कुमार	कुश्ती	स्वर्ण	150000	
23.	श्री राम धन		रजत	40000	80000
			रजत	40000	
24.	श्री महासिंह राव		रजत	37500	162500
			स्वर्ण	75000	
			रजत	50000	
25.	श्री जगमिंदर सिंह		रजत	37500	162500
			स्वर्ण	75000	
			रजत	50000	
26.	जगरूप सिंह		स्वर्ण	150000	
27.	ओम प्रकाश दहिया		स्वर्ण	50000	
28.	जगदीश कुमार		रजत	100000	130000
			कांस्य	30000	
29.	श्री सुखचैन सिंह चीमा		स्वर्ण	150000	225000
			रजत	75000	
30.	श्री राजकुमार		स्वर्ण	150000	
31.	श्री नरेश दहिया		कांस्य और स्वर्ण	225000	275000
			स्वर्ण	50000	
32.	श्री महावीर प्रसाद		स्वर्ण और स्वर्ण	150000	
33.	श्री रामफल ठकरान		कांस्य	150000	
34.	श्री एन. पी. सिंह		कांस्य	75000	
35.	श्री महाबीर		स्वर्ण	50000	
36.	श्री हरगोविंद सिंह		स्वर्ण	150000	
37.	श्री नरेन्द्र सिंह		स्वर्ण	150000	
38.	श्री रामफल मान		स्वर्ण	150000	
39.	श्रीमती हंसा शर्मा	भारोत्तोलन	रजत	150000	275000
			रजत	50000	
			स्वर्ण	75000	
40.	श्री ए. अमरनाथ		स्वर्ण	150000	

1	2	3	4	5	6
41.	श्री जसवंत सिंह		रजत	100000	
42.	श्री एम. तमिल सेलवान		स्वर्ण	150000	200000
			रजत	50000	
43.	श्री हरनाम सिंह		रजत	100000	
44.	श्रीमती श्यामला		रजत	50000	
45.	श्री एम. वेनू	बाक्सिंग	स्वर्ण	150000	
46.	श्री जगदीश सिंह		स्वर्ण	150000	
47.	श्री जयदेव बिष्ट		रजत	100000	
48.	श्री जगदीप हुडा		कांस्य	75000	
49.	श्री सुबे सिंह		कांस्य	37500	
50.	श्री एम. वेनू		कांस्य	37500	
51.	श्री एम. वेनू		कांस्य	37500	
52.	श्री सूबे सिंह		कांस्य	37500	
53.	श्री अनूप कुमार		स्वर्ण	150000	
54.	श्री महावीर सिंह		स्वर्ण	150000	
55.	श्री डी. चंद्रलाल		स्वर्ण	150000	
56.	हेमलता बगदवाल		स्वर्ण	150000	
57.	श्री वेंकटेश्वर राव		स्वर्ण	150000	
58.	नीलम पूनिया		स्वर्ण	75000	
59.	मनोज कुमार		स्वर्ण	75000	
60.	अजीत कुमार सिंह		रजत	100000	
61.	सुश्री अमनप्रीत कौर		स्वर्ण	150000	
62.	श्री देवराज सिंह		कांस्य	75000	
63.	श्री अनूप कुमार		स्वर्ण	500000	
64.	श्री महावीर सिंह		कांस्य	150000	
65.	श्री डी. चन्द्रलाल		कांस्य	150000	
66.	श्री आई. वेंकटश्वर राव		कांस्य	75000	
67.	श्री मनोज कुमार		कांस्य	75000	
68.	श्री बृषभान	कुश्ती	स्वर्ण	50000	

1	2	3	4	5	6
69.	श्री वृषभान		रजत	40000	
70.	श्री दिलबाग सिंह		स्वर्ण	50000	
71.	श्री प्रकाश दलशिया		कांस्य	30000	
72.	श्री चंदरूप		रजत	100000	
73.	श्री ईश्वर सिंह दहिया		कांस्य	30000	
74.	श्री रामफल मान		कांस्य	30000	
75.	श्री रामफल मान		रजत	50000	
76.	श्री रामफल मान		रजत	40000	
77.	श्री यशवीर सिंह		स्वर्ण	150000	
78.	श्री यशवीर सिंह		रजत	40000	
79.	श्री सतपाल		स्वर्ण	150000	
80.	श्री संदीप गुप्ता		स्वर्ण	50000	
81.	गरप्रीतपाल सिंह	शतरंज	स्वर्ण	50000	
82.	श्री लोल्ला राम राव		कांस्य	25000	
83.	श्री रघुनन्दन गोखले		कांस्य	75000	
84.	श्री अमित कुमार मिढा		कांस्य	20000	
85.	श्री पाल		कांस्य	25000	
86.	श्री जगमाल सिंह		कांस्य	30000	
			कुल	9047500	

निम्नलिखित खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को वर्ष 2006 के लिए नकद पुरस्कार दिया जाएगा

क्र.सं.	खिलाड़ियों के नाम और पते	प्रतियोगिता	प्रतिस्पर्धा	पदक	दी जाने वाली राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6
तीरंदाजी					
1.	मंगल सिंह चैंपिया, साई ब्याइज होस्टल, एस टी सी संटर, आई जी स्टेडियम, नई दिल्ली	एशियाई खेल, 06	पुरूष टीम	कांस्य (टीम-4 सदस्य)	150000
2.	तरूनदीप राय, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, घोरपडी, पुणे, (महाराष्ट्र) 411001	एशियाई खेल, 06	पुरुष टीम	कांस्य (टीम-4 सदस्य)	150000

1	2	3	4	5	6
3.	जयंत तालुकदार, हाउस नं. 03, एस जे नाथ होमियोपैथिक पंजाबरी, गुवाहाटी, असम	एशियाई खेल, 06	पुरुष टीम पुरुष टीम	कांस्य (टीम-4 सदस्य)	150000
4.	विश्वास, सी, 6, शास्त्री नगर, मेरठ, उ.प्र.	एशियाई खेल, 06	पुरुष टीम	कांस्य (टीम-4 सदस्य)	150000
	एथलीटिक्स				
5.	सीमा अंतिल, ओल्ड कोर्ट, स्टेट बैंक आफ पटियाला बिल्डिंग, आर्य नगर, सोनीपत, हरियाणा	राष्ट्रमंडल खेल, 06	भाला फेंक	रजत	500000
6.	सोमा विश्वास, मंदलपुकरिया, पी ओ इरूली, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल	एशियाई खेल 06	हेप्टाथियन (डब्ल्यू)	रजत	500000
7.	जे जे शोभा रेलवे क्वार्टर नं. 1204/2, चिलकालगुडा, सिकंदराबाद 500025	एशियाई खेल, 06	हेप्टाथियन	कांस्य	300000
8.	शांति सौंदर्यराजन, लिंग सत्यापन परीक्षण में अनुत्तीर्ण	एशियाई खेल, 06	800 मी. (डब्ल्यू)	रजत पदक वापस लिया जा रहा है।	00
9.	सिनेमोल पालोस, मार्फत सतीश पिल्लै, टाटा स्पोर्ट्स फुटबाल अकादमी, टिस्को जमशेदपुर, झारखंड	एशियाई खेल, 06	1500 मी. (डब्ल्यू)	कांस्य	300000
10.	पी जेसा आर्चटरी	एशियाई खेल, 06	500 मी. (डब्ल्यू)	कांस्य	300000
11.	कृष्णा पूनिया, रोड 217/10 नं. 6, गनपती नगर, जयपुर, राजस्थान	एशियाई खेल, 06	भाला फेंक (डब्ल्यू)	कांस्य	300000
12.	अंजु बाबी जार्ज, ई 004 टेरेस गार्डेन आपर्टमेंट, ई बी रोड कातरीगुप्पी, बानशंकरी, तीसरा स्टेज, बंगलोर 560085	एशियाई खेल, 06	लंबी कूद (डब्ल्यू)	रजत	500000

1	2	3	4	5	6
13.	मंजीत कौर, गांव अबूखर (साईपुर), जिला गुरदासपुर पंजाब	एशियाई खेल, 06 राष्ट्रमंडल खेल, 06	400 मी. डब्ल्यू 4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	रजत	300000
				स्वर्ण (टीम 6 सदस्य)	500000
			4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
14.	एस गीता, साई एसटीसी, पुलिस हाकी स्टेडियम, पुलिस लाइन, सिकंदराबाद (आं प्र)	एशियाई खेल, 06 राष्ट्रमंडल खेल 06,	4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	स्वर्ण (टीम 6 सदस्य)	500000
			4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
15.	वित्रा के सुमन, उल्लाम्मुरील हाउस, मटक्कर पी ओ, कोट्टायम, केरल	एशियाई खेल 06 राष्ट्रमंडल खेल, 06	4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	स्वर्ण (टीम 6 सदस्य)	500000
			4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
16.	पिंकी परमाणिक	एशियाई खेल, 06 राष्ट्रमंडल खेल 06,	4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	स्वर्ण (टीम 6 सदस्य)	500000
			4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
17.	मंदीप कौर, गांव चीमा, खुर्द, पी ओ, चीमा कलां तह. तरनतारन, जिला अमृतसर पंजाब	एशियाई खेल 06	4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	स्वर्ण (टीम 6 सदस्य)	500000
18.	टिंटू लूका, मार्फत पीटी उषा, उषास मेलेडी पी ओ पायोली, जिला कोझीकोड, केरल	एशियाई खेल, 06	4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	स्वर्ण (टीम 6 सदस्य)	500000
19.	राजविंदर कौर,	राष्ट्रमंडल खेल, 06	4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
20.	आशिक बीवी, मार्फत कमांडेंट जी सी सी आर पी एफ, झरोडा कलां, नई दिल्ली 110072	राष्ट्रमंडल खेल, 06	4 × 400 रिले (डब्ल्यू)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000

1	2	3	4	5	6
21.	बीनू के मैथ्यू, कलैथुम कुझील पानिकंकुडी पी ओ कंमबूदिनजल. आई डी के के आई केरल 685564	एशियाई खेल, 06	4 × 400 रिले (एम)	रजत (टिम 6 सदस्य)	250000
22.	जोसफ जी अब्राहम, सेंट्रल एथलीटिक टीम, सी आर पी एफ ए टी ग्रप सेंटर, सी आर पी एफ, झरोड़ा कलां, नई दिल्ली 110072	एशियाई खेल, 06	4 × 400 रिले (एम)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
23.	भूपिंदर सिंह, वी पी ओ, अटाली, बल्लभ गढ़ जिला फरीदाबाद, हरियाणा	एशियाई खेल, 06	4 × 400 रिले (एम)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
24.	अबूबकर तानिक्कल, तानिक्कल हाउस, मुथी पी ओ कलपेट, वायनाड जिला केरल	एशियाई खेल, 06	4 × 400 रिले (एम)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
25.	पी शंकर, मार्फत निदेशक, ए पी स्पोर्ट् स्कूल, तामुकुंठ, समीरपेट, रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश	एशियाई खेल, 06	4 × 400 रिले (एम)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
26.	पी श्रीधरन, पामगदत हाउस, 18/226, पुलिस क्वार्टर नं. 287, हेड पोस्ट आफिस, त्रिसूर, केरल 680001	एशियाई खेल, 06	4 × 400 रिले (एम)	रजत (टीम 6 सदस्य)	250000
	बैडमिंटन				
27.	चेतन आनंद पुत्र बी एस हर्षवर्धन 60.25.4 एस बी ए कालोनी विजयवाडा 520010 आंध्र प्रदेश 520010	राष्ट्रमंडल खेल, 06	पुरुष एकल संयुक्त टीम	कांस्य कांस्य (टीम 10 सदस्य)	300000 150000
28.	रूपेश कुमार अरत्तुकुलम पो. कुलथ्थपई केरल	राष्ट्रमंडल खेल, 06	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000
29.	अनूप श्रीधर, मार्फत श्री विमल कुमार के रेही बैडमिंटन स्टेडियम 4, जस्मा भवन रोड बंगलोर 52	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000

1	2	3	4	5	6
30.	सनावे थामस, अरातुकूलम, पो कोलथई, अलेप्पी, केरल	राष्ट्रमंडल खेल	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000
31.	दीजू वेलीवाजी वित्तील, श्रेकालेय, रामनतू कार कालीकट, कर्नाटक	राष्ट्रमंडल खेल	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000
32.	श्रुती कुरियन, द्वारा श्रीमती ज्वाला, 206 अशोक साइलेंट वैली, रोड नं. 10 बंजारा हिल्स, हैदराबाद	राष्ट्रमंडल खेल	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000
33.	तृपति मुरगुंडे, द्वारा श्री विमल कुमार, के के रेही बैडमिंटन स्टेडियम 4, जस्मा भवन रोड बंगलोर 52	राष्ट्रमंडल खेल	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000
34.	सायना नेहवाल, द्वारा श्री पी गोपीचंद, 15 भारनी लेआउट रोड, 24 जुबली हिल्स हैदराबाद	राष्ट्रमंडल खेल	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000
35.	ज्वाला गुट्टा, द्वारा मैसर्स जी ज्वाला, 206, 206 अशोक साइलेंट वैली, रोड नं. 10, बंजारा हिल्स, हैदराबाद	राष्ट्रमंडल खेल	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000
36.	अर्पण पोपट, 11 वैलेन्टाइन, एन गमदिया रोड, मुम्बई 26	राष्ट्रमंडल खेल	संयुक्त टीम	कांस्य (टीम 10 सदस्य)	150000
	मुक्केबाजी				
37.	बिजेन्द्र ग्राम कालूवास, पो पलवास, जिला भिवानी, हरियाणा	एशियाई खेल, 2006	75 के.जी.	कांस्य	300000
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	69 के.जी.	रजत	500000
38.	जोन्सन वर्गिस, द्वारा जीपी बाक्सिंग टीम हेडक्वार्टर, एम ई सी सेंटर बंगलौर	एशियाई खेल, 2006	+91 के.जी.	कांस्य	300000
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	+91 के. जी.	कांस्य	300000

1	2	3	4	5	6
39.	अखिल कुमार, श्वेता मेडिकल स्टोर, ग्राम सिरोल, गुडगांव हरियाणा	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	54 के.जी.	स्वर्ण	1000000
40.	हरप्रीत सिंह, बी एक्स/211, गली नं. 6 जिला संगरूर, पंजाब	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	91 के.जी.	रजत	500000
41.	जितेन्द्र कुमार, पो देवसर तहसील एवं जिला भिवानी, हरियाणा	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	51 के.जी.	कांस्य	300000
	शतरंज				
42.	कोनेरू हम्पी, एफ 4 सत्यकला टावर, रलधुराम स्ट्रीट, मोगल्ला, राजपुरम, विजयवाडा	एशियाई खेल 2006	संयुक्त टीम क्लासिकल	स्वर्ण (टीम 3 सदस्य)	666667
43.	के शशिकिरण, चौथा स्टेट, नानंद नेल्लोर, चेन्नई	एशियाई खेल, 2006	संयुक्त टीम क्लासिकल	स्वर्ण (टीम 3 सदस्य)	666667
44.	पी हरीकृष्णा	एशियाई खेल, 2006	संयुक्त टीम क्लासिकल	स्वर्ण (टीम 3 सदस्य)	666667
	बिलियर्ड एवं स्नूकर (क्यू स्पोर्टस)				
45.	पंकज अडवानी, 303 ए रंकाडी पैराडाई, 153 क्लिर रोड, पेजर टाउन, बंगलोर	एशियाई खेल, 2006	पुरुष इंगलिश बिलियर्ड एकल	स्वर्ण	1000000
46.	अशोक शान्डिल्य, एफ/4 सेन्ट्रल रेक्ले आफीर्सस फलैट्स पारेल मुम्बई	एशियाई खेल, 2006	पुरुष इंगलिश बिलियर्ड एकल	रजत	500000
			पुरुष इंगलिश बिलियर्ड एकल	(कांस्य टीम 2 सदस्य)	225000
47.	गीत सेठी, 3 नीलकमल, गांधी बाग सोसायटी, लान गार्डन अहमदाबाद	एशियाई खेल, 2006	पुरुष इंगलिश बिलियर्ड एकल	कांस्य (टीम 2 सदस्य)	225000

1	2	3	4	5	6
48.	स्नेहल अशिरत मेहता, 101 अपूर्व कास्टल 44, बृन्दिन पार्क चेम्बूर, मुम्बई 430471	एशियाई खेल	पुरूष स्नूकर टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
49.	अश्विनी भाई रूपेश शाह, 2/4 स्लेटस सोसायटी, मुक्तज विद्यापीठ के सामने आश्रम रोड, अहमदाबाद 380014	एशियाई खेल	पुरूष स्नूकर टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
50.	वसीम मर्चेन्टोवसेस्ले, 460,24 रोड टीपीएस तीन, बांद्रा, मुम्बई 400050	एशियाई खेल	पुरूष स्नूकर टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
	घुड़सवारी				
51.	कर्नल दीप कुमार अहलावत आरटीएस एण्ड डी, सहारनपुर, यूपी	एशियाई खेल	प्रतियोगी टीम	कांस्य (चार सदस्यीय टीम)	150000
52.	मे. राकेश पट्टू, 61 कैवलरी, जयपुर, राजस्थान	एशियाई खेल	प्रतियोगी टीम	कांस्य (चार सदस्यीय टीम)	150000
53.	आर ई एस जगीरथ सिंह, आरवीसी सेंटर एण्ड स्कूल, मेरठ, यूपी	एशियाई खेल	प्रतियोगी टीम	कांस्य (चार सदस्यीय टीम)	150000
54.	परविंदर सिंह, आरवीसी सेंटर एण्ड स्कूल, मेरठ, यूपी	एशियाई खेल	प्रतियोगी टीम	कांस्य (चार सदस्यीम टीम)	150000
	गोल्फ				
55.	गगनजीत भुल्लर बक्स. 323, सी रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला 144602 पंजाब	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
56.	ज्योति अनीसका ज्योति 58, एडब्लू एसडी कालोनी, सेक्टर ए सिक्का रोड, सिकन्दराबाद 500009	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
57.	जोसेफ चकोला सं. 408, देव प्रयाग त्रिस्तार अपार्ट, 657 अविनाशी रोड, कोयम्बटूर 641037	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
58.	चिरन कुमार, बी 507, न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली 65	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
	महिला हाकी				
59.	दीपक एम गोंगला, 3, ज्योति मनी कम्पनी प्राइवेट सोसायटी बी/एच सरकारी, बस डट डूप्लेक्स इन रोड, अहमदाबाद, 54	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम)	150000

1	2	3	4	5	6
60.	सुमन बाला, म.नं. 411/6 शिव कालोनी गढ़वा रोड, एफसीटी, गढ़वा, शाहाबाद, जिला मरकंडा, कुरूक्षेत्र, हरियाणा	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम)	150000
61.	अशुन्ता लाकड़ा, एस ए आई कॉंगरी, ईडी, एन एस साउदर्न सेंटर, विश्वविद्यालय कैम्पस, बैंगलोर 65	एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल, 2006	महिलाओं की टीम महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम) रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	150000 250000
62.	विनिता टोपो, खेल छात्रावास, छेंद, सुन्दरगढ़, उड़ीसा 15	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम)	150000
63.	जोवदीप कौर, म.नं. 438/3, सिक्ख फोर्ट, सिंह जिला शाहाबाद, कुरूक्षेत्र 132118	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम)	150000
64.	ज्योति सुनिता कुल्लू, क्वा. नं. बी 287, सेक्टर 2, धुरवा रांची, झारखंड	एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल 2006	महिलाओं की टीम महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम) रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	150000 250000
65.	ममता खरब, म.नं. 273/बी, सुभाष नगर, माडल टाउन, रोहतक	एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल 2006	महिलाओं की टीम महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम) रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	150000 250000
66.	हांडा जसजीत कौर, म.नं. 306/13, हांडा सर्विस स्टेशन, जीटी रोड, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल 2006	महिलाओं की टीम महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम) रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	150000 250000
67.	ऋतु रानी, म.नं. 1042, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, ग्राम पो. शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम)	150000
68.	सुरिन्द्र कौर, द्वारा राम सिंह एण्ड सन्स जीटी रोड, शाहबाद, जिला कुरूक्षेत्र हरियाणा	एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल, 2006	महिलाओं की टीम महिलाओं कीम टी	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम) रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	150000 250000
69.	शबा अन्जुम, केलबाड़ी नजदीक मस्जिद दुर्ग सी जी	एशियाई खेल राष्ट्रमंडल 2006	महिलाओं की टीम महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम) रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	150000 250000
70.	सुप्रदा प्रधान, खेल छात्रावास, राउरकेला, सुन्दरगढ़, उड़ीसा	एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल, 2006	महिलाओं की टीम महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम) रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	150000 250000

1	2	3	4	5	6
71.	राजविंदर कौर म.न. 306/बी होडा सर्विस स्टेशन, जीटी रोड, शाहबाद (एम) जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा	एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल, 2006	महिलाओं की टीम महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम) रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	150000 250000
72.	पुष्पा प्रधान, राजकीय बालिका हाई स्कूल, बी नैरात्, रांची 9	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम)	150000
73.	मारिता तिर्की एस ए आई कॉंगरी, ईडी, एन एस साउदर्न सेंटर, विश्वविद्यालय कैम्पस, बैंगलोर 65	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम)	150000
74.	विनिता एक्स ई एस एस	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	कांस्य (सोलह सदस्यीय टीम)	150000
75.	हेलेन मेरी इनोसेंट, 354, एम एस आर नगर, मथिकेर बंगलौर 64	राष्ट्रमंडल खेल	महिलाओं की टीम	रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	250000
76.	रजनी बाला, 366, वार्ड नं. 4 मोहम्मद बाजरी शाहबाद, कुरुक्षेत्र हरियाणा	राष्ट्रमंडल खेल	महिलाओं की टीम	रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	250000
77.	कांति बा, राजकीय कन्या विद्यालय, बरियातु, रांची, झारखंड	राष्टमंडल खेल	महिलाओं की टीम	रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	250000
78.	नीलिमा कुजूर, खेल छात्रावास, पनपोश सुन्दरगढ़, उड़ीसा 15	राष्ट्रमंडल खेल	महिलाओं की टीम	रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	250000
79.	सुमरेई टेटे, क्वा. नं. सीपी/23/ए, टाइप 2, साउथ रेलवे कोलोनी, चुटिया, रांची, झारखंड	राष्ट्रमंडल खेल	महिलाओं की टीम	रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	250000
80.	मैसुर सैमुअल सुरीलन, रेलवे क्वा. नं. टी. 34 ए रेलवे नार्थ-कालोनी, चुटिया, रांची	राष्ट्रमंडल खेल	महिलाओं की टीम	रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	250000
81.	संगई चानू, ईसी खोंग मैमम, लै काई, पो सैंग्नं माईम, मणिपुर, इम्फाल	राष्ट्रमंडल खेल	महिलाओं की टीम	रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	250000
82.	सरिता लाकड़ा, खेल छात्रावास, राउरकेला, सुन्दरगढ़, उड़ीसा	राष्ट्रमंडल खेल	महिलाओं की टीम	रजत (सोलह सदस्यीय टीम)	250000
	कबड्डी				
83.	राकेश कुमार, केयर आफ रणधीर सिंह, खेल अधिकारी करनैल सिंह स्टेडियम, नार्दन रेलवे, नई दिल्ली	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	स्वर्ण (12 सदस्यीय टीम)	500000
84.	पंकज सिरसत, पितरूर्स मूर्ति, देना बैंक कालोनी साबदी रोड, अहमद	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
85.	नवीन कुमार, केयर आफ श्री महावीर सिंह, वीपीओ मकरौली कालां, जिला रोहतक, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000

1	2	3	4	5	6
86.	गौतम नवनीत, 11/77, धुलेश्वर गार्डन, सी/स्कीम, अजमेर रोड जयपुर राजस्थान	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
87.	सुखवीर सिंह, पुत्र अनुप सिंह, ग्राम व पो. आदम पुरोदधदी, जिला भिवानी, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
88.	राजीव कुमार सिंह, द्वारा यूपी सिंह, दीप निवास रोड नं. 20 बी, पटना 20 बिहार	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
89.	सुरेश कुमार, पिता श्री राम सिंह वीपीओ चामार खेरा, जिला हिसार, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
90.	रमेश कुमार, पुत्र श्री रतन सिंह ग्राम व पो. किरमारा, जिला हिसार, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
91.	मनप्रीत सिंह, पुत्र सरदार पाखर सिंह, ग्राम व पो मीरपुर, देरबसही, मोहाली पंजाब	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
92.	गौरव सेट्टी, 36/807, आदर्श नगर ओरली मुम्बई, 30	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	सोलह सदस्यीय टीम)	500000
93.	दिनेश कुमार, ग्रा. पो. बाकनेर नरेला, दिल्ली 40	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
94.	विकास कुमार, पुत्र चतर सिंह, ग्राम व पो. आदमपुर दर्धी जिला भिवानी, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूषों की टीम	(सोलह सदस्यीय टीम)	500000
	रोइंग				
95.	बजरंग लाल ठाकुर, 33-17/2, आफीसर कालोनी, आर.के.पुरम, सिकन्दराबाद, 56	एशियाई खेल	पुरूष एकल चप्पू	रजत	500000
96.	सतीश जोशी, पुत्र चतर सिंह, ग्राम व पो. आदमपुर दधी, जिला भिवानी, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूष, चार	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
97.	जैनिल कृष्णन, पुत्र चतर सिंह, ग्राम व पो. आदमपुर दर्धी, जिला भिवानी, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूष, चार	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
98.	धर्मेश सांगवान, ग्रा व पो. खेरी बटर, भिवानी, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूष, चार	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
99.	सुखजीत सिंह, ग्राम हरदासपुर, पो. खरूचंद पुर, जिला गोंडा, यूपी	एशियाई, खेल	पुरूष, चार	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
100.	बिजेन्द्र सिंह, ग्रा. पिन्जोखरा, पो. ग्रनपुर कलन, तोसाम, भिवानी, हरियाणा	एशियाई खेल	पुरूष मध्यम युगल चप्पू	कांस्य (युगल)	225000
101.	किरण यालमची, सूर्याबजार, पो., पाडू पेनूबल्ली, खम्मम, आंध्र प्रदेश	एशियाई खेल	पुरूष, मध्यम युगल चप्पू	कांस्य (युगल)	225000

1	2	3	4	5	6
	नौकायान				
102.	राजेश चौधरी, आर्मी याचिंग रोड, पावलेट बुन्तरेड रोड, कोलाबा, मुम्बई	एशियाई खेल	लेजर रेडियल ओपन	कांस्य	300000
103.	संजीव चौहान, म.नं. एम 1 ओल्ड नेवी नगर, कोलाबा, मुम्बई 5	एशियाई खेल	बेनेटयू 7.5 ओपन	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
104.	गिरधारी लाल यादव, म.नं. ए यू 3 न्यू नेवी नगर, मुम्बई	एशियाई खेल	बेनेटयू 7.5 ओपन	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
105.	नितिन मुगई, 12 एडवीन ओल सोल रोड, नरीमन पोइंट, मुम्बई 31	एशियाई खेल	बेनेटयू 7.5 ओपन	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
106.	महेश रामचन्द्रन, फ्लैट नं 30 गंगोत्री, अफगान चर्च पावलट, बुडेर रोड कोलाबा के समीप, मुम्बई 5	एशियाई खेल	बेनेटयू 7.5 ओपन	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
	निशानेबाजी				
107.	विजय कुमार, आर्मी नं. 4003754 वाई, आर्मी मार्क्समैन यूनीट, इन्फेन्ट्री स्कूल महो, इन्दौर, मध्य प्रदेश	एशियाई खेल	25 मी रैपिड फायल पिस्टल	कांस्य	300000
			25 मी. सेंटर फायर पिस्टल टीम	स्वर्ण (तीन सदस्यीय टीम)	666667
		राष्ट्रमंडल खेल 2006	25 मी रैपिड फायर पिस्टल	स्वर्ण (व्यक्तिगत)	1000000
			25 मी रैपिड फायर पिस्टल टीम	स्वर्ण (युगल)	750000
108.	जसपाल राणा, ए 97 शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली	एशियाई खेल	25 मी सेंटर फायर पिस्टल	स्वर्ण	1000000
			25 मी स्टैन्डर्ड पिस्टल	स्वर्ण	1000000
			25 मी सेंटर फायर पिस्टम टीम	स्वर्ण (तीन सदस्यीय टीम)	666667
			25 मी स्टैन्डर्ड पिस्टल टीम	रजत (तीन सदस्यीय टीम)	333333
			25 मी रैपिड फायर पिस्टल टीम		
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	25 मी सेंटर फायर पिस्टल टीम	स्वर्ण (युगल)	750000

1	2	3	4	5	6
109.	सरेश जंग, 44 बूटा सिंह बिल्डिंग खैबर पास, दिल्ली 48	एशियाई खेल	25 मी सेंटर फायर पिस्टल टीम	स्वर्ण (तीन सदस्यीय टीम)	666667
			25 मी स्टैन्डर्ड पिस्टल टीम	रजत (तीन सदस्यीय टीम)	333333
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	50 मी पिस्टिल	स्वर्ण (व्यक्तिगत)	1000000
			10 मी. एयर पिस्टल	स्वर्ण (व्यक्तिगत)	1000000
			25 मी. सेंटर फायर पिस्टल	कांस्य (व्यक्तिगत)	300000
			25 मी. स्टैन्डर्ड पिस्टल	स्वर्ण (युगल)	750000
			25 मी. सेंटर फायर पिस्टल	स्वर्ण (युगल)	750000
			10 मी. एयर पिस्टल	स्वर्ण (युगल)	750000
			50 मी पिस्टल	रजत (युगल)	375000
110.	रौनक पंडित, गजानन भवन, गजानन कालोनी, गोरे गांव, पश्चिम 62	एशियाई खेल	25 मी स्टैन्डर्ड पिस्टल टीम	रजत (तीन सदस्यीय टीम)	333333
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	25 मी स्टैन्डर्ड पिस्टल	स्वर्ण (युगल)	750000
111.	गगन नारंग सी 241 मैजेस्टिक मैन्सन, श्यानलाल बिल्डिंग, बेगमपेट, हैदराबाद, 16	एशियाई खेल	50 मी राइफल तीन पोजीशन	कांस्य	300000
			10 मी एयर राइफल टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
			50 मी. राइफल तीन पोजीशन टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	50 मी. राइफल तीन पोजीशन	स्वर्ण व्यक्तिगत	1000000
			10 मी. एयर राइफल टीम	स्वर्ण व्यक्तिगत	1000000
			50 मी. राइफल तीन पोजीशन टीम	स्वर्ण युगल	750000
			10 मी. एयर राइफल	स्वर्ण युगल	750000

1	2	3	4	5	6
112.	नवनाथ थराडे पो. चराथा बीट एम एस मुम्बई	एशियाई खेल	10 मी. एयर राइफल टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
113.	पीटी रघुनाथ नेवी स्कूल टीम आई एन एस आगरानी रेडफिल्डस, कोयम्बटूर तमिलनाडु	एशियाई खेल	10 मी. एयर राइफल टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
114.	इमरान हसन खान, आर्मी मार्क्समैन यूनिट, इन्फेन्ट्री स्कूल, महो, इन्दौर, म.प्र.	एशियाई खेल	50 मी. राइफल तीन पोजीशन टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
115.	पीटी रघुनाथ नेवी स्कूल टीम आई एन एस आगरानी रेडफिल्डस, कोयम्बबटूर, तमिलनाडु	एशियाई खेल	50 मी राइफल तीन पोजीशन टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
		राष्ट्रमंडल खेल,	50 मी. राईफल प्रोन	कास्य व्यक्तिगत	300000
116.	मानवजीत सिंह सन्धू, 1108 सेक्टर सी, पाकेट 1, वसंत कुज, नई दिल्ली	एशियाई खेल	ट्रैप	रजत	500000
			ट्रैप टीम	रजत तीन	333333
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	ट्रैप	कांस्य व्यक्तिगत	300000
117.	अनवर सुल्तान द्वारा एग्रो इन्डस्ट्री, खरदयान स्ट्रीट, शामली जिला, मुजफ्फर नगर, यूपी	एशियाई खेल	ट्रैप टीम	रजत तीन सदस्यीय	333333
118.	मनशेर सिंह, साउथ एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली	एशियाई खेल	ट्रैप टीम	रजत तीन सदस्यीय	333333
119.	आरवीएस राठौर, तीन पोलो रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली	एशियाई खेल	डबल ट्रैप	कांस्य	300000
			डबल ट्रैप टीम	रजत तीन सदस्यीय	333333
		राष्ट्रमंडल खेल 2006	डबल ट्रैप	स्वर्ण व्यक्तिगत	1000000
			डबल ट्रैप टीम		
				स्वर्ण युगल	375000
120.	विक्रम भटनागर, ए 1 साउथ एक्स, रिंग रोड नई दिल्ली	एशियाई खेल	डबल ट्रैप	रजत तीन सदस्यीय	333333
			डबल ट्रैप टीम		375000
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	डबल ट्रैप	रजत तीन सदस्यीय	
121.	रंजन सोढी, एस 424 ग्रेटर कैलाश 1 नई दिल्ली	एशियाई खेल	डबल ट्रैप टीम	रजत तीन सदस्यीय	333333
122.	अभिनव बिन्द्रा, बिन्द्रा फार्मा हाउस, जिरकपुर, पटियाला रोड, ग्रा. व. पो. चटकिशनपुरा, पटियाला	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	50 मी. राइफल तीन पोजीशन	रजत व्यक्तिगत	500000

1	2	3	4	5	6
			10 मी. एयर राइफल टीम	कांस्य व्यक्तिगत	300000
			50 मी. राइफल तीन पोजीशन टी	स्वर्ण युगल	750000
			10 मी. एयर राइफल	स्वर्ण युगल	750000
123.	पेम्बा तामम, आमी आर्मी मार्क्समैन यूनीट, इन्फेर्टी स्कूल, महो, इन्दौर, म.प्र.	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	25 मी. रैपिड फायर पिस्टिल	रजत व्यक्तिगत	500000
			25 मी. रैपिड फायर पिस्टिल	स्वर्ण युगल	750000
124.	विवेक सिंह, ए 6 एमसीडी फ्लैट आर ब्लाक जीके 1, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	10 मी एयर पिस्टल	स्वर्ण युगल	750000
			10 मी. एयर पिस्टल	रजत व्यक्तिगत	500000
			50 मी. पिस्टल	रजत युगल	375000
125.	श्वेता चौधरी, म. नं. 2329, सेक्टर 28, एस बी कालोनी, हरियाणा	एशियाई खेल	10 मी. एयर राइफल टीम	रजत तीन सदस्यीय टीम	333333
126.	सोनिया राय, 32 रामेश्वर नगर, आजाद पुर नई दिल्ली	एशियाई खेल	10 मी एयर राइफल टीम	रजत तीन सदस्यीय टीम	333333
127.	हारवेंश राव म.नं. बी 3/3474 हीरा नगर, पटियाला, पंजाब	एशियाई खेल	10 मी. एयर राइफल टीम	रजत तीन सदस्यीय टीम	333333
128.	तेजस्विनी सावंत, 1861 ई वार्ड गोविंद काम्पलेक्स, 6 लेन राजारामपुरी, कोल्हापुर	एशियाई खेल	10 मी. एयर राइफल टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	10 मी. एयर राइफल टीम	स्वर्ण व्यक्तिगत	1000000
			10 मी. एयर राइफल टीम	स्वर्ण युगल	750000

1	2	3	4	5	6
129.	सोमा सिरूर, रोड नं. 4, सेक्टर नं. 1 प्लाट नं. 16 न्यू पनवेर, नवी मुम्बई	एशियाई खेल	10 मी. एयर राइफल टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
130.	अवनीत कौर सिद्धू म नं. 2985 अजीत रोड, गली नं. 3 जिला भटिंडा, पंजाब	एशियाई खेल	10 मी. एयर राइफल टीम	कांस्य (तीन सदस्यीय टीम)	200000
		राष्ट्रमंडल खेल, 2006	10 मी. एयर राइफल टीम	स्वर्ण युगल	750000
				रजत	500000
131.	अंजुआ जंग, 44 बूटा सिंह बिल्डिंग, खैबर पास, दिल्ली 48	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	50 मी. राइफल तीन पोजीशन	स्वर्ण व्यक्तिगत	1000000
			50 मी. राइफल तीन पोजीशन	रजत युगल	375000
132.	अंजली भागवत, 17 राशि अपार्ट, अकास सोसायटी कम्पाउंड, जेवी नगर, अंधेरी ईस्ट मुम्बई	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	50 मी. राइफल तीन पोजीशन	रजत युगल	375000
133.	सुषमा राणा, 33 अशोक रोड, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल खेल 2006	25 मी. पिस्टल	स्वर्ण युगल	750000
134.	सरोज कुमारी, आमी आर्मी मार्क्समैन यूनीट, इन्फेन्टी स्कूल, महो, इन्दौर म.प्र.	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	25 मी. पिस्टल	स्वर्ण युगल	750000
	स्क्वैश				
135.	सौरभ घोषाल, द्वारा आईसीएल स्क्वेश अकादमी, 166 ए ई वी आर, पार्थन सेल, चेन्नई	एशियाई खेल	पुरूष एकल	कांस्य	300000
	टेबल टेनिस				
136.	अंचत शरथ कमल सी/3 मीरा अपार्ट नं. 1 विच्छेदय, 1 मेन सेन टी नगर, चेन्नई	राष्ट्रमंडल खेल 2006	पुरूष एकल	स्वर्ण	1000000
			पुरूष टीम	स्वर्ण (चार सदस्यीय टीम)	500000
137.	सोम्यदीप राय, पो मिशेल नगर, जिला चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	पुरूष टीम	स्वर्ण चार सदस्यीय टीम)	500000
138.	सुरजीत साहा, द्वारा श्री अजय नाथ साहा संगति मोर 120 विवेकानंद पल्ली, पो. रवीन्द्र सरनी, सिलिगुरी	राष्ट्रमंडल खेल, 2006	पुरूष टीम	स्वर्ण (चार सदस्यीय टीम)	500000

1	2	3	4	5	6
139.	शिवाजी दत्त द्वारा श्री विमल कुमार दत्त, शिवनाथ भवन, फलैट वाई 4 गरिहट रोड, कोलकाता	राष्ट्रमंडल, 2006	पुरूष टीम	स्वर्ण (चार सदस्यीय टीम)	500000
140.	पोलमी घटक, द्वारा श्री सुभाष चंद घटक, 9 प्रिंस बख्तियार शाह रोड, टोलीगंज, कोलकाता	राष्ट्रमंडल खेल 2006	महिलाओं की टीम	कांस्य (पांच सदस्यीय टीम)	180000
141.	नंदिता साह, द्वारा दशरथ पल्ली, सेवक रोड, सिलिगुरी, जलपाईगुरी, कोलकाता	राष्ट्रमंडल 2006	महिलाओं की टीम	कांस्य (पांच सदस्यीय टीम)	180000
142.	मोमादास, द्वारा श्री असीत कुमार दास, पो उदयराजपुर, 52/ए, विवेकानंद सरनी, मध्यपारा, मध्यम ग्राम 24 परगना, पश्चिम बंगाल	राष्ट्रमंडल खेल 2006	महिलाओं की टीम	कांस्य (पांच सदस्यीय टीम)	180000
143.	कुमार सेन शामनी, द्वारा श्री टी कुमार सेन, 20 वृन्दावन सेंट मयाल पोर, चेन्नई 4	राष्ट्रमंडल खेल 2006	महिलाओं की टीम	कांस्य (पांच सदस्यीय टीम)	180000
144.	कस्तूरी चक्रवती, द्वारा कंचन चक्रवती, तराई हाई स्कूल एनजेपी मेन रोड, सिलिगुरी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	राष्ट्रमंडल खेल 2006	महिलाओं की टीम	कांस्य (पांच सदस्यीय टीम)	180000
	टेनिस				
145.	लेन्डस पेस, स्ट्रीट नं. 6, 31 बेगम रोड, कोलकाता	एशियाई खेल	पुरूषों का युगल	स्वर्ण युगल	750000
			मिश्र युगल	स्वर्ण युगल	750000
146.	महेश भूपति, ईगल राक, ईगल स्ट्रीट, 7 होसुर रोडग्रास, बंगलोर	एशियाई खेल	पुरूषों का युगल	स्वर्ण युगल	750000
147.	सानिया मिर्जा, प्लाट नं. 61 ए, साईट 2 रोड नं. 9, फिल्म नगर, हैदराबाद	एशियाई खेल	महिलाओं का एकल	रजत	500000
			महिलाओं की टीम	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
			मिक्स युगल	स्वर्ण युगल	750000
148.	शिखा ओबराय, 29 प्रेसिडेंसी सचिवालय, 7 रोड जुहू पारले, मुम्बई	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
149.	अंकिता भाम्बरी, ए 55 गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000
150.	ईशा लखानी, 3 पार्श्व सदन, 15 नवयुवक सोसायटी, रोड नं. 4 विला पारले, मुम्बई	एशियाई खेल	महिलाओं की टीम	रजत (चार सदस्यीय टीम)	250000

1	2	3	4	5	6
	कुश्ती				
151.	योगेश्वर दत्त, पुत्र श्री राम मेहर सिंह, ग्राम व पो भन्सवाल, जिला सोनीपत, हरियाणा	एशियाई खेल	60 के.जी. (एफ.एस.)	कांस्य	300000
152.	सुशील कुमार पुत्र श्री दीवान सिंह छत्रसाल स्टेडियम, माडल टाउन, दिल्ली	एशियाई खेल	66 के. जी. (एफ.एस.)	कांस्य	300000
153.	परविन्दर सिंह चीमा, केसर बाग मोती बाग पैलेस के समीप, एनआईएस, पटियाला	एशियाई खेल	120 के.जी. (जी.आर)	कांस्य	300000
154.	विनायक डालवी, द्वारा कमाडेंट आर्मी संस्थान, पुणे गोलपुरी, पुणे	एशियाई खेल	55 के. जी. (जी. आर.)	कांस्य	300000
155.	अलका तोमर, पुत्री श्री नैन सिंह, ग्रा. व पो. सिसौली, जिला मेरठ, यूपी	एशियाई खेल	55 के. जी. (एफ.एस.) महिला	कांस्य	300000
156.	गितिका जाखड़, पुत्री श्री सत्यवीर सिंह जाखड़, ग्रा. व पो अगरोहा, जिला हिसार, हरियाणा	एशियाई खेल	63 के. जी. (एफ.एस.) महिला	रजत	500000
	वुशु				
157.	एम विमोजीत सिंह	एशियाई खेल	पुरूष, 60 केजी	कांस्य	300000
	भारोत्तोलन				
158.	गीता रानी, द्वारा कमाडेंट जी.सी. सीआरपीएफ झरोडा कलन, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल खेल 2006	+ 75 के.जी.	स्वर्ण	1000000
159.	एन कुजुंरानी देवी द्वारा कमाडेंट जी.सी. सीआरपीएफ झरोडा कलां, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल खेल 2006	48 के जी.	स्वर्ण	1000000
160.	रेनु बाला चानू, द्वारा निदेशक प्रभारी भाखेप्रा, उत्कृष्टता केंद्र कांसी रोड, लखनऊ	राष्ट्रमंडल खेल 2006	58 के.जी.	स्वर्ण	1000000
161.	सिम्पल कौर, बेगा निवास, बासनी पेट्रोल पम्प के समीप, डब्लू ई हाइवे, पोस्ट मीरा, जिला थाने	राष्ट्रमंडल खेल 2006	+75 के.जी.	रजत	500000
162.	मोनीका देवी द्वारा कमाडेंट जी.सी. सीआरपीएफ, झरोडा कलां, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल खेल 2006	69 के.जी.	रजत	500000
163.	विक्की बट, द्वारा आल इंडिया स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड, कमरा नं. 16, 25 अकबर रोड, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल खेल 2006	56 के.जी.	रजत	500000
164.	अरूण मुरूगासेन, द्वारा आरएसपीबी रेल भवन, रायसीना मार्ग, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल खेल 2006	62 के.जी.	रजत	500000

1	2	3	4	5	6
165.	मो. जाकीर, द्वारा सर्विसेज स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड, एएफएचक्यू, जी ब्लाक, निर्माण भवन, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल खेल 2006	77 के.जी.	रजत	500000
166.	सुधीर कुमार, द्वारा सर्विसेज स्पोर्टस कन्ट्रोल बार्ड, एएफएचक्यू, जी ब्लाक निर्माण भवन, नई दिल्ली	राष्ट्रमंडल 2006	69 के.जी.	कांस्य	300000
				कुल	89849998

विवरण-II

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	खेल चैम्पियनशिप का नाम	स्वर्ण पदक/पथम स्थान	रजत पदक/दूसरा स्थान	कांस्य पदक/तीसरा स्थान
1.	ओलंपिक खेल	30.00	18.00	12.00
2.	एशियन खेल/विश्व चैम्पियनशिप/राष्ट्रमंडल खेल	10.00	5.00	3.00
3.	एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	3.00	2.00	1.5

*मैदान पर टीमों की संख्या

(i) दो खिलाड़ियों की एक टीम 1.5 गुणा

(ii) तीन अथवा चार खिलाड़ियों का एक टीम 2 गुणा

(iii) पांच से दस खिलाड़ियों का एक टीम 3 गुणा

(iv) दस से ज्यादा खिलाड़ियों की एक टीम 5 गुणा

उपर्युक्त निर्धारित वास्तविक पुरस्कार राशि टीम सदस्यों के बीच बराबर होगी तथापि, टीम का कोई सदस्य उपर्युक्त पुरस्कार राशि की 50 से कम प्राप्त नहीं करेगा।

शतरंज

(i) अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर (आईजीएम) 3.00 लाख रु.

(ii) अंतर्राष्ट्रीय मास्टर (आईएम) 1.00 लाख रु.

(iii) अंतर्राष्ट्रीय महिला मास्टर (आईडब्लूएम) 1.00 लाख रु.

(ख) जूनियर एवं सब जूनियर के लिए विशेष पुरस्कार

(क) विश्व चैम्पियनशिप

(रु. लाख में)

क्र.सं.	प्रतियोगिता	स्वर्ण पदक/प्रथम स्थान	रजत पदक/दूसरा स्थान	कांस्य पदक/तीसरा स्थान
1.	जूनियर	2.00	1.5	1.00
2.	सब जूनियर	1.00	0.80	0.60

(ख) एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप

क्र.सं.	प्रतियोगिता	स्वर्ण पदक/प्रथम स्थान	रजत पदक/दूसरा स्थान	कांस्य पदक/तीसरा स्थान
1.	जूनियर	1.00	0.80	0.60
2.	सब जूनियर	0.50	0.40	0.30

सांख्यिकीय आंकड़ों की परिशुद्धता

1497. श्री के.एस. राव: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने और अर्थव्यवस्था की सतत् उच्च विकास दर सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक आयोजना कार्यनीति के लिए एकत्रित और उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की परिशुद्धता क्या है;

(ख) उक्त मामले में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मौजूदा सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) अल्पावधि और दीर्घावधि योजना रणनीतियों के लिए एकत्रित और उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की यथार्थता त्रुटियों पर नियंत्रण करने के लिए उपलब्ध अनेक सांख्यिकीय तकनीकों एवं अन्य उपायों को लागू करके सुनिश्चित की जाती है। भारत में एक विकेन्द्रीकृत सांख्यिकीय प्रणाली है और केन्द्र एवं राज्य सरकार, दोनों, के विभिन्न मंत्रालय, विभाग एंव अन्य अभिकरण प्रशासनिक अभिलेखों अथवा जनगणनाओं और प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से आवश्यकतानुसार आंकड़ों का संकलन करते हैं। ये आंकड़े प्रतिचयन और/या गैर-प्रतिचयन त्रुटियों के अध्यधीन है। आंकड़ा संग्रहण के समय ऐसी त्रुटियों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ सांख्यिकीय तकनीकों और अन्य उपायों को लागू किया जाता है। तथापि, सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की प्रमुख सिफारिशों में आंकड़ों की गुणवत्ता, समयबद्धता विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए कदम उठाना तथा सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विधायी उपायों को प्रस्तुत करना शामिल है।

(ग) सरकार ने राज्य सभा में 17 मई, 2007 को सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007 प्रस्तुत कर दिया है। उसके बाद विधेयक को तीन महीने में रिपोर्ट और जांच के लिए वित्त मामलों पर विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को 5 जून, 2007 को भेज दिया गया है। विधेयक का अभिप्राय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 को प्रतिस्थापित करना है।

(घ) सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007 में सांख्यिकी संग्रहण के क्षेत्र में विस्तार करने का प्रावधान है। जैसा कि वर्तमान अधिनियम में प्रावधान किया गया है इसमें न केवल औद्योगिकीय/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से बल्कि व्यक्तियों और परिवारों से भी सांख्यिकीय के सभी प्रकार के संग्रहण का प्रावधान है। स्थानीय सरकारों जैसे पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी प्रस्तावित विधेयक में सांख्यिकीय संग्रहण के लिए भी अधिकृत किया गया है। इस विधेयक में आंकड़ा संग्रहण के सभी तरीकों का प्रावधान करने के अलावा और विविध सरकारी अभिकरणों द्वारा आंकड़ा संग्रहण के अनावश्यक दोहरीकरण से बचने के लिए, सूचना न देने और असत्य सूचना देने के लिए दण्ड का प्रावधान भी है।

(ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए योजनाएं

1498. श्री महावीर भगोरा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायु में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए देश में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नई योजना/नियम बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा नई योजना/नियमों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जापान से सहायता मांगने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पर्यावरण में सुधार के लिए विशेष सलाहकारी समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (च) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी सी सी) और अन्य संस्थानों के सहयोग से राष्ट्रीय वायु गुणता मानीटरी प्रोग्राम के तहत देश के 25 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में 126 शहरों/कस्बों को कवर करते हुए 339 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरी कर रहा है। मानीटर किए गए पैरामीटर हैं, निलंबित विविक्त कण पदार्थ (एस पी एम), श्वसनीय निलंबित विविक्त कण पदार्थ (आर एस पी एम), सल्फर डाइआक्साईड, नाइट्रोजन डाइआक्साइड और कुछ चुनिंदा शहरों में अन्य पैरामीटर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया की भी मॉनीटरी की जाती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एस पी सी बी/पी सी सीज के सहयोग से सतत वायु गुणवत्ता मानीटरी स्टेशनों की स्थापना का काम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत 32 सतत् वायु गुणवत्ता मानीटरी स्टेशन पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। देश ने स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत ग्रीन हाऊस गैसों में कमी लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं को मेजबान देश अनुमोदन प्रदान करने की पहल की है, जिनमें ऊर्जा किफायत, फ्यूल स्विचिंग, औद्योगिक प्रोसेस, नगरीय सालिड वेस्ट, रिन्यूएब्ल्स और वानिकी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार का विभिन्न पर्यावरण और वानिकी क्षेत्रों की अनेक परियोजनाओं के संबंध में जापान के साथ सहयोग है। वायु प्रदूषण उपशमन के तहत, तथापि, अब तक जापान के साथ कोई सहयोग नहीं है।

(छ) और (ज) इसके अलावा सरकार द्वारा पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर अनेक समितियां गठित की गई हैं, वायु प्रदूषण उपशमन के क्षेत्र में कोई परामर्शदात्री समिति गठित नहीं की गई है। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण में सुधार करने के लिए किये गए उपायों में शामिल है।

* पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत उद्योगों और वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना।
- विनिर्माण स्तर पर नए वाहनों के ऑटो एग्जास्ट उत्सर्जन ईंधन की क्वालिटी।
- उन्नत ईंधन की क्वालिटी।
- थर्मल पावर स्टेशनों में लाभकारी कोयले का उपयोग।
- स्रोत संविभाजन अध्ययनों की शुरूआत करना।
- 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को हटाना।
- 24 गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान करना और इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की पुन: स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार करना।

आर-1 वीजा पर अमरीकी प्रतिबंध

1499. श्री पंकज चौधरी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका ने हिन्दू पुजारियों तथा धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े अन्य लोगों को आर-1 वीजा सुविधाएं प्रदान करने पर शर्तें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अमरीकी हिन्दू संगठनों और धार्मिक संस्थानों की ओर से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार पुजारियों और धार्मिक व संस्कार संबंधी क्रियाकलापों से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों को और वीजा जारी करने के लिए अमरीकी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों से अवगत है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने अब तक अमरीकी हिंदू संगठनों अथवा किसी अन्य धार्मिक संस्थान से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

"आर" वीजा जारी करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा निर्धारित शर्तें

आवेदक को 100 अमरीकी डालर के वापस नहीं हो सकने वाले अपेक्षित वीजा शुल्क, विधिवत भरे हुए वीजा फार्म डी.एस. 156 और डी.एस. 157, एक फोटो, पासपोर्ट की प्रतियों (विशेषकर प्रथम, अंतिम और वह पृष्ठ जिस पर पता अंकित हो) के अलावा इस प्रमाण के लिए निम्नलिखित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे कि आवेदक और धार्मिक संगठन 'आर" श्रेणी के योग्य है।

(i) संगठन को कर मुक्त होने का दर्जा दिए जाने अथवा उसके कर मुक्त होने के पात्र होने का प्रमाण।

(ii) नियोक्ता संगठन के विशिष्ट एकक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि:

(क) यदि आवेदक की धार्मिक सदस्यता संयुक्त राज्य से बाहर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रखी गई हो तो विदेशी और संयुक्त राज्य धार्मिक संगठन उसी धार्मिक संप्रदाय का है;

(ख) "आर" वीजा के लिए आवेदन से तत्काल पूर्व आवेदक अपेक्षित दो वर्ष की अवधि के लिए उस धार्मिक संप्रदाय का सदस्य रहा है;

(ग) यदि आवेदक कोई मंत्री हो तो वह उस संप्रदाय के लिए धार्मिक उपासना करने के लिए प्राधिकृत हो। ड्यूटी का विस्तार से वर्णन किया जाना चाहिए; अथवा

(घ) यदि आवेदक को गैर व्यावसायिक रोजगार अथवा धन्धे में कार्य करना हो तो वह अर्हताप्राप्त होगा, यदि किए जाने वाला कार्य पारम्परिक धार्मिक समारोह से संबंधित हो;

(iii) पारिश्रमिक की व्यवस्था जिसमें वेतन की राशि और स्रोत, अन्य प्रकार की प्रतिपूर्ति जैसे खाना और आवास और ऐसा अन्य लाभ शामिल है जिसका मूल्य रोकड़ में निर्धारित किया जा सकता हो और वक्तव्य कि इस प्रकार का पारिश्रमिक दी गई सेवाओं के एवज में है;

(iv) उस धार्मिक संप्रदाय अथवा संबद्ध संप्रदाय के विशिष्ट संगठनात्मक एकक का नाम और अवस्थिति जिसके लिए आवेदक अपनी सेवाएं प्रदान करेगा; और यदि आवेदक को किसी ऐसे संगठन के लिए कार्य करना हो जो किसी धार्मिक संप्रदाय से संबद्ध हो तो दोनों संगठन के बीच संबंध की प्रकृति का विवरण:

(v) धार्मिक संग्रठन की आस्तियों का साक्ष्य और उसके संचालन की विधि (संगठन के संघ का संविधान/अनुच्छेद); और लागू होने वाले राज्य के कानून के तहत संगठन के निगमन दस्तावेज और पिछले तीन वर्षों के लिए संगठन के प्रमाणीकृत/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण; और संगठन की सदस्यता सूची यह दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज कि वह वित्तीय रूप से स्थिर है।

[अनुवाद]

स्टॉकहोम कनवेंशन

1500. डा. आर. सेनथिल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेनेगल में हुए स्टॉकहोम कनवेंशन में कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज में कोई अधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजा है;

(ख) इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) अधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या अधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों ने अधिकारिक सरकारी मत से अलग मत व्यक्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने डकार, सेनेगल में 30 अप्रैल से 4 मई, 2007 तक आयोजित स्टॉकहोम कनवेंशन के पक्षकारों के तीसरे सम्मेलन में अधिकारियों का एक शिष्टमंडल भेजा था।

सीओपी-3 में कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए प्रक्रियात्मक नियमावली, अनुपालन प्रक्रियाओं, डीडीटी की सतत मांग, नए रसायनों को सूचीबद्ध करना और कारगर मूल्यांकन आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सीओपी-3 ने निर्णय लिया कि प्रक्रियात्मक नियमावली के नियम 45 के पैराग्राफ 1 के दूसरे वाक्य पर लगी स्क्वेयर ब्रैकेट यथावत रहेगी और यह कि सीओपी महत्वपूर्ण मामलों पर सर्वसम्मति से निर्णय लेना जारी रखेगी, अननुपालन पर प्रक्रियाओं और संस्थागत तंत्रों पर चौथी बैठक में आगे बातचीत की जाएगी, कि डीडीटी का उपयोग करने वाले देश इसका उपयोग तक तक जारी रख सकेंगे जब तक कि स्थानीय

उचित, लागत-प्रभावी विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, कनवेंशन के अनुबंधों में रसायनों को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए पर्सिस्टेंट आर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रिव्यू कमेटी (पीओपीआरसी) द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण को अपनाने और कनवेंशन के कारगर मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय संगठन ग्रुपों (आरओजी) और समन्वय ग्रुप का गठन किया है।

(ग) से (ङ) प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता पर्यायरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आर.के. वैश ने की थी और इसमें मंत्रालय में अपर निदेशक डा. चन्द्रा चौधरी तथा जेनेवा में भारतीय स्थायी मिशन में काउंस्लर श्री विजय त्रिवेदी शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल को स्टॉकहोम कनवेंशन की कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप सभी क्रियाकलापों को करने के लिए पूरी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

यह प्रथा रही है कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा मल्टीलेटरल एन्वायरनमेंटल एग्रीमेंट्स की बैठकों में जाने से पूर्व वार्ता की ब्रीफ को अनुमोदित कराएं। स्टॉक होम कनवेंशन की कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज-3 के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता ब्रीफ का अनुपालन किया।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और सेवाओं हेतु निधियां

1501. श्री अजीत जोगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य और सेवाओं में सुधार हेतु आंबटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन स्वास्थ्य योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें निधियों को खर्च किया जा रहा है अथवा खर्च किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुमत्य कार्यकलापों के लिए राज्यों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अन्तर्गत निधियां सहायता-अनुदान के रूप में आबंटित की जाती है। इन कार्यक्रमों के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों जैसे कि कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भी सहायता-अनुदान जारी किए जाते हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 680.13 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 8979.13 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों सें संबंध में राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। हालांकि सभी राज्यों ने व्यय की सूचना नहीं दी है, फिर भी सूचना देने वाले राज्यों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार जून, 2007 के अंत तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के तहत 35.55 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 226.96 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है। वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए आबंटन से घटक-वार कार्यकलापों के तहत निधियां खर्च किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यवार आबंटन

(लाख रुपए में)

क्रसं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2007-08	
		एनआरएचएम	एनएसीओ
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार	609.14	300.09
2.	आंध्र प्रदेश	59783.51	7533.96
3.	अरुणाचल प्रदेश	4339.43	629.32
4.	असम	64227.58	2331.01
5.	बिहार	68070.16	2457.45
6.	चण्डीगढ़	734.93	611.76
7.	छत्तीसगढ़	22522.77	876.27
8.	दादरा और नगर हवेली	377.78	121.6
9.	दमन और दीव	343.47	158.67
10.	दिल्ली	7920.46	2400
11.	गोवा	1338.47	569.91
12.	गुजरात	38057.86	3044.83
13.	हरियाणा	13759.89	949.3
14.	हिमाचल प्रदेश	6789.91	821.66
15.	जम्मू-कश्मीर	8676.75	618.57
16.	झारखंड	26292.3	934.11

1	2	3	4
17.	कर्नाटक	39595.32	4400
18.	केरल	21857.2	1994.45
19.	लक्षद्वीप	224.53	50.04
20.	मध्य प्रदेश	54404.54	1291.48
21.	महाराष्ट्र	67114.17	6672.89
22.	मणिपुर	6888.09	3138.5
23.	मेघालय	6227.19	209.58
24.	मिजोरम	3669.85	1266.94
25.	नागालैंड	*5618.81	2337.6
26.	उड़ीसा	34520.41	1505.58
27.	पांडिचेरी	998.15	437.18
28.	पंजाब	16196.89	1036.74
29.	राजस्थान	54818.48	1608.14
30.	सिक्किम	2325.31	446.43
31.	तमिलनाडु	43315.55	7518.21
32.	त्रिपुरा	8128.44	524.54
33.	उत्तर प्रदेश	145942.48	3506.26
34.	उत्तरांचल	8443.95	787.96
35.	पश्चिम बंगाल	54019.71	4922.33
	कुल	897913.48	68013.36

विवरण-II

वर्ष 2007-08 के दौरान जून 2007 तक राज्यों द्वारा सूचित राज्यवार व्यय

(लाख रुपए में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित व्यय (जून 2007)*	
		एनआरएम	एनसीए
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार	*	19.73
2.	आंध्र प्रदेश	*	495.30
3.	अरुणाचल प्रदेश	105.23	32.18
4.	असम	2752.72	80.28
5.	बिहार	*	100.20
6.	चण्डीगढ़	*	25.47
7.	छत्तीसगढ़	*	64.90
8.	दादरा और नगर हवेली	*	*
9.	दमन और दीव	12.99	15.27
10.	दिल्ली	431.34	28.03
11.	गोवा	9.85	*
12.	गुजरात	1973.39	269.30
13.	हरियाणा	850.71	23.44
14.	हिमाचल प्रदेश	313.65	50.07
15.	जम्मू-कश्मीर	327.79	*
16.	झारखंड	375.63	86.84
17.	कर्नाटक	2244.70	224.27
18.	केरल	*	*
19.	लक्षद्वीप	3.98	*
20.	मध्य प्रदेश	4156.27	44.62
21.	महाराष्ट्र	1490.11	813.26
22.	मणिपुर	211.51	76.25
23.	मेघालय	302.97	17.92
24.	मिजोरम	152.51	302.72
25.	नागालैंड	*	110.04
26.	उड़ीसा	*	87.75
27.	पांडिचेरी	*	21.73
28.	पंजाब	141.41	104.33
29.	राजस्थान	4081.13	67.79
30.	सिक्किम	110.17	*
31.	तमिलनाडु	119.58	35.88

1	2	3	4
32.	त्रिपुरा	*	30.46
33.	उत्तर प्रदेश	*	326.56
34.	उत्तरांचल	210.81	*
35.	पश्चिम बंगाल	2317.37	*
	कुल	22695.82	3554.59

*राज्यों से व्यय के ब्यौरे की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

मधुमेह की दवाइयों से हार्ट फेल होना

1502. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मधुमेह की दवाइयों से हार्ट फेल होने की संभावना है, जैसाकि 28 जुलाई, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मधुमेह की दवाइयों रोसिग्लाइटाजोन तथा पियोग्लाइटाजोन को देश में अलग-अलग ब्रांड नामों से बेचा जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में उक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) हाल ही में न्यू इंग्लैंड जनरल ऑफ मेडिसिन (एन ई जे एम), में प्रकाशित हुए एक लेख में 42 परीक्षणों के मैटा विश्लेषण के परिणामों में यह दावा किया गया कि रोजिग्लिटेजोन कार्डियो वास्कुलर विकारों के खतरे को बढ़ाती है। तथापि एक दूसरी वैज्ञानिक पत्रिका लेन्सेट के विचार में यह सूचित किया गया कि अनावश्यक भय से बचने के लिए रोजिग्लिटेजोन से सुरक्षा के लिए एक शासक और सुविचारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यू.एस.एफ.डी.ए. की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने इस मुद्दे की जांच की और समिति में स्पष्ट निर्णय लिया गया है। समिति के 23 सदस्यों में से 22 ने इस औषध के इस्तेमाल को जारी रखने की सिफारिश की। यू.एस.एफ.डी.ए. वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय करती है। पायोग्लीटेजोन के संबंध में ऐसी सूचना नहीं मिली।

विभिन्न कम्पनियों द्वारा मधुमेह औषधें रोजिग्लिटेजोन और पायोग्लीटेजोन देश में विभिन्न ब्रांड नामों के अन्तर्गत बेची जाती हैं।

औषध महानियंत्रक के अनुसार रोजिग्लिटेजोन को राष्ट्रीय फार्मेकोविजिलैंस कार्यक्रम में औषध के प्रतिकूल प्रभावों की संकेन्द्रित मानीटरिंग के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

तम्बाकू जनित रोग

1503. **श्री एम. अप्पादुरई:**
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तम्बाकू संबंधित रोग बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तम्बाकू के प्रयोग के कारण देश में मरने वालों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने तम्बाकू जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए तम्बाकू के प्रयोग को कम करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) देश में तम्बाकू 50% कैंसर मौतों, 40% स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और ज्यादातर कार्डियो-वास्कूलर विकारों और फेफड़ों के विकारों के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा, ऐसे भी अध्ययन हुए हैं जो दर्शाते हैं कि बच्चे कम उम्र में तम्बाकू के आदी हो रहे हैं और किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा हैं। भारत में तम्बाकू नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8.9 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष तम्बाकू से होने वाले रोगों से मरते हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2003 में अधिनियमित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, विनिर्माण, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003

तम्बाकू के सेवन को हतोत्साहित करता है, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध;

(ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध;

(iii) अव्यस्कों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

(iv) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध;

(v) सभी तम्बाकू उत्पाद पैकों पर विर्निदिष्ट चेतावनियों को अनिवार्य चित्रित करना;

(vi) तम्बाकू पैकों पर अधिकतम अनुमत्य सीमाओं के साथ तारकोल और निकोटिन अंशों का अनिवार्य चित्रण।

तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में नीति निर्माताओं और अन्य पणधारियों के साथ ठोस समर्थक प्रयास किए गए हैं।

सरकार तम्बाकू नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है, जिसको चयन किए गए कुछ राज्यों में शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपरिपुल

1504. योगी आदित्यनाथ: क्या पोत परिवहन, सड़क और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर गोरखपुर जिले के अंतर्गत आने वाली रेलवे समपारों पर उपरिपुलों का निर्माण करने तथा गोरखपुर को सोनाली से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 29 (ई) पर क्षतिग्रस्त महेश्वरा पुल का पुनर्निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित पुलों पर निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री•के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) गोरखपुर जिले में 244 कि.मी. 270 किमी. में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर इस समय दो रेलवे लेवल क्रासिंग पड़ती है। 244 कि.मी. में विद्यमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे दिसंबर, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गोरखपुर बाईपास परियोजना (राष्ट्रीय राजमार्ग 28 का 251.70 से 279.80 कि.मी.) के भाग के तौर पर एक अन्य आरओबी का निमार्ण कार्य भी चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के 270 किमी. में विद्यमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर आरओबी के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि खंड को बाईपास किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग 29 ई पर क्षतिग्रस्त महेश्वरा पुल के पुनर्निर्माण के संबंध में, राज्य लोक निर्माण विभाग (जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से इस खंड का अनुरक्षण कर रहा है।) से उक्त पुल के पुनर्निर्माण के लिए प्राक्कलन का पता लगाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथोरिटी

1505. श्री उदय सिंह:
श्री जी.एम. सिद्वीश्वर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में रक्त संग्रहण तथा वितरण प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथोरिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ब्लड बैंकों को लगभग पूरे साल रक्त की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में रक्त की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यह मुद्दा विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को देश में रक्त की भारी कमी होने की कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। भारत सरकार जिला स्तर तक के रक्त बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए उपकरण और वित्त पोषण प्रदान करके, संपूर्ण रक्त के बजाय रक्त घटकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, स्वैच्छिक रक्त दान शिविरों का आयोजन करके और चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्त भंडारण एकक स्थापित करके राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता कर रही है।

[हिन्दी]

सड़क विकास योजना

1506. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई 20-वर्षीय सड़क विकास योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या इस योजना के लिए वित्तीय सहायता भी सृजित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना में क्या कार्य शुरू किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (च) भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य करता है। तथापि, मंत्रालय ने वर्ष 2001 में 20 वर्ष की अवधि (2001-2021) के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से 'सड़क विकास योजना विजन: 2021' तैयार की थी। इस दस्तावेज में सड़कों की सभी श्रेणियों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए अगामी 20 वर्षों के लिए कल्पना की गई शहरी सड़कों और विशिष्ट आवश्यकता जैसे पर्यटन, वनखंड, खदान और औद्योगिक क्षेत्रों आदि के लिए सड़कों पर भी विचार किया गया है। राजमार्ग क्षेत्र और राजमार्ग सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास, संसाधनों को जुटाने, क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास, गुणता प्रणाली, पर्यावरण एवं ऊर्जा जैसे विषयों को भी इस दस्तावेज में शामिल किया गया है जो योजना बनाने के उद्देश्य के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए एक बहुमूल्य मार्गदर्शक का कार्य करता है।

[अनुवाद]

स्थानीय स्व:शासन प्रणालियों को सुदृढ़ करना

1507. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री के. सुब्बारायण:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय पाकिस्तानी स्थानीय स्व:शासन के लिए इतिहास, कार्यकरण तथा उनकी विधिक संरचना के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए पाकिस्तानी स्थानीय स्व:शासन के साथ की गई चर्चा का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) देश में स्थानीय स्व:शासन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। पंचायती राज मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने दिनांक 1 जुलाई से 3 जुलाई, 2007 तक पाकिस्तान का दौरा किया है।

(ख) स्थानीय शासन पर पाकिस्तान-भारत संगोष्ठी के क्रम में पाकिस्तान-भारत संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक 2 जुलाई, 2007 को हुई है और जिसमें संबंधित सरकारों से सलाह मशविरा के आधार पर निम्नलिखित कार्यकलापों पर विचार के लिए सिफारिश की गई है:

(i) दोनों पक्ष अपने प्राप्त अनुभवों को, खास कर विभिन्न क्षेत्रों में जन से जन तक के सम्पर्क को आगे बढ़ाने के विचार से, परस्पर बांटेगे जैसे-पाकिस्तान और भारत में स्थानीय शासन से प्राप्त परिणाम-आगे की उपलब्धियां और चुनौतियों, राजकोषीय विकेन्द्रीकरण, राजकोषीय क्षमता तथा स्थानीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन; विकेंद्रित योजना; ग्रामीण शहरी एकता के साथ स्थानीय शासन के माध्यम से आर्थिक विकास; क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण सहित महिला, युवा तथा नागरिक सशक्तिकरण।

(ii) इस आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और भारत को प्रत्येक वर्ष एक बैठक की मेजबानी करनी चाहिए। इसके साथ-साथ दोनों देशों के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परस्पर आमने-सामने की मुलाकात की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iii) निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित सभी पणधारियों, विचारकों, सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं तथा नगर-समाज प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि वे बैठक में प्रतिभागिता कर स्थानीय स्तर पर अपना नया सर्वोत्तम अनुभव सेवार्थ प्रस्तुत कर सकें।

(iv) पाकिस्तान के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण ब्यूरो तथा भारत के पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से दोनों के बीच सर्वोत्तम अनुभव और नवाचरण का नियमित आदान प्रदान होते रहना चाहिए।

(v) स्थानीय शासन के आसपास के मुद्दों पर पणधारियों को विचारों को आदान-प्रदान करने तथा कार्रवाई अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन विकसित करने में प्रोत्साहित किया जाएगा।

(vi) स्थानीय शासन के मामलों में विकास को बढ़ावा देने तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पाकिस्तान और भारत के शिक्षणालयों, विद्यालयों और संस्थानों के संसाधनोन्मुख व्यक्ति को जुटाते हुए दोनों देशों के विशेषज्ञों और अधिकारियों की आमंत्रित बैठकें स्थानीय शासन के विषय पर साझा कार्यक्रम के तहत होती रहनी चाहिए।

(ग) मंत्रालय के समक्ष पहला कार्य केन्द्र तथा राज्यों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से पंचायती राज के लिए रोड मैप के संबंध में एक राष्ट्रीय आम सहमति विकसित करना था। पंचायती राज मंत्रालय में जुलाई तथा दिसम्बर 2004 के बीच केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री के साथ राज्य पंचायती राज मंत्रियों की सात गोलमेज बैठकें आयोजित की गई थी। इनमें विचार-विमर्श का केन्द्र बिन्दु कर्त्तव्यों, वित्त पोषण तथा जिला आयोजना के लिए कार्यकर्त्ता, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा आई टी समक्ष-ई-गर्वनेंस के प्रभावी हस्तांतरण से लेकर पंचायती राज के 18 अभिज्ञात आयाम थे। प्रत्येक गोलमेज बैठक के निष्कर्ष के रूप में सार संग्रह में लगभग 150 कार्रवाई बिन्दुओं को सभी पंचायती राज मंत्रियों द्वारा एक मत से अपनाया गया था तथा इन्हें मुख्य मंत्रियों को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। यह प्रभावी पंचायती राज के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप बन गया है। आगे, पंचायती राज मंत्री ने 23 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का दौरा किया है और पंचायतों के पूर्ण सशक्तिकरण के मार्ग के प्रशस्तीकरण के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किया है।

पंचायती राज संस्थाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ पंचायती राज मंत्रालय निरन्तर तालमेल कर रहा है। इन कार्रवाई बिन्दुओं की प्रगति तथा कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए पंचायती राज सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था। सचिवों की इस समिति का नेतृत्व सचिव, पंचायती राज मंत्रालय करते हैं। यह समिति पंचायती राज मंत्रियों की परिषद् को भी सेवा देगी। सचिवों की समिति की सात बैठकें हुई हैं। मंत्रियों के परिषद् की तीन बैठकें क्रमशः अगस्त 2005 में कोच्चि, केरल में जून 2006 में भुवनेश्वर, उड़ीसा में तथा अगस्त 2007 में तिरूवनन्तपुरम केरल में हुई हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की शक्ति संपन्न उप समिति भी समय-समय पर आयोजित की गयी अपनी बैठकों के दौरान संविधान के प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों की मरम्मत/रख-रखाव

1509. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:**
श्री सुभाष महरिया:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री प्रतीक पी. पाटील:
डा. के. एस. मनोज:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षतिग्रस्त/जर्जर राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने/पुनः परत चढ़ाने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा खंडवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सड़कों के रख-रखाव के लिए निधि आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/सतह के पुनर्निर्माण के लिए राज्यों सरकारों से प्राप्त अनुरोध/प्राक्कलन के लिए राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्राक्कलनों को धनराशि की उपलब्धता और उनकी पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(घ) और (ङ) अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवंटन को बढ़ाने के संबंध में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उपलब्ध धनराशि का राज्यों को संवितरण, राष्ट्रीय राजमार्गों यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए संबंधित राज्यों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, उनकी लेन, आकार-प्रकार चालू तथा नए कार्यों के लिए धनराशि की आवश्यकता, क्षति की सीमा और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/सतह के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध/प्राक्कलन के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	संख्या	लंबाई (कि.मी)	धनराशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15	145.985	3613.59
2.	असम	6	55	976.97
3.	बिहार	30	265	14381.00
4.	छत्तीसगढ़	15	164.80	2827.02
5.	गोवा	2	8	208.12
6.	गुजरात	9	118.70	2200.66
7.	हरियाणा	3	42.95	699.97
8.	हिमाचल प्रदेश	12	106.90	1456.32
9.	झारखंड	29	266.65	7893.00
10.	कर्नाटक	20	238.50	5506.10
11.	मध्य प्रदेश	28	234.20	10355.85
12.	महाराष्ट्र	8	73.5	1867.86
13.	मेघालय	7	59.282	910.36
14.	नागालैंड	3	19	421.78
15.	उड़ीसा	11	191.214	2858.90
16.	पंजाब	10	112.02	1875.18
17.	राजस्थान	27	338.60	4468.49
18.	तमिलनाडु	7	41.90	1410.49
19.	उत्तरांचल	12	158.35	2234.27

1	2	3	4	5
20.	उत्तर प्रदेश	24	320.83	5001.74
21.	पश्चिम बंगाल	5	57	973.00
22.	चंडीगढ़	1	2.85	64.19
23.	पांडचेरी	1	1.6	55.60

जादुगुड्डा में यूरेनियम का खनन

1510. **श्री नरहरि महतो:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जादुगुडा में ऐसे टेलिंग पॉण्ड्स की संख्या कितनी है जहां यूरेनियम का खनन किया जाता है;

(ख) कुल कितने लोगों से टेलिंग पॉण्ड्स खाली कराया गया है तथा उन्हें दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकों पुनर्वासित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) टेलिंग पॉण्ड्स में डाले जा रहे रेडियोधर्मिता कचरे में उत्सर्जन स्तर कितना है;

(च) जादुगडा में रेडिएशन से कितने लोग रोगों से पीड़ित हैं;

(छ) यूरेनियम की खानों तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए क्या सावधानियां बरती जा रही है; और

(ज) यूरेनियम के कचरे को पूरे देश में जादुगुडा में वापस लाने के क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) मान्यवर, तीन। दो भर गई हैं और एक उपयोग में है।

(ख) कुल विस्थापित परिवारों की संख्या और उन्हें दिया गया मुआवजा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	विस्थापित परिवारों की संख्या	दिए गए मुआवजे की राशि (रुपए)
1	2	3	4
(i)	पहला पछोड़ने कुंड	शून्य	80,363 (जायदाद हेतु)
(ii)	दूसरा पछोड़न कुंड	13	2,30,058
(iii)	(क) तीसरा पछोड़न कुंड	46	24,34,519
	(ख) गृह निर्माण के लिए अनुदान		18,90,000

(ग) जी, हां।

(घ) ऊपर (ग) के संबंध में दिए उत्तर के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) पछोड़न कुंडों के विकिरणसक्रिय अपशिष्ट का उत्सर्जन स्तर अंतर्राष्ट्रीय वैकिरणिकी संरक्षा आयोग (आईसीआरपी) और परमाणु ऊर्जा नियामक ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर ही है।

(च) कोई भी नहीं।

(छ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(ज) देश के अन्य भागों से कोई भी अपशिष्ट जादुगुडा में वापिस नहीं लाया जा रहा है।

मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1908 में संशोधन

1511. **श्री किसनभाई वी पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1908 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संशोधनों से भारतीय पोत-परिवहन उद्योग को किस प्रकार लाभ होगा; और

(घ) ऐसे संशोधनों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में संशोधन किए जाने के लिए वाणिज्य पोत-परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004, दिनांक 14 अगस्त, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और लोक सभा द्वारा यह विधेयक पारित कर दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आई एम ओ) ने जुलाई, 2004 से नए समुद्रीय सुरक्षा विनियम-पोतों और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड (आई एस पी एस कोड) लागू किया है। भारत ने इसी तारीख से आई एस पी एस कोड लागू कर दिया। आई एस पी एस कोड लागू करने में विधायी उपायों की आवश्यकता है जिसके कारण सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को समाहित करने के लिए वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम तथा भारतीय पत्तन अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

(ग) और (घ) बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों से भारतीय पोत-परिवहन उद्योग की समुद्रीय संरक्षा एवं सुरक्षा बढ़ेगी ताकि देश को निर्यात-आयात व्यापार इसके पत्तनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे पोतों में आई एस पी एस कोड का पालन न होने की वजह से प्रभावित न हो। राज्य-सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किए जाने और पारित किए जाने तथा राष्ट्रपति की इसे सहमति मिल जाने के बाद उक्त संशोधन लागू हो जाएंगे।

वंचित वर्गों के लिए वाऊचर आधारित योजनाएं

1512. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को नि:शुल्क दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करने की एक नई वाऊचर आधारित योजना को अंतिम रूप दिया गया है जैसा कि 21 जुलाई, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में राज्य सरकारों तथा निजी कंपनियों को किस प्रकार शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) सरकार ने इस प्रकार की किसी स्कीम को अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बढ़ती स्वास्थ्य परिचर्या लागत का प्रभाव

1513. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य परिचर्या लागत में बढ़ोतरी के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है जैसाकि दिनांक 22 जून, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या की बढ़ती लागत के प्रभाव पर स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य परिचर्या पर होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण 16 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा गरीबों को सस्ती दरों पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य संबंधी व्यय, बीमा, स्वास्थ्य संसाधन, स्वास्थ्य की स्थिति, जोखिम कारक, रोग की व्याप्तता और अंतरंग रोगी और बहिरंग रोगी परिचर्या के लिए स्वास्थ्य पद्धति अनुक्रियाशीलता के संबंध में प्रामाणिक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण किया था।

विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण -भारत, 2003 छह राज्यों अर्थात् असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया गया था। सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के अनुसार 80 प्रतिशत परिवारों ने यह सूचित किया कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्च का भुगतान वर्तमान आय में से किया और 16 प्रतिशत का भुगतान उधार लिए गए साधनों से किया। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जो परिवार निर्धन नहीं है वह स्वास्थ्य संबंधी व्यय का भुगतान करने से कंगाल हो जाता है और बीमा कवरेज के अभाव में और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिपूर्ति योजनाओं के बचाव संबंधी उपायों के अभाव में निर्धनता में धकेला जाता है।

बढ़ते हुए स्वास्थ्य संबंधी खर्च पर सरकार का ध्यान गया है और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को वहनीय बनाने के लिए अनेक पहलें की जा रही हैं।

(घ) खराब स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों और कमजोर स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए देशभर की ग्रामीण जनसंख्या को कारगर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। इस मिशन में स्वास्थ्य को अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारकों से जोड़कर एक सहक्रियात्मक कार्यनीति अपनाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से जनसंख्या के गरीब और असुरक्षित वर्गों को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी और विश्वसनीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के मौजूदा परिदृश्यों में कमी पर समुदाय, पंचायतों राज संस्थाओं और अन्य गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के जरिए ध्यान दिया जा रहा है। समुदाय और स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के बीच एक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी।

[हिन्दी]

तेन्दू के पत्ते तोड़ने के लिए लाइसेंस

1514. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेन्दु के पत्ते तोड़ने के संबंध में सख्त कानून होने के बावजूद इन्हें खुले तौर पर तोड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने 'तेन्दु के पत्ते' तोड़ने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आज की तारीख तक देश में ऐसे लाइसेंस धारण करने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) (क) मध्य प्रदेश में 'तेंदू के पत्तों' को तोड़ना प्रतिबंधित नहीं है जबकि महाराष्ट्र में मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार नियुक्त लाइसेंसधारी द्वारा इन्हें तोड़ने की अनुमति है। इसके अलावा, तेंदू के पौधे की टहनियों और पौध को तोड़ने की अनुमति नहीं है। तेंदू पत्तों का उत्पादन करने वाले तीन बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कानूनों का उल्लंघन करने की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मध्य प्रदेश में तेंदू पत्तों को तोड़ने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता जबकि महाराष्ट्र में निर्धारित क्षेत्र में लाइसेंसधारी को संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार तेंदू पत्तों को तोड़ने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश राज्य में तेंदू पत्तों को तोड़ने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तेंदू पत्तों को तोड़ना और उसका व्यापार राज्यों द्वारा अपने राज्य अधिनियमों/नियमों के तहत विनियमित किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेहरू युवा केन्द्र

1515. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री महावीर भगोरा:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में नेहरू युवा केन्द्र संगठनों की स्थान-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या दसवीं योजना के दौरान देश के सभी जिलों तक नेहरू युवा केन्द्रों के विस्तार तथा इसमें देश के छः लाख गांवों मे से कम से कम आधे गांवों को शामिल करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा क्या कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं तथा तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) विशिष्ट नेहरू युवा केन्द्र योजना के लिए स्थान-वार तथा राज्य-वार कितने जिलों का चयन किया गया है तथा इनके चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(च) क्या नेहरू युवा केन्द्र योजनाओं के अंतर्गत नए जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के 500 जिला स्तरीय नेहरू युवा केन्द्र हैं। नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापनावार तथा राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) 10वीं योजना के दौरान 500 जिलों में 500 नेहरू युवा केन्द्र संचालन में थे। 10वीं योजना के दौरान कोई विस्तार नहीं किया जा सका क्योंकि नेहरू युवा केन्द्र संगठन के विस्तार और यौक्तिकीकरण का प्रस्ताव जुलाई, 2007 में ही अनुमोदित हुआ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक की स्थिति के अनुसार नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों और ब्लाक अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नियमित कार्यक्रम सभी केन्द्रों में आयोजित किए जाते हैं। विशिष्ट नेहरू युवा केन्द्र योजनाओं का चयन स्थानीय जरूरत के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों तथा प्रयोजकर्ता एजेंसियों की चयन के आधार पर किया जाता है।

(च) और (छ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के फिलहाल 500 जिलों में जिला केंद्र हैं। शेष 123 जिलों में नेहरू युवा केन्द्रों के विस्तार के लिए यह प्रस्ताव है कि इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाए और इसका संबंध प्रत्येक जिले में युवा क्लबों की संख्या व गतिविधि के स्तर से होगा।

(ज) और (झ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा नियमित निगरानी और आवधिक निरीक्षण किया जाता है। योजना आयोग ने 2002 में नेहरू युवा केन्द्रों का मूल्यांकन अध्ययन करवाया था। इनकी टिप्पणियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य-वार तथा स्थानवार नेहरू युवा केन्द्र संगठन का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान-वार तथा राज्य-वार	ने.यु.के.की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, विजयवाड़ा चित्तूर, गुडप्प, गुंटूर, काकीनाडा (ईस्ट गोदावरी), करीम नगर, खम्माम, कुरनूल, महबूब नगर, निजामाबाद, मेडक सिद्दीपेट, श्रीकाकुलम, विशाखापट्नम, आदिलाबाद, विजयनगरम, नेल्लोर, वारंगल, हैदराबाद, नलगोण्डा वेस्ट गोदावरी, (इल्लूरू), प्रकाशाम (ओंगोला), रंगा रेड्डी।	23
2.	असम	डिब्रूगढ़, दीफू कारबी आंगलोंग, धुबरी, कामरूप मालीगॉव नाथ लखीमपुर, नागॉव, कछार सिल्चर, तेजपुर (सोनितपुर), हाफलॉग (एन.सी. हिल्स) करीमगंज बारपेटा, कोकराझार, जोरहाट, सबसागर, नलबाड़ी, गोलपारा, धेमाजी, दारांग (मंगलदोइ), हैलाकाण्डी, गोलाघाट, मोरीगॉव बोंगाईगॉव, तिनसुकिया	23
3.	बिहार	अरैया, औरंगाबाद, बांका बेगुसराय भागलपुर, भोजपुर, (आरा) बक्सर दरभंगा, ईस्ट चंपारण (मोतीहारी), गया, गोपालगंज, जमूइर्द, जहानराबाद, कैमूर, मभुआ, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास सासाराम, सहरसा, समस्तीपुर सारन छपरा,	34

1	2	3	4
		सीतामढ़ी, सीवान सुपौल, वैशाली हाजीपुर, पश्चिम चम्पारन (बेतिया)	
4.	गुजरात	भरूच, नाडियाड (खेडा), कच्छ भुज, गोधरा, साबरकांठा (हिम्मत नगर) जूनागढ़, मेहसाना, सुरेन्द्र नगर, जामनगर, भावनगर, बलसाड, सूरत, गांधी नगर, अहमदाबाद बडोदा, डांग्स, अमरेली, पालनपुर, राजकोट	19
5.	हरियाणा	अंबाला, भिवानी, गुडगांव करनाल, सिरसा, कुरूक्षेत्र रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत, जींद हिसार, महेन्द्रगढ़ नारनौल, रेवाड़ी यमुना नगर, कैथल, पानरीपत।	16
6.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चाम्बा, धर्मशाला कांगडा, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, कीलांग लाहौल स्पीती, मण्डी, नाहन सिरमौर, सोलन, शिमला, उना।	12
7.	जम्मू-कश्मीर	कठुआ, अनंतनाग, बीडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कुपवाडा, करगिल, लेह लद्दाख, पुलवामा, पुंछ, राजौरी, श्री नगर, उधमपुर	14
8.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, बीदर, चिगमंगलूर गुलबर्गा, हासन, कारवार, कोडागू माडिकेरी कोलार, मंगलोर माण्डया, मैसूर, रायचूर, तुमकुर धरवाड, चित्रदुर्ग (देवनगर), बेल्लारी, शिमोगा, बंगलोर ग्रामीण बंगलोर (शहरी)	20
9.	केरल	अलेप्पी, कन्नूर, थेडुपुआ इडुक्की, कोजिकोडे, मालाप्पुरम, पालघाट, पठानामथीटा, त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, अर्नाकुलम, कोट्टायम, कसरगोड, वायनाड, क्वीलोन।	14
10.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बेतुल, भिण्ड, भोपाल, छत्तरपुर, छींदवाडा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हारडा, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खारगॉव, मांडला, मन्दसोर, मोरेना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़ बैओरा, रतलाम, रीवा सागर, सतना, सेहोर, सिवनी शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिधी टीकमगढ़, उज्जैन, विदेशा।	40
11.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, अलीगढ़ रायगढ़, बान्द्रा, कोल्हापुर, सोलापुर, थाणे, जलगॉव, नांदेड, यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरौली, जालना, बुल्ढाना, नागपुर, मुम्बई काल, सतारा, अहमदनगर, नासिक परभानी, ओस्मानाबाद, धुले, रत्नागिरी, लातूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, अकोला, चंद्रपुर, वर्धा, बीड, सांगली।	30
12.	मणिपुर	चुराचांदपुर, इम्फाल, सेनापति, कोगपोकपी तमेंगलॉग, उखरूल, थाउबाल, चांदेल, बिशनपुर, सेनापति 2	9
13.	मेघालय	जयिन्तया हिल्स (जोवाई), वेस्ट गारो हिल्स (तुरा), ईस्ट खासी हिल्स (शिलांग), ईस्ट गारो हिल्स (विलियम नगर), वेस्ट खासी हिल्स (नांगस्टोइंग)	5

1	2	3	4
14.	नागालैंड	कोहिमा, मोकाक्चुंग, जुन्हेबोटो, त्वेनसांग, मोन, वोखा, फेक	7
15.	उड़ीसा	बालासोर, बालांगीर, मयूरभंज बारीपाडा, बहरामपुर गंजम, कालाहाण्डी, भवानी पटना, धेनकनाल, क्योंझार, कोरापुट, फुलबानी, पुरी, सम्बलपुर सुन्दरगढ़, कटक, नौपाड़ा, खुर्दा, भुवनेश्वर केन्द्रपाड़ा	16
16.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, संगरूर, मानसा, फतेहगढ़ साहिब।	14
17.	राजस्थान	अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बबूंदीड, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंग, उदयपुर, अलवर, कोटा, पाली, धौलपुर, नागौड़, सीकर, झुनझुन, झालावाड़, श्रीगंगानगर राजसमंद, बारन, दौसा।	30
18.	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम (गंगटोक, नार्थ सिक्किम, (मंगन), वेस्ट सिक्किम गेजिंग, साउथ सिक्किम (नामची)	4
19.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, कुड्डालोर (साउथ अर्कोट), धरमापुरी मदुरै, पुडुकोट्टई सालेम, शिवगंगा, तिरूचिरापल्ली, तंजौर, तिरूनेलवेली, नीलगिरि उदगमंडलम, उटी वेलौर, कमराजार (विरूदनगर) कन्याकुमारी नागेरकोईल, चेंगलपेट एम.जी.आर, इरोड पेरियार, डिंडीगुल अन्ना, रामानन्तपुरम, चिदम्बरनर (तूतीकोरिन), चेन्नई (ग्रामीण), नागापट्टनम् तिरूवन्नामलई, विल्लुपुरम, तिरूवल्लूर थेनी, तिरूवरूर, नामक्कल, करूर, पेरम्बबुलूर	29
20.	त्रिपुरा	अगरतला वेस्ट त्रिपुरा, धरमनग नार्थ त्रिपुरा उदयपुर साउथ त्रिपुरा	3
21.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली बस्ती, बिजनोर, बुलंदशहर, अमेठी, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई जालोन, उरई, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहॉपुर, सिद्धार्थ नगर, सोनभ्रद, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी।	55
22.	पश्चिम बंगाल	बरसात (24 परगना नार्थ), बर्धवान, मुर्शिदाबाद दार्जिलिंग बुरैपुर 24 परगना साउथ, जलपाईगुडी, मिदनापुर, पुरूलीया, कलकत्ता कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, बांकुरा, बीरभूम, हुगली, नदिया, हावडा, मालदा, दुर्गापुर, (वर्धवान-2), डाईमंड हार्बर (24 साउथ परगना), तमलुक (मिदनापुर-2) कलकत्ता साउथ रघुनाथपुर।	22

1	2	3	4
23.	अरूणाचल प्रदेश	सियांग (अलोंग), लोवर सुबांसिरी (जीरो), अपर सुबांसिरी दपरेरीजो लोहित (तेजू)	4
24.	अण्डमान व निकोबार	निकोबार, पोर्टब्लेयर, कमोत्रा, कैम्पबेल बे, मायाबंदर (रंगत), दिगलपुर	6
25.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	1
26.	दिल्ली	अलीपुर, महरौली, नागलोई	3
27.	गोवा	नार्थ गोवा, पणजी, साउथ गोवा (मारगांव)	3
28.	लक्षद्वीप	कावारती।	1
29.	पांडिचेरी	कराईकल, पांडिचेरी, माहे, यानम	4
30.	मिजोरम	आईजोल, लुगलेई, चिमुत्तूईपुरी (सैहा)	3
31.	दादरा व नगर हवेली	सिलवासा	1
32.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर, चम्पा, दुर्ग, कांकर बस्तर, रायगढ़, राजपुर, राजनांदगांव सरगुजा।	8
33.	झारखण्ड	बोकारो, चतस, देवघर, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम (डाल्टनगंज), रांची साहेबगंज वेस्ट सिंहभूम (जमशेदपुर), गरवाह, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, लोहरदग्गा पलामू (चायबासा)	16
34.	उत्तरांचल	अल्मोडा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौढ़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी	9
35.	दमन व दीव	दमन, दीव	2
	कुल		500

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाए गए कार्यक्रम और ब्लाक अनुदान का ब्यौरा

क्र.सं.	नियमित कार्यक्रम	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजनाएं	कार्यक्रमों के लिए ब्लाक अनुदान	
1	2	3	4	
1.	युवा क्लब विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक	2004-05	8.32
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	युवा विकास केंन्द्र	2005-06	11.57
3.	जागरूकता अभियान	उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार	2006-07	19.86

1	2	3	4	
4.	कार्य शिविर	युवा क्लबों को वित्तीय सहायता	2007-08 (14.8.07 तक)	19.86
5.	खेल संवर्धन कार्यक्रम	ग्रामीण खेल क्लब		
6.	कार्यशाला और सेमिनार	ग्रामीण सूचना तकनीकी युवा विकास केन्द्र		
7.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	राष्ट्रीय सदभावना योजना		
8.	राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह मनाना			
9.	साहसिक संवर्धन कार्यक्रम			
10.	स्थानीय जरूरत पर आधारित कार्यक्रम		.....	
11.	स्वरोजगार परियोजनाओं में प्रशिक्षण			
12.	जिला स्तरीय युवा सम्मेलन	....	....	

विवरण-III

2002 में योजना द्वारा स्वतंत्र एजेंसियों से करवाए गए नेहरू युवा केन्द्रों के मूल्यांकन/निष्कर्ष

1. नेहरू युवा केन्द्रों के अधिकांशत लक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए है।

2. संगठन के केन्द्रीय, क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों के मध्य अति उत्तम समन्वय था।

3. नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रम और कार्यकलाप गैर विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के लाभ के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किए जाते हैं।

4. अध्ययन में शामिल चारों राज्यों के नेहरू केन्द्रों से सम्बद्ध युवा क्लबों ने अपने अभियान के क्षेत्र में ग्रामों में परिसंपत्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में ग्राम विकास में युवा क्लबों का कार्य संतोषजनक है लेकिन आंध्र प्रदेश और गुजरात में यह कार्य संतोषजनक नहीं है। नेहरू युवा केन्द्रों के अधिकांश लक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

6. नेहरू युवा केन्द्रों ने ग्रामीण युवाओं पर बड़ी सीमा तक अति उत्तम प्रभाव डाला हैं। युवा और जन-साधारण नेहरू युवा केन्द्र योजना के वास्तविक लाभार्थी थे।

7. नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों और कार्य कलापों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में शामिल सभी पांचों राज्यों में रोजगार संवर्धन आय सृजन उद्यम सृजन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी।

8. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में नेतृत्व ग्रहण करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने हेतु गैर विद्यार्थी युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में नेहरू युवा केन्द्रों की उपलब्धियों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि नेहरू युवा केन्द्रों ने युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

9. नेहरू युवा केन्द्रों को बेहतर प्रशासनिक, वित्तीय और अवस्थापना संबंधी सहायता उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

10. रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों से 96% रेस्पोडेंट को लाभ पहुंचा है। 92% चुनिन्दा ग्रामों में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों ने समुदाय में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन किए हैं।

पथ कर नीति

1516. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी**
श्री मोहन रावले:
डा. करण सिंह यादव:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कोई पथ कर नीति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सांसदों, विधायक, विधान परिषद के सदस्यों तथा अन्य श्रेणी के लोगों को पथ कर देने से छूट दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनेक मुद्दे उठाए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोक्ताओं पर सड़क कर तथा प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) लगाने के बारे में पूछा गया है। सड़क कर का विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता हैं तथापि, प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों आदि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है जो कर नहीं है।

(ग) और (घ) प्रयोक्ता शुल्क लगाने की प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियमावली, 1997, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थाई/अस्थाई पुलों के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियमावली, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थाई पुल के प्रयोग-सार्वजनिक वित्तीय पोषित परियोजना के लिए शुल्क) नियमावली, 1997 द्वारा संचालित की जाती है।

(ङ) और (च) वाहनों की कतिपय श्रेणियों को प्रयोक्ता शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती हैं जिनमें संसद सदस्यों, विधानसभा और विधान परिषद आदि के सदस्यों के वाहन कतिपय शर्तों के साथ शामिल हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

I यान:

क. 'अति महत्वपूर्ण व्यक्ति' प्रतीक वाले अथवा शासकीय तौर पर निम्नलिखित से संबंधित यान:

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्यों के राज्यपाल अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल;

(घ) सीडी/सीसी नंबट प्लेटों वाली कारों का प्रयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(ङ) राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष अथवा राज्य विधान सभा के स्पीकर अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा अथवा राज्य सभा में अथवा राज्य विधानमंडलों में प्रतिपक्ष के नेता जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो; अथवा

(च) संपूर्ण देश में संसद अथवा संबंधित राज्य के राज्य की विधान सभा के सदस्य अथवा राज्य विधान परिषद के सदस्य यदि वह संसद अथवा राज्य की संबंधित विधायिका द्वारा जारी पहचान पत्र दिखता है, जैसा भी मामला हो;

ख. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र जैसे शौर्य पुरस्कार विजेताओं के यान यदि ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करे।

II. रक्षा यान, पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एंबुलेंस, अत्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय पथकर (थल तथा वायु सेना) अधिनियम, 1901 के प्रावधान के अनुसार इसमें नौ सेना के यान को भी छूट प्राप्त है। इसमें कतिपय परिस्थितियों में सर्विसमेन के निजी वाहन भी शामिल हैं।

मिट्टी के तेल के प्रयोग पर एनएसएसओ का सर्वेक्षण

1517. श्री दुष्यंत सिंह: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों द्वारा मिट्टी के तेल के उपभोग पर कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल की उपलब्धता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो जिन राज्यों में यह सर्वेक्षण किया गया है वहां के ग्रामीण लोगों द्वारा मिट्टी के तेल की राज्य-वार उपलब्धता तथा उपभोग कितना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) एनएसएसओ ने उपभोक्ता व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण के अपने 61वें दौर (जुलाई 2004-जून 2005) में सार्वजनिक वितरण तथा अन्य स्रोतों से ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के उपभोग संबंधी सूचना एकत्र की थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का राज्य-वार मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मात्रा (लीटर)		कुल (लीटर)
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली	अन्य स्रोत	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.256	0.209	0.465
2.	असम	0.314	0.311	0.625
3.	बिहार	0.265	0.315	0.58
4.	छत्तीसगढ़	0.453	0.049	0.502
5.	गुजरात	1.026	0.09	1.116
6.	हरियाणा	0.243	0.103	0.346
7.	झारखण्ड	0.37	0.319	0.689
8.	कर्नाटक	0.486	0.111	0.597
9.	केरल	0.441	0.67	1.111
10.	मध्य प्रदेश	0.382	0.169	0.551
11.	महाराष्ट्र	0.461	0.223	0.684
12.	उड़ीसा	0.388	0.143	0.531
13.	पंजाब	0.139	0.108	0.247
14.	राजस्थान	0.495	0.031	0.526

1	2	3	4	5
15.	तमिलनाडु	0.643	0.087	0.73
16.	उत्तर प्रदेश	0.483	0.121	0.604
17.	पश्चिम बंगाल	0.587	0.168	0.755
18.	अरुणाचल प्रदेश	0.288	0.122	0.41
19.	दिल्ली	0.109	0.077	0.186
20.	गोवा	0.488	0.165	0.653
21.	हिमाचल प्रदेश	0.196	0.05	0.246
22.	जम्मू-कश्मीर	0.303	0.084	0.387
23.	मणिपुर	0.164	0.29	0.454
24.	मेघालय	0.243	0.162	0.405
25.	मिजोरम	0.23	0.355	0.585
26.	नागालैण्ड	0.011	0.21	0.221
27.	सिक्किम	0.196	0.405	0.601
28.	त्रिपुरा	0.537	0.05	0.587
29.	उत्तरांचल	0.579	0.042	0.621
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.981	0.432	1.413
31.	चंडीगढ़	0.657	1.604	2.261
32.	दादरा और नगर हवेली	0.249	0.404	0.653
33.	दमन और दीव	0.269	1.019	1.288
34.	लक्षद्वीप	1.034	0.006	1.04
35.	पॉडिचेरी	0.998	0.175	1.173
36.	समस्त भारत	0.477	0.142	0.619

जिला योजना समितियां

1518. श्री भर्तृहरि महताब: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में जिला योजना समितियां नहीं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) जिला योजना समितियों के मुख्य कार्य क्या हैं;

(घ) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने जिला योजना समितियों के कार्यकरण के लिए नियम नहीं बनाए हैं;

(ङ) क्या सरकार जिला योजना समितियों को सुदृढ़ करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुरूप जिला योजना समितियों (डीपीसी) गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में अभी तक गठित नहीं की गयी हैं। इन राज्यों द्वारा जिला योजना समितियां नहीं गठित करने के कारण विस्तृत रूप में विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी में यह प्रावधान किया गया है कि जिला योजना समिति पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास का प्लान तैयार कर जिले में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजना का समेकन करेगी। संविधान का अनुच्छेद 243 जेडडी (2) (ग) जिला योजना समितियों को जिला योजना के कार्य के संबंध में विधेयन के संदर्भ में राज्य विधान को सशक्त करने को निर्देशित कर सकता है।

(घ) विवरण राज्यों से पता लगाये जा रहे हैं।

(ङ) और (च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जिला योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग ने 25.08.2006 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में जिला योजना समितियों को दस्तावेजों तथा प्रारूप योजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए एक तकनीकी सहायता समूह के गठन की व्यवस्था करता है।

योजनाओं को तैयार करने और समेकित करने के लिए पंचायतों और जिला योजना समितियों को सहयोग सुनिश्चित करना क्षमता निर्माण के घटकों में से एक घटक हैं जिसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम के तहत शामिल 250 जिलों में निधि दी जा सकती है।

विवरण

डीपीसी नहीं गठित करने वाले राज्यों के कारण

क्र.सं.	राज्य	डीपीसी नहीं गठित करने के कारण
1	2	3
1.	गुजरात	डीपीसी के गठन के लिए विधेयक का विधेयन किया जाना है।
2.	हरियाणा	हरियाणा राज्य में डीपीसी के गठन का कार्य अंतिम चरण में है। डीपीसी के लिए निर्वाचन 15 जिलों में पूर्ण किए जा चुके हैं। शहरी विकास विभाग द्वारा एक और अधिसूचना जारी की जारी है।
3.	झारखण्ड	चूंकि पंचायतों के चुनाव झारखण्ड में नहीं हुए हैं इसलिए राज्य में कोई डीपीसी गठित नहीं हुयी है।
4.	महाराष्ट्र	डीपीसी के लिए एक विधेयक पारित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। डीपीसी के सदस्यों के निर्वाचन के नियम में परिवर्तन करने का राज्य ने निर्णय किया है। इन नियमों की अधिसूचना के बाद, राज्य में डीपीसी का गठन किया जाना प्रस्तावित है।
5.	पंजाब	पंजाब ने अक्तूबर, 2005 में डीपीसी के गठन के लिए विधेयक का विधेयन किया था। पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की अवधि आने वाले जनवरी 2008 में समाप्त होने जा रही है। जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के निर्वाचन के बाद राज्य सरकार ने डीपीसी का गठन करने का निर्णय लिया है।
6.	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्त्तमान उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 में संशोधन किए जाने की जरूरत है। अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद डीपीसी को गठित किया जाना प्रस्तावित है।

1	2	3
7.	त्रिपुरा	त्रिपुरा में 70 प्रतिशत क्षेत्र 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। स्वशासी जिला परिषद क्षेत्रों में एकल स्तरीय प्रणाली है, इसलिए इन जिलों में विधायी प्रावधानों के माध्यम से डीपीसी का गठन नहीं किया जा सकता। मुख्य सचिव, त्रिपुरा ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के संदर्भ में डीपीसी के गठन का सुझाव दिया है। बी आर जी एफ के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार धलाई से टीटीएडीसी से निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या टीटीएडीसी के अध्यक्ष के लिए क्या जनजातीय प्रतिनिधि होना चाहिए।
8.	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विरासत में मिला है, उन्होंने डीपीसी को न तो अधिसूचित किया है और न ही इसका गठन किया है।

[हिन्दी]

डेन्टल कालेजों में शिक्षा का स्तर

1519. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या डेन्टल काऊन्सिल ऑफ इंडिया ने डेन्टल कालेजों में शिक्षा के घटते स्तर पर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या डेन्टल कालेजों का स्तर चिंता का विषय है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) शिक्षण संकाय की गंभीर कमी है जो चिंताजनक है। इस समस्या को दूर करने तथा देश में दंत चिकित्सा शिक्षा का उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार ने 65 से 70 वर्ष तक की उम्र के शिक्षकों को प्रोफेसरों, रीडरों आदि जैसे शिक्षण पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप के लिए यात्री-सह-कार्गो पोत

1520. डा. पी.पी. कोया: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए एच एस एल विशाखापट्टनम में एक यात्री-सह-कार्गो पोत निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह पोत कब तक कार्यात्मक बन जाएगा;

(घ) क्या लक्षद्वीप के विभिन्न दीपों में कुछ ईस्टर्न साइड एम्बार्केशन जेटी.ज भी निर्माणाधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन जेटी.ज को पूरा करने की समय अवधि कितनी है;

(च) क्या सरकार का विचार शेष द्वीपों में इसी प्रकार की जेटी.ज का निर्माण करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 129.62 करोड़ रु. की कुल लागत पर 29 माह अर्थात् फरवरी, 2003 तक की सुपुर्दगी अवधि सहित एक 700 यात्री-सह-160 एम टी कार्गो जलयान के निर्माण के लिए 14.09.2000 को मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। वित्तीय स्थिति बहुत अधिक चरमरा जाने के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस जलयान का निर्माण का कार्य समग्र रूप से करीब 91% पूरा हो गया है और इसे सितम्बर, 2007 में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लक्षद्वीप को हस्तांतरित किए जाने की योजना है।

(घ) और (ङ) मिनीकाय, अमीनी अगाती और कवारती द्वीपों में ईस्टर्न साइड एम्बार्केशन सुविधाओं का निर्माण 26.12.2003 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। ब्यौरा निम्नानुसार है:

	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	पूरा किए जाने की परिकल्पित तारीख
1.	मिनीकाय द्वीप में ईस्टर्न साइड एम्बार्केशन सुविधा का निर्माण	19.86	दिसम्बर, 2008
2.	अमीनी में ईस्टर्न साइड एम्बार्केशन सुविधा का निर्माण	21.51	दिसम्बर, 2008
3.	अगाती में ईस्टर्न साइड एम्बार्केशन सुविधा का निर्माण	19.48	मार्च, 2009
4.	कवारती में ईस्टर्न साइड एम्बार्केशन सुविधा का निर्माण	20.44	मार्च, 2009

(च) और (छ) 11वीं योजना में कडमथ किल्तान, चेलाठण्ड और बितरा के अन्य द्वीपों में ईस्टर्न साइड एम्बार्केशन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण किए जाने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

1521. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में निर्मित/संस्वीकृत तथा इस वर्ष निर्माण के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सोनाली-गोरखपुर-देवरिया-सालेमपुर-सिकंदरपुर-बक्सर-भागलपुर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है.

(ङ) यदि हां, तो इस रूट पर शुरू किए गए निर्माण कार्य की स्थिति क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए मरम्मत तथा रख-रखाव कार्य का स्थान/खंड-वार ब्यौरा क्या है जहां वर्षा के कारण क्षति हुई है; और

(ज) इसके लिए कार्य-वार कितनी धनराशि दी गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2, 3, 7, 11, 19, 24 24ए, 25, 26, 27, 28, 29, 56, 56ए, 56 बी, 58, 58ई, 72ए, 73, 74, 75, 75ई, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 96 और 97 का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इन राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य राज्य सरकार अथवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष के प्रारंभ में इन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य लोक निर्माण विभाग को आबंटित धनराशि और गत तीन वर्षों के दौरान अंतिम आबंटन और व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	मूल आबंटन	अंतिम आबंटन	व्यय
2004-05	1308.00	172.00	171.99
2005-06	186.00	186.00	185.97
2006-07	135.00	91.40	91.32

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) से (च) केवल सोनाली से गोरखपुर और बक्सर से भागलपुर तक के खंडो को ही राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। शेष खंड राज्यीय सड़कें हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इस सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड में 14.24 करोड़ रु. के निर्माण कार्य (योजनागत कार्य) प्रारंभ किए गए हैं।

(छ) और (ज) बाढ़ क्षति मरम्मत (एफडीआर) निधियां राज्यवार आबंटित की जाती हैं न कि कार्यवार। गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में बाढ़ क्षति मरम्मत के अंतर्गत दी गई धनराशि और किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	आबंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
2004-05	2.00	2.00
2005-06	6.00	6.00
2006-07	3.00	2.35

[अनुवाद]

दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों में भारी फीस

1522. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद (डीसीए) को ये शिकायतें मिली हैं कि देश में दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु फीस के रूप में भारी धनराशि वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे महाविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समितियों द्वारा किया जाता है। इसलिए जब कभी स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए फीस के रूप में अत्यधिक राशि वसूलनें के संबंध में डेंटल कॉलेजों के खिलाफ भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है।

सार्क संसदविद् सम्मेलन

1523. श्री नवीन जिन्दल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई सार्क संसदविद् सम्मेलन जून, 2007 में शिमला में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है और इस चर्चा के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस सम्मेलन को द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर सांसदों के बीच बेहतर समझबूझ को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां, सार्क देशों के संसदों का सम्मेलन शिमला में 3 जून, 2007 को हुआ, जिसे एक गैर-सरकारी संगठन, दक्षिणी एशिया मुक्त मीडिया संघ द्वारा आयोजित किया गया था।

(ख) से (घ) सम्मेलन की रिपोर्ट "शिमला घोषणा: दक्षिण एशियाई एकता की दिशा में कार्रवाई का आह्वान" में क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिण एशियाई सीमा शुल्क टैरिफ यूनियन, जल प्रबंधन, दक्षिण एशियाई ग्रिड, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, संयोजकता और दक्षिण एशियाई संसद् सूचना सोसायटी, लोगों से लोगों के संपर्क, पर्यटन, दक्षिण एशियाई मानव सुरक्षा और दक्षिण एशियाई सहकारी सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया गया।

यह रिपोर्ट संस्थागत मेल मिलाप तंत्र के सृजन की दिशा में चलने की प्रक्रिया को शुरू करने को पृष्ठांकित करती है।

आई. आर. ई. एल. में विस्तार कार्य

1524. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानवलाकुरूची स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स लि. (आईआरईएल) में विस्तार कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या आईआरईएल में विस्तार कार्य कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विस्तार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) ईपीसी [इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट एडं कन्सट्रक्शन (अभियांत्रिकी, प्रापण एवं निर्माण)] संविदा के जरिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मानवलाकुरूचि में विस्तार कार्य निष्पादित करने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी कर दिया गया है।

(ख) जी, हां कार्यक्रम आगे बढ़ गया है.

(ग) इस करार को अंतिम रूप देने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि जिस पार्टी को आशय-पत्र जारी किया गया था, उसे संयंत्र और मशीनरी के निर्यात हेतु अपने रिहायश देश में औपचारिकताएं पूरा करना आवश्यक है।

(घ) इस करार पर हस्ताक्षर करने सें संबंधित समस्या को सुलझा लिया गया है और यह करार शीघ्र की संपन्न किया जाएगा। इस कारण हुई देरी को छोड़कर, इस परियोजना के योजनानुसार ही पूरा होने की आशा है.

सी.जी.एच.एस. द्वारा स्वीकृत दरों में संशोधन

1525. श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों और निदानों हेतु सी.जी.एच.एस. द्वारा स्वीकृत दरें वास्तविक लागत की तुलना में काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दरों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रयोगशाला परीक्षणों और निदानों हेतु सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत वर्तमान स्वीकृत दरों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के 1.11.2006 को और अन्य शहरों के लिए जून, 2007 में दरों को संशोधित किया गया। मार्च-अप्रैल, 2004 में निर्गत निविदा सूचना के जवाब में निजी अस्पतालों/निदान केंद्रों द्वारा बताई गई दरों के आधार पर विविध प्रक्रियाओं की दरों को नियत किया गया था। विभिन्न प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रतियोगी दरों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों एवं निदान केंद्रों की नई नामिका तैयार की गई जिसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा टी.एस. ओबेराय बनाम भारत संघ की 1996 की सिविल रिट याचिका में भी निदेश दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विविध उपचारों/परीक्षणों आदि की दर सूचियां अनेक खंडों में उल्लिखित है जो केंन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट www.mohfw.nic.in/cghs.htm. पर उपलब्ध है।

कोयला वितरण नीति

1526. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विनियमित और गैर-विनियमित क्षेत्रों की आवश्यकता पर आधारित कोयला वितरण प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति बनाने के लिए कोयला सचिव की अध्यक्षता में वितरण नीति के मूल्यांकन हेतु समिति गठित की गई थी;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) नई नीति के अंतर्गत वर्तमान प्रणाली में कितना परिवर्तन होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नयी कोयला वितरण नीति तैयार करने के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जो सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ है और उन्हें अभी अनुमोदित किया जाना है।

[हिन्दी]

ओलंपिक खेलों हेतु बोली

1527. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2016 में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों को आयोजित करने हेतु अपनी बोली लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ओलंपिक खेलों को आयोजित करने के लिए अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन हेतु खेल अवसंरचना का विकास करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) भारतीय ओलंपिक संघ ऐसी संस्था है जो ओलंपिक खेलों के लिए

बोली लगाता है तथा ओलंपिक खेल, 2016 की मेजबानी के लिए उसने कोई बोली नहीं लगाई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशेष कृषि विकास मॉडल

1528. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना अयोग ने देश में सीमावर्ती और तटवर्ती जिलों हेतु विशेष कृषि विकास मॉडल हेतु कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे क्या उपलब्धियां प्राप्त किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग ने देश में सीमावर्ती और तटवर्ती जिलों हेतु विशेष कृषि मॉडल की कोई विशिष्ट अनुशंसा नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैंडों की सुरक्षा करने के लिए कदम

1529. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काजीरंगा वन्य अभयारण्य में चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान आठ गैंडे मरे हुए पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में अभयारण्य-वार और रिजर्व-वार कुल कितने गैंडे मारे गए;

(ग) देश में विशेषकर असम में गैंडों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस कार्य पर केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी हां,

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में वर्ष 2004, 2005 और 2006 (अभयारण्य-वार) में मारे गये गैंडों की संख्या निम्नलिखित है।

क्र.सं.	राज्य	नेशनल पार्क/अभयारण्य	मारे गये गैंडों की संख्या		
			2004	2005	2006
1.	असम	काजीरंगा नेशनल पार्क	3	5	5
2.	असम	ओरंग नेशनल पार्क	शून्य	3	2
3.	असम	पोबीतोरा डब्ल्यूएलएस	1	2	शून्य

(ग) भारत सरकार नेशनल पार्कों और अभयारण्यों के संरक्षण एवं विकास, जिसमें गैंडो का क्षेत्र भी सम्मिलित है, के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं-नेशनल पार्क एवं अभयारण्य और बाघ परियोजना के अन्तर्गत, राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसूची-1 में गैंडों को सम्मिलित किया गया है जिससे उन्हें अधिकतम सुरक्षा दी गई हैं इसके अलावा, अन्य उपायों के साथ-साथ असम सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए जो उपाय किये हैं, वे हैं:

1. फ्रंटलाइन स्टाफ द्वारा अवैध शिकार रोकने हेतु गहन पेट्रोलिंग और दिन-रात निगरानी रखना।
2. दूरसंचार और बेतार नेटवर्क को मजबूत करना।
3. सुरक्षा कर्मियों को हथियार और असलहा प्रदान करना।
4. असुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप का निर्माण।
5. कानून लागू करने वाली विभिन्न एजेंसयों के बीच समन्वय।
6. गैंडा संरक्षण हेतु नजदीकी गांवों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जागरूकता अभियान और विभिन्न पारि-विकास और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
7. सूचना संग्रहण हेतु इंटेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना।

(घ) भारत सरकार द्वारा गैंडों को आश्रय देने वाले विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों (पी.ए) को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	संरक्षित क्षेत्र के नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1.	असम	काजीरंगा एनपी	153.00	83.60	59.15
2.	असम	पोबीतोरा डब्ल्यूएलएस	7.60	12.00	23.17
3.	असम	ओरंग एनपी	13.00	33.02	शून्य
4.	असम	कार्बी अगलॉग डब्ल्यूएलएस	8.15	शून्य	8.50
5.	उत्तर प्रदेश	दुधवा टाइगर रिजर्व	175.21	152.68	183.26
6.	पश्चिम बंगाल	जलदपारा डब्ल्यूएलएस	58.25	48.00	71.77
7.	पश्चिम बंगाल	घोरुमारा एनपी	58.86	64.16	50.21

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1530. श्री मिलिन्द देवरा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सुविधा प्रदान करने के लिए कोई बहु-पक्षीय रणनीति तैयार की है जहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षित और विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टरों का अभाव सबसे बड़ी समस्या है जहां कैंसर एक बड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में उभर रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा डाक्टरों को पूर्वोत्तर राज्यों में आने के लिए आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या "फार्वर्ड लिंकेजिज फॉर एनआरएचएम इन नार्थ इस्टर्न स्टेट्स" नामक योजना तैयार की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस योजना का लक्ष्य क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य देश भर में ग्रामीण लोगों को सुलभ समान, वहनीय, और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों सहित 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन ढांचे में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था में कमियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आवश्यक कार्य ढांचा और लचीला नीति अपनाने की व्यवस्था है।

उप केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक स्वास्थ्य संस्थाओं को भौतिक अवसंरचना, कार्मिक शक्ति और औषधों की व्यवस्था सहित व्यापक सुदृढ़ीकरण के लिए चुना गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपेक्षाओं की देखभाल के लिए मंत्रालय में अलग से एक प्रभाग बनाया गया है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आठ राज्यों में प्रत्येक में एक अर्हता प्राप्त स्टेट फेसिलिटेटर के साथ पेशेवर लोगों के एक कोर दल वाला एक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक कार्यनीति तैयार की गई है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ डाक्टरों का अभाव एक प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन सभी पूर्वोत्तर राज्यों को उप केन्द्र स्तर से जिला स्तर के अस्पतालों तक की स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए भारतीय जन

स्वास्थ्य मानकों में यथा निर्धारित सेवा मानकों को पूरा करने हेतु विशेष रूप से विशेषज्ञ डाक्टरों और पराचिकित्सकों के संबंध में कार्मिक शक्ति की कमी को दूर करने हेतु नम्यता प्रदान की गई है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों को विशेषज्ञ डाक्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के जरिए डाक्टरों को बहु-कुशल बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन निधियां भी प्रदान की गई हैं।

(ङ) और (च) पूर्वोत्तर राज्यों के उन कार्यकलापों के लिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन कार्यढांचे के अन्तर्गत कवर नहीं हैं, ''पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरएचएम के लिए फार्वर्ड लिंकेजिज'' नामक योजना तैयार करने की बात सोची गई है।

बीआरजीएफ कवरेज का विस्तार

1531. प्रो. प्रेम कुमार धूमल:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007-2008 के दौरान उन राज्यों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के अंतर्गत कवरेज का विस्तार किया है जहां पर जिला योजना समितियां (डीपीसी) गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो बीआरजीएफ के अंतर्गत सम्मिलित अतिरिक्त जिलों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) संविधान के भाग 9 एवं 9ए द्वारा शामिल किए गए राज्यों एवं क्षेत्रों में बीआरजीएफ कार्यक्रम की प्लानिंग एवं कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार जिला योजना समितियों का गठन एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार गठित की गई जिला योजना समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत एवं नगर पालिका द्वारा तैयार किए गए भागीदारी योजनाओं का जिला योजना में समेकन किया जाना है। अत: कार्यक्रम के तहत विकासात्मक अनुदान को रिलीज करने के लिए डीपीसी का गठन अनिवार्य है। तथापि, कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त जिलों को शामिल करने के लिए यह मापदण्ड नहीं है। बीआरजीएफ कार्यक्रम 250 जिलों को शामिल करता है। जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जम्मू एवं कश्मीर, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा के 250 जिलों में से 18 जिले संविधान के भाग 9 एवं 9ए के तहत शामिल नहीं हैं। कार्यक्रम दिशानिर्देशों के तहत कार्यक्रम की प्लानिंग एवं कार्यान्वयन के लिए इन जिलों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। शेष 232 जिलों में पंचायती नगरपालिकाओं एवं जिला योजना समितियों द्वारा प्लानिंग एक अधिदेशात्मक आवश्यकता है। 2007-08 में जिलों के कवरेज का विस्तार नहीं किया गया है।

विवरण

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष-जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1.	आदिलाबाद	2.	अनन्तपुर	3.	चित्तूर	4.	कुड़प्पा
5.	करीमनगर	6.	खम्मम	7.	महबूबनगर	8.	मेडक
9.	नालगोंडा	10.	निजामाबाद	11.	रंगारेड्डी	12.	विजयनगरम
13.	वारंगल						

अरूणाचल प्रदेश

1 ऊपरी सुबनसिरी

असम

1.	बरपेटा	2.	बोंगाईगांव	3.	कचार	4.	धेमाजी
5.	गोलपाड़ा	6.	हैलाकंडी	7.	कारवी आंगलोंग*	8.	कोकराझार*
9.	मारीगांव	10.	उत्तरी लखीमपुर (लक्खा)	11.	उत्तरी कचार हिल्स*		

बिहार

1.	अररिया	2.	औरंगाबाद	3.	बांका	4.	बेगूसराय
5.	भागलपुर	6.	भोजपुर	7.	बक्सर	8.	दरभंगा
9.	गया	10.	गोपालगंज	11.	जमुई	12.	जहानाबाद
13.	कैमूर/भभुआ	14.	कटिहार	15.	किशनगंज	16.	खगड़िया
17.	लक्खीसराय	18.	मधेपुरा	19.	मधुबनी	20.	मुंगेर
21.	मुज्जफरपुर	22.	नालन्दा	23.	नवादा	24.	पटना
25.	पश्चिम चंपारण	26.	पूर्वी चंपारण	27.	पूर्णिया	28.	रोहतास
29.	सहरसा	30.	समस्तीपुर	31.	सारण	32.	शेखपुरा
33.	शिवहर	34.	सीतामढ़ी	35.	सुपौल	36.	वैशाली

छत्तीसगढ़

1.	बस्तर	2.	बिलासपुर	3.	दांतेवाड़ा	4.	धमतरी
5.	जसपुर	6.	कांकेर	7.	कवर्धा	8.	कोरबा
9.	कोरिया	10.	महसमुंड	11.	रायगढ़	12.	राजनांदगांव
13.	सरगुजा						

गुजरात

1.	बनस्कनथा	2.	डंग्स	3.	दाहोड	4.	नर्मदा
5.	पंचमहल	6.	साबरकंथा				

हरियाणा

1.	मोहिंदरगढ़	2.	सिरसा				

हिमाचल प्रदेश

1.	चंबा	2.	सिरमौर				

जम्मू और कश्मीर

1.	डोडा*	2.	कुपवाड़ा*	3.	पूंछ*		

झारखंड

1.	बोकारो	2.	चतरा	3.	देवघर	4.	धनबाद
5.	दुमका	6.	गढ़वा	7.	गिरिडीह	8.	गोड्डा
9.	गुमला	10.	हजारीबाग	11.	जामतारा	12.	कोडरमा
13.	लातेहार	14.	लोहरदग्गा	15.	पश्चिम सिंहभूम	16.	पाकुड़
17.	पलामू	18.	रॉची	19.	साहिबगंज	20.	सरायकेला
21.	सिमडेगा						

कर्नाटक

1.	बीदर	2.	चित्रदुर्ग	3.	देवनगिरि	4.	गुलबर्गा
5.	रायचुर						

केरल

1.	पालक्कड	2.	व्यनाड

मध्य प्रदेश

1.	बालाघाट	2.	बरवानी	3.	बेतुल	4.	छत्तरपुर
5.	दामोह	6.	धार	7.	दिनदोरी	8.	गुना
9.	झाबुआ	10.	कांटी	11.	खंडवा	12.	मंडला
13.	पन्ना	14.	राजगढ़	15.	रीवा	16.	सतना
17.	सिनोई	18.	शहडोल	19.	शिवपुरी	20.	शिवपुरी
21.	सिद्धी	22.	टिकमगढ़	23.	उमरिया	24.	पश्चिम निमर

महाराष्ट्र

1.	अहमदनगर	2.	अमरावती	3.	औरंगाबाद	4.	भांडरा
5.	चंद्रपुर	6.	धुले	7.	गदचिरोली	8.	गोंदिया
9.	हिंगोली	10.	नादेंड	11.	नंडरवाल	12.	यवतमल

मणिपुर

1.	चंदेल*	2.	चुरचंद्रपुर*	3.	तमेंलांग*

मेघालय

1.	रि भोई*	2.	दक्षिणी गारो हिल्लस*	3.	पश्चिम गारो हिल्लस*

मिजोरम

1.	लवंगतलाय*	2.	स्याहा*

नागालैंड

1.	मोन*	2.	तुयेनसांग*	3.	वोरखा*

उड़ीसा

1.	बोलांगिर	2.	बौध	3.	देवागढ़	4.	धेंकनाल
5.	गाजापट्टी	6.	गंजाम	7.	झरसुगुड्डा	8.	कालाहांडी
9.	क्योंझर	10.	कोरापुट	11.	मलकानगिरी	12.	मयूरभंज
13.	नवरंगपुर	14.	नुआपाडा	15.	फूलवानी	16.	रायगढ़
17.	संबलपुर	18.	सोनपुर	19.	सुंदरगढ़		

पंजाब

1. होशियारपुर

राजस्थान

1.	वंशवारा	2.	वारमेर	3.	चितौड़गढ़	4.	डुंगरपुर
5.	जैसलमेर	6.	जालौर	7.	झलवर	8.	करोली
9.	सवाई माधोपुर	10.	सिरोही	11.	टोंक	12.	उदयपुर

सिक्किम

1. उत्तरी सिक्किम

तमिलनाडु

1.	कुड्डलौर	2.	डिंडिगुल	3.	नागपट्टनम्	4.	शिवगंगी
5.	त्रिवनमल्ली	6.	विल्लुपुरम				

त्रिपुरा

1. धलाई*

उत्तर प्रदेश

1.	अंबेदकर नगर	2.	आजमगढ़	3.	बहराइच	4.	बलरामपुर
5.	बांदा	6.	बाराबंकी	7.	बस्ती	8.	बदायूं
9.	चंदौली	10.	चित्रकूट	11.	एटा	12.	फरुखाबाद
13.	फतेहपुर	14.	गोंडा	15.	गोरखपुर	16.	हमीरपुर
17.	हरदोई	18.	जालौन	19.	जौनपुर	20.	कौशांबी
21.	कुशीनगर	22.	लखिमपुर खीरी	23.	ललित पुर	24.	महराजगंज
25.	महोवा	26.	मिरजापुर	27.	प्रतापगढ़	28.	रायबरेली
29.	संत कबीर नगर	30.	सरावस्ती	31.	सिद्धार्थ नगर	32.	सीतापुर
33.	सोनप्रद	34.	उन्नाव				

उत्तरांचल

1.	चमोली	2.	चंपावत	3.	टिहरी गढ़वाल		

पश्चिम बंगाल

1.	बांकुरा	2.	बीरभूमि	3.	दक्षिण दिनाजपुर	4.	जलपाईगुड़ी
5.	मालदा	6.	मिदनापुर (पूरब)	7.	मिदनापुर (पश्चिम)	8.	मुर्शिदाबाद
9.	पुरूलिया	10.	24 परगणा दक्षिण	11.	उत्तर दिनाजपुर		

*गैर भाग 9 एंव 9ए क्षेत्रों के तहत जिले

[हिन्दी]

कृषि सुधारों संबंधी एनडीसी की बैठक

1532. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) की बैठक में सिंचाई सुविधाओं के अभाव और अच्छी गुणवता वाले बीजों की कमी के कारण घटती कृषि पैदावार पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन उपायों पर चर्चा की गई और क्या-क्या सुझाव दिए गए;

(ग) इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और इनसे किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री ने भी एनडीसी की बैठक में कृषि सुधारों हेतु 25,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है;

(ङ) यदि हां, तो पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त पैकेज को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने दिनांक 29 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में कृषि संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जिसमें कृषि की कम उपज और सिंचाई सुविधाओं का अभाव तथा अन्य निविष्टियां (इनपुट्स) जैसे मुद्दे शामिल थे।

(ख) पूर्णतया विचार-विमर्श के बाद एनडीसी ने किसानों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कृषि विकास कार्यनीति को पुन: दिशा प्रदान करने हेतु संकल्प पारित किया और केन्द्र एवं राज्यों सरकारों से आह्वान किया कि वे कृषि का नवीकरण करने के लिए एक कार्यनीति विकसित करें। एनडीसी द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सुझावों को लागू किया जा रहा है। सुझाए गए उपाय कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाने, निविष्टियों एवं अन्य सहायता सेवाओं के उन्नत वितरण, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने आदि से संबंधित हैं, अत: इन उपायों से किसानों की समस्याओं का सर्वाधित कारगर रूप से समाधान होगा।

(घ) प्रधानमंत्री ने एनडीसी की बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए 25000 करोड़ रुपये की लागत के एक नये कार्यक्रम की घोषणा की है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 25000 करोड़ रुपये की एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) स्कीम बनाई है। इस स्कीम के तहत राज्यों को यह केन्द्रीय सहायता इस शर्त के अधीन मुहैया कराई जाएगी कि वे व्यय को एक आधार स्तर प्रदान करेंगे, आगामी वर्ष से जिला कृषि योजनाएं बनाएंगें। इस नई एसीए स्कीम का उद्देश्य कृषि-जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों और तकनीक को ध्यान में रखते हुए तथा पशुधन, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन को समेकित करते हुए राज्यों को उन्हें अपने-अपने कृषि क्षेत्र के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से योजनाएं बनाने में प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत राज्यों को यह सहायता चालू वर्ष अर्थात् 2007-08 से दी जाएगी।

विवरण

53वीं राष्ट्रीय विकास परिषद का संकल्प

राष्ट्रीय विकास परिषद ने संकल्प लिया है कि किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि विकास कार्यनीतियों का पुनर्निधारण किया जाना चाहिए तथा कृषि का कायाकल्प करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों से कार्यनीति विकसित करने का आह्वान किया है। एनडीसी ने 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्रक में 4 प्रतिशत वार्षिक विकास हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुन: दोहराया है तथा निर्णय लिया है कि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(1) गेहूं, चावल और दालों को केन्द्रीय स्कीम के रूप में कवर करते हुए एक खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करना जिसका लक्ष्य आधार वर्ष (वर्ष 2006-07 में समाप्त त्रिवर्षावधि) से अगले चार वर्षों में 8 मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं, 10 मिलियन टन अतिरिक्त चावल और 2 मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं, 10 मिलियन टन अतिरिक्त चावल और 2 मिलियन टन अतिरिक्त दाल का उत्पादन करना है।

(2) राज्यों को अपनी कृषि अनुकूल परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मामलों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए

अपने कृषि क्षेत्रक के लिए योजनाएं तैयार करने तथा पशुधन, पॉल्ट्री व मत्स्य पालन को पूर्ण रूप से एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम शुरू करना। इसमें भूमि सुधार के लाभार्थियों हेतु विशेष स्कीमों सहित राज्य विशिष्ट कार्यनीतियों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही वर्तमान केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त राज्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) हेतु एक नई स्कीम बनानी होगी। नव सृजित राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण राज्यों के अनुरोध पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए योजना में सहायता करेगा।

(3) एआईबीपी के माध्यम से सिंचाई हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना जिसमें उन्नत भागीदारी सिंचाई प्रबंधन अपनाने और कमान क्षेत्र विकास से जुड़ा आधुनिकीकरण घटक शामिल हो। किसी राज्य के अंतर्गत नदियों को जोड़ने से संबंधित स्कीमों को भी एआईबीपी में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

(4) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यनीतिक अनुसंधान निधि हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान कर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर एक कार्यनीतिक फोकस प्रदान किया जाए जिससे कि आईसीएआर सहित विश्वविद्यालयों, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं और निजी संस्थानों को निधियां देने हेतु उपयुक्त अभिशासन व कार्यान्वयन ढांचा तैयार हो सके।

(5) नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ निधिकरण प्रणाली की पुरसंरचना करना तथा पूरी ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए राज्यवार सूचक आवंटन द्वारा वर्ष-दर-वर्ष की जा रही निधि आवंटन की वर्तमान प्रणाली को हटाना जिससे कि कम ग्रामीण क्रेडिट जमा अनुपात वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके। बागबानी, पुशधन, मुर्गीपालन व मत्स्यपालन तथा इन क्षेत्रों के लिए अवसंचरना जैसे संभावित विकास क्षेत्रों के लिए राज्य कृषि योजनाओं में पहचान की गई आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए निधिकरण के लिए पात्र क्रियाकलापों की समीक्षा की जाएगी।

(6) उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम की पुनर्संरचना तथा किसानों तक इसकी उपलब्धता हेतु उपाय शुरू करना तथा ऐसी प्रणाली अपनाना जो मृदा पर विपरीत प्रभाव डाले बगैर संतुलित पौध पोषाहार दे सके। मृदा सुधार के लिए बायो-उर्वरक, आर्गेनिक खाद व माइक्रो-पोषक को बढ़ावा दिया जा सकता है।

(7) आधुनिक कृषि प्रणाली में किसानों को प्राशिक्षण देने तथा गैर-कृषि कार्यकलापों के लिए संगत कौशल प्रदान करने सहित कृषि समुदाय में कौशल विकास में सुधार हेतु नई पहल करना।

राज्यों सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(1) प्रत्येक जिला के लिए जिला योजनाएं बनाए जिसमें बीआरजीएफ व एनआरईजी जैसी स्कीमों से जिला स्तरों पर उपलब्ध संसाधन सहित वर्तमान स्कीमों, राज्य व केन्द्रों से उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो। जिला कृषि योजना में पशुधन व मत्स्यपालन शामिल होगा तथा इसे लघु सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यों और जल संग्रहण व संरक्षण हेतु अन्य स्कीमों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य सरकार जिला स्तर पर उपयुक्त ईकाई(यां) गठित करेगा।

(2) प्राकृतिक संसाधनों का धारणीय प्रबंधन और प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र में प्रौद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य कृषि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला योजना आधारित एक राज्य कृषि योजना तैयार करना। प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कुल राज्य योजना व्यय में कम-से-कम कृषि का बेस लाईन शेयर बनाए रखा जाए तथा ऐसा करते हुए इसे कृषि योजना में बेस-लाईन से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय अंशदान में नया एसीए प्राप्त हो सकता है।

(3) समय और लागत बढ़ाए बगैर एआईबीपी के अंतर्गत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु विशेष प्रयास करें तथा कृषि उत्पादन लक्ष्यों के अनुरूप अपनी सिंचाई परियोजनाओं का प्राथमिकीकरण करें। बेहतर जल प्रबंधन एवं जल प्रयोग क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु राज्य विशेष प्रयास करेंगे।

(4) बीज उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना जिससे कि मुख्य फसलों और चारे की गुणवत्ता वाले बीजों की पर्याप्त आपूर्ति सही समय पर उचित मूल्य दरों पर उपलब्ध हो सके। बीज प्रतिस्थापना दरों में सुधार के लिए यह आवश्यक है जो कि उपज अंतराल में कमी लाने में सहायक होगा। प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त विविध प्रकार के बीजों का

उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार व राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा आईसीएआर संस्थानों के बीच नजदीकी तालमेल होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विकास हेतु एसएयू, संबंधित राज्य विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रक के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विचार किया जा सकता है।

(5) राज्य कृषि विस्तार प्रणाली का शीर्ष विस्तार एवं नवीकरण करना। इसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केन्द्र शामिल होंगे तथा पशु संसाधन विकास, प्रत्येक जिले में मृदा-परीक्षण क्षमता विस्तार और इनपुट गुणवत्ता परीक्षण हेतु सुविधाएं शामिल होंगी। जहां संभव हो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(6) वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (यदि अभी तक नहीं हुआ है) पर हस्ताक्षर में तेजी लाना तथा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु मॉनीटरिंग योग्य सीमा निर्धारित करना जिससे कि सहकारिता क्रेडिट संरचना का नवीकरण किया जा सके।

(7) एपीएमसी अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया पूरा करके तत्पश्चात् उसके नियमों को अधिसूचित करके आधुनिक विपणन के विकास को प्रोत्साहित करना तथा किसान सहकारिताओं, संविदा कृषि तथा राज्यों द्वारा किये जा रहे अन्य उपायों सहित विविध उपस्करों के माध्यम से विपणन लिंकेजेज के विकास को भी बढ़ावा देना संशोधित एपीएमसी विधान के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया वर्ष 2007-08 के दौरान पूरी कर ली जानी चाहिए।

इन उपायों को कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ठोस प्रस्तावों को यथा संभव शीघ्र ही विस्तृत रूप से वर्णित किया जाएगा।

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में आबू माउंटेन

1533. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से आबू माउंटेन को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

भारत के वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

1534. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के वन क्षेत्र को 21% से बढ़ाकर 33% करने हेतु सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन और वृक्षावरण में वृद्धि करने के लिए अवक्रमित भूमियों पर वनीकरण करने के लिए बहु-स्टेक होल्डर सहभागिता (एम एस पी) के लिए एक ढांचा हस्ताक्षेप के रूप में तैयार किया है। इस प्रस्तावित ढांचे में भू-स्वामित्व अभिकरण, स्थानीय ग्राम समुदाय और प्रयोजक के बीच त्रिपक्षीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जो कि एक कम्पनी, फर्म, उपयोगिता ग्रुप, ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में संगठन हो सकता है।

[हिन्दी]

नाको द्वारा यौन शिक्षा की समीक्षा

1535. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने कई राज्यों द्वारा उठाई आपत्तियों के मद्देनजर यौन शिक्षा प्रदान किए जाने की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाको ने इस संबंध में किन्हीं सुझावों का प्रस्ताव रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नाको ने राज्य सरकारों के विचारार्थ प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने मौजूदा शैक्षिक विषयों की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय किशोर शिक्षा कार्यक्रम साधन समीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें शिक्षाविद, शिक्षाशास्त्री, शिशु मनोविज्ञानी, शिशु मनिश्चकित्सक, संप्रेषण विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा केन्द्रीय माध्यिमिक शिक्षा बोर्ड हैं। समिति की प्रथम बैठक 8 अगस्त, 2007 को आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य सरकारों और कार्यान्वयन अभिकरणों के मार्ग दर्शन के लिए किशोर शिक्षा कार्यक्रम की विषयवस्तुओं तथा शैक्षणिक मामलों पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया। यह दिशानिर्देश (क) नाको, यूनिसेफ, मानव, संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (ग) विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (विमहांस) के सहयोग से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; और (घ) दिल्ली राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित युवा माड्युल द्वारा तैयार किशोर शिक्षा कार्यक्रम सामग्रियों की समीक्षा पर आधारित होगा।

(ङ) और (च) जी, हां। जिन राज्यों ने इस कार्यक्रम को रोक दिया है उनके मुख्यमंत्रियों को संबोधित पत्र में शिक्षकों एवं माता-पिता को शामिल करके एक समिति बनाने की सिफारिश की गई जो किसी प्रकार का बदलाव करने का सुझाव देने के लिए माड्युलों की समीक्षा करेंगे। नाको ने जरूरी प्रविधिक सहायता देने की पेशकश की है।

महात्मा गांधी के पत्र की नीलामी

1536. **श्री रशीद मसूद:**
श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए अंतिम पत्र की नीलामी हेतु कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन पत्रों को खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी नहीं। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी किसी कार्रवाई की पहल नहीं की है। तथापि, हाल के एक उदाहरण में भारत सरकार ने 11 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक लेख की पांडुलिपियां प्राप्त की है जिसकी प्रारंभ में लंदन, यू.के. के क्रिस्टीज ऑक्सन हाउस में नीलामी की जानी थी। इन पांडुलिपियों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष द्वारा 31 जुलाई, 2007 को नवजीवन ट्रस्ट को सौंप दिया गया। बाद में नवजीवन ट्रस्ट ने इन पांडुलिपियों को नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय को सौंप दिया।

राज्यों हेतु विशेष पैकेज

1537. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री मित्रसेन यादव:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री मोहन सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों विशेषकर उत्तर प्रदेश और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और किन-किन राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज और अन्य सहायता दी गई है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों को विशेष पैकेज देने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक पैकेज देने जैसे प्रस्तावों का अध्ययन कराने के लिए कोई समिति गठित की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) विकास स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु विशेष आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त हुए हैं।

राज्य का नाम	अनुरोध की गई राशि
उत्तर प्रदेश (वर्ष 2004 में)	18.230.00 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश (वर्ष 2007 में)	79,880.87 करोड़ रुपये
उत्तराखंड	130.54 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़	1435.00 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश	उल्लेख नहीं
उड़ीसा	13096.00 करोड़ रुपये
झारखंड	2040.00 करोड़ रुपये

(ग) भारत सरकार सामान्यत: राज्य-विशिष्ट विशेष आर्थिक पैकेज के लिए निधियाँ जारी नहीं करती। तथापि, जब मौजूदा कार्यक्रमों/स्कीमों द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाता है तो वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-विशिष्ट आवश्यकता आधारित विशेष वितरण किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) योजना आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देल खण्ड और पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए "विशेष क्षेत्र प्रोत्साहन पैकेज" की मांग संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पैकेज में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित रियायतें शामिल होंगी।

(1) 10 वर्ष के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट;

(2) पहले पांच वर्षों के लिए आय कर में 100% और अगले पांच वर्षों के लिए 30% की छूट;

(3) पूंजी निवेश पर 15% सब्सिडी जो अधिकतम 30 लाख रुपये तक होगी। उत्तर प्रदेश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया है। दल द्वारा कार्यनीति पत्र 30 अक्टूबर, 2007 तक प्रस्तुत किया जाना प्रत्याशित है।

(च) योजना आयोग द्वारा राज्यों को आर्थिक पैकेज प्रदान करने के लिए ऐसे प्रस्तावों के अध्ययन हेतु इस प्रकार की किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रण रेखा

1538. श्री कीरेन रिजीजू:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री निखिल कुमार:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा को शांति रेखा मानने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान सरकार के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मुद्दे पर हुई वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई, 2007 को जम्मू विश्वविद्यालय में अपने दीक्षांत भाषण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि विचारों, सामानों सेवाओं और लोगों की अपेक्षाकृति मुक्त आवाजाही से नियंत्रण रेखा शांति रेखा बन सकती है। विचारों, सामानों, सेवाओं और लोगों की सीमा के पार अधिक आवाजाही के लिए अनेक विश्वासोत्पादक उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें (i) 25 नवम्बर, 2003 के बाद से युद्ध विराम, (ii) श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा (7 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ, (iii) अक्तूबर, 2005 के भूकंप के बाद खोले गए नियंत्रण रेखा के पार जाने और मुलाकात करने के बिंदु (iv) पुंछ-रावल-कोट बस सेवा (2 जून, 2006 को प्रारंभ) और (v) नियंत्रण रेखा के पास व्यापार पर करार शामिल हैं।

ऐसे विश्वासोत्पादक उपायों का विस्तार करने का पहले ही सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि कारगिल-स्कार्दु और जम्मू-स्यालकोट को भी शीघ्र ही खोला जाना चाहिए।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय

1539. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और ऐसे महाविद्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंन्द्र सरकार देश में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन महाविद्यालयों को राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) आयुर्वेदिक कालेजों की राज्य-वार स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	आयुर्वेदिक कॉलेजों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	1
3.	बिहार	11
4.	छत्तीसगढ़	3
5.	दिल्ली	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	12
8.	हरियाणा	6
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू-कश्मीर	1
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	53
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	17
15.	महाराष्ट्र	62
16.	उड़ीसा	6
17.	पंजाब	12
18.	राजस्थान	6
19.	तमिलनाडु	6
20.	उत्तरांचल	4
21.	उत्तर प्रदेश	15
22.	पश्चिम बंगाल	3
23.	चंडीगढ़	14
	भारत में कुल	242

स्रोत: भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम)

(ख) और (ग) सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और शिलांग में उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार ने देश में प्रत्यक्ष: अन्य आयुर्वेद कॉलेज खोलने की कोई नीतिगत आवश्यकता महसूस नहीं करती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेजों को स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने वाले निजी पक्षों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेजों को स्थापित करने के संबंध में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। देश में विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक कॉलेजों को प्रदत्त वित्तीय सहायता संबंधी राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आयुष विभाग

विगत 3 वर्षों (2004-07) के दौरान आयुष संस्थानों को निर्गत सहायता अनुदान

क्र.सं.	कॉलेज/संस्थान का नाम	राज्य का नाम	स्कीम का नाम	संस्वीकृति राशि (रु. लाखों में)	वित्तीय वर्ष	पद्धति
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजकीय डा. एन.आर.एस. आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	आरओपीटी/सीएमई	0.50	2004-05	आयु

1	2	3	4	5	6	7
2.	राजकीय डा. एन.आर.एस. आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	आरओपीटी/सीएमई	0.93	2004-05	आयु.
3.	ए.एल. राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वारंगल	आंध्र प्रदेश	आरओपीटी/सीएमई	0.50	2004-05	आयु.
4.	ए.एल. राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वारंगल	आंध्र प्रदेश	आरओपीटी/सीएमई	0.93	2004-05	आयु.
5.	बी.आर.के.आर. आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, इरगड्डा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	आरओपीटी/सीएमई	0.50	2004-05	आयु.
6.	बी.आर.के. आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, इरगड्डा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	आरओपीटी/सीएमई	0.93	2004-05	आयु.
7.	बी.आर.के.आर. आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, इरगड्डा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	100	2004-05	आयु.
8.	बी.आर.के.आर. आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, इरगड्डा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	यूजी	37	2004-05	आयु.
9.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहाटी	असम	आरओटीपी/सीएमई	1.02	2004-05	आयु.
10.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज गुवाहाटी	असम	आरओटीपी/सीएमई	0.93	2004-05	आयु.
11.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहाटी	असम	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	67	2004-05	आयु.
12.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहाटी	असम	यूजी	50	2004-05	आयु.
13.	एनपीए राजकीय आयुर्वेद कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	जीर्णोद्धार	17.59	2004-05	आयु.
14.	एनपीए राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़	असम	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	90	2004-05	आयु.
15.	अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	दिल्ली	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2004-05	आयु.
16.	अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	दिल्ली	आरओटीपी/सीएमई	0.51	2004-05	आयु.
17.	आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज, रा.राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	दिल्ली	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	147	2004-05	आयु.
18.	राजकीय अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज, अहमदाबाद	गुजरात	पीजी	9.38	2004-05	आयु.
19.	राजकीय अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज, अहमदाबाद	गुजरात	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	150	2004-05	आयु.
20.	आईपीजीटी एंड आरए, जामनगर	गुजरात	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2004-05	आयु.

1	2	3	4	5	6	7
21.	श्री बाल हनुमान आयुर्वेद कॉलेज एंड हास्पिटल, गुजरात	गुजरात	यूजी	14.45	2004-05	आयु
22.	राजीव गांधी राजकीय पीजी आयुर्वेद कॉलेज, पपरोला	हिमाचल प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2004-05	आयु
23.	राजीव गांधी राजकीय पीजी आयुर्वेद कॉलेज, पपरोला	हिमाचल प्रदेश	पीजी	56.9	2004-05	आयु
24.	अमरूथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक	कर्नाटक	यूजी	12	2004-05	आयु
25.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, बेंगलोर	कर्नाटक	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	62.5	2004-05	आयु
26.	श्री बी एम कंकावाड़ी आयुर्वेद कॉलेज, शाहपुर, बेलगाम	कर्नाटक	यूजी	32	2004-05	आयु
27.	श्री कालीदास आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बदामी	कर्नाटक	यूजी	12	2004-05	आयु
28.	श्री शिवयोगेश्वर रूरल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेलगाम, कर्नाटक	कर्नाटक	यूजी	12	2004-05	आयु
29.	श्री डीजीएम आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गडग	कर्नाटक	यूजी	18.05	2004-05	आयु
30.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, कन्नूर, परियाराम	केरल	पीजी	44.86	2004-05	आयु
31.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, तिरूवनंतपुरम	केरल	पीजी	12.6	2004-05	आयु
32.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, तिरूवनंतपुरम	केरल	आरओटीपी/सीएमई	1.96	2004-05	आयु
33.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, त्रिपुनीथुरा, एर्नाकुलम	केरल	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2004-05	आयु
34.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, त्रिपुनीथुरा, एर्नाकुलम	केरल	जीर्णोद्धार	2.41	2004-05	आयु
35.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, धनवंतरि नगर, त्रिपुनीथुरा	केरल	यूजी	38	2004-05	आयु
36.	वैद्यनाथम आयुर्वेद कॉलेज, उल्लूर, तिक्काशुर, केरल	केरल	यूजी	23.5	2004-05	आयु
37.	वीपीएस वरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल	केरल	पीजी	7.3	2004-05	आयु
38.	वीपीएस वरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल	केरल	यूजी	37	2004-05	आयु
39.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.02	2004-05	आयु
40.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन	मध्य प्रदेश	पीजी	33.54	2004-05	आयु

1	2	3	4	5	6	7
41.	राजकीय आयुर्वेद, कॉलेज उज्जैन	मध्य प्रदेश	यूजी	15	2004-05	आयु
42.	राजकीय (आटो) आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.03	2004-05	आयु
43.	राजकीय (आटो) आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	यूजी	62	2004-05	आयु
44.	राजकीय (आटो) आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	यूजी	25	2004-05	आयु
45.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.03	2004-05	आयु
46.	पं. खुशी लाल शर्मा, राजकीय (आटो) आयुर्वेद महाविद्यालय, (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.97	2004-05	आयु
47.	दादासाहेब स्वरूप सिंह नायक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	महाराष्ट्र	यूजी	2	2004-05	आयु
48.	आरए पोद्दार मेमोरियल कॉलेज एंड एमए पोद्दार हॉस्पिटल, वर्ली, मुंबई	महाराष्ट्र	जीर्णोद्धार	20	2004-05	आयु
49.	वाईएमटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, खारगढ़, नवी मुंबई	महाराष्ट्र	यूजी	12	2004-05	आयु
50.	गोपबंधु आयुर्वेद कॉलेज, पुरी उड़ीसा	उड़ीसा	स्टेट मॉडल इंस्टट्यूट	100	2004-05	आयु
51.	दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जालंधर-8	उड़ीसा	यूजी	12	2004-05	आयु
52.	श्री धनवंतरि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्टिल, छत्तीसगढ़	पंजाब	यूजी	12	2004-05	आयु
53.	एमएमएम स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	150	2004-05	आयु
54.	एनआईए, जयपुर	राजस्थान	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2004-05	आयु
55.	आयुर्वेद खंड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, त्रिपुरा सरकार	त्रिपुरा	आरओटीपी/सीएमई	0.51	2004-05	आयु
56.	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	त्रिपुरा	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2004-05	आयु
57.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	0.93	2004-05	आयु
58.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	0.93	2004-05	आयु
59.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	100	2004-05	आयु

1	2	3	4	5	6	7
60.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बांदा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	0.93	2004-05	आयु.
61.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.02	2004-05	आयु.
62.	ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार	उत्तरांचल	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	50	2004-05	आयु.
63.	राजकीय जे बी राय स्टेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कोलकत्ता	प. बंगाल	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	100	2004-05	आयु.
64.	इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी आयुर्वेदिक एजूकेशन एंड रिसर्च एट श्यामदास वैद्य सस्त्रपीठ, पं.बंगाल	प. बंगाल	आरओटीपी/सीएमई	1.97	2004-05	आयु.
65.	जे बी राय स्टेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, कोलकात्त	पं. बंगाल	जीर्णोद्धार	20	2004-05	आयु.
66.	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज, कोलकात्त	प.बंगाल	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2004-05	आयु.
67.	अनंत लक्ष्मी राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वारंगल, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	यूजी	62.00	2005-06	आयु.
68.	बीआरकेआर राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	100.00	2005-06	आयु.
69.	एनआरएस राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	0.50	2005-06	आयु.
70.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहाटी	असम	पीजी	20.66	2005-06	आयु.
71.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, पटना	बिहार	स्टेट मॉडल इंस्टीटयूट	200.00	2005-06	आयु.
72.	गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रिसर्च सेंटर, शोरदा, गोवा प्रा.	गोवा	यूजी	12.00	2005-06	आयु.
73.	राजकीय अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज, अहमदाबाद	गुजरात	पीजी	2.39	2005-06	आयु.
74.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, अजवा रोड, वडौदरा, गुजरात	गुजरात	यूजी	12.00	2005-06	आयु.
75.	राजकीय जे.पी, आयुर्वेद कॉलेज, तपीबाई, आयुर्वेदिक कॉलेज, भावनगर, गुजरात	गुजरात	यूजी	60.00	2005-06	आयु.
76.	गुजरात बोर्ड ऑफ आयुर्वेद एवं यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, अहमदाबाद, गुजरात.	गुजरात	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु.
77.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, नदीयाड़, गुजरात	गुजरात	यूजी	37.00	2005-06	आयु.
78.	श्री ओ.एच. नजर आयु. कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात	गुजरात	यूजी	12.00	2005-06	आयु.

1	2	3	4	5	6	7
79.	गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद एवं फिजियोथिरेपी कॉलेज, रोहतक, हरियाणा	हरियाणा	यूजी	12.00	2005-06	आयु
80.	श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कुरूक्षेत्र	हरियाणा	आरओटीपी/सीएमई	5.80	2005-06	आयु
81.	राजीव गांधी राजकीय पी.जी. आयुर्वेद कॉलेज, पपरोला	हिमाचल प्रदेश	पीजी	27.40	2005-06	आयु
82.	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यो. निदेशालय, जम्मू व कश्मीर सरकार	जम्मू एंड कश्मीर	आरओटीपी/सीएमई	3.73	2005-06	आयु
83.	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यो. निदेशालय, जम्मू व कश्मीर सरकार	जम्मू एंड कश्मीर	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु
84.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, चाईबासा, झारखंड.	झारखंड	आरओटीपी/सीएमई	2.94	2005-06	आयु
85.	आयुर्वेद महाविद्यालय, हिंगरी एक्सटेंशन, हुबली, कर्नाटक.	कर्नाटक	यूजी	35.00	2005-06	आयु
86.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, बेंगलोर	कर्नाटक	आरओटीपी/सीएमई	3.97	2005-06	आयु
87.	राजकीय त्रयनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, बेल्लारी, कर्नाटक	कर्नाटक	जीर्णोद्धार	20.00	2005-06	आयु
88.	एस.जी.वी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भेलहोंगल, बेलगाम-591102 कर्नाटक	कर्नाटक	यूजी	10.00	2005-06	आयु
89.	श्री डीजीएम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गदग, कर्नाटक	कर्नाटक	यूजी	18.95	2005-06	आयु
90.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, कन्नूर, परियाराम	केरल	पीजी	20.16	2005-06	आयु
91.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, तिरूवनंतपुरम	केरल	पीजी	43.00	2005-06	आयु
92.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, तिरूवनंतपुरम	केरल	जीर्णोद्धार	17.59	2005-06	आयु
93.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज, उल्लूर, केरल	केरल	यूजी	9.90	2005-06	आयु
94.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज, उल्लूर, केरल	केरल	यूजी	2.00	2005-06	आयु
95.	वैद्यरत्नम पीएस वरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल	केरल	जीर्णोद्धार	2.50	2005-06	आयु
96.	वैद्यरत्नम पीएस वरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल	केरल	पीजी	7.82	2005-06	आयु
97.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, भोपाल मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु
98.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.00	2005-06	आयु
99.	राजकीय आटो आयुर्वेद कॉलेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	यूजी	61.99	2005-06	आयु

1	2	3	4	5	6	7
100.	राजकीय स्वायत्त अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इन्दौर, जवाहरलाल मेमोरियल अस्पताल रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	जीर्णोद्धार	20.00	2005-06	आयु
101.	राजकीय आटो आयुर्वेद कॉलेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु
102.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, रीवा, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	कंप्यूटर लैब	10.00	2005-06	आयु
103.	राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	जीर्णोद्धार	20.00	2005-06	आयु
104.	राजकीय आटो धनवन्तरि आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्टिल, उज्जैन	मध्य प्रदेश	कंप्यूटर लैब	10.00	2005-06	आयु
105.	पं शिवनाथशास्त्री स्वायत्त आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	यूजी	34.00	2005-06	आयु
106.	श्री पं शिवनाथ शास्त्री स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	यूजी	20.00	2005-06	आयु
107.	आयुर्वेद प्रसारक मंडल, आयुर्वेद महाविद्यालय, सियोन, मुंबई	महाराष्ट्र	यूजी	37.00	2005-06	आयु
108.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	यूजी	43.36	2005-06	आयु
109.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, वजीराबाद, नांदेड, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	कंप्यूटर लैब	10.00	2005-06	आयु
110.	गोपबंधु आयुर्वेद कॉलेज, पुरी, उड़ीसा	उड़ीसा	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	50.00	2005-06	आयु
111.	श्री सत्य साईं मुरलीधर कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मोगा, पंजाब	पंजाब	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु
112.	राजकीय आयुर्वेदिक नर्स/कंपाउंडर ट्रेनिंग सेंटर लोंगिया, अजमेर, राजस्थान	राजस्थान	आरओटीपी/सीएमई	4.66	2005-06	आयु
113.	एनआईए, जयपुर	राजस्थान	आरओटीपी/सीएमई	4.76	2005-06	आयु
114.	बुंदेलखंड स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, झांसी	उत्तर प्रदेश	जीर्णोद्धार	20.00	2005-06	आयु
115.	बुंदेलखंड स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, झांसी	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	2.07	2005-06	आयु
116.	इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, बीएचयू, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	कंप्यूटर लैब	10.00	2005-06	आयु
117.	ललित हरि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	कंप्यूटर लैब	10.00	2005-06	आयु
118.	ललित हरि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	यूजी	50.00	2005-06	आयु

1	2	3	4	5	6	7
119.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2005-06	आयु.
120.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, हांडिया, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	0.93	2005-06	आयु.
121.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, हांडिया इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु.
122.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, हांडिया, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.00	2005-06	आयु.
123.	स्वामी कल्याण देव स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.00	2005-06	आयु.
124.	ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार उत्तराखंड	उत्तराखंड	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु.
125.	ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार उत्तराखंड	उत्तराखंड	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु.
126.	ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार, उत्तराखंड	उत्तराखंड	आरओटीपी/सीएमई	2.83	2005-06	आयु.
127.	ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार, उत्तराखंड	उत्तराखंड	आरओटीपी/सीएमई	4.14	2005-06	आयु.
128.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार	उत्तराखंड	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2005-06	आयु.
129.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार	उत्तराखंड	आरओटीपी/सीएमई	1.86	2005-06	आयु.
130.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार	उत्तराखंड	आरओटीपी/सीएमई	4.14	2005-06	आयु.
131.	बेली शंकरपुर राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, प. बंगाल	प. बंगाल	आरओटीपी/सीएमई	0.93	2005-06	आयु.
132.	इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी आयुर्वेद एजूकेशन एंड रिसर्च एट श्यामदास वैद्य शास्त्रपीठ, कोलकाता	प. बंगाल	आरओटीपी/सीएमई	1.97	2005-06	आयु.
133.	राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बेल्लारी, शंकरपुर, प.बंगाल	प. बंगाल	यूजी	12.00	2005-06	आयु.
134.	बीआरकेआर राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	यूजी	25.00	2006-07	आयु.
135.	आर्य कन्या शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय, करेली वडोदरा	गुजरात	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
136.	श्री बाल हनुमान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, लखेरा	गुजरात	यूजी	26.85	2006-07	आयु.
137.	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद एंड यूनानी बोर्ड, शिमला	हिमाचल प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	4.00	2006-07	आयु.
138.	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कुरुक्षेत्र	हरियाणा	जीर्णोद्धार	20.00	2006-07	आयु.

1	2	3	4	5	6	7
139.	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कुरूक्षेत्र	हरियाणा	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	200.00	2006-07	आयु.
140.	श्री मारू सिंह मेमोरियल महिला आयुर्वेद कॉलेज, खानपुर, सोनीपत	हरियाणा	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
141.	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कुरूक्षेत्र	हरियाणा	यूजी	62.00	2006-07	आयु.
142.	श्री विजय महंतेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इल्कल	कर्नाटक	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2006-07	आयु.
143.	श्री विजय महंतेश आयुर्वेदिक कॉलेज, इल्कल	कर्नाटक	आरओटीपी/सीएमई	2.80	2006-07	आयु.
144.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मैसूर	कर्नाटक	जीर्णोद्धार	20.00	2006-07	आयु.
145.	एवीएस आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल, विद्यानगर, बगलकोट रोड	कर्नाटक	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
146.	एवीएस आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल, विद्यानगर, बगलकोट रोड	कर्नाटक	यूजी	25.34	2006-07	आयु.
147.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मैसूर	कर्नाटक	यूजी	50.00	2006-07	आयु.
148.	केवीजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सूलिया	कर्नाटक	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
149.	रामकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बेंगलोर	कर्नाटक	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
150.	श्री बाहुबलि विद्यापीठ जेवी मंडल ग्रामीण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तेरदल	कर्नाटक	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
151.	श्री जगद्गुरू गवी सिद्धेश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोप्पल	कर्नाटक	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
152.	एसवीपी रूरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बदामी	कर्नाटक	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
153.	वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज, ओल्लूर, केरल	केरल	यूजी	26.50	2006-07	आयु.
154.	राजकीय आटो धनवन्तरि आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उज्जैन	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2006-07	आयु.
155.	राजकीय धनवन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	पीजी	12.87	2006-07	आयु.
156.	राजकीय आटो धनवन्तरि आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उज्जैन	मध्य प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	3.73	2006-07	आयु.
157.	राजकीय आटो धनवन्तरि आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उज्जैन	मध्य प्रदेश	स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट	150.00	2006-07	आयु.

1	2	3	4	5	6	7
158.	रामराव पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रूगणालय, पूर्णा, जिला प्रभानी	महाराष्ट्र	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
159.	सेठ गोविंद जी राव जी आयुर्वेद महाविद्यालय, सोलापुर	महाराष्ट्र	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
160.	श्री केदारी रेडकर आयुर्वेद कॉलेज, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
161.	श्री अन्नासाहेब डांगे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, सांगली	महाराष्ट्र	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
162.	विदर्भ आयुर्वेद कॉलेज, अमरावती	महाराष्ट्र	यूजी	42.00	2006-07	आयु.
163.	उड़ीसा मेडिकल कॉलेज एंव रिसर्च, सम्बलपुर	उड़ीसा	यूजी	62.00	2006-07	आयु.
164.	राजकीय नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, अजमेर	राजस्थान	आरओटीपी/सीएमई	2.00	2006-07	आयु.
165.	एमएमएम राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, उदयपुर	राजस्थान	कंप्यूटर लैब	10.00	2006-07	आयु.
166.	राजकीय नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, अजमेर	राजस्थान	आरओटीपी/सीएमई	4.66	2006-07	आयु.
167.	ललित हरी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.00	2006-07	आयु.
168.	ललित हरी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.97	2006-07	आयु.
169.	अलीगढ़ यूनानी एवं एवं आयुर्वेद मेडिकल एवं हॉस्पिटल, अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
170.	बीएचयू, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	यूजी	214.00	2006-07	आयु.
171.	एसआरएम स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, बरेली	उत्तर प्रदेश	यूजी	12.00	2006-07	आयु.
172.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, झाँसी, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	यूजी	62.00	2006-07	आयु.
173.	ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार उत्तराखंड	उत्तराखंड	स्टेट इंस्टीटयूट	125.00	2006-07	आयु.
174.	ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार उत्तराखंड	उत्तराखंड	यूजी	62.00	2006-07	आयु.
175.	राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बेल्लारी, शंकरपुर, प. बंगाल	प. बंगाल	आरओटीपी/सीएमई	1.97	2006-07	आयु.
				4420.64		

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं हेतु अनुदान

1540. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने गरीब और सीमांत वर्गों हेतु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुलभ कराने और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्रात करने हेतु भारत को 2000 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है जैसाकि दिनांक 15 जून, 2007 को "द हिंदू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अनुदान के उपयोग हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें इनका उपयोग किया जाएगा; और

(ङ) प्रत्येक राज्य को प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां।

निधियों का उपयोग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य स्तर पर चलाई जा रही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच-III) परियोजना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के लिए किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां।

अनुदान का उपयोग निम्नलिखित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए किया जाएगा:

(i) प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-आरसीएच-II

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का द्वितीय चरण शामिल है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II 01.04.2005 से पांच वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात को कम करना है। कार्यक्रम के अधीन राज्यों को अन्य के साथ-साथ आवश्यकता आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है जो इस प्रकार है: (i) गर्भ निरोधन के लिए अपूरित जरूरत पर ध्यान देना; (ii) जन्म के समय दक्ष परिचर्या को बढ़ावा देना; (iii) रोग प्रतिरक्षण की कवरेज को बढ़ाना; (iv) नवजात और बचपन की बीमारियों का एकीकृत उपचार शुरू करना; (v) सांस्थानिक प्रसवों और आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए सुविधाएं बढ़ाना; (vi) सामुदायिक स्तर पर गर्भवती महिलाओं को दक्ष परिचर्या प्रदान करना; (vii) प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर परिचर्या कवरेज में वृद्धि करना; और (viii) उनकी जनसंख्या में अन्य संबद्ध प्रजनन, मातृ और बाल स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतों पर ध्यान देना। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि और डीएफआईडी द्वारा सहायता दी जा रही है। कार्यक्रम के लिए डीएफआईडी की सहायता को बढ़ा कर तकनीकी सहयोग के लिए 7 मिलियन पौंड सहित 252 मिलियन पौंड किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किया जाएगा। और परियोजना 2006-2010 की अवधि के लिए होगी।

(ii) आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

परियोजना लागत 40 मिलियन पौंड है (आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम की बजटीय सहायता के लिए 38 मिलियन पौंड और तकनीकी सहयोग के लिए 2 मिलियन पौंड)। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं और परियोजना उसके बाद शुरू होगी।

(iii) उड़ीसा स्वास्थ्य क्षेत्र योजना

डीएफआईडी सहायता 50 मिलियन पौंड की होगी (47.50 पौंड मिलियन उड़ीसा स्वास्थ्य क्षेत्रक योजना पर अमल के लिए प्रत्यक्ष बजटीय सहायता से और 2.5 मिलियन पौंड तकनीकी सहयोग के लिए) परियोजना को अनुमोदित किया जाना है और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। इसके बाद ही इस पर काम शुरू होगा।

(iv) मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधार कार्यक्रम

परियोजना की लागत 60 मिलियन पौंड है (56 मिलियन पौंड मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधार कार्यक्रम में बजटीय सहायता के लिए और 4 मिलियन पौंड तकनीकी सहयोग के लिए) परियोजना को अनुमोदित किया जाना है और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। उसके बाद ही इस पर कार्य शुरू होगा।

(v) पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य प्रणाली विकास में पहलें

100 मिलियन पौंड (97.5 मिलियन पौंड की वित्तीय और 2.5 पौंड मिलियन की तकनीकी सहयोग निधियां) कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा जुलाई, 2005 में कराई गई।

(vi) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी)3

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 3 को डीएफआईडी तथा विश्व बैंक सहायता से दो कार्यनीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है: (क) अधिक जोखिम वाले समूहों और आम जनता में नए संक्रमणों की रोकथाम के कार्यक्रमों में तेजी लाकर व्यवहार में बदलाव लाना; और (ख) एचआईवी से ग्रस्त लोगों के लिए परिचर्यागत सहायता व उपचार में वृद्धि करना।

95 मिलियन पौंड की डीएफआईडी निधियां विश्व बैंक में प्राप्त की जाएंगी। डीएफआईडी प्रविधिक सहायता में 7 मिलियन पौंड की अदायगी भी करेगी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको)

में सहायता के लिए तकनीकी संसाधन प्राप्त करने में 5 मिलियन पौंड उपयोगी होगें जिन्हें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 3 को दिया जाएगा। शेष 2 मिलियन पौंड को भारत में एचआईवी/एड्स के लिए प्रथम यूएन ज्वाइंट सपोर्ट प्लान में सहायतार्थ भेजा जाएगा।

(ङ) परियोजना सं. (i) में प्रत्येक राज्य को देने के लिए प्रस्तावित रकम उपाबंध पर है। परियोजना (ii) से (vi) तक की धनराशियां भाग (घ) के उत्तर में प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत उल्लिखित की गई हैं।

आर सी एच कार्यक्रम फ्लेक्सिबल पूल–2007-10 के लिए आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	राज्यवार निधियों का आवंटन 2007-08	राज्यवार निधियों का आवंटन 2008-09	राज्यवार निधियों का आवंटन 2009-10
1	2	3	4	5
	क. ईएजी राज्य			
1.	बिहार	144.32	160.26	176.2
2.	झारखंड	46.86	40.21	44.21
3.	मध्य प्रदेश	105.15	52.03	57.21
4.	छत्तीसगढ़	36.21	116.76	128.38
5.	उड़ीसा	63.92	70.98	78.04
6.	राजस्थान	98.34	109.2	120.06
7.	उत्तर प्रदेश	289.15	321.08	353.02
8.	उत्तराखंड	14.77	16.4	18.03
	उप-योग	798.71	886.92	975.14
	ख. अन्य राज्य			
9.	आंध्र प्रदेश	101.43	112.64	123.84
10.	गुजरात	67.77	75.26	82.74
11.	हरियाणा	28.24	31.36	34.48
12.	हिमाचल प्रदेश	8.14	9.04	9.94
13.	जम्मू-कश्मीर	13.49	14.98	16.47
14.	कर्नाटक	70.64	78.44	86.24
15.	केरल	42.65	47.36	52.07
16.	महाराष्ट्र	129.60	143.91	158.22
17.	पंजाब	32.53	36.13	39.72
18.	तमिलनाडु	83.20	92.38	101.57
19.	पश्चिम बंगाल	107.45	119.32	131.19
	उप-योग	685.14	760.81	836.48

1	2	3	4	5
	ग. संघ राज्य क्षेत्र			
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.48	0.53	0.58
21.	चंडीगढ़	1.21	1.34	1.47
22.	दादरा और नगर हवेली	0.30	0.33	0.36
23.	दमन और दीव	0.21	0.24	0.26
24.	दिल्ली	18.46	20.5	22.54
25.	गोवा	1.80	2	2.2
26.	लक्षद्वीप	0.08	0.09	0.1
27.	पांडिचेरी	1.30	1.45	1.59
	उप-योग	23.84	26.47	29.10
	घ. पूर्वोत्तर राज्य			
28.	अरुणाचल प्रदेश	4.68	5.19	5.71
29.	असम	114.18	126.79	139.4
30.	मणिपुर	10.24	11.37	12.5
31.	मेघालय	9.88	10.98	12.07
32.	मिजोरम	3.82	4.241	4.66
33.	नागालैंड	8.52	9.47	10.41
34.	सिक्किम	2.32	2.57	2.83
35.	त्रिपुरा	13.68	15.19	16.7
	उपयोग	167.32	185.80	204.28
	महा-योग	1675.00	1860.00	2045.00

जी-8 शिखर सम्मेलन

1541. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जर्मनी में हुए जी-8 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई और इसमें भारत द्वारा महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर क्या रूख अपनाया गया है;

(ग) जी-8 शिखर सम्मेलन में क्या घोषणा की गई और इसका विकासशील देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या जी-8 के कई सदस्यों ने विकासशील देशों की पूर्ण सदस्यता का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भारत जी-8 द्वारा अपनाए गए फार्मेट से निराश था;

(छ) क्या भारत ने जी-5 विकासशील देशों की चिंताओं को जी-8 से सम्मुख रखा है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस पर जी-8 की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (झ) प्रधानमंत्री ने 8 जून, 2007 को हेलीजेंडम, जर्मनी में जी-8 और पांच आउटरीच देशों (ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिकों और दक्षिण अफ्रीका) के शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा समुपयोग और दोहा दौरे की वार्ता के निष्कर्षों पर बोले। हेलीजेंडम बैठक में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप विवरण के रूप में संलग्न है। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि विकासशील देशों में संवृद्धि और विकास की संभावनाएं किसी भी प्रकार उपेक्षित अथवा बाधित नहीं हों। जी-8 और पांच आउटरीच देश निम्नलिखित को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय वार्ता आरम्भ करने पर सहमत हैं (क) नवीकरण का प्रवर्तन और संरक्षक; (ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने सहित मुक्त निवेश परिवेश के माध्यम से निवेश की स्वतंत्रता का संवर्धन; (ग) ऊर्जा समुपयोग में सुधार हेतु जानकारी का आदान-प्रदान और जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर ग्लेनइगलस वार्ता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर सेंट पीटर्सबर्ग कार्रवाई योजना के अनुरूप कार्बन-डाई-ऑक्साइड स्रावों में कटौती में योगदान के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी सहयोग; और (घ) अफ्रीका को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए विकास हेतु समान उत्तरदायित्वों को परिभाषित करना।

विकासशील देशों की सदस्यता पर कोई चर्चा नहीं हुई।

पांच आउटरीच देशों ने एक संयुक्त स्थिति पत्र जारी किया जिसमें आर्थिक विकास, वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतराष्ट्रीय प्रवास, जलवायु परिवर्तन और दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे मुद्दे शामिल किए गए थे।

विवरण

हेलीजेंडम बैठक में जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप

08.06.2007

चांसलर महोदया,

मैं इस मसले को उठाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो हमारे और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज रचनात्मक विचार-विमर्श के लिए आपके विचार, प्रधानमंत्री ब्लेयर, राष्ट्रपति बुश और प्रधानमंत्री अबे के विचार हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं।

अपने बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए अपनी पृथ्वी को सुरक्षित बनाने में हम सभी के निहित स्वार्थ हैं।

प्रति व्यक्ति के संदर्भ में भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह उत्सर्जन दुनिया के उत्सर्जन का लगभग 4% है, हम जो कार्रवाई करेंगे उसका समग्र उत्सर्जन पर मामूली प्रभाव होगा।

इसके बावजूद एक विकासशील देश के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे मन से स्वीकार करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ रचनात्मक और उपयोगी कार्य करना चाहते हैं तथा पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान देना चाहते हैं।

हमारा दृढ़ संकल्प है कि भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विकास और आर्थिक विकास की नीतियां जारी रखने के बावजूद विकसित देशों के उत्सर्जन स्तर से अधिक नहीं होगा।

हमें संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए परिणाममूलक और व्यावहारिक समाधान तलाशने के लिए मिलकर काम करना होगा।

इनमें उचित भागीदारी के साथ प्रशमन और अनुकूलन रणनीतियां तथा खपत और उत्पादन की पोषणीय पद्धति लागू करने के उपाय होने चाहिए।

जिम्मेदारी के बंटवारे की प्रक्रिया न्यायोचित होनी चाहिए। इसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के वर्तमान स्तरों के लिए प्राथमिक जिम्मेदार किसकी है तथा विकासशील देशों में गरीबी को स्थायी नहीं बनाया जाना चाहिए। कोई भी रणनीति, तेजी से सामाजिक और आर्थिक विकास की उनकी संभावनाओं को प्रतिबंधित न करे।

साझा और अलग-अलग जिम्मेदारी और अलग-अलग क्षमता का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है।

विकासशील देशों के लिए मात्रा संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने का अभी उचित समय नहीं है क्योंकि उनकी विकास प्रक्रिया पर इनका प्रतिकूल प्रभाव होगा।

विकासशील देशों के लिए मात्रा संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने का अभी उचित समय नहीं है क्योंकि उनकी विकास प्रक्रिया पर इनका प्रतिकूल प्रभाव होगा।

विकासशील देशों के लिए अनुकूलन अति महत्वपूर्ण है। विकास के लिए धन कम किए बगैर इसके लिए पर्याप्त धनराशि जुटाए जाने की आवश्यकता है जो किसी भी स्थिति में अनुकूलन का बेहतरीन स्वरूप है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय में किसी विशेष स्थायीकरण लक्ष्य और समय-सीमा का निर्धारण आवश्यक है जिसमें यह लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

इससे पहले, आईपीसीसी के वर्तमान निष्कर्ष जिसमें अब भी अनेक अनिश्चितताएं हैं, से आगे ग्रीनहाउस गैस के विभिन्न स्तरों पर प्रभावों के संबंध में वैज्ञानिक सर्वसम्मति होनी चाहिए।

यह महत्वपूर्ण है कि निर्णायक और आशाजनक स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकासशील देशों को कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाए जहां जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता है।

आईपीआर व्यवस्था, मानव जाति की व्यापक भलाई के साथ प्रवर्तकों के प्रतिफल को संतुलित बनाए।

हमारा यह भी विश्वास है कि कार्बन बाजार को जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और हमें, जलवायु संबंधी प्रौद्योगिकी और निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) ने अच्छा काम किया है और कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण के लिए अनुमोदन को भी इसमें शामिल किए जाने की आवश्यकता है। विकसित देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस के बढ़ते स्तर में कमी के प्रति वचनबद्धता, सीडीएम परियोजनाओं को काफी प्रोत्साहन देगी।

हम अपने विचार-विमर्श को जारी रखने और वर्तमान विचार-विमर्श जहां इन मसलों पर वार्ता की जा रही है, को मजबूत बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ हेलीजेंडम छोड़ें। इसी दौरान, हमारे प्रतिनिधि हमारी वार्ता को आगे बढ़ाने और जिस पर हम सभी का विश्वास है उसे आगे बढ़ाने के लिए अनौपचारिक विचार-विमर्श जारी रख सकते हैं।

धन्यवाद

बर्लिन
08 जून, 2007

डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने हेतु योजना

1542. श्री अधीर चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई योजना तैयार की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भारतीय कानूनों और विकसित देशों के कानूनों के प्रावधानों का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जहां तक संबंध है, तो यह मंत्रालय खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ अधोलिखित उपाय करता रहा है:

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अनुसार खाद्यानों के मानकों और कोडेक्स मानकों में समानता लाना जो हवाई एनालाइसिस क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइंट्स (एचएसीसीपी) पर प्रशिक्षण और आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अन्तरराष्ट्रीय संदर्भ विकसित मानक माड्यूलों के रूप में समझे जाते हैं।

2. खाद्यान प्रतिष्ठानों के लिए आहार स्वच्छता विषयक प्रशिक्षण करना माड्यूल तैयार/और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना;

3. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मानदण्डों के आधार पर खाद्य-अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अनुज्ञापन उपबन्धों में एक अनिवार्यता के रूप में जोड़े जाने के

लिए जीएमपी और जीएचपी का विकास करना तथा जनता की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने संबंधी संशोधनों के मसौदे को अधिसूचित करना;

4. खाद्यान्नों को डिब्बाबन्द करने से पूर्व उन पर लेबल लगाने के उपबन्धों में संशोधन करना ताकि उपभोक्ता/उत्पाद के बारे में ठीक ठीक सूचना मिल सके।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित निकाय अर्थात् कोडेक्स जिसके सदस्य भारत और विकासशील तथा विकसित देश भी हैं, द्वारा विहित मानकों को ध्यान में रखते हुए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के उपबंधों में संशोधन आमतौर पर किए जाते हैं।

कृतिक बल का गठन

1543. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परमाणु अप्रसार, निशस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण, मिसाइल रक्षा और उसके निरोध पर भारत की स्थिति समीक्षा करने हेतु एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृतिक बल के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार मसलों पर भारत की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्य के रूप में भारत की स्थिति, भारत के सुरक्षा हितों, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं और संभाव्य घटनाक्रमों के आलोक में सिफारिशें करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

(ग) कृतिक बल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) लागू नहीं।

बाघों की गणना

1544. श्री अबु अयीश मंडल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण देश में नियमित रूप से बाघों की संख्या को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दस वर्षों की गणना के आधार पर बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने किसी देश के साथ 'टाइगर ट्रेड एंड फार्मिंग' संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) बाघ परियोजना (अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से अखिल भारतीय बाघ गणना प्रक्रिया का परिशोधन किया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बाघ टास्क फोर्स ने इस प्रक्रिया का अनुमोदन कर दिया है, जिसे बाघों की राष्ट्रीय स्तर पर गणना के लिए अपना लिया गया है।

(ग) पूर्व की पगमार्क प्रणाली का उपयोग करते हुए राज्यों द्वारा सूचित पूर्व बाघ गणना आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चीन के साथ बाघ संरक्षण पर एक प्रोटोकॉल के अतिरिक्त वन्यजीवों के सीमापारीय अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भारत का नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

विवरण I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1997	2001-02**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	35	148	164	235	197	171	192
2.	अरूणाचल प्रदेश	69	139	219	135	180	*	61***
3.	असम	147	300	376	376	325	458	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	85	110	138	157	137	103	76
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	****	****	227
6.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गोवा	—	—	—	2	3	6	5
8.	गुजरात	8	7	9	9	5	1	शून्य
9.	हरियाणा	—	—	1	—	शून्य	शून्य	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश					शून्य	शून्य	शून्य
11	जम्मू-कश्मीर					शून्य	शून्य	शून्य
12.	झारखण्ड	—	—	—	—	****	****	34
13.	कर्नाटक	102	156	202	257	305	350	401
14.	केरल	60	134	89	45	57	73	71
15.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912	927	710
16.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276	257	238
17.	मणिपुर	1	10	6	31	*	*	शून्य
18.	मेघालय	32	35	125	34	53	*	47
19.	मिजोरम	—	65	33	18	28	12	28
20.	नागालैंड	80	102	104	104	83	*	23
21.	उड़ीसा	142	173	202	243	226	194	173
22.	पंजाब	—	—	—	—	शून्य	शून्य	शून्य
23.	राजस्थान	74	79	96	99	64	58	58
24.	सिक्किम	—	—	2	4	2	*	एन आर
25.	तमिलनाडु	33	65	97	95	97	62	60
26.	त्रिपुरा	7	6	5	—	शून्य	*	एन आर
27.	उत्तराखंड	—	—	—	—	****	****	251
28.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465	475	284
29.	पश्चिम बंगाल	73	296	352	353	335	361	349
	कुल	1827	3015	4005	4334	3750	3508	3642

एन.आर. राज्यों द्वारा सूचना नहीं दी गई है।

* बाधों की गणना नहीं की गई

** एकत्रण/पुनरीक्षाधीन

*** केवल नामदाफा बाघ रिजर्व के लिए

**** अविभाजित राज्य का आंकड़ा शामिल है।
पूरे राज्य को शामिल नहीं किया गया है।

विवरण-II

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रिजर्वों में बाघों की सं.

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1995	1997	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	10	39	53	50	66	74	75	82
2.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	—	—	—	—	41	46	46	56
3.	भद्रा (कर्नाटक)	—	—	—	—	—	—	—	35
4.	बोरी-सतपुड़ा-पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश)	—	—	—	—	—	—	—	36
5.	बक्सा (पश्चिम बंगाल)	—	—	15	33	29	31	32	31
6.	कार्बेट (उत्तर प्रदेश)	44	84	90	91	123	128	136	137
7.	दम्फा (मिजोरम)	—	—	—	—	7	4	5	4
8.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	—	—	—	90	94	98	104	76*
9.	इंद्रावती (मध्य प्रदेश)	—	—	38	28	18	15	15	29
10.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	43	71	109	97	100	97	114	127
11.	कलकाड (तमिलनाडु)	—	—	—	22	17	16	28	27
12.	मानस (असम)	31	69	123	92	81	94	125	65*
13.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	27	63	80	77	72	71	72	73
14.	नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश)	—	—	65	94	44	34	39	67
15.	नामदाफा (अरुणाचल प्रदेश)	—	—	43	47	47	52	57	61
16.	नमेरी (असम)	—	—	—	—	—	—	—	26
17.	पाखुई (अरुणाचल प्रदेश)	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	पलामु (बिहार)	22	37	62	55	44	47	44	32
19.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	—	—	—	—	25	22	22	31
20.	पेरियार (केरल)	—	34	44	45	30	39	40	36
21.	पेंच (मध्य प्रदेश)	—	—	—	—	39	27	29	40
22.	पेंच (महाराष्ट्र)	—	—	—	—	—	—	—	14
23	रणथम्भौर (राजस्थान)	14	25	38	44	36	38	32	35
24.	सरिस्का (राजस्थान)	—	19	26	19	24	25	24	22
25.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	17	35	71	93	95	97	98	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल)	60	205	264	269	251	242	263	245
27.	ताडोबा (महाराष्ट्र)	—	—	—	—	34	36	42	38
28.	बाल्मीकि (बिहार)	—	—	—	81	49	एन आर	53	53
	कुल	268	711	1121	1327	1366	1333	1498	1576

*संकलन/पुनरीक्षा की जा रही है।
एन. आर. सूचना नहीं दी गई है।

चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम को नया रूप देना

1545. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री अनवर हुसैन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम को नया रूप देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नये पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे ग्रामीण क्षेत्रों और पूर्वोत्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना लाभ होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए चिकित्सा शिक्षा पर गठित कार्य दल ने अन्य बातों के अलावा, एम.बी.बी.एस. डाक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा को आकर्षित बनाने, ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की संभाव्यता और चिकित्सा पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में संशोधनों के बारे में क्या उपाय किए जाने चाहिए, इनकी सिफारिश की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए चिकित्सा शिक्षा पर कार्य दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिक्षा पाठ्यचर्या में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य पणधारियों के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बच्चों में बधिरता

1546. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में पैदा होने वाले बच्चों में पच्चीस हजार से ज्यादा बधिरता से पीड़ित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुमानों पर आधारित हैं जिनके अनुसार प्रति एक हजार बच्चों पर लगभग 1 से 2 बच्चे गंभीर बधिरता के साथ पैदा होते हैं।

(ख) और (ग) मौजूदा जानकारी के अनुसार 50% बच्चे आनुवंशिक कारणों की वजह से और 40% बच्चे पर्यावरणिक कारणों (प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन या प्रसवोत्तर) की वजह से बधिर होते हैं। उच्च जोखिम कारकों में से कुछ इस प्रकार हैं। संक्रामक रोगों (जैसे जर्मन खसरा, छोटी माता आदि) के लिए गर्भवती माताओं के प्रतिरक्षण में कमी; संगोत्रीय विवाह (जो गैर-संलक्षणिक श्रवण क्षति के खतरे को बढ़ाते हैं); जन्म के समय समस्याएं जिससे नवजात शिशु में श्वासावरोध होता है; गर्भकाल में ऑटोटोक्सिक औषधों का उपभोग आदि।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में खसरा टीकाकरण को पहले ही शामिल कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बधिरता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है और इसे देश के 10 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के 25 जिलों में इस कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू किया है। मुख्य जोर बच्चों में बधिरता के निवारण, इसकी आरम्भ में ही पहचान करने और इसके उपचार करने पर है जिसका अन्तिम उद्देश्य बधिरता की व्याप्तता को कम करना है। कार्यक्रम में बधिरता कार्यकलापों में मेडिकल कालेजों, जिला, अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है। बधिरता निवारण में स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना भी प्रस्तावित है। इसके अलावा, जनता में जागरूकता पैदा करने और विभिन्न स्तरों पर

कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण कार्यनीतियां तैयार की जा रही हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर निर्माण कार्य को पूरा करना

1547. श्री सुनील खां: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर बैरकपुर से बैली और पनगढ़ बाजार की संपूर्ण पट्टी का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त मार्ग पर कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बैरकपुर (441.44 किमी.) से दनकुरी (649.027 किमी.) तक सड़क खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है सिवाय पनगढ़ मार्केट क्षेत्र में 4.867 किमी. लंबाई के जो 2 लेन का है। पनगढ़ मार्केट तक बाइपास के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) पनगढ़ बाइपास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित बाईपास का एक हिस्सा एयरफोर्स भूमि से गुजरता था। एयरफोर्स प्राधिकारियों ने इस खंड के पनगढ़ एयरबेस स्टेशन के निकट होने और हवाई यातायात नियंत्रण संबंधी न्यूनतम क्लीयरेंस आवश्यकता की वजह से आपत्ति की थी। विभिन्न वैकल्पिक संरेखणों का प्रस्ताव किया गया और विचार-विमर्श के पश्चात रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर, 2006 के दौरान एक सहमत संरेखण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है। अनापत्ति प्रमाण प्रत्र प्राप्त होते ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(घ) सभी पहलुओं अर्थात् डीपीआर को अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण आदि पर विचार करते हुए यह प्रत्याशा है कि पनगढ़ बाईपास का निर्माण कार्य वर्ष 2009 तक पूरा कर लिया जाएगा। बैरकपुर से बैली तक खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 6 लेन का बनाया जाना है जिसे 2012 तक पूरा किया जाना निश्चित है।

कीटनाशक उद्योग हेतु नये मानक

1548. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने देश में कीटनाशक उद्योग के लिए नये उत्सर्जन मानक निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में कीटनाशकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नये मानकों से किस सीमा तक पर्यावरण की रक्षा होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 3 फरवरी, 2006 के जी.एस.आर. 46 (3) द्वारा क्लोरीन, अमोनिया, विविक्त पदार्थ आदि प्राचलों को कवर करते हुए पेस्टीसाईड मैन्युफैक्चरिंग और फॉरम्युलेशन उद्योग के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं।

(ग) और (घ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान कीटनाशकों के उत्पादन में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ङ) कीटनाशक उद्योग के लिए उपरोक्त उत्सर्जन मानकों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण में सुधार करने में सहायता मिलने की संभावना है।

ग्रामीण क्रियाकलापों के लिए एन.जी.ओ. को सहायता

1549. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) सहित गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्येक स्पर्धा के लिए 30,000 रुपये प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए उक्त राशि पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ इस राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) देश में ग्रामीण खेल-कूद के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां। ग्रामीण खेल कार्य के अंतर्गत, सरकार जिला स्तरीय

प्रतियोगिता के आयोजन के लिए, सामान्य: 10 खेल-विधाओं तक, प्रति खेल-विधा 30,000/-रु. की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण खेल कार्यक्रम खेलों के लिए एक संगठित प्रतियोगिता संरचना उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, सरकार खेल छात्रवृति कार्यक्रम चलाती है। जिसके अंतर्गत राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण कई योजनाएं चला रहा है जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, सेना बाल खेल कम्पनी योजना, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, तथा विशेष क्षेत्र खेल जिसमें समूचे देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। सेना बाल खेल कम्पनी योजना, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र तथा विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र में रिहायशी तथा गैर-रिहायशी दोनों प्रकार के प्रशिक्षण हैं। फिलहाल उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत लगभग 13,000 प्रशिक्षणार्थी हैं।

[हिन्दी]

कोयला ब्लाकों का आबंटन

1550. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को राज्य-वार आबंटित कोयला ब्लाकों और आबंटन की तिथि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आबंटित सभी कोयला ब्लाकों में कोयले का उत्पादन आरंभ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन कंपनियों ने आज की तिथि तक आबंटित कोयला ब्लाकों से उत्पादन आरंभ नहीं किया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या वहां से निकाले गए कोयले की आपूर्ति फैक्टरियों को की जा रही है या उसे खुले बाजार में बेचा जा रहा है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) आज की तारीख तक 165 कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं जिनमें राज्य तथा केन्द्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित 103 ब्लाक और निजी कंपनियों को आबंटित 62 ब्लाक शामिल हैं। कोयला ब्लाकों, आबंटी कंपनियों, जिस क्षेत्र का ब्लाक आबंटित किया गया है, की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) आबंटित किए गए 165 कोयला ब्लाकों में से 13 कोयला ब्लाकों में उत्पादन शुरू हो गया है। जिन 13 कोयला ब्लाकों में उत्पादन शुरू हो गया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

कोयला उत्पादन शुरू न करने के कारण नीचे दिए गए हैं:-

(i) कोयला ब्लाकों के जिन आबंटितियों ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, वे सांविधिक स्वीकृतियों तथा खनन पट्टा प्राप्त करने, खनन योजना तैयार करने, खनन के साथ-साथ अन्त्य उपयोग परियोजना दोनों के लिए भूमि, मशीनरी और उपकरणों आदि के अर्जन के विभिन्न स्तरों पर हैं। दिए गए कतिपय लक्ष्यों की तुलना में उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धि की समय-समय पर जांच समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

(ii) उत्पादन के स्तर पर पहुंचने के लिए कोयला ब्लाकों के विकास में लगभग 3 से 5 वर्ष का समय लगता है तथा उसकी इष्टतम उत्पादन क्षमता तक पहुंचने में लगभग अन्य दो वर्ष लगते हैं।

(घ) विवरण II में दर्शाए गए 13 कोयला ब्लाकों के सिवाय शेष कोयला ब्लाक उत्पादन के स्तर तक नहीं आए हैं। कोयला ब्लाकों के विकास के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसकी आवधिक रूप से निगरानी तथा समीक्षा की जाती है। जानबूझकर किए गए विलम्ब के मामले में नोटिस जारी किए जाते हैं, जहां कहीं उचित हों, कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द करने पर विचार किया जा सकता है।

(ङ) (i) जिन 13 कोयला ब्लाकों में उत्पादन शुरू हो गया है उनमें से दो ब्लाकों अर्थात गोतितोरिया (पूर्वी) तथा गोतितोरिया (पश्चिम) जो छोटे तथा अलग अलग टुकड़े हैं, में विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए कोयले की बिक्री की अनुमति दी गई है।

(ii) शेष 11 ब्लाकों का कोयला केप्टिव उपयोग के प्रयोजनार्थ है और तदनुसार उसके सम्बद्ध अन्त्य उपयोग संयंत्रों को सप्लाई किया जाता है।

(iii) कुछ ब्लाक वाणिज्यिक खनन हेतु राज्य सरकार की कंपनियों को आबंटित किए गए हैं। तथापि, उनमें से अब तक किसी में भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ।

विवरण I

दिनांक 1.8.2007 तक आवंटित केप्टिव खनन ब्लाकों का ब्यौरा

ब्लाक क्र.सं.	राज्य	आवंटित ब्लाक	आवंटन की तारीख	पार्टी का नाम	अन्त्य उपयोग	भूगर्भीय भंडारण मि.ट.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	ताडीचेरला-I	06.12.2005	मैसर्स आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कार्पो. लि.	विद्युत उत्पादन	61.280
2.	आंध्र प्रदेश	अन्नेतिपल्ली	20.02.2007	मैसर्स आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कार्पो. लि.	विद्युत	26.890
3.	आंध्र प्रदेश	पुनकुला-चिल्लका	20.02.2007	मैसर्स आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कार्पो. लि.	विद्युत	38.110
4.	आंध्र प्रदेश	पेनगडप्पा	29.05.2007	मैसर्स आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कार्पो. लि.	विद्युत	110.870
5.	अरूणाचल प्रदेश	नामची नामफुक	28.10.2003	अरूणाचल प्रदेश मिनरल डेवलमेंट कार्पो.	वाणिज्यिक खनन	27.000
6.	छत्तीसगढ़	तारा	12.08.2003	मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव. कार्पो	वाणिज्यिक	259.470
7.	छत्तीसगढ़	शंकरपुर बीएचटी II	25.07.2007	सीएमडीसीएल	वाणिज्यिक	80.130
8.	छत्तीसगढ़	मोरगा III	25.07.2007	एमपीएसएमसीएल	वाणिज्यक	35.000
9.	छत्तीसगढ़	मोरगा IV	25.07.2007	एमपीएसएमसीएल	वाणिज्यिक	35.000
10.	छत्तीसगढ़	सेंन्धिया	25.07.2007	सीएमडीसीएल	वाणिज्यिक	70.000
11.	छत्तीसगढ़	परसा ईस्ट	25.06.2007	आरआरवीयूनएल	विद्युत	180.000
12.	छत्तीसगढ़	कांता बासन	25.06.2007	आरआरवीयूनएल	विद्युत	180.000
13.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा-iv/1	20.06.1996	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि.	स्पंज आयरन	124.000
14.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा-iv/5	21.06.19996	मैसर्स मोनेट इस्पात	स्पंज आयरन उत्पादन	126.000
15.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा-iv/2	01.07.1998	मैसर्स जिंदल पावर लि.	विद्युत उत्पादन	123.000
16.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा-iv/3	01.07.1998	मैसर्स जिंदल पावर लि.	विद्युत उत्पादन	123.000
17.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा-iv/4	16.08.1999	मैसर्स जयसवाल नेको लि.	स्पंज आयरन	125.000
18.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा-v/7	25.04.2000	मैसर्स रायपुर एलोयज एण्ड स्टील लि.	स्पंज आयरन	156.000
19.	छत्तीसगढ़	चोटिया	04.09.2003	मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	स्पंज आयरन उत्पादन	34.480
20.	छत्तीसगढ़	उमेरिया का पश्चिम	24.05.2004	मैसर्स गरूड़ क्लेज लि.	सीमेंट उत्पादन	7.000
21.	छत्तीसगढ़	गिद्मुरी	23.09.2004	मैसर्स सीएसईबी	विद्युत उत्पादन	80.270
22.	छत्तीसगढ़	पटेरिया	23.09.2004	मैसर्स सीएसईबी	विद्युत उत्पादन	269.250
23.	छत्तीसगढ़	पंचबहनी	06.09.2005	मैसर्स श्री राधे इंडस्ट्रीज	स्पंज आयरन	11.000
24.	छत्तीसगढ़	मदनपुर साउथ	13.01.2006	हिंदुस्तान जिंक लि. अक्षय इन्वेस्टमेंट प्रा.लि., छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लि., छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कं. एमएसपी स्टील एंड पावर लि., कन्सोर्टियम आफ इस्पात 5 कम्पनीज	स्पंज आयरन	175.650

1	2	3	4	5	6	7
25.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा-iv/6	13.01.2006	जिंदल स्टील एंड पावर लि., नालवा स्पंज आयरन लि.	स्पंज आयरन	156.00
26.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा-iv/8	13.01.2006	जयसवाल नेको	स्पंज आयरन	107.200
27.	छत्तीसगढ़	मदनपुर नार्थ	13.01.2006	मैसर्स अल्ट्राटेक लि., मैसर्स सिंघल इन्टरप्राइजेज, मैसर्स नवभारत कोलफील्ड लि., वंदना एनर्जी एंड स्टील प्रा.लि., प्रकाश इंडस्ट्रीज लि., अंजनी स्टील प्रा. लि., कंसोर्टियम आफ 5 कम्पनीज	स्पंज आयरन	241.610
28.	छत्तीसगढ़	परसा	02.08.2006	छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीएसईबी), रायपुर	विद्युत	150.00
29.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा सेक्टर-I	02.08.2006	मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव. कार्पो लि. (सीएमडीसीएल), रायपुर 492006	वाणिज्यिक खनन	900.000
30.	छत्तीसगढ़	गारे-पालमा सेक्टर-II	02.08.2006	सचिव, उद्योग, महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	विद्युत	768.00
31.	छत्तीसगढ़	मोरगा-I	02.08.2006	मैसर्स मध्य प्रदेश स्टेट माइंगि कार्पो. लि. (एमपीएसएमसीएल), भोपाल	वाणिज्यिक खनन	250.000
32.	छत्तीसगढ़	मोरगा-II	02.08.2006	जी एम डी सी	वाणिज्यिक खनन	350.000
33-34.	छत्तीसगढ़	नाकिया I + नाकिया II	13.01.2006	मैसर्स इस्पात गोदावरी, मैसर्स इंड एग्रो सिनर्जी, श्री नकोदा इस्पात, वंदना ग्लोबल लि., श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि.	स्पंज आयरन और सीपीपी	399.00
35.	झारखंड	तास्सा	26.02.1996	मैसर्स सेल	स्पंज आयरन	285.000
36.	झारखंड	पचवारा सेन्ट्रल	28.12.2001	मैसर्स पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	विद्युत उत्पादन	562.000
37.	झारखंड	तोकिसूद नार्थ	07.01.2002	मैसर्स जीवीके पावर (गोविंदवाल साहिब) लि.	विद्युत उत्पादन	92.300
38.	झारखंड	कर्वेटिया	29.09.2003	मैसर्स ऊषा मार्टिन लि.	स्पंज आयरन	29.760
39.	झारखंड	बादम	03.11.2003	मैसर्स तेनुघाट विद्युत निगम लि.	विद्युत उत्पादन	144.630
40.	झारखंड	पकरी-बरवाडीह	11.10.2004	मैसर्स एनटीपीसी	सरकारी वितरण	1600.000
41.	झारखंड	पचवारा नार्थ	26.04.2005	मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	विद्युत उत्पादन	125.710
42.	झारखंड	मोहन्ना	13.05.2005	मैसर्स जयसवाल नेको	स्पंज आयरन	215.780
43.	झारखंड	कृंना	26.05.2005	मैसर्स अभिजीत इन्फ्रास्ट्राक्चल प्रा.लि.	स्पंज आयरन	34.720
44.	झारखंड	ससई	26.05.2005	मैसर्स अभिजीत इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि.	स्पंज आयरन	26.350
45.	झारखंड	मेरल	26.05.2005	मैसर्स अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	स्पंज आयरन	17.050
46.	झारखंड	पर्वतपुर-ए से सी	07.07.2005	मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग	पिग आयरन	963.000

1	2	3	4	5	6	7
47.	झारखंड	लातेहार (नार्थ)	08.07.2005	मैसर्स डोमको स्मोकलेस फ्यूल प्रा.लि.	पिग आयरन	30.000
48.	झारखंड	कोतरे-बंसत पुर	11.08.2005	मैसर्स टिस्को	पिग आयरन	148.400
49.	झारखंड	पचमो	11.08.2005	मैसर्स टिस्को	पिग आयरन	101.990
50.	झारखंड	लोहरी	24.08.2005	मैसर्स ऊषा मार्टिन	स्पंज आयरन	9.990
51.	झारखंड	चित्तरपुर	02.09.2005	मैसर्स कारपोरेट इस्पात लि.	स्पंज आयरन	212.01
52.	झारखंड	महल	09.12.2005	मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	स्पंज आयरन	1098.500
53.	झारखंड	नार्थ धादू	13.01.2006	मैसर्स इलेक्टो स्टील कास्टिंग लि., मैसर्स झारखंड इस्पात प्रा.लि., मैसर्स पवनजय स्टील एंड पावर प्रालि., मैसर्स आधुनिक एलोयज एंड पावर लि.	स्पंज आयरन	923.940
54.	झारखंड	गोंदूपाड़ा	13.01.2006	तेनुघाट विद्युत निगम लि., दामोदर वैली कार्पोरेशन	विद्युत उत्पादन	140.000
55.	झारखंड	डुमरी	13.01.2006	निलांचल आयरन एंड पावर, बजरंग इस्पात प्रा.लि.	स्पंज आयरन	18.000
56.	झारखंड	तलाईझली	25.01.2006	एनटीपीसी	वाणिज्यिक	965.000
57.	झारखंड	केरनधारी	25.01.2006	एनटीपीसी	विद्युत उत्पादन	229.000
58.	झारखंड	चट्टी बरियाता	25.01.2006	एनटीपीसी	विद्युत उत्पादन	243.000
59.	झारखंड	सुगिया बंद खान	30.01.2006	झारखंड स्टेट माइनिंग कापोरेशन	वाणिज्यिक	2.000
60.	झारखंड	रउता बंद खान	30.01.2006	झारखंड स्टेट मिनरल डेव.कार्पो लि.	वाणिज्यिक	1.00
61.	झारखंड	बुरखाप छोटा पेज	30.01.2006	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कार्पो. लि.	वाणिज्यिक	2.500
62.	झारखंड	बुंडू	25.04.2006	मैसर्स रूंगटा माइन्स लि.	स्पंज आयरन	102.520
63.	झारखंड	गोमिया	02.08.2006	एमएमटीसी	वाणिज्यिक खनन	355.000
64.	झारखंड	पिन्दरा-देवीपुर खैआटांड	02.08.2006	जेएसएमडीसी	वाणिज्यिक खनन	110.000
65.	झारखंड	सरिया कोईयाटांड	02.08.2006	बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बीआरकेवीएल) पटना	वाणिज्यिक खनन	202.000
66.	झारखंड	जयनगर	02.08.2006	मैसर्स गुजरात मिनरल डेव.कार्पो. जी एम डी सी	वाणिज्यिक खनन	100.000
67.	झारखंड	राजबार ई एंड डी	02.08.2006	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	विद्युत	385.000
68.	झारखंड	बनहरडीह	02.08.2006	झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	विद्युत	400.000
69.	झारखंड	लातेहार	02.08.2006	मैसर्स झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कार्पो. लि.	वाणिज्यिक खनन	220.000
70.	झारखंड	चकला	20.02.2007	मैसर्स एस्सार पावल लि.	विद्युत	83.050

1	2	3	4	5	6	7
71.	झारखंड	चित्तपुर	20.02.2007	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि.	विद्युत	81.090
72.	झारखंड	सिरनाला	09.04.2007	मैसर्स स्टील अथोरिटी इंडिया लि.	इस्पात	108.800
73.	झारखंड	किरनदरी बीसी	20.07.2007	झारखंड यूएमपीपी	विद्युत	972.000
74.	झारखंड	चट्टी बरयातू साउथ	25.07.2007	एनटीपीसी	विद्युत	354.000
75.	झारखंड	सहारपुर जमरपाणि	25.07.2007	डीवीसी	विद्युत	600.000
76.	झारखंड	उरमा पहाड़ीतोड़	25.07.2007	जेएसईबी, बीएसएमडीसीएल	विद्युत	700.000
77.	झारखंड	पतरातू	25.07.2007	जेएसएमडीसी	वाणिज्यिक	450.00
78.	झारखंड	रबोडीह ओसीपी	25.07.2007	जेएसएमडीसी	वाणिज्यिक	133.000
79.	झारखंड	ब्रह्मपुरी	01.08.2007	पुष्प स्टील एंड माइनिंग	इस्पात	55.050
80.	झारखंड	तुबेद	01.08.2007	हिंडाल्को, टाटा पावर लि.	विद्युत	189.000
81.	मध्य प्रदेश	गोंतितोरिया (ईस्ट)	21.06.1996	मैसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज	धारा 3 (3) (सी) के अधीन छोटा पृथक वितरण	51.150
82.	मध्य प्रदेश	गोंतितोरिया (वेस्ट)	21.06.1996	मैसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज	धारा 3 (3) (सी) के अधीन छोटा पृथक वितरण	4.190
83.	मध्य प्रदेश	अमेलिया	12.01.2006	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. (एमपीएसएमसी)	वाणिज्यिक खनन	214.410
84.	मध्य प्रदेश	अमेलिया (नार्थ)	12.01.2006	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. (एमपीएसएमसी)	वाणिज्यिक खनन	101.240
85.	मध्य प्रदेश	महान	12.04.2006	मैसर्स एस्सार पावर लि., हिंडाल्को कं. इंडस्ट्रीज	विद्युत उत्पादन	144.200
86.	मध्य प्रदेश	डोंगरी ताल-II	02.08.2006	मैसर्स मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल कार्पो. लि. (एमपीएसएमसीएल)	वाणिज्यिक खनन	175.000
87.	मध्य प्रदेश	मारा II महान	02.08.2006	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली, हरियाणा पावर जेनरेशन कार्पो. लि. (एचपीजीसीएल)	विद्युत	955.000
88.	मध्य प्रदेश	मोहेर	13.09.2006	मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पो. सासन यूएमपीपी	विद्युत	402.000
89.	मध्य प्रदेश	मोहेर-अमलोरी विस्त.	13.09.2006	मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पो. सासन यूएमपीपी	विद्युत (यूएमपीपी)	198.000
90.	मध्य प्रदेश	छत्रसाल	26.10.2006	मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पो.सासन यूएमपीपी	विद्युत (यूएमपीपी)	150.000

1	2	3	4	5	6	7
91.	मध्य प्रदेश	सियाल घोगरी	29.05.2007	प्रिज्म सीमेंट	सीमेंट	30.380
92.	मध्य प्रदेश	रायनखेरा नोथ	29.05.2007	एसकेएस इस्पात लि.	स्पंज आयरन	174.070
93.	मध्य प्रदेश	सुलियारी	25.07.2007	एपीएमडीसी	ड.ल.	75.000
94.	मध्य प्रदेश	मरकी बर्का	25.07.2007	एमपीएसएमसीएल	वाणिज्यिक	80.000
95.	मध्य प्रदेश	सेमरिया/पिपरिया	25.07.2007	एमपीएसएमसीएल	वाणिज्यिक	38.620
96.	मध्य प्रदेश	साहपुर ईस्ट	25.07.2007	नेशनल मिनरल डेव.कोर्पो.	वाणिज्यिक	42.000
97.	मध्य प्रदेश	साहपुर वेस्ट	25.07.2007	नेशनल मिनरल डेव.कार्पो.	वाणिज्यिक	42.000
98.	मध्य प्रदेश	बिचरपुर	25.07.2007	एमपीएसएमसीएल	वाणिज्यिक	36.000
99.	मध्य प्रदेश	मंडला साउथ	25.07.5007	एमपीएसएमसीएल	वाणिज्यिक	72.000
100.	महाराष्ट्र	तकली-जेना बेल्लोरा (साउथ)	29.05.1998	मैसर्स सेन्ट्रल कोलियरीज अवैध उत्पादन कर रहा था। खनन पट्टा रद्द कर दिया गया है।	विद्युत उत्पादन	40.000
101.	महाराष्ट्र	मकरी मंगली-I	25.04.2001	मैसर्स बी.एस. इस्पताल	स्पंज आयरन	34.340
102.	महाराष्ट्र	चिनौरा	08.10.2003	मैसर्स फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लि.	स्पंज आयरन	20.000
103.	महाराष्ट्र	वरोरा (वेस्ट) दक्षिण खण्ड	08.01.2003	मैसर्स फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लि.	स्पंज आयरन	18.000
104.	महाराष्ट्र	माजरा	29.10.2003	मैसर्स गोंदवाना इस्पात लि.	स्पंज आयरन	31.500
105.	महाराष्ट्र	बरंज-I	10.11.2003	मैसर्स केपीसीएल	विद्युत उत्पादन	68.310
106.	महाराष्ट्र	बरंज-II	10.11.2003	मैसर्स केपीसीएल	विद्युत उत्पादन	
107.	महाराष्ट्र	बरंज-III	10.11.2003	मैसर्स केपीसीएल	विद्युत उत्पादन	
108.	महाराष्ट्र	बरंज-IV	10.11.2003	मैसर्स केपीसीएल	विद्युत उत्पादन	
109.	महाराष्ट्र	किलेनी	10.11.2003	मैसर्स केपीसीएल	विद्युत उत्पादन	39.510
110.	महाराष्ट्र	मनोरा दीप	10.11.2003	मैसर्स केपीसीएल	विद्युत उत्पादन	44.700
111.	महाराष्ट्र	बंधक वेस्ट	27.11.2003	मैसर्स श्रीवैधनाथ आयुर्वेद भवन लि.	विद्युत उत्पादन	36.180
112.	महाराष्ट्र	बेलगांव	28.03.2005	मैसर्स सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	स्पंज आयरन	15.300
113.	महाराष्ट्र	मरकी मंगली-II	06.09.2005	मैसर्स वीरांगना स्टील लि.	स्पंज आयरन	19.000
114.	महाराष्ट्र	मरकी मंगली-III	06.09.2005	मैसर्स वीरांगना स्टील लि.	स्पंज आयरन	
115.	महाराष्ट्र	मरकी मंगली-IV	06.09.2005	मैसर्स वीरांगना स्टील लि.	स्पंज आयरन	

1	2	3	4	5	6	7
116.	महाराष्ट्र	नेरुद मलेगांव	13.01.2006	मैसर्स गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर लि. मैसर्स गुप्ता कोलफील्ड्स एंड वाशरीज लि.	स्पंज आयरन	19.500
117.	महाराष्ट्र	मरकी-जारी जमानी-अदकोली	02.08.2006	मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कार्पो. लि.	वाणिज्यिक खनन	11.000
118.	महाराष्ट्र	कोसर डोगरगांव	20.02.2007	मैसर्स चमन मेटलिक्स लि.	स्पंज आयरन	22.510
119.	महाराष्ट्र	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	20.02.2007	मैसर्स भाटिया इन्टरनेशनल लि.	स्पंज आयरन	10.000
120.	महाराष्ट्र	अगरजारी	25.07.2007	एमएसएमसीएल	वाणिज्यिक	137.000
121.	महाराष्ट्र	वरोरा	25.07.2007	एमएसएमसीएल	वाणिज्यिक	73.000
122.	उड़ीसा	तालबीरा-I	25.02.1994	मैसर्स हिंडाल्को	विद्युत उत्पादन	22.550
123.	उड़ीसा	उत्कल-सी	29.05.1998	मैसर्स उत्कल कोल लि. (पूर्व में आईसीसीएल)	विद्युत उत्पादन	208.770
124.	उड़ीसा	उत्कल-बी 2	16.08.1999	मैसर्स मोनेट इस्पात	स्पंज आयरन	106.000
125.	उड़ीसा	उत्कल- बी 1	29.09.2003	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि.	स्पंज आयरन	228.400
126.	उड़ीसा	जमकानी	12.11.2003	मैसर्स भूषण लि.	स्पंज आयरन	80.000
127.	उड़ीसा	उत्कल-डी	19.12.2003	मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कार्पो.	वाणिज्यिक	153.310
128.	उड़ीसा	उत्कल-ई	27.08.2004	मैसर्स नाल्को	विद्युत उत्पादन	194.000
129.	उड़ीसा	तालबीरा-II	10.11.2005	एनसीएल और हिंडाल्कों		152.330
130.	उड़ीसा	उत्कल-ए	29.11.2005	जेएसडब्ल्यू स्टील्स लि., जिंदल स्टेनलैस स्टील लि., श्याम डीआरआई लि., जिंदल थर्मल पावर लि.	स्पंज आयरन	333.400
131.	उड़ीसा	बीजाहन	13.01.2006	भूषण लि., महावीर फेरो	स्पंज आयरन	130.000
132.	उड़ीसा	पत्रपाड़ा	13.01.2006	मैसर्स भूषण स्टील एंड स्ट्रीप्स लि., मैसर्स आधुनिक मेटलिक्स लि., मैसर्स दीपक स्टील एंड पावर लि., मैसर्स आधुनिक कार्पो. लि., मैसर्स उड़ीसा स्पंज आयरन लि., मैसर्स एसएमसी पावर जेनरेशन लि., मैसर्स श्री मेटलिक्स लि., मैसर्स वीजा स्टील लि.	स्पंज आयरन	1042.000
133.	उड़ीसा	कुलंगा	25.01.2006	एनटीपीसी	विद्युत उत्पादन	260.000
134.	उड़ीसा	ब्रह्मणी	25.01.2006	एनटीपीसी + सीआईएल जेवी	विद्युत उत्पादन	1900.000

1	2	3	4	5	6	7
135.	उड़ीसा	चिचरो पस्तीमल	25.01.2006	एनटीपीसी + सीआईएल जेवी	विद्युत उत्पादन	356.000
136.	उड़ीसा	राधिकापुर (ईस्ट)	07.02.2006	टाटा स्पंज आयरन लि. स्काव इंडस्ट्रीज लि., एसपीएस स्पंज आयरन लि.	स्पंज आयरन	115.000
137.	उड़ीसा	राधिकापुर (वेस्ट)	25.04.2006	मैसर्स रूगंटा माइन्स लि., मैसर्स ओसीएल इंडिया लि., मैसर्स ओसन इस्पात लि.	स्पंज आयरन	210.000
138.	उड़ीसा	नैऊआगांव तेलीसाही	02.08.2006	मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कार्पो., मैसर्स आंध्र पेदश मिनरल डेव.	वाणिज्यिक खनन	733.000
139.	उड़ीसा	मीनाक्षी	13.09.2006	मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पो. उड़ीसा	विद्युत (यूएमपीपी)	285.240
140.	उड़ीसा	मीनाक्षी बी	13.09.2006	मैसर्स पावर फाईनेंस कार्पो. उड़ीसा यूएमपीपी	विद्युत (यूएमपीपी)	250.000
141.	उड़ीसा	मीनाक्षी की डिप साइड	13.09.2006	मैसर्स पावर फाईनेंस कार्पो. उड़ीसा यूएमपीपी	विद्युत (यूएमपीपी)	350.000
142.	उड़ीसा	कैतरनी वेस्ट	25.07.2007	मैसर्स केरल स्टेट इले. बोर्ड, मैसर्स उड़ीसा हाइड्रो पावर कार्पो., मैसर्स गुजरात पावर कार्पो.	विद्युत	602.110
143.	उड़ीसा	मनाकिनी बी	25.07.2007	असम मिनरल डेव. कार्पो., मेघालय मिनरल डेव. कार्पो., तमिलनाडु इले. बोर्ड, उड़ीसा माइनिंग कार्पो.	विद्युत	1200.000
144.	उड़ीसा	मनोहरपुर	25.07.2007	उड़ीसा पावर जेन. कार्पो	विद्युत	181.680
145.	उड़ीसा	डिप साइड मनोहरपुर	25.07.2007	उड़ीसा पावर जेन. कार्पो.	विद्युत	350.000
146.	उड़ीसा	नैनी	25.07.2007	जीएमडीसी, पीआईपीडीआईसीएल	विद्युत	500.000
147. 148.	उड़ीसा	चेंदिपाड़ा-चेंदिपाड़ा II	25.07.2007	मैसर्स यूपीआरवीयूएनएल (794.5 मि.ट.), मैसर्स सीएमडीसी (500 मि.ट.), मैसर्स महाजेनको (294.5 मि.ट.)	विद्युत	1588.990
149.	उड़ीसा	महानदी मच्छरकाटा	06.02.2006	जीएसईसीएल, एमएसईबी	विद्युत उत्पादन	1200.000
150.						
151.	पश्चिम बंगाल	सरिसाटोली	25.02.1994	मैसर्स आरपीजी इंडस्ट्रीज/सीईएससी लि.	विद्युत उत्पादन	140.470
152.	पश्चिम बंगाल	तारा (ईस्ट)	14.07.1995	मैसर्स डब्ल्यूबीएसईबी	विद्युत उत्पादन	84.470
153.	पश्चिम बंगाल	तारा (वेस्ट)	17.04.1996	मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	विद्युत उत्पादन	125.710
154.	पश्चिम बंगाल	गंगारामचक	23.06.2003	मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	विद्युत उत्पादन	10.000

1	2	3	4	5	6	7
155.	पश्चिम बंगाल	बरजोरा	23.06.2003	मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	विद्युत उत्पादन	8.000
156.	पश्चिम बंगाल	गंगारामचक भदूलिया	23.06.2003	मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	विद्युत उत्पादन	4.000
157.	पश्चिम बंगाल	ट्रांस दामोदर	14.01.2005	वेस्ट बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कार्पो.	वाणिज्यिक	103.150
158.	पश्चिम बंगाल	बरजोरा (नार्थ)	03.03.2005	मैसर्स डीवीसी	विद्युत उत्पादन	85.490
159.	पश्चिम बंगाल	कागरा जॉयदेव	03.03.2005	मैसर्स डीवीसी	विद्युत उत्पादन	196.150
160.	पश्चिम बंगाल	कस्ता (ईस्ट)	03.03.2005	मैसर्स डीवीसी	विद्युत उत्पादन	105.000
161.	पश्चिम बंगाल	इच्छापुर	02.08.2006	वेस्ट बंगाल मिनरल डेव. एंड ट्रेडिंग कार्पो. (डब्ल्यूबीएमडीटीसीएल)	वाणिज्यिक खनन	335.000
162.	पश्चिम बंगाल	कुलटी	02.08.2006	डब्ल्यूबीएमडी एंड टीसी	वाणिज्यिक खनन	210.000
163.	पश्चिम बंगाल	बिहारीनाथ	20.02.2007	मैसर्स बांकुरा डीआरआई माइनिंग मैनुफैक्चरर्स कं.प्रा.लि.	स्पंज आयरन	95.160
164.	पश्चिम बंगाल	जगन्नाथपुर ए	25.07.2007	डब्ल्यूबीएमडीसी	वाणिज्यिक	273.000
165.	पश्चिम बंगाल	जगन्नाथपुर बी	25.07.2007	डब्ल्यूबीएमडीसी	वाणिज्यिक	176.000
						37653.83

विवरण II

क्र.सं.	कंपनी का नाम	ब्लाक का नाम	ब्लाकों की सं.	आरंभ करने की अनुमति की तारीख	जब से उत्पादन आरंभ हुआ	वर्ष 2006-07 में उत्पादन (मि.ट.)
1	2	3	4	5	6	7
		ब्लाकों का ब्यौरा जहां उत्पादन आरंभ हो गया है का ब्यौरा				
1.	बंगाल एम्टा कोल माइन्स लि.	तारा ई एंड तारा डब्ल्यू	2	8.5.97	1997	4.766
2.	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	गारे पालमा IV/I	1	18.1.99	फर. 1999	5.968
3.	बीएलए इंडस्ट्रीज लि.	गोतीतोरिया ई एंड डब्ल्यू	2	9.3.2000	अक्टू., 2004	0.218
4.	इंटीग्रेटेड कोल माइन्स लि.	सिरसाटोरी	1	1.4.02	अक्टू., 2002	2.546
5.	मोनेट इस्पात लि.	गारे पालमा IV/5	1	14.5.04	जून, 2004	0.668
6.	हिंडलास्को लि.	तालबीरा-I	1	20.2.06	अक्टू., 2003	1.16
7.	पीएएनईएम	पंचवारा सेन्ट्रल	1	23.3.06	मार्च, 2006	1.603
8.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	चोटिया	1	11.5.06	जुलाई, 2006	0.625

1	2	3	4	5	6	7
9.	जयसवाल निको. लि.	गारे पालमा IV/4	1	19.5.06	सित., 2006	0.055
10.	जिंदल पावर लि.	गारे पालमा IV/2 और IV/3	2	5.5.06	जून, 2007	–
			13			
		जारी किंतु उत्पादन अभी आरंभ नहीं हुआ है				
11.	रायपुर एलोयज एंड स्टील लि.	गारे पालमा IV/7	1	4.6.07	कोयला उत्पादन वर्ष 07-08 में आरंभ होने की संभावना है।	
12.	सनफ्लेग आयरन एंड स्टील	बेलगांव	1	4.6.07		
13.	कर्नाटक पावर कार्पो. लि.	बरांज I-IV, किलौनी, मनोरादीप	6	4.6.07		
			8			

[अनुवाद]

परम्परागत चिकित्सा पद्धति को एलोपैथी के साथ समेकित करना

1551. डा. एम. जगन्नाथः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास परम्परागत चिकित्सा प्रद्धति को एलोपैथी के साथ समेकित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्यों को अनुदान स्वीकृत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धति को विकसित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। आयुष को मुख्य धारा में लाना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उल्लिखित रणनीतियों में से एक है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रदाय की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाना है। स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना में आयुष के समेकन का उद्देश्य प्राकृतिक और सुरक्षित उपचारों, जो सुगम, समय परीक्षित और खर्च साध्य हैं, का उपयोग करते हुए वर्तमान जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ करना है। आयुष सुविधाएं जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ग) और (घ) आयुष विभाग स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के संवर्धनार्थ केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषीकृत उपचार केन्द्रों, विशिष्टता क्लिनिकों और आयुष स्कंधों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है। राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के माध्यम से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष चिकित्सकों की संविदात्मक नियुक्ति हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2002 में भारतीय पद्धति एवं होम्योपैथी पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है जिसमें देश के विभिन्न भागों में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों का उल्लेख है। स्कीमों के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है जिसमें शिक्षा के मानकों का उन्नयन, औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण व मानकीकरण, कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार, समयबद्ध अनुसंधान और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में पद्धतियों की प्रभावकारिता के विषय में जागरूकता निर्माण जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है।

एचआईवी/एड्स मामलों का आकलन

1552. श्री एल. राजगोपालः
श्री सुग्रीव सिंहः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 2.5 और 3.1 के बीच है न कि सरकार द्वारा हाल ही में करायी गई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 5.7 मिलियन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाली मानदण्ड/प्रणाली सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्व आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने के क्या कारण हैं;

(घ) विगत में किये गए विभिन्न सर्वेक्षणों के आकलन का ब्यौरा क्या है और इन सर्वेक्षणों के लिए क्या मानदण्ड/प्रणाली अपनाई गई थी; और

(ङ) देश में नये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य-वार एचआईवी/एड्स पीड़ितों की संख्या कितनी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। देश में एचआईवी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 2 मिलियन से 3.1 मिलियन के बीच है।

(ख) उपर्युक्त अनुमान देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1122 स्थलों में प्रसवपूर्व महिलाओं और उच्च जोखिम वाली संख्या के बीच की गई वार्षिक प्रहरी निगरानी सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित हैं। सामान्य जनसंख्या में दरों का अनुमान लगाने के लिए प्रमाणिक कारण समुदाय आधारित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के परिणामों से प्राप्त किए गए थे।

(ग) पूर्ववत्ती अनुमान वार्षिक प्रहरी सर्वेक्षणों पर आधारित थे। 2006 से पहले राष्ट्रव्यापी समुदाय आधारित सवेक्षणों पर आधारित थे। 2006 से पहले राष्ट्रव्यापी समुदाय आधारित सर्वेक्षण के आकड़ें उपलब्ध नहीं थे। वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि संकेन्द्रित महामारी वाले देशों में प्रहरी निगरानी सर्वेक्षणों से व्याप्त दरों के अधिक अनुमान हो सकते हैं।

(घ) विगत में 1998 से हर वर्ष प्रसवपूर्व महिलाओं और उच्च जोखिम वाली जनसंख्या समूहों के बीच वार्षिक असंबद्ध अज्ञात प्रहरी निगरानी की गई है। प्रसवपूर्व महिलाएं सामान्य जनसंख्या में से हैं और उच्चजोखिम वाले समूह यौन संचारित रोग क्लिनिकों में आने वाले व्यक्तियों, पुरूषों के साथ सेक्स करने वाले पुरूषों और अन्त:शिरा औषधों के प्रयोगकर्ताओं में से हैं। उन स्थलों की संख्या, जहां से रक्त के नमूने एकत्र किए जाते हैं, 2005 में 711 स्थलों से बढ़कर 2006 में 1122 स्थल हो गई है। 2006 में किए गए सर्वेक्षण के दौरान देश के सभी जिले एक अथवा एक से अधिक स्थलों द्वारा कवर किए गए थे।

(ङ) एचआईवी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों की अनुमानित व्याप्तता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एच आई वी पॉजिटिव लोग-2006

क्र.सं.	राज्य	एचआईवी की अनुमानित संख्या (15-49 वर्ष)	वयस्क व्याप्तता (%)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	479866	1.06
2.	कर्नाटक	255881	0.81
3.	महाराष्ट्र	436679	0.75
4.	मणिपुर	22010	1.68
5.	नागालैण्ड	15277	1.27
6.	तमिलनाडु	144146	0.39
7.	गोवा	6153	0.74
8..	गुजरात	133346	0.44
9.	पांडिचेरी	3490	0.55
10.	अरूणाचल प्रदेश	682	0.05
11.	असम	5119	0.03
12.	बिहार	70468	0.16
13.	छतीसगढ़	19890	0.17
14.	दिल्ली	26653	0.27
15.	हरियाणा	13228	0.1
16.	हिमाचल प्रदेश	1213	0.03
17.	जम्मू-कश्मीर	2247	0.04
18.	झारखण्ड	17021	0.11
19.	केरल	24831	0.13
20.	मध्य प्रदेश	39000	0.11
21.	मेघालय	859	0.06
22.	मिजोरम	4009	0.74
23.	उड़ीसा	46141	0.22

1	2	3	4
24.	पंजाब	16868	0.12
25.	राजस्थान	53727	0.17
26.	सिक्किम	254	0.08
27.	त्रिपुरा	2060	0.12
28.	उत्तर प्रदेश	105348	0.12
29.	उत्तरांचल	3821	0.08
30.	पश्चिम बंगाल	143337	0.3
31.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	910	0.38
32.	चंडीगढ़	2350	0.35
33.	दादरा और नगर हवेली	39	0.03
34.	दमन और दीव	37	0.03
35.	लक्षद्वीप	<100*	
	कुल	2095960*	0.36(%)

*लक्षद्वीप के लिए अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि वहां कोई वैध स्थल नहीं था।

बाघ गणना संबंधी अध्ययन

1553. श्री के.सी. सिंह "बाबा" क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाघ अभयारण्यों में कैपचेर-रिकैपचर स्टडीज तथा अन्य संरक्षित इलाकों में स्कैट बेस्ड अनुक्रमणिकाओं की विधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त विधियों की सटीकता की जांच के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विधियों के माध्यम से भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा संतुलन को सामान्य बनाने के लिए और बाघों को जीवित रखने और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में बाघ परियोजना निदेशालय (अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से अखिल भारतीय बाघ आकलन, बड़े मांसभक्षी, खुरवालों के, पर्यावास की स्थिति का आकलन के अलावा बाघों और वन्यजीवों की सम्बद्ध बहुलता की सूची तैयार करने, जिसमें जीआईएस अधिकार क्षेत्र में मार्क-रीकैपचरिंग सांख्यिकी नमूना फ्रेमवर्क पर कैमरा ट्रेपों का प्रयोग करके घनत्व गणन के साथ ही वन स्टाफ और आंकड़ा संग्राहकों द्वारा वन गश्त स्तर पर प्रारम्भिक आंकड़ों का संग्रह करना शामिल है। प्रारंभिक आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रिया की स्वतंत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा निगरानी की जाती है। पशुभक्षियों की गणना के आकलन के लिए विश्वभर में प्रचलित मानकीकृत, सुगठित वैज्ञानिक प्रद्धति का प्रयोग बिना पक्षपात के किया गया है जो अपेक्षित सांख्यिकी स्तर की यथार्थ और सही बाघ संख्या का आकलन प्रस्तुत करता है।

(घ) इस समय केवल चार राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़) से संबंधित बाघ आकलन के आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया है जो संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ङ) बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

नई पद्धति के अनुसार चार राज्यों से संबंधित अखिल भारतीय बाघ आकलन के परिणाम

क्र.सं.	राज्य	गणना आकलन (संख्या)
1.	राजस्थान	32 (± एसई* 30-35)
2.	मध्य प्रदेश	300 (± एसई 228-364)
3.	महाराष्ट्र (पश्चिमी घाटों की संख्या के बिना)	103 (± एसई 76-131)
4.	छत्तीसगढ़ (इंद्रावती संख्या के बिना)	26 (± एसई 23-28)

*एसई - मानक त्रुटि

विवरण II

बाघों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरों के गठन के लिए उपबंध

उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए है। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों को सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के साथ बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6.6.2007 से एक बहुउद्देश्यीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरों (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. निम्नलिखित बाघ रिजर्वों/सुरक्षित क्षेत्रों की संवेदनशील सीमाओं के किनारे अवैध शिकाररोधी रणनीति में सहयोग करने के लिए सीमाओं के किनारे अवैध शिकार की समस्याओं की आवधिक समीक्षा करने हेतु अंतरराज्यीय समन्वय समितियों गठित की गई है।

(i) रणथम्भोर बाघ रिजर्व (राजस्थान) और पालपुरकुनों वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)

(ii) बांदीपुर बांदीपुर बाघ रिजर्व (कर्नाटक) मुदुयालई वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान (तमिलनाडु) और ब्यानाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल)

(iii) पेंच बाघ रिजर्व (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश)

6. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए, सिद्धांत रूप में, अनुमोदन दे दिया गया है।

वित्तीय उपाय

7. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

8. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

9. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

10. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इन संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

तालिबान विद्रोह

1554. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में काम करने वाले भारतीय तालिबान विद्रोह के कारण अभी भी तनावग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा मारे गए/अपहृत भारतीयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि अफगानिस्तान में काम करने वाले भारतीय सुरक्षित रहे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) तालिबान विद्रोह के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान के सुरक्षा परिदृश्य में आई गिरावट से उस देश में कार्य कर रहे भारतीयों के लिए सुरक्षा माहौल काफी प्रभावित हुआ है। तालिबान विद्रोह के परिणामस्वरूप नवंबर, 2005 से तीन भारतीय मारे गए हैं।

(घ) भारत सरकार अफगानिस्तान की सरकार के निरंतर संपर्क में है, जिसने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वह सभी आवश्यक उपाय करेगी। अफगानिस्तान स्थित हमारे दूतावास तथा कौंसलावासों ने भारतीय कंपनियों तथा परियोजनाओं प्राधिकारियों को सभी संभव सुरक्षा एहतियात बरतने की सलाह दी है।

बिहार में एनएचएआई द्वारा किया गया कार्य

1555. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का विचार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडी पी) के अंतर्गत 11 रेल उपरि पुलों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर निर्माण के लिए प्रस्तावित आरओबी के ब्योरे इस प्रकार हैं:

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	चैनेज
राष्ट्रीय राजमार्ग-28	369 किमी., 453 किमी., 517 किमी.
राष्ट्रीय राजमार्ग-57	61.94 किमी., 83.84 किमी., 105.88 किमी., 223/782 किमी., 212/351 किमी., 239 किमी., 250 किमी.
राष्ट्रीय राजमार्ग-31	471 किमी.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 (सोननगर-बिष्णुपुर खंड का 408 रेलवे किमी.) के 143 किमी. पर एक आरओबी का निर्माण कार्य स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग के तौर पर पूरा कर लिया गया है।

इन सभी आरओबी का निर्माण कार्य 4 लेन बनाने के कार्य के लिए विविध सिविल ठेका पैकेजों का भाग है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवहन नीति

1556. श्री आनंद राव विठोबा अडसूल:
श्री एस. के. खारवेनथन:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नीति निजी वाहनों के घनत्व और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और पर्यावरण हितैषी एवं ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी को अपनाने में प्रोत्साहन देने में सहायता करेगी;

(घ) क्या इस संबंध में बजटीय प्रावधान किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति को अंतिम रूप देने के लिए श्री डी. थंगराज, प्रधान सचिव (परिवहन), कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जहां तक शहरी परिवहन का संबंध है, शहरी विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार की है जिसमें एकीकृत भूमि उपयोग और परिवहन योजना, सार्वजनिक परिवहन तथा गैर मोटरीकृत परिवहन के अत्यधिक प्रयोग और साथ ही स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है।

(घ) और (ङ) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति को लागू करने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 2007-08 के दौरान सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 1.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

उन्नत किस्म की औषधियां और अनुसंधान

1557. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में औषधि एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सुधार के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने आधुनिकीकरण और उन्नयन की दृष्टि से संगठन और संस्थान दोनों के स्तर पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की अवसंरचनागत जरूरतों को XIवीं योजना में सुदृढ़ करने की परिकल्पना की है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन

1558. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वन अधिनियम, 1927 को प्रतिस्थापित/संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) नये आई.एफ.ए. में विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों को प्रत्यायोजित शक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस अधिनियम को कब तक संशोधित किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत सरकार, पर्यावरणीय स्थायित्व का परिरक्षण के माध्यम से रखरखाव करने और पारिस्थितिकी संतुलन की पुन: बहाली करने, ग्रामीण और जन-जातीय आबादी को शामिल करके उनके ईंधन लकड़ी, चारा, लघु वन उत्पाद और छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति, 1998 के उद्देश्यों को समग्र रूप से पूरा करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से विगत वर्षों में परामर्श किया गया है और उनके विचारों को शामिल किया गया हैं इस दौरान, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासियों (वन अधिकारियों को मान्यता) अधिनियम 2006 के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर का विधान अधिनियमित किया गया है जिसका अभिप्राय भारतीय वन अधिनियम, 1927 के रूप में है। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की उक्त अधिनियम के सुचारू रूप से क्रियान्वयन और वनों के संरक्षण हेतु और अधिक जांच किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि वानिकी गतिविधियों का क्रियान्वयन राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के पास है, इस संबंध में उनसे भी परामर्श किया जायेगा।

(ङ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का अधिदेश प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित उपबंध रखे गए हैं, जो मुख्यत: वन अधिकारियों को जब्त करने की शक्तियां, शास्तियों में वृद्धि करने, वनों के संरक्षण और प्रबंध में लोगों को शामिल करने के लिए विशेष उपबंध और पब्लिक डयूटी के समय गिरफ्तारी के विरुद्ध वन अधिकारी को क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं।

(च) चूंकि परामर्श में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें शामिल हैं, समय सीमा इंगित करना संभव नहीं हो सकेगा।

एड्स का मुकाबला करने के लिए बच्चों हेतु योजना

1559. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए एच आई वी/एड्स का मुकाबला करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को भी लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित मुख्य घटकों के साथ युवाओं में एचआईवी रोकथाम शिक्षा संबंधी एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है:

(I) 100% माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों की सहपाठ्यचर्या कवरेज।

(II) कक्षा IX-XII की पाठ्यचर्या में कौशल आधारित उम्र-उचित एचआईवी रोकथाम शिक्षा घटकों का समाकलन।

(III) सेवाकालीन/सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण में एचआईवी रोकथाम शिक्षा घटकों का समाकलन।

(IV) प्रति वर्ष स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले 10 मिलियन से अधिक किशोर/किशोरियों को जानकारी से सज्जित करने के उद्देश्य से किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों तक पहुंचने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के साथ सम्पर्क विकसित करना।

(V) शिक्षार्थियों/छात्रों तथा शिक्षकों के प्रति कलंक और भेदभाव रोकने के उपाए शामिल करना तथा शिक्षा नीति में एचआईवी की रोकथाम के लिए जीवन कौशल शिक्षा तक की पहुंच सुनिश्चित करना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय एड्स संगठन निम्नलिखित की व्यवस्था करने के उद्देश्य से स्कूल में पढ़ने वाले युवाओं के लिए मुख्य एचआईवी रोकथाम कार्यक्रमों के रूप में माध्यमिक तथा उच्च माध्यामिक स्कूलों (कक्षा IX एवं XI) में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के घटक का कार्यान्वयन कर रहा है:

- बढ़ती उम्र के साथ किशोरावस्था के बारे में जानकारी
- एचआईवी एवं अन्य यौन संचारित संक्रमणों से संबंधित मूल तथ्य
- जीवन कौशल को विकसित तथा सुदृढ़ करना जो गलत दिशा में जाने से उन्हें बचाने में समर्थ बनाता है।
- एचआईवी के बारे में भ्रान्तियों को दूर करना तथा गलत अवधारणाओं को स्पष्ट करना।
- उन उपायों को खोजना जो एचआईवी महामारी से निपटने तथा एचआईवी से ग्रस्त लोगों के प्रति सकारात्मक धारणा बनाने में मदद कर सकते हैं।

अब तक देश के 1,44,409 सरकारी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में से, 11234 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में, प्रत्येक स्कूल में दो शिक्षकों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को राज्य शिक्षा विभाग के घनिष्ठ समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश भरे में कार्यक्रम की कवरेज का संवर्धन हुआ है। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत के बाद सचिव, राज्य शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन में सहायता पहुंचाने के लिए राज्य कोर समितियां गठित की गई हैं। किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कोर समितियों की नियमित बैठक होती है। तथापि, हाल ही में, सात राज्यों ने मुख्यतया कतिपय चित्रों पर आपत्ति करते हुए उपकरण किट की समीक्षा का हिमायत करते हुए इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन आस्थागित रखा है। तद्नुसार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने एक राष्ट्रीय किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम उपकरण किट समीक्षा कार्य दल गठित किया है जिसमें मौजूदा शैक्षणिक सामग्री की समीक्षा करने के लिए अकादमीशियन, शिक्षाविद, बाल मनोवैज्ञानिक, संप्रेषण विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शामिल हैं। इस कार्यदल की प्रथम बैठक 8 अगस्त, 2007 को हुई थी। राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के मार्गदर्शन के लिए किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम की अन्तर्वस्तु तथा शैक्षणिक पहलुओं के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

ग्लोबल वार्मिंग

1560. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख
श्री सुनील खां:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 मई, 2007 को बैंकाक में हुई बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों में एक राय यह बनी थी कि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए हरित गृह गैसों के निस्राव के खतरनाक प्रभाव को नियंत्रित किया जाए;

(ख) क्या उक्त बैठक में जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय पैनल की रिपोर्ट पर आम राय बनी थी और संसार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए;

(ग) यदि हां, तो देश में ग्लोबल वार्मिंग द्वारा उत्पन्न संकट पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए गए है;

(घ) हमारे देश में राज्य-वार सामाजिक वानिकी का अनुपात कितना है; और

(ङ) विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में गैस निस्राव की प्रतिशतता कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित आईपीसीसी के वर्किंग ग्रुप III की रिपोर्ट पर विचार करने तथा उसे अपनाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल की एक बैठक 30 अप्रैल 2007 से 4 मई 2007 तक बैंकाक में आयोजित की गई थी। आईपीसीसी एक विशेषीकृत वैज्ञानिक संस्था है और उसे पीयर समीक्षित प्रकाशित साहित्य पर आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। यह संस्था विभिन्न देशों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों पर सर्व सम्मति बनाने का मंच नहीं है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए आईपीसीसी की रिपोर्ट में जो 4 मई, 2007 को बैंकाक, थाइलैंड में अपनाई गई थी, वर्ष 2002 के बाद से जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं से संबंधित नए साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिवृत्तियों, अल्पावधिक न्यूनीकरण और मध्यमावधिक न्यूनीकरण (2030 तक), दीर्धावधिक न्यूनीकरण (2030 के बाद) नीतियों, जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित उपायों और साधनों, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन को कम करने तथा सूचना अंतरालों का उल्लेख है।

(ख) और (ग) ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में 2 डिग्री सैल्सियस के किसी तरह के लक्ष्य पर ऐसी कोई आम सहमति नहीं बनी थी। लेकिन भारत सरकार युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू एन एफ सी सी सी) के क्योटो प्रोटोकाल का एक पक्षकार है और उसने मारकेच समझौतों की अपेक्षाओं के अनुसार पात्र स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं (सीडीएम) को होस्ट कंट्री अनुमोदन देने के लिए राष्ट्रीय न्यूनीकरण से संबंधित कोई वचनबद्धताएं नहीं है। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में परियोजना चल रही है जिसके अंतर्गत ग्रीन हाऊस गैसों के निवल उत्सर्जन में कमी आती है। इसके अलावा, सीडीएम के संदेश को समय समय पर आयोजित कार्यशालाओं और सेमीनारों के माध्यम से प्रसारित किया गया है। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु अनेक नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा भारत में एक सतत विकास का मार्ग अपनाया जा रहा है।

(i) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और उन्नत ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऊर्जा क्षमता ब्यूरो स्थापित करना।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

(iii) पावर सैक्टर सुधार तथा सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम।

(iv) परिवहन के लिए स्वच्छतर और कम कार्बनयुक्त इंटेंसिव फ्यूल का उपयोग।

(v) ईंधन के स्थान पर स्वच्छतर ऊर्जा का उपयोग।

(vi) वनीकरण और वन संरक्षण।

(vii) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

(viii) गैस की लौ को कम करना।

(ix) मास रैपिड ट्रासंपोर्ट प्रणाली को प्रोत्साहित करना।

(x) सभी क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करना।

(घ) अवक्रमित भूमियों और समीपवर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी द्वारा तथा ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्विस्तरीय विकेन्द्रीकृत संरक्षण के माध्यम से किया जाता है। 31.3.2007 तक कुल 9.36 लाख हैक्टेयर वन को ट्रीट करने के लिए 729 एफ डी ए परियोजनाएं प्रचालित की गई थी। राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारत के एंथ्रोपोजेनिक व्युत्पति के ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों की मात्रा 1994 के अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन स्तरों की मात्रा

का लगभग 3 प्रतिशत है, जिसका अनुमान लगाकर इसे इंडियाज फर्स्ट नेशनल कम्यूनिकेशन के रूप में युनाईटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) को अधिकृत रूप से संसूचित किया गया था।

विवरण

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं	राज्य	वास्तविक उपलब्धि (क्षेत्र मि. हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.47
2.	छत्तीसगढ़	0.43
3.	गुजरात	0.30
4.	हरियाणा	0.22
5.	हिमाचल प्रदेश	0.37
6.	जम्मू-कश्मीर	0.48
7.	कर्नाटक	0.60
8.	मध्य प्रदेश	0.78
9.	महाराष्ट्र	0.65
10.	उड़ीसा	0.55
11.	पंजाब	0.09
12.	राजस्थान	0.28
13.	तमिलनाडु	0.52
14.	उत्तर प्रदेश	0.63
15.	उत्तराखंड	0.40
16.	गोवा	0.01
17.	झारखंड	0.42
18.	बिहार	0.12
19.	केरल	0.16
20.	पश्चिम बंगाल	0.23
	कुल (अन्य राज्य)	7.71
21.	अरूणाचल प्रदेश	0.21
22.	असम	0.27
23.	मणिपुर	0.19
24.	नागालैंड	0.28
25.	सिक्किम	0.14
26.	त्रिपुरा	0.20
27.	मिजोरम	0.28
28.	मेघालय	0.07
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	1.65
	कुल	9.36

भारत-पाक वार्ता

1561. श्री संतोष गंगवार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में वूलर झील पर भारत द्वारा प्रस्तावित बैराज के निर्माण के मुद्दे पर सरकार ने पाकिस्तान के साथ वार्ता की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) तुलबुल नौवहन परियोजना पर समग्र वार्ता प्रक्रिया की रूपरेखा के भीतर अभी तक वार्ता के तीन दौर 29-30 जुलाई, 2004, 28-29 जून, 2005 और 22-23 जून, 2006 को हो चुके हैं। वार्ता दोनों पक्षों के जल संसाधन मंत्रालय के सचिवों की अध्यक्षता में हुई। अगली बैठक नई दिल्ली में 30-31 अगस्त, 2007 को होनी है।

[अनुवाद]

विदेशी छात्रों के लिए पी.जी. सीटें

1562. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए पी.जी. सीटों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अमेरिका, यू.के., न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, और सिंगापुर जैसे देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने का है जैसे कि दिनांक 5 अगस्त, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) फिलहाल भारतीय मेडिकल कालेजों में विदेशी छात्रों के लिए स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) देश में चिकित्सा शिक्षकों तथा विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी पूरा करने के लिए इन 5 देशों में की स्नातकोत्तर/पोस्ट डाक्टरल अर्हता वाले भारतीय डाक्टरों को भारत लौटने के लिए आकृष्ट करने हेतु सरकार इन विकसित देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाईटेड किंगडम, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर में प्रदत्त स्नातकोत्तर/पोस्ट डाक्टरल अर्हताओं को एक पक्षीय तौर पर मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे अंग्रेजी माध्यम वाले इन देशों में स्नातकोत्तर/पोस्ट डाक्टरल कोर्स करने वाले हमारे छात्रों के लिए मार्ग भी प्रशस्त होगा।

समुद्र में डूबने से मौतें

1563. श्री वुय्यंत सिंह
श्री जुएल ओराम:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में समुद्र में हताहत होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक वर्ष-वार इन हताहतों की संख्या और प्रत्येक मामलें में किए गए बचाव कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हताहतों के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेवार हैं;

(घ) इस वर्ष के दौरान हिन्द महासागर और अरब सागर में डूबे जहाजों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों में समुद्र में हुए हताहतों और किए गए बचाव कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इसके विभिन्न कारण रहे हैं। सामान्यत: यह दुर्घटनाएँ खराब हल मशीनों या उपस्करों, मानवीय गलती, जहाज के माहौल में काम और परिवार से संबंधित तनाव के कारण हुई हैं।

(घ) इस वर्ष के दौरान हिन्द महासागर और अरब सागर में डूबे जहाजों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ङ) (i) इन हताहतों से सीखे गए सबक, हताहत परिपत्रों और प्रस्तुतिकरणों के माध्यम से हिस्सेदारों के साथ बांटे जाते हैं। प्रशिक्षण और आकलन की समीक्षा करके सुधारात्मक उपाय भी किये जाते हैं। जहां जरूरत हो, जलयानों का अपेक्षाकृत सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से विनियामक पद्धति, खोज बचाव, पर्यावरणीय सुरक्षा और उद्धारण की समीक्षा की जाती है। हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। अन्य मामलों में इसकी सूचना संबंधित ध्वज राष्ट्र को दे दी जाती है।

(ii) इस मानसून के दौरान हाल ही में हुए हताहतों की स्थिति के मद्देनज़र इस प्रकार की हताहत होने की घटनाएं नहीं होने दिए जाने की दृष्टि से निम्नलिखित तत्काल कदम उठाए गए हैं।

(क) अंतरिम बचाव उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय पत्तनों पर आने वाले पोतों के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश सभी पत्तनों और अन्य संबंधित भागीदारों को जारी कर दिए गए हैं।

(ख) भारत में पंजीकृत अपतटीय आपूर्ति जलयानों के ध्वज राष्ट्र नियंत्रण को सख्त बना दिया गया है और अपतटीय आपूर्ति जलयानों के मालिकों को अपतटीय आपूर्ति जलयानों के ढांचे की हालत का पता लगाने की दृष्टि से भारतीय पत्तन पर पहली बार आने पर या दो महीनों के भीतर 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने अपतटीय आपूर्ति जलयानों का समुद्रीय वाणिज्य विभागों/आई आर एस द्वारा पूरा निरीक्षण करवाने की सलाह दी गई है।

(ग) आई आर एस/समुद्रीय वाणिज्य विभागों को भारतीय पत्तनों पर आने वाले पुराने पोतों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है जिसमें उन पोतों पर खास ध्यान देने को कहा गया है जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासीफिकेशन सोसाइटीज (आई ए सी एस) के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आते हों।

(iii) इस प्रकार के हताहत के मामलों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं:

(क) सभी ध्वज राष्ट्रों और पोत मालिकों को 25 वर्षों से अधिक पुराने जलयानों को भारतीय जलसीमा क्षेत्र और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं चलाने, खासतौर पर दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान की हिदायत दिए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से संपर्क करना।

(ख) पत्तन राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षण और ध्वज राष्ट्र निरीक्षण के कार्य में तेजी लाना और भारतीय पत्तनों पर आने वाले सभी जलयानों, खासतौर पर पुराने जलयान, का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाना।

विवरण I

डूब गए/लापता हुए/ध्वंस गए (ग्राउंडिड) पोतों का विवरण-2005

क्र.सं.	पता लगने की तारीख	पोत का नाम	ध्वज	दुर्घटना की तारीख और जगह	दुर्घटना की वजह	मृतकों की संख्या	घटना तथा बचाव कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3 जून 05	एम वी फैव	भारतीय	2.6.05.20, 13 उत्तर 089.17 पूर्व चेन्नई की खाड़ी	आग/मृत्यु/डूब गया	मृत्यु - 4 लापता - 1	जहाज में आग लगी, कुल कर्मी दल सदस्य 15, बच गए 10 लोगों को निकाला गया, जहाज पर 4 जली हुई लाशें मिलीं, चीफ ऑफिसर लापता (मास्टर और उनकी पत्नी और दो बच्चे जल कर मर गए)
2.	4 जुलाई 05	डंप बार्ज रत्नगिरी	भारतीय	मुंबई से चला अरब सागर	डूब गया	शून्य	मुंबई पत्तन न्यास द्वारा 4 जुलाई 05 को सूचना दी गई, डंप बार्ज रत्नगिरी डूब गया, तेल प्रदूषण की कोई सूचना नहीं।
3.	27 जुलाई 05	ओ एस वी समुद्र सुरक्षा	भारतीय	27.7.05/19 डिग्री 31.4. उत्तर 071 डिग्री 18.3 पूर्व अरब सागर	डूब गया	मृत - 22	समुद्र सुरक्षा बांबे हाई पर स्थित प्लेटफॉर्म बी एच एन से टकरा गया और उसमें आग लग गई, बाद में जहाज 2 अगस्त 05 को 18.59.8 उत्तर 072 36.86 पूर्व स्थिति पर, ग्रोंग रीफस लाईट हाउस की उत्तरी पश्चिमी दिशा में 13.1 मील दूर डूब गया। कुल 383 व्यक्ति, 361 बचा लिए गए, 22 मृत।
4.	3 अगस्त 05	एम एफ वी वे कैनेडी	भारतीय	02/08/05 08.47.203 उत्तर 078.17.72 पूर्व अरब सागर	डूब गया	बचा लिए गए - सभी	तूतीकोरिन पत्तन के सिग्नल स्टेशन द्वारा यह सूचना दी गई कि 02.08.05 को 0730 बजे वे कैनेडी नामक एक मत्स्य जलयान में तूतीकोरिन पत्तन के उत्तर में लगभग 4 मील पर मछली पकड़ते समय आग लग गई। टग अन्ना के साथ साथ पत्तन अग्निशमन सेवा के कर्मियों और हार्बर मास्टर द्वारा सभी कर्मी दल सदस्यों को बचा लिया गया।
5.	29 अगस्त 05	एमवीआईएसएस	मंगोलियन/ उलानबटार	28.08.05.2300 बजे तूतीकोरिन पत्तन से 31 समुद्री मील अरब सागर	डूब गया	बचा लिए गए - 10	संकट का संदेश प्राप्त हुआ, एम आर सी सी ने तूतीकोरिन से पूरे क्षेत्र में खोजा और सभी 10 जीवितों को निकाल लिया। बचा लिए गए कर्मी दल सदस्यों को एम वी न्यू वेव द्वारा तूतीकोरिन ले जाया गया।
6.	15 अक्टूबर 05	टग जुपिटर 6	सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाईन्स	8.09.05 दक्षिण अफ्रीका तट हिन्द महासागर से बाहर	मृत्यु/लापता	लापता - 10 (भारतीय)	लापता टग जुपिटर 65.9.05 को, एक जलयान एम वी सलंग को भारत में स्क्रैपिंग के लिए खींच कर ले जाते हुआ वाल्विस की खाड़ी से चला (13 सदस्यों का कर्मी दल, 10 भारतीय) । लापता टग और खींच कर ले जाए जा रहे जलयान को ढूंढने के लिए सभी प्रयास, जिनमें हवाई खोज शामिल है, विफल रहे हैं। लापता जलयानों का कोई सुराग नहीं मिला।

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	9 नवंबर-05	एम वी एडना मरिया	एन ए	उत्तरी अंडमान बंगाल की खाड़ी	धंस गया	शून्य	आई सी जी फैक्स रिपोर्ट के अनुसार: उत्तरी अंडमान के पास जलयान धंस गया और तेल प्रदूषण की संभावना है। इसके अलावा नौवहन महानिदेशालय के संकट केन्द्र से किसी पत्राचार/रिकार्ड की जानकारी नहीं है।
8.	7 दिसंबर-05	एम एफ वी दिव्या भक्ति	भारतीय	17.11.05 द्वारका समुद्र तट अरब सागर	लापता	लागू नहीं	एम एफ वी दिव्या भक्ति, एम मत्स्य नाव के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई जिसमें 8 व्यक्ति सवार थे। उस इलाके में सभी जलयानों को ई जी सी संदेश भेजा गया ताकि वे कड़ी नजर रखें।

	जलयान		कर्मी दल	
	डूब गए	5	मृत	26
	लापता हुए	2	लापता	11
	धंस गए	1		
	कुल	8		

विवरण-II

डूब गये/लापता हुए/धंस गए (ग्राउन्डिड) पोतों का विवरण-2006

क्र.सं.	पता लगने की तारीख	पोत का नाम	ध्वज	दुर्घटना की तारीख तथा जगह	दुर्घटना की वजह	मृतकों की संख्या	घटना तथा बचाव कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6 मई -06	डी सी आई टग VI	भारतीय	6 मई-06 100700 एन 07957.70 ई बंगाल की खाड़ी	डूबना	सभी को बचा लिया गया	06.05.06 को 1.45 बजे टग vi में विस्फोट हुआ और बाद में जलयान डूबने लगा। टग-vi के मालिक ने जलयान को छोड़ दिया और क्रू के सभी सदस्य लाइफ बोट में बैठ गये और भारतीय निकषक निगम निकर्षण xvii ने बचाया था।
2.	30 मई 06	एम.वी. अंडेसन सीरिया	पनामा	30.5.06 ऑफ आस्टूयर रोकस, कारवार अरब सागर	धंस गया/तेल प्रदूषण/एम ओ.बी.	लापता/मृतक-1 (दूसरा ऑफ)	जलयान 30 मई, 2006 को खराब मौसम के कारण आस्टूयर रॉक में धंस गया। एक दूसरा अधिकारी लापता है। जलयान के बाद में 2 जून, 06 को दो टुकड़े हो गये। लगभग 450 मि.ट. तेल छितरा गया। जलयान के दो हिस्से कारवार में पड़े है। पत्तन और पत्तन और तट रक्षक के दावों को हल करने के लिए बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु बातचीत अभी प्रगति में है।
3.	2 जून, 06	एम एफ वी "इलमदेवी"	भारतीय	1-जून, 06 विशाखाप-त्तनम के दक्षिणी ब्रेक वाटर ऑफ के बाहर, बंगाल की खाड़ी	आग लगी और डूब गया	लापता-2 बचा लिये गये 4	यह बताया गया कि मिट्टी के तेल के स्टोव पर खाना बनाते समय, ट्राक्टर में आग लग गई। 6 क्रू सदस्यों में से 4 सदस्यों ने समुद्र में छलांग लगा दी और उन्हें समीप की देशी मछलीमार बोट ने बचा लिया, 2 सदस्य लापता हैं।
4.	30 जून, 06	खरगे कमल XV	भारतीय/ स्वीडिश	29.06.18560 बेडा, काण्डा बन्दरगाह के भीतर, अरब सागर	टकराया और डूब गया	बचाया गया 19	पासलट के साथ काण्डा पत्तन छोड़ते समय एम वी पेन्टोनेस्टोस के साथ भिड़न्त हो गई। भिड़न्त के कारण खर्ब गिर गया। हताहतों की कुल संख्या-19
5.	16 जुलाई, 06	मछली मार जलयान इसाबेल III	पोर्ट विक्टोरिया सेशिल्लीस	15 जुलाई, 06 2030 घटने 10 डिग 02 एन 072 डीईजी 12 ई अरब सागर	धंस गया (सभी विदेशी	बचाया गया-33 मालिकों से 3 नफरिक)	जलयान लक्षद्वीप समूह में सोहिल पार के पास धंस गया है। मिलियन डालर की बैंक गारन्टी मांगी गई है। क्रू के सदस्य लक्षद्वीप समूह में रह रहे हैं। एक अनन्तिम जांच पूरी हो हो गई है। तथापि, भाषाई कठिनाईयों के कारण अनन्तिम जांच पूर्ण नहीं हो सकी

1	2	3	4	5	6	7	8
							मालिकों को हिमायिकों की व्यवस्था करने की सलाह दी गई । लक्षद्वीप प्रशासन की जांच पूरी हो जाने के पश्चात क्रू के सदस्य को जाने की अनुमति देने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय से हिमायियों की उपस्थिति में एक जांच की गई थी। क्रू के सदस्य कावारती में न्यायिक हिरासत में है। क्रू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 280/336 और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आरोपित किया गया है।
	2 अगस्त, 07	एम वी क्रिस्टीना II	पनामा	28.7.06 पोरबन्दर अरब सागर	धंस गया	क्रू	एम वी क्रिस्टीना-II यू ए ई से पोरबन्दर के लिए समुद्री यात्रा में 28 जुलाई, 2006 को 21 डिग्री 36.92 मिन उत्तर 069 डिग्री 37.94 मिन पूर्व में लगभग 0500 ज्वार्स पोजीशन में मशीनों के खराब हो जाने के पश्चात खराब मौसम के प्रभाव में आकर धंस गया। जांच के बाद सभी क्रू सदस्यों को प्रत्यर्पित कर दिया गया। जलयान को उबारकों द्वारा इसके स्थान से हटा दिया गया है।
6.	2 अगस्त, 06	एम वी ओ ई एस किरन	भारतीय	30 जुलाई, 06 10 एन एम ऑफ बम्बई हाई ऑफशोरफील्ड अरब सागर	डूब गया	बचाव	2 अगस्त को जलयान ने 25 डि. लिस्ट तक बढ़ाया और 3050 ज्वार्स में उलट गया। किसी तेल रिग्स को और निमन्न पाइप लाइनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय नौ सेना द्वारा क्रू के सदस्यों को बचा लिया गया था। भारतीय नौ सेना द्वारा 5 फ्लोटिंग कन्टेनर्स डुबो दिये गये। प्रमुख अधिकारी पश्चिम समुद्री विभाग, मुम्बई उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिये प्राथमिक जांच करेगा। कि किस हालत में यह दुर्घटना हुई।
7.	11 अगस्त, 06	टग एस इ, मेरिवम-2	मलेशिया	26.07.06.10.44.7 एन 092.22.4 ई ऑफ लिटिल अण्डमान आईसलैण्ड, बंगाल की खाड़ी	धंस गया	बचाये-9 (टग मेरिवम)	टग मेरिवम-2 10.44.7 एन 092 22.4 ई स्थान में 26.07.06 को धंस गया। क्रू के सभी सदस्य बचा लिये गये और पोर्ट ब्लेयर में स्थानीय पुलिस/आव्रजास प्राधिकारी को सौंप दिये गये थे। नुकसान कितना हुआ, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तेल रिसाव की अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। जलयान 2666 लीटर तेल ले जा रहा था अक्स इंजिन लुब. आयल 1029 लीटर तथा हाइड्रोलिक ऑयल 210 लीटर जिसके कारण समुद्रीय प्रदूषण हो सकता है और इससे इस क्षेत्र में स्थानू हाई सी के कारण पारिस्थितिकीय/समुद्रीय पर्यावरण को खतरा हो सकता है।
8.	16 अगस्त, 06	एम वी अमर सिंगापुर	14 अगस्त-06 290 एन एम ग्रेट निकोबार आइसलैण्ड के एस डब्ल्यू बंगाल की खाड़ी		टकराव तेल प्रदूषण/ डूब गया	बचाये गये-23 (विदेशी) लापता-1 (विदेशी)	14 अगस्त, 05 को 24 क्रू सदस्यों सहित एम वी अमर में उनके रहने के स्थान पर आग लग गई और उन्होंने ग्रेट निकोबार आईसलैण्ड के लगभग 290 एन एम एस डब्ल्यू स्थल में आपदा संदेश दिया। जिसे सिंगापुर में पंजीकृत एक दूसरे जलयान एम टी ब्राईट आर्टीमस ने ग्रहण किया जो बचाव कार्य के लिये उस ओर चला गया। विपरीत मौसम की स्थिति के कारण एम टी ब्राइट आर्टीमस एम वी अमर के साथ टकरा गया और उसे ढांचागत नुकसान हुआ जिसके फलस्वरूप लगभग 45000 मीट्रिक टन तेल समुद्र में बिखर गया था। एम वी अमर में स्थित 24 क्रू सदस्यों में से 23 को एम वी मैरिस्क डैम्पकर द्वारा बचा लिया था जो बाद में चेन्नई पत्तन पर सुरक्षित पहुंच गये। क्रू सदस्यों की राष्ट्रीयता रूसी, म्यानमरीस, श्रीलंकन थी। एम वी ब्राइट आर्टीमस आगे सिंगापुर चला गया। प्रबन्धकों ने एम वी अमर को खींच कर लाने के लिए टग नैन्सी 2 को लगाया एम वी अमर के लिये उसका ई टी ए 22वां लगभग 1500 ज्वार्स है। छोड़े गये जलयान

							एम वी अमर अभी भी तैर रहा है और लगभग 1.25 केटीएस की नई दिशा में बह रहा है। 22 अगस्त को हताहतों को जहाज पर चढ़ा दिया गया। खींचने की तैयारी के लिये 2100 जैड 24.8 लगभग ई टी डी 0400 जैड पोजीसन 06 डे 39.7 एन 091 डिग 29.4 ई।
9.	17 अगस्त, 06	एम वी एम ए सी (मैक)	टूवालू (फिजी द्वीप समूह के समीप)	17 अगस्त, 06 मोरे द्वीप समूह के समीप, लगभग पोजीसन 0731.67 एन 093.31.4 ई में (केचल द्वीप समूह के दक्षिण में 25 मील दूर बंगल की खाड़ी)	धंस गया	बचाये गये-14 (विदेशी)	16 अगस्त, 06 को पोजीसन 07 डिग 31.3 मिन, नार्थ, 093 डिग 32.2 मिन ईस्ट से एक आपदा सूचना एमआर सीसी पोर्ट ब्लेयर ने प्राप्त की। चेतावनी सूचना प्राप्त होने पर टी सी आई, शक्ति जो कि कैम्पबैल खाड़ी में थी, को खोज और बचाव कार्य सौंपा गया तथा तट रक्षक डोरिनियर को 17 अगस्त को आकाश से खोज करने का कार्य सौंपा गया। लगभग, 1400 हार्वस के बीच टी सी आई शक्ति के लैफ्टीनैंट ने ऊपर उलिखित पोजीसन 100 मीटर लम्बे कार कैरियर एम वी मैक को देखने की सूचना दी। जलयान के सभी 14 क्रू सदस्यों को भारतीय वायु सेना के हैलीकाप्टर द्वारा मेयरोई आईसलैण्ड से कार्मिक में लाया गया। क्रू के सदस्य पोर्ट ब्लेयर में है। बोर्ड में ऑयल है। हैवी ऑयल 158 कि.ली स्पूल ऑयल 1.3 कि.ली.।
10.	3 दिसम्बर, 06	सी पैन्थर	सी-पैन्थर, ध्वज टुवालू सीवेव-9 ध्वज-सट विन्सेंट और ग्रेनेडीनिस	3 दिस. 06.19 22 एन 072 21 ई (290 ग्रोंगस एस टी 87) एस एस क्यू मच प्लेटफार्म के समीप अरब सागर	टकरा गया और डूब	बचाये गये-25	ओएनबीसी नियंत्रण कक्ष ने टुवालु फ्लैग सप्लाई जलयान "सी पैंथर" के डूबने के बारे में बताया। जलयान सेंट-विन्सेंट ध्वज जलयान "सी वे-9" के साथ टकरा गया और 19 22 एन 072 21 पूर्व पोजीसन में डूब गया। सभी 25 कर्मियों को बचा लिया था।
11.	31 अगस्त, 06	एम वी मेरिचम-iv	पनामा	6/7/2006 ऑफ सोकोटरा यमन। अरब सागर	डूब गया	लापता-2	घायल होने और अस्पताल में मृत्यु होने के कारण

		जलयान		क्रू
	डूब गए	6	लापता	5
	धंस गए	5	मृतक	शून्य
	योग	11		

विवरण II

डूब गए/लापता हुए/धंस गए (ग्राउन्डिड) पोतों का विवरण-2006

क्र.सं	पता लगाने की तारीख	पोत का नाम	ध्वज	घटना की तारीख तथा जगह	घटना की वजह	मृतकों की संख्या,	घटना तथा बचाव कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	05 फरवरी, 2007	एम एस वी सफिन अल-	भारतीय	4.02.07 21.37.8 ट 069.35.5 पू पोरबंदर लंगर गाह के	आग लगना और डूबना (कुछ तेल प्रदूषण, तेल की	बचाया गया - कर्मीदल सभी 11 सदस्यों को बचा	भारतीय तट रक्षक, मुम्बई ने एक जलयान पर आग लगने की सूचना दी, जो कि 4.02.07 को सुबह 0845 बजे पोरबंदर के अंदर लंगरगाह पर

1	2	3	4	5	6	7	8
		अम्बासी चलीय		अंदर अरब सागर	चमक, आधार स्थिति के चारों ओर 50 वर्ग मीटर से ज्यादा तक देखी गयी थी)	लिया गया	लगी आग को बुझाने के सभी प्रयास किए गए परन्तु विपरीत स्थिति के कारण आग बढ़ती गई, सभी कर्मीदल के सदस्यों को आग से सुरक्षित निकाल लिया गया। आग 21.37.8 उ. और 069.36 1 पू. की ओर लगी। आग लगने के कारणों की जांच से पता चला की कि आग फ्रेत की बैट्री में चिंगारी निकलने से हुई थी। यह सूचित किया गया है कि तेल की चमक आधार स्थिति के चारों ओर 50 वर्ग मीटर से ज्यादा तक देखी गई थी।
2.	25 फरवरी, 07	एम एस बी आर 11	भारतीय	21.02.07 सिंक ट्रीप के निकट की खाड़ी	डूबना	बचाय गया - 6 कर्मीदल के सदस्य (कोई हताहत नहीं, किसी प्रदूषण की कोई खबर नहीं)	एम आर सी सी, पोर्ट ब्लेयर से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार यह सूचित किया गया कि यह जलयान, 21.02.2007 को 19.30 बजे 06 कर्मीदल के सदस्यों सहित 115 टन सीमेंट लेकर पोर्ट ब्लेयर से हट बे के लिए चला था। एक एम बी रैल छोटे जलयान ने, जो कि इसको नजदीक खाड़ी और सिंक ट्रीप के तट पर सभी 06 कर्मीदल के सदस्यों को उतारा।
3.	21 मई, 2007	एम वी मरियम ट्रांस	सिंगा पोरेन	26 मई, 07 को 21, 37.8 उ. 069, 35.5 पू. पोरबंदर लंगर गढ़ के अंदर अरब सागर	डूबना 30.05.07 को (भारतीय तट-रक्षक के अनुसार तेल फैलने की कोई सूचना नहीं मिली)	बचाय गया - 11 कर्मीदल के सदस्य (09 भारतीय + 2 श्रीलंकन)	एस ए आर क्षेत्र, एम आर सी सी पाकिस्तान 21 मई को 13.35 बजे यू टी सी एम वी फ्रेट मास्टर जलयान के 2236 उ 06647 पू स्थिति में बचाव कार्य किया, "एम वी मरियम ट्रांस" जलयान में विपत्ति में फंसे कर्मीदल के सदस्यों को 18. 00 बजे यू टी सी फुजैराह में तट पर उतारा गया।
4.	4 जून 2007	टग अकबात	भारतीय	177 डिग्री द्वारा का लाईट 11 एन एम (22, 03 068, 58 पू.) स्थिति में 4 जून, 07 को 17.00 बजे लंगरगढ़ अरब सागर	डूबना (कर्मीदल ने जलयान को छोड़ दिया और डूबने लगे)	जलयान को छोड़ा और भारतीय तट रक्षक के समर फ्रेत द्वारा मास्टर सहित कुल 14 कर्मीदल के सदस्यों को बचाय गया।	एम आर सी सी मुम्बई ने सूचित किया, टग अकबात एक खाली बजरे एम डी एल 744 को सिक्का से मुम्बई तक खींचकर ले जा रहा था। 177 डिग्री द्वारका लाईट 11 एन एम में 04.17 टग के इंजन कक्ष में पानी भर गया। अकबात के कर्मीदल के सदस्यों ने जलयान को छोड़ दिया और खाली बजरे में सहारा लिया। टग एम वी अकबात के पास 20 के एल एच एस डी और 01 के एल स्पुलिकेंट तेल बंकर के रूप में लाद था। भारतीय तट रक्षक ने कर्मीदल के सभी सदस्यों को बचाया। टग अकबात धीरे-धीरे जल में समा गया और ड्रेकिंग एंकर भी।
5.	5 जून, 07	एम एस बी फेज फैज अल खादरी	भारतीय	04.06.07 को 17.00 बजे 11 फैज-अल खादरी 2130 066 उ.पू स्थिति में अरब सागर में डूब गया।	डूबना	बचाय गया; फैज फैज-अल-खादरी" के कर्मीदल के 14 सदस्यों को।	एम ए आर क्षेत्र एम आर सी सी, पाकिस्तान 182 डिग्री कसंची, एल टी 170 इंजन के फेल हो जाने और एक एक ही स्थान अत्यधिक झुकने तथा डाल को महसूस करने के कारण। एम अमसी सी, मुम्बई ने एम आर सी सी पाकिस्तान से सहायता करने और "फैज-अल-कादरी" के 04.06.07 को 17.00 बजे 2130 बजे 066 उ.पू स्थिति में डूबने की अद्यतन स्थिति में बताने का अनुरोध किया। सत्यापन के लिए जा रहे "साउथ दिशा" जलयान पर कर्मीदल के सभी 121 सदस्य सुरक्षित हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	7 जून, 07	एम वी दुबई ट्रांस	पनामा	ओमान में 06.06.10 बजे 2113.7 उ. 06032.5 पू. लगभग 80 एन एम स्थिति, अरब सागर	डूबना	(कुल - 21, लापता -10, 11 चिंदा) लापता - 04 भारतीय - 03 पाकिस्तानी - 2 सूडानी - 01 इराकी बचाया गया - 09 भारतीय - 1 सूडानी - 1 इरीट्रियन	एस एम आर क्षेत्र, ओमान शिन्खॉ नैविगेटर, हांग कांग के ध्वज से युक्त, यूनिवस के प्रबंधन वाले जलयान ने "दुबई ट्रांस" को अपने विपत्ति में फंसने का ई-मेल किया, एम/ई और ए/ई अदृश्य हो गए तथा जलयान डांवाडोल हो गया बहाबी माल अलग-अलग हो गया और जलयान बहुत बुरी तरह से हिलने लगा। स्टियरिंग गियर कक्ष में जल भराव हो गया। शिन्खॉ नैविगेटर के 11 व्यक्तियों को बचाया गया और 10 लापता कर्मियों के लिए बचाव कार्य के लिए एम टी डोनेगल सिट लगा है।
7.	18 जून, 07	एम वी इंडिया	बेलिजी	17 जून, 07 ओमान, अरब सागर	डूबना (इंजन कक्ष में पानी भर जाने से)	बचाया गया - 9 (07 भारतीय + 2 पाकिस्तानी)	इंजन कक्ष में पानी भर जाने के बाद जलयान डूब गया। जलयान छोड़ने वाले 09 कर्मियों को वहां से गुजर रहे " बाविरिया एक्सप्रेस" जलयान ने बचाया था। कर्मियों को 18.22.00 एल टी बजे जे बेल पर उतारा गया।
8.	23 जून, 07	एम वी डेन्वेन	इरिट्रिया	23.06.07. को नव मंगलूर के पास, अरब सागर	डूबना	01 लापता, 02 मरे गए, 21 बचा लिए गए	जलयान ने लंगर लगाया तथा बिजली फेल हो जाने और मौसम की विपरीत स्थिति के कारण नव मंगलूर के पास जमीन में धंस गया एवं बाद में डूब गया। तट रक्षक ने कुल 24 कर्मियों में से 21 कर्मियों (सभी विदेशी नागरिक) को बचाया।
9.	23 जून, 07	टग विम्पो	होंडूरस	23 जून को कालीकट के निकट अरब सागर	डूबना	02 मारे गए 01 लापता	यह टग एक डम्ब बजरे को खींचकर ले जा रहा था, खराब मौसम के कारण डम्ब बजरा टग से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप टग डूब गया 08 व्यक्तियों को तट रक्षक द्वारा बचा लिया गया और 03 लापता हैं, डम्ब बजरा तट पर मिला।
10.	24 जून, 07	टग कृष्णा I और कृष्णा II	भारत	24 जून, 18.42.5 उ. 07249 पू. मुम्बई, अरब सागर	धंस जाना	01 लापता	दो टग, लौह अयस्क से लदे बजरों को मुम्बई से रेवडांडा तक खींचे जाने में लगे थे, वे मानसूनी भारी वर्षा के कारण खंडेरी द्वीप पर धंस गए। तट रक्षक द्वारा 27 कर्मीदल के सदस्य बचाए गए, 01 अभी भी लापता है। मानसून के बाद खोज बीन का कार्य शुरू किया जाना है।
11.	25 जून, 07	एम वी मीरिया एस	पनामा	25 जून, 11, 59.01 उ. 075.15.2 पू. एट्टिकुल, लंगरगाह अरब सागर	कोचीन पत्तन में जलमार्ग में प्रवेश करते समय डूब गया	बचाया गया - कोचीन पत्तन बल्लो टग द्वारा 15 कर्मी (05 भारतीय + 10 अन्वी)	जलयान में फ्रेम नं. 2 के पास 1-1/2 इंच की दरार पड़ गई पत्तन में आगे समय कंपार्टमेंट में पानी भर गया। जलयान कोचीन पत्तन में मरम्मत के लिए लंगर लगाए हुए है।
12.	25 जून, 07	एम वी अकैडिया प्रोसेस	भारतीय	25 जून पोरबंदर के 3 उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, अरब सागर	धंस जाना	शून्य	भारी बारिश के कारण जलयान धंस गया। जलयान को पुन: चलाया गया और इस समय उसकी बहरीन ड्राई डॉक में मरम्मत चल रही है।
13.	25 जून, 07	एम वी शुआ 3	पनामा	25 जून 07, 08.30 बजे पोरबंदर, अरब सागर	खराब मौसम के कारण धस गया	शून्य	खराब मौसम के कारण 25 जून, 07 को 08.30 बजे पोरबंदर में धंस गया। मास्टर द्वारा सूचित किया गया कि बलास्ट टैंको में पानी भर गया। तट रक्षक द्वारा 24 कर्मीदल के सदस्यों को को सुरक्षित बचा लिया गया, 05 कर्मी अभी भी जलयान पर हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	26 जून, 07	एम वी सी ग्लोरी	मंगोलिया	26 जून, 07, 23, 34 उ. 068, 13 पू. जखाऊ, अरब सागर	धंस जाना और खराब मौसम के कारण छोड़ दिया गया (जलयान खराब) मौसम के कारण लंगर नहीं डाल सका तथा धंस गया)	बचाया गया =18 (05 भारतीय+ 13 इतरी)	भारतीय तट रक्षक ने यह सूचित किया कि "एम वी सी ग्लोरी" मंगोलिया के ध्वज वाला जलयान लगभग 23 डिग्री 34 उत्तर, 068 डिग्री 13 पूर्व स्थिति में जखाऊ (गुजरात) में धंस गया है। मास्टर ने कर्मीदल को तुरन्त बचाने के लिए 03 जुलाई, 07 को 1215 बजे आपत्ति के संकेत दिए क्योंकि जलयान स्टारबोर्ड तक खतरनाक स्थिति में धंसता आता जा रहा था (लगभग 25 डिग्री) नतिजा केस से भारतीय वायु सेना ने 03 जुलाई, 07 को 1645 बजे से 1940 बजे के बीच हेलो एम 18 से बचाव कार्य किया। 05 भारतीयों सहित कर्मीदल के सभी 18 सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और नतिजा में स्थानीय पुलिस/सीमा-शुल्क विभाग को सौंप दिया गया।
15.	27 जून, 07	अलबस बचत डी एल बी 600	संयुक्त अरब अमीरात	26 जून, 07 23, 23.2 उ. 065.20.9 पू. अरब सागर	डूबना	लापता - 2 भारतीय + 2 अन्य बचाया गया -57 कर्मी (41 भारतीय+16 अन्य) राष्ट्र के कुल 60 कर्मी-43 भारतीय+17 अन्य राष्ट्र के)	एस ए आर क्षेत्र, पाकिस्तान। 60 कर्मी दल के सदस्यों और पाइप लाइन बिछाने की मशीनों सहित डी एल बी-600 बजरे द्वारा लेडी हैमंड टग को सिक्का, गुजरात से अबुधाबी (यू ए ई) तक खींचा जा रहा था। (डी एल बी-600 टग में 60 कर्मीदल के सदस्य थे। (43 भारतीय+ 17 अन्य) 23 डिग्री 23.2 उत्तर 065.20.9 पूर्व की स्थिति में एम आर सी सी, मुम्बई द्वारा आपत्ति की सूचना प्राप्त की गई। फ्लेट डूब गया, 57 बचाए गए 03 अभी अभी लापता है।
16.	30 जून, 07	एम वी रोंग	पनामा	29 जून, 2007 को 2330 बजे। मुख द्वारका पत्तन (गुजरात) 20, 45 20 उ. और 070, 38 34 पू. अरब सागर	धंस जाना और सं 07 सी जी ओ होल्ड में पानी भर जाने के कारण जलयान छोड़ देना	बचाया गया - कर्मीदल के सभी 16 सदस्यों (01 भारतीय और बाकी अन्य राष्ट्र के)	भारतीय तट रक्षक, जिला मुख्यालय (गुजरात) ने सूचित किया कि एम वी रोंग जलयान, 30 जून, 2007 को 0015 बजे मुख द्वारका क्षेत्र में धंस गया। भारतीय तट रक्षक जलयान ने कर्मीदल के सभी 16 सदस्यों को बचा लिया और स्थानीय सीमा शुल्क प्राधिकारी को सौंप दिया।
17.	04 जुलाई, 07	एम वी किलंकर कैरियर	पनामा	04 जुलाई, 07 1100बजे। बंदरगाह के बाहर (1856 उ. 07128.5 पू.) मुम्बई के दक्षिण में 100 मील के आस पास की स्थिति, अरब सागर	खराब मौसम के कारण डूब जाना और सी जी ओ होल्ड सं 1 में पानी भर जाना	बचाया गया - 22 (18 भारतीय + 3 बर्मी +1 मालदीवियन।	एम आर सी सी, मुम्बई ने सूचित किया कि बंदरगाह के बाहर (1856 उ. 07128.5 पू.) मुम्बई के 100 मील दक्षिण में एम वी किलंकर कैरियर, इसके वजन के कारण इसमें पानी भर गया। इसी जलयान में 22 कर्मीदल के सदस्य है। (18 भारतीय, 03 बर्मी और 01 मालदीवियन)। कर्मीदल के सभी सदस्यों को "एम वी मरर्क ढाका" द्वारा बचाया गया।
18.	9 जुलाई 07	एम वी सबुलिक 10	भारतीय	09.07.07 को.19.39.2 उ. 072.04.32 पू. मुम्बई, अरब सागर	डूब जाना (स्टियरिंग कक्ष में पानी घुस जाने से)	मारे गए - 06 (मास्टर गुरबचन सिंह, बोसन रामवीर सिंह, ए बी विवेक कुमार, ए.बी. श्याम जी, ओ एल आर मोहन त्रिपाठी, सी के सुकांता बनर्जी)	जलयान के स्टियरिंग कक्ष में पानी घुस गया और कुछ ही घंटों में जलयान डूब गया। कर्मीदल के बाकी 08 सदस्यों की खोज जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
						लापता - 02 (आर/ओ) उनिकृष्ण के ई/ओ, राकेश सिंह) बचाव गया - 09 (कुल - 17 कर्मी)	
19.	21 जुलाई, 07	एम वी हिमिटी मैरिन-I	पनामा	संभवना है कि अरब सागर में 1127 उत्तर 0151 पूर्व की स्थिति में 26 जून, 2007 को जल-भराव के कारण जलयान डूब गया।	डूबना (संभवना है कि जल भराव के कारण)	लापता - 23 (16 भारतीय 05 पाकिस्तानी 01 बांग्लादेशी + 1 इसकी स्वामी का प्रतिनिधि)	इस जलयान ने 1127 उ. 051 50 पू. की स्थिति में 26 जून, 2007 को आपति (जल-भराव) की सूचना दी थी, उस समय जलयान, सरण क्षेत्र तलाशने के लिए रस इफुन (सोमालिया) में चल रहा था। फिर भी हैलीकॉप्टर द्वारा आपात स्थिति की निगरानी रखने के बाद, उपर्युक्त जलयान तलाश नहीं जा सका और निकट में कोई मलबा या उत्तरजीवी नहीं मिल था।
20.	25 जुलाई, 07	एम वी रब्बानू-I	बांग्लादेश	13.07.07. पत्तन के भीतर ही गैर सरकारी बेटी बज-बज के निकट, कंक्रीट की खाड़ी	डूब जना	डूब	दिनांक 25.07.07. को कोलकाता पतन न्यास से सूचना मिली, उन्होंने यह सूचित किया कि भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल के अंतर्गत चल रहा बांग्लादेशी अंतर्देशीय बजरा "एम वी रब्बानू-I", जो कि हल्दिया से नदी के मेढ़ चलोन पर स्थित बज-बज के निकट एक गैर सरकारी बेटी से पलाई एश की अधिक लदाई के कारण, 13.07.07 को डूब गया। कर्मीदल के किसी भी सदस्य के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली और कोलकाता को पोत-परिवहन, सुविधा नैवलन के लिए खोल-खुला है। बजरे के भारतीय एजेंट ने एक स्थानीय सालवेज फर्म को पोतमलबा हटाने के लिए लगाया गया है और मलबा उठाने का कार्य आरंभ हो गया है।
21.	07 अगस्त, 07	वी वी -1142 बजरा	बांग्लादेश	उपलब्ध नहीं	डूब जन	डूब	बांग्लादेशी कर्मीदल और 800 मिलियन टन पलाई ऐश के भारी भार से युक्त "वी वी-1142" बांग्लादेशी बजरा, 03 अगस्त, 07 को नवचरा द्वीप के उत्तर में डूब गया। कर्मीदल के सभी 13 सदस्य सुरक्षित हैं।

	जलयान		कर्मीदल
डूबे गये	16	मारे गए	26
लापता	-	लापता	11
धंस गए	5		
कुल	21		

वन्य जीव ब्यूरो की स्थापना

1564. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन्य जीवों को प्राय: मारे जाने की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मारे गए पशुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु "वन्य जीव ब्यूरो" स्थापित किया है/किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह ब्यूरो कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वन्य जीवों की मृत्यु की घटनाएं समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को सूचित की गई हैं। राज्य सरकार

द्वारा सूचित किए अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण वन्यजीवों की मौतों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां केन्द्रीय सरकार ने 6 जून, 2007 की अधिसूचना द्वारा " वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो" स्थापित किया है। इस ब्यूरो के अध्यक्ष निदेशक (वन्यजीव परिरक्षण) हैं। जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में हैं इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय-नई दिल्ली मुम्बई, चैन्नई और कलकत्ता में तथा तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालय अमृतसर, गुवाहाटी और कोचीन में है। इसके अतिरिक्त एक नया कार्यालय जबलपुर में सृजित किया गया है।

वन्य जीव अपराध ब्यूरो का प्रमुख कार्य संगठित वन्य जीव अपराध गतिविधियों से संबंधित आसूचना को इकट्ठा करना तथा मिलान करना है तथा उसका राज्य और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रचार करना है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के कार्यों के समन्वय से केन्द्रीकृत वन्य जीव अपराध डाटा बैंक स्थापित किया जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण वन्य जीवों की मौतें

वर्ष	*बाघ	तेंदुआ	हाथी	गैंडा	शेर
2004	22	37	24	5	1
2005	17	32	20	10	2
2006	14	13	15	7	1

*प्राकृतिक और दुर्घटनावश कारणों और अवैध शिकार के कारण हुई मौतें शामिल हैं।

[हिन्दी]

सीआईएल द्वारा भूमि का अधिग्रहण

1565. श्री हंसराज गं अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा आज तक कंपनीवार कितनी हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण के पश्चात विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास से जुड़े सभी दावों का निपटान कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों में अब तक भूमि अधिग्रहण की कंपनीवार स्थिति नीचे दी गई है। (जून 2007 की स्थिति के अनुसार):-

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

कंपनी	कुल अधिग्रहीत भूमि*	कुल अधिग्रहीत काश्तकारी भूमि	कब्जे में कुल काश्तकारी भूमि
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	13093.00	12022.00	9145.00
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि. (बीसीसीएल)	4280.00	3857.00	1937.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	35736.00	12758.00	4883.00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	20538.00	12812.00	11873.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्यूसीएल)	19785.00	17089.00	14330.00
नार्दन कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	15948.00	5612.00	5275.00
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	19965.00	9180.00	4252.00
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी)	25041.00	41.47	41.47
कुल	154386.00	73371.47	51736.47

*इसमें सरकारी भूमि तथा काश्तकारी भूमि दोनों शामिल है।

(ख) मौजूदा मानदंडों के अनुसार, विस्थापित व्यक्तियों को सभी पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) लाभ प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है और खनन परियोजना के कार्यकलापों की प्रगति के अनुसार यह भूमि की आवश्यकता के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सीआईएल की मौजूदा पुनर्स्थापन और पुनर्वास-नीति, 2000 के अनुसार

पुनर्स्थापन और पुनर्वास का लाभ प्रदान करने से पहले किसी परियोजना प्रभावित व्यक्ति को उसकी भूमि/वास भूमि से विस्थापित/बेदखल नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) जून, 2007 की स्थिति के अनुसार भूमि अधिग्रहण के एवज में रोजगार और अन्य पुनर्स्थापन दावों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क. रोजगार दावों की प्रगति

कंपनी का नाम	प्रदान किए गए रोजगार की संख्या	रोजगार के लंबित पात्र मामलों की संख्या	टिप्पणियां
ईसीएल	11665	शून्य	
बीसीसीएल	4612	शून्य	
सीसीएल	4688	शून्य	
एनसीएल	3826	14	संबंधित भूवंचितों के पास इस समय पात्र उम्मीदवार नहीं हैं।
डब्ल्यूसीएल	5811	52	शेष मामलों के लिए दस्तावेजों की विस्तृत जांच चल रही है।
एसईसीएल	13650	253	तदैव
एमसीएल	7287	248	तदैव
कुल	51539	567	

ख. पुनर्स्थापन की स्थिति

कंपनी	विस्थापित किए जाने वाले संभावित परिवारों की संख्या	दिया गया पुनर्वास (आवास भूमि/वैकल्पिक नकद अनुदान)	दिया गया पुनर्वास (आवास भूमि/वैकल्पिक नकद अनुदान)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
ईसीएल	4679	2079	2600	आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से पुनर्स्थापन किया जाएगा ताकि परियोजना प्रभावित परिवारों को न्यूनतम परेशानी हो।
एसईसीएल	8188	7900	288	तदैव
एनसीएल	3411	2451	960	तदैव
एमसीएल	6080	3284	2796	तदैव
बीसीसीएल	1852	1370	122	शेष सभी 122 परियोजना प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से कंपनी का क्वार्टर दिया जाता है।

1	2	3	4	5
सीसीएल	8304	1510	6794	अगले वर्ष अर्थात् 2008-09 के अंत तक केवल 1022 और परियोजना प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित किया जाना है। शेष 5772 परियोजना प्रभावित परिवारों को वर्ष 2009-10 से आगे पुनवासित किया जाएगा।
डब्ल्यूसीएल	8672	5843	2829	2829 परिवारों जिन्हें अभी विस्थापित नहीं किया जाता है, के दावों का निपटान प्रगति पर है।
एनईसी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
कुल	41186	24797	16389	

[अनुवाद]

विदेश मंत्रियों की बैठक

1566. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की हाल ही में दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक में इस वर्ष त्रिपक्षीय व्यापार बैठक करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिन पर चर्चा की गई; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री वर्ष 2007 के दौरान भारत में एक त्रिपक्षीय व्यापार मंच आयोजित करने पर सहमत हुए हैं।

(ख) तीनों पक्षों ने ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक स्थिति, साझा हित के क्षेत्रीय विकास, आतंकवाद-निरोधी और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया।

(ग) भारत सरकार त्रिपक्षीय व्यापार मंच के लिए तारीख तय करने और उभरती भू-सामरिक प्रवृत्तियों पर संगोष्ठी आयोजित करने के संबंध में रूसी और चीनी प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर रही है।

न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप

1567. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने चीन के साथ भारत-अमेरिका असैनिक नाभिकीय समझौते के मुद्दे पर कोई चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस मुद्दे पर भारत का समर्थन करने वाले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मुद्दे पर एन.एस.जी. का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। नवंबर, 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि "अंतर्राष्ट्रीय असैनिक नाभिकीय सहयोग का संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार के सिद्धांतों की प्रभाविता को सुरक्षित रखते हुए नवीन और प्रगतिशील दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए"

(ग) और (घ) नाभिकीय आपूर्तिकार दल (एन.एस.जी.) के अनेक सदस्यों जैसे यू.के., रूस और फ्रांस ने भारत-अमरीकी असैनिक नाभिकीय समझ का समर्थन किया है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ एन.एन.जी. सदस्य देशों को टिप्पणियों के माध्यम से एन.एस.जी. देशों का समर्थन मांगने के लिए कदम उठाए हैं। अमरीका के साथ द्विपक्षीय असैनिक नाभिकीय सहयोग करार को अंतिम रूप देने के बाद सरकार एन.एस.जी. देशों के साथ निरंतर संपर्क रख रही है, ताकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग की शीघ्र बहाली को सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: आप सभा की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते। मुझे बड़े दुख के साथ यह रिकार्ड करना पड़ रहा है कि कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर सभा की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। वे इसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इससे सभा की कार्यवाही नहीं चल पाती है। मेरी अपील की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है। इसलिए मैं मध्याह्न 12 बजे तक के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करने के लिए मजबूर हूं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय मैं कुछ कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं श्री टी. आर. बालू की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) इन्नोर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 6750/07]

(2) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 6751/07]

(3) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 6752/07]

अध्यक्ष महोदय: श्री वायालर रवि–उपस्थित नहीं।

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 6753/07]

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 6754/07]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 से 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 6755/07]

(3) रिसर्च एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 6756/07]

(5) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2006 जो 23 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 768(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2007 जो 29 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 396(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2007 जो 2 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 526(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6757/07]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6758/07]

(3) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.सा. 997(अ) जो जून 2007 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2007 की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम सिक्किम राज्य में प्रवृत होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6759/07]

(4) जनसंख्या स्थिरता कोष (नेशनल पोपुलेशन स्टैबिलाइजेशन फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6760/07]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6761/07]

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6762/07]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का. आ. 624(अ) जो 20 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 और 25 (झांसी-भोगनीपुर/बारा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 692(अ) जो 1 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 691(अ) जो 1 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 633(अ) जो 23 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1027(अ) से का. आ. 1031(अ) जो 26 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1210(अ) जो 25 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (पुणे और सतारा के बीच खम्बटकी घाट) के दो लेन वाले भागों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरें अधिसूचित की गई है।

(सात) का.आ. 1104(अ) जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों (ग्वालियर-झांसी खण्ड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 612(अ) तथा का.आ. 613(अ) जो 20 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 524(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 और 22 (अम्बाला-जिरकपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 694(अ) जो 1 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 (दिल्ली-अम्बाला खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1078(अ) जो 3 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 920(अ) जो 7 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 829(अ) जो मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 655(अ) 26 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क (चांदीखोल-पारादीप खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 816(अ) जो 25 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 (डलकोला बाईपास खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, बाईपास आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1016(अ) जो 25 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 194 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ. 1114(अ) जो 6 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-50 पर संगमनेर कस्बे के बाहर बाईपास सड़क के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है

(अठारह) का.आ. 417(अ) जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 (पनीकोइली-राईमुली खण्ड), के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 568(अ) जो 12 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 (राईमुली-राजामुण्डा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1069(अ) जो 3 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 (राईमुली-राजामुण्डा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1080(अ) तथा का.आ. 1081(अ) जो 3 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (सीतापुर-लखनऊ खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1172(अ) जो 18 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (सीतापुर-लखनऊ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 983(अ) जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 पर अम्बाला-कालका सड़क पर डेरा बस्सी के निकट पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1099(अ) जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के विस्तार पर स्थायी पुल कालका के प्रयोग के लिए मेकेनिकल वाहनों पर शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1144(अ) जो 16 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 20 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 624(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 726(अ) जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजमार्ग संख्या-11ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 727(अ)जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठाईस) का.आ. 725(अ) जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ. 814(अ) जो 25 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का.आ. 815(अ) जो 25 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीमा सड़क संगठन को उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खण्डों के विकास तथा अनुरक्षण से संबंधित कार्य करने का निदेश दिया गया है।

(इकतीस) का.आ. 1095(अ) जो 4 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ. 1115(अ) जो 6 जुलाई 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेतीस) का.आ. 630(अ) तथा का.आ. (अ) जो 23 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु उनमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(चौंतीस) का.आ. 729(अ) जो 9 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाड़ी-विशाखापत्तनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 771(अ) जो 17 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 830(अ) जो 28 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (तिरूपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) ,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(सैंतीस) का.आ. 1051(अ) जो 29 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 914(अ) तथा का.आ. 916(अ) जो 6 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 792(अ) जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 936(अ) जो 8 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 31 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 645(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का.आ. 937(अ) जो 8 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 938(अ) से का.आ. 940(अ) जो 8 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 827(अ) जो 28 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 840 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का.आ. 1034(अ) जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1101(अ) जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 मार्च, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 363 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का.आ. 1123(अ) जो 11 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 953(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का.आ. 1126(अ) जो 12 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (बेलगाम बाईपास खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 1040(अ) जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 223(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनचास) का.आ. 744(अ) जो 10 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उपायुक्त, हैलाकंडी जिला, असम को राज्य में बाईपासों, रीअलाइनमेंटों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-154 को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) के (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6763/07]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):-

(एक) का.आ 724(अ) जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीकरण राजमार्ग संख्या 6 और 21 के उपखंड सौंपे गए हैं।

(दो) का.आ. 1083(अ) जो 3 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 का उपखंड सौंपा गया है।

(तीन) का.आ. 1094(अ) जो 3 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 22 के उपखंड सौंपे गए हैं।

(चार) का.आ. 985(अ) जो 18 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24ख का उपखंड सौंपा गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6764/07]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा 3 के अंतर्गत राजमार्ग प्रशासन (संशोधन) नियम, 2007 जो 26 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 662(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6765/07]

(5) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 13 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2007, जो 10 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 475(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6766/07]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 582(अ) जो 13 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(दो) का.आ. 945(अ) जो 11 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 948(अ) जो 12 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(चार) का.आ. 1105(अ) जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(पांच) का.आ. 1134(अ) जो 12 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(छह) का.आ. 1203(अ) जो 23 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेघालय राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 6767/07]

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति

उनचासवां और बावनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "निर्णय लेने में विलंब के कारण परिहार्य व्यय-चेन्नई पत्तन न्यास" के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

(2) "सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना" के बारे में लोक लेखा समिति के 9वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यानारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं खान मंत्रालय के "अवैध खनन का रोका जाना" विषय पर 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, मैं निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) "9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजना आयोग द्वारा निधियों का आबंटन" विषय पर सातवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही संबंधी विवरण।

(2) "देना बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधाएं" विषय पर तेरहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही विवरण।

(3) "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार तथा उनके विरुद्ध सामाजिक अपराधों का स्वरूप" विषय पर चौदहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही विवरण।

अपराह्न 12.05½ बजे

याचिका समिति

उन्तीसवें से इक्कतीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों पर उनतीसवां प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों पर तीसवां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य और उद्योग तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग) से संबंधित अभ्यावेदनों पर इकतीसवां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय: आपकी एक लाइन भी रिकार्ड नहीं हो रही है। *...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06 और 2006-07) के बारे में परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 84वें, 92वें और 102वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्गों मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं श्री टी. आर. बालू की ओर से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (11वां संस्करण) के नियम 389 और 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग-II के तहत जारी किए गए निर्देश 73-क के अनुसरण में, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की 84वीं, 92वीं और 102वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

2. 84वीं, 92वीं और 102वीं रिपोर्ट पर विचार करने के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठकें क्रमशः 31 मार्च, 2005, 22 फरवरी, 2006 और 19 मई, 2006 को हुई। समिति ने विभाग के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। 84वीं रिपोर्ट दिनांक 29.4.2005 को राज्य सभा में और दिनांक 29.4.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। 92वीं रिपोर्ट दिनांक 27.2.2006 को राज्य सभा में और दिनांक 27.2.2006 को ही लोक सभा में प्रस्तुत की गई। 102वीं रिपोर्ट दिनांक 22.5.2006 को राज्य सभा में और दिनांक 22.5.2006 को ही लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

3. मैं 84वीं, 92वीं और 102वीं रिपोर्ट में की गई उन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करते हुए एक विवरण (भाग-I और भाग-II), सदन में पटल पर रख रहा हूं जिन पर अभी कार्यवाई पूरी की जानी है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6768/07

अपराह्न 12.06½ बजे

(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 16वें और 17वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, डा. अंबुमणि रामदास की ओर से मैं माननीय अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 73क (पांचवें संस्करण) के अनुसरण में, सदन के पटल पर रखे जा रहे विवरण में इंगित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग के संबंध में वर्ष (2006-07) की अनुदान मांगों से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 16वीं और 17वीं रिपोर्ट में निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सदन को सूचित करना चाहता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

[अनुवाद]

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान): मैं प्रस्तुत करता हूं:

(एक) "कि यह सभा 1 अगस्त, 2007 को भी अजीत कुमार सिंह के निधन के कारण उन के स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अपने में से लोक सभा का एक सदस्य निर्वाचित करें।"

(दो) "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री पी.जी.नारायण, राज्य सभा सदस्य की सेवानिवृति के कारण हुए रिक्त स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अपने में से राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति हेतु इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6769/07।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

(एक) "कि यह सभा 1 अगस्त, 2007 को श्री अजीत कुमार सिंह के निधन के कारण उन के स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अपने में से लोक सभा का एक सदस्य निर्वाचित करें।"

(दो) "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री पी.ओ.नारायण, राज्य सभा सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुए रिक्त स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अपने में से राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति हेतु इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 12.07¼ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री वायालार रवि अपने पत्र सभा पटल पर रखेंगे। नोट से काम नहीं चलेगा। आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं सभा में विलम्ब से आने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 776 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6753/07]

अपराह्न 12.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

बैठक का रद्द किया जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को सूचित करना है कि दिनांक 21 अगस्त, 2007 को हुई कार्य-मंत्रणा समिति की

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सोमवार, 27 अगस्त, 2007 को नियम सभा की बैठक रद्द की जाए।

आशा है, सभा इससे सहमत है।

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग खुश हैं। काम न करके आप लोग बहुत खुश हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, यह ओणम के लिए है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य व मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग खुश हैं।

अपराह्न 12.09 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

17 अगस्त, 2007 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आपकी जानकारी के लिए मैं पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए मुख्य कार्यों के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं।

प्रश्न काल के दौरान बार-बार के व्यवधान के कारण सम्मिलित किए गए 80 तारांकित प्रश्नों में से मात्र 8 का ही मौखिक रूप से उत्तर दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर 827 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ ही सभा पटल पर रखे गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं।

सभा ने "देश में नकली दवाओं की बिक्री से लोगों में उत्पन्न हो रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं" विषय के संबंध में डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की।

श्री अनंत कुमार द्वारा "देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति" विषय के संबंध में नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा पर सभा में 3 घंटे 51 मिनट तक चर्चा हुई और यह चर्चा अधूरी रही।

इस अवधि के दौरान तत्कालिक लोक महत्व के कुल 16 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन भी 41 मामले उठाए गए।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है, सभा ने मर्चेंट वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 को एक घंटे 34 मिनट, की बहस के बाद पारित किया।

विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने पिछले सप्ताह के दौरान 8 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

पिछले सप्ताह के दौरान व्यवधानों और जबरन स्थगन के कारण सभा का 12 घंटे और 49 मिनट का समय बर्बाद हुआ अर्थात् चार दिनों में 50 प्रतिशत समय बर्बाद हुआ।

माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही के सुचारूप रूप से संचालन के लिए पुन: आपका सहयोग चाहता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): हमने निर्धारित समय के बाद बैठकर भी कार्य किया है।

अध्यक्ष महोदय: उसके लिए, समयोपरि भत्ता दिए जाने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

भारतीय सांसदों तथा मीडिया के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करने के कारण सदस्यों द्वारा अमरीका में भारत के राजदूत को वापस बुलाए जाने की मांग के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, माननीय सदस्यो, चूंकि कुछ नेतागण अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहते हैं अत: मैं उन्हें ऐसा करने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। कल आपने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। आज हम सूचीबद्ध कार्य को जारी रख सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, कल सदन में श्री प्रणब मुखर्जी ने रोनेन सेन के वक्तव्य और उनकी क्लेरीफिकेशन को यहां कोट किया था। उन्होंने यह बात कही कि रोनेन सेन ने उनसे यह कहा है कि-

[अनुवाद]

"इस विषय के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करते हुए मैंने संवाददाता के साथ एक अनौपचारिक बातचीत की थी। तथापि, अनेक टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया या उन्हें 'गलत ढंग' से उद्धृत किया गया या उनका संदर्भ से हटकर उल्लेख किया गया।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, 'रिडीफ' के एडीटर जी. हनीफ ने बाद में इस बात का उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि-

[अनुवाद]

"वार्तालाप के दौरान किसी भी समय राजदूत ने विशेष रूप से इस बात का जिक्र नहीं किया कि यह अनौपचारिक था या यह पृष्ठभूमि के रूप में थी, और जब भी उन्होंने यह कहा कि यह वार्तालाप अनौपचारिक है या पृष्ठभूमि के रूप में है, तो मैंने इन मौखिक नियमों का हमेशा पालन किया है।"

उन्होंने यह भी कहा:

"मैं इस बात को दोहराता हूं कि उन्होंने विशेष रूप से यह नहीं कहा कि हमारी वह वार्तालाप अनौपचारिक थी या पृष्ठभूमि के रूप में। मैं सुस्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट पर अडिग हूं और निरपेक्ष रूप से मेरा यह कहना है कि इसमें जानबूझ कर कुछ नहीं कहा गया था" *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां पर समाचार-पत्रों से पढ़कर नहीं सुना सकते।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह कोई समाचार-पत्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आप समाचार-पत्र से ही पढ़ रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभा के सारे नियमों को ताक पर नहीं रख सकते।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उन्होंने इस बात से इन्कार किया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप लोग बैठिए। मल्होत्रा जी बोल रहे हैं, मैंने उनको बोलने से मना नहीं किया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उनका कहना है कि जो बयान रोनेन सेन साहब ने दिया था, वह वैसा ही पूरा का पूरा उनके पास रिकॉर्डेड उपलब्ध है। उसमें कोई अन्तर नहीं है, उसमें कुछ भी ऑफ दि रिकॉर्ड नहीं था। राजदूत का यह कहना कि वे बातें ऑफ दि रिकॉर्ड थीं, तो क्या राजदूत का ऐसी बातें ऑफ दि रिकार्ड कहना उचित है? मैं केवल हैडलेस चिकन कहने की बात नहीं कर रहा हूं। हैडलेस चिकन तो उन्होंने कहा ही है, यह तो कहा ही है कि सांसद और अखबार वाले कटे हुए मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हैं। इसके साथ आखिर में उन्होंने एक बात और कही है:

[अनुवाद]

"इस राष्ट्रपति जैसा हमारा कोई दोस्त या समर्थक नहीं होगा; और ऐसा न रहा है तथा मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में न ही ऐसा कोई होगा। बिल्कुल नहीं होगा। न ही कोई है।"

[हिन्दी]

वह हमारे भारत के राजदूत हैं या अमेरिका के राजदूत हैं? वह वहां पर बुश का सपोर्ट कर रहे हैं या भारत के राजदूत की हैसियत से काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा था:

[अनुवाद]

"हम अभी सयाने नहीं हुए हैं, हम में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का अभाव है"

[हिन्दी]

इससे ज्यादा अपमानजनक बात हिंदुस्तान के सांसदों के लिए हो नहीं सकती है और मुझे आश्चर्य है कि सरकार अब तक चुप क्यों बैठी हुई है। सरकार ने उनसे केवल क्लैरीफिकेशन मांगा है। अब तक उन्हें तत्काल वापस बुला ही लेना चाहिए था। उनके यह कहने के बाद कि मैंने यह बात बैकग्राउण्ड में कही है, किसी स्वाभिमानी देश और उसके सांसदों के बारे में इस तरह की बात कही जाने के बाद भी हम निर्लज्जता से सुनें और सारी बातों को सहन करते रहें, तो मैं समझता हूं कि यह अपमानजनक है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मल्होत्रा जी, आपने अपनी बात कह ली है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हम फिर से यह मांग करना चाहते हैं कि उनको वापस बुलाया जाए। हमने आपसे कल भी कहा था कि हमने इसके बारे में अपना प्रिविलेज मोशन दिया है, आप उस पर विचार करें। उनको यहां बुलाया जाए, उनको बार पर खड़ा किया जाए और एडमॉनिश किया जाए, यह हम आपसे मांग करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा अमरीका में भारतीय राजदूत द्वारा भारतीय सांसदों, के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों जो भारत की संसद का बहुत बड़ा अपमान है, के बारे में उठाए गये मुद्दे तथा एक अन्य विषय जिसे अभी के उत्तर में कल माननीय विदेश मंत्री ने दो बार हस्तक्षेप किया और यह बताया कि अमरीका में भारत के राजदूत ने स्पष्ट किया है कि यह बात अनौपचारिक रूप से कही गई थी, इसका संबंधित संवाददाता द्वारा स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित टिप्पणियों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा गया है तथा इसे गलत रूप में पेश नहीं, किया गया था।

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही बात को बार-बार कह रहे हैं। इसका अभी पता लगाना है कि कौन सच कह रहा है।

श्री रूपचंद पाल: इसलिए मैंने इस संबंध में संबंधित भारतीय राजदूत के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है तथा हमारी मांग है कि उन्हें तत्काल वापस बुलाया जाए वह भारत के हित को नहीं देख रहे हैं वे किसी अन्य का हित देख रहे हैं जो भारत के हित के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल ही वापस बुलाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: विशेषाधिकार का मामला मेरे पास है, दूसरा मुद्दा सरकार के समक्ष है, जहां तक मेरा संबंध है आपको मुझ पर भरोसा करना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए, सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपके सुझाव के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, कल यह मामला इस सदन में उठा और भारत के विदेश मंत्री ने सदन के सामने एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारत के राजदूत द्वारा कहे गए अशिष्ट शब्दों को हम अग्राह्य करते हैं। इसके लिए उन्होंने "अनएक्सेप्टेबल" शब्द का प्रयोग किया। हम उम्मीद करते थे कि सार्वजनिक जीवन में इतना लम्बा समय बिताने वाले विदेश मंत्री जी की ओर से इसके लिए सीधे-सीधे निन्दा और प्रताड़ना शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अग्राह्य शब्द का इस्तेमाल करके हमारे जैसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कल कहा गया था कि उन्होंने इसका प्रतिवाद किया है, लेकिन आज के समाचार-पत्रों में यह खबर आई है कि उनका कहना है कि उन्होंने इस बात को ऑफ दि रिकॉर्ड कहा था, लेकिन उनकी बयान को प्रकाशित करने वाले पत्रकार का कहना है कि उन्होंने इस बात को ऑन दि रिकॉर्ड कहा था। दोनों के वक्तव्य से इस बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने कुछ अशिष्टपूर्ण शब्दावली का इस्तेमाल इस देश के सार्वजनिक जीवन के लोगों के खिलाफ किया था। ऐसे में श्रीमन् आपने स्वयं कल वचन दिया था कि यह संसद इतनी अधिकारविहीन नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि आप हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारे किसी अशिष्ट व्यवहार की निंदा करते हैं, लेकिन हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप हमारे हितों और हमारी प्रतिष्ठा दोनों के संरक्षक भी हैं। इसलिए ऐसी कठिन घड़ी में आपका दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे पक्षों को सुनकर इस मामले को आप अपने हाथ में ले और 29 तारीख को जब यह संसद बैठे, तो निश्चित तौर पर सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल आप कोई ऐसा निर्णय देंगे, जिससे इस तरह से अशिष्ट व्यवहार करने वाले सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई सबक मिले और एक प्रताड़ना का संदेश जाए। मैं आपसे यह अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। किसी के कहने से पहले ही मैंने कहा कि उनकी टिप्पणी की सत्यता का पता लगाने दें। भारत की संसद इतनी शक्तिहीन नहीं है कि हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको आश्वासन दिया है कि अवश्य ही कार्यवाही की जाएगी। किसी को भी छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, परन्तु हमें कतिपय प्रक्रियाओं का पालन करना है, यह भी आप जानते हैं, मैंने मात्र यही कहा है कि प्रक्रिया पूरी होने दें। हमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना होगा। सबको यह पता है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकल): महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, मैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे यह मामला उठाने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं। यह आपका अधिकार नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, नियम किसी भी सदस्य को इस मामले को उठाने की अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी व्याख्या से सहमत नहीं हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य इस मामले को उठा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आप अध्यक्ष की टिप्पणी पर आपति नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको यह पता है। यह सुस्थापित परम्परा है। आप कौल और शकधर की पुस्तक पढ़िए, उसमें यह स्पष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, कल से आज तक जिस तरह का परिदृश्य संसद के सामने आया है और जिस तरह का परिदृश्य आपको और देश की जनता को देखने को मिला है कि किस तरह से एक भारतीय राजदूत ने अमेरिका में बैठकर गैर-जिम्मेदाराना ही नहीं, बल्कि आपत्तिजनक बयान दिया है। उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कहा कि यह ऑफ दि रिकार्ड है। माननीय विदेश मंत्री द्वारा कल सदन में यह बताया गया था कि उनका यह बयान ऑफ दि रिकार्ड था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऑफ दि रिकार्ड या इंडिविजुअल केपेसिटी में भी यह सब कहा जा सकता है? रोनेन सेन जो अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं, क्या इस तरह का बयान देना उनके अधिकार क्षेत्र में है? यह बात कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं आती और न ही इंडिविजुअल केपेसिटी में जाकर इस तरह का कोई बयान दे सकते थे। यह केवल दलों का सवाल नहीं है, उन्होंने पूरे राष्ट्र को अपमानित किया है। लोकतंत्र में संसद एक महत्वपूर्ण पिलर है। उसके साथ ही मीडिया, न्यायपालिका और जनता भी पिलर के रूप में है। एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक पिलर को इंडिकेट करके जिस तरह का हमला किया गया, जिस तरह का बयान दिया गया, यह घोर आपत्तिजनक है। यदि वह अपने बयान से भागते हैं, तो उनके बयान का टेप स्क्रिप्ट मंगाकर ऐसे राजदूत को तुरंत वापस बुलाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, अमेरिका में भारतीय राजदूत का वक्तव्य अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। समस्त संसद तथा लोग *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम सभापति तालिका में शामिल कर दूंगा। मैं आप से सभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए कहूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुद्दा मेरे द्वारा सभा के संचालन का नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, अमेरिका में भारतीय राजदूत के वक्तव्य से समूची संसद तथा पूरे देश की जनता का अपमान हुआ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मुझ से मिल लें या लिख कर दें।

आज यहां लगभग 300 सदस्य उपस्थित हैं, यदि सभी सदस्य इस मुद्दे पर बोलेंगे तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आयेगा इसलिए कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, राजदूत द्वारा ऐसा वक्तव्य दिए जाने के दुस्साहस से मैं वास्तव में अचंभित हूं। महोदय, इस संबंध में सरकार के रवैये ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने यह वक्तव्य किसी निजी वार्तालाप में या अनौपचारिक रूप से नहीं दिया है।

उन्होंने ऐसा कह कर जानबूझकर सभा तथा सदस्यों का घोर अपमान करने का प्रयास किया है। हम 'हैडलैस चिकन' नहीं हैं। बल्कि मेरे विचार से वे लापरवाह और अव्यवहारिक हैं तथा संसद

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का इस प्रकार अपमान करने वाला परिपक्व बुद्धि का स्वामी नहीं हो सकता है।

सरकार की दृष्टि में राजदूत का महत्व इस सभा की प्रतिष्ठा से अधिक है। समस्त सभा, सभी दलों के सदस्य यहां तक कि सत्तापक्ष के सदस्य भी इस वक्तव्य से सहमत नहीं हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री, श्री दासमुंशी के वक्तव्य की सराहना करता हूं। वे भी इस वक्तव्य से सहमत नहीं हैं। समाचार-पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सारे सदस्य निर्बाध रूप से समाचार-पत्रों का उल्लेख कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मुझे खुशी है कि वे भी इस बात से सहमत नहीं हैं, वे इस सरकार में हैं, सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार ने क्या कार्यवाही की है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने सांसदों के बारे में ऐसा क्यों कहा, यह अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से शाकाहारी अत्यंत ही खुश होंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उन्हें शीघ्र ही वापस बुलाया जाना चाहिए। उन्हें इस पद पर नहीं रहने देना चाहिए। हम आपके भी आभारी हैं। आपने हमारी चिंताओं को भी ध्यान में रखा है, मैं नहीं समझता कि इस सरकार में कार्रवाई करने का साहस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करने से अमरीका नाराज हो जाएगा। वे अमरीका को नाराज करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें आप पर सत प्रतिशत विश्वास है। आप शांत नहीं बैठेंगे। विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस आपके पास पहले से ही हैं, आप निश्चय ही इस राजदूत के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): मैं कुछ भिन्न कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप किसी अन्य मुद्द पर बोलना चाहते हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं निश्चय ही इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। देश में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर बहस चल रही है। इस पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री को भाषण देना है। संसद समस्त मुद्दे पर चर्चा करेगी। परन्तु अमरीका में भारतीय राजदूत ने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी कर दी है। यही मुख्य मुद्दा है। उसने ऐसा प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तरफ से कहा है। उन्होंने सबको 'विदआउट हैड' नहीं कहा। मेरे दोस्तो, कृपया इस बात को समझें कि उन्होंने सब के बारे में ऐसा नहीं कहा है उन्होंने उनकी निंदा की है जो इस समझौते के विरुद्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो इस समझौते के विरुद्ध हैं वे सब 'हैडलैस चिकन' की तरह हैं।

दूसरे उन्होंने यह कहा है कि वे सभी जल्दबाजी में बयान दे रहे हैं; वे सभी इस मुद्दे को उठा रहे हैं जो कि सम्भव नहीं है; इस समझौते पर पुन: बातचीत नहीं हो सकती।

मैं सरकार से, अपने प्रिय मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अमरीका में भारत के राजदूत को अपने रुख के संबंध में सफाई देने की जिम्मेदारी दे रखी है। उन्होंने न केवल हनन किया है, बल्कि उन्होंने सरकार द्वारा उन्हें दी गयी शक्ति का दुरुप्रयोग किया है। उन्हें बहस में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव सिंह ढींडसा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं एक मिनट का समय और लूंगा।

उन्हें बहस में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह अपमानजनक बात है। उन्हें हमारे बारे में बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सभी भारतीय हैं। हम इस समझौते विशेष का बोध-शक्ति के आधार पर विरोध कर रहे हैं। उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो इस समझौते के विरुद्ध हैं वे सभी हड़बड़ाहट में ऐसा कर रहें हैं। यह संसद तथा हमारा अपमान है...*(व्यवधान)*। यह अति है। सरकार को इस संबंध में अवश्य कुछ कहना चाहिए कि क्या कोई राजदूत इस प्रकार अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है। उन्हें सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए। उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए तथा उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे निर्णय लेने का समय नहीं दे रहे हैं। आप मुझे यह निर्देश भी दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: वे एक राजनीतिक बहस में हिस्सा ले रहे हैं। क्या यह सम्भव है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सरकार को कहिए कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करे। मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। मुझे निर्देश देने का प्रयास न करें। अध्यक्षपीठ को निर्देश मत दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव सिंह ढींडसा।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपने बिलकुल सही स्टैण्ड लिया है कि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक एम्बेसडर सारी पार्लियामेन्ट को कुछ कह रहा है और हम केवल देखते रहें। आपने बिलकुल सही कहा कि हम इतने कमजोर नहीं हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नि:संदेह मैं इस बात को पुन: दोहराता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: सरकार ने कल अपना स्टैण्ड बता दिया था। अब आपके हाथ में है कि अब पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है? मैं गुरूदास गुप्ता जी की बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूं, उन्होंने बिलकुल सही कहा है और यह एक टैकनिकल प्वाइंट है। प्रधानमंत्री जी ने केवल उस पर दस्तखत ही किए हैं। अभी इस पर पार्लियामेन्ट में डिबेट होनी है, लेकिन इसके पहले ही एक एम्बेसडर अपना व्यू देता है। आप यह समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी सभा की अवमानना है। सबसे जरूरी आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई सरकार बनती है, हम एक दूसरे को कण्डैम करते हैं और कहते हैं कि वह चोर है, यह डाकू है, लेकिन किसी भी मंत्रालय का ब्यूरोक्रैट्स मंत्री को जो लिखकर देता है, वही मंत्री बोलता है। प्रणब मुखर्जी जी जैसे सीनियर नेता भी वही बोल रहे हैं, जो उसने बोला या लिखकर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को कण्डैम न करें। ब्यूरोक्रैट्स कभी एक-दूसरे को कण्डैम नहीं करते हैं। हम लोगों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए तभी डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब, श्री किन्जरपु येरननायडु बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, टोका-टाकी बंद कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संसद सर्वोच्च संस्था है तथा नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप एनडोर्स कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, संसद सदस्य संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत ने माननीय संसद सदस्यों का निरादर किया है। उन्हें तत्काल वापस बुलाया जाना चाहिए। यह संसद सदस्यों तथा भारतीय संसद के लिए भी शर्म की बात है कि उन्होंने सदस्यों के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया है। उन्हें तत्काल वापस बुलाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी इस बात से सहमत थे कि एक-एक वाक्य बोलेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, क्या रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ प्रभुनाथ सिंह जी का भाषण रिकार्ड में जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमें भरोसा है कि आप हमारा भाषण जरूर रिकार्ड कराएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां तो एक ही हैड है अगर चला जाएगा तो क्या होगा? मैं भी हैडलेस हो जाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: महोदय, आप भी इस सभा का ही हिस्सा हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: पूरे हाउस को उसने हैडलेस कहा है और आप हमारे चीफ हैं। उसने किसी को छोड़ा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अमरीका में भारतीय राजदूत ने जो बयान दिया है, कल हमारे सदन के नेता तथा विदेश मंत्री उस बयान से सदन को अवगत करा रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि भारतीय राजदूत ने ऐसा कहा है। सिर्फ इतना अंतर है कि रिकार्ड में नहीं कहा है। लेकिन भारतीय राजदूत ने जो बयान दिया है, उसे माना है कि उन्होंने कहा है। आज भी अखबार में छपा है, उसका प्रतिवाद आ चुका है कि भारतीय राजदूत ने ऐसा कहा है और रिकार्ड में कहा है। हमें लगता है कि सरकार को इस बात पर प्रतिष्ठा नहीं बनानी चाहिए। चाहे वह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, पहले वे सदन के सदस्य हैं, उसके बाद ही मंत्री या प्रधानमंत्री हैं। सदन के सदस्यों को सार्वजनिक ढंग से गाली दी जाए और इसके बाद सरकार संरक्षण दे, यह कहीं से उचित नहीं लगता है। आपने कहा है कि सदन को शक्ति है और सदन इस बारे में उचित कार्यवाही करेगी। आपके पास विशेषाधिकार की शक्ति है। अध्यक्ष महोदय, यह एक दूसरा पक्ष है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार यह कहती कि हम तुरंत कार्यवाही करेंगे और हमें लगता है कि सभी माननीय सांसदों की भावनाओं को सुनकर सरकार जरूर रिस्पोंस करेगी। सरकार की नजर में अगर सदन के सदस्यों के प्रति थोड़ी सी भी प्रतिष्ठा है, क्योंकि यह सवाल किसी एक दल का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी लोग इस बात पर आहत हैं। हमें लगता है कि जो भी मंत्री इस बारे में टिप्पणी करेंगे, सदन की भावना, प्रतिष्ठा, मर्यादा ध्यान में रखते हुए करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपका सुझाव बहुत अच्छा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इस बयान में जरूर कहेंगे कि वहां के राजदूत को तुरन्त वापस बुलाया जाएगा। हम को आपके ऊपर भरोसा है। प्रिवलेज में जेल भेजने का भी प्रावधान है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास पावर नहीं है, हाउस के पास है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम को लगता है कि आप उनको जरूर जेल भेजकर सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में कोई ऐसी टिप्पणी न कर सके। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुव्रत बोस (बारासाट): महोदय, जो कुछ कहा जा चुका है, उसको पुन: दोहरा कर मैं सभा का समय बर्बाद करना नहीं चाहता। मुझसे पूर्व बोले वक्ताओं के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं यह मांग करता हूं कि राजदूत को तत्काल वापस बुलाया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप विशेषाधिकार प्रस्तावों की पूर्व सूचनाओं पर विचार करेंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, जिस प्रकार से इस मुद्दे को स्पष्ट किया गया है, उससे यह मुद्दा और भी जटिल हो गया है। मैंने स्पष्टीकरण सुना है कि टिप्पणी संसद सदस्यों पर नहीं बल्कि मीडिया पर की गयी थी। अपनी सरकारी नौकरी ड्यूटी पर बैठे भारतीय राजदूत को भारतीय मीडिया पर दोषारोपण का क्या अधिकार है? यह और अधिक क्षुब्ध करने वाली बात है। जब मीडिया लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का एक और सशक्त स्कंध बन गया है। तो मेरे विचार से यह भी विशेषाधिकार का मामला है कि यह उनके विरुद्ध बोलने के आधार पर ही विशेषाधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से एक बार फिर यह विशेषाधिकार का मुद्दा भी बन गया है। क्योंकि वे केवल अपने विचारों को प्रकाशित कर रहे हैं बल्कि हम यानि ससंद सदस्यों द्वारा यहां जो कहा जा रहा है, वे उसे भी प्रकाशित कर रहे हैं। अत: इस आधार पर भी यह विशेषाधिकार का मामला बनाता है। मैंने उस मुद्दे पर भी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की पूर्व सूचना प्रस्तुत की है।

महोदय, मेरा विनम्रपूर्वक यह कहना है कि सरकार को इस मामले को प्रतिष्ठा के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह इसकी शक्तियों से बाहर है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात दोहराइये मत।

श्री पी.सी. थामस: अत: उन्हें वापस बुलाया जाना ही चाहिए तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: गीते जी, एक-दो लाइन में सपोर्ट कर दीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही लाइन में सपोर्ट करूंगा। अमेरिका में बैठे भारतीय राजदूत ने जो सदन की अवमानना की है, उसे लेकर सदन के बहुत से सदस्यों ने यह मांग की है कि उन्हें वापस बुलाया जाए, मैं इससे सहमत हूं। आप सदन के अध्यक्ष होने के नाते इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवन्ना।

फिलहाल अंग्रेजी में बोलिये। मुझे देखना होगा। भाषातंरण की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं। कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): महोदय, ठीक है जहां सम्भव होगा, मैं अग्रेजी में बोलने का प्रयास करूंगा।

***श्री एम. शिवन्ना:** महोदय, मैं अपनी सरकार का ध्यान अमरीका में भारतीय राजदूत द्वारा दिए गए बयान की ओर दिलाना चाहता हूं। उनके बयान से संसद की कार्यवाही पिछले दो दिन से बाधित है। हमें ऐसे बयानों की निंदा करनी चाहिए। यद्यपि, वे एक राजदूत हैं, उन्होंने भारतीय संसद, इसके सदस्यों तथा मीडिया के प्रतिनिधियों का भी अपमान किया है। अत: अपनी पार्टी जनता दल (सेक्युलर) की ओर से मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि उन्हें तत्काल वापस बुलाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में तत्काल कदम उठाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन् जी, मैं आपकी आग्रहशीलता की प्रशंसा करता हूं। आप मुझे बताइए कि आप और क्या चाहते हैं? ऐसी कौन सी नई बात है जो आप कहना चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अपनी रक्षा के लिए मुझे आपको पुकारना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं किसी दलगत राजनीति के आधार पर विशेषाधिकार प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। हम यहां विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के सदस्य के रूप में एकत्रित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: हमें अपने आपको यह स्मरण करना होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हम सदस्यों को सभा की मर्यादा को बनाए रखना है। यहां सभा की मर्यादा को चुनौती देने वाला एक प्रश्न है।

मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि प्रथम दृष्ट्या उपयोग किया गया शब्द अपमानजनक व अवमाननापूर्ण है। यह सभा की मर्यादा के विरुद्ध है। यह सत्तारूढ़ और विपक्ष पर एक समान लागू होता है। जब सभा की मर्यादा पर आक्षेप लगाया जाता है तो हम मर्यादा की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। इस आधार पर मैंने नियम प्रक्रिया के नियम 223 के अंतर्गत नोटिस किया है।

अध्यक्ष महोदय: जब आप सभी की कार्यवाही में व्यवधान डालते हैं तो आप यह भी कहते हैं कि यह सभा की अवमानना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो, या तो आप अपने आप ही कार्यवाही करें अथवा आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। समिति इस व्यक्ति को बुलाएगी और उससे जवाब मांगेगी। इस पर संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर नहीं दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है कि आप विशेषाधिकार समिति के सदस्य हैं। आपको इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, प्रथम दृष्ट्या यह मामला अवमानना का बनता है इसलिए आप इस मामले को या तो समिति को सौंप दें या स्वयं कोई निर्णय लें। यह ऐसा मामला है जिस पर हम बिना पत्र-व्यवहार के अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय: यह पर्याप्त है। अब, मैं महत्वपूर्ण मामलों पर कार्यवाही करता हूं। कृपया भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे पूछूंगा। कृपया बैठ जाइए। आप हर पल का अपमान कर रहे हैं।

क्या सरकार अब कोई टिप्पणी करेगी? मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): महोदय, मैं अपने आपको सभी माननीय सदस्यों से संबद्ध करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, परन्तु श्री राधाकृष्णन जी से नहीं।

श्री जोवाकिम बखला: उनमें श्री राधाकृष्णन भी शामिल हैं?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों की टिप्पणियां सुनीं तथा जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया है उसकी मैं निश्चित रूप से प्रंशसा करता हूं।

महोदय, कल आपको याद होगा कि पहले तो सम्पूर्ण मुद्दे के सामने आने से पूर्व ही विदेश मंत्री अपनी प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि यदि मैं उसे ठीक से उद्धृत कर रहा हूं तो यह आवांछनीय है और अस्वीकार्य है...*(व्यवधान)* तत्पश्चात्, मैंने आपको परेशान नहीं किया उसके बाद सभा अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

तत्पश्चात्, दूसरे जब सभा पुन: समवेत हुई तो दूतावास अर्थात वाशिंगटन से जो भी सूचना उपलब्ध हुई तो विदेश मंत्री ने उसी बात को पुन: दोहराया और बिना शर्त माफी मांगी।

महोदय, मैं सरकार की ओर से दो पहलुओं पर टिप्पणी करना चाहता हूं। इस समय पहला पहलू यह है कि विदेश मंत्री को यहां मौजूद होना चाहिए था परन्तु उन्होंने आपके माध्यम से सम्पूर्ण सभा के समक्ष खेद प्रकट किया है कि वे जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यस्त हैं, इसलिए सभा में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। विशेषाधिकार के मामलों पर, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार ऐसे मामले में कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करती है।

अध्यक्ष महोदय: यह विशेषाधिकार हनन होगा। ऐसा मत कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह आपका विशेषाधिकार है। मैं इस पहलू पर कुछ नहीं कर सकता हूं आपकी टिप्पणियां और विनिर्णय संपूर्ण सभा के लिए सदैव बाध्यकार्य होते हैं।

दूसरी बात, सरकार में किसी भी व्यक्ति को चाहे वह नौकरशाही में है अथवा राजनयिक कार्य से संबद्ध है, सदन और संसद यहां तक कि मीडिया की गरिमा पर आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। हम यह दृढ़तापूर्वक महसूस करते हैं और हम, सं.प्र.ग. सरकार की ओर से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सदस्यों तथा संसद की मर्यादा की जिस प्रकार से भी संभव होगा, हमेशा रक्षा करते रहेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या बात है?

[अनुवाद]

कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि आप ऐसे बात करेंगे, मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा और बैठ जाऊंगा।

महोदय, जहां तक राजदूत को वापस बुलाने का संबंध है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं उनकी मांग को उनकी चिंता की और उनके दृष्टिकोण को केवल विदेश मंत्री तक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक ईमानदारीपूर्वक दूंगा।

महोदय, अब मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। यदि वहां मीडिया भी हो, चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी हो...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): इसका जबाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठकर बोलते हैं, इस तरह से इन्सल्ट करते हैं।

[अनुवाद]

यह सब क्या है? क्या आप सभा का सम्मान कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, विश्व के प्रजातंत्र तथा किसी भी प्रजातंत्र में मीडिया एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कोई सरकार अथवा दल अथवा कोई अधिकारी इस बात से सहमत हो या न हो।

किसी को भी मीडिया पर आक्षेप लगाने तथा उस पर दोषारोपण करने का अधिकार नहीं है। मैं मीडिया के मौलिक अधिकार की हमेशा वकालत करता हूं चाहे वे किसी दल, किसी सरकार या किसी नीति से सहमत हों या न हों। वर्तमान समझौते सहित किसी भी मुद्दे, सभा में असहमति, देश का दल का, मामला है, न कि देश के बाहर या देश के अंदर किसी व्यक्ति का मामला है। इसलिए मैं सभी के दृष्टिकोणों की कद्र करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय विदेश मंत्री को अधिकारिक रूप से इस बात से अवगत करा दूंगा।

इस समय मैं आपसे यही कह सकता हूं कि अनेक सदस्यों को भले ही याद न हो लेकिन मुझे याद है, मैं इस सभा का 1971 से सदस्य हूं: मैंने विपक्ष तथा सरकार से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपसे यही कह सकता हूं कि मैं आज उनका जिक्र नहीं करूंगा। जब सरकार के किसी अधिकारी के संबंध में विशेषाधिकार का कोई मुद्दा सामने आता है तो सरकार उस पर कोई चर्चा नहीं करती है। जब कोई अधिकारी कदाचार करता है तो सरकार की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ओर से मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक मंत्री का, उनकी पत्नियों तथा बच्चों का टिप्पणी करने का एक दायरा होता है। परन्तु किसी पद पर आसीन होकर बातों के दायरे में कार्यालय संबंधी टिप्पणियों को नहीं लाया जा सकता है, इसलिए हम नहीं करते हैं और इसकी स्वीकृति भी नहीं देते हैं।

मैं आपको केवल यही बता सकता हूं कि मैं आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचा दूंगा तथा मैं यू.पी. सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम दूसरों की तरह बर्ताव नहीं करेंगे। हम सभा की भावना और इसकी इच्छा का सम्मान करते हुए बर्ताव करेंगे तथा सभा की गरिमा के मामले में बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे।

मैं इसी राजदूत के बारें में यह जो बताना चाहता हूं कि यही राजदूत जो कि एन.डी.ए. के कार्यकाल के दौरान रूस के राजदूत थे और अब हमारे कार्यकाल में अमरीका के राजदूत हैं, उन्होंने कैसे कार्य किए, उन्होंने क्या किया, इत्यादि के ब्यौरे का पता लगाया जाना चाहिए, इसका ब्यौरा मांगा जाना चाहिए। यह माननीय विदेश मंत्री का कार्य है। मैं उन्हें यह बता दूंगा।

मैं दु:ख के साथ यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि यदि इस सभा के किसी माननीय सदस्य का अनादर हुआ है तो संपूर्ण सदन को उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए एकजुट होना चाहिए। परन्तु इसी सदन में, मैं दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह एक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार है तथा इस पर आपने अपनी टिप्पणियां दे दी। मैं समाचार-पत्र की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, यह सभा में नहीं कहा गया है–जब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में 'गाट स्ट्रेटवे' शब्द का उपयोग किया गया था तो दलों ने इसका खण्डन नहीं किया था, क्या इस मुद्दे का समर्थन करने का आपका नैतिक अधिकार है? ...*(व्यवधान)* यह मेरा प्रश्न है।

महोदय, मैं ऐसा करूंगा, मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं आपकी भावनाओं से सरकार को अवगत करा दूंगा और यू.पी.ए. सरकार सभा के सम्मान की रक्षा के लिए प्रभावशाली ढंग से तत्परतापूर्वक कार्यवाही करेगी। धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, यह क्या हो रहा है? कृपया हमें भी बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। डा. करण सिंह यादव अब अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठायेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक मौका चाहते थे। मैंने आपको 43 मिनट का मौका दिया और अब वह समाप्त हो चुका है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे पर 43 मिनट बीत गए हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब डा. करण सिंह याद बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सर इस पर क्या एक्शन होगा, इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सारी बातें गोलमोल कही गई हैं। सरकार को इस समय तक इस पर कार्रवाही करनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया और इनका कहना है कि यह रिपोर्ट करेंगे, जो काफी नहीं है। इसलिए प्रोटैस्ट में हम वाक-आउट करते हैं।

अपराहन् 12.43 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति-पूर्वक जाइए।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दो दिन पहले मेरे क्षेत्र अलवर में एक सड़क दुर्घटना में बी.एड. में पढ़ने वाली 12 छात्राओं की हुई दर्दनाक मौत की ओर दिलाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव: ये बच्चियां बी.एड. कालेज में पढ़ने के लिए अलवर शहर से बाहर जा रही थी और एक सड़क दुर्घटना

[डा. करण सिंह यादव]

में इनकी मौत हो गई। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह बी.एड. कालेज शहर से लगभग पचास किलोमीटर दूर ऐसे स्थान पर बना हुआ है, जहां पर न पूरी सड़क है, न कोई संसाधन हैं और न कोई आने-जाने का रास्ता है और वहां दो कमरों में चलने वाले कालेज को परमीशन दे दी गई, जहां पूरे शिक्षक तक नहीं हैं और इस संस्था के संस्थापक इस बात के लिए बच्चियों पर दबाव डालते हैं कि अगर आप पांच मिनट भी लेट आई तो आपको तीस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बी. एड. कालेज की जो संस्थाएं हैं, वे पैसा कमाने के लिए छात्रों का आर्थिक और मानसिक शोषण करती हैं। छात्राएं कालेज जाते समय इस दबाव में थीं कि कहीं अगर हम लेट हो गए तो हमें तीस रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए वे ड्राइवर से कह रही थी कि जल्दी चलो, जल्दी चलो और रास्ते में इनकी मौत हो गई। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल काउंसिल ऑफ टैक्निकल एजूकेशन जब ऐसे कालेजों को प्रमाणिकता देता है तो वह इस बात को सुनिश्चित करे कि जहां भी बी.एड. कालेज खोले जाएं, वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो।, वहां पूरे शिक्षक हों, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और ऐसे लोगों को संस्थान नहीं दिये जाएं जहां बैठकर लोग पैसा कमाएं। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि 12 बच्चों की मौत बेकार नहीं जाए, सरकार और एन.सी.टी. इस मामले में पूरी जानकारी लें। ... *(व्यवधान)* जिस संस्था में यह घटना हुई है, उस संस्था को पूरा दंड दें, उस संस्था को बंद कराएं और देश की अन्य संस्थाओं में भी इस तरह का परीक्षण करें, छापामारी करें तथा जानकारी हासिल करें। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए मुझे समय दिया, उसके लिए मैं अपनी ओर से और अलवर की जनता की ओर से आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हम एक महत्वपूर्ण बात उठाना चाहते हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने सोचा कि आप ले गए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: चले तो गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, मैं एक बार पुन: सं.प्र.ग. सरकार, विशेषत: माननीय वित्त मंत्री जो इस सभा में मौजूद हैं, का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री तथा उनके समूचे मंत्रिमंडल को वह वादा स्मरण कराता हूं जो उन्होंने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक व्यापक सामाजिक कानून बनाने के लिए किया था। तीन वर्ष गुजर चुके हैं और अनेक सत्र हो चुका हैं। हम विस्थापित, पददलित असंगठित श्रमिकों के लिए विधेयक लाने का मुद्दा अनेक अवसरों पर उठा चुके हैं।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह सरकार स्थिति से अनभिज्ञ है । वे राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए अपने वादे से मुकर रहे हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे मुकरे नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री सांताश्री चटर्जी: सं.प्र.ग. सरकार को अवसर के अनुसार चलना होगा और देश के सामने किए वादे को पूरा करना होगा। पिछली 8 अगस्त को असंगठित श्रमिकों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल की गई थी और उसमें 37 करोड़ श्रमिकों ने भाग लिया।

सरकार उनकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं दे रही है ...*(व्यवधान)* इसलिए उनको आंदोलन करना पड़ा ...*(व्यवधान)* मैं सरकार से उनके लिए कुछ करने ...*(व्यवधान)* और इस संबंध में इसी सत्र में कानून बनाने की अपील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अध्यक्षपीठ का सहयोग करें। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि अध्ययन, नौकरी और व्यवसाय के लिए विदेश यात्रा करने और वहां जाकर रहने वाले उनके पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को सहायता दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां अपने बच्चों के साथ एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं। वे अक्सर दहेज की मांग और अन्य क्रूरताओं की शिकार होती हैं। सरकार को पति की विदेश यात्रा के लिए पत्नी की सहमति अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य करने के प्रावधान को क्रियान्वित करना चाहिए। सरकार पासपोर्ट जारी करने के लिए इसे एक पूर्व-शर्त बना सकती है।

जैसा कि हम सब जानते हैं विदेश जाकर बस जाने और दूसरी शादी कर लेने वाले पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को उनके प्रति किए गये वैवाहिक अपराधों, दहेज की मांग अथवा क्रूरताओं के लिए अदालत में जाना पड़ता है। विदेश में रहने के कारण, पते के अभाव में उनके पतियों को अदालती नोटिस भेजना कठिन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हो जाता है। न्याय प्रक्रिया में विलंब होता है। इसलिए, उनको नोटिस न भेजने के कारण मुकदमें लंबित रहते हैं क्योंकि नोटिस भेजे बिना अदालत आगे की कार्यवाई नहीं कर सकती है। इससे महिलाओं की कठिनाईयां और पीड़ा बढ़ती जाती है। मैं सरकार से पासपोर्ट जारी करने से पहले ऐसी शर्त लागू करने तथा भारतीय पासपोर्ट से विदेश में रहने वाले भारतीयों जिन्हें आप्रवासी भारतीयों का दर्जा प्राप्त और अक्सर भारत आकर विदेश वापस चले जाते हैं, की यात्राओं का विनियमन करने का आग्रह करती हूं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी विवाहित भारतीय नागरिक अपनी पत्नी की सहमति के बिना देश न छोड़ सके। पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद शादी करने वालों के लिए विदेश जाते समय अपनी पत्नी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होना चाहिए। इसी प्रकार अप्रवासी भारतीय के रूप में विदेश में रहने वाले व्यक्तिय के लिए एक यथोचित अवधि में अपनी पत्नी से अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा जाए। अन्यथा उसको भारत लौटने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

ये घटनाएं केवल मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही हैं। इसलिए ऐसे कष्टकारक मुद्दों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को मिलकर एक दृढ़ नीति बनानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि आपको भाषण समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, देश में सीमेंट उत्पादकों द्वारा हर साल सीमेंट के दाम बढ़ाने की वजह से सामान्य जनता को सीमेंट इस्तेमाल में बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सीमेंट कम्पनियों...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभा को बाधित न करें तो मैं विचार करूं अन्यथा नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: अध्यक्ष महोदय, सीमेंट उत्पादक कम्पनियों ने कॉर्टल बनाकर सीमेंट महंगा करने की योजना बनाई है, इससे गरीब लोगों और सरकार की अनेक परियोजनाओं को नुकसान हुआ है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह सीमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। आपको सीमेंट की आवश्यकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: एक सामान्य व्यक्ति अपने मकान का सपना पूरा नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह सीमेंट के बढ़ते हुये दाम हैं। दाम बढ़ाए ऐसा कोई कारण भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि किसी राज्य में, टैक्स व रायल्टी नहीं बढ़ी उसके बावजूद सीमेंट के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सीमेंट में फ्लाय ऐश मिलाने की अनुमति दी है, उससे तो सीमेंट के दाम कम होने चाहिये। सीमेंट बनाने में जिस लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका मूल्य 50 रुपये प्रति टन होता है, जबकि सीमेंट बनाने वाले सीमेंट 5000 रुपये प्रति टन बेच रहे हैं। वे लोग इतना ज्यादा मार्जिन से मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और उसे दाम पर रोक लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, दो विशिष्ट माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बोलिये, आपका क्या हुक्म है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को समझें कि अध्यक्षपीठ के प्रति भी इस प्रकार का अनादर किया जा रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: वे परिसीमन आयोग को एक महत्वपूर्ण मामला समझते हैं। परन्तु मैं उनसे यह बताने का अनुरोध करूंगा

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

कि इस मामले पर इस सभा में किस प्रकार चर्चा की जा सकती है। यह एक संवैधानिक निकाय हैं। उनके पास स्वयं की शक्तियां हैं और सभा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए मैं इस मामले पर आपके विचार जानने की कोशिश कर रहा हूं। यह सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इस मामले को यहां नहीं उठाया जा सकता है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं जो मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि परिसीमन आयोग ने मीडिया के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष एक वक्तव्य दिया है तथा यह भी बताया है कि 30 राज्यों में से 25 राज्यों का परिसीमन कार्य पहले ही किया जा चुका है तथा यदि केन्द्रीय सरकार कोई निर्णय लेती है तो पुन: समायोजन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: जी हां, परिसीमन आयोग ने यह कहा है। मैं सरकार के माध्यम से इस मुद्दे को समझाना चाहता हूं क्योंकि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे अभी सुनेंगे कि क्या हुआ है तथा श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने क्या कहा है। मैं उस पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: इसलिए सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए कि क्या वे परिसीमन आयोग की घोषणा के अनुसार कार्य करेंगे। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं चूंकि परिसीमन अधिनियम, जिसे वर्ष 2002 में पारित किया गया था, को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर लागू किये जाना चाहिए था। विधि के बारे में जहां तक मुझे सीमित जानकारी है, उसके अनुसार इसमें केन्द्रीय सरकार को शामिल किया जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है कि सन् 2002 में लोक सभा ने अपनी शक्ति के अनुरूप परिसीमन आयोग को इस निर्देश के साथ कहा था कि लोक सभा और विधान सभा की सीटों का परिसीमन उसके भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाये। इसके साथ यह भी गाइडलाइन्स जारी की गई थी कि कमिश्नरी के बाहर कोई लोक सभा और विधानसभा क्षेत्र न हो। आयोग ने जो परिसीमन किया है, उसका जनता ने प्रोटैस्ट किया है। झारखंड में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है जहां लोगों को सुना नहीं गया और उन्हें भगा दिया गया। जहां तक परिसीमन की बात है, पूरे देश में इस बात पर विरोध हुआ है कि यह गलत तरीके से किया गया है। पूरे पार्लियामेंटरी और विधानसभा क्षेत्र को सभी अधिकार नहीं मिलते हैं। इस सब के बावजूद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल देना, संसद सदस्य के क्षेत्र का नाम बदल देना, उसके बाद भौगोलिक दृष्टिकोण से एक-एक विधानसभा क्षेत्र 74-74 किलोमीटर तक ले जाना, जैसे पगडंडी बना दी गई हो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह अधिकार है। सदन में बराबर सरकार की तरफ से चर्चा चलती है कि 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देना है तो सीटें बढ़ानी होंगी। यदि 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सीटें बढ़ानी हैं और परिसीमन आयोग तीन महीने का समय मांगता है तो आप एक साल का समय देते हैं। पहले आप इस परिसीमन को बदलिये। जो-जो नयी सीटें बदलनी हैं या महिलाओं को आरक्षण देना है, उसको लेकर नया परिसीमन कराकर देश में परिसीमन लागू कीजिए। यह परिसीमन बहुत ही गड़बड़ हुआ है। परिसीमन आयोग ने जो काम किया है, वह बहुत अच्छा नहीं किया है, यह हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें चूंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय मामला लंबित है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराना चाहता हूं। अभी अखिल भारतीय अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारी संघ के तत्वावधान में जंतर मंतर, संसद मार्ग पर मार्च हो रहा है। लाखों ग्रामीण डाक सेवक अपनी जायज मांगों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्स्ट्रा डिपार्टमैंटल कर्मचारी होते हैं, इनके लिए गांवों में कहा जाता है कि चाहे आंधी आए या तूफान आए मगर डाकिया जरूर आता है। वैसे डाकियों को सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है जबकि वह डाक विभाग का कर्मचारी है। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया था कि ईडी कर्मचारी कैजुअल मजदूर या एजेन्ट नहीं, बल्कि सिविल पद के धारक होंगे। 1984 में चतुर्थ वेतन आयोग का गठन हुआ था।

उसमें ईडी कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवक संबंधी मामले को सुपुर्द नहीं किया गया। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं। 1993 में डाक सेवकों की हड़ताल के बाद सरकार ने लिखित वायदा किया था कि पंचम वेतन आयोग के गठन के बाद किसी भी विभागीय अधिकारी के अधीन कोई समिति गठित नहीं की जाएगी, चाहे वह कार्यरत हो या अवकाशप्राप्त, लेकिन उच्चतम न्यायालय के अवकाशप्राप्त जज, न्यायमूर्ति चरणजीत तलवार की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया। अभी क्या किया गया है कि तलवार समिति ने ग्रामीण डाक सेवकों के मामले संबंधी अनुशंसाएं वेतन आयोग को सुपुर्द कर दी हैं जिनमें से कुछ को सरकार ने माना भी है। अभी 23 जुलाई, 2007 को ग्रामीण डाक सेवकों के मामले को शामिल नहीं करके अलग से आर.एस. नटराजन मूर्ति, सेवानिवृत सदस्य, डाक सेवा बोर्ड की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। मैं इतना ही मांग करना चाहता हूं कि ग्रामीण डाक सेवकों की मांग और उनके मामलों में गहन अध्ययन के लिए एक-सदस्यीय न्यायिक कमेटी का गठन किया जाए ताकि उनकी अनुशंसाओं पर अमल हो और सरकार के निर्देशों का भी पालन हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो असोसियेट करना चाहते हैं; वे अपना नाम भेज सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: डाक सेवक अल्प वेतन भोगी हैं, जिनके मामले में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। डाक सेवा क्षेत्र में अंतिम पंक्ति में ग्रामीण डाक सेवक ही खड़ा है, इसीलिए उनकी सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे सभी सदस्य जो अपने आपको इससे संबद्ध करना चाहते हैं, सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यनारायण जटिया, श्री शाहनवाज़ हुसैन, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री भंवर सिंह डांगावास, श्री गणेश सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रो. चन्द्र कुमार एवं श्री जे.एम. आरून रशीद का नाम भी श्री देवेन्द्र प्रसा यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे से एसोसियेट किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): जिस मुद्दे को मैं यहां उठा रहा हूं उसे बहुत पहले इस सभा में उठाया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय: यह मामला यहां उल्लेख करने का नहीं है; मूल्य वृद्धि एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं जानता हूं कि यह एक चिंता का विषय है। स्थिति यह है कि अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि ने एक वर्ष से अधिक समय से देश में हाहाकार मचाया हुआ है तथा जीवनयापन के लिए महत्वपूर्ण प्रत्येक आवश्यक वस्तु मंहगी हुई है। दालें 50 रुपये प्रति किलो, आलू 15 रुपये प्रति किलो और तेल 60 रुपये के भाव पर बिक रहा है।

संसद के पिछले सत्र में, माननीय वित्त मंत्री ने सभा को आश्वस्त किया था कि सरकार वित्तीय कदमों सहित सभी कदम उठा रही है जिससे शीघ्रातिशीघ्र मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में नाकाम रही है। यही नहीं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी आकंड़ों के अनुसार, लोगों में अत्यंत गरीब तबका, जो कि लगभग 86 करोड़ है जो कि 20 रुपये के अल्प उपभोक्ता स्तर पर जीवन-यापन कर रहे हैं, सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त: ने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): हमें भी इस पर असोसियेट करना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, श्री गुरूदास दासगुप्त ने जो कहा है, मैं अपने आपको उससे संबद्ध करना चाहता हूं ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी अपने आपको इससे सम्बद्ध करना चाहते हैं। संपूर्ण सभा ही अपने आपको माननीय सदस्य के कथन से सम्बद्ध करना चाहती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी तो नोटिस की ज़रूरत चली गई। नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है। खड़े होने से ही काम हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) तमिलनाडु में विल्लूपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): यह सर्वविदित है कि दक्षिणी तमिलनाडु में कोई बड़ा उद्योग नहीं है तथा यहां सिंचाई क्षमता अपर्याप्त है यह अत्यंत विक्षुब्धकारी है कि इस क्षेत्र में बेरोजगारी अपने चरम पर है जबकि उस क्षेत्र में लाखों शिक्षित युवक हैं, जिनके पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। उपरोक्त कारक कभी-कभी वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं जिससे सामाजिक तनाव और जान-माल की हानि होती है।

इस क्षेत्र में औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण अवसंरचना, विशेषरूप से यातायात सुविधाओं की कमी होना है। तमिलनाडु का यह भाग उपभोक्ता बाजारों से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। चूंकि रेलवे सुविधाएं अपर्याप्त हैं, इसलिए उद्योगपति अपने संयंत्र वहां स्थापित नहीं करना चाहते हैं।

हाल ही में मुझे पता चला है कि योजना आयोग ने विल्लूपुरम तथा डिंडीगुल के बीच रेल लाईन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को (अपर्याप्त आय अर्थात आरओ आर 60 प्रतिशत है) के आधार पर अस्वीकार कर दिया है जिसे रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा अग्रेषित किया गया था। विल्लूपुरम से डिंडीगुल के बीच समानांतर बड़ी रेल लाईन (दोहरीकरण) और उसका विद्युतीकरण करने संबंधी यह परियोजनाए लंबे समय से चली आ रही एक उचित मांग है। विल्लूपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल खण्ड की दूरी 200 किलोमीटर है। यदि परियोजना को कार्यान्वित किया जाता है तो इस पर 850 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। मुझे यह भी पता है कि एक बार रेलवे बोर्ड ने मामले को योजना आयोग के साथ उठाया था जिसमें रेलवे बोर्ड ने कहा था कि आर.ओ.आर. 11 प्रतिशत से अधिक होता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बहुत समय से लंबित इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए।

(दो) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद सिटी की आउटर रिंग रोड परियोजना के निर्माण पर होने वाले कुल लागत व्यय का 50% हिस्सा केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजामोहन रेड्डी (नरसारावपेट): हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने हैदराबाद शहर के लिए बाहरी रिंग रोड़ के रूप में एक 8 लेन वाले पहुंच नियंत्रित एक्सप्रैस मार्ग (एक्सेस कन्ट्रोल एक्सप्रैस वे) के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

इस बाहरी रिंग रोड़ की कुल लम्बाई लगभग 162 किलोमीटर है। इसमें महत्वपूर्ण स्थानों पर राजमार्ग सुविधाएं जैसे ट्रकों के लिए पार्किंग, सड़क के किनारे विश्रामगृह, रेस्टोरेंट व अन्य व्यवसायिक सुविधाएं विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा है, भू-अधिग्रहण की लागत, सहित इस बाहरी रिंग रोड़ को विकसित करने पर लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत आएगी, एम आर टी एस/बी आर टी एस बी सुविधाएं देने सहित 33 रेडिएल सड़कों के विकास पर लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

हुडा (एचयूडीए) 699 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 24. 380 किलोमीटर की लम्बाई तक बाहरी रिंग रोड परियोजना के पहले चरण का कार्य आरंम्भ कर चुका है। इस कार्य को दिसम्बर, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से बाहरी रिंग रोड़ (अर्थात 2000 करोड़ रुपये) और 33 रेडियल सड़कें (1250 करोड़ रुपये) विकसित करने की उक्त परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत भाग वहन करने का अनुरोध किया है।

कृपया इस विषय पर शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

(तीन) झारखंड के बोकारो जिले में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, चंदनकिआरी में उत्खनन कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर दुबे (धनबाद): महोदय, आपके माध्यम से मंत्री, पर्यटन और संस्कृति का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि झारखंड राज्य के अंतर्गत बोकारों जिला के चन्दन कियारी प्रखंड में इजरी नदी के किनारे बसे महाल, खेराजगाजर एवं भेजूडीह-भैरवस्थान क्षेत्र में जमीन के नीचे प्राचीन कालीन दुर्लभ मूर्तियां, मंदिरों के अवशेष तथा लेख शिला खंड आदि वस्तुएं पाई जाती हैं। भैरव स्थान में अवस्थित गंगा कुण्ड के नाम से विख्यात कुण्ड में साल भर पानी का स्रोत चलता रहता है। 25 फीट की दूरी पर स्थित इजरी नदी का पानी सूख जाता है किंतु इस कुण्ड में पानी का स्रोत बंद नहीं होता। इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति संबंधी महत्वपूर्ण धरोहर होने की पूर्ण संभावना है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं खुदाई कराकर इस स्थान से संबंधित प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का पता लगाया जाये तथा भैरव स्थान

जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना ली जाये।

(चार) हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

डा. कर्नल (सेवानिवृत) धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के नाम से जाना जाता है और मेरे संसदीय क्षेत्र शिमला में तो फल-उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक प्रकोप-वश कभी ओला-वृष्टि, हिम-वृष्टि तथा कभी अति-वृष्टि या अनावृष्टि होती रही तो कभी आंधी तूफान आते रहे। कुछ क्षेत्रों में तो प्राकृतिक प्रकोप इतना भयंकर था कि ओला-वृष्टि के कारण बागवानों का बीज तक की लागत भी हाथ नहीं लगी और इस प्रकार ऐसे किसान-बागवानों को कर्जा उठाकर क्षति की भरपाई करनी पड़ी।

हालांकि प्रदेश सरकार की समर्थन-मूल्य नीति से ऐसे किसानों/बागवानों को कुछ राहत तो अवश्य मिली है लेकिन इतनी भारी क्षति का सामना करने की स्थिति में यह न के बराबर है। अत: इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना अनिवार्य है।

जहां सेब-उत्पादन से प्रदेश का बागवानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है वहीं इससे भूमि-संरक्षण, पर्यावरण-संरक्षण आदि जैसे लाभों के द्वारा पूरा देश भी लाभान्वित हुआ है।

मान्यवर मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से किसानों/बागवानों को संरक्षण प्रदान किया जाये। सेब-उत्पादन को राष्ट्रीय-कृषि नीति के अंतर्गत लाकर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि प्रदेश का सेब-उत्पादक इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सके और सेब उत्पाद न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में भी बेचे जा सकें।

(पांच) दक्षिण भारत में नारियल को प्रभावित करने वाले रोग "मंडारी माईट" के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): मैं कृषि मंत्री का ध्यान दक्षिण भारत के तुमकुर, शिमोगा और तिपतुर क्षेत्रों में नारियल उत्पादकों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में नारियलों में मंदारी मानूर नामक बीमारी के फैलने से नारियल का आकार कम हो गया है जिससे तेल और नारियल जटा का उत्पादन प्रभावित हुआ है। संबंधित अनुसंधान एजेंसियों द्वारा भरसक प्रयास किए जाने के बावजूद भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस मामले पर ध्यान दे और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र में प्रासंगिक अनुसंधान का समर्थन प्रदान करे।

(छह) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नया रेलवे जोन जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में हो सृजित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग लंबे समय से गुवाहटी में एक नया रेलवे जोन बनाने की मांग करते आ रहे हैं जिसमें मालेगांव और डिब्रुगढ़ रेल मंडल बनाए जाएं। सरकारी रिकार्डों से यह पता लगता है कि कुल रेल बजट में 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटित किया गया था जिसमें से आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आंशिक रूप से ही बजट का उपयोग किया गया है। उक्त 10 प्रतिशत बजट का उपयोग हमेशा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे (एन.एफ. रेलवे) के लिए ही किया जाता रहा है। एन.ई.आर. रेलवे इस 10 प्रतिशत बजट पूरे एन.एफ.आर. जोन के एन.ई.आर. राज्यों के लिए व्यय करता है और वह यह दावा करता है कि यह राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यय की गई है। यह उचित है। इस 10 प्रतिशत राशि का अधिकांश भाग कटिहार और अलीपुरद्वार मंडलों में व्यय किया जा रहा है।

दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास के नाम से एक अलग मंत्रालय है।

कई पूर्वोत्तर राज्यों में रेल सुविधाएं नही हैं और रेल विभाग सभी राज्यों को रेल लाइनों से जोड़ने पर विचार कर रहा है।

मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह शीघ्रतापूर्वक एक नया रेलवे जोन सृजित करे जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में हो।

(सात) राजस्थान के कोटा जिले के रंगपुर में रेल ऊपरिपुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र यथा कोटा, बूंदी, बारां तथा सम्पूर्ण कोटा मण्डल और व्यापक रूप में सारे देश में ही रेलवे के समपार फाटकों के कारण आवागमन की भारी समस्या है। रेलवे ने रेल लाइनों के निर्माण के दौरान स्थान-स्थान पर अंडर ब्रिज छोड़े होते तो शायद यह समस्या इतनी गंभीर और व्यापक नहीं होती। किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए या तो मीलों चक्कर लगाना पड़ता है या घंटों तक फाटकों पर खड़े रहना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे कई फाटक हैं, जो एक बार में ही कई-कई घंटे बंद रहते हैं।

[श्री रघुवीर सिंह कौशल]

कोटा के शहरी क्षेत्र में ऐसे ही एक समपार फाटक पर रंगपुर रोड रेलवे ओवरब्रिज निर्माणाधीन है जो लगभग 9 वर्षों से बन रहा है। राज्य सरकार का काम लगभग 4 वर्ष पूर्व पूरा हो चुका है, रेलवे को बहुत कम काम करना था, मगर वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जोन महाप्रबंधक और मण्डल रेल प्रबंधक कई बार इसे शीघ्र चालू करवाने की बात कह चुके हैं। मगर यह अभी तक चालू नहीं हो सका है। इसी क्षेत्र में रेलवे कालोनियों हेतु एक अंडर ब्रिज मंजूर है, किंतु तीन साल से इसके टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात समपार फाटकों के विकल्पों के निर्माण की गति अत्यंत धीमी है, जनता के लिए कष्टप्रद है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि रेलवे को समपार फाटकों, ऑवर ब्रिजों और अंडर ब्रिजों के प्रति गतिशील, संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाये।

(आठ) भरूच-दाहेज, अहमदाबाद-उदयपुर और भिलाडी-सामदाडी खंडों में रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वदोदरा): भरूच-दाहेज और अहमदाबाद-उदयपुर, भिलाड़ी-सामदाडी रेल लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य अभी भी लम्बित है।

मैं सरकार से इस मामले पर शीघ्रतापूर्वक ध्यान देने का अनुरोध करती हूं।

(नौ) ईंधन के रूप में इथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर): महोदय, आज विश्व के देश पेट्रोल का विकल्प ढूंढ रहे हैं तथा विश्व के विकसित देश जिनमें यू.एस.ए, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि मुख्य हैं, के द्वारा इथोनॉल के रूप में पैट्रोल का विकल्प तलाश करके इसका समुचित उपयोग किया जा रहा है। इन देशों के द्वारा इथोनॉल का पैट्रोल में बहुत ही अच्छे तरीके से मिश्रण किया जा रहा है।

ऐसा नहीं है कि भारत में इथोनॉल की संभावना नहीं है। भारत में इसकी बहुत अधिक संभावना है। हमारे देश में इथोनॉल कार्यक्रम बहुत धीमी गति से चल रहा है। लेकिन, वास्तविकता तो यह है कि हमारे देश में इथोनॉल कार्यक्रम अभी तक सुचारू रूप से प्रारंभ ही नहीं हुआ है।

यह विदित ही है कि हमारे देश के द्वारा पेट्रोल के आयात पर भारी मुद्रा व्यय की जाती है। यदि हमारे देश में पैट्रोल में केवल 10 प्रतिशत इथोनॉल का मिश्रण किया जाता है तो इससे प्रत्येक वर्ष हमारे देश को लगभग 2200 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है। ब्राजील और अन्य विकसित देशों द्वारा भी इथोनॉल का पैट्रोल में 20 प्रतिशत तक मिश्रण करके भारी मात्रा में पैट्रोल पर व्यय होने वाली मुद्रा की बचत की जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इथोनॉल कार्यक्रम में तेजी लाकर इसके समुचित उपयोग के लिए एक नीति शीघ्र तैयार करे ताकि पैट्रोल के आयात पर व्यय की जाने वाली मुद्रा में कमी आ सके और देश में ही पैट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(दस) कोयला खनन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के कारण विस्थापित हुए लोगों को पर्याप्त राहत दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): महोदय, देश के कोयला क्षेत्र में कोयला खान परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जाती है। भूमि अधिग्रहण के समय सी आई एल तथा इससे संलग्न सहयोगी कंपनियों द्वारा विस्थापितों को मुआवजा, नौकरी तथा भूमि का मूल्य देने के बड़े-बड़े वायदे किये जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा है कि यह वादे कभी भी निभाये नहीं गये। फलस्वरूप देश के कोयला खानों के भूअर्जन संबंधित हजारों मामले आज भी लंबित पड़े हुए हैं।

कोयला मंत्रालय तथा सी आई एल ने विस्थापितों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2003 के अंतर्गत नई नीति बनाने का कार्य शुरू किया लेकिन इसमें लगातार विलंब किया जा रहा है। आज देश में भूमि अधिग्रहण के बारे में असंतोष दिखाई दे रहा है। किसानों की कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण हेतु बाजार योग्य मूल्य तथा अधिक मुआवजा देने की मांग हो रही है। कोयला मंत्रालय इसका संज्ञान लेकर अपने पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति में कालोचित बदलाव करें। विस्थापितों को अब तक दिया जा रहा मौद्रिक मुआवजा दुगुना करना चाहिए। किसानों से चर्चा कर उनके भूमि के बाजार के अनुसार मूल्य निर्धारण हो, उसी तरह परियोजना में विस्थापितों को नौकरी देने के लंबित सभी मामलों का तत्काल निपटारा करने का प्रावधान रखे। इतना ही नहीं सी आई एल द्वारा महिलाओं की नियुक्ति में हो रही उपेक्षा को समाप्त कर महिला नियुक्ति के सभी मामलों का निपटान करें और कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के मामले में खेतिहर मजदूर और महिला मजदूरों को भी नौकरी तथा मुआवजे में अधिक फायदा दिलाने के प्रावधान कर नई नीति शीघ्र घोषित करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उक्ताशय अनुसार उचित कार्यवाही प्राथमिकता से करने का कष्ट करें।

(ग्यारह) राजस्थान में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर वर्ष 2006 में राजस्थान में भारी एवं निरन्तर वर्षा के कारण संपूर्ण राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को बहुत क्षति हुई है। राज्य के एक बड़े हिस्से में वर्ष 2006 में अभूतपूर्व वर्षा हुई जो कि गत वर्षों की औसत वर्षा के तुलना में कई गुना अधिक हुई है। इस अतिवृष्टि के कारण राज्य के कई छोटे-बड़े पुल भी क्षतिग्रस्त हो गये और राज्य में संचार तथा यातायात भी बाधित हो गया। राजस्थान के मुख्य अभियंता (एन.एच.) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति का प्रारंभिक आकलन कर तात्कालिक मरम्मत के लिए 30.00 करोड़ तथा स्थायी मरम्मत हेतु 112.00 राशि जारी करने की आवश्यकता बताई हैं, इस पर राजस्थान सरकार ने पोत, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से तुरंत सहायता जारी करने का अनुरोध किया है।

मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान में राजमार्गों की क्षति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल सहायता राशि जारी करने की कृपा करें।

(बारह) पश्चिम बंगाल के झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली के पुनरूद्धार हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रामचन्द्र मुर्मू (झाड़ग्राम): पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा से आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झाड़ग्राम के एक बड़े हिस्से को भारी क्षति पहुंची है। इसका कारण मुख्य रूप से झारखण्ड के चांडिल बांध में पानी छोड़ा जाना और निकासी प्रणाली है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झाड़ग्राम की जल निकासी प्रणाली बड़ी मात्रा में पानी की निकासी के लिए पर्याप्त नहीं है। झाड़ग्राम में गोपीबल्लभपुर, नयाग्राम, बोनपुर खण्ड हाल में आई बाढ़ में डूब गए हैं। इस वर्ष इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। धान सहित बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान हुआ है, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों की जान बचाने हेतु यहां की जल निकासी प्रणाली की मरम्मत करने के लिए धन उपलब्ध कराए।

(तेरह) केरल में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून से पूरा देश, विशेषकर केरल बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसमें लगभग 206 लोग मारे गए हैं और लगभग 1500 करोड़ रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई है। भारी वर्षा के कारण हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई और इससे कृषि उत्पाद और नकदी फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई। विद्युत संचार जैसी अवसरंचनाएं और जल प्राधिकरण भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सभी सड़कें, गांवों की सड़कें, लोक निर्माण विभाग की सड़कें और यहां तक की राष्ट्रीय राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

इसके अलावा बहुत से हिस्सों में समुद्र से भूमि का कटाव और भूस्खलन भी हुआ है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 35 लोगों की जाने गई।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से सहायता प्रदान करे और वर्तमान स्थिति से निपटने हेतु तत्काल उपाय करे।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के बीड़ी कर्मकारों के लिए आवासीय ईकाइयों के निर्माण हेतु राजसहायता के रूप में स्वीकृत धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एम. 11015/19/06 डब्ल्यू. 111, दिनांक 19 फरवरी, 2007 द्वारा उ.प्र. के जनपद इलाहाबाद के 79 एवं कौशाम्बी के 20 वाराणसी में 05 बीड़ी श्रमिकों के आवास निर्माण हेतु आर.आई.एच.एस. 2005 के अंतर्गत धनराशि रू. 2080 लाख की सब्सिडी स्वीकृत की गई। आदेश में उल्लेख किया गया है कि सब्सिडी की धनराशि श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर को उपलब्ध कराई जाये। इस संबंध में अपर श्रमायुक्त कानपुर ने 15 जून, 2007 को प्रदेश सरकार को लिखा परन्तु धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। पत्र सं. 902/05/प्र.बी.सी.32/07 दूसरा रिमाइन्डर श्रमायुक्त कानपुर द्वारा फिर प्रदेश सरकार को 27.7.07 को दिया गया। जिसकी पत्र सं. 1212-13 है। इन बीड़ी

श्रमिकों ने पांच-पांच हजार का बैंक ड्राफ्ट कर्ज लेकर दिया है। जिसका ब्याज बढ़ रहा है। श्रमिकों में भारी रोष व्याप्त है। मेरा भारत सरकार श्रम मंत्रालय से अनुरोध है कि स्वीकृत धनराशि 2080 लाख को अवमुक्त कराकर श्रमायुक्त कानपुर को भिजवाने का कष्ट करें। जिससे श्रमिकों को अनुदान की राशि मिल सके।

(पन्द्रह) पूर्वोत्तर रेलवे जोन के केराकट में सभी सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे के औड़िहार जंक्शन से जौनपुर जाने वाले मीटरगेज से ब्राडगेज में परिवर्तित हो रही रेल लाइन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उक्त रेल लाइन जब मीटरगेज थी तो उस समय केराकट में पूर्ण रेलवे स्टेशन था। वहां रेल गाड़ियों के क्रासिंग की व्यवस्था तो थी ही, वहां रेलवे गो-डाउन भी बना हुआ था जिससे तहसील के व्यापारियों को अपना माल भेजने तथा माल मंगाने में सुविधा होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उक्त रेल मार्ग पर औड़िहार और जौनपुर के बीच एक मात्र तहसील केराकट पड़ती है। वहां बड़ा बाजार है। वहीं पर नगर पंचायत का मुख्यालय भी है। यही नहीं झुनझुन वाला फैक्ट्री तथा यू.ए.एल.यू.पी. सीमेंट फैक्ट्री भी है। जहां से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद केराकट को पूर्ण स्टेशन का दर्जा न देकर वहां हाल्ट बनाना समझ से परे है। इसके विपरीत मुफ्तीगंज व डोमी को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया गया है, जहां न तो कोई बाजार है और न कोई ऑफिस है।

अत: आपके माध्यम से रेल मंत्री से मेरी मांग है कि केराकट जैसे महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए वहां पर हाल्ट की जगह पूर्ण रेलवे स्टेशन बनाया जाए साथ ही रेलवे क्रासिंग की व्यवस्था के साथ-साथ गो-डाउन भी बनाया जाये ताकि तहसील मुख्यालय के व्यापारी लाभान्वित हो सकें और आम जनता भी लाभ उठा सके।

(सोलह) आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर सेतु के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा इतुरूनगरम में राष्ट्रीय राजमार्ग-202 के टूटे सम्पर्क को जोड़े जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा): गोदावरी नदी पर एक बड़े पुल और इतुरूनगरम में राष्ट्रीय राजमार्ग 202 के हैदराबाद-भूपलापतनम सड़क के टूटे सम्पर्क को जोड़ने निर्माण कार्य, व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 2002 में मैसर्स आर.आई.टी.ई.एस. (राइट्स) को सौंपा गया था। तीन वैकल्पिक अध्ययनों के संरेखण को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तत्स्थानिक निरीक्षण और क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, आंध्र प्रदेश सरकार ने 17/7/2006 को केन्द्र सरकार को संरेखण विकल्प संख्या 3 की संस्तुति की थी।

सरकार से अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को इस संरेखण प्रस्ताव के अनुमोदन की सूचना भेजने का अनुदेश दिया जाए ताकि इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट इसी वर्ष भेजी जा सके। इसके साथ-साथ यह भी अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु 2007-2008 की योजना में बजट अनुमान के लिए सांकेतिक प्रावधान शामिल किया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर हैदराबाद से यादगिरिगुट्टा तक की सड़क को चार लेन की करने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया जाए।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने की खरीद किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर): महोदय, मैं जिस पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की बिजनौर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला क्षेत्र है। वहां 2006-07 से किसानों की हालत बद्तर बनी है। 20 मार्च, 2007 के पश्चात् प्राइवेट चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण किसान अपनी अगली फसल पैदा करने के लिए बुरी तरह कर्ज में दब गया है। दूसरा कारण प्रदेश सरकार द्वारा निगम एवं को-ऑपरेटिव चीनी मिलों को बेचने का जो फैसला लिया गया है, उसके कारण इस क्षेत्र का गन्ना उत्पादन करने वाला किसान पूरी तरह प्राइवेट चीनी मिल मालिकों के चंगुल में फंस जायेगा। निगम एवं कोऑपरेटिव चीनी मिलों को बेचने का मैं इस सदन के माध्यम से विरोध करता हूं एवं गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों का पिछले वर्ष का भुगतान भी अतिशीघ्र कराया जाये। वर्ष 2007-08 में माह अक्टूबर में चीनी मिलों की पेराई प्रारंभ कराई जाये। निगम एवं कोऑपरेटिव चीनी मिलों के गोदामों से लाखों टन चीनी की खरीददारी स्वयं भारत सरकार करे जिससे चीनी मिलों की बैंक ब्याज से होने वाली हानि को कम किया जा सके।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 18 ली जा रही है।

धन्यवाद! माननीय मंत्री बोल रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-2008

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं वर्ष 2007-2008 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों की प्रथम किश्त (बैच) प्रस्तुत करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष के निर्णय पर सवाल नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. सत्यनारायण जटिया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: नया-नया तरीका हो जाता है।

[अनुवाद]

आप मंत्रियों को उत्तर देने के लिए बाध्य कर रहे हैं और अध्यक्ष को प्रति उत्तर देने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

जी हां, श्री सत्यनारायण जटिया, आप अपनी बात शुरू करें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 28, 32, 33, 35, 44 46, 48, 50, 52 से 54, 56, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 70, 78, 86, 87, 93, 99, 100 और 104 की मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2007-2008 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1	कृषि और सहकारिता विभाग	800,01,00,000	-
8	उर्वरक विभाग	15000,00,00,000	-
9	नागर विमानन मंत्रालय	-	1,00,000
11	वाणिज्य विभाग	300,00,00,000	1,00,000
12	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	1,00,000	-
14	दूरसंचार विभाग	377,00,00,000	352,00,00,000
18	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	300,00,00,000	-
19	संस्कृति मंत्रालय	70,02,00,000	-

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

1	2	3	4
23	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	63,83,00,000	-
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,00,000	1,00,000
32	आर्थिक कार्य विभाग	-	15,00,00,000
33	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1,85,00,000	-
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	300,00,00,000	-
44	विनिवेश विभाग	-	1,00,000
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	37,00,00,000
48	भारी उद्योग विभाग	567,75,00,000	3,00,000
50	गृह मंत्रालय	18,00,00,000	-
52	पुलिस	120,00,00,000	81,10,00,000
53	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	106,58,00,000	-
54	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण	1,00,000	-
56	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	-
57	उच्च शिक्षा विभाग	5,00,000	-
59	श्रम और रोजगार मंत्रालय	235,90,00,000	-
63	खान मंत्रालय	15,00,00,000	-
65	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,00,000	-
67	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	
69	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,00,000	-
70	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,00,000	-
78	ग्रामीण विकास विभाग	300,00,00,000	20,00,00,000
86	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम-लघु उद्योग मंत्रालय)	2,00,000	1,90,00,000
87	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1,00,000	-
93	जनजातीय मामले मंत्रालय	1,00,000	-
99	शहरी विकास विभाग	-	50,00,00,000
100	लोक निर्माण कार्य	-	18,10,00,000
104	युवा मामले और खेल मंत्रालय	75,01,00,000	70,21,00,000
	जोड़	18651,13,00,000	645,38,00,000

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सत्यनारायण जटिया नहीं हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महादेय, धन्यवाद, आपने पहचान लिया।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2007-08 की *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मध्याहन् भोजन के पश्चात अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैंने आपका स्थान आरक्षित रखा है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

मध्याहन् भोजन के पश्चात लोक सभा अपराहन् 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-2008—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब यह सभा मद संख्या 18 लेगी।

मैं डा. सत्यनारायण जटिया से आग्रह करता हूं कि वे अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-2008 की पूरक मांगों के लिए वित्त मंत्रालय ने जो मांग प्रस्तुत की है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह बजट प्रक्रिया का हिस्सा है और आजादी के लगातार बाद का यह किस्सा है। किसी भी सरकार की सफलता का आकलन आम लोगों को मिली राहत से किया जाता है। पिछले बजट में सभी बातों को रखा गया था और उसमें उसकी विशेषताएं भी बताई गई थीं। उसमें गांव, गरीब और किसान के बारे में कहा गया था। उस वक्त जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई थीं, वह आम लोगों की राय थी। किसान के बारे में बोलते समय कवि और संत तिरूवल्लूर की वाणी को उद्धृत किया गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी चेतावनी को भी याद रखा जाना चाहिए कि यदि किसान हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया तो संतों को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। अखबार ने आगे लिखा है कि देखें आगे वे क्या करते हैं? किसान हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठता है? उसको इससे क्या मिलने वाला है? उसको इसकी जरूरत भी नहीं है। इन सभी बातों का सरकार को ही उत्तर देना है। इससे कुल 20412.14 करोड़ रुपये का सकल अतिरिक्त व्यय है, जिसमें निबल नकट व्यय 10428.22 करोड़ रुपये, बचत और वसूली से 9983.62 करोड़ रुपये और टोकन प्रोविजन 30 लाख रुपये का है। यह कोई नई बात नहीं है। ये बातें पहले भी होती आई हैं। इनके होने से अब तक क्या हुआ है, यह हम सब की चिन्ता का प्रश्न है। कृषि मंत्रालय के कृषि तथा सहकारिता विभाग को खाद्यान्न संबंधी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से चावल, गेहूं और दलहनों की उत्पादकता को बढ़ाने हेतू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चावल, गेहूं तथा दलहनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इससे क्या उपाय होने वाला है, यह भविष्य की बात है, किन्तु लगातार तीन सालों से सरकार के काम करने की जो पद्धति है, उनमें केवल घोषणाएं हैं। साझा सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर निकाली गई बुकलेट में कहा है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का सार उन नीतियों को अपनाना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में लक्षित हो। साथ ही जिनसें बराबरी पर आधारित न्यायपूर्ण वितरण और रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होते हों। हम चाहते हैं कि भारत चमके, अर्थात् प्रगति करे, किन्तु वह सब के लिए प्रगति करे। यह प्रश्न है कि सब के लिए प्रगति करे। तीन साल में कितनी प्रगति सब के लिए हुई है? अभी जो कुछ घोषणाएं हम देखते हैं कि एक लाख करोड़पति हो गये। एक लाख करोड़पति हो गये तो इनको जो प्रोत्साहन मिला होगा तो ये कहीं से तो करोड़पति हुए होंगे तो किसकी कीमत पर?

देश की आबादी 110 करोड़ से ज्यादा हो रही है। हिन्दुस्तान में आज भी 70 करोड़ लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार का प्रबन्ध, 12 मास का रोजगार उपलब्ध नहीं है। उसके कारण से ये जो सारी बातें हम कहते रहते हैं। गरीबी और बढ़ी है, नारे तो बहुत अच्छे लगते हैं, नारे तो सदा ही अच्छे, सुहावने होते हैं, लुभावने होते हैं। कहा गया था, कांग्रेस का हाथ-गरीब के साथ, इसके पहले 1972 में कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। मेरे पास अभी इंडिया टुडे का एक विशेषांक आया है, उसमें लिखा है—गरीबी घटने की धीमी रफ्तार योजना आयोग ने दिसम्बर, 2006 में जारी 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र में कहा है कि 2004-2005 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का

[डा. सत्यनारायण जाटिया]

प्रतिशत 27.8 अनुमानित था। इस प्रकार 1993 से 2004 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में औसत कमी हर साल 0.74 प्रतिशत बिन्दु की दर से दर्ज की गई। यदि यह रफ्तार 0.74 प्रतिशत है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो प्रतिशतता है, वह 27.8 है, यदि इसी दर से गरीबी को दूर होना है तो अभी गरीबी दूर होना और कितनी दूर है? इस तक पहुंचने के लिए इसको समाप्त करने के लिए, बेबसी को समाप्त करने के लिए हम क्या करने वाले हैं और इसलिए जब बड़ी योजनाएं, बड़ी कल्पनाएं, आपने भी एक अच्छा कार्यक्रम निकाला हुआ था और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर और बाकी की बातें आप कर रहे हैं, मैं इसकी चर्चा करूंगा, किन्तु इस गरीबी का क्या होगा? इसलिए नारे देने से देश तो नहीं बनता। नारे तो दिये जाते हैं, परन्तु उन्हें पूरा कौन करेगा?

"बुलन्द वादों की मंजिलें लेकर हम क्या करेंगे,

हमें हमारी जमीं दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे।"

इसलिए नारों की बुलन्दियां लोगों की तकलीफों को दूर नहीं कर सकतीं, उनकी बेबसी को दूर नहीं कर सकतीं। आज गरीब बरसात में, दिन में तो ठीक है, फिर रात में, जब उसका मकान ढह जाता है, बह जाता है, वह असहाय हो जाता है, तब उसकी सहायता का क्या उपाय है? इसलिए समाज के अन्तिम व्यक्ति की चिन्ता करने के बारे में यदि सरकार चिन्ता न करे तो फिर सरकार क्या सरकार है, वह तो बेकार है, क्योंकि आम आदमी से जो सरोकार नहीं रख सकती, उसको क्या कोई सरकार कहेगा।

यह तो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हमने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय होना चाहिए, इसलिए यह अन्याय हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है इसको कौन रोकेगा? आज हजारों लोग, जहां बाढ़ आ गई है, बेघरबार हो गये हैं। वे बेघरबार क्यों होते हैं, क्योंकि बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो वे कहां रहते हैं। वे जहां रहते हैं, वहीं पर बाढ़ आती है, वहां वे पहले प्रभावित होते हैं। उन लोगों की बसावटों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए किसी ने मना किया है क्या, नहीं किया है। हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि करना नहीं चाहते। इसलिए यदि उन लोगों के बारे में इतने समय बाद और इतने समय से राहत, परन्तु इसके बीच में चाहत कहां है, ऐसी हमारी चाह नहीं है तो राह नही है। हर साल बाढ़ आयेगी, हर साल गरीब मरेगा, हर साल गरीब मरेगा और गरीबी कम न होगी तो सही, गरीब तो कम हो जायेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई। इस दृष्टि से इन सारी बातों में जो नजरिया है, उस तरह से कृषि मंत्रालय के बारे में जैसा मैंने खाद्य सुरक्षा मिशन को क्रियान्वित करने के बारे में कहा था, फिर रबी में 2005-2006, 2006-2007 के दौरान सरसों के समर्थन मूल्य के बारे में भी आपने कुछ पैसा, 300 करोड़ रुपये मांगा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करने हेतु कृषि संबंधी राज्य की आयोजनाओं को अतिरिक्त केंन्द्रीय सहायता योजना के लिए 3 सौ करोड़ रुपए रखे। यह सभी को पता था की 11वीं पंचवर्षीय योजना तो आनी ही है और जब आनी ही है, तो वह मूल बजट में आ सकती थी, किन्तु मूल बजट में ज्यादा पैसा न हो जाए इसलिए 3 सौ करोड़ रुपए को 11वीं पंचवर्षीय योजना में खिसकाकर आप ले आए। कृषि के क्षेत्र में जो 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करना है, उसके लिए 3 सौ करोड़ रुपए लेकर हम यहां आ गए। अब यह 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कैसे हासिल होगी? जब सन् 1951 में पहला बजट आया था, उस समय कृषि पर आधारित और कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात जीडीपी में 61 प्रतिशत हुआ करता था। आज एक जानकारी के अनुसार वह 18.5 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले साल से भी एक प्रतिशत कम है। यह कम क्यों हो गया? कृषि पर आधारित लोगों की देश की जनसंख्या की 70 प्रतिशत आबादी, सन् 1951 में वह जनसंख्या के अनुपात में यदि वह 61 प्रतिशत रह सकती है, तब यदि आज भी उसे मेंटेन किया जाता तो वह 61 प्रतिशत रह सकती थी। धीरे-धीरे कृषि क्षेत्र की उपेक्षा होने के कारण इन सारी बातों को करने का मौका नहीं मिला। आप उर्वरक सब्सिडी और ऋण देने की बात कहेंगे। आपने कहा है कि जो ऋण 3 साल में देना चाहिए था, वह लक्ष्य हमने 2 साल में पूरा कर लिया है, यह बहुत अच्छा है, लेकिन ऋण को चुकाने के लिए उसे मौका तो मिलना चाहिए। कोई भी किसान ऋण लेता क्यों है-क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। ऋण लेकर ही वह खेती करता है, फिर उस ऋण का ब्याज भी देता है। सहकारी बैंकों के आधार पर तो वह बहुत ज्यादा ब्याज देता था। इसलिए मांग की जा रही है कि किसानों की फसल का समर्थन मूल्य देना काफी नहीं है। किसान की फसलों का समर्थन मूल्य देने के बजाय, उसे लाभकारी मूल्य देना चाहिए। जैसे हर काम में, कारोबार में और उद्योग में लाभ की कल्पना की जाती है, कोई बराबरी या हानि में काम नहीं करना चाहता, फिर किसान को क्यों हानि में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है? यह प्रश्न हमारे सामने है। इससे किसान को लाभ कैसे मिले, खेती का उत्पादन करते समय उसे किन-किन चीजों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। आखिर वह देश के लिए ही तो यह सब करता है।

महोदय, आज हम जो सारा खाद्यान्न आयात कर रहे हैं, पिछले वर्ष यह 50 लाख टन था, इस साल भी हम करने वाले हैं। उसको जो दाम देना चाहिए था, वह नहीं दिया, लेकिन समर्थन मूल्य 850 रुपए की घोषणा हो गयी, फिर बोनस करके 900 रुपए कर दिया, जबकि हम 1250 रुपए में लाने वाले हैं। जो गेहूं हम

1250 रुपए में लाने वाले हैं और आगे क्या भाव होगा, मुझे पता नहीं, उस गेहूं की आप क्वालिटी देखिए। कैसा गेहूं आ रहा है? ऐसा गेहूं यदि आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं, तो बाकी लोगों के घर में भी उपयोग हो सकता है। क्या आप उसे अपने घर में उपयोग करने लायक समझते हैं? अगर वह आयात हो रहा है, तो क्या हम सभी के घरों में वह उपयोग किया जाता है? यदि नहीं किया जाता, जो हम नहीं खा सकते, उसे दूसरों को खिलाने के लिए बाध्यता क्यों करनी चाहिए? ऐसा जो आयात किया गया गेहूं है, जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन आप जरूर कहेंगे कि यह तो बहुत अच्छा है और ऐसा हर सरकार कहती है। अगर अपने को पानी उपयोग करना है, तो कैसा चाहिए? अगर स्वयं को पानी उपयोग करना है, तो फिर इधर-उधर का पानी नहीं चाहिए, अच्छे किस्म का ही पानी चाहिए। अपने को खाना खाना है, तो किस किस्म का चाहिए? वह अच्छा और हाइजैनिक चाहिए। हमें जिन्दा रहना है, इसके साथ ही बाकी लोगों को भी जिन्दा रहना है। जिन्दा रहने के लिए जो न्यूनतम स्तर है, उसे मेंटेन करने के लिए सरकार की सहायता क्या हो सकती है? जो पहले गेहूं आयात हुआ था, उसके बारे में भी लोगों ने कहा है कि वह ठीक नहीं है। जिस परिमाण में वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलना चाहिए था, जितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, आप बाद में आए हैं और पहले ही डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया।

डा. सत्यनारायण जटिया: इन सारी बातों को मैं गरीब की चिंता के बारे में देखता हूं और उसकी निंदा करता हूं। ये सारी बातें हैं, जिन पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। परंतु सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। उर्वरक पर सब्सिडी के बारे में आपने कहा है कि यह 6 हजार 550 करोड़ रुपए है। ठीक है, आपने इतनी सब्सिडी में दे दिया, परंतु इसके अनुपात में जो हमारा किसान उत्पादन करता है, उस सब्सिडी का कितना हिस्सा प्रति क्विंटल उसके ऊपर गया है, क्या इसका अंदाजा किसी ने लगाया है? उसके हिस्से के बारे में जब हम अनुमान लगाएंगे, तो वह वैसा नहीं होता है। सिंचाई के संबंध में भी आपने कुछ मांग की है। सिंचाई के लिए मूल बजट में भी प्रावधान हुआ था। सिंचाई की क्षमता में वृद्धि नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। मान लिया जाए कि सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हो गई, लेकिन बिजली नहीं मिली तो काम कैसे चलेगा। यह कनैक्टिविटी है, एक तरफ से उसमें स्ट्रीमलाइन चाहिए कि यदि आप देश में कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें धरती को ठीक प्रकार से उर्वरा करने के उपाय करने होंगे। उर्वरा करने के बाद उसे सिंचाई की क्षमता देनी होगी। सिंचाई की क्षमता के लिए हमें बिजली देनी होगी, लेकिन बिजली का क्या हाल है। बिजली के बारे में हाल बिल्कुल बेहाल है। बिजली सब जगह जाती है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां बिजली कम जाती होगी, लेकिन जाती है। बिजली कहां और कब जाती है, यह पता नहीं है। बिजली क्यों जाती है? क्योंकि उसका उत्पादन नहीं होता। ...*(व्यवधान)* कभी दो घंटे, कभी चार घंटे, कभी छः घंटे बिजली जाती है। देश में बिजली है, ऐसा कभी-कभी पता लगता है। परन्तु जिस प्रकार बिजली मिलनी चाहिए, उस प्रकार नहीं मिलती। मेरे पास कुछ ऑकड़े हैं। अब भी ग्रामीण आबादी में 55.6 प्रतिशत लोग केरोसीन तेल प्रयोग करने वाले हैं। वे लोग केरोसीन तेल का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे स्टोव पर रोटी बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, कंडे आदि का जो जलावन उपलब्ध होता है, उससे वे रोटी बनाते हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): यह सब फील गुड फैक्टर है। ...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया: जो भी गुड हो, परन्तु गुड करने के लिए संकल्प चाहिए। ...*(व्यवधान)*

आप मेरे मित्र हैं और मित्र होने के नाते आप मुझे सहयोग ही करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि चिमनी में केरोसीन तेल डालकर प्रकाश के उपयोग में वह ज्यादा लाई जाती है। ...*(व्यवधान)* यहा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर बताया गया है। जनगणना का हिसाब 2001 का है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने स्थायी आवास हैं। यह बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 41 और शहरी क्षेत्र में 79 हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी आवास कितने हैं, तो बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 23 हैं और शहरी क्षेत्रों में उसका औसत 5 है। पेयजल सुविधा कितने लोगों को मिलती है-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लोगों में पेयजल सुविधा है, बाकी के लोगों को नहीं है। देश की 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी में से 25 प्रतिशत लोग पेयजल सुविधा प्राप्त करते हैं। यह शहर और गांव का अंतर हो गया। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वह गांव में पैदा हो। यह किसी की मर्जी से नहीं होता। व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो जाता है-जैसे जाति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो गया, कौन अनुसूचित जनजाति का हो गया, जिसका जन्म हो रहा है, उसे यह पता नहीं रहता। बाद में उसके साथ इस प्रकार का अंतर हो जाता है कि कोई अनुसूचित जाति का हो जाता है, कोई जनजाति का हो जाता है, कोई ऊपर हो जाता है, कोई नीचे हो जाता है और हिन्दुस्तान आगे बढ़ता जाता है। कहां से बढ़ता है और कहां रह जाता है, यह समझ में नहीं आता, परन्तु यह होता है। ग्रामीण क्षेत्र में 43.5 विद्युतीकृत परिवार हैं और शहरी क्षेत्र में 81 हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसीन प्रयोग करने वाले लोग 55.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 12 प्रतिशत हैं। बाथरूम सुविधा-यहां बाथरूम होता है, लेकिन गांवों में रूम भी नहीं होता

[डा. सत्यनारायण जाटिया]

तो बाथ करना तो बहुत दूर की बात है, बाथ करने के लिए नदी के किनारे तालाब और कुएं आदि में जाते हैं। यदि नहाने की सुविधा नहीं है, तो नहीं नहाना। उनकी कठिनाई उपनी जगह है और उसके बारे में किसी को विचार करने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिला। इस सरकार को करना चाहिए, ऐसा कहा गया था, लेकिन वह नहीं कर पा रही है। हरेक की अपनी-अपनी मुश्किलें हैं। वहां 23 है और शहरी क्षेत्र में 70 है। शौचालय की सुविधा के बारे में बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने का काम हुआ है और शहरी क्षेत्रों में भी बनाने का काम हो रहा है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में एक ही कमरे में शौचालय बना दिए जाते हैं। कमरे में रहना होता है, खाना बनाना होता है, वहां उनके बच्चे रहते हैं, वे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। दस बाइ बारह का एक कमरा होता है। ...*(व्यवधान)* कैसे भी होता होगा। जो अंतर आ रहा है, उसे दूर करना चाहिएं 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्र में 37.3 प्रतिशत गरीबी थी, 2004-2005 में 28.3 प्रतिशत, जबकि 1993-1994 में शहरी क्षेत्र की गरीबी 32.4 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में गरीबी कम होकर 25.7 परसेंट हुई है। जो गरीबी वर्ष 1993-94 में 36 परसेंट थी, वह आज 27.5 पर्सेंट है। इन दस सालों में गरीबी का हिसाब-किताब 36 परसैंट से 27.5 परसेंट हुआ है, यानी नौ प्रतिशत का फर्क पड़ गया है। इसी तरह 27 परसैंट से 18 परसेंट आने में फिर दस साल लगेंगे। इसी तरह आगे भी होता रहेगा। इसके साथ-साथ आबादी भी बढ़ने वाली है। जब आबादी बढ़ेगी तो गरीबी का प्रतिशत भी उससे संघर्ष करता रहेगा। इस प्रकार से ये सारी बातें हैं।

अभी मैंने कृषि, रूरल तथा अन्य बातों के बारे में कहा। ऐसी सारी बातों की मांग आपने की हैं और उन मांगों को पूरा करने की दृष्टि से आपने संसद में अनुदान की अनुपूरक मांगों को रखने का काम किया है। इसलिए मैं गांव के गरीब किसान, समर्थन मूल्य, विदेश से आयात करने वाले गेहूं आदि की बात कर रहा था। किसानों को जो दाम मिलते हैं, विदेश से आप जिस भाव पर गेहूं लाते हैं, वे दाम यदि आप उन किसानों को देंगे, तो इसका फायदा होगा।

एसईजेड के बारे में आपकी कल्पना कैसी है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। एसईजेड के लिए पार्लियामैंट की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें समिति की यह राय है कि राज्य सरकार द्वारा किसी एसईजेड के लिए अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व उस एसईजेड निर्माता को अंतरित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय यह भूमि एसईजेड निर्माता को दीर्घावधि पट्टे पर दी जानी चाहिए और पट्टे की अवधि के विस्तार के उपबंध भी सामयिक रूप से समविष्ट किया जाना चाहिए। यह समिति की राय है। अब एसईजेड का क्या होने वाला है? पहले भी कारखानों को जमीन आजादी से पहले और आजादी के बाद मिली, वह कारखानों की जमीन, जो हमने उसे कारखाना चलाने के लिए दी थी, वे उस जमीन के जमींदार हो गये, यानी वे उसके मालिक हो गये। वह जमीन चाहे टेक्सटाइल की रही होगी, चाहे फैक्टरीज या और कारखानों की रही होगी, उस पर आज वे काबिज हैं। जो जमीन औने-पौने दाम की थी, वह उनको लीज पर दी गयी थी, आज उसके दाम बढ़ गये हैं। किसानों से अधिग्रहीत करने के लिए आज भी आप जमीन दे रहे हैं। इस बारे में भी समिति की राय ठीक प्रकार की नहीं है। समिति ने अंत में कहा है कि भारत में एसईजेड की संकल्पना अभी अपने प्रारंभिक काल में है। इस योजना को सफलता का प्रतीक बनाने के लिए अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। रोड सेंटर स्कीम जैसी परियोजना का भाग्य सबको पता है। सरकार को किसी स्तर पर ठहरकर एसईजेड नीति को प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करना चाहिए इसलिए कुछ एसईजेड की स्थापना के बाद और इन एसईजेड के पांच वर्ष तक कार्य कर लेने के बाद इस परियोजना के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। यह एसईजेड है।

अब खेतीहर मजदूरों के बारे में, उनको रोजगार देने के बारे में, रोजगार गारंटी के बारे में, 100 दिन का रोजगार देना और उसके बाद थोड़ा सा भत्ता मिलेगा, तो वह खेतीहर मजदूर कहां जायेगा? असंगठित मजदूरों के बारे में आपको कुछ कहना चाहिए था क्योंकि उनका कुछ नहीं हुआ है। प्राविडेंट फंड के इंटरैस्ट रेट के बारे में आपको बात करनी चाहिए थी क्योंकि वह अभी तक नहीं हुई है। ऐसे गांव के गरीब किसान के बारे में यदि सरकार की कोई सोच नहीं है, तो यह सरकार करती क्या है? इस बजट की अनुदान की अनुपूरक मांगों का होने वाला क्या है? कौन बनाता है हिन्दुस्तान-भारत का गरीब किसान। इसलिए देश के श्रमिक वर्ग, कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों, दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में सरकार विचार करे। यदि सरकार विचार करेगी, तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। किंतु अभी तक का आपका जो मूल्यांकन है, वह ठीक प्रकार का नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कामों को करने के लिए, क्योंकि विपक्ष की सारी बातें जिस तरह से आई हैं उससे लगता है कि-

ये किताबों की बातें, ये स्याही के धब्बे,
ये लफ्जों की उलझन, ये गिनती के हो गये।
यदि कुछ समझ गये हो, तो जरा सा मतलब हमें बता दीजिए,
सिरा ढूंढता हूं मैं जिंदगी का, अगर पता हो, तो जरा हमें
भी बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय वित्तमंत्री ने वर्ष 2007-08 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों की प्रथम किश्त का प्रस्ताव किया है जिसमें 39 अनुदानें हैं। उन्होंने 20,412.14 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद की स्वीकृति मांगी है।

यदि हम अपने देश के आर्थिक परिदृश्य पर ध्यान दें तो हमें इस बात का गर्व होगा कि देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आई है और देश के लोग इससे संतुष्ट हैं।

हैलिबटन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का खर्च उसके साधनों से अधिक है तो वह धनी नहीं है और यदि जिस व्यक्ति की आय उसके व्यय से अधिक है तो गरीब नहीं है उस उद्देश्य की दृष्टि से हमारे वित्त मंत्री महोदय वित्तीय जिम्मेदारीयों के वित्तीय अनुशासन, विवेकपूर्ण व्यय संबंधी मानदंड, आदि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है के मामले में अच्छा कार्य कर रहे हैं। वह विकास निवेश-विकास के सिद्धान्त का बड़ी तेजी से पालन कर रहे हैं।

जहां तक सकल घरेलू उत्पाद का संबंध है वर्ष 2006-07 में हमारी सकल घरेलू उत्पाद की दर 9.4 प्रतिशत दर्ज की गई है जो वर्ष 2005-06 में 9 प्रतिशत थी 2004-05 में 7.5 प्रतिशत तथा 2003-04 में 8.5 प्रतिशत थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछले चार वर्षों में औसत विकास दर अनुमानत: 8.6 प्रतिशत थी। आपकों यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज की तारीख तक वार्षिक आधार पर सकल घरेलू उत्पाद 9.4 प्रतिशत की विकास दर सर्वाधिक है। मैं जानता हूं कि संप्रग सरकार की कोई भी प्रशंसा विपक्ष को अच्छी नहीं लगेगी लेकिन सच्चाई यही है कि सभी पक्षों द्वारा समाज के सभी वर्गों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था की इस विकास दर की सराहना की गई है।

यह सुविदित है कि उच्च विकास दर सदैव ही अपनी गति स्वयं कायम रखती है। विकास दर में और अधिक संसाधनों का सृजन होता है और अधिक संसाधनों के सृजन का मतलब यह है कि हम अपनी वित्तीय प्रणाली में और अधिक निवेश कर सकते हैं।

हमारे वित्तमंत्री ने बड़ी ईमानदारी से इस वास्तविक गति को कायम रखा है। गरीबी उन्मूलन पर केन्द्रित कार्यक्रमों के साथ ही रोजगार सृजन में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2004-05 में प्रतिव्यक्ति गरीबी अनुपात में 22 प्रतिशत की कमी आई है।

[हिन्दी]

जटिया जी हम लोग सारी गरीबी को रातों-रात नहीं हटा सकते हैं हमारे पास कोई जादू दण्ड नहीं है।

[अनुवाद]

पहली बार ऐसा साबित हुआ है कि रोजगार की विकास दर जनसंख्या की विकास दर से अधिक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है स्वाधीनता के बाद पहली बार यह लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष हम 11 मिलियन से अधिक का रोजगार सृजन करने में सफल रहे जो चीन के रोजगार सृजन से 60 प्रतिशत अधिक है। यह बी.आर.आई.सी. देशों के रोजगार सृजन के 50 प्रतिशत से ज्यादा है।

स्वाभाविक इस अर्थव्यवस्था से हमारे देश में रोजगार का सृजन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कार्यपरक गरीबी में काफी कमी आई है इससे यह स्पष्ट है कि ज्यादातर लोगों को भीषण गरीबी से छुटकारा मिला हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस बात की पुष्टि भी की है।

महोदय, आज हम अपनी आजादी के 60 साल पूरे कर चुके हैं। 1947 में इस महान और कठिन यात्रा के शुरू करने से पूर्व हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे कमजोर समझा जाता था परन्तु आज यह 'हॉट स्पॉट' बन गया है, हमारे यहां एशिया के किसी भी देश से अधिक अरबपति हैं:

सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में अपना योजना व्यय 134 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है क्योंकि संप्रग सरकार तीव्र और अधिक व्यापक विकास के सिद्धान्त का अनुसरण कर रही है। 2005-06 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। हमारी मजबूत आर्थिक विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में निवेश की दर में भी काफी वृद्धि हुई है क्योंकि सकल घरेलू पूंजी निर्माण अनुमानत: 33.8 प्रतिशत अनुमानित रहा है जबकि पिछले वर्ष यह 31.5 प्रतिशत था। निवेश में इस वृद्धि से बचत में भी वृद्धि हुई है। जी.डी.ओ. के अनुपात में बचत में 32.4 प्रतिशत की बृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत आर्थिक मौलिक सिद्धान्त (मैक्रो इकौनौमिक फंडामेंटल) बहुत सकारात्मक हैं।

वित्तीय सेवा कारोबार जिसमें आई.टी. सक्षम सेवाएं भी सम्मिलित हैं, मैं भारी मांग के कारण हमारे सेवा क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस सरकार को पूरी तरह आशा है कि निकट भविष्य में हमारी 10 प्रतिशत की विकास दर में वृद्धि जारी रहेगी क्योंकि हमारे औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है।

[श्री अधीर चौधरी]

महोदय, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास अनुकूल निर्भरता अनुपात भी है। भारत अपने जनांकिकीय लाभांश का फायदा उठाता रहेगा। वर्ष 2025 तक भारत की आबादी में 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग समूह की संख्या 67 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी और अनुमान है कि 2030 तक भारत की आबादी में औसत आयु 32 वर्ष की आबादी न्यूनतम होगी।

महोदय, कामगार आबादी की बड़ी संख्या, लोगों की बचत की आदतें और आय के स्तर में वृद्धि से हमारे निवेश स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में घरेलू बचत होती रहेगी। यह भी सुखद बात है कि 20 मिलियन भारतीय मूल के विदेशी लोगों का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी बचत का योगदान रहा है। उन लोगों के द्वारा भेजा जाने वाला धन भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश से कहीं ज्यादा है, इतना ही नहीं उत्तरी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का योगदान 40 प्रतिशत है जिसने इस मिथक का खंडन कर दिया है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों का योगदान ज्यादा है।

महोदय, आज देश के भीतरी तथा बाहर सामान तथा सेवाओं का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50 प्रतिशत है। पिछले चार वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत की विकास दर रही है। यह दर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के रूप में 2006-07 में 12.3 प्रतिशत आंकी गई तथा 2006-07 में विनिर्माण क्षेत्र का विकास 12.5 प्रतिशत रहा। चालू वर्ष के प्रथम दो माह में विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर 12.7 प्रतिशत रही।

अन्य विशिष्ट बातें यह हैं कि वर्ष 2006-07 में पूंजीगत सामानों में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वर्ष में भी विकास की वही गति जारी है। निर्माण क्षेत्र में प्रति वर्ष 12.6 प्रतिशत की वृद्धि कायम है। इससे अकुशल लोगों के लिए नौकरियों का सृजन हो रहा है, इसका गरीबों तथा निम्न आय के लोगों को लाभ मिलेगा। व्यापार होटल, परिवहन तथा संचार ऐसे क्षेत्र हैं जहां अकुशल तथा अर्धकुशल नौकरियों का बड़ी संख्या में सृजन हुआ है जिसमें प्रति वर्ष 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्त पोषण, बीमा, भू-सम्पदा और कारोबार सेवा प्रति वर्ष 8.9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

महोदय, निश्चित रूप से हम आशावादी हैं कि सरकार ने जो विकास दर हासिल की है वह जारी रहेगी।

जहां तक कृषि क्षेत्र की बात है हम सभी कृषि क्षेत्र के विकास के बारे में चिंतित हैं।

सरकार भी कृषि क्षेत्र का विकास तथा पुनरुद्धार करने की इच्छुक है। आने वाले 4 वर्षों में इस क्षेत्र में 25000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पहले किया जा चुका है। इतना ही नहीं वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट में 2,25,000 करोड़ रुपये का ऋण कृषि क्षेत्र को देने का प्रस्ताव किया है। कृषि क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी ऋण राशि है और इस क्षेत्र के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की भूमिका बहुत कम देखने को मिली है।

महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद ने कहा है कि किसानों की जरूरतों की पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र को अनिवार्य रूप से नई दिशा देने की जरूरत है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों को नई जान डालने के लिए एक रणनीति विकसित करनी चाहिए। कृषि का विकास केवल केन्द्र सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है।

जहां तक जमाखोरी का संबंध है, राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य अधिनियमों का क्रियान्वयन करेगी। कृषि क्षेत्र में नई जान डालने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनी रणनीति बनाने के मामले में केन्द्र सरकार मदद करने के लिए काफी उदार है।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में केवल कुछ ही उदाहरण दूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार उदारता से धन दे रही है। लेकिन राज्यों का कार्य विस्थापन अलग-अलग है। उदाहरणार्थ जहां तक राजस्थान की बात है उनका कार्य निष्पादन बहुत अच्छा है। गांव के एक गरीब मजदूर को 100 दिनों जिसका हकदार है में से 77 दिन का काम मुहैया कराया जा चुका है। लेकिन अन्य हिस्सों में पश्चिम बंगाल में केवल 6 दिन का काम दिया गया है। केरल में केवल तीन दिनों का काम दिया गया है। इस तरह यह संबंधित राज्य सरकारों के कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए केवल धन देना ही काफी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में राज्य सरकारों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार देश में विभिन्न राज्यों में असमानता स्पष्ट रूप से विद्यमान है।

एनडीसी के प्रस्ताव के अनुसार, सरकार ने खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है जिसमें गेहूं, चावल और दालों को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत अगले चार वर्षों में आठ मिलियन गेहूं, दस मिलियन टन चावल और दो मिलियन टन दालों का अतिरिक्त उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे सरकार कृषि संबंधी जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक रूप से योजना बनाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने जा रही है। तीसरे, सरकार त्वरित सिंचाई लाभ-कार्यक्रम जिसमें कमान क्षेत्र विकास और सहभागिता प्रबंधन से जुड़ा आधुनिकीकरण संबंधी घटक सम्मिलित है, के द्वारा सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने जा रही है। चौथे, सरकार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयासों को एक रणनीतिक दृष्टिकोण देने जा रही है। सरकार पूरी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार आवंटन निर्धारित करने के लिए 'नाबार्ड'

द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के प्रारूप का पुनर्गठन करने जा रही है, सरकार उर्वरक पर राजसहायता और उसकी आपूर्ति का पुनर्गठन करने जा रही है जिससे कि मिट्टी पर इसका दुष्प्रभाव पड़े बिना ही फसलों को संतुलित पोषण मिल सके।

मैं सरकार और मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय किसान आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 12 वर्ष पूर्व तक इस विश्व-व्यापार संगठन ने कार्य करना आरम्भ किया है, हमारा कृषक समुदाय उपकरणों से सुसज्जित नहीं हैं उसे व्यापार के कानून-कायदों का प्रशिक्षण नहीं मिला है उसे जीन संबंधी जानकारी नहीं है। उसे गुणवत्ता और कानूनों की जानकारी नहीं है। मेरे विचार से कृषि क्षेत्र के लिए ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटक हैं जिससे कि हमारे किसान विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य में विश्व-व्यापार परिदृश्य व अन्य वैश्विक नियम कायदों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकें। कृषि क्षेत्र में हमारी अपार क्षमता के बावजूद भी हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि इससे संबंधित प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं।

महोदय, वर्ष 1968 में हरित क्रान्ति की शुरूआत हुई थी जिससे उत्पादकता और उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। लेकिन गत दस वर्षों के दौरान हम हरित क्रान्ति में एक स्थिरता देख रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि खाद्यान्न की उत्पादन दर जनसंख्या की वृद्धि दर से कम हो गई है। हमारे केवल दस प्रतिशत किसान ही फसल बीमा के दायरे में आते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि कृषि जोखिम कोष की क्या स्थिति है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है।

भारतीय कृषि के क्षेत्र में क्षैतिज और उर्ध्वाधर दोनों ओर आधुनिकीकरण और विविधता लाए जाने हेतु रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ऐसा विशेषकर फसलोंत्तर प्रबन्धन और कृषि स्तर पर प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है। इससे ग्रामीणों के लिए बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन होगा। यह नोट करके बहुत चिंता होती है कि हमारे देश के विभिन्न भागों में बीजों की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, मिट्टी की पोषकता जो हमारे कृषि के विकास का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है के मामले में नकारात्मक पहलू सामने आए हैं जिन्हें यथाशीघ्र ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और अब यह 204 बिलियन डालर तक पहुंच गया है, सरकार स्थानीय अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु इस भंडार में से पांच बिलियन डालर उधार ले रही है क्योंकि हमारी वृद्धि दर के बावजूद भी हम एक खराब अवसंरचना की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए सीआईआई ने भी एक गतिशील अवसंरचनात्मक क्षेत्र की सिफारिश की है।

दूसरे भारतीय रुपया, 26 अप्रैल 2007 को डॉलर के मुकाबले 41 के स्तर पर आ गया है। इससे भारत 'ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था' बन गया है और विश्व में इसका 12वां स्थान हो गया। यह एक बड़ी सफलता है। लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या रुपये की मजबूती से हमारे निर्यात की वृद्धि दर प्रभावित होगी। इसका भी ध्यान रखना होगा।

भारतीय इतिहास में पहली बार बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बाजार पूंजी देश के सकल घरेलू उत्पाद को पार कर गई है। इसकी कुल अधिसूचित बाजार पूंजी 33 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गई है जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद के 32 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से अधिक है।

महोदय क्रय शक्ति की दृष्टि से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का हिस्सा 5.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका, चीन और जापान के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है।

महोदय, अन्त में किन्तु यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सच्चर समिति की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं मुर्शिदाबाद जिले से आता हूं जो कि देश के सर्वाधिक मुस्लिम बहुल आबादी वाला जिला माना जाता है और ये लोग अपनी जीविका के लिए बाहर जाते हैं। ये लोग हताशा के कारण मवेशियों की तस्करी व अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए मजबूर हैं, अत: हमारे देश के मुस्लिम बहुल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* मुर्शिदाबाद सहित।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं जवाहर लाल नेहरू जी की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं।

> "हमने जो बहुत से सपने देखे उनमें से कुछ सपने आज पूरे हो रहे हैं और कुछ पूरे होने वाले हैं। जब हम कोई बड़ा कार्य करें तो हमें उसे खुले दिल और खुले दिमाग से करना चाहिए। संकीर्ण विचार और संकीर्ण विचार रखने वाले

[श्री अधीर चौधरी]

राष्ट्र बड़े कार्य नहीं कर सकते। जब हम बड़े कार्यों को देखते हैं तो हमारा कद भी उनके साथ-साथ बढ़ता जाता है और हमारा दिमाग भी थोड़ा सा खुलता जाता है।"

इन्ही शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरे आदरणीय मित्र, श्री अधीर चौधरी ने हमारी अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय के बेहतरीन कार्य निष्पादन पर बहुत वाक्पटु और विस्तारपूर्ण भाषण दिया है।

हमारी एकमात्र समस्या यही है कि हमारे देशवासी, 120 करोड़ से अधिक लोग इस बेहतरीन कार्य निष्पादन को समझने में असफल रहे हैं। वे जिन दुखों, पीड़ाओं और कष्टों का सामना कर रहे हैं उससे वे देश पर शासन कर रही भारत सरकार के उनकी अपेक्षा के अनुरूप कार्यनिष्पादन को नहीं समझ पा रहे हैं।

गत सप्ताह, संभवत: 13 अगस्त को माननीय वित्त मंत्री जी भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे। मैंने उस वाद-विवाद में भाग नहीं लिया और न ही माननीय वित्त मंत्री जी की बातों में व्यवधान ही डाला क्योंकि मुझे माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुनना अच्छा लगता है। मुझे उनके बोलने और उत्तर देने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि उसका सार बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाने वाले लाखों लोगों की अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता मुझे योजना बनाने की उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है लेकिन उसे मूर्त रूप देने की उनकी क्षमता पर हमारे देशवासियों ने हमेशा प्रश्नचिह्न लगाया है।

महोदय, वर्ष 2006-07 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारा सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1999-2000 के मूल्यों के अनुसार 9.8 प्रतिशत था। वर्तमान मूल्य पर हमारा सकल घरेलू उत्पाद 14.4 प्रतिशत था। फरवरी 2007 में हमारा थोक मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानत: 6.7 था। हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.9 था। वर्ष 1981-82 की तुलना में हमारा कृषि उत्पादन 2.7 प्रतिशत बढ़ा है लेकिन यदि आप जनसंख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखें तो यह वृद्धि नकारात्मक है। हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन 0.3 प्रतिशत बढ़ा है।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सभा के अंदर और बाहर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर हाय-तौबा क्यों मच रही है। यदि, आप अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक को देखें तो पाएंगे कि उसमें कमी आई है? परन्तु यदि आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखें तो आप पायेंगे कि इसमें निरंतर वृद्धि हुई है। क्या यह सत्य है? यदि यह सत्य है तो इसका कारण क्या है? इससे यह स्पष्ट होता है कि मांग और आपूर्ति की श्रृंखला में कोई त्रुटि है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कम करने हेतु कार्यवाही करने में असफल रही है। सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं।

दिल्ली में आज आलू की कीमत 22 रुपये प्रति किलोग्राम है। सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों चावल और गेहूं के मूल्य बड़ी तेजी से बढ़े हैं, आम आदमी औषध और दवाईयां भी नहीं खरीद सकता। यहां तक कि उनके प्रियजन मर रहे हैं। वे दवाईयां नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनके मूल्य बहुत अधिक हो गए हैं।

अब माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि आप सभी आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या और कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि इस देश के लोगों विशेषकर गरीब, आम आदमी को कोई राहत मिल सके? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यही प्रश्न है कि क्या वे सभा के सामने यह स्पष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 में इन क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उपशमन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इस वित्त वर्ष के अंत तक इनके लिए कितनी धनराशि जारी की और उपयोग की गई? आप कभी भी ये ऑकड़े नहीं देंगे क्योंकि आपकी पारदर्शिता पर हमेशा एक आवरण पड़ा रहता है और आप इस सभा के समक्ष सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करेंगे।

इतना संकट क्यों है? मेरे माननीय मित्र श्री चौधरी ने कुछ कदम सुझाए हैं। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। सरकार को जो कार्य करने चाहिए वे उसने अभी तक नहीं किए हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं लेकिन इतनी संकट की स्थिति क्यों है? आवश्यक वस्तुओं के मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं? कृषि का परिदृश्य इतना अवसादपूर्ण क्यों है?

मेरी राय में इसका एक प्रमुख कारक यह है कि सरकार, हमारे प्रिय माननीय वित्त मंत्री जी कहीं और व्यस्त हैं। वे कहीं और व्यस्त हैं जो कि न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के दायरे में नहीं आता। सरकार इस समझौते के आधार पर सत्ता में आई थी कि वह न्यूनतम सांझा कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगी। हमने सरकार को बाहर से समर्थन दिया था क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे कि साम्प्रदायिक ताकतें सत्ता में आए। उन्हें उस समय की परिस्थितियों का लाभ उठाने का कोई भी अवसर नहीं दिया जाना चाहिए था। अत: न्यूनतम सांझा कार्यक्रम ही एक मानदंड है आप उसे किस प्रकार कार्यान्वित करने जा रहे हैं? क्या आपने उसकी समीक्षा की है? क्या आपने लोगों के सामने इसे स्पष्ट किया है? जब आप सत्ता में आए तो आपने क्या वादा किया था? दो से अधिक वर्ष बीत जाने पर भी आपने क्या किया है?

सरकार कहीं और व्यस्त है जो न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के दायरे से बाहर है। सरकार कहीं और व्यस्त है जिसकी सभा में चर्चा नहीं की जा सकती, जिसका सभा में उल्लेख नहीं किया जा सकता। हमने बजट पारित किया। हमने विनियोग विधेयक पारित किया और अनुपूरक मांगें भी पारित की जाएंगी। उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं है।

अब, यदि आप सामाजिक क्षेत्रों जैसे गरीबी उपशमन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, में हुई प्रगति को समीक्षा करें तो माननीय वित्त मंत्री जी मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि आपकी कार्यनिष्पादन प्रणाली पूर्णतया असफल रही है।

महोदय, मैं अपनी बात मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा। आज हमारे देश में प्रतिवर्ष दस लाख कारों, 60 लाख मोटर साइकलों और तीन लाख तिपहिया वाहनों का उत्पादन किया जा रहा है। परंतु जब आप ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ओर देखते हैं तो प्रतिवर्ष केवल दो लाख ट्रैक्टरों की ही बिक्री होती है। चीन में प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक ट्रैक्टरों की बिक्री होती है।

मैं केवल एक साधारण सी टिप्पणी करूंगा और मैं यह मानता हूं कि पूरी सभा मुझसे सहमत होगी। क्या आपने कभी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन का सबसे साधारण साधन 'व्हील कार्ट' जिसे 'व्हील बैरो' भी कहते हैं, देखा है? क्या आपने यह नहीं देखा कि गांवों में प्रतिदिन आदमी, औरतें और यहां तक कि बच्चे भी अपने सिरों पर सामान ले जाते रहते हैं? क्या आपने साधारण मशीनीकरण के माध्यम से उसे परिवर्तित किया है? क्या आप बड़े पैमाने पर 'व्हील बैरो' उपलब्ध नहीं करा सकते?

न केवल इस सरकार ने अपितु पूर्ववर्ती सरकारों ने कृषि की बहुत उपेक्षा की है जिससे ऐसी एक स्थिति बन गई है जिसमें पूरा कृषि क्षेत्र ही गरीबी का मुख्य कारण बन गया है। माननीय वित्त मंत्री जी क्या आप इसे नकार सकते हैं? वहां बैल है जो कि भारत में ग्रामीण परिवहन और कृषि के लिए पारंपरिक रूप से शक्ति प्रदान करते हैं। ये व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुके हैं क्योंकि बैलों की एक जोड़ी लगभग 40 से 50 हजार रुपये के बीच आती है और एक किसान को उनके खाने और रखरखाव पर प्रतिवर्ष 40 से 50 हजार रुपये व्यय करने पड़ते हैं। किसानों के लिए एक जोड़ी बैल रखना भी असंभव हो गया है। आप उन्हें कौन सा वाहन दे रहे हैं? जब आर्थिक कारणों से बैलगाड़ियां समाप्त हो गई हैं तो उनके पास कौन सा विकल्प उपलब्ध है? आपने उन्हें इसका कोई विकल्प प्रदान नहीं किया है। कृषि के मशीनीकरण से संबंधित कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

माननीय मंत्री जी अक्सर बैंकिंग क्षेत्र के कार्य निष्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋणों के बारे में कहते रहते हैं। मैं केवल एक विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में से उद्धृत करना चाहता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 1997 में वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण के संबंध में श्री आर.वी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। उसके प्रतिवेदन में क्या कहा गया है? उसमें यह कहा है:

> "जब कोई किसान ऋण लेने जाता है या ग्रामीण भारत का कोई व्यक्ति ऋण लेने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास जाता हैं तो उससे ली जाने वाली जमानत उस ऋण की राशि के अनुरूप होनी चाहिए और जमानतियों के माध्यम से उस जमीन के लिए अतिरिक्त जमानत मांगने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए जो पहले से ही गिरवी पड़ी है। ऋण देने वाले बैंक की कार्यप्रणाली में कुछ लचीलापन लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य एजेंसी द्वारा कोई जमानत की अपेक्षा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए और इसे ऋण देने वाले बैंक के विवेक पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।"

माननीय वित्त मंत्री जी क्या आपने इसे नोट कर लिया है? महोदय, मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है, जब कोई व्यक्ति दुपहिया, तिपहिया या चार पहिये वाला वाहन खरीदने के लिए किसी बैंक में जाता है तो बैंक द्वारा उसका सदैव स्वागत किया जाता है। परन्तु जब कोई किसान या कोई बेरोजगार ग्रामीण युवा किसी बैंक में जाता है तो प्रबंधक इस प्रकार से उसकी ओर देखता है जैसे कि वह बैंक लूटने आया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में यही मानसिकता प्रचलित है। इसलिए किसानों के सामने इतनी बाधाएं खड़ी कर दी जाती है कि वह ऋण ले ही न पाए।

महोदय, मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक का एक परिपत्र है, जिसमें यह कहा गया है कि 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों के लिए यदि आपके पास 3 फसलें देने वाली जमीन है तो 10 एकड़ जमीन यदि 2 फसलें देने वाली जमीन है तो 15 एकड़ जमीन और यदि एक फसल देने वाली जमीन है तो 30 एकड़ जमीन गिरवी रखनी होगी। 35-45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों के लिए आपके मानदण्ड अलग हैं। महोदय एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 15 एकड़ जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। मैं माननीय वित्तमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे यह जानते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की क्या कीमत है। 3.5 लाख रुपये के ट्रैक्टरों हेतु सिंचित भूमि की क्या कीमत है, जिसके लिए उन्होंने यह मानदण्ड निर्धारित किया है। वे सभा को यह बता रहे हैं कि बैंक बहुत उदारता पूर्वक ऋण दे रहे हैं। वे किसानों को कितना ऋण दे रहे हैं?

मैंनें अभी-अभी यह बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक के परिपत्र में क्या कहा गया है। सरकार का यही रवैया है। किसानों के प्रति वित्तीय संस्थानों का यही रवैया है।

[श्री अनिल बसु]

महोदय, मैंने इस देश के एक बहुत विख्यात कृषि विज्ञानी से एक साधारण सा प्रश्न पूछा था।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके दल से तीन नाम दिए गए हैं और आप 18 मिनट से अधिक का समय ले चुके हैं।

श्री अनिल बसु: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

महोदय, आपने मेरे प्रति बहुत दयालुता दिखाई है और मैं भी आपका पूरा सम्मान करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं न केवल आपके प्रति अपितु सभी के प्रति दयालू हूं।

श्री अनिल बसु: मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक से एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा था। मैंनें उनसे पूछा था कि वे कृषि के क्षेत्र में भारत-अमरीका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नाम पर वैज्ञानिक परियोजनाएं चलाने जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है और मुझे इस पर आपत्ति नहीं है परंतु वे सरकार को कुछ बहुत साधारण सी बातों का सुझाव क्यों नहीं दे रहे हैं।

ऐसी दो बाते हैं जिनकी सिफारिश कृषि विज्ञानी शताब्दियों से विश्वभर में करते आ रहे हैं। उन्होंने मधुमक्खी पालन और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

यदि आप किसानों को कृषि फार्मों के साथ-साथ मधुमक्खी पालन करने तथा भूमि का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करें तो आपका उत्पादन 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यह बहुत ही सरल बात है, लेकिन कोई भी कृषि वैज्ञानिक कुछ नहीं बताएगा।

मैंने डा. मोंटक सिंह अहलुवालिया को पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया था मेरे पास उस पत्र की एक प्रति है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं हुआ है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के इस सरल तरीकों मधुमक्खी पालन और मृदा उर्वरता बनाए रखने पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से वे कृषि के क्षेत्र में सम्पन्न भारत के विरुद्ध हैं।

महोदय, सिंचाई के बारे में बहुत बातें की जाती हैं। मैं आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के लघु स्तरीय जनरेटर विनिर्माता एककों की संख्या काफी है जो जनरेटरों का उत्पादन करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था और उसमें उन्होंने उत्सर्जन संबंधी मानक लागू किए हैं जो यूरोप में भी लागू नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि उत्सर्जन संबंधी मानक यूरोप में पालन किए जा रहे मानकों से भी सख्त हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कृषि भूमि की सिंचाई जनरेटरों से करना चाहता है तो वह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के कारण इसे नहीं खरीद पाता। इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के जनरेटरों का निर्माण करने वाले लघु उद्योग एकक पूरी तरह बंद हो गए हैं। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में हजारों हजार कुशल श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं क्योंकि ये बहुत ही लघु तथा मध्यम क्षेत्र के एकक हैं और ये उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं कर सकते।

उत्सर्जन-मानकों के नाम पर आपने क्या किया है? आपने एक भारतीय कारपोरेट घराने को एकाधिकार दे दिया है। क्योंकि यह कारपोरेट घराना ही इस उत्सर्जन मानक को पूरा कर सकता है, और इस क्षेत्र में अन्य सभी को खत्म किया जा सकता है। यही प्रवृति चल रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह बात बहुत ही अच्छी तरह रखी गई है।

श्री अनिल बसु: सरकार की यही नीति है। क्या आपने इस पहलू की जांच की है? आपने लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की घोषणा की है। आप इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद।

श्री अनिल बसु: अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं। क्या आप नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है कि कारपोरेट घरानों के मामले में उन्हें अपने मानक खुद तय करने की छूट है। गरीब सीमांत जरूरतमंद किसानों और जिन लोगों को वास्तव में ही मदद की जरूरत है, उनके लिए आपको एक ठोस नीतिगत ढांचा बनाना होगा।

इससे कृषि तथा इस देश के गरीब किसानों को मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए जो विनियोग विधेयक पेश किया गया है, इस पर अपनी राय देने का आपने मुझे मौका दिया।

वित्त मंत्री जी ने 20412 करोड़ 54 लाख रुपये भारत की संचित निधि से अपने मध्यावधि बजट में निकालने की बात कही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बाद में आए हैं और डिसटर्बेंस पहले ही शुरू कर दी है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष जी, हमें भी बोलने का मौका दिया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय: ज़रूर दिया जाएगा।

श्री मोहन सिंह: इसके लिए वित्त मंत्री जी ने वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिन अनुदान राशियों के लिए जो वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुछ जायज हैं और कुछ नाजायज़ हैं। लेकिन हमारा काम नहीं है कि हम सरकार को इस बात का मौका दें कि सरकार कहे कि देश को निर्माण के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी और सरकार खर्च करना चाहती थी और संसद सदस्यों ने उस खर्चे से भारत सरकार को रोक दिया। सरकार खर्च करे लेकिन इस बात का विवेक रखकर कि किस क्षेत्र में आज सबसे अधिक खर्च की ज़रूरत है। यही बात बहुत ज़ोर से हमारे देश में कही जाती है कि हम दुनिया के छठे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए और हर साल के हिसाब से हमारी आर्थिक तरक्की आठ से नौ फसदी के हिसाब से हो रही है और 11वीं योजना में हमें यदि दस फीसदी की रफ्तार पकड़नी है तो कृषि की तरक्की चार फीसदी के हिसाब से होनी चाहिए। यह तरक्की होनी चाहिए, लेकिन यह तरक्की कहां जा रही है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अभी हिन्दुस्तान के ज़िम्मेदार अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रथम पृष्ठ पर आज से दस दिन पहले एक खबर छापी। यह खबर थी कि भारत सरकार की एक संस्था द्वारा इस देश का सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण के द्वारा यह बात भारत सरकार के संज्ञान में आई कि इस देश की एक अरब तीन करोड़ आबादी में से 82 करोड़ ऐसी आबादी है, जो केवल बीस रुपए रोजाना पर अपना जीवन गुजर-बसर कर रही है। जिस देश में 82 करोड़ आबादी केवल 20 रुपये में अपनी जिन्दगी बसर करने को मजबूर है, वही देश इस बात का दावा करता है कि हमारे देश में एक लाख करोड़पति हो गए और अरबपतियों की भी तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हमें अर्थव्यवस्था की शेयर की तरह छलांग लगाने वाली रफ्तार पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश में जो दरिद्रता की रफ्तार उससे तेजी से बढ़ रही है, मेरी आपत्ति इस सरकार से उस दरिद्रता की बढ़ती हुई रफ्तार से है। क्या हम केवल बीस करोड़ आबादी को हिन्दुस्तान मान कर अपने देश की सारी आर्थिक नीतियों को संचालित करेंगे कि इस देश की केवल बीस करोड़ से लेकर 25 करोड़ आबादी, जिसको गुणवत्तायुक्त जीवन कहते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी अंग्रेजी में इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। केवल बीस करोड़ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और 82 करोड़ लोगों की दरिद्रता की जिन्दगी। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि इस तरह का हिन्दुस्तान बनाना है तो इस हिन्दुस्तान में नक्सलवाद को कुछ सड़क बनाने, स्कूल खोलने और अस्पताल बना देने तथा पुलिस के हाथ में हथियार देकर हम इस देश को नहीं रोक सकते। इसलिए भारत सरकार को इसकी गंभीरता को मजबूती से लेना चाहिए।

महोदय, यह बात सही है कि हमारे देश के लिए तरक्की का एक बैरो मीटर हमारे बगल में खड़ा देश चीन है। कहते हैं कि वहां दुनिया की सम्पदा आ रही है और विदेशी मुद्रा का भंडार वहां बढ़ रहा है और विदेशी निवेश हमसे अधिक बढ़ रहा है। इसलिए हमें भी अपने देश में निवेश को बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में इन्फलेशन बढ़ रहा है, छ: फीसदी के आस-पास है। सरकार कहती हैं कि कभी छ: फीसदी से अधिक हो जाता है और कभी छ: फीसदी से कम हो जाता है। सरकार को अब एक बहाना मिल गया कि चीन में मुद्रास्फीति की रफ्तार सात फीसदी को ढक रही है। यदि हमारे देश में भी सात फीसदी ढक जाए तो वित्त मंत्री जी को पीठ ठोकने के लिए अधीर चौधरी जी काफी हैं कि चीन में सात फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है इसलिए हमारे देश में भी यदि महंगाई छ: फीसदी बढ़ रही है तो यह हमारी सरकार की सफलता है, यह हमारी विफलता नहीं कही जा सकती।

उपाध्यक्ष जी, हम आपके जरिए सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो प्राइस इंडेक्स है, सरकार उसे कैसे तैयार करती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसका व्यावहारिक पहलू देखिए कि आज कितनी तेजी से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। प्याज के दाम इतने बढ़ रहे हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। 14 रुपए किलो आटा हो गया है, साधारण आदमी, बीस रुपये रोजाना पर जिन्दगी बसर करने वाला कितना आटा बाजार से खरीद कर खा सकता है, सरकार इसके बारे में भी सोचे। मुद्रास्फीति की रफ्तार चाहे जो हो, हमारी व्यावहारिक स्थिति यह है कि सारी जरूरी चीजों के दाम तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं और सरकार का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। पिछले 15 दिन से इस देश के अखबार, न्यूज चैनल और राजनीतिक सारी बहस, कि किसी एक देश के साथ हमने कोई समझौता किया है, उसके ऊपर चली गई है जो आम लोगों की जिन्दगी को प्रभावित करने वाली, आज की तारीख की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर न इस संसद का ध्यान है और न ही देश के कथित बुद्धिजीवियों और सरकार चलाने वालों का ध्यान है। मैं दुख के साथ अपनी इस बात को कहते हुए कि

[श्री मोहन सिंह]

भारत सरकार को देश का जो दुखी इंसान है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश की तरक्की का आधार देश की कृषि है। वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसानों को सुख देने के लिए हमें खाद, उर्वरक की सब्सिडी के लिए राज्य सहायता के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है। इसलिए हमें विनियोग विधेयक में अनुपूरक अनुदानों के जरिए भारत की संसद यह धन देने का काम करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में इस बारे में पिछले 10 वर्षों से बड़ी लम्बी बहस चल रही है कि जो उर्वरकों की राजसहायता है, वह किसानों को सीधी दी जाए या कारखानेदारों के जरिए दी जाए। हमारे देश में उर्वरकों के सरकारी क्षेत्र में जितने कारखाने थे, लगभग उन सब के ऊपर हमने ताले लगा दिए हैं। अब निजी क्षेत्र में उर्वरकों के बड़े कारखाने हैं। पिछले 10 वर्षों से जितने उर्वरकों के सरकारी कारखानों पर ताले लगे हुए हैं, उनकी बैलेंस शीट के अनुसार बड़े व्यापक पैमाने पर केवल राजसहायता हड़पने के लिए बहीखातों में उन कारखानों की ओर से उत्पादन दिखाया जा रहा है। हमारे देश में उर्वरक की 40 फीसदी आपूर्ति बाहर से मंगाई जाने वाली खाद से होती है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा है कि भारत सरकार में इस पर विवाद हुआ और स्वाभाविक रूप से जो उर्वरक मंत्रालय था, उसे सीधे किसानों को उर्वरकों की राजसहायता देने पर आपत्ति थी। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया कि नहीं, हम राजसहायता कारखानेदारों के माध्यम से देंगे। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि उर्वरकों की राजसहायता का ज्यादा हिस्सा भ्रष्टाचार और उत्पादन नहीं करने वाली कंपनियों द्वारा जबर्दस्ती हड़प कर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को अपनी उर्वरकों की राजसहायता की जो प्रक्रिया है, उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए।

महोदय, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कृषि का उत्पादन पिछले चार वर्षों से घट रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ने की बजाय उसमें कमी आ रही है और उसका कारण कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी है। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण में कहते हैं कि इस साल हम 25 हजार करोड़ रुपए कृषि की सहायता के ऊपर अतिरिक्त खर्च करने वाले हैं। उस भाषण का स्वागत है, लेकिन उस खर्चे का जरिया क्या है? भारत के हमारे मित्रों को इस बात की शिकायत है कि बैंकों का रवैय्या किसानों के प्रति विद्वेषपूर्ण है, यह बात सही है, लेकिन हमारी दूसरी आपत्ति है कि किसानों के नजदीक भारत के कोई बैंक हैं ही नहीं। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या साधारण क्षेत्र में जाइए, क्या किसी व्यावसायिक बैंक की शाखा ग्रामीण क्षेत्र में है? भारत सरकार कहती है कि सारे बैंक स्वतंत्र हो गए हैं। हमारे आदेश को मानने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं है। पहले हमारे देश के बैंकों की नीति के अंतर्गत हर जिले की तरक्की के लिए एक लीड बैंक होता था और उस लीड बैंक की जिम्मेदारी थी कि जहां कहीं भी उपभोक्ता मिलें, वहां और उस जिले के ग्रामीण क्षेत्र या साधारण क्षेत्र में बैंक अपनी शाखा खोलते थे, लेकिन अब हमने बैंकों को आजाद कर दिया और आजाद करने के बाद जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किसान रहते हैं, जहां बेरोजगार लोग रहते हैं, जिनके लिए सरकार की राजसहायता की सारी नीतियां प्रस्तावित हैं, उनको सुनने के लिए वहां बैंक की शाखा ही नहीं है। इसलिए व्यवहार की बात तो बाद में खड़ी होगी, पहले वहां बैंक की शाखा तो होनी चाहिए। भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कानून में परिवर्तन किया है और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अंशधारिता थी, उसे भारत सरकार ने अपने में समाहित कर लिया है। इस प्रकार देखें, तो एक तरह से स्टेट बैंक भारत सरकार का एक अधिकृत बैंक हो गया है, ऐसा माना जा सकता है। जब ऐसी स्थिति है, तो भारत सरकार को इस बात का संकल्प लेकर काम करना चाहिए कि जो कोई भी गांव 10 हजार या इससे ज्यादा आबादी का है, उस गांव में किसी भी हालत में भारतीय स्टैंट बैंक की एक शाखा जरूर खोली जाएगी। इसके लिए उसे दो वर्ष का कार्यक्रम बनाकर, यह काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब तक बैंक आम जनता के निकट नहीं होंगे, तब तक सरकार की लोगों की सहायता करने की घोषणाएं अपनी जगह रखी रह जाएंगी।

महोदय, तीसरी बात है, यहां एक तर्क दिया गया कि कृषि की तरक्की राज्यों की जिम्मेदारी है हमारा संविधान कहता है कि राज्य का दायित्व कृषि की तरक्की करना है, लेकिन राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित सारे खाद्यान्न का दाम भारत सरकार तय करेगी, किसानों को उर्वरकों के ऊपर कितनी राजसहायता दी जाए, यह भारत सरकार तय करेगी, भारत सरकार किसानों द्वारा उत्पादित चीनी का मूल्य तय करेगी, भारत सरकार गेहूं और धान की खरीद करेगी, लेकिन भारत सरकार कृषि की तरक्की के लिए राज्यों की जिम्मेदारी बताएगी। मैं समझता हूं कि यह एक तरफा तर्क है। भारत सरकार खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उसमें यदि बुनियादी परिवर्तन नहीं करेगी और उसे समर्थन मूल्य नहीं, बल्कि लाभकारी मूल्य देने की योजना नहीं बनाएगी, तब तक मैं समझता हूं कि इस देश के किसानों की न माली हालत में कोई सुधार हो सकता है और न कृषि में निवेश बढ़ सकता है। आप इसको देख सकते हैं कि पिछले चार वर्षों से गेहूं का उत्पादन 7 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास ही घूम रहा है। भारत सरकार को अपनी योजनओं को चलाने के लिए खरीदारी की जरूरत होती है, जिसे एफसीआई करती है। उसी के समानान्तर राष्ट्रीय और

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को किसानों से गेहूं खरीद की इजाजत सरकार ने दे दी। भारत सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था, लेकिन निजी कम्पनियों ने 900 से 1000 रुपये के बीच में किसान का सारा गेहूं खरीद लिया। वह गेहूं देश में और देश के बाहर चला गया। आज भारत सरकार को अपनी योजनाओं जैसे रोजगार गारण्टी स्कीम, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो अति निर्धन हैं, जिनको अन्नपूर्णा से पोषित करने का जिम्मा भारत सरकार ने लिया है, उनको हम कहां से गेहूं देंगे? आने वाले एक-दो महीने हमारे देश के लिए बहुत ही अंधकारमय होने वाले हैं। लगभग पूरा हिन्दुस्तान बाढ़ की चपेट में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी बिहार तक पिछले एक महीने से पानी में डूबा हुआ है। करीब चार करोड़ की आबादी बिलकुल लाचार है। वहां की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहां के पीड़ित लोगों को कहां से भारत सरकार गेहूं उपलब्ध करवाएगी? आने वाली एक महीने में बिहार और उत्तर प्रदेश से डेढ़ से दो करोड़ की आबादी इस देश के महानगरों में भागने वाली है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले एक-दो महीनों में जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? इसका खुलासा वित्तमंत्री जी अपने भाषण में करेंगे।

दूसरी बात, हमारे देश में बेरोजगारी की रफ्तार देश में आबादी की बढ़ती रफ्तार से कुछ अधिक है। रोजगार सृजन की सारी योजनाएं अपने आप में सिकुड़ रही हैं क्योंकि वे अनुदान के रूप में जा रही हैं। मेरा कहना है कि इस देश में औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से रोजगार की संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस देश में 10 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं और 42 करोड़ की ऐसी आबादी है जो खेती से अपनी जीविका को चलाती है। लेकिन खरीफ की फसल अब जीविका देने के लायक नहीं रही है। ऐसे में बेरोजगारी और बढ़ेगी। बेरोजगारी कारण है, गरीबी उसका निष्कर्ष है और उसी से दरिद्रता पैदा होती है। इसलिए बेरोजगारी दूर करने के दूसरे संसाधनों पर सरकार को विचार करना चाहिए।

अपराह्न 3.34 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं*]

इसी प्रकार से दूरसंचार के क्षेत्र में सरकार ने निवेश की बात कही है। पिछले 10-12 वर्षों में दूरसंचार के क्षेत्र में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आया है और इसने तरक्की की है। मैं पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि दूरसंचार में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की हिस्सेदारी कम हुई है। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। बीएसएनएल के इंतजामों को पिछले तीन-चार साल में भारत सरकार ने बिगाड़ने का काम किया है। इसका कारण यह है कि हमारे देश के अफसरों की निजी कम्पनियों से मिलीभगत है। रिटायरमेंट के बाद या उसके पहले ही सभी बड़ी निजी कम्पनियों में उनके लिए ओहदे सुरक्षित होते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि बीएसएनएल और दिल्ली के नेटवर्क में जितनी वृद्धि की कोशिश इन लोगों को करनी चाहिए थी, उतनी इन्होंने नहीं की। टेलीकम्यूनिकेशन के लिए आपने जो अनुदान मांगा है, उसकी हम पूरी ताईद करते हैं, इस हिदायत के साथ कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां हैं, उनकी हिस्सेदारी को यदि नहीं बढ़ाया गया तो इनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं इन अनुदान मांगों का विरोध तो नहीं करता हूं लेकिन मैं भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था की जो गम्भीर और दूरगामी चेतावनियां हैं, उन पर यदि समय रहते नहीं चेते तो मैं समझता हूं कि हमारी सारी सम्भावनाएं बहुत दिनों के लिए धूमिल हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सभापति महोदया, अनुपूरक अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को खेती पर सबसे अधिक खर्च करने के लिए जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। इससे पहले माननीय सदस्य इस विषय पर बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि ही इस देश में सबसे अधिक घाटे का सौदा है। इस देश में जितने भी रोजगार हैं, जितने भी काम हिन्दुस्तान के लोग करते हैं, उनमें सबसे बड़ा घाटे का सौदा कृषि है। एक बात की इस सदन में कई बार चर्चा होती रहती है, पहले भी और अभी भी हो रही है, इस नीति पर सुझाव भी आते रहे हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि किस परिस्थिति में इस देश के किसानों की आत्महत्याएं बन्द नहीं हो रही हैं। कृषि की क्या नीति है, अगर इसको राज्यों में बांटा जाये और देश की सरकार में बांटा जाये तो मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार पूर्ण रूप से कृषि नीति के लिए जवाबदेह है, क्योंकि राज्य सरकारों को जो कुछ भी मंत्रणा करनी हो, लेकिन बात करके देश की कृषि नीति को साफ करना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग बोलते रहे हैं कि मात्र समर्थन मूल्यों से कृषि का काम नहीं चलने वाला है, इसलिए कृषि नीति ऐसी बननी चाहिए, जिससे लाभकारी मूल्य किसानों को मिले। बड़ी साफ बात है कि खेती करने वाले लोगों की इस देश में इतनी बड़ी आबादी है, जिनका मुख्य रूप से हम मान सकते हैं कि भारत सरकार ने आज तक अपनी नीति के तहत कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया। जो कृषि की लागत होती है, किसानों को हमेशा उससे कम पैसे मिलते हैं। यही कारण

[श्री सीताराम सिंह]

है कि आज किसानों की हालत खराब है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन अगर कोई सरकार यह समझती है कि किसानों को छोड़कर उसकी सारी बातें सिर्फ पार्लियामेंट और सड़कों पर करके हम इस देश की तरक्की कर सकते हैं तो मैं साफ कहना चाहता हूं, यह मेरा विचार है कि यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जो कृषि के सवाल उठते रहे हैं, जिस पर कई चर्चाएं हुई। किसानों की सबसे बड़ी बात इस देश में सिंचाई के लिए 40 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया, 60 वर्ष की आजादी के बाद हम 61वें वर्ष में एंटर कर रहे हैं, मगर इस देश की कृषि आज तक 40 प्रतिशत मात्र औसत सिंचित हुई है। हम जिस राज्य से आये हैं, वहां 20 प्रतिशत भी सिंचाई क्षमता नहीं है, आज उसकी स्थिति यह है कि प्रतिदिन कुछ बढ़ने के बजाय सुविधा घटती जा रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और सिंचाई क्षमता को बढ़ाना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज सारे आंकड़े सरकार की ओर से पेश किये जा रहे हैं, वे क्या वजह है कि इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है कि इस नीति के तहत गरीबी बढ़ती ही जा रही है। जितने अमीर लोग हैं, उनकी अमीरी बढ़ती ही जा रही है। यह एक वास्तविकता है, इसलिए हमारे देश की अर्थ नीति में अमीरी को तब तक उतना नहीं बढ़ाया जाये, जब तक गरीबी को भी समान रूप से नहीं ले आया जाये। डा. लोहिया भी बोलते थे और आज इतने वर्षों के बाद सरकार भी अपनी बातों को साफ नहीं कर पा रही है। आपने अनुदान की मांग में पहला नंबर कृषि को दिया। आपने ऐसा जरूर कहा, लेकिन इसको कैसे हम सुधार सकेंगे, कैसे सबसे बड़ी आबादी देश की खुशहाल हो सकेगी, इस पर हमें थोड़ा गंभीर होकर विचार करना होगा। आप कहते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है। क्या वजह है कि इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है? यह कौन सी नीति है? माननीय सदस्य मोहन सिंह जी कह रहे थे और वह ठीक कह रहे थे, लेकिन वह 82 करोड़ की बात कह रहे थे, लेकिन मेरा आंकड़ा 86 करोड़ है। इस देश में 86 करोड़ लोग प्रतिदिन मात्र 20 रुपये पाते हैं। जिस देश के 86 करोड़ लोग 20 रुपये प्रतिदिन पा रहे हों, उस देश में आप कौन सी उम्मीद करना चाहते हैं? कैसे आप इस बात को पाटना चाहते हैं? गरीब आदमी एक किलो चावल खरीदकर नहीं खा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों महंगाई बढ़ गयी और आपका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है? मेरे जैसे आदमी के दिमाग में यह बात समझ में नहीं आ रही है। महंगाई बढ़ती जा रही हो और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हों, गांव का आम-आदमी महंगाई की चर्चा कर रहा हो, शहर में चर्चा हो रही हो, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है और हम सारा सिद्धान्त और आर्थिक नीति बना रहे हों, हमारे वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान हैं। हमें यह बात समझा दी जाए, ताकि हम लोग जनता के बीच बोल सकें कि महंगाई बढ़ने का कारण यही है और यह बढ़ती आएगी, यह कभी रूकने या ठहरने वाली नहीं है।

महोदया, बेरोजगारी के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं। आपने बेरोजगारी के संबंध में कई योजनाएं बनायीं। आपने रोजगार गारंटी योजना बनाकर लागू की। इस देश में तकरीबन 33 करोड़ लोग असंगठित मजदूर हैं। आपने उनकी बेरोजगारी के बारे में क्या सोचा? सरकार ने उनके लिए कौन सी नीति बनायी? उन पर आप क्या खर्च कर रहे हैं? इस देश में इंजीनियरिंग, डाक्टरी और जनरल एजुकेशन सभी तरह की पढ़ाई में होड़ लगी हुयी है, यह अच्छी बात है, मगर मेरा सवाल यह है कि यह कौन सी पढ़ाई है, जिसके बाद उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगारोन्मुख पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है और क्यों लोग बेरोजगार हैं? शिक्षित बेरोजगार हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं, इंजीनियर बेरोजगार हैं, डाक्टर बेरोजगार हैं। देश में गरीबी के साथ-साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी की फौज बढ़ती जा रही है। आज हम स्कूल खोल रहे हैं, यह अच्छी बात है, मगर बेरोजगारी का क्या होगा? भारत सरकार ने कौन सी योजना बेरोजगारी दूर करने के लिए बनायी है?

सभापति महोदया: सीताराम जी, आप बुद्धिजीवी हैं। आप थोड़ा सा यह सुझाव भी दीजिए कि कैसे यह किया जाए, तो शायद आपको इसका जवाब भी मिलेगा। आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार क्या करे, आप वह भी समझाइए।

श्री सीताराम सिंह: आपने गाडगिल फार्मूला लागू कर दिया। उसको आपने आधार मान लिया। राज्यों को आप जो प्लान देते हैं, वह उसी फार्मूले के अनुसार देते हैं। जो आंतरिक संसाधन राज्यों के पास हैं, आप उसी को आधार मानकर प्लान में पैसा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो राज्य पिछड़ा है, जिसके पास आंतरिक संसाधन कम हैं, उसको उस फार्मूले के तहत रखेंगे, तो वह राज्य कभी विकसित नहीं हो सकता। इस मामले में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। हमारे राज्य बिहार जैसे कई राज्य हैं, जिनकी आबादी बढ़ती जा रही है। हमारे राज्य की भी आबादी बढ़ी है। आज हमारे पास कुछ नहीं है-आबादी है, बालू है और पानी है। आज हमारे पास मात्र तीन चीजें हैं। बिहार और झारखंड जब बंटा था, तो हमारे पास जो कुछ पूंजी थी, वह झारखण्ड में चली गयी। मैं कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में उसी फार्मूले के आधार पर अगर आप बिहार को बजट देंगे, तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा।

मैं सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं। आज हमारी राज्य सरकार हर गांव, हर पंचायत में शराब की भट्टी खुलवाकर आंतरिक संसाधन जोड़ने की बात कर रही है। सरकार इस स्तर पर जा रही है कि सारे गांव के लोगों को, मजदूरों को शराबी बनाकर आंतरिक संसाधन इकट्ठा करना चाहती है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इस फार्मूले को ऐसे राज्यों के लिए आबादी आधार मानें, जनसंख्या को इसका आधार मानें, पिछड़ेपन को इसका आधार मानें। आप योजना को इस आधार पर आंतरिक संसाधन नहीं मानकर बजट देना चाहते हैं। ऐसे राज्यों को अधिकतम बजट देने की कृपा कीजिए। आपने सुझाव के मामले में कहा। मैं कृषि के मामले बोल चुका था, लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो लोग कृषि पर आधारित हैं उनके लिए दो बात तय कर दीजिए - कृषि पर प्रति एकड़ जो लागत पड़ती है, उसका हिसाब जोड़ लीजिए। उसके खर्च पर दो रुपये प्रति क्विंटल ही लाभकारी मूल्य दीजिए। जब आप लाभकारी मूल्य तय करें, उसमें किसानों के प्रतिनिधि को भी रखिए। आप तय करते समय किसानों के प्रतिनिधियों को नहीं पूछते। आपने नियम नहीं बनाए। सरकार फैक्ट्री में बनने वाले सामानों के दाम फैक्ट्री के लोगों और उद्योगपतियों को बिठाकर तय करती है। यदि मामूली गन्ने का दाम भी तय करना है, तो उसके लिए किसानों की राय नहीं ली जाती, किसान छटपटाकर मरते रहते हैं। आज सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, यह एक अलग विषय है। ऐसी चीजों की कीमतों को तय करने के लिए किसानों के प्रतिनिधि को बुलाइए और उसके सामने समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य तय कीजिए, यह हमारा सुझाव है। जहां बाढ़ और सूखे से बर्बादी होती है, वहां किसानों की फसल बीमा को ठीक से लागू कीजिए। आप उस योजना को सर-जमीन पर लागू कीजिए। सबसे बड़ी बात जो माननीय वित्तमंत्री जी के अधीन है, वह बैंक है और उस पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। आप देहात की हकीकत जानिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बैंक लोन नहीं देता, एक माननीय सदस्य ने कहा कि बैंक किसानों के नजदीक नहीं है और मैं कहता हूं कि जहां बैंक किसानों के नजदीक है भी, वह भी किसानों को लोन नहीं देते। मैं इतने बड़े सदन में कैसे बोलूं।....*(व्यवधान)* कोई भी बैंक किसानों से बिना रिश्वत लिए ऋण नहीं देता। ऋण बढ़ता जा रहा है। ऋण देते समय उससे दस प्रतिशत ले लिया जाता है, फिर भी उसे ठीक समय पर ऋण नहीं मिल पाता। वह खेती भी नहीं कर पाता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपका समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आप प्वाइंट्स बता दीजिए।

श्री सीताराम सिंह: मैं वित्तमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकारी स्तर पर गरीब और किसानों के लिए जो योजना बनाई गई है, उसे लागू करने के लिए आप राज्य सरकार को जरूर कहते हैं, लेकिन समय-समय पर उसकी समीक्षा कीजिए। जो कानून बना चुके हैं, कम से कम उसे भी सर-जमीं पर लागू करवाइए, यह हमारा सुझाव है।

आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री ई.जी. सुगावनम** (कृष्णागिरि): सभापति महोदया, अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) 2007-2008 पर मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इनका समर्थन करते हुए मैं आपकी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूं। हमें इस बात पर गर्व है कि हमने आर्थिक विकास के क्षेत्र में उस समय प्रगति की है जब हम अपनी स्वाधीनता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जब से यह संप्रग सरकार सत्ता में आई है सतत आर्थिक विकास हो रहा है। यदि आप आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रख सकते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अब से दो दशक से भी कम समय में ही हम एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे।

इस अवसर पर मैं आवश्यक वस्तुओं जैसे-खाद्य तेल, दालों अनाजों और फलों तथा सब्जियों की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं।

जब खाद्य तेल की बात आती है, तो हम इनका आयात करते आ रहे हैं। यदि खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि होती है, और यदि हमें इनका आयात भी करना हो तो इनके और आयात के लिए हमें आयात नीति को अवश्य बदलना चाहिए। इसकी जगह हमें किसानों को अधिक तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इस संबंध में भारत सरकार को हमारे किसानों को प्रोत्साहन देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए आगे आना चाहिए। हमारे यहां ऐसे तेलों की आपूर्ति की कमी है जिसके चलते हमें इसका आयात करना पड़ता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर तभी रोक लग सकती है जब हम तिलहन और खाद्य तेल का देश में उत्पादन बढ़ाए। चोकर (ब्रान) से निकाले गए खाद्य तेल को भी अन्य खाद्य तेलों की तरह ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है क्योंकि यह एक ऐसा वैकल्पिक खाद्य तेल हो सकता

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री ई.जी. सुगावनम]

है जो ज्यादा पोषक है। हमारे पास अपने ही देश में इसके उत्पादन की संभावना है।

डॉलर के रूप में भारतीय रुपये की कीमत बढ़ी है। यह जानकर खुशी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे रुपये की कीमत बढ़ सकी है। लेकिन इसके साथ ही रुपये और डॉलर की बीच की इस समानता से हमारे निर्यातकों और निर्यातक औद्योगिक एककों के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है। रुपये के मूल्य में इस लगातार वृद्धि से हमारे निर्यातकों को उतना लाभ नहीं मिलेगा, जितना पहले मिलता था। इसलिए, हमारी निर्यातक इकाइयां आपकी निर्माण गतिविधियां जारी रखते हुए अपना कारोबार जारी रखे इसके लिए उनको कुछ प्रोत्साहन दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है। हमारे आर्थिक विकास से रुपये की कीमत बढ़ती है, लेकिन इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे निर्यातकों की आवश्यकताओं को नजर अंदाज करने से वह आर्थिक विकास बाधित न हो। वस्त्रों का निर्यात तथा सॉफ्टवेयर का निर्यात पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका है। हाल ही के एक सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व में गिरावट के कारण निर्यात करने वाले औद्योगिक एककों के प्रभावित होने से हमारे 80 लाख श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए स्थानीय कार्यबल तथा निर्यात करने वाले एककों को भी तत्काल सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

तमिलनाडु की सरकार ने हमारे राज्य में व्याप्त पेयजल की समस्या को केन्द्र के समक्ष रखा है। कई जिले, विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र में कृष्णागिरि और धर्मापुरी में पेयजल की भारी कमी है। कुछ वर्ष पूर्व जापान सरकार की सहायता से शुरू की जाने वाली होगेनक्कल संयुक्त पेयजल परियोजना की घोषणा की गई थी। इस मामले में सही तरह से कार्यवाही न किए जाने के कारण पूववर्ती राज्य सरकार ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जो पहले से ही अत्यंत पिछड़े जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में यह बात लाने की जरूरत नहीं है कि पेयजल आपूर्ति की गंभीर कमी के कारण कितनी मुश्किलें पैदा हुई हैं। हॉगेनक्कल पेयजल परियोजना की संकल्पना से पूर्व की डी.एम.के. सरकार ने की थी जब वह 1996-2001 तक सत्ता में थी।

लेकिन बाद की सरकार ने कुछ नहीं किया और परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पुन: सत्ता में आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री कलाईगनार करूणानिधि ने घोषणा की है कि यह परियोजना 1100 करोड़ रुपये की लागत से जापान की सहायता से पूरी की जायेगी। हमारे स्थानीय प्रशासन मंत्री माननीय मु.क. स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में अपने मत्रालय से सम्बंधित मांगों पर बहस के दौरान घोषणा की है कि इस विशिष्ट पेयजल परियोजना को पूरी गंभीरता से शुरू किया जाएगा। अब यह परियोजना शुरू की जाने वाली है। हमारे नेता मु.का. स्टालिन ने अपने हाल ही के दिल्ली दौरे के दौरान इस मामले को केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने में हमें मदद देने के लिए उठाया है।

हमने आज सुबह संसद के केन्द्रीय कक्ष में जापानी प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 अथवा उससे अधिक वर्षों से लंबित चले आ रहे अनेक विकास कार्यों को आरम्भ किया जाएगा। मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि जब होगेनेक्कल संयुक्त पेयजल परियोजना जापान की सहायता से पूरी करने का कार्यक्रम बनाए, तो इस बात को ध्यान रखा जाए। मैं अपने केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हुए इसे जापानी अधिकारियों के साथ उठाए, ताकि इस परियोजना को पूरा किया जा सके तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े जिलों के लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी लाए।

हम देश के अनेक भागों में सूखे तथा बाढ़ के रूप में प्राकृतिक आपदा देख रहे हैं। प्रति वर्ष बार-बार आने वाली इस प्रकार की आपदाओं से जान-माल की भारी हानि तथा फसलों और उपज को नुकसान होता है। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुधन को भी अपार क्षति हो रही है। अनुदान और निर्वाह-भत्ता देने से इन समस्याओं का केवल अस्थायी समाधान किया जाता है। देश की प्रमुख नदियों को जोड़कर ही इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। हमारे नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाईगनार करूणानिधि ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस बात को दोहराया है। वह नदियों को आपस में जोड़ने की जरूरत को उजागर करते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इसका आरम्भ में दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ने से किया जा सकता है। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, केंन्द्रिय वित्त मंत्री तथा इसके साथ ही सं.प्र.ग. की अध्यक्षा श्रीमती सोनियां गांधी के साथ भी इस विषय पर चर्चा की है। अत: मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि प्रमुख नदियों को जोड़ना आश्यक है, जिससे कि बाढ़ के प्रकोप को रोका जा सके तथा बाढ़ से होने वाली क्षति को नियंत्रित किया जा सके और समुद्र में बहकर वापस जाने वाले नदियों के पानी को रोका जा सके। मैं प्रधानमंत्री जी और सं.प्र.ग. सरकार के वित्त मंत्री से तथा इसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अंतरराज्यीय नदियों को जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए। दक्षिण की नदियों को जोड़कर एक 'दक्षिणी वाटर ग्रिड' बना कर इसका आरम्भ किया जा सकता है।

मैं यह भी इंगित करना चाहता हूं कि आवास ऋणों पर ब्याज की दरों में काफी वृद्धि हुई है। यह 12 प्रतिशत तक पहुंच गयी है, जिससे निर्माण उद्योग अत्याधिक प्रभावित हुआ है। यह उद्योग जो कि कई लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, मंदी के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2004 में जो ब्याज दर 7.5 प्रतिशत थी अब वर्ष 2007 में बढ़कर वह 12 प्रतिशत हो गई है। निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री की कीमतों में बेतहासा वृद्धि ने भी इस क्षेत्र को काफी प्रभावित किया है। हमारे केन्द्रिय वित्तमंत्री, श्री पी.चिदम्बरम ने यह मामला सीधे सीमेंट उद्योग के साथ उठाया है। परन्तु कीमतों में अभी भी प्रभावी रूप से कमी नहीं आयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योगपतियों ने इसे अनसुना कर दिया है। सीमेंट की कीमत में कमी लाने के लिए यदि आवश्यक हो तो उन्हें सीमेंट के आयात में वृद्धि करनी चाहिए। यह निर्माण क्षेत्र से जुड़े लाखों श्रमिकों को प्रभावित करता है। उभरती अर्थव्यवस्था जैसे अमरीका आस्ट्रेलिया चीन जैसे देश छः प्रतिशत से भी कम दर पर आवास ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि वे इस पर गौर करें तथा आवास ऋणों पर ब्याज दर कम करने के लिए वित्तीय संस्थानों को समुचित अनुदेश जारी करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता और कुछ स्वागत योग्य कदम नहीं उठाए जाते, तो अनेक लोगों के लिए गृह निर्माण एक सपना बन कर रह जाएगा। अनेक लोग अपने आप को तमिल फिल्म 'वीडू' (घर) के परिवार के सदस्यों की तरह पाएंगे।

मैं कृषि ऋण परिदृश्य पर आता हूं। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है। अतः खेती के लिए किसानों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु उनकी ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है और ब्याज दरों में भी कमी किए जाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान ऋण के बोझ तले दब गया हैं। जब तक उनके चहरे पर हंसी नहीं आती तब हम मुस्कुरा नहीं सकते। अतः ऋण ग्रस्ता के बोझ की दयनीय स्थिति को कुछ कम किया जाए। जैसे ही वह सत्ता में आए हमारे नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलईगनार करूणानिधि ने 7500 करोड़ रु. के ऋण माफ करने की घोषणा की। यह एक अभूतपूर्व घटना थी जो भारत के किसी भी राज्य में कभी नहीं सुनी गयी। मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस योजना का अन्य राज्यों में भी विस्तार किया जाए, ताकि किसानों को फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को उदार प्रोत्साहन तथा उर्वरकों पर राजसहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उर्वरकों की उपलब्धता में कुछ समस्या देखी गई है जिसे दूर किया जाना चाहिए। किसानों को उन पर ज्यादा शर्तें लगाए बिना उदार ऋण मिलना चाहिए। अनेक किसानों ने महजनों के पास जाकर ऊंची दरों पर ऋण लिया है और अन्ततः अपने आप को असहाय पाया है।

अगला महत्वपूर्ण पहलू, जो इस अवसर पर मैं उजागर करना चाहता हूं वह यह है कि छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा शिक्षा के लिए ऋण लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक, जिन्हें केन्द्र सरकार की ओर से उदार शिक्षा ऋण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं, के विरुद्ध अनेकों शिकायतें आ रही हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने इनमें से कई बैंकों के अधिकारियों के साथ अनेकों बैठकें की हैं, परन्तु अभी भी अनेक बाधाएं हैं। उन्हें जमानत देने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। केवल कुछ ही स्थानों पर बैंक उदार हैं, परन्तु अनेक स्थानों पर ऐसा नहीं है। कुछ स्थानों पर अभिभावकों को अपनी सम्पति के कागजात गिरवी रखने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ अधिकारियों द्वारा यह गलत कार्य किया जा रहा है। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इसकी ओर ध्यान दें और खामियों को दूर करें। शिक्षा ऋण समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मैं यह जानता हूं कि केन्द्रीय वित्त मंत्री जी उदार शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, परन्तु अभी भी कुछ समस्याएं हैं। कुछ स्थानों पर शिक्षा ऋण का संवितरण बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें पिछड़े जिले हैं कुछ व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खुल गए हैं। इन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण आसानी से नहीं मिल पाता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कृष्णागिरि तथा धर्मपुरी जिलों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खुल रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंक इस व्यवसायिक तथा पेशेवर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ऋण देने में आनाकानी करते हैं। इन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अधिकांश परिवारों के विद्यार्थी निर्धन हैं और इसलिए उदार शिक्षा ऋण उपलब्ध करा कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया ही जाना चाहिए। हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री हमारे महान नेता के. कामराज का अनुगमन करते हैं। उन्होंने तमिलनाडु में शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया था। हाल ही में हमारे नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कलईगनार करूणानिधि ने यह घोषणा की है कि अब से महान नेता श्री के. कामराज का जन्म दिवस 15 जुलाई को साक्षरता तथा शिक्षा विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। के. कामराज के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष यह समारोह मनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कानून भी अधिनियमित किया है। हम सप्ताह में प्रति बच्चा तीन अंडे उपलब्ध कराये जाने संबंधी पोषक मध्याहन भोजन योजना चला रहे हैं। निशुल्क शिक्षा, निशुल्क पाठ्य-पुस्तक अच्छी गुणवत्ता वाले विद्यालय भवन, बालिका

[श्री ई.जी. सुगावनम]

विद्यार्थियों को साइकिल, विद्यार्थियों को निशुल्क बस पास तथा मनोरंजन सुविधाएं जैसे उन्नत खेल के मैदानों के अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार इस संबंध में सराहनीय कार्य करती आ रही है। विद्यार्थियों को वहनीय लागत पर गुणवत्ता वाली कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। ऐसे समय में जब कि केन्द्र में सं.प्र.ग. की सरकार है और आप वित्त मंत्रालय का कार्य-भार देख रहे हैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिलनाडु को इन कल्याणकारी उपायों को जारी रखने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जाए, जिससे कि व्यापक पैमाने पर जनता को लाभन्वित किया जा सके।

डी.एम.के. की ओर से बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ का आभारी हूं। मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): सभापति महोदया, मुझे आज बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

सरकार तथा देश के लिए यह पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट का जायजा लिए जाने का समय है। बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात पिछले कुछ महिनों के दौरान की गयी प्रगति का आकलन करना है वहीं वास्तव में यह देखकर अत्यंत खेद है कि सफलताओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। पिछले बजट में ऐसा प्रतीत होता था कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार का सकारात्मक तथा अच्छा रूप है।

अपराह्न 4.00 बजे

परन्तु इसी बीच हमें कृषि क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है तथा इसमें मुश्किल से 2.2% की विकास दर दिखाई दी है। दूसरी ओर दो अन्य बड़े क्षेत्र सेवाएं तथा विनिर्माण हैं। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गयी है, जबकि उत्पादन या विनिर्माण के क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है। हम दो प्रमुख क्षेत्रों पहला कृषि तथा दूसरा शिक्षा पर बल नहीं दे पाए हैं।

इस प्रक्रिया में हमें यह सोचना होगा कि हम इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम इस देश को उस रास्ते की ओर ले जा रहे हैं, जहां यह केवल सेवा-आधारित देश बनकर रह जाएगा? क्या भविष्य में विश्व की जरूरत यही है और यदि हम इसी दिशा में चलते रहे तो क्या दीर्घकाल में भारत में खुशहाली आएगी अथवा क्या हमें पुनर्विचार और पुनर्वालोकन करने की आवश्यकता है? सरकार यही ढोल पिटती रहती है कि सकल घरेलू उत्पाद 9.3% की दर से बढ़ रहा है। परन्तु यह भी एक दुखद: स्थिति है कि यदि हमारी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.3 प्रतिशत भी है तो भी 9.3 प्रतिशत की यह वृद्धि दर शायद केवल 9.3 प्रतिशत जनसंख्या तक ही सीमित हो रही है।

महोदया, मुझ से पूर्व बोले मेरे साथियों ने अपनी ही सरकार से यह प्रश्न किया कि धनी और अधिक धनी तथा निर्धन और निर्धन कैसे होता जा रहा है। मेरे विचार से इस का उत्तर यह है कि सरकार का निवेश उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जिनमें इससे समाज के निर्धन वर्गों को लाभ नहीं मिलता। यह विकास केवल धनी व्यक्तियों तक सीमित है और यह केवल उन 9.3 प्रतिशत व्यक्तियों तक सीमित हैं । इस सरकार की आर्थिक नीतियों से केवल इतने प्रतिशत लोग ही लाभान्वित होते हैं।

महोदया, हमें भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) की आवश्यकता है। हम इसके बारे में बात करते रहे हैं तथा हमें कुछ निवेश प्राप्त हो रहा है। परन्तु वह निवेश कहां गया, वह निवेश उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नहीं किया गया जिसकी भारतवर्ष को आवयकता है जिससे भारत अपने आप को एक सुदृढ़ राष्ट्र बना सके। इसके बजाए हमें प्राप्त होने वाला विदेशी निवेश उन क्षेत्रों में लगाया गया जिनमें निवेशक तुरन्त पैसा बना सकते हैं, जहां उनके पैसे को बहुत ही कम खतरा है, जहां से जब भी वे चाहें वे अपने पैसे निकाल कर भाग सकते हैं। हम जानबूझ कर इस प्रकार के निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।

महोदया, मैं कुछ एक बातों का जिक्र करूंगा। यह सरकार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) और उनका किस प्रकार सफलतापूर्वक ढ़ग से समाधान किया गया है के बारे में दावा करने आ रही है। मेरे कुछ विशिष्ट प्रश्न हैं तथा सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इसका स्पष्ट रूप से खुलासा करे तथा राष्ट्र को इसके बारे में बताए। एनपीए के विरुद्ध कारपोरेट घरानों द्वारा सही-सही कितनी राशि का वापस भुगतान किया गया। आपने कितनी राशि पूरी तरह माफ की है और यह राशि किनकी माफ की गई है। ओ.टी.एस. प्रणाली द्वारा कितनी राशि का निपटारा किया गया है, आपके द्वारा माफ की गई राशि पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का घाटा हुआ है।

अब कारपोरेट राज के इस युग में सरकार के लिए इसका स्पष्टीकरण देना तथा देश का यह बताना महत्वपूर्ण है कि आप न केवल देहातों में किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, बल्कि आप बड़े और प्रभावशाली लोगों पर भी उतना ही शिकजा कस रहे हैं। परन्तु इस देश के नागरिक यह जानते हैं कि इस सरकार में साफतौर पर बताने तथा उनके नाम लेने का साहस नहीं है।

इसलिए ऐसी स्थिति में, मैं अपने राज्य उड़ीसा की समस्याओं पर आता हूं। यह राज्य संसाधनों में सम्पन्न परंतु राजस्व की दृष्टि से निर्धन है। विगत में अपनी खनिज संपदा से हमने राष्ट्र की सहायता की है। हम अभी भी कोयले, लौह-अयस्क बाक्साईड तथा अनेक खनिजों के माध्यम से कई राज्यों की सहायता कर रहे हैं। यह एक सुखद अवसर था जब वित्त मंत्री जी ने विभिन्न ग्रेड के लौह-अयस्कों के निर्यात पर एक विशेष उपकर लगाए जाने की घोषणा की थी। हम इसके बारे में अत्यंत खुश थे तथा हमने यह उम्मीद की थी कि उस उपकर में से कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि उन राज्यों को दी जाएगी, जिन्होंने लौह-अयस्क दिया है, परन्तु मुझे नहीं पता कि परोक्ष में क्या समझौता हुआ है। वह चाहे सेसागोवा हो या कोई और। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं परंतु प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चल गया कि कोई सौदा किया गया है गड़बड़ी की गई है तथा उपकर को वापिस लिया गया। यह अत्यन्त दुख की बात है कि श्री पी. चिदम्बरम जैसे सक्षम और सुयोग्य वित्तमंत्री उनकी अपनी सरकार की ओर से आए दवाब को सहन नहीं कर पाए।

मेरे राज्य उड़ीसा में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज चिकित्सकों की भारी कमी है। मुझे पूरा यकीन है कि सब राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही स्थिति होगी। मेरे राज्य में इनकी भारी कमी है। यह दु:ख की बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐसे राज्यों को उनके अपने चिकित्सा संस्थान या उच्च शिक्षण संस्थान खोलने में सहायता के लिए एक भी कदम नहीं उठाया जिनमें इस प्रकार की समस्या है। हमें अपने राज्य में उच्च शिक्षण संबंधी जैसी संस्था से वंचित रखा गया है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी और कभी कभार मानव संसाधन विकास मंत्री भी घोषणा करते हैं कि संस्थान उड़ीसा जैसे राज्य में स्थापित किए जायेंगे, परन्तु फिर भी वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि कतिपय राज्यों, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, को जानबूझ कर तथा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विकास की मुख्य धारा से दूर रखा जाता है। मैं बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि उड़ीसा उनमें से एक है।

अब मैं अवसंरचना को लेता हूं। हम हमेशा यह सोचते हैं कि अवसंरचना का मतलब कोई सड़क, पुल है, परंतु महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं एक शहरी निर्वाचन क्षेत्र से हूं तथा ऐसा नहीं है कि केवल सड़कें, पुल, और बांधों से ही अवसंरचना बनती है बल्कि आपको मानव अवसरंचना भी चाहिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे सकता हूं। जब हमारे किसान कपास उगाते हैं, तो यह आवश्यक है कि यदि वे इसका निर्यात करना चाहते हैं, तो उनके पास एक ऐसी प्रयोगशाला होनी चाहिए, जो गामा किरण द्वारा इसे परिष्कृत कर सके। परंतु उड़ीसा जैसे राजयों तथा भारत के अनेक राज्यों में हमारे पास ऐसी साधारण सी प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा आसानी से वित्त पोषित किया जा सकता है, जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं के किसानों की मदद हेतु स्थापित किया जा सकता है।

सर्व शिक्षा, अभियान परियोजना में, पहले 75:25 का अनुपात था – केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाता था तथा 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। वास्तव में, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में तथा अपने राज्य के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में यह देखा है कि नीचले स्तर पर विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कि वास्तव में काम हो रहा है। परंतु पिछले बजट में जब सरकार ने उसे 50:50 के अनुपात में परिवर्तित किया तो अनेक राज्य अपने हिस्से की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं। इसलिए जो परियोजना एक स्वागत करने योग्य परियोजना थी, जिसका प्रभाव पड़ा था, का कार्यान्वयन रूक गया। उस शीर्ष में कुछ नहीं हो रहा है।

चूंकि जमीनी स्तर पर राज्य विकास करने में सक्षम नहीं है अत: यह अति आवश्यक है कि भारत जैसे संघीय ढ़ाचें में, हम भी ईमानदारी से यह प्रयास करते हैं कि उन राज्य जिन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आप ऐसा कैसे करेंगे? आप उन्हें विकास करने का अवसर देकर ऐसा कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में हमारे कुछ मुख्य मंत्री छ: अथवा सात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा कि कुछ पहलुओं में हुडा समिति की रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट थी, परन्तु समग्र रूप से नहीं। यद्यपि कुछ पहलुओं में यह एक अच्छी रिपोर्ट थी। उन्होंने इसका समर्थन किया, परंतु यह भी कहा कि रायल्टी यथा मूल्यानुसार मूल्य पर आधारित होनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उद्योग स्थापित करने के लिए भारत में आ रही हैं। परंतु प्रश्न यह है कि वे भारत क्यों आ रही हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि वे ब्राजील अथवा चीन जैसे देशों में जाती हैं तो उन देशों की मांग यह होगी कि यदि आप हमारे कच्चे माल का उपयोग करें तो आप हमें बाजारी मूल्य पर भुगतान करें। परंतु भारत शायद विश्व में एक ऐसा अनोखा देश है जो यह कहता है कि आपसी समझौते पर तय मूल्य पर हमारा कच्चा माल ले जाइये, और आप न केवल उस मूल्य पर कच्चा माल ले जाइये बल्कि आप हमारे खनिज पदार्थ भी ले जाईये।

महोदया, उड़ीसा में एक कहावत है कि 'यदि वे शाकाहारी हैं तो आप अपने अतिथियों को मछली परोसिये परंतु तालाब मत दिखाईये क्योंकि उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि तालाब कहां स्थित है।'' इस प्रकार यह अति आवश्यक है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की कद्र करें। यह चिरकाल तक नहीं चलेंगे। निकट भविष्य में हमारे प्राकृतिक भण्डार समाप्त हो जायेंगे। यदि

[श्री तथागत सत्पथी]

आप उन राज्यों जहां पेट्रोलियम पम्प वालों को 20 प्रतिशत का उपकर दे रहे हैं, तो फिर आप यथा मूल्यानुसार उन राज्यों को इसी प्रकार का लाभ क्यों नहीं दे सकते, जिनके पास कोयले, लौह-अयस्क विशेष रूप से बाक्साईट और अनेक अन्य बहुमूल्य खनिज भण्डार हैं।

महोदया, किसानों की आत्महत्या भी एक बड़ी चिंता का विषय है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। कृषि क्षेत्र की लगातार अनदेखी की जा रही है। हमारे अनेक साथी पहले भी इस मुद्दे पर बोले हैं। मैं एक मुद्दे की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा और वह मुद्दा यह है कि फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की लगातार मांग की जाती रही है ताकि पंचायतें, न की खंड को इकाई समझा जाए। यह खेदजनक बात है कि लंबे समय से इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रक्रिया में जब बाढ़ से क्षति होती है तथा जब सूखे से क्षति होती है तो किसानों को हुई क्षति का निर्धारण यर्थाथपरक नहीं होता क्योंकि आप एक खंड को एक इकाई मान रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी इकाई हो सकती है। इसलिए, यह मांग कि इसे कम करके पंचायत स्तर का कर दिया जाए, एक अत्यंत औचित्यपूर्ण मांग है। मैं आशा करता हूं तथा चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दें।

मैं एक अंतिम बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि जापान के प्रधानमंत्री, श्री शिजों अबे ने संसद की दोनो सभाओं की संयुक्त बैठक में अपने सम्बोधन में आज सुबह एक अत्यधिक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने हमारे हित की बात कही थी तथा उनकी बात उस व्यक्ति के लिए काफी भय उत्पन्न कर देने वाली थी, जिसने उस पर ध्यान दिया। आज सुबह उन्होंने कहा था कि 2050 तक भारत विश्व में अत्यधिक जनसंख्या वाला देश होगा तथा हमारी अनोखी स्थिति यह होगी कि गांवों से लोगों का पलायन शहरी केन्द्रों की ओर होगा। इसलिए, आप जैसे निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के सभी दूरस्थ व अविकसित क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पलायन होगा। महोदय उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि यह कितनी भयभीत करने वाली होगी। 1970 के मध्य में आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सरकार की मुख्य पार्टियों का काफी कटु अनुभव रहा है जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। हम इसे समझते हैं, परंतु आप परिवार नियोजन के इस क्षेत्र में सकारात्मक निवेश से पूरी तरह बच नही सकते । इस देश के लिए यह अति आवश्यक है कि हम परिवार नियोजन के क्षेत्र में पुन: एक अभियान चलाये।

सभापति महोदया: श्री सत्यथी जी, आपके दल से एक और सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लेगें और आपके दल का आंवटित समय में से केवल पांच मिनट शेष बचे हैं। इसलिए, कृपया संक्षेप में बोलिए तथा अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: ठीक है। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदया: पांच मिनट में नहीं, बल्कि एक मिनट में समाप्त करें क्योंकि आपके दल से एक और सदस्य बोलने के लिए शेष हैं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, मुझ पर आपकी हमेशा कृपा दृष्टि रही है। मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, इस सरकार के पास भविष्य के लिए कैसे निवेश करें, उसकी संकल्पना नही है ताकि शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन की गति को काफी कम किया जा सके। अत: हम किसी भी तरफ काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों को आकर्षक नहीं बना रहे, जिससे कि ग्रामीण भारत के युवा अर्धशिक्षित और शिक्षित युवक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने का प्राथमिकता दें, वहीं काम करें, कृषि अथवा अन्य क्षेत्रों में लगें, धनोपार्जन करें, धनवान बनें और खुशहाल बनें। हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। दूसरी ओर, हम आपातकाल के उन अनुभवों से भी डरे हुए हैं, कि सत्ता में कोई भी पार्टी आए, कोई भी परिवार नियोजन के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। इस प्रकार हम दुविधा में हैं, आज सुबह जापान के प्रधानमंत्री ने 2050 के बारे में जो कुछ कहा, यदि वह सच हो जाता है तो क्या होगा।

महोदया, इस प्रकार, यही समय है मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस राष्ट्र से यह आग्रह करता हूं कि इस सभा को देश जिस रास्ते पर जा रहा है, जिस प्रकार सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है, उस पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए और इसलिए यही वह समय है जबकि हम सब मिलकर बैठें और वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान दें और इसका मुकाबला करना शुरू करें और प्रत्येक मुद्दे का उस हद तक राजनीतिकरण न करें जिससे कि कुछ हासिल ही न हो।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदया, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इन अनुपूरक अनुदानों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करने के लिए कृषि राज्यों की योजनाओं संबंधी क्षेत्रीय केन्द्रीय सहायता योजना के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह कि क्या यह धनराशि काफी होगी अथवा क्या यह कहीं आवश्यकता के आसपास है।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में बार-बार यह कहा है कि जब तक हम कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ग्यारहवीं योजना में 10 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद हासिल करना अथवा आज जो 9.8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद उसे बनाए रखना भी मात्र एक सपना ही रहेगा। चार प्रतिशत की इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए की एक विशेष धनराशि का आबंटन करेगी। लेकिन, यहां माननीय वित्त मंत्री जी केवल 300 करोड़ रुपए का आबंटन कर रहे हैं। यह वैसी ही बात है जैसे कि किसी कंजूस द्वारा अपना बटुआ खोलना। यह अगली योजना के लिए कृषि हेतु अत्यल्प है अत्यंत कम है।

कृषि क्षेत्र के बारे में ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस देश में वस्तुत: सर्वाधिक गरीबी इसी क्षेत्र में है। इस देश में सर्वाधिक बेरोजगारी ग्रामीण भारत में ही है और यह व्यापक रूप से कृषि क्षेत्र पर आश्रित जनसंख्या को ही प्रभावित कर रही है।

हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक बजटों से ही एक बहुत अच्छी नीति अपनाई है कि कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और उस क्षेत्र में मुझे यह कहना ही होगा कि कुछ ऋण दिए गए हैं, जोकि प्रशंसनीय बात है। लेकिन बात यह है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं की जांच करने के लिए इस सरकार ने डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी। बड़ी-बड़ी रिपोर्टें पेश की जा चुकी हैं इस समिति का एक अहम निष्कर्ष सिफारिश यह है कि किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। वित्त मंत्री आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने की ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ही अथवा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को सहनीय निम्न ब्याज दर पर आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए जिससे वे सहमत नहीं हैं। मैंने सोचा कि वे कृषक समुदाय हेतु ब्याज दर को नीचे लाने के लिए कुछ धनराशि नियत करेंगे। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ऐसा कुछ भी नही हैं।

महोदया, मुझे याद है, शायद पिछले वर्ष, कृषि मंत्री इस सभा में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चूंकि ये सिफारिशें विभिन्न मंत्रालयों को प्रभावित कर रही हैं इसलिए वे इससे संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छ: महीने के भीतर रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। वे छ: महीने बहुत पहले बीत चुके हैं। इस बजट में भी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने का कोई जिक्र नही है जिसका कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ कहें, ताकि इस क्षेत्र में कुछ नीतिगत उपाय किए जा सकें।

ऐसे देशों के उदाहरण हैं- मैं कृषि क्षेत्र की बात कर रहा हूं-जहां गरीब, सीमांत और छोटे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए गए हैं। अब मंत्री महोदय यह कहेंगे कि हम चार प्रतिशत की दर पर ऋण नही दे सकते और वह ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह संभव हैं क्योंकि यदि आप छोटे, सीमांत और गरीब किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे, तो वे अधिक जोश और अधिक विश्वास के साथ उत्पादन आरंभ करेंगे। यह इसका आर्थिक पहलू है। जब वे अधिक उत्पादन करेंगे तो देश कृषि क्षेत्र के उत्पादन के कारण प्रगति करेगा। दुर्भाग्यवश, हमारे मंत्री महोदय, अपनी अनुपूरक अनुदानों में भी इस प्रकार की सोच प्रदर्शित नही कर रहे हैं।

मेरे मित्र सत्पथी जी बता रहे थे कि कृषि क्षेत्र में, गांवों को इकाई मानते हुए एक व्यापक कृषि बीमा योजना होनी चाहिए। जहां नुकसान हो वहां गांव के आधार पर गणना की जानी चाहिए और किसानों को लाभान्वित किया जाना चाहिए। सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से इस पर सहमति दे दी थी, लेकिन कोई उपाय नही किया गया। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कृषि क्षेत्र में शीघ्र किए जाने की आवश्यकता है।

यदि मैं कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर जाऊं तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि साढ़े तीन वर्ष गुजर चुके हैं। अब सत्ता में रहने के लिए संप्रग के पास मुश्किल से डेढ़ वर्ष का समय ही बचा है। संवैधानिक रूप से यह सरकार डेढ़ वर्ष और सत्ता में रह सकती है। अधिकांश समय गुजर चुका है। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम को लें। किए गए वादों में से एक वायदा असंगठित क्षेत्र के कल्याण के संबंध में था। इस संबंध में विधेयक लाया जा रहा है। मैं समझता हूं, यहां भी वित्त मंत्री महोदय-मैंने सोचा था कि इस बजट में कुछ सामने आएगा-संभवत: पर्याप्त धनराशि नही दे रहे हैं, ताकि यह विधेयक अर्थपूर्ण बन सके।

अब, जब मजदूर संघों के साथ इस विधेयक पर चर्चा हो चुकी है, मैं समझता हूं कि आई एन टी यू सी (इन्टक) सहित सभी मजदूर संघों ने कहा है कि 'यह एक छलने वाला' विधेयक है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कोई लाभ नही होगा।'' महोदया, बिना काम किए साढ़े तीन वर्ष गुजर चुके हैं। अब वे जो विधेयक ला रहे हैं, यदि मैं ठीक समझ रहा हूं तो इस देश का समूचा कामगार वर्ग विरोध करेगा क्योंकि किसी भी प्रकार इसे यह असंगठित क्षेत्र की उसके कल्याण में मदद नही

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

करेगा। इसलिए मैं नहीं जानता कि वे क्यों इस दिशा में सोच रहे हैं।

इस बजट में एक बात और है गुजरात दंगो के पीड़ितों के लिए एक निश्चित धनराशि नियत की गई है। ठीक है, गुजरात के दंगे अत्यंत रोचक बात है। मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष एक संसदीय शिष्टमंडल ने गुजरात का दौरा किया था। उस शिष्टमंडल में, भाजपा के सिवाय सभी दलों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। जो कुछ हमने देखा, वह दिल दहला देने वाला दृश्य था। दंगों के इतने वर्ष बाद अभी भी लोग खाली हाथ घूम रहे थे और उनके पास रहने के लिए जगह नही थी। मैं वहां गया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। उन्हें बोलने दें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यदि आप जोर-जोर से भी बोलेंगे, तो भी मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

सभापति महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदया, मैं उनसे बात नही कर रहा हूं, बल्कि मैं अध्यक्षपीठ को ही संबोधित कर रहा हूं।

मैं यही कह रहा हूं कि हमने वह दिल दहलाने वाली स्थिति देखी थी। केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि राज्य सरकार ने बिना खर्च किए ही वापस कर दी थी। अब, सरकार उन शरणार्थियों अथवा आप उन्हें जो भी कहें, के पुनर्वास के लिए पुन: धनराशि नियत कर रही है। क्या गारंटी है कि इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा और सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों की सहायता की जाएगी। कोई आश्वासन दिया जाए। कोई तंत्र बनाया जाए ताकि इस सहायता का कुछ अर्थ हो।

महोदया, एक और विधेयक लंबित है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय की राज्य समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। पुन: यह साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया वायदा है। यह विधेयक सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए है। इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है और गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति द्वारा इसे सरकार को भेजा जा चुका है। अभी तक यह विधेयक पुर: स्थापित नहीं किया गया है। इस विधेयक पर चर्चा करने का कोई विचार नहीं है।

महोदया, हम पीड़ित व्यक्तियों के लिए पैसा दे रहे हैं, परन्तु राज्य सरकार उसे खर्च नहीं कर रही है। अत: उचित यही है कि आप प्रस्तावित विधेयक को पारित करें, ताकि देश में थोड़ी गारंटी के साथ एक ऐसा माहौल बने कि साम्प्रदायिक दंगों को कुछ हद तक रोका जाना सम्भव हो सके। परन्तु सरकार ने अभी तक ऐसा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि गृह मंत्रालय को अनुदान मिलता है। हमारी स्वतंत्रता की यह साठवीं वर्षगांठ है। साठ वर्ष बीत चुके हैं। 60 वर्ष पूर्व जनता ने स्वतंन्त्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। अनेकों मामलें ऐसे हुए हैं, जिनमें इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भिखारियों जैसा व्यवहार किया गया है। नौकरशाही तथा केन्द्र द्वारा उनके आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है। उनसे ऐसे दस्तावेज मांगे जाते हैं जिन्हें प्रस्तुत करना असम्भव है तथा 60 वर्ष के पश्चात कोई व्यक्ति क्या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। नौकरशाही बैठकर आदेश पारित कर रहे हैं कि यह सम्भव नहीं हैं। गृह मंत्रालय को इस संबंध में और अधिक मानवीय तथा ऐतिहासिक रूप से औचित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। महोदया, आप पीठासीन हैं, सत्ता पक्ष भी यहां बैठा हुआ है और यहां संसद में मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 60 वर्ष पूर्व अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दी थी।

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही 13 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे भी यह अपेक्षा करता हूं कि आप भी इसका समर्थन करें।

सभापति महोदया: अब एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं परन्तु यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए।

सभापति महोदया: मैं आपकी बात समझ सकती हूं। परंतु हमें दूसरे सदस्यों को भी समय देना है, क्योंकि अभी कई और सदस्यों को बोलना है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: गृह मंत्रालय को कहा जाना चाहिए कि वह ऐसे मामलों को एक निश्चित समय-सीमा में निपटाए। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि इन सभी मामलों की जांच तथा अंतिम निर्णय के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाए। उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है; केवल कुछ ही जीवित हैं और यदि इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया जाता है, तो उन्हें लाभ होगा।

सभापति महोदया, पुन्नपरा-व्यालार संघर्ष, क्य्यूर संघर्ष, क्वांम्पी संघर्ष, केरल के जाने माने संघर्ष हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के पश्चात् केन्द्र ने उन्हें स्वतंत्रता संग्रामों के रूप में स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन संघर्षों में जिन्होंने भी हिस्सा लिया और जो अभी जीवित हैं को पेंशन नहीं मिल रही है। मैं बजट पर चर्चा के दौरान यह विषय इसलिए उठा रहा हूं कि इस संबंध में कुछ निर्णय लिया जाएगा। मेरे मित्र माननीय रक्षा मंत्री श्री एंटनी यहां उपस्थित हैं। वे केरल से हैं। हम सभी जानते हैं कि इन सभी संघर्षों में लोगों ने अपना बलिदान किया। अब 60 वर्ष का समय बीत चुका है, कितने स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं, जो पेंशन की मांग कर रहे हैं? कुछेक लोग ही ऐसे हैं। आप उन्हें पेंशन देने से इनकार कर रहे हैं।

मैं केरल के विख्यात लेखक एस.एल.पुरम सदानंदन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के बारे में एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। जब वे जीवित थे उनका आवेदन यहां दिया गया था। गृह मंत्रालय में बैठे कुछ नौकरशाहों ने उनके आवेदन में कुछ विसंगतियां पायी और यह कहा गया कि उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। पेंशन मिले बिना ही उनका निधन हो गया। यह लज्जाजनक बात नही है कि उनकी मृत्यु के पश्चात अब उनकी पेंशन को मंजूरी दे दी गयी है? यह क्या है? यह एक अमानवीय दृष्टिकोण है। एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता और ऐसे दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त कर रहा हूं कि लंबित आवेदनों की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जाए। एक निश्चित समय सीमा के भीतर यदि इन आवेदनों पर कार्यवाही कर अंतिम रूप दे दिया जाता है तो उनकी दुआए मिलेगी। कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो जीवित हैं उन्हें इस संतोष के साथ पेंशन मिलेगी कि देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान को अन्ततः मान्यता मिली है। अन्ततः थोड़े संतोष की भावना के साथ स्वर्ग सिधार जाएंगे।

सभापति महोदया: समिति का गठन किया जाना एक अच्छा सुझाव है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मंत्री जी बहस का उत्तर देते समय आप इस संबंध में उत्तर न दे परंतु कुछ कदम उठाएं ताकि कुछ हो सके।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदया, पेंशन के मुद्दे पर मैं भी अपने को इनसे सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदया: ठीक है, आपका नाम सम्बद्ध किया जाएगा। यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदया, वे भी अपने को इस विषय से सम्बद्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदया, आज हाउस में सप्लीमेंट्री (जनरल) पर चर्चा चल रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक विभागों के बारे में और विशेष तौर पर कृषि से संबंधित मामलों में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अलग-अलग हैड्स के अंदर विभिन्न डिमांड्स ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: सांगवान जी आप अपनी बात पांच मिनट में कृपया समाप्त कीजिए। संक्षेप में अच्छे प्वाइंट्स दीजिए।

श्री किशन सिंह सांगवान: महोदया, आज सारा देश आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और जब से हमें आजादी मिली है, इन 60 सालों में लगभग 50 साल अकेले कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। इतने लम्बे समय तक राज करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गांवों में किसानों की हालत, दलितों की हालत और पिछड़े-वर्ग की हालत जो आजादी से पहले थी, आर्थिक दृष्टि से आज भी लगभग वही स्थिति है।

जब से केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार आई है, तब से कोई विशेष आर्थिक सुधार नहीं हुए हैं। जब वित्त मंत्री जी ने पहली बार बजट पेश किया था, उस समय एक लुभावना नारा 'भारत निर्माण' का दिया गया था कि हम भारत का निर्माण करेंगे ...*(व्यवधान)*

मैं आपकी मार्फत सरकार से कह रहा हूं। यहां भारत निर्माण की बात कही गई। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अब तक कौन से भारत का निर्माण हुआ है, किस विभाग में हुआ है? हां, भारत निर्माण की ओर नहीं बढ़ रहा है बल्कि इंडिया निर्माण की ओर जरूर कुछ प्रगति हुई है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा।

देश में लगभग 67 प्रतिशत किसान सीधे तौर से खेती से जुड़े हुये हैं जी.डी.पी. 18.5 प्रतिशत है जबकि किसान की खेती की विकास दर केवल 2.7 प्रतिशत है। चाहे और क्षेत्रों में विकास हुआ होगा लेकिन खेती में घटा है जबकि खेती पर देश की अर्थ-व्यवस्था आधारित है। देश की 60 साल की आजादी के बाद भी 66 प्रतिशत किसान कर्जदार हैं। 1993 से लेकर 2006 तक हजारों किसान

[श्री किशन सिंह सांगवान]

आत्महत्यायें कर चुके हैं और अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर मेरे आकड़े गलत हों, तो माननीय वित्त मंत्री उन्हें सही करें और जवाब जरूर दें।

सभापति महोदया, देश की जनसंख्या बढ़ रही है और इसलिये किसानों की जमीनें घट रही हैं। इंडस्ट्री के अलावा दूसरे सैक्टर्स में भी जमीनें जा रही हैं। इस तरह दो करोड़ हैक्टेयर जमीन खेती में कम हो गई है। आज स्थिति यह है कि 48 प्रतिशत किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यह घाटे का सौदा है। देश की 60 प्रतिशत जमीन के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। एक से दो एकड़ जमीन के मालिक किसानों की संख्या 89 प्रतिशत है। आज स्थिति यह आ गई है कि कुल कृषि जमीन का 40 प्रतिशत भाग ही कृषि योग्य है। देश में 11 करोड़ किसान परिवार हैं। सदन में कई माननीय सदस्यों ने किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में जिक्र किया है। किसानों को चार चीजें चाहिये-फसल का लाभकारी मूल्य, सिंचाई के लिये पानी, बिजली और इस्तेमाल में आने वाले इनपुट्स सस्ते दामों पर। देश की 60 साल की आजादी के बाद भी हम किसानों की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाये हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये वह बैंको और साहूकारों से कर्जा ले रहा है और उसी कर्जे में डूबने पर आत्महत्यायें कर रहा है। वास्तव में यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये डा.स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया गया था। इस मामले को कई माननीय सदस्यों ने उठाया है। सरकार स्पष्टीकरण दे कि डा. स्वामीनाथन की रिपोर्ट का क्या हुआ, उस पर कार्यवाही क्यों नही हो रही है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि इसमें विस्तार से किसानों की समस्याओं के बारे में चिन्ता जाहिर की गई थी। आज पूरे देश की हालत यह है कि गांवों में 56 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है। यह हम देश की 60 सालों की आजादी मना रहे हैं। देश की 34 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिनकी रोजाना की आमदनी 20 रुपये है। 40 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, साधन नही हैं, परिवार के लोग तंग है जिसके कारण बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। शिक्षा का तो यह हाल है कि देश में केवल सात प्रतिशत बच्चे मैट्रिक पास हैं। देश के 12 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं तो टीचर नहीं हैं, टीचर हैं तो किताबें नहीं हैं, टाट नहीं हैं और 54 प्रतिशत स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। यह मैं आंकड़े बता रहा हूं। 84 प्रतिशत स्कूल देश में ऐसे हैं जिनमें आज भी बच्चों के शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं हैं। यह साठ साल के भारत निर्माण का दृश्य आपके सामने हैं।

जहां तक स्वास्थ्य की बात है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ तो सस्ती जमीन उपलब्ध कराकर अपोलो जैसे बड़े-बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं जहां गरीब लोगों की एन्ट्री ही नहीं है और उनके लिए कोई रिजर्वेशन भी नही है कि वे उस अस्पताल का फायदा उठा सकें, दूसरी तरफ गांवों में अस्पताल अच्छे अस्पताल नहीं हैं। अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो दवाइयां नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बुरी हालत है। हम किस प्रकार की 60 साल की आजादी हम मना रहे हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। देश में 90 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण और बीमारियों की शिकार हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। करोड़ों पढ़े-लिखे नौजवान घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा डिफरैन्स यह आ रहा है कि गांवों और शहरों के बीच में विकास की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं लेकिन वहां बजट का सिर्फ 25 प्रतिशत खर्च होता है। शहरों में 25 प्रतिशत आबादी है मगर बजट का 75 प्रतिशत वहां खर्च होता है। इस कारण गांवों और शहरों में विकास की खाई लगातार बढ़ रही है। गांवों से लोग अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए भी बजट में गांवों के लिए अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए। ये मोटी-मोटी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं।

आज हम भारत की आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह भारत निर्माण की बात है। जहां ये आंकड़ें मुख्य विषयों पर बताए, वहीं दूसरी तरफ जिसको हम इंडिया कहते हैं, यह समस्या है कि भारत देश के दो नाम हो गए। एक तरफ जिसको हम इंडिया कहते हैं वहां मोबाइल का जमाना है, फाइव स्टार अस्पतालों का जमाना है, बड़े-बड़े क्लबों का जमाना है, पांच करोड़ रुपये तक की गाड़ियां हैं और दूसरी तरफ भारत है जहां ये सब कुछ नहीं है, मंत्री जी इस भेद को भी बताएं कि असली भारत क्या है और असली इंडिया क्या है। यह जब तक स्पष्ट नहीं होगा, गरीब का भला नही हो सकता। आज देश में 15 करोड़ लोग बीपीएल में है। उनके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आंकड़े मैंने दिये हैं, उनके बारे में सरकार की क्या सोच है, वह सदन में बताए।

सभापति महोदया: डा. करण सिंह यादव।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: एक दूसरे से बात न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: वह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: आप अच्छा बोलेंगे, अभी डॉ. करण सिंह यादव जी को बोलने दीजिए।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): माननीय सभापति महोदया, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने देश में बढ़ती हुई इकोनॉमी की चर्चा की है। शहरों के विकास की चर्चा की है, एग्रीकल्चरल सैक्टर में जो कुछ नहीं हुआ, उसकी चर्चा की है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषकों के लिए 25 हजार करोड़ रूपए की घोषणा पिछले दिनों की है और इस बजट में छोटा-सा अंश उसके लिए दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी शुरूआत है। मैं थोड़े समय में चार-पांच बिन्दु रखूंगा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।

मेरा पहला बिन्दु सांसदों को मिलने वाली एमपीलैड से संबंधित राशि के विषय में है। हम जब ग्रामीण विकास की चर्चा करते हैं, गांव और शहर में रहने वाला सांसद जब वहां जाता है तो वहां के आम सरपंच, आम किसान की एवं सारे गांव की नीयत यह रहती है कि यहां सांसद महोदय आए हैं, ये गांव के स्कूल में कमरा, गांव की सड़क का खड़ंजा बनवा कर जाएंगे या नहीं, गांव के टूटे गलियारों को ठीक करा कर जाएंगे या नहीं। उन सबको ऐसा लगता है कि आपको दो करोड़ रूपए साल में मिलते हैं, अगर ये यहां पांच-दस लाख रुपये दे जाएं तो क्या कम होंगे।

मैडम, मैं राजस्थान की बात बताना चाहूंगा। मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र में आठ विधान सभा क्षेत्र आते हैं और इन आठ विधान सभा क्षेत्रों में दो करोड़ रुपये को बांट ले तो 25 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से, एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50-60 ग्राम पंचायतें और एक-एक ग्राम पंचायत में पांच-पांच, छः-छः गांव और ढानियां हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे सांसद भाई किस तरह से उस पैसे को बांट पाते होंगें मेरा पहला निवेदन यह है कि या तो एमपी लैड को टोटल बंद कर दिया जाए या कम से कम पांच करोड़ रुपए सालाना किए जाएं।...*(व्यवधान)* मेरे गलत बोलने पर कितना बड़ा रेस्पोंस है कि हर आदमी जागरूक है कि एमपी लैड का पांच करोड़ किया जाए। दिल्ली के एमएलए को दो करोड़ सालाना मिलते हैं। ...*(व्यवधान)*

माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा पहला निवेदन यह है कि इन सप्लीमेंट्री डिमांड्स में ग्राम विकास की आप जो पूरक, अनुपूरक मांगे लेकर पधारे हैं, उनके अंदर कम से कम पांच करोड़ रुपया सालाना सांसद निधि का किया जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वित्त मंत्री जी बैठे हैं, वे बताएंगे।

डा. करण सिंह यादव: दूसरी बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि गरीब आदमी को जो बीमारियों हो जाती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट की प्रोबलम आदि कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं इसके लिए हम लोग निरंतर प्रधानमंत्री जी के कोष पर निर्भर करते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनके लिए आपने प्रोविजन कर रखा है, बिलो पावर्टी लाईन वाले लोगों को सरकार से संपूर्ण सहायता मिल जाती है। इस मूल्क में जो बहुत बड़ी आबादी है, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन वे गरीब हैं और वे लाख रुपया, डेढ़ लाख एवं दो लाख रुप्ये नहीं दे सकते। हम प्रधानमंत्री कर्यालय में बराबर निरंतर अपनी रिकवेस्ट भेजते हैं वहां से पिछले दिनों में ऐसा महसूस किया गया, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी जांच की तो पता चला कि प्रधानमंत्री कोष में जितना पैसा होना चाहिए, जो दान से प्रधानमंत्री जी के यहां आता है उसका बजट कम होने के कारण से उन्होंने एक सीलिंग लागू कर दी कि प्रत्येक एमपी को महीने में एक या दो से अधिक केस नहीं और मेरे जैसे डाक्टर के पास में महीने में कम से कम दस-बीस केसेस हार्ट, कैंसर और लंग्स आदि के ऐसे आते हैं, जिनके लिए मुझे लिखना पड़ता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी की मदद के लिए प्रधानमंत्री कोष के लिए अलग से बजटिंग प्रोविजन क्यों नहीं कर दिया जाए। सप्लीमेंट्री डिमांड्स में ऐसा प्रोविजन क्यों नही किया जाए कि प्रधानमंत्री जी गरीब आदमी के इलाज के लिए अधिक से अधिक राशि दे सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमपी एवं जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से अधिक से अधिक राशि मुहैया करवा सकें।

सभापति महोदया, नैशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम इस सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और जिन इलाकों में यह कार्यक्रम चालू हो गया है, वहां की जनता यू.पी.ए. सरकार को बार-बार धन्यवाद दे रही है क्योंकि गांवों के अंदर विकास के अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यह कार्यक्रम देश के सभी जिलों में अभी तक लागू नहीं किया गया है। राजस्थान में यह कार्यक्रम पहले साल पांच जिलों में शुरू किया गया और दूसरे साल छः जिलों में आरंभ हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह अलवर है। वहां अनुसूचित जाति और जनजातियों की भारी संख्या है। मेरे आठ असैम्बली सैगमेंट में दो शेडयूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व हैं और दो शेडयूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। बाकी के अंदर हमारे बहुत पिछड़े मेव भाई हैं और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं। मेरा जिला इस कार्यक्रम में नही आया है। राजस्थान के अन्य जिले भी लगभग उन्हीं हालात में हैं जिन हालात में अलवर जिला है।

[डा. करण सिंह यादव]

इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन जिलों में पहले यह योजना चल रही है, उनके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है और उसमें से कितना पैसा यूटिलाइज किया गया है, उसका जायजा लें। मुझे ऐसी जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें उसे संम्पूर्ण रूप से यूटीलाइज नहीं कर रही हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाए, जिससे सारे देश को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिल सके।

महोदया, दूसरी बात मैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कहना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया है। मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह फीड बैक देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस योजना को बहुत एंबीशियस तरीके से लागू किया है, लेकिन मैं धरातल की बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मेरे क्षेत्र के गांवों में प्राइमरी स्कूल में नामांकन तो 40 बच्चों का है, लेकिन ढूंढने पर भी मुश्किल से 8-10 से ज्यादा बच्चे नहीं मिलते हैं। कहीं टीचर्स नहीं हैं। कहीं एक की बजाय दो-दो टीचर्स हैं। इसलिए यह पैसा वेस्ट जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसका मूल्यांकन कराना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नही।

महोदया, मिड-डे मील की सारे देश में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत सारे लोग मिले, जो कहते हैं कि अलवर जिले के कुछ एरियाज को छोड़कर बाकी गांवों के अंदर इतनी भुखमरी नहीं है कि ये अपना खाना न खा सकें। वहां टीचर्स को बच्चों का खाना बनाने के लिए लगाया हुआ है। इसके कारण पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान न जाकर खाना बनाने में जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं इस बात को सदन में कहूं कि जहां गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं और जहां जरूरत है, वहीं इस कार्यक्रम को जारी रखें और जहां इसकी जरूरत नहीं है, वहां इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया जाए। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां इस कार्यक्रम को चलाने की जरूरत नहीं है।

महोदया, अन्त में, मैं इन्हीं बातों पर जोर देते हुए कि जो बातें मैंने कही हैं, माननीय वित्त मंत्री जी उन्हें ध्यान में रखेंगे और उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): महोदया, हम भी इस बारे में पिछले तीन साल से निवेदन करते रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप वित्त मंत्री जी से उनके कमरे में मिलकर बात कर लीजिए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदया, अपने दल की ओर से सभा में इस समय चर्चाधीन अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) के कुछ पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती हूं।

महोदया, चावल, गेहूं, दालों इत्यादि का उत्पादन बढ़ाने तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। जब खाद्यानों में आत्मनिर्भरता के लिए इस कार्य को कर रहे है तो हम इसका समर्थन करेगे, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की नीतियां खाद्यान्न सुरक्षा को हानि पहुंचा रही हैं। हमारे किसान प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु सरकार की नीति यह है कि किसानों से गेहूं खरीदने के बजाय आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से ऊंचे दामों पर उसी गेहूं का आयात किया जाए। इसी विरोधाभाषों के कारण किसान क्षुब्ध हो रहे हैं। इस क्षेत्र में व्याप्त इस परिस्थितियों के कारण वे शायद कृषि करना ही न छोड़ दें। मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि वह इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और अपनी नीति में परिवर्तन करे तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे।

किसानों द्वारा की गयी आत्महत्याओं से प्रभावित जिलों के पुनर्वास के लिए कृषि तथा सहकारिता विभाग ने अनुदान दिया है। केरल के इदुक्की, वेयाद, अलप्पी, कासरगोड तथा पालकाड जिलें किसानों द्वारा की गयी आत्महत्याओं से सबसे अधिक प्रभावित हुए जिले हैं। केन्द्रिय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने स्वयं इन जिलों का दौरा किया था, परन्तु केरल को वो सहायता नहीं मिली है जो सहायता उसे मिलनी चाहिए थी।

हमें खुशी है कि अल्लपी विशेष रूप से केरल के चावल उत्पादक कहे जाने वाले कुटनाड क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डा. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया है।

परन्तु इन योजनाओं को लागू करने के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। रसायन और उवर्रक मंत्रालय से संबंधित

अनुदानों का संबंध है, ये आधुनिक उर्वरकों पर राजसहायता से संबंधित है और हम इसका समर्थन करते हैं। एफ.ए.सी.टी देश के सबसे पुराने उर्वरक कारखानों में से एक है। उर्वरकों को प्रोत्साहन देने में इसने काफी योगदान दिया है तथा किसानों को आधुनिक कृषि के लिए न केवल केरल में बल्कि दक्षिण भारत के अन्य भागों में भी प्रोत्साहित किया है। परन्तु एफ.ए.सी.टी. गम्भीर संकट के दौर से गुजर रही है और यह बंद होने के कगार पर है। यह इसलिए हुआ क्योकि कच्चा माल नाफ्था, मंहगा हो गया है। इस समस्या से दो तीन वर्षों में छुटकारा मिल जाएगा जब कोचीन में एल.एन.जी टर्मिनल काम करना शुरू कर देगा। इस अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर एफ.ए.सी.टी. (फैक्ट) को सहायता प्रदान करने की जरूरत है। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए अनुदान के संबंध में यह अच्छी बात है कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में सड़क विकास के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है। लेकिन इस साल भारी मानसून के बाद भीषण बाढ़ भूस्खलन और समुद्री कटाव के कारण केरल में राजमार्ग काफी क्षतिग्रस्त हुए। इन सड़कों के उचित रख रखाव तथा मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं इन अनुपूरक अनुदान की मांगों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे केरल को कोई लाभ मिले।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान का उल्लेख करना चाहता हूं। यह साक्षरता मिशन और प्रौढ़ शिक्षा के लिए वित्तपोषण के बारे में है। मैं सरकार के ध्यान में इस गौरवपूर्ण तथ्य को लाना चाहता हूं कि केरल एक मात्र ऐसा राज्य है जिसमें शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल की है और अब केरल ने इस साक्षरता शिक्षा कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा को जारी रखने के लिए एक योजना बनाई है। इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों इसके बारे में विशिष्ट बात नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन परियोजनाओं को पर्याप्त समर्थन दिया जाए।

मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि केन्द्र ने सर्वशिक्षा अभियान के लिए सब्सिडी नार्म्स दिए हैं इसलिए सर्व शिक्षा अभियान को कारगर रूप से आगे बढाने पर प्रभाव पड़ रहा है। पूर्व में केन्द्र सरकार इसके लिए सब्सिडी के रूप में 75 प्रतिशत दिया करती थी और अब इसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं केन्द्र सरकार से पूर्व वित्त पोषण पैटर्न को बहाल करने का 75 प्रतिशत सब्सिडी सुनिश्चित करने की जोरदार अपील करता हूं।

मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों के बारे में बहुत निराश हूं। केरल सहित कई राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पताल स्थापित करने के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मैं सरकार से इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त आबंटन करने का अनुरोध करता हूं जिससे इस संबंध में केरल के लिए संसद में किया गया वायदा पूरा किया जा सके।

इन प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए और इनके बारे में सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदया, आपने मुझे स्पलीमेन्टरी डिमान्ड्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे बहुत से सम्माननीय पूर्व वक्ता इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि हिन्दुस्तान में औद्योगिक विकास की दर निरन्तर बढ़ रही है। लेकिन लाचारी और मजबूरी भी बढ़ रही है। अभी जो एन.एस.एस.ओ. की सर्वे रिपोर्ट आई है, उसने इस तथ्य को उजागर कर दिया है। हमें किसी भ्रम

अपराह्न 5.00 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

में रहने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं मुझे एक आशंका प्रतीत हो रही है, बड़ा डर प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वर्षों में हिन्दुस्तान में एक बड़ा गम्भीर राजनैतिक संकट आने वाला है। बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी आबादी अभावग्रस्त है और संघर्ष कर रही है। वह संघर्ष करना भी चाहती है, लेकिन एक छोटी आबादी, जो शहरों में रहती है, एफ्लूएंट है, वह सरकार पर दवाब डालकर संसाधन हासिल कर रही है और आगे बढ़ रही है। यह सही समय है जब हम इस बात की गम्भीरता को महसूस करें और ऐसी नीतियों पर कार्य करें, जिनसे हिन्दुस्तान के सभी वर्ग, जिसमें खेती भी शामिल है, मध्यम वर्गीय लोग भी शामिल हैं, उच्च वर्ग के लोग भी शामिल हैं, एक संतुलित ढंग से विकास करें।

गरीबी की बात बहुत कही गई। पिछले 60 वर्षों से, जब से मुल्क आजाद हुआ है, इस देश में गरीबी बेची जा रही है, गरीबी का कारोबार हो रहा है। जितनी ज्यादा गरीबी को लेकर नीतियां बनाई जा रही हैं, गरीबों को लेकर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उतनी ही गरीबी भी बढ़ती जा रही है। मैं नीयत पर शंका नहीं कर रहा, लेकिन यह भी दुखद सच्चाई है कि जो हमारी डिलीवरी सिस्टम है, जो खाली आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसके पास में ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि वह हिन्दुस्तान में गरीबी को निर्णायक तौर पर खत्म कर दे।

कुछ प्रश्न दिमाग में पैदा होते हैं, मैं जानता हूं कि समय कम है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा प्रीसाइज करने की, लेकिन

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

सभापति महोदय, मैं आपका थोड़ा संरक्षण भी चाहता हूं। मुझे लगता है कि गरीबी के मामले पर तो नये तरीके से विचार करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि गरीबी एक रिलेटिव टर्म है, यह एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मनोवैज्ञानिक भाषा है। गरीबी और अमीरी एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसलिए इस पर एब्सोल्यूट टर्म में विचार करना पड़ेगा कि हम गरीबी की कैसे व्याख्या करेंगे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम गरीबी को अंडर प्रोडक्टिविटी के तौर पर या अनुत्पादकता के तौर पर डिफाइन करें। मेरा मानना है कि अब हिन्दुस्तान में गरीब लोग नहीं, वे अनुत्पादक लोग रहते हैं और अनुत्पादक इसलिए हैं कि सरकार ने उनको पढ़ाया नहीं, सरकार ने उनको ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाया। इतना समय हो गया है, हर आदमी को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, एक उत्पादक साक्षर बना देना चाहिए था, लेकिन वह शिक्षित नहीं है, उसे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं और बुनियादी निर्माण की भी जो ढांचागत कमियां हैं, उन्होंने आज हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी आबादी को अंडर प्रोडक्टिव बनाकर रखा हुआ है। हम लोग जब भी गरीबी पर चर्चा करते हैं तो सतही तौर पर यह मानकर चलते है कि जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, वह सब गरीबों को ऊपर उठाने में सक्षम है। लेकिन यह कठोर सच भी सामने आ गया है कि हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, वह बुरी तरीके से फेल हुआ है। वह आदमी से अपेक्षा करता है कि आदमी अपने हालात से बाहर निकले, योजनाओं का लाभ उठाये और अपनी उत्पादकता बढ़ाये, लेकिन इन अपेक्षाओं में इसके अन्दर जो स्टेटिस्टिकल एप्रोच है, हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका आज भी अनुत्पादक बना रह गया है और यह चिन्ता का विषय है। अगर यह सरकार नई व्याख्या से गरीबों को व्याख्यायित नहीं करती और यह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती कि वे इसलिए गरीब नहीं हैं कि चूंकि भगवान के मारे हैं, वे इसलिए गरीब हैं, चूंकि गरीब रखे गये हैं और हमारा सामाजिक तंत्र, हमारी अर्थव्यवस्था इन गरीबों के सहारे ही फल-फूल रही है।

महोदय, हमें अर्थव्यवस्था को एक शेयरिंग कैरेक्टर देना चाहिए। आदमी को मिनिमम जीने, रहने और खाने की सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए। मैं इस बात के लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार के अंदर इस बात को रखे कि हिन्दुस्तान में जो गरीब लोग कहलाते हैं, उनको ऊपर लाने के लिए, अनुत्पादक लोगों का उत्पादक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सोशल सिक्योरिटी काउंसिल बनायें, जिससे संपूर्णता के अंदर हर आदमी को हम वह अवसर दे सकें, जो आज तक उसे नहीं मिल सके हैं।

महोदय, गरीबी का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और जिस तरह से हम लोग इसे यहां डिस्कस कर लेते हैं, इसी का यह प्रतिफल है जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया था कि हिन्दुस्तान के 580 जिलों में से 230 जिले ऐसे हैं, जिनमें आग बरस रही है। वहां लड़के माओवादी या नक्सलवादी हो चुके हैं। मेरे कई पूर्ववर्ती वक्ता इस बात के लिए आगाह कर चुके हैं या चेतावनी दे चुके हैं और मैं भी आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर इस चेतावनी को नहीं सुना गया, वह धमक नहीं सुनी गयी, तो एक बहुत बड़ी पोलिटिकल क्राईसिस हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के सामने आ रही है, जिससे निपटना मुश्किल होगा।

महोदय, मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। जो एन.एस.एस.ओ की रिपोर्ट आयी है, मेरे पास उसकी कटिंग है, यह बहुत कुछ कहती है। एक आदमी जो गांव-देहात में रहता है, जिसने 5 साल या 10 साल मिट्टी का काम किया, वह जिंदगी भर खेत में मिट्टी का काम करता रहा, लेकिन वह आज भी अनस्किल्ड लेबर है। पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर के मायने बदल रहे हैं। अगर किसी ने 10 साल खाना बनाया है, तो वह स्किल्ड लेबर हो जाना चाहिए, अगर किसी ने 10 साल मिट्टी खोदी है, तो उसे स्किल्ड लेबर हो जाना चाहिए अगर किसी ने खेती में 10 साल काम किया है तो उसको भी स्किल्ड लेबर का सार्टिफिकेशन देने का मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए।

महोदय, मैं प्रोडक्टिविटी रेटिंग के बारे में कहना चाहूंगा। एक आदमी 20 साल से मिट्टी खोद रहा है, खेत में काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी रेटिंग नहीं बढ़ पायी। इसके लिए कौन गुनहगार है? निश्चित रूप से गरीब और अमीरी का सवाल चंद सिक्कों का सवाल नहीं हुआ करता है। यह व्यवस्था का सवाल हुआ करता है। आज मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक चेतावनी दी जा रही है, जो हमें महसूस कर लेना चाहिए। हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हैं, जो गरीब और लाचार हैं, उनका प्रोडक्टिव और अधिक उत्पादक बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी उन्हें देने के लिए, हमें क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए और हमें इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हिन्दुस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में आदमी खाली घूम रहे हैं, जबकि हम 9 और साढ़े 9 प्रतिशत के हिसाब से आर्थिक विकास की दर ले रहे हैं। आज तक यह हो जाना चाहिए था कि हर हाथ के पास एक हुनर होता और आदमी एक स्किल्ड लेबर होता। मुझे बताया गया कि हमारे पड़ोसी देश चीन में 13 लाख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, अगर हमारे यहां 13 हजार होंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। हम किस बात का सपना देख रहे हैं। शेखचिल्लियों जैसा सपना देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हम चीन का मुकाबला कर

लेंगे, हम धरती की किसी दूसरी शक्ति का मुकाबला कर लेंगे। मैं सदन के माध्यम से इस सरकार को जगा देना चाहता हूं और सभी बुद्धि जीवियों को जो हिन्दुस्तान के अंदर, हिन्दुस्तान के बारे में सोचते हैं कि हर हाथ को एक हुनर की व्यवस्था इस सरकार की नीति होनी चाहिए। मैंने पहले भी संसद में कहा था और जैसा आपने भी कहा था कि हम समय के एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं, जहां हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड्स मिलने वाले हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड्स सपने देखकर नहीं मिलेंगे। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हमें तब मिलेंगे, जब हम हिन्दुस्तान के हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल और हुनरमंद आदमी बनाकर पूरी दुनिया में बाहर भेजेंगे और हिन्दुस्तान से विश्व स्तर की मैन-पावर को जेनरेट करना और उसको एक्सपोर्ट करना हमारी विदेश नीति का हिस्सा बन जाएगा।

सभापति महोदय: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आपने आदेश दिया है, इसलिए मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करता हूं। दो-तीन बातें बहुत आवश्यक हैं, मैं समझता हूं कि सदन के माध्यम से मैं इस सरकार को आगाह कर दूं, क्योंकि आगे आने वाली परिस्थिति बहुत ग्रिम हैं। एक बहुत बड़ा कारण जिसने आम-आदमी की उत्पादकता को बढ़ने से रोका हुआ है, वह मैं आज सदन के सामने कह देना चाहता हूं। सरकार ने आर्थिक सुधारों की ओर कदम उठाया। हमने उसका स्वागत किया। सरकार की मजबूरियां थी, लाचारी थी, लेकिन बिना व्यापक प्रशासनिक सुधारों और न्यायिक सुधारों के आर्थिक सुधार लागू करने के मायने क्या थे?

भारत सरकार का योजना बजट सरकारों के साथ मिलाकर 8 लाख करोड़ रुपये है। हिन्दुस्तान की जो दस सैंकड़ा जीडीपी ग्रोथ हो रही है, वह 70 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें बहुत साफ होकर सामने आ रही हैं। पूरा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कन्ज्यूमर इंडस्ट्री की गुलामी करने लगा है। सरकार सर्विस सैक्टर की चाकरी करने लगी हैं। प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि प्राइमरी सैक्टर में ग्रोथ करनी है। लाल किले से यह कहा गया कि हम 25 हजार करोंड़ रुपये देंगे। दिसम्बर, 2005 में फिक्की की मीटिंग में कहा गया कि हमें प्रोसैसिंग सैक्टर की ग्रोथ 35 प्रतिशत चाहिए। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हम एंटीसिपेट कुछ कर रहे हैं और स्वागत किसी और चीज का कर रहें हैं। इस धोखे से निकलना बहुत जरूरी है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम दोहरा चरित्र लेकर अपने आपको धोखा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब हम समय की इस चेतावनी को महसूस करें।....*(व्यवधान)*

दो-चार बातें हैं जिन्हें मैं प्वाइंट मैं बताना चाहता हूं यदि माननीय मंत्री जी उचित समझेंगे तो उन्हें ग्रहण करेंगे। हमारी जो पीडीएस प्रणाली है-महंगाई 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। आज हर आदमी चिंतित है। पिछले साल इस बात पर चर्चा भी हुई। हालांकि उसे बराबर करने का प्रयास किया गया कि महंगाई चीन में भी बढ़ रही है। हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति पीडीएस थी। हम मानते थे कि हिन्दुस्तान में जो लाचार है, मजबूत है, यह उनका सहारा थी। मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं कि ऐसा कोई राज्य बाकी नहीं है जहां पीडीएस में बंगलिंग नहीं हुई। हमारे पास आज तक ऐसा प्रवाह नहीं बन पाया कि हम लोगों को सही तरीके से कैटर कर पाएं। जो वाकई में लाचार हैं, मजबूर हैं, एक लीटर मिट्टी के तेल को तरस रहे हैं, एक किलो गेहूं और धान को तरस रहे हैं। ऐसे हालात में जब गेहूं हजार रुपये और आटा करीब 12-13 रुपये में बिका। खुला बाजार किसी की चिन्ता नहीं करता।....*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान के बीस करोड़ लोग 40 रुपये किलो भी गेहूं या आटा खा लेंगे, लेकिन वह आदमी जिसने अपनी मेहनत, मजदूरी से गेहूं पैदा किया, उसके लिए हम एक फूलप्रूफ सिस्टम इवॉल्ट नहीं कर पाए ताकि उसे अनाज मिल जाता, वह भूखा नहीं मरता हमने उड़ीसा का तजुर्बा देखा था, जहां साइक्लोन हिट होता है। वहां पीडीएस की पूरी व्यवस्था पंचायत के हवाले कर दी गई। वहां अच्छे परिणाम सामने आए।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा जो सरकार की अहम जिम्मेदारी है, उसे जरूर रिवाइज करें । बीच में जो कोटेदार व्हीकल बना हुआ है, वह आपका व्हीकल नहीं है, बेईमानी का व्हीकल है। मेहरबानी करके उसे हटाने की कोशिश कीजिए और यह व्यवस्था सीधे पंचायत को दिलाने की कोशिश कीजिए। तब हम वह सुरक्षा क्रिएट कर पाएंगे।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए क्योंकि और भी माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

आपकी प्रणाली जो एजूकेशन डिलीवर करती है, आपने सबसे ज्यादा सिस्टम पर खर्च किया है, ऑब्जैक्टिव पर खर्च नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि यह चेतावनी है जब आप इस बात को महसूस करें। ....*(व्यवधान)* कुछ चीजें सामने आ रही हैं। आप गांवों को महत्व देना चाहते हैं। हम सुझाव देना चाहते हैं कि नीतियों को इस तरह संगठित कीजिए कि गांव आउटसोर्सिंग का हब बन सकें। हमारी ग्राम सभाओं में टेक्नीकल इनपुट्स चाहिए, फाइनैंशियल

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

इनपुट्स चाहिए, फिलॉसफिकल इनपुट्स चाहिए। आपको यह बात मान लेनी चाहिए कि हमारी जो कन्ज्यूमर मार्किट डेवलप हो रह है, उसमें कम से कम फूड आइटम्स के लिए हमारे गांव बहुत बड़ा हब बनने की क्षमता रखते हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम रोजगार गारंटी योजना है, बहुत दुखद स्थिति है कि किसी भी जिले के अंदर आज तक पर्सपैक्टिव प्लान नहीं बन पाया है और पैसा खर्च हो रहा है। पैसा खर्च हो जाएगा और आप किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, गांव और शहर की जो बहस चल रही है, हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने इस बात को उठाया है। यहां से भी उसी चेतावनी के स्वर आ रहे हैं कि हिन्दुस्तान के जितने भी गांव हैं, यदि उन्हें कायदे से अपनी नीति का केन्द्र बनाकर, वहां के कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स के उत्पादन का हब बनाने का प्रयास करेंगे और नीतियों को तदनुसार चलाएंगे, आदमी को प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और मैनपावर रिसोर्स बनाने के लिए सारी पॉलिसीज डायवर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ होगा, नहीं तो चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपके सामने बहुत सारे ऐसे सवाल रखेगा, जिसके जवाब देने पड़ेंगे।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सामने कुछ प्वाइंटेड बातें इस आशा के साथ रखना चाहता हूं कि उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी। सर्वशिक्षा अभियान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो घटना प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई। मैंने एक समाचार-पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि एक पत्रकार गांव के स्कूल में गया और जब उसने स्कूल के बच्चों से बात की, तो 90 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे ने बताया कि वह भारत देश में रहता है और हमारे देश का नाम भारत है, जबकि 89 बच्चे देश का नाम बताने में नाकामयाब रहे। मुझे उस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि यह बात वैसे ही बढ़ा-चढ़ा कर रखी गयी है। मैं भी अपनी कांस्टीटूएंसी में चैक बांटने जा रहा था। मैंने अपने क्षेत्र के बहुत रिमोट गांव के स्कूल में जाकर यही प्रश्न बच्चों से किया कि यह बताओ कि आप कौन से देश में रहते हो? उस समय सिर्फ तीन बच्चों ने हाथ खड़ा किया। एक बच्चे ने अपने जिले का नाम बताया। दूसरे बच्चे ने अपने राज्य का नाम बताया और तीसरे बच्चे ने कहा कि हम भारत में रहते हैं। 90 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा बता पाया है कि वे भारत में रहते हैं। हम सर्वशिक्षा अभियान के तहत इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रैक्टिकली किन लोगों को फायदा होता है, उसका अगर एनेलेसिस किया जाये, तो बहुत सी खामियां इसके इम्प्लीमैंटेशन में आपको मिलेंगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितना पैसा आज तक सर्वशिक्षा अभियान में खर्च किया गया है, क्या कभी कम्पेरेटिव स्टडी की गयी है कि इस अभियान के शुरू होने से पहले कितने बच्चे डाक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बने और जब यह अभियान शुरू हुआ, जितना पैसा सरकार ने खर्च किया, उसके बाद कितने बच्चे डाक्टर, इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस बनें। जब तक हम यह एनेलेसिस नहीं करेंगे, तब तक यह अभियान कितना सफल हुआ है और इसमें कितना पैसा और चाहिए, इस सिस्टम में कौन सी दूसरी सुविधा चाहिए, जब तक ये विचार नहीं करेंगे तक तक हम आखिरी आदमी, जिसको हम बेनीफिट देना चाहते हैं, वह नहीं दे पायेंगे।

मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र पढ़ रहा था। उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं, वे बहुत हैरान करने वाले हैं। उसके अनुसार देश में 80 परसेंट बच्चे एनीमिक हैं और 47 बच्चे माल न्यूट्रेटिड हैं। मैंने भी कई बार गांव के स्कूल में देखा है कि जब बच्चे प्रार्थना में खड़े होते हैं, तो कई बच्चे प्रार्थना करते-करते गिर जाते हैं। इसका कारण है कि वे भोजन करके नहीं आते। अगर हम इस अभियान के तहत अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाये, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दे पाये, हम उनको यह नहीं बता पाये कि वे किस देश में रहते हैं, तो इस अभियान का हमें एक बार एनेलेसिस करना पड़ेगा कि इसमें कहां-कहां पर खामियां हैं।

अभी एक समाचार पत्र मैंने पढ़ा, क्या सरकार यह हिम्मत कर सकती है कि जो लोग टैक्स देते हैं, एक टैक्स पेयर की किसी स्कूल में खड़ा कर दें कि देखों, हमने आपके टैक्स से देश में एक मॉडल स्कूल बनाया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सरकार यह भी नहीं कर पायेगी।

माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपको आपका व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। मैं यूरोप गया था। नार्वे में कुछ लोगों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। एक इंजीनियर वहां खड़ा होकर बोलने लगा कि आप भारत के मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं, आप यह बताइये कि नार्वे के पास सिर्फ दो चीजें हैं-एक तेल और दूसरा फिश। हमारी इकॉनामी आपसे सात गुणा ज्यादा है जबकि आपके पास मौसम, मिनरल्स, माइन्स आदि सब कुछ हैं लेकिन आप हमारे से पीछे क्यों हैं, इसका उत्तर मुझे एक लाइन में चाहिए।

महोदय, इस पर मैं बहुत हैरान हुआ कि नार्वे जैसा एक छोटा सा देश जिसकी आबादी मात्र लाखों में है, उनके इतने बड़े प्रश्न का एक लाइन में मैं क्या उत्तर दूं। मैंने उनको कहा कि आपके पास सिस्टम है और हमारे सिस्टम नहीं है। हमें अपनी कमियों, खामियों को देखना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। जब भी कोई नेता भाषण देता है तो वह कहता

है कि अगर किसी को भारत का सही रूप देखना हो तो गांवों में जाकर देखिए, जब कोई धार्मिक व्यक्ति बोलता है तो वह कहता है कि अगर भगवान का रूप देखना है तो गांवों में जाकर देखो। हम सभी रोज गांवों में जाते हैं। आज हमारे गांवों में लोगों के पास न तो रोजगार है, न सीवरेज सिस्टम है, न सफाई है, न हैल्थ है और न एजुकेशन है। क्या यही वह भारत है जिसे हम लोगों को दिखाना चाहते हैं?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा कमिटमेंट है क्योंकि हमने यहां बैठकर 73वां संविधान संशोधन पारित किया है। यह हमारा संवैधानिक कर्त्तव्य है कि हम गांव के पंचायती राज सिस्टम को मजबूत बनाएं। लेकिन हम आज तक गांवों में लोगों को रोजगार, आमदनी के नियमित साधन नहीं दे पाए हैं। एक मजदूर जिसे हमने सरपंच चुने जाने का प्रावधान किया है, वह सरपंच तो बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल दिया जाता है कि वह अपनी मजदूरी छोड़कर उसी काम में लग जाता है, वह अपनी कमाई का साधन भी खत्म कर देता है, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं है। गांवों में शहरों जैसे इनकम के परमानेंट सोर्स जब तक नहीं बनेंगे, तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना गांवों पर बर्डन डाले, गांवों के रोजगार के साधन पैदा करने होंगे ताकि हम गांवों का विकास कर सकें।

अभी-अभी एक फार्म इंट्रोडयुस किया गया है जिसे नाम दिया गया है-सरल फार्म। मैंने उसके बारे में आपको जो पत्र लिखा था, उसका मुझे बहुत विस्तार से जवाब दिया गया। उसमें यह बताया गया कि इसे कारपोरेट सेक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है, बड़ी-बड़ी फर्म्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यह फार्म सरल नहीं है, यह जटिल फार्म है। अगर आप एक टैक्स पेयर को बेनिफिट देना चाहते हैं कि वह आराम से टैक्स रिटर्न भरे, तो उसे वाकई सरल फार्म बनाएं। लोग मुझसे एक बात बार-बार कहते हैं कि हम जो टैक्स देते हैं, उसके बदले में सरकार हमें क्या देती है? अगर हमें मैक्सिमम लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है तो हमें लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करनी होगी। एक एज के बाद उसने जो टैक्स दिया है, उसका रिटर्न उसे पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था करनी होगी। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि लोग टैक्स देने में गुरेज नहीं करेंगे। इनकम टैक्स विभाग के एक मुलाजिम की सैलरी पांच हजार रूपए है और टैक्स देने वाला लाखों रुपये टैक्स देता है, लेकिन उस टैक्सपेयर की रेसपेक्ट नहीं होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि एक तो टैक्सपेयर को सोशल सिक्योरिटी मिले और उसे रेसपेक्ट मिले। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सरकार की तीन प्रायरिटीज होती हैं-लॉ एण्ड ऑर्डर, हैल्थ और एजुकेशन। लेकिन अगर टोटैलिटी में देखें तो आज यह सरकार इन तीनों बातों में नाकामयाब रही है। इतना पैसा टैक्स का इकट्ठा होता है, इतना पैसा हम देते हैं, लेकिन कहां कमी है कि वह हमें दिखाई नहीं देता कि देश में वह पैसा लगकर विकास हो रहा है और देश के लोगों के पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। आज कहीं भी देखिए, हर जगह असुरक्षा की भावना आपको मिलेगी। मैं ज्यादा समय न लेता हुए मैंने आपके माध्यम से जो बातें कही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2007-2008 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हूं। वस्तुत: यह वैसा ही सामान्य कार्य है जैसा कि हमने सामान्य बजट पारित किया है। वित्त मंत्रालय को उसके दैनिक उपयोग के लिए धनराशि दी जाए। इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं सत्ता पक्ष के अपने सहयोगियों की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमने सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर का दो अंकीय जादूई आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। संप्रग सरकार के प्रमुख कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री और संप्रग सरकार की इन उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए मैं इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर उदारतापूर्वक ध्यान दिया जाए। हमारे मित्र या ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी परेशानी में है। ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे है। हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे है लेकिन हम कीमतों में वृद्धि को नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि आपूर्ति और मांग में हमेशा अंतर बरकरार रहता है, सरकार गरीबों और अमीरों के बीच अंतर को पाटने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि हम दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित पेयजल अच्छी सड़कें और अच्छी अवसंरचना नहीं दे पा रहे है। जनप्रतिनिधियों बल्कि अर्थात हमारा, संसद सदस्यों का मुख्य कार्य उन लोगों का ध्यान रखना है। वे हम लोगों पर उम्मीद लगाए है कि हम बहुत कुछ करेंगे लेकिन इस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हैं। इसके लिए हमें वितरण प्रणाली पर ध्यान देना होगा जिसके माध्यम से हम केन्द्र सरकार की ओर से आम आदमी का कुछ धन उपलब्ध कराते हैं हमे यह देखना होगा कि यह पैसा

[डा. टोकचोम मैन्या]

सही रूप से उनके पास पहुंचता है या नहीं। ऐसा लगता है कि धन दिया गया लेकिन धनराशि आम आदमी तक नहीं पहुंची।

मैं आंतरिक मणिपुर क्षेत्र से आता हूं जो देश के केन्द्र से बहुत ही दूरन्दराज के क्षेत्रों में से एक हैं। मेरा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती देश जैसे म्यामार से लगा हुआ है। अंतराष्ट्रीय दृष्टि से सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत की सीमा कई विदेशी देशों के साथ जुड़ी हुई है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ धन खर्च किया जाता है। निश्चित रूप से धन वहां जाता है लेकिन विकास कार्य सही स्थान पर नही होता है। उदाहरण के लिए हम चाहते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में विकास किया जाए, लेकिन सरकार या सरकारी एजेंसियां सीमा रेखा से 50 कि.मी. के भीतर ही विकास कार्य करना चाहती है। जो लोग सीमा रेखा से 50 किलोमीटर के दायरे तथा विकासशील क्षेत्रों में हैं उनका क्या होगा? इसलिए हम प्रस्ताव करते हैं कि विकास कार्य ठीक सीमा रेखा पर ही अर्थात सीमारेखा से दो तीन किलोमीटर के भीतर हो और इस प्रकार हम यह सुनिश्चित कर पायेंगे कि हमारी सीमा पर सही ढंग से बाड़ लगायी गई है।

केवल बाड़ लगाने से उद्देश्य पूरा नही होगा। हमें जागरूकता कार्यक्रम भी चलाना होगा ताकि हमारे लोग ऐसा अनुभव करें कि वे भी हमारे ही देश के हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे बुरा नहीं मानेगें, यदि मैं कहूं कि वे हमारे देश के हैं। इस तरह सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के निमित जो धन दिया जाता है उसका उचित रूप से उपयोग हो जाएगा और जहां के लिए भेजा जाएगा वहीं खर्च होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है। मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मामले में अपने मित्र, डा. कर्ण सिंह यादव का समर्थन करता हूं। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता लेकिन सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि इस दृष्टि से मेरे और नागालैंड से मेरे सहयोगी के निर्वाचन क्षेत्र जैसे कुछ अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी हैं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 32 विधानसभा क्षेत्र हैं और नागालैंड तथा अरूणाचल प्रदेश मेरे साथियों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 60 विधानसभा क्षेत्र होंगे?

जब मैं प्रथम बार संसद सदस्य बना तो मैंने प्रस्ताव किया था कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसका वहां कोई अर्थ नहीं है। सभी मांगों को पूरा करना बहुत कठिन है और हमसे कुछ टिकाऊ परिसम्पतियां विकसित करने के लिए कहा जाता है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि कितने विधानसभा क्षेत्र है और 2 करोड़ रुपये में से मैं मुश्किल से प्रत्येक क्षेत्र के लिए 6 लाख रुपये दे सकता हूं। आज हम इन 6 लाख रुपये से क्या कर सकते हैं?

यही समस्या है, जिसका हम सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस योजना को बंद किया जाए। इसे जारी रखने का कोई औचित्य नही है। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग में कार्य करने के लिए मेरे पास एक भी अनुभाग अधिकारी नहीं है। लेखा कार्य को संभालने के लिए मेरे पास लेखाधिकारी नही है और इस कार्य को संभालने के लिए मेरे पास कोई वाहन भी नही है। इस प्रकार मुझे ऐसा कार्य करने के लिए एक क्लर्क बना दिया गया है जो संसद सदस्य का कार्य नहीं है।

बल्कि यह एक अत्यन्त कठिन स्थिति है। इसके स्थान पर हमें कुछ अच्छी परियोजनाएं प्रस्तावित करने की अनुमति होनी चाहिए और विभाग को उसे समुचित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कहा जाना चाहिए। मैं यही सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र से संबंधित है। हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रणाली है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब हमारे नागरिक उचित रूप से शिक्षित हों। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान जैसे अनेक प्रमुख कार्यक्रम और मिशन शुरू किए है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं कहता हूं कि देश के कुछ हिस्सों में सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ सर्वनाश शिक्षा अभियान हो गया है।

मैं कार्यान्वयन ऐजेंन्सियों के सामने आ रही समस्याओं कों पूरी तरह समझता हूं। लेकिन फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना है कि मिशन सफल हो। जब तक हम अपने नागरिकों को समुचित शिक्षा नही देंगे तब तक लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? हम वस्तुत: अपने मतदाताओं के अज्ञान के कारण चुनाव जीत रहे हैं। यदि मतदाता अज्ञानी न हो तो शायद हम चुनाव नही जीत पाएंगे। हम उनकी इस अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं।

इसके अलावा, हम अपने नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। हमारे देश के अनेक हिस्सों में अनेक आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। इस देश में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, आम आदमी का कोई जीवन नहीं है। यहां तक कि, दिल्ली जैसे शहरों में भी मानवधिकारों का कोई महत्व नहीं है। दिल्ली में भी कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे पुलिस कार्य में सुधार और पूरे देश में इन आतंकवादी गतिविधियों को विफल करने के लिए उन्हें अधिक धनराशि दें।

इन्ही चंद शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम कुछ बेहतर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2007-2008 की सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया। देश की वर्तमान स्थिति आम लोगों के लिए भयावह होती जा रही है। आज देश में गरीबी बढ़ रही है जो बहुत ही चिंता का विषय है और हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हम 61वां वर्ष देश की आजादी का मना रहे हैं लेकिन आम जनता आज भी गांवों में रहती है और बहुत गरीब है। शहर के गरीब लोगों की स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं इस बारे में प्रकट की हैं और गरीबी पर चर्चा की है। इन 61 सालों में जो भी सरकारें आई, उनका प्रयास रहा कि गरीबी दूर हो और उसके लिए नीतियां भी बनीं। लेकिन मैं समझता हूं कि उन नीतियों का असर आम लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने पर नहीं पड़ा है। इसके कारण हमें ढूंढने पड़ेगे।

हमारे देश के लगभग 86 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी क्रय-शक्ति बहुत कम है। लगभग 86 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन की आमदनी केवल 20 रूपया मात्र है। आप इससे देश की खुशहाली का अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। हो सकता है कि इस देश के लगभग 20 प्रतिशत लोग ऐसे हों जो खुशहाल हो गये हों लेकिन अभी भी 86 प्रतिशत लोग गरीब ही हैं। ऐसे लोग दिन में मजदूरी करते हैं तब रात को खाकर सोते हैं और फिर दिन निकलते ही अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं। यह भारत की आज की स्थिति है। हम अपने बुजुर्गों को दिल से सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। उन्होंने अपने प्राण इस देश की आजादी के लिए दिये और इस देश की आजादी और खुशहाली के लिए एक सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि हम आजाद होंगें। उन्होंने सोचा था कि अगर हम आजादी की हवा में सांस न ले सके, तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी की हवा में सांस ले सकेगी। जीने के लिए जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान वह प्राप्त कर सकेंगे। जो संवैधानिक दायित्व है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि वह हमारी भावी पीढ़ी प्राप्त कर सकेगी। हम आजादी की खुशियां मना रहें हैं, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी आजादी प्राप्त नहीं हुई है। आज भी अवाम गुलामी की जिंदगी गुजर-बसर कर रहा है। खेत में काम करने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, गर्मी में दिन-भर पसीना बहाते हैं, ठंड के दिनों में अपनी मेहनत से फसल उपजाने का काम करते हैं, क्या हमने उनके घरों में झांकने का काम किया है? क्या वे लोग खुशहाल हैं, क्या वे अपनी जिंदगी जी रहे है? हो सकता है कि हमारे जैसे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हो, एसी कार में, एसी घर में, एसी आफिस में रह रहे है। ऐश कर रहे हैं, ऐसी मौज हम कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे होंगे, मगर आज भी देश की ज्यादातर जनता परेशानी में जी रही है। मैं समझता हूं कि आज भी देश गुलाम है, आर्थिक गुलाम है। जब तक देश के 86 प्रतिशत लोगों को आर्थिक गुलामी से नहीं निकाला जाएगा, तब तक हम देश को आजाद नहीं मान सकते हैं।

महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान वित्त मंत्री हैं। मैं इनकी क्वालीफिकेशन पर, सोच पर इनके प्रयास पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगा सकता हूं, लेकिन हमें परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने 15 अगस्त को लालकिले से देश के लोगों को, किसानों को आश्वस्त किया कि खेती में लगे हुए लोगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमने 850 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया है, लेकिन क्या वह समर्थन मूल्य गांव के लोगों तक पहुंच पा रहा है। क्या कभी इस बारे में चिंतन किया गया है? माननीय वित्त मंत्री जी वह रुपया गांव के किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में क्रय केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। क्या गांव से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके किसान वहां तक पहुच सकता है? किसान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और औने-पौने रेट में बिचौलिए गांवों में जा कर किसानों से खरीद लेते हैं और बाजार में 850 रुपए का लाभ उठाते हैं। आप नीति बना रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वह सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जिसके लिए रुपए बढ़ाए हैं, रुपया उस तक पहुंचे, ऐसी नीति बनाएं। आप अपने खजाने से करोड़ों रुपया देने का काम कर रहे हैं, आपकी मंशा साफ हो सकती है, लेकिन आपकी एजेंसी, आपके नियम कानून को इम्प्लिमेंट करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनके निकम्मेपन की वजह से आम जनता तक वह राशि नहीं पहुंच पा रही हैं, इस बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। आप ऐसी पालिसी बनाएं कि गांवों के लोगों तक यह धनराशि पहुंचे। उन लोगों का शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है। जब तक आपकी एजेंसी सही ढंग से कार्य नहीं करेगी, तब तक शायद आप अपनी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक यह एजेंसी सही काम नहीं करेगी, तब तक गरीबों की कमाई का पैसा, जो आपके खजाने में है, उस खजाने को लुटा दीजिएगा, तब भी वह पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचेगा, बिचौलियों के हाथों में चला जाएगा।

महोदय, आज 'गरीब' शब्द 'गांव' का पर्यायवाची बन गया है। गांव का मतलब गरीबी, गांव का मतलब फटेहाली, गांव का मतलब अशिक्षा, गांव का मतलब बिना पानी के रहने वाले लोग हैं। आप भारत निर्माण योजना के अंतर्गत राशि दे रहे हैं। मैं आपकी

[श्री राम कृपाल यादव]

नीयत पर शंका नहीं करता हूं लेकिन आज भी हम गांव के लोगों तक साफ जल पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आजादी का क्या मतलब है? आपकी नीतियों और कानून का क्या मतलब है? गांव के लोग जो फटेहाल हैं, आप उनको उठाने का काम करें।

आज बेरोजगारी बढ़ रही हैं जिससे गरीबी भी बढ़ रही है। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, गरीबी दूर नहीं होगी, चाहे कितने भी नियम, कानून बना लें, देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज एक नया माहौल पैदा हो रहा है। आज मार्ट और मॉल का निर्माण किया जा रहा है। खुदरा व्यापारियों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। एक बड़ी रिलांयस कम्पनी है। अहमदाबाद में उनका काम प्रारम्भ हुआ है। वहां 34 हजार आइटम्स बिकेंगे। वहां सब्जी, आलू, चावल, कपड़ा, नमक, तेल आदि चीजे बिकेंगी। वहां कपड़े आयरन करने की भी सुविधा है। बेचारे धोबी लोग कहां जाएंगे? जो हम लोगों के उपयोग की चीजें हैं, वे मॉल में मिलेगी। मेगा मार्ट और मॉल खुल रहे हैं। सारे सिनेमा हॉल्स को तोड़ कर मार्ट और मॉल बनाए जा रहे हैं। हमारे पटना में भी ये बनने शुरू हो गए हैं। आप उन्हें कैसे रोक पाएंगे। गरीब लोग कोने में फुटपाथ पर बैठ कर कपड़े सिलने का काम करते हैं, चाय बेच अपना जीवकोपार्जन करते हैं, जूते पर पालिश करके अपना गुजारा चला रहे हैं, न जाने कितने हजारों, लाखों और करोड़ों लोग इनमें लगे हैं। उनकी क्या व्यवस्था करेंगे?

मैं आज एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देख रहा था। उसमें पूछा गया था कि उद्योग लगाने का क्या तरीका है और क्या इस बारे में कोई नीति है? कोई नीति नहीं है। आज बड़ी प्राइवेट कम्पनी रिलायंस उद्योग लगा रही है। आप मल्टीनेशनल कम्पनियों को छूट दे रहे हैं, आइए, लगाइए और लूट कर ले जाइए। हमारी सम्पति लूट कर विदेशों में जा रही है। इस देश का क्या होगा? आप सोचते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। हमारी आबादी उसी तरह से बढ़ रही है। अगर यही नीतियां रही और मॉल सिस्टम को ब्रेक करने का काम नहीं किया गया तो आने वाला समय आपको कभी माफ नहीं करेगा।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव: अब आलू और प्याज एअरकंडिशन्ड शो-रूम्स में बिकेंगे। आने वाला दिन हमें माफ नहीं करेगा। हमें लोगों ने चुनकर यहां भेजा है। इसलिए हमें ठोस निर्णय लेकर कार्यवाही करनी होगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब मैं यहीं से आपका भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री राम कृपाल यादव: जो स्थिति पैदा होने जा रही हैं, वह देश के लिए भयानक होगी। हमारा गरीब देश है। 86 करोड़ लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो रही है। उनकी प्रतिदिन 20 रुपये की आमदनी है। उनके बाल बच्चों का क्या होगा? आपको नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसी चीजों पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

आपने बैकवर्ड कमीशन बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस देश में 52 परसेंट ओबीसी हैं लेकिन बैकवर्ड कमीशन के लिए कितना पैसा दिया गया है, माननीय मंत्री जी बताएंगें सिर्फ रस्म अदायगी की गई है। बैकवर्ड कमीशन बनाने का क्या मतलब है? आप जो नीति और पॉलिसी गरीबों के लिए बना रहे हैं उसका लाभ उन तक पहुंच नहीं पा रहा है और आज देश बहुत परेशान हालत में है। माननीय वित्त मंत्री जी चेयर से आदेश हो रहा है इसलिए मुझे बैठना ही पड़ेगा। आप बहुत जागरूक मंत्री हैं, आप जागकर देखिए।

सभापति महोदय: आपका भाषण समाप्त किया जाता है। अब माननीय मंत्री, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट देंगे।

श्री राम कृपाल यादव: आज देश में जो फटेहाली और गरीबी है, महंगाई चरम सीमा पर है अगर इसे रोकने का काम नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)* और हम सब लोग घेरे में आएंगे। इसके साथ ही मैं मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: आपका भाषण समाप्त हो गया है, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.44 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

चालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 40वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 5.44½ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य)-2007-2008—*जारी*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने इस मद के लिए चार घंटे आबंटित किए हैं और लगभग 20 मिनट में, आबंटित समय समाप्त हो जाएगा। मंत्री जी को आज चर्चा का उत्तर भी

देना है और अनुपूरक अनुदानों की मांगों को पारित भी करना है क्योंकि कल हम रेलवे की अनुपूरक मांगों को लेंगे और परसों गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है।. इसलिए मैं आपसे, इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को दिए जाने वाले समय को नियमित करने का अनुरोध करता हूं ताकि हम इस मद को शीघ्र निपटा सकें। *[हिन्दी]*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आप कहते हैं कि हाउस चलने दीजिए अब तो चल रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हाउस अगर चलता है तो ओवरटाइम एकाउंटबेल नहीं है, हमारा एजेंडा रूक जाएगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब आप सब लोग बोलना चाहते हैं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहना चाहिए था कि हमें छः घंटे टाइम चाहिए। वहां सबने मिलकर चार घंटे टाइम तय किया था।

सभापति महोदय: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉट हुआ है, आपको अपनी बात समय सीमा के अंदर ही रखनी चाहिए। बीएसी में सभी पार्टी के लीडर्स होते हैं और माननीय सदस्यों को समय सीमा का ध्यान रखना होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब कोई निर्णय हो जाता है तो उस निर्णय का अनुपालन सभी माननीय सदस्यों को करना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को आश्वस्त करता हूं कि हम अपने सदस्यों से जल्दी ही अपनी बात समाप्त करने के लिए कहेंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, इस वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता की 60 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम हर साल बजट और अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करते हैं। यह एक सामान्य बात है और हम बजट तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों का बिना किसी परेशानी के समर्थन करते हैं और उन्हें पारित करते हैं।

आजकल, हमारे देश में कृषि की दशा खराब है। भारत सरकार ने हमारे किसानों की मदद के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसके बावजूद भी, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने पिछले वर्ष से आंध्र प्रदेश के 16 जिलों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। लेकिन हमारे किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? हम योजनाएं बना रहे हैं और राज्यों को धन भेज रहे हैं। लेकिन बुनियादी स्तर पर ये योजनाएं उचित ढंग से कार्यान्वित नही की जा रही हैं। यही कारण है कि ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। पिछले महीने के दौरान भी, आंध्र प्रदेश में आठ किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

उदाहरणार्थ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई है। पिछले वर्ष लाखों किसानों ने प्रीमियम अदा किया लेकिन अब तक उनको बीमा दावों की राशि नहीं मिली है क्योंकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया है? जब हम वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि राज्य सरकार ने अपना हिस्सा नही दिया है इसलिए वे किसानों को बीमा दावों का भुगतान नही कर सके। इस प्रकार हमारे किसानों को अभी पिछले वर्ष के बीमा दावे ही नही मिल पाए हैं। ऐसी स्थिति में वे खरीफ की फसल के लिए बीज कैसे खरीद सकते हैं? इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की वजह से हुई देरी के कारण, किसानों को समय पर बीमा राशि नही मिल रही है।

महोदय, पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन 150 लाख टन, दलहनों का उत्पादन 12 लाख मीट्रिक टन और तिलहनों का उत्पादन 18 लाख टन हुआ था लेकिन पिछले लगभग पांच वर्ष से यही आंकड़े हैं। इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि हमारे किसान अधिक निवेश नही कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं। इसलिए उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ फसल के लिए धान का सामान्य किस्मों के वर्तमान मूल्य 580 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 660 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है। धान की श्रेणीगत किस्म, जिसके लिए वर्तमान में सरकार 610 रुपये प्रति क्विंटल दे रही हैं, उसको भी बढ़ाकर 725 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ फसल के लिए यह सिफारिश की है। भारत सरकार को यह न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकार करना होगा।

महोदय, एक तरफ हम गेहूं के लिए 850 रुपये प्रति क्विंटल की राशि का भुगतान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम गेहूं का आयात कर रहे हैं और 1,300 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहे हैं। इसका क्या औचित्य है? हमारा किसान अधिक उत्पादन कैसे कर सकता है जब हम अपने भारतीय किसान को मात्र 850 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहे हैं और आयातित गेहूं के लिए 1,300 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वह ज्यादा मीठा है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: जी हां, भारतीय गेहूं से ज्यादा मीठा है।

ये समस्याएं हैं जिनका हमारा किसान सामना कर रहा है। कृषक समुदाय की इन समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

जहां तक उर्वरक का संबंध है, आंध्र प्रदेश में उर्वरक की कमी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार से 2,22,000 मीट्रिक टन यूरिया, 1.23 मीट्रिक टन डीएपी और 0.42 लाख टन एम ओ पी की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति के लिए आवश्यक और तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।

अपराह्न 5.51 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

खरीफ का मौसम तेजी से नजदीक आ रहा है और किसानों को उर्वरक की समय से आपूर्ति की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में उर्वरक की कमी है। भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री को आंध्र प्रदेश के लिए उर्वरक की पर्याप्त मात्रा जारी करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय को अनुदेश देना चाहिए।

जहां तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का संबंध है यह प्राकृतिक उपहार है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस मौजूद है परन्तु हमें उससे कोई लाभ नही मिल रहा है। बारहवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकार को इससे प्राप्त लाभ को बराबर बांटना होगा। इससे हम अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं तथा जनता के आवश्यक कार्यों को पूरा कर सकते हैं।

रेलवे मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के पास अनेक प्रस्ताव लंबित पड़े है। पिछले दो वर्षों से हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं परन्तु हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के पास भी अनेक प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित मंत्रालयों से जहां कहीं भी आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रस्ताव लंबित पड़े हैं उन परियोजनाओं को अनुमोदित करने का निर्देश दें।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं शुरू कहां से करूं। सेतु से शुरू करूं या खेत से शुरू करूं। आप सांस्कृतिक धरोहर नहीं बचा पा रहे हैं, किसानों के खेत नहीं बचा पा रहे हैं, एस.ई.जेड. ला रहे हैं और उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। नंदीग्राम में गोलियां चल गई। आज ऐसी हालत है कि विदेशों से 1500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रहे हैं, लेकिन अपने किसानों से आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल नहीं खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा बन रहे हैं। रेल की बात करें, तेल की बात करें या जेल की बात करें, आखिर किसकी बात करें। आप कहां हैं? आप हर जगह फेल हैं। रेल, तेल और जेल आप सब जगह फेल।

आप गरीबी की बात करते हैं। हम बाढ़ की बात करें या सुखाड़ की बात करें, कहां की बात करें? आपने नदी जोड़ने का कार्यक्रम लागू नहीं किया। हमारे इलाके में केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का काम शुरू हुआ था, लेकिन उसका काम कछुए की चाल से चल रहा है। आतंकवाद नक्सलवाद, माओवाद खूब फैल रहा है। आप अफजल को फांसी नहीं दे पाये।...*(व्यवधान)* वह अभी तक लटक रहा है। आप आतंकवादियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यह देश के साथ खिलवाड़ है। देश के साथ मजाक मत करिये।

देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पोटा कानून था, आपने उसे भी खत्म कर दिया। आज ला एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, उसे आप देखें। किसी भी जगह चले जाओ, जहां देखो वहां बम धड़ाके हो रहे हैं। आप इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। आपका कोई कंट्रोल नहीं है।

यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): मध्य प्रदेश में क्या हुआ?

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: मध्य प्रदेश में इतना बढ़िया काम हुआ है, उसका मॉडल आप बना लीजिए, मध्य प्रदेश की नकल कर लीजिए तो तरण-तारण हो जाएगा ...*(व्यवधान)* महोदया, ओरछा और खजुराहो पर्यटन स्थल हैं। सरकार की तरफ से वहां के लिए कौन सा पैकेज दिया जा रहा है? आपने वहां फ्लाइट बंद कर दी और बड़ी मुश्किल से लड़-झगड़ कर उसे फिर से शुरू कराना पड़ा। वहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। उसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। आज गरीबी और बेकारी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे यहां टीकमगढ़ और छतरपुर के पांच लाख लोग यहां दिल्ली में काम करने के लिए बसे हुए हैं। चार सालों से वहां बारिश नहीं हो रही है। सूखा और अकाल की स्थिति है। बार-बार हमने इस बात को कहा है लेकिन उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं गया है। रोजगार गारंटी में सरकार ने सौ दिन के काम की गारंटी दी है। वहां सौ दिन का काम लोग कर चुके हैं। अब अकाल की स्थिति है। आज उनके लिए आप कौन सी योजना दे रहे है? यह स्थिति आज वहां है। सौ दिन की जगह पूरे साल भर काम देने का उनको अवसर सरकार दे और उस इलाके को अकालग्रस्त घोषित करने का काम करे। आज महंगाई के कारण गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। आपका महंगाई पर कंट्रोल कहां है? इसीलिए मैं कहता हूं कि कहां से बात शुरू करूं और कहां खत्म करूं? कश्मीर से बात शुरू करूं या असम से करूं? अभी असम में आपने देखा होगा कि वहां क्या हंगामा हो रहा था। सीमाएं सुरक्षित नहीं है। देश के भीतर लोग, किसान और खेत सुरक्षित नहीं है। आखिर यह स्थिति कहां जा रही है? इस स्थिति को सुधारिए। महंगाई के कारण आज आदमी त्रस्त है। वित्त मंत्री जी, जरा सुनिए-

"जिन्हें रोटी की जरूरत थी, रोटी न मिली।
जिन्हें बोटी की जरूरत थी, बोटी न मिली,
तुम्हारी सियासी तकरीरों को क्या चाटे,
नंगे को लंगोटी न मिली।"

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं वर्ष 2007-08 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री 20,412.14 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय का अनुमोदन चाहते हैं तथा सरकार के प्रस्तावित व्यय पर अनुमति प्रदान करने के लिए इस सम्मानीय सदन के पास औचित्यपूर्ण कारण मौजूद है।

इस बजट का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 20,412.14 करोड़ रुपये में से वित्त मंत्री विभिन्न विभागों की बचत में से 99.83 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं। इससे विभिन्न मंत्रालयों के प्रभावी ढ़ंग से कार्य करने की पद्धति स्पष्ट होती है, जिससे सरकार को बचत हुई है। इसलिए कुल नकदी प्रवाह, निर्णय केवल 10,428 करोड़ रुपये होगा।

इस बजट की एक अन्य विशेषता यह है कि व्यय का एक बड़ा, हिस्सा अर्थात् 15000 करोड़ रुपये उर्वरक मंत्रालय को जाएगा। इस बजट की एक और विशेषता यह है कि कुल अनुपूरक अनुदानों का 75% रसायन और उर्वरक मंत्रालय को जा रहा है, जो कि कृषि उपज में सुधार के लिए यूपीए सरकार की चिंता को दर्शाता है। इस तरह सरकार द्वारा यह प्रशंसनीय कदम उठाया गया है और में इसकी प्रशंसा करता हूं।

साथ ही अनुपूरक बजट में दूसरे इस बात पर महत्व दिया गया है कि अनुदान सहायता तथा सरकार के ऋण घटक के रूप में संघ राज्य क्षेत्रों को 1300 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे।

सायं 6.00 बजे

वित्त मंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। महोदय, पिछले शुक्रवार को हम खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा कर रहे थे। सभा में प्रत्येक सदस्य ने यह मत प्रकट किया था कि देश में बड़ी संख्या में लोग कुपोषण का शिकार है तथा सरकार को इस स्थिति में सुधार करना होगा। हम सब इस पर सहमत है। परंतु जब तक खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नही होती है तब तक हम पोषण सुरक्षा में कैसे सुधार कर पायेगें? देश में शहरी स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। आज विभिन्न उद्देश्यों के लिए निवल बुआई क्षेत्र घटता जा रहा है तथा कृषि उत्पादन में सुधार करने का एक ही तरीका है कि फसलों को उत्पादकता में सुधार किया जाना चाहिए। हमें चावल, गेहूं तथा दालों की उत्पादकता में सुधार करना चाहिए इसके लिए एक पृथक मिशन बनाया एवं कार्यान्वित किया जाए। माननीय वित्त मंत्री 200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक नई पहल की है जिसे खाद्य एवं पोषण मिशन का नाम दिया गया है जिसे इस वर्ष से कार्यान्वित किया जाएगा तथा इस महल के लिए समूची सभा को वित्तमंत्री को बधाई देनी चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया एक क्षण रूकिये। छः बज चुके हैं। हमें अनुपूरक अनुदानों की मांगे पारित करनी है और उसके बाद शून्य काल की कार्यवाही शुरू करनी है। यदि आप सहमत हों तो सभा के कार्य का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां

सभापति महोदय: सभा का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है।

प्रो. रामदास अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: महोदय अभी तो मैंने अपना भाषण ही शुरू नही किया है। मैं तो केवल वित्त मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं तथा मुझे इस पर अपनी टिप्पणियां भी देनी हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें ताकि मैं अन्य सदस्यों को जो बोलना चाहते है, भी समय दे सकूं।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, हमे समय को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। महोदय, आप कुछ सदस्यों को 45 मिनट का समय दे रहे है और जब हम बोलना चाहते हैं तो आप हमें रोकते हैं और हमे केवल दो मिनट में कैसे बोल सकते हैं?

महोदय, वित्त मंत्री जी का यह प्रयत्न भी उतना ही प्रशंसनीय है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि कृषि में 4 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त किए बिना ।।वी पंचवर्षीय योजना में द्वि-अंकीय विकास प्राप्त करना संभव नही है। इसलिए इसी उद्देश्य के लिए वे केन्द्र सरकार के प्रयासों में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए इस प्रयोजनार्थ लगभग 300 करोड़ रुपये दे रहे हैं। यह कार्य भी प्रशंसनीय है।

तीसरे, अनेक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि उपभोक्ता संरक्षित नही है, उपभोक्ताओं का समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाए। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश का अनुसरण करते हुए, वित्त मंत्री जी ने आज केन्द्रीय सर्तकता आयोग का गठन किया है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। इसलिए हमें इस नए कदम की भी प्रशंसा करनी होगी।

[प्रो. एम. रामदास]

कुछ सदस्य यूपीए सरकार की सत्यनिष्ठा तथा देशभक्ति पर संदेह कर रहे हैं। यूपीए सरकार ने सभी स्तरों पर अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन किया है। यहां तक कि इस अनुपूरक बजट में भी मैं यह बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की 150वीं वर्ष और स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ तथा बंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किए जाने के समारोह के लिए भारत सरकार 35 करोड़ रुपये खर्च रही है। यह सब इस बात के उदाहरण है कि सरकार किस प्रकार राष्ट्रीय एकता तथा देशभक्ति को बढ़ावा दे रही है तथा लोगों में प्रसार कर रही है। इस अनुपूरक बजट में भी सरकार ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा हम इसकी प्रशंसा करते है।

मैं व्यक्तिगत रूप से वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होनें वी.टी.आई.पी. तथा विश्व बैंक सहायता योजना के तहत पुडुचेरी में आई.टी.आई को स्वीकृत किया है। इस बजट की ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जिनके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं परन्तु फिर भी मेरी कुछ चिन्ताएं हैं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

उनमें से एक यह है कि अनुपूरक बजट में मैंने यह देखा है कि इसमें गैर-योजना व्यय घटक बहुत ज्यादा है। कुल निर्गम का लगभग 88% साथ ही कुल अनुपूरक अनुदान, गैर योजना व्यय के रूप में हैं। यदि गैर-योजनागत, व्यय अलाभकारी व्यय सिद्ध होता है तो अन्ततः इसका परिणाम यह होगा कि अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा बहुगुणक में होगी। और बाजार में संगत आपूर्ति के बिना मुद्रा का बड़े पैमाने पर परिचालन होगा। इसका अर्थ यह है कि आपूर्ति की दिशा में यह कम होगा परंतु मांग अधिक होगी और उससे मुद्रास्फीति दबाव की स्थिति बिगड़ जाएगी।

भारत सरकार, विशेषकर वित्त मंत्री द्वारा की गई पहल तथा मौद्रिक उपायों के कारण अब मूल्यों में स्थिरता आयी है। यदि लगभग 10,000 करोड़ रुपये समतुल्य आपूर्ति के बिना बाजार में आते हैं तो मुझे आशंका है कि इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी इसलिए अधिक गैर-योजना व्यय किया जाना वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार उचित नहीं है। हमें इस संघटक को कम करना होगा।

दूसरा मुद्दा व्यय की गुणवत्ता है। व्यय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार द्वारा किए गये व्यय से आम आदमी लाभान्वित हो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि "जब आप जनता पर 100 रुपये व्यय करते हैं तो उन तक मात्र 18 रुपये ही पहुंचते हैं, परन्तु आज के अनुमानानुसार मात्र 12 रुपये ही उन तक पहुंचते हैं। हमें इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यय की गुणवत्ता बेहतर हो, हमे एक वितरण प्रणाली विकसित करनी होगी। मेरे विचार से भारत सरकार को धन के व्यय में पंचायती राज संस्थाओं को सहबद्ध करना चाहिए। यदि इन संस्थाओं को शामिल किया जाएगा तो शायद व्यय में 'लिकेज' को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा हम व्यय की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर पायेंगे। मैं वित्त मंत्री जी से नमूना के आधार पर व्यय कार्यक्रम के मूल्यांकन का प्रयास करने का भी अनुरोध करूंगा।

वर्तमान में यू.पी.ए. सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आरंभ की हैं तथा नमूना आधार पर इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाए जिससे कि उनकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सके।

महोदय, समस्त सभा इस मुद्दे पर भी चर्चा कर रही है कि देश भर में बाढ़ की स्थिति व्याप्त है अनुपूरक बजट में इसके बारे में कोई विशेष प्रावधान नही किया गया है। इसलिए इसके बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वे संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 1000 करोड़ रुपये अन्तरित करने जा रहे हैं जिसमें संघ राज्य क्षेत्र, पुड्डुचेरी संबंधी एक-दो चिंताओं को लाना चाहता हूं। संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी के वार्षिक बजट में काफी कमी की गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी की तरफ कुछ ध्यान दें और उसके लिए अधिक निधियों की व्यवस्था करें। कराईकल जिसके बारे मे वित्त मंत्री को भी पता है कि पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, इसके लिए अवसरंचनात्मक विकास की आवश्यकता है मैं इस बारे में कल रेलवे बजट पर भी बोलूंगा। कराईकल के लोग रेलवे परियोजना की मांग कर रहे हैं जिसके लिए रेलवे को 50 प्रतिशत पूंजीगत व्यय को आवश्यकता है, जो पुड्डुचेरी सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसलिए यह किया जाना चाहिए। हम वहां पर पीजी केन्द्र स्थापित कर रहें हैं जिसके लिए धन की आवश्यकता है।

मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान विशेष रूप इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पुड्डुचेरी गृह मंत्रालय द्वारा शासित होता है? गृह मंत्रालय ने सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुड्डुचेरी शहर को बी-2 शहर का दर्जा दिये जाने की सिफारिश की है। परन्तु वित्त मंत्री दृढतापूर्वक मांग अस्वीकार कर रहे हैं। जिसके कारण पुड्डुचेरी की जनता में भारी आक्रोश है। मैं माननीय वित्त मंत्री की उनके द्वारा की गई पहलों के लिए प्रशंसा करता हूं। परंतु मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि पुड्डुचेरी को बी-2 श्रेणी का शहर क्यों नहीं दे रहे हैं तथा ऐसा करने में कौन सी वित्तीय अड़चने हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पुड्डुचेरी शहर ही एक ऐसी राजधानी है जो सी-श्रेणी का शहर

है। यहां तक कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के गांव को सी-श्रेणी के शहर का दर्जा प्राप्त है। क्या वित्त मंत्री जी पुड्डुचेरी को अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के गांव का दर्जा देना चाहते हैं?

अत: मेरी उनसे अपील है। मैं पिछले तीन चार सालों से इस पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा हूं परन्तु वह बार-बार मेरी दलील को ठुकरा रहे हैं, इस संबंध में दो अपवाद दर्शाए गए हैं, एक पोर्ट ब्लेयर तथा दूसरा पणजी है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि देश भर में पुड्डुचेरी जो एक मात्र राजधानी शहर है जिसे सी-श्रेणी के शहर का दर्जा प्राप्त है, को अपवाद स्वरूप माना जाए। इसके लिए राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता है न कि निर्णय आधारित नियम की, इस पुरजोर अपील के साथ मैं इन अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, यदि आप चाहें तो आप सामने आकर भाषण दे सकते हैं जिनसे कि मैं आपको अच्छी तरह देख सकूं।

श्री रामदास आठवले (पंडरपुर): महोदय, मैं यहीं ठीक हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने जो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज रखी हैं, मैं अपनी पाटी की ओर से उसका समर्थन करता हूं। महंगाई बढ़ाई गई है, इस तरह की चर्चा एनडीए वाले कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ाई थी। इनके हाथ में जब सत्ता थी, तब भी महंगाई कम नहीं हुई। इसलिए यूपीए की सरकार ने भी सोचा कि आपने महंगाई कम नहीं की ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले बोल रहे है; एक बार में दो सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक बार में एक ही सदस्य बोल सकता है, आप अपना भाषण जारी रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: उनके भाषण के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: सभापति महोदय, हमारी सरकार आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए काम कर रही है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: महोदय, कृपया मेरी बात सुनें। एक बार में एक ही सदस्य बोल सकता हैं। दो सदस्यों को एक साथ बोलने की अनुमति नही है; अकेले रामदास आठवले ही बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: भविष्य में भी आम आदमी के लिए काम करने वाली है, इसलिए हम यहां बैठे हैं। महोदय, महंगाई बढ़ रही है, यह बात सही है, लेकिन महंगाई कम करने की हमारी कोशिश चल रही है। हम महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने दूसरी प्रोबलम्स आ रही है। महंगाई कम करने की हमारी कोशिश जारी है। हमारी मांग यह है कि जो एससी, एसटी के लोग हैं, हमारा चिदंबरम साहब को इतना ही कहना है कि बिलो पावर्टी लाइन की संख्या एससी, एसटी में बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर हमें गरीबी को हटाना या कम करना है तो जो टोटल बजट है उसमें कम से कम 25 परसेंट एससी, एसटी के लिए, प्लान और नॉन-प्लान में बजट एलोकेशन करने की आवश्यकता है। हमारी मांग है, हम यूपीए के मैम्बर हैं और आपकी सपोर्ट करने के लिए आए हैं लेकिन हम महंगाई की सपोर्ट करने वाले नही है। हम सब लोगों को महंगाई कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके डेवलपमेंट के लिए जो एनएचबीसी है, उसका पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है। बाबासाहेब अम्बेडकर का 26, अलीपुर रोड पर मेमोरियल है, उसके लिए दो-ढाई सौ करोड़ रुपये देने की आवश्यकता है।

महोदय, अगर हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें ऊपर उठाने की आवश्यकता है लेकिन जब हमें आम आदमियों को ऊपर उठाना है तो ऊपर जाने वाले आदमियों को नीचे लाने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो इकोनोमी है, अगर उसे हमें डेवलप करना है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि टाटा, बिडला आदि बड़े-बड़े लोगों को स्पेशल इकोनोमिक जोन के माध्यम से, जैसे अभी हमारे राम गोपाल जी बोल रहे थे, हमारी संस्कृति इंडियन है, इसलिए हमारी सरकार को, मंत्री जी को अपने देश में सोश्यो इकोनोमी लाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम सोशल इक्वेलिटी लाने का प्रयत्न करेंगे, उसके लिए आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए आपको ऐसा फार्मूला लाने की आवश्यकता है, मनमोहन जी भी इकोनोमिस्ट हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आप भी बहुत बड़े आदमी हैं, आप भी अपने राज्य में स्पीकर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप अनुपूरक बजट पर ही बोलें, इसलिए मैं चाहता था कि आप आगे आए ताकि मैं आपको अच्छी तरह से देख सकूं तथा नियंत्रित कर सकूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: कंट्रोल ठीक है, लेकिन कंट्रोल होता नही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि वित्त मंत्री जी को आज उत्तर भी देना है, इसलिए कृपया आप सहयोग कीजिए।

श्री रामदास आठवले: ठीक है, महोदय मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूं, लेकिन आप भी मेरे साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

इस सप्लीमेंट्री डिमांड का मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से पूरा समर्थन करता हूं लेकिन मेरा यह कहना है कि गरीबों के लिए और ज्यादा करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन साथ ही इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी को भी सपोर्ट करने के लिए बोलें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, हम अनुदानों की अनुपूरक माँगें 2007-08 की पहली किश्त पर चर्चा कर रहें हैं । मैं कहना चाहता हूं जैसा कि प्रो. रामदास ने सही कहा है कि इसमें 20,412.14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय निहित है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस राशि में से 6,550 करोड़ रुपये की मांग विशेष रूप से उर्वरक जिसका आयात किया जाना है, संबंधी राजसहायता के लिए है।

साठ वर्ष की आयु में व्यक्ति सेवानिवृत्त तथा संन्यास लेता था, परन्तु वर्तमान में यह आयु सेवानिवृत्ति की नहीं रह गई हैं अपितु यह आयु अब जीवन के नए चरण अकसर एक नए सक्रिय कैरियर के आरंभ करने की है।

देश के लिए साठ वर्ष की अवधि बहुत कम है जिस दौरान देश अपनी दिशा तथा विश्व में अपना स्थान निर्धारित करता है। भारत एक युवा देश है जिसकी आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम है इसका मतलब यह है कि अधिकांश जनसंख्या को 1991 अर्थात आर्थिक उदारीकरण से पूर्व की जानकारी नहीं है।

इसका व्यापक और महत्वपूर्ण परिणाम है जो अर्थशास्त्र से परे हैं इसलिए माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध देश के मानव संसाधन के विकास पर जोर देने का है।

स्वतंत्रता के पश्चात पैदा हुई मेरी पीढ़ी आशंकाग्रस्त होकर पली बढ़ी है। हमारे समय में उच्च शुल्क देश की रूकावटें थी। आयात पर रोक थी। हमारा ध्यान शक्तिशाली सैन्य बल स्थापित करने तथा देश को चारों ओर से सुरक्षित करने में था। ऐसी हमारी मानसिकता थी। हम अन्य देशों से आशंकित थे, आज की युवा पीढ़ी पचास और साठ की आयु वर्ग के अविश्वास से ग्रस्त नहीं है।

सायं 6.17 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्वतंत्रता के पहले तीन दशकों में हमारी विकास दर लगभग 3.5 प्रतिशत थी। नब्बे के दशक में पिछले तीन वर्षों में यह आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 8 प्रतिशत हो गया। क्रय शक्ति समतुल्यता (परचेजिंग पावर पेरिटी) की दृष्टि से इस विकास दर के कारण भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर है। आज विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग 222 बिलियन अमरीकी डालर है।

परन्तु आज मैं इस सभा और माननीय मंत्री महोदय को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अत्यंत गर्वोक्तिपूर्ण पहलू के बारे में बताना चाहता हूं। यदि मुझे अनुमति दी जाए तो मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूं। पिछले सात वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश चौगुना अर्थात 26.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। प्रथम दृष्टया, वर्ष 2007 के पहले छह महीने की अवधि में यह लगभग तिगुना हो गया था और यह समझने में भी आता है। पिछले वर्ष की इस अवधि में 3.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर यह प्रवाह इस वर्ष 11. 4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इसे हमारी अर्थव्यवस्था की 8 प्रतिशत की वृद्धि दर को यदि बढ़ाया नहीं जा सकता है तो कम से कम इस दर को बनाये रखने के लिए और अधिक पूंजी आकर्षित करने हेतु विश्व को भेजे जा रहे सकारात्मक संकेतों के प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। इस तिगुने निवेश में कितना निवेश विशिष्ट नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह एक अन्य मामला है और इसमें ही संदेह है। इस वर्ष मई तक हुए निवेश से यह पता चलता है कि बड़ी मात्रा में निवेश कुछेक ऐसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, जहां पहले से ही काफी मात्रा में निधियां उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए ये क्षेत्र हैं दूरसंचार, भू-संपदा और वित्तीय सेवाएं। इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अत्यधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों जैसे भौतिक अवसंरचना विद्युत और कृषि आधारित उद्योगों में नही हो रहा है। नीति-निर्माताओं ने बार-बार इस बात को उठाया है और इस सभा में हमने भी चिन्ता व्यक्त

की है कि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी की कमी है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान स्तर पर विकास दर बनाए रखने के लिए बेहतर सड़कों, पत्तनों और कम विद्युत कटौतियों की आवश्यकता है परन्तु सरकार ने इसके केवल एक पहलू अर्थात पूंजी की आवश्यकता पर ही ध्यान दिया है। जबकि क्रियान्वयन पर ध्यान ही नहीं दिया हैं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन आज भी सुधार शुरू किये जाने से पूर्व के दिनों की भांति ही कठिन है। विद्युत परियोजनाओं में अभी भी विलम्ब हो रहा है और उद्योग के संसाधन के रूप में भूमि विवाद का मुद्दा बन रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों नही हो रहा है।

मेरा दूसरा मुद्दा उर्वरक राजसहायता से संबंधित है। सरकार करदाताओं का धन उर्वरक राजसहायता पर व्यय कर रही है। आज बजट में प्रावधान की गयी धनराशि तथा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये प्रदान की जाने वाली धनराशि से अधिक की राजसहायता दी जा रही है। मेरा सुझाव है कि उन वास्तविक जरूरतमंद किसानों को सीधे राजसहायता प्रदान की जाए जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं और यह निवेश का सकारात्मक पहलू होगा। मैं सरकार से इस ओर ध्यान दिये जाने का आग्रह करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए मेरे पास समय बहुत कम है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं कुछ अन्य मुद्दे भी उठाना चाहता हूं परन्तु अब मैं अंतिम मुद्दा ही उठाना चाहूंगा।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक मुद्दा उठाना चाहूंगा जो कि अत्यंत दुखद है। वर्ष 2006 के बजट भाषण में 'परिणामी बजट' की अवधारणा लाकर वित्त मंत्री महोदय ने एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया था। इसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): इस पर संसद में विचार किया जा रहा है।

श्री भर्तृहरि महताब: पिछले वर्ष वित्त मंत्री जी ने 'वास्तविक परिणामी बजट' के साथ-साथ वित्तीय व्यय बजट में विभिन्न योजनाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय की जांच करने की घोषणा की थी। क्या इसे कार्यान्वित नहीं किया गया ...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम था। क्या भ्रष्टाचार ने इसे विफल कर दिया? इस देश के लाखों लोग जो कि किसी न किसी रूप में कर अदा करते है वे निश्चित रूप से यह जानना चाहेगे कि 'कर' के रूप में जमा की गयी 5,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि, केन्द्र सरकार द्वारा किस प्रकार व्यय की जा रही है? मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मेरे पास दस सदस्यों की सूची है। मैं इसे शीघ्र पूरी करना चाहता हूं इसलिये प्रत्येक माननीय सदस्य से यह आग्रह करता हूं कि वे दो या तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान मांग संख्या 14 की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें आपके द्वारा 352 करोड़ रुपये इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए रख गए हैं और 100 करोड़ रुपया आप वीआरएस के लिए रख रहे हैं। इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री कहां पर है, यह सभी जानते हैं। यह वीवीआईपी कान्स्टीटयून्सी रायबरेली में है। आप ध्यान दीजिए अच्छा है, लेकिन क्या आपका ध्यान उन सार्वजनिक कम्पनियों की तरफ भी है, जो आप से वीआरएस की मांग कर रहे हैं, जो घाटा उठा रहे हैं और घाटा पूरा करने के लिए रूपयों की मांग कर रहे हैं। क्या आपका ध्यान उनकी तरफ भी है या नहीं? इसका जवाब आप अपने भाषण में दें। मैं कहना चाहता हूं कि आप कम्पनियों का घाटा पूरा करने के लिए पैसा देने के बजाय, वीआरएस के लिए पैसा देने के बजाय, आप कर्मचारियों को तकनीकी ट्रेनिंग के लिए पैसा देंगे तो इसके ज्यादा अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोहनदास राय जो कि इन्फोसिस के ह्यूमन रिसोर्स के चीफ हैं, उनकी बात को उद्धृत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

वे कहते हैं:- "लोगों की कमी की समस्या नहीं है, प्रशिक्षित लोगों की कमी की समस्या है। वर्ष 2000-01 में 50,000 रोजगार के अवसर थे उनके लिए 5,00,000 आवेदक थे, परन्तु आज ऐसी स्थिति नही है! प्रशिक्षित और तकनीकी स्नातकों के लिए आज 1,80,000 रोजगार के अवसर हैं और इनके लिए 1,00,000 से 1,50,000 आवेदक ही मिल रहे हैं।"

आज प्रशिक्षित और तकनीकी स्नातकों हेतु 1,80,000 रोजगार के अवसर हैं और आपको 1,00,000 से 1,50,000 के बीच आवेदक मिल पा रहे है।

[हिन्दी]

आप ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दें। नास्कॉम ने भी एक सर्वे किया है, उनका भी यही कहना है कि 2010 तक आपको पांच लाख

टैक्नीकल ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ेगी, तकनीकी लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

मांग संख्या 18 में आपने 54 लाख रुपया मांगा है और एक विजिलेंस कमेटी को गठित किया है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन को मोनीटर करेगी। लेकिन विजिलेंस कमेटी तब आपने गठित की, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि विजिलेंस कमेटी गठित करों, तब आपने गठित की, तब तक आपने क्यों नही गठित की? इसलिए गठित नहीं की, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री का ध्यान क्रिकेट की तरफ ज्यादा है, बी.सी.सी.आई. की तरफ ज्यादा है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं है,, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके लिए आप यह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शान्ति बनाये रखें मैं इस चर्चा को यथाशीघ्र पूरी करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: यह हमारे देश की विडम्बना है कि आज एफ.सी.आई. के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन एफ.सी.आई. के गोदाम भरे पड़े होने के बाद भी गांवों में हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और बराबर आप अनाज नहीं दे पा रहे हैं। आप विदेश से अनाज मंगा रहे हैं, जबकि एफ.सी.आई. के गोदाम भरे पड़े हैं। आप कह सकते हैं कि राज्य सरकारें अनाज उठा नहीं रही हैं, हम क्या करें, लेकिन क्या आपने राज्य सरकारों को बुलाकर पूछा है कि क्यों आप एफं.सी.आई. का अनाज नहीं उठा पा रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं? इसलिए उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक सुझाव फूड कूपन का आया था कि आप बी.पी.एल. कार्ड की जगह फूड कूपन दीजिए। यह फूड कूपन का सुझाव अच्छा है। सब्सिडी का जो दाम है, अगर उस मूल्य का आप फूड कूपन देते हैं, तो जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं उसको यह अधिकार होगा कि वह स्वेच्छा से गेहूं क्रय कर सके। फिर उसको सड़ा-गला गेहूं खाने की जरूरत नहीं है, वह प्राइवेट डीलर के पास जाकर भी गेहूं खरीद सकता है। फूड कूपन की बहुत अच्छी योजना और सुझाव आया था, उस पर आप ध्यान दें।

मांग संख्या 59 में आपने 62.55 करोड़ रुपया दिया है। आई.टी.आईज, को अपग्रेड करने के लिए आपकी बजट स्पीच थी, वित्त मंत्रीजी, उसमें आपने कहा था कि हम लोग 1396 आई.टी.आई. अपग्रेड करेंगे। मैं अंग्रेजी में बोलूं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं?

[अनुवाद]

आपने कहा था कि 1396 आई.टी.आईज का उन्नयन किया जाएगा। उनमें से कितनों का उन्नयन किया गया है? इसमें आपने केवल चार आई.टी.आईज, के उन्नयन हेतु धन दिया है और वह भी विश्व बैंक की सहायता से। आप इसके लिए क्या कर रहे है? इसमें आपकी क्या उपलब्धि है? कृपया इस संबंध में विशिष्ट उत्तर दें।

[हिन्दी]

फिर आपने अपने भाषण में कहा था कि हम एक आई.टी. आई. को ढाई करोड़ रुपये तक का इंटरैस्ट फ्री लोन देंगे। ढ़ाई करोड़ रुपये तो छोड़िये, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो आई.टी.आई. है, उनको ढाई रुपया भी आपने नहीं दिया है, इसलिए ढाई करोड़ रुपये आई.टी.आई. को देने का जो वायदा है, यह भी थोथा सिद्ध हो रहा है।

आज एक फिक्की की रिपोर्ट आई है। ...*(व्यवधान)* मेरा बस लास्ट पाइंट है। आप बोलें तो मैं लिखकर दे दूं। समय अभाव के कारण मैं शेष भाषण लिख कर दे देता हूं।

*उस फिक्की की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए रैफरीजरेशन मैंकेनिक, रैफरीजरेशन प्लांट आपरेटर, इलैक्टीशियन एवं फिटर की आवश्यकता होगी और इन ट्रैड्स की लगभग 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी डिमांड आने पर बढ़ेगी। इसलिये यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो आई.टी.आई. और पोलीटेकनिक कालेज हैं उनमें यह ट्रेड्स (व्यवसाय) शुरू कराने के लिए राशि आर्बटित की जाये। तकनीकी शिक्षाप्राप्त लोगों को एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 12 लाख लोगों की आवश्यकता 2012 तक पड़ेगी। इसको पूरा करने की आपकी क्या योजना है, कृपया बताएं।

मांग संख्या-05 में अगर हम देखें तो एटोमिक एनर्जी से संबंधित है। उसमें आपने 17.41 करोड़ रुपये की मांग की है। परन्तु वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग हेतु राशि की मांग आपने नहीं की है। आप परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु बेचैन हो रहे हैं। परन्तु क्या आपके पास पर्याप्त परमाणु वैज्ञानिक है जो हमारे परमाणु कार्यक्रमों को चला सकेंगे। अगर नहीं तो उनकी संख्या में वृद्धि करने की आपकी क्या योजना है। मांग संख्या-1, जो रासायनिक एवं खाद्य मंत्रालय से संबधित है उसमें आरगेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु

... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

एक लाख रुपये की मांग की है। आप जानते हैं कि सारा विश्व आरगेनिक खेती की तरफ देख रहा है और आपके इस छोटे से आबंटन को देखें तो स्पष्ट होता है कि आप इसके प्रति गम्भीर नहीं है। आयातित खाद की सब्सिडी में आप 8450 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। परन्तु आरगेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आपने कुछ नहीं किया है।

मांग संख्या-86 में यदि हम देखें तो आपने स्वसहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए केवल 38 करोड़ रुपये आबंटित किया है जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो आबंटन की मांग 'आबिद हुसैन कमेटी अथवा डॉ.एस.पी. गुप्ता कमेटी' ने छोटे तथा मझौले उद्योगों को स्वसहायता समूह के माध्यम से बढ़ाने के लिए मांग की थी उसके अनुपात में आपने कितना आबंटन दिया। आप जानते हैं जो छोटे अथवा मझौले उद्योग लगभग 40 प्रतिशत देश का औद्योगिक उत्पादन करते हैं, उनका इस वैश्वीकरण (ग्लोबलाईजेशन) के युग में उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए इनका सशक्त होना बहुत ही आवश्यक है।

मांग संख्या-104 खेल एवं युवक कल्याण से संबंधित है। इसमें खिलाड़ियों को स्पेशल अवार्ड योजना के लिए 10.50 करोड़ रुपये आबंटित किया, यह बहुत ही कम है। हम 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करने जा रहे हैं। आयोजन करने के पहले यह आवश्यक है कि हम अपने राज्य स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जो स्कालरशिप प्राप्त होती है, उसको बढ़ाये। वर्तमान में हम राज्य स्तर के खिलाड़ियों को चार सौ पचास रुपये प्रतिमाह तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कम से कम छः सौ रुपये प्रति माह देते हैं। उसको बढ़ाकर राज्य स्तर के खिलाड़ियों को कम से कम पांच हजार रूपए प्रतिमाह और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये स्कालरशिप दी जानी चाहिए। और हमारे जो खेलों के प्रशिक्षक हैं उनका वेतन भी बढ़ाया जाना आवश्यक है और ओलंपिक में जो खिलाड़ी पदक जीतते हैं उन खिलाड़ियों को पच्चीस सौ रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं इसे बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। साथ ही, देश के प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाना चाहिए। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर प्राप्त हो सकें। हमारे देश में खेल से जुड़े संस्थानों के अंतर्गत ग्वालियर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज (एल.एन.सी.पी.ई. ग्वालियर) जैसे संस्थान खोलने की आवश्यकता है। ऐसे संस्थानों को खोलने से खेलों को बढ़ावा मिलेगा।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सुझावों पर गंभीर चिन्तन करके अथवा संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा करके आबंटन देने की कृपा करेंगे।*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हां, यही बेहतर होगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मैं डा. के.एस. मनोज को बुलाऊंगा। कृपया, तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों, (सामान्य) पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के संदेवनशील शब्द सदैव मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं उन्हें उद्धृत करता हूं:

''हम हर गरीब की आंखों से आंसू पोंछने का प्रयास करेंगे''

परन्तु सरकार का कार्य निष्पादन इस उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। यह सरकार गरीब की पक्षधर नही बल्कि अमीरों की पक्षधर है। मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों में से ही इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। अनुपूरक अनुदानों की मांगों के प्रथम पृष्ठ पर 300 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्यपोषित कृषि के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के लिए किया गया है। इसके अलावा उतनी ही धनराशि अर्थात 300 करोड़ रुपए का प्रावधान मानद निर्यात पर आयात कर की वापसी तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) तथा केन्द्रीय कर संयोजक उत्पाद शुल्क की प्रति अदायगी के लम्बित दावों के निपटान हेतु किया गया है। एस.ई.जेड. लाभ कौन उठा रहा है? क्या वे गरीब है या अमीर?

मेरे बहुत से मित्रों ने गरीब किसानों की, जो कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत हैं, दुर्दशा का उल्लेख किया है।

महोदय, हम 9.25 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल करने की उपलब्धि पर गर्व करते हैं कृषि के क्षेत्र में हमारी वृद्धि दर मात्र 2.2 प्रतिशत है देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र घोर संकट का सामना कर रहा है। विदर्भ और अन्य क्षेत्रों के लिए पैकेजों की घोषणा की गयी थी, परन्तु किसानों द्वारा अभी भी आत्महत्या की जा रही है। हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि संस्थागत और अन्य उपचारात्मक उपाय किये जाने के बावजूद किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कृषि नीति कृषि क्षेत्र की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है।

सरकार ने कृषि क्षेत्र के संकट के अध्ययन के लिए डा. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की नियुक्ति की और इसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गई है। इसकी रिपोर्ट में यह कहा

गया है कि कृषि ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है।

कृषि संकट पर बहस का उत्तर देते समय हमारे माननीय वित्त मंत्री जी सदैव यही कहते हैं कि कृषि क्षेत्र को ऋण देना एक प्राथमिकता है, इसलिए कृषि ऋण को दुगना किया जाए और इस बात की उंगलियों पर इसमें आंकड़ें बताकर पुष्टि करते हैं । जब हम जिला स्तरीय बैंकिग समिति की बैठकों में भाग लेते हैं तो हम पाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है। यद्यपि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कृषि क्षेत्र को ऋण देने के निर्देश जारी किए है फिर भी अधिकांश बैक प्रबंधक कृषि क्षेत्र को ऋण देने के इच्छुक नही हैं। आंकड़ों में भी गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए ऋण को भी कृषि ऋण में शामिल किया जाता है और इस प्रकार वे आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं।

मेरा विचार है कि सरकार को कृषि संकट पर ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में ईमानदारी से कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्यारहवीं योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 25000 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित करने की घोषणा की है, लेकिन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में इसके बारे में कोई उल्लेख नही किया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा करते हुए इसी सत्र में हम देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे है। मेरे राज्य में हमें बाढ़ के कारण गंभीर क्षति उठानी पड़ी है। क्षति की अनुमानित राशि 600 करोड़ रुपये से ज्यादा है, लेकिन हमें केवल 50 करोड़ रुपये की धनराशि ही सहायता के रूप में प्राप्त हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय आपदा राहत कोष तथा प्राकृतिक आपदा राहत कोष के लिए कुछ और धनराशि आबंटित करें। मैं वित्त मंत्री जी से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राशि बढ़ाने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि गृह मंत्रालय ने क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दी गई मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की है। पहले पूरी तरह बर्बाद हुए मकानों के लिए 15,000 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती थी और इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। यह अच्छी बात है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इसमें और वृद्धि की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। अब मैं श्री पारसनाथ यादव जी से केवल सुझाव देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री बजट की डिमांड पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समय के अभाव में इतने बड़े मुल्क के बजट या सप्लीमेंट्री बजट पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। आपकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री बजट हो या जनरल बजट हो, जब तक इसकी निगरानी नहीं होगी कि मुल्क में रहने वाले लोगों की उपभोग की जो चीजें हैं, उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनकी भूख मिटाने के लिए हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरूपयोग हो रहा है। हम जब तक इसकी निगरानी अच्छी तरह नहीं करेंगे तब तक हर वर्ष जितने भी बजट पेश करते रहें, हम जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते। इंसान की बुनियादी आवश्यकता शिक्षा और स्वास्थ्य है। दुनिया के बहुत से मुल्क जिन्होंने शिक्षा का विकास किया, वे आज विकास की पराकाष्ठा पर हैं। लेकिन आजादी के समय जहां हिन्दुस्तान की आबादी 35 करोड़ थी, आज एक अरब 3 करोड़ हो गई है। यदि हम शिक्षा का प्रतिशत देखते हैं तो साठ सैंकड़े से ज्यादा लोगों को शिक्षित नहीं कर सके। 15 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। 52 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। केवल 9 सैंकड़ा लोग ऐसे हैं जो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। यदि हम युरोपियन कंट्रीज का आंकड़ा देखते हैं, तो 45 सैंकड़ा से ज्यादा लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं। अकेले ऑस्ट्रलिया में 70 सैकड़ा लोग ऐसे हैं जो ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं। पेट की रोटी की आवश्यकता पड़ती है। यह कृषि प्रधान मुल्क है और आज भी यहां के 71 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। लेकिन किसानों की हालत ऐसी है कि यदि इंद्र भगवान की कृपा न हो तो हमारी खेती नहीं हो सकती। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम चाहे जितना लम्बा-चौड़ा बजट पेश करें, लेकिन अगर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। हम महंगाई को रोकने के तमाम कानून बनाते हैं। गरीबी मिटाने का कानून बनाते हैं, लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 60 साल की आजादी में गरीबी नहीं मिटी गरीब मिटता चला जा रहा है। इसके क्या कारण हैं, यह लम्बी बहस है। हम आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में हिन्दुस्तान का आज भी 126वां नम्बर है। यह हमारा आंकड़ा है, यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार 125 मुल्क हमसे बेहतर जिंदगी जीते हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके जीवन के सुधार के लिए जब तक उन्हें पैमाना मानकर बजट पेश नहीं करेंगे और उसकी निगरानी का काम नहीं करेंगे, तब तक हम इस मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते।

मैं एक ही बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

जलते रेगिस्तान पूछते सावन कैसा होता है।
फुटपाथी बच्चे क्या जानें आंगन कैसा होता है
आधी उम्र किताबें ढोकर, रोजगार की खोज में खोकर
कल कुछ बूढ़े पूछ रहे थे यौवन कैसा होता है।

आज भी हिन्दुस्तान की यह हालत है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी और पूरे सदन से केवल यही अनुरोध करूंगा कि इस मुल्क की गरीबी हटाने के लिए हमें बुनियादी तौर पर नए सिरे से सोचना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों में अतिरिक्त व्यय खंड के तहत मंत्रालयों की बचत से 9,983.62 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है। माननीय मंत्री जी ने यह बात वहां कही थी। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी बचतें हैं तथा वे किस मंत्रालय से हैं। बहस का उत्तर देते समय माननीय मंत्रीजी से यह अपील करता हूं कि यह बताये कि किस मंत्रालय ने कितनी-कितनी राशि की बचत की है। मैं इन आंकड़ों पर शंका इसलिए व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि न्यूनतम वित्तीय घाटे के साथ सार्वजनिक वित्त के समेकन की बात की जा रही है।

अपने बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि 3.8 प्रतिशत के बजट आंकलन की तुलना में चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा 2 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने एफ.आर.वी.एम. एक्ट के तहत लक्ष्य से भी ज्यादा उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है। वर्ष 2007-2008 की रिपोर्ट के अपने आर्थिक दृष्टिकोण (इकोनोमिक आउटलुक) में यद्यपि 9 प्रतिशत की विकास दर का उसमें पूर्वानुमान किया था लेकिन उन्होंने कई खतरों का भी उल्लेख किया था। उन्होंने सोचा कि इन खतरों को 2008-2009 तक खत्म नहीं किया जा सकता। वे खतरे क्या हैं? ये बजट देयताएं है। तीन प्रकार की देयताएं है जैसे तेल कम्पनियों के बांड इश्यू, एम.सी.आई. के स्पेशल सिक्यूरिटीग इश्यू और उर्वरक राजसहायता की बकाया राशि, जिन्हें माननीय वित्त मंत्रीजी ने बड़ी चालाकी से वित्तीय घाटे संबंधी रिपार्ट में से छिपा लिया है। इन सारी बातों के लिए बाद में सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी। यह राजनीति का घालमेल है, जो लेखा जोखा दिया गया है काल्पनिक है। हमें बताया गया है कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय घाटा न्यूनतम है।

मैं कहना चाहता हूं कि इन तीनों शीर्षों के तहत कुल बकाया 44,138 करोड़ रुपये हैं और यदि इसे आप 156328 करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे, जो सरकार ने स्वयं बताया है। में जोड़ देते है तो यह 2 प्रतिशत नहीं बल्कि 4.7 प्रतिशत बनता है। इसके साथ यदि हम राज्यों के घाटे को भी जोड़ दे तो यह 8.3 प्रतिशत हो जाएगा।

जहां तक मुद्रास्फीति का संबंध है सरकार इसे रोकने का प्रयास कर रही है और वह सी.आर.आर. बढ़ाकर, रिवर्स रेपो तथा बाजार स्पष्टीकरण के माध्यम से मुद्रा प्रसार को रोकने की कोशिश कर रही है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम रिवर्स रेपो अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों से उधार ली गई राशि पर ब्याज दर कम कर सकते है?

रुपये का मूल्य बढ़ना एक गंभीर बात है जिसके कारण निर्यात प्रभावित हुआ है। वियतनाम, पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे देश अब हमारे निर्यात बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए, माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि अपने उत्तर के दौरान वे इस बात का उल्लेख करें कि वे रुपये के मूल्य में वृद्धि के संबंध में क्या करने जा रहे हैं क्योंकि चीन लम्बे समय से युआन के मूल्य बढने से रोकने में कामयाब रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से दो मुद्दों की ओर ध्यान देने की अपील करता हूं-भारत निर्माण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। हमें कई बार यह बताया गया है कि वर्ष 2009 तक हरेक गांव का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। मैं यही प्रश्न माननीय विद्युत मंत्री जी से पूछ रहा था।

उन्होंने उत्तर दिया था कि वित्त मंत्रालय द्वारा मात्र 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जब कि उन्हें 25,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। माननीय मंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि वे विद्युत मंत्रालय को 25,000 करोड़ रुपये की राशि दे रहे हैं, ताकि इसे सभी राज्यों में वितरित किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप 2009 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा। क्या यह सब कुछ संभव है?

मैं माननीय मंत्री जी का उत्तर जानना चाहूंगा कि क्या वे वास्तव में ही विद्युत मंत्रालय को यह धनराशि देने जा रहे हैं।

वित्त संबंधी समिति का सदस्य होने के कारण फसल बीमा योजना के बारे में मैंने वहां के अधिकारियों से कई प्रश्न पूछे हैं और जवाब यह मिला कि फसल कटाई के लिए कोई केन्द्रीय

[श्री खारवेल स्वाईं]

एजेंसी नहीं है। इसी वजह से वे कहते हैं कि यह संभव नही है और ग्राम पंचायत अब पूरे ब्लाक को यूनिट के रूप में लिया जाता है इस सभा में कौन सदस्य यह कहेगा कि यदि किसी ब्लाक की पूरी की पूरी फसल बाढ़ से नष्ट हो जाती है, तो गरीब किसानों को उसकी बीमा राशि दी जाएगी। हम हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि ब्लॉक को यूनिट के रूप में न लिया जाए बल्कि ग्राम पंचायत को यूनिट के रूप में लिया जाए। अधिकारी कहते हैं कि फसल कटाई जैसी कोई मशीनरी नही है। आप इसे राज्यों या ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं दे देते? फसल कटाई का काम वे करेंगे।

मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि यदि वे वास्तव में चाहते हैं कि देश में किसान आत्महत्या न करें तो उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि फसल बीमा योजना लागू की जाए और यह बहाना न बनाएं कि हमारे पास तंत्र नही है। इस देश में तंत्र है सबको प्रयास करना चाहिए और किसान को उसका हक मिलना चाहिए, जब सहकारी संस्थाएं फसल ऋण देती हैं, तो दो प्रतिशत ब्याज बीमा प्रभार हेतु लिया जाता है। परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण देते समय कोई प्रभार की वसूली नहीं करते हैं, ऐसी विसंगति क्यों? मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर): मैं आपकी इजाजत से इस बजट की ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने जो थोड़ा सा समय दिया है, उसमे मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हिन्दुस्तान की जीडीपी और इकोनोमी को बहुत स्ट्रेंथेन किया है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आज आम आदमी की जो हालत है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। आज महंगाई देखिए, आटे-चावल का भाव कहां जा रहा है। जमींदार को कुछ मिले या न मिले, बिचौलिए और व्यापारी खूब कमाई कर रहे हैं। आप देखिए कि बहुत सी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अंबानी कहां से कहां पहुंच गया। ये लोग कहां से कहां चले गए, लेकिन हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उनकी पोजीशन दिनोंदिन क्यों गिरती चली जा रही है? आज बीएसएनएल दिल्ली में काम नहीं करता है, वह एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों के हाथों बिक गया है, रिलायंस के हाथों बिक गया है, सारी सौदेबाजी हो गयी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें देखना होगा कि विकास किस तरह से किया जा रहा है। आज अगर एजुकेशन को देखिए तो हिन्दुस्तान में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यदि देश में तीन किस्म की एजुकेशन चलेगी तो बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। एक बच्चा पढ़ेगा लग्जरी स्कूल में, एक सीबीएसई बोर्ड और एक बच्चा स्टेट बोर्ड से पढेगा और कंप्टीशन करेंगे साझा। इस तरह से इंसाफ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले कॉमन एजुकेशन के लिए प्रायरिटी देना चाहिए और इसकी शुरूआत मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी, आईएएस और आईपीएस के बच्चों से करनी चाहिए। जब उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तभी शिक्षा का सिस्टम सुधरेगा। पहले देखते थे कि डीसी का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तब डीसी पूछता था कि वहां पढ़ाने के लिए टीचर है, वहां बैठने के लिए टाट है। आज इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

इसी तरह हैल्थ की ओर देखिए। आज जो सरकारी हास्पिटल्स हैं, उनके मेजारिटी ऑफ इक्विपमेंट्स खराब और बंद रहते हैं ताकि लोग बाजार में जाकर टेस्ट कराएं। डाक्टर बाजार में टेस्ट कराने के लिए भेजता है और वहां से उसे कमीशन मिलती है। एक टेस्ट कराने के बाद डाक्टर उसे दूसरा टेस्ट कराने के लिए लिखता है कि आपके हार्ट की नली तंग हो गयी है। फिर उसके लिए गलत ऑपरेशन किया जाता है।

इसी तरह रोड कनेक्टिविटी की ओर देखिए। इतनी स्कीमें हमारी बनी हैं। मेरी कांस्टीट्वेंसी में भी सड़कें बनी हैं, लेकिन वे टूटी-फूटी उखड़ी हुई हैं और अच्छी, प्रॉपर सड़कें वहां नहीं बन पाई हैं। आज सारी सेंट्रली स्पांशर्ड स्कीम्स फ्लाप हो गयी हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा एम.पी.लैड्स फण्ड भले ही दो करोड़ रूपए हैं, लेकिन उसका पैसा कम से कम पूरा खर्च हो रहा है। इन बड़ी स्कीम्स में जो अरबों-खरबों रुपये खर्च होते हैं, उन पर ध्यान देना होगा। पानी के लिए स्कीम बनती हैं, उसका नाम रखा जाता है, उसके बाद उसके इंप्रूवमेंट की बात होती है, फिर उसका अपग्रेडेशन किया जाता है। नाम बदलकर वही कुछ स्कीम्स चलती रहती हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि मेहरबानी करके इस पर थोड़ा सा ध्यान दे अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। मेरी कांस्टीट्वेंसी 17,000 वर्ग किलोमीटर की है। उन्होंने कहा था मेरी कांस्टीट्वेंसी में आठ एमएलए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीट्वेंसी में 17 एमएलए हैं।

मुझे एमपी लैड स्कीम के तहत जो हर साल दो करोड़ रुपए मिलते हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से प्रति क्षेत्र में सिर्फ 11.75 लाख रुपए हिस्से आते हैं, जबकि मेरे क्षेत्र में एक विधायक को इससे चार गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि जितना बड़ा संसदीय

क्षेत्र हो, उसकी जरूरत के हिसाब से वहां के सांसद को उतनी ही राशि दी जाए। मेरा संसदीय क्षेत्र दिल्ली के बराबर है, लेकिन विकास के लिए जितना पैसा यहां खर्च होता है, उसका दसवां हिस्सा भी मेरे क्षेत्र में खर्च नहीं होता। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप विकसित क्षेत्रों को कम से कम पैसा अलाट करें और पिछड़े क्षेत्रों को अधिक पैसा दें। राज्य सभा के सांसदों को एमपीलैड के तहत पैसा न भी मिले तो चलेगा, लेकिन जिन लोक सभा सांसदो का संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, उन्हें ज्यादा अलाटमेंट करनी चाहिए। जो जमीन से जुड़े लोगो को जानते हैं, उनसे सम्बन्धित कामों के बारे में जानते हैं, उनके लिए अधिक धनराशि का आबंटन किया जाए। आज वही लोग तरक्की कर रहे हैं, जो पांच-दस साल पहले धनवान हुए थे। इसलिए वित्त मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें कि हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है। आज गरीब को आटा, दाल और चावल चाहिए। अगर उसे वह नहीं मिलेगा, तो हम देश की जीडीपी में वृद्धि के बारे में कितनी भी बात करें, कोई फायदा नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि यह मध्यावधि चुनाव बजट प्रतीत होता है। मध्यावधि चुनाव संभव हैं। सभा की भावना यही दर्शाती है माननीय वित्त मंत्री के मध्यावधि बजट में ग्यारहवीं योजना हेतु 15,76,154 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता द्वारा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और उद्योग जैसे प्राथमिकता क्षेत्र पर जोर दिया गया है। इन निधियों को गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र से विपणन किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं।

यू.पी.ए. सरकार की छोटे हवाई अड्डों तथा नागर विमानन उद्योग के विकास हेतु घोषणाएं निरर्थक साबित हुई हैं मंत्री महोदय ने नदियों को परस्पर जोड़े जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने अनुपूरक बजट में सांकेतिक अनुदान भी नही दिया है जिसे सारी सभा का समर्थन प्राप्त है। संबंधित मंत्री जी नदियों को परस्पर जोड़े जाने का समर्थन कर रहे हैं।

मैं सर्व शिक्षा अभियान जिसके तहत ई.जी.ए. स्कूल स्थापित किए गए हैं पर भी बोलना चाहूंगा। दिशानिर्देशानुसार 20 छात्रों से कम के स्कूल बन्द कर दिए जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि इस दिशानिर्देश को हटा दिया जाए क्योंकि संविधान के 93वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, आदिवासी या दूरस्थ क्षेत्र में यदि एक भी छात्र है तो शिक्षक को अवश्य ही वहां जाकर बालक को पढ़ाना चाहिए। इसके द्वारा ही हम समाज को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

मैं तमिलनाडु के डी.एम.के की सरकार का उदाहरण देना चाहूंगा। जहां सरकार ने छात्रों को सप्ताह में तीन दिन अण्डे देने हेतु 240 करोड़ रुपये दिए हैं। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए। आपको उड़ीसा को कुछ केन्द्रीय सहायता देनी चाहिए। आपको पता है उड़ीसा सबसे गरीब राज्यों में से है ...*(व्यवधान)*

हथकरघा क्षेत्र, सूक्ष्म उद्योग, कृषि उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। आपने उद्योग बहुल क्षेत्र के विकास हेतु कुछ धन दिया है परन्तु इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। हम प्रथम संग्राम की 150वीं जयंती मना रहे हैं। परन्तु 'खादी' हेतु निधियां नहीं हैं, सरकार 'खादी' तथा गांधी जी को भूलती जा रही है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार जो पिछले तीन वर्षों में नहीं कर पाई वो अब डेढ़ साल में क्या कर पाएगी। यह संभव नहीं है। देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु माननीय मंत्री ने कहा है कि वे विस्थापितों हेतु नई पुनर्वास नीति की घोषणा करेंगे। अब तक ऐसी कोई भी नीति नहीं है। परन्तु उड़ीसा में हमारी सरकार ने नई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति लागू की है जिसके तहत उड़ीसा में गरीब लोगों का उचित पुनर्वास हो रहा है।

महोदय, पिछले कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था जिससे हमें खुशी हुई थी। यह और अधिक आई.आई.एम. और आई.आई.टी. की स्थापना के बारे में था। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के संबंध में उपेक्षित रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालाहांडी जो कि पिछड़े क्षेत्रों में से है वहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। भुवनेश्वर में एक आई.आई.टी. तथा एक आई.आई.एम. स्थापित किया जाना चाहिए।

मैं नोआपाड़ा जिले का उदाहरण देता हूं। महोदय, नोआपाड़ा जो कि के.बी.के. में शामिल है, वहां की 27 प्रतिशत जनसंख्या अन्य स्थानों को पलायन कर गई है क्योंकि वहां कोई लाभ नहीं है। उस जिले में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु एन.आर.ई.जी.ए. निधियां समय से प्राप्त नहीं हुई, अधिक विलंब से पहुचने के कारण एन.आर.ई.जी.ए. कार्यक्रम लागू नहीं किए जा सके। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि भाजपा शासित प्रदेशों में एन.आर.ई. जी.ए. कार्यक्रमों को बेहतर रूप से लागू किया जा रहा है परन्तु आंध्र प्रदेश जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में व्यय 34 प्रतिशत से भी कम है।

[श्री विक्रम केशरी देव]

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि हांगकांग, सिंगापुर आदि जैसे दक्षिण-पूर्व के विकसित देशों की तुलना में भारत में औद्योगिक घराने अधिक कर का भुगतान करते है, हम 38 प्रतिशत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिभार का भुगतान करते हैं। इसलिए हमें देश के विकास के साथ-साथ प्राथमिक तथा गैर-प्राथमिक क्षेत्रों के विकास में उनका सहयोग अवश्य ही लेना चाहिए। गैर-प्राथमिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्धारित राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): मैं इसका समर्थन करता हुआ हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी केवल एक मांग है कि एमपी लैड में जितने भी एमएलएज हैं उनको पर-कांस्टीटयूएंसी एक करोड़ रूपया दिया जाना चाहिए। दिल्ली में दो करोड़, यूपी में सवा करोड़, तमिलनाडु में, जहां से माननीय वित्त मंत्री जी आते है। एक करोड़ बीस लाख रुपये है और एमपी को सिर्फ 2 करोड़ रुपये मिलते हैं चाहे उसके निर्वाचन क्षेत्र में 17 एलएलए हों, 8 हो, 7 हों या पांच ही क्यों न हों। इसलिए मिनिमम 5 कांस्टीटयूएंसीज पर दो करोड़ रुपये होना चाहिए। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे थोड़ा नरम पड़ जाए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो काम एमपी लैड से होता है उसका सुपरविजन भी होता है, काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी प्रोग्रेस भी उस काम से अच्छी होती है जो सरकारी संसाधनों से होता है क्योंकि उसमें उनके वर्कर्स इंवोल्व होते हैं, उनकी इच्छा-शक्ति इंवोल्व होती है और उनके कार्यकर्ता काम की देखरेख करते हैं। बहुत दिनों से हम माननीय वित्त मंत्री जी से कह रहे हैं, अब तो उन्हें नरम पड़ जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: गोयल साहब से तो अब सबको हमदर्दी होगी, हमें भी होगी।

***श्री गणेश सिंह** (सतना): महोदय, अनुदानों की पूरक मांग 2007-08 के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अनुदान मांगे तो वित्त मंत्री जी की पास हो जायेगी लेकिन बजट पेश होते समय जिन मुद्दों पर सदन में चिन्ता व्यक्त की थी, क्या उनमें कुछ सुधार हुआ है।

देश में बढ़ती हुई मंहगाई, बढ़ती किसान आत्महत्यायें, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, कृषि क्षेत्र में समाप्त होती आत्मनिर्भरता, बढ़ता हुआ सामाजिक कलह, गिरता हुआ उत्पादन स्तर, देश में लघु एवं मझौले उद्योगों पर बढ़ता हुआ पूंजीवाद, खत्म होता हुआ खुदरा व्यापार-लेकिन माननीय मंत्री जी आप की सरकार इन तमाम बातों से बेफ्रिक है। बस एक ही नारा है कि आपका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और वह 9 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि ग्रोथ रेट से पहले जिन मुद्दों पर हमने चर्चा की है, क्या उनमें थोड़ा भी सुधार हुआ है।

मंहगाई की हालत यह है कि जिन वस्तुओं के दाम बढ़े थे, उनमें से किसी एक भी वस्तु के दाम नहीं घटे। उल्टे जिन वस्तुओं के दाम ठीक थे, उनके भी दाम रोज बढ़ रहे हैं। लगता है कि सभी वस्तुओं के दाम बढ़ने की कोई संक्रामक बीमारी आ गयी है। अब तो मैं आपका ध्यान प्याज के बढ़ते हुए दामों की ओर कराना चाहता हूं।

अनुदान मांगों में आपने उर्वरक की सब्सिडी देने हेतु मांग की है, लेकिन उसका लाभ किसानों को सीधे कैसे मिलेगा।

यदि किसानों को मदद दिलवाने की चिन्ता सचमुच है तो उन्हें सीधे सब्सिडी देने की व्यवस्था करे। देश में रोज राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं प्रत्येक 50 कि.मी. में एम्बुलेंस तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिए लेकिन कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। उनके कर्जे माफ करने का प्रावधान करना चाहिए।

महोदय, केन्द्र सरकार ने अपने बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर मैहर के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर एवं अंडर ब्रिज बनाने का प्रावधान किया था, परन्तु आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 75 में सतना शहर में बाईपास सड़क बनाये जाने की मांग की गई थी लेकिन उसमें भी अभी तक स्वीकृति नहीं हो पायी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 एवं 75 की हालत मेरे लोक सभा क्षेत्र में अत्यंत खराब है। उसका पुन: निर्माण किया जाना आवश्यक है।

देश के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सतना में मटेहना गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसके विकास के लिए मैंने केन्द्र सरकार से धन की मांग की थी, अभी तक नहीं दिया गया, मेरी मांग है कि सहायता दी जाये।

देश में जो नये एम्स अस्पताल खुलने थे, उसमें भोपाल भी था, जहां आज तक कार्य राशि के अभाव में प्रारंभ नहीं हो पाया है। इसी तरह मा. प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के मुख्यमंत्रियों के साथ नदियां जोड़ने का एक समझौता कराया था लेकिन उसके लिए भी अभी तक केन्द्र ने एक भी पैसा नहीं दिया। उसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए।

देश के कई जिले ऐसे हैं जहां वर्षा नहीं हो पायी, ऐसे जिले मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, सीधी, डमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ है, जहां सूखे तथा अकाल की स्थिति है। पेयजल का भी संकट आ चुका है, ऐसी स्थिति में इन जिलों को स्पेशल पैकेज दिया जाना आवश्यक है। कृपया बजट में प्रावधान करने की मेरी मांग स्वीकार की जाये।

मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल के आबंटन में कमी कर दी गयी। अत: बी पी एल तथा ए पी एल दोनों के कोटे संख्या अनुपात में आबंटन दिया जाये। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। उसकी मदद के लिए विशेष पैकेज दिया जाये। साथ ही सिंचाई की जो बड़ी परियोजना बाणसागर है, जिनके बांध का कार्य पूरा हो गया है, लेकिन नहरों का जो निर्माण हो रहा है, उसमें पक्की नहरों का प्रावधान नहीं है। उसके लिए आर्थिक सहयोग की मांग है, ताकि नहरों का ठीक निर्माण किया जा सके। इसी तरह इंदिरा सागर बांध वरगी बांध के कार्यों को जल्दी पूरा कराने हेतु धनराशि दी जाये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कृषकों की मदद के लिए कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की लगातार मांग हो रही है। अत: वहां एक बड़ा केन्द्र सरकार का कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये। सतना से इलाहाबाद दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क-सतना से सेमरिया होते हुए इलाहाबाद तक-सड़क निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृति करने से रोजगार तथा व्यापार बढ़ेगा जिससे उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा।

अनुदान मांगों में जो नई आई टी आई संस्थाओं की मदद हेतु राशि मांगी गयी है उसमें मध्य प्रदेश की सतना जिले की आई टी आई को भी जोड़ा जाये।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): उपाध्यक्ष महोदय, डा. सत्यानारायण जटिया द्वारा आरंभ की गई तथा श्री गोयल द्वारा समाप्त की गई अनुपूरक अनुदानों की चर्चा में शामिल सभी 27 माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं।

महोदय, अनुपूरक अनुदानों के द्वारा, बजट पेश करते समय ऐसे व्यय, जिनका पुर्वानुमान नही लगाया जा सका था संबंधी व्यय के लिए तथा बजट पारित करने के पश्चात सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किया जाता है अनुपूरक अनुदानों का मुख्य प्रयोजन यही होता है।

मुझे खुशी है कि अधिकतर सदस्य इस बात को समझ सके कि हमें अनुपूरक अनुदानों की आवश्यकता क्यों पड़ी।

सायं 7.00 बजे

जैसाकि सदस्यों ने ध्यान दिया होगा इसमें से अधिकतर राशि उर्वरकों के लिए है। आयातित विनियंत्रित उर्वरकों, स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों संबंधी राजसहायता हेतु 6550 करोड़ रुपयों का प्रावधान करना पड़ा क्योंकि इस समय हम सारी राशि नकद में उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। हमने विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। ये परियोजनाएं किसी न किसी राज्य में लागू की जा रही हैं। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु समतुल्य राशि हेतु रूपयों में प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार राज्यों को 1300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बारे में अभी थोड़ी देर में जानकारी दूंगा।

किसी ने कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु सरकार ने बहुत कम प्रावधान किया है। मैं इस बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री द्वारा सांविधिक बकाया राशि के भुगतान तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु 352 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र में लागू किए जाने वाला यह पहला उपक्रम नहीं है।

मेरे सहयोगी श्री सन्तोष मोहन देव ने सभा में तथा प्रश्नों के उत्तरों के दौरान भी कई बार यह बताया है कि अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों का पुनरूद्धार किया गया है। उनके सांविधिक देय का भुगतान कर दिया गया है। स्वैछिक सेवानिवृति की राशि प्रदान कर दी गयी है। मैंने भी सभा को अपने बजट भाषण में हर वर्ष यही बात बतायी है। माने गए निर्यात की शुल्क वापसी संबंधी लंबित योजनाओं केन्द्रीय ब्रिकी कर तथा टर्मिनल उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। निर्यातकों के लिए शुल्क वापसी योजना है। जब वे निर्यात करते है अथवा निर्यात, माना जाता है, उनको शुल्क वापस किया जाता है और इसके लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

कौशल विकास के लिए आई.टी.आई. तथा उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने के लिए 239 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए 200 करोड़ रु., राष्ट्रकुल खेलों

[श्री पी. चिदम्बरम]

के लिए 145 करोड़ रु. वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए 106 करोड़ रु. प्रदान किए गए है।

महोदय, मुझे नहीं लगता कि किसी भी शीर्ष में निष्फल व्यय है तथा कोई भी इस व्यय के संबंध में उपयुक्तता तथा उपयोगिता के बारे में पूछ सकता है। प्रत्येक शीर्ष में आवश्यक व्यय है। इसलिए यह धन उपलब्ध कराने के लिए हम इस सभा के समक्ष आए हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दों को उठाया है। वास्तव में, सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न अनुपूरक मांगों के दायरे से परे हैं। परन्तु ऐसे मुद्दों को उठाना उनका अधिकार है। यह परम्परा है कि अनुपूरक मांगों तथा बजट पर चर्चा के दौरान सदस्य सरकार ने किसी भी विभाग के बारे में बात कर सकते हैं तथा किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं। समय के अभाव में सदस्यों द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा परन्तु उनके द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना चाहूंगा।

महोदय, मैं कृषि क्षेत्र के बारे में व्यक्त की गयी चिंताओं को समझ सकता हूं। मैं उन चिंताओं से सहमत हूं। 27 मई 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में मैंने इस बारे में कहा था और मैं उस भाषण के कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं। उत्पादन में स्थिरता मुख्य चिंता का विषय है। 1998-99 से 2006-07 के दौरान 120 से 125 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित रह गया जिसमें से 25 मिलियन से 27.5 लाख भूमि में गेहूं का उत्पादन तथा 41 लाख से 45 मिलियन भूमि में धान की उपज उगायी जाती थी। मूल समस्या यह है कि गेहूं तथा धान की कुल एकड़ भूमि में कमी आयी है।

उत्पादन को देखें तो गेहूं का उत्पादन 68 मिलियन टन से 73 मिलियन टन के बीच रहा है। चावल का उत्पादन 85 मिलियन से 91 मिलियन टन के बीच रहा है।

आप उत्पादकता को देखें तो उत्पादकता में भी कमी आयी है। गेहूं के मामले में यह लगभग 2700 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तथा चावल के मामले में लगभग 1950 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है। क्षेत्रफल में स्थिरता है, पिछले 8 वर्षों से उत्पादन तथा उत्पादकता में स्थिरता के कारण समस्याओं में स्थिरता के कारण समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है।

एक और दूसरी समस्या यह है कि एक राज्य में फसल की पैदावार तथा दूसरे राज्य की पैदावार में भारी अन्तर है। अर्थशास्त्री इसे पैदावार अंतर कहते हैं। मैं कुछ आकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। पंजाब तथा हरियाणा में 4 से 4.2 टन प्रति हैक्टेयर गेहूं की पैदावार होती है। बिहार तथा मध्य प्रदेश में 1.8 टन प्रति हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.4 टन प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है। चावल के उत्पादन में भी अन्तर है उत्तर प्रदेश में 2.18 टन प्रति हेक्टेयर तथा छत्तीसगढ़ में 1.45 टन प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है। इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद् के इतिहास में पहली बार एक संकल्प पारित किया गया जिसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए 'सात-सात एक्शन प्वाइंट' से रखे गये थे। यह न केवल केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों का विषय है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को वह करना चाहिए जिसकी उन से अपेक्षा की जाती है। मैं एक्शन प्वाइंटों को पढ़कर सुनाना नहीं चाहता। माननीय सदस्यों के पढ़ने के लिए मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं। यह कृषि मंत्रालय तथा एन.डी.ए. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

केन्द्र सरकार के लिए एक एक्शन प्वाइंट यह था कि वह खाद्य सुरक्षा मिशन लागू करे जिसमें गेहूं-चावल तथा दालें केन्द्रीय योजना के तहत दिए जाए जिसका उद्देश्य था कि अगले चार वर्षों में आठ मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं-दस मिलियन टन अतिरिक्त चावल तथा दो मिलियन अतिरिक्त दालों का उत्पादन हो सके। हम उसके अनुकूल ही कार्य कर रहे हैं और इस कारण हम वर्ष के शेष बचे सात महीनों के लिए आरंभिक राशि उपलब्ध करा रहे हैं।

केन्द्र सरकार का दूसरा एक्शन प्वाइंट एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना लागू करना है जिसका उद्देश्य है कि राज्य कृषि-जलवायु पारिस्थितिक, प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे तथा पशुधन पालन तथा मत्स्यपालन की तकनीक को ध्यान में रखते हुए इसे कृषि में एक व्यापक योजना तैयार करें। इसमे ए.सी.ए. के लिए नई योजना शामिल होगी। जो कृषि मंत्रालय द्वारा सुझाई गई राज्य योजनाओं के अतिरिक्त मौजूदा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अलावा होगी जिसमें लाभर्थियों के लिए विशेष स्कीमों सहित राज्यों की विशिष्ट रणनीति को सुचारू रूप से कारगार बनाने के लिए लागू किया जाएगा। यह 25000 करोड़ रु. की योजना है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी तथा मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा कुछ ही क्षणों में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा जिसके लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

जब हम राज्यों पर चर्चा करेंगे तो मैं उन सभी सातों प्वाइंटों को दोहराना नहीं चाहूंगा। परन्तु पहला प्वाइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला योजना बनाई जाती है जिसमें राज्य अथवा केन्द्र, पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि जैसी योजनाओं से जिला स्तर पर संसाधनों सहित तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी मौजूदा सभी योजनाओं के सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। जिला कृषि योजना में पशुधन और मछली पालन को लघु सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यों तथा

जल संचयन और संरक्षण योजनाओं से एकीकृत किया गया है। प्रत्येक राज्य सरकार जिला स्तर पर एक उचित ईकाई स्थापित करेगी।

दूसरा प्वाइंट यह है कि जिला योजना के आधार पर राज्य कृषि योजना तैयार की जाए जिसका उद्देश्य राज्य कृषि को बढ़ावा देना है। दो मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में निर्णय बजट पारित होने के बाद किया गया है, इसके लिए मंत्रिमंडल ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए है।

पहला निर्णय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में है। जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य दस मिलियन टन चावल, आठ मिलियन टन गेहूं और दो मिलियन टन दालों के उत्पादन का है। इस मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। चावल मिशन 12 राज्यों के 133 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा; गेहूं मिशन नौ राज्यों के 138 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा और दाल मिशन 14 मुख्य दाल उत्पादक राज्यों के 168 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा।

पांच वर्षों के लिए 4,882.48 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय निर्धारित किया है इसे समाप्त किया जा रहा है। हम इसकी शुरूआत इस वर्ष की शेष बची हुई अवधि के लिए अपेक्षित धनराशि देकर कर रहे हैं। इसके लिए यदि और धनराशि की आवश्यकता हुई, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यह मिशन इसी वर्ष आरंभ किया जा रहा है।

दूसरा निर्णय 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्दीय सहायता योजना के बारे में है। ये 25000 करोड़ रुपए पांच वर्ष में बंटे हुए है। दूसरे वर्ष से इसे 5400 करोड़ प्रतिवर्ष कर दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में यह लगभग 4000 करोड़ रुपए होगा जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है।

राज्यों को जिलास्तरीय योजनाएं बना कर इन्हें राज्य योजना में समायोजित करना पड़ता है। उन्हें इसमें धनराशि लगानी पड़ती है। हम इस 25,000 करोड़ रुपये में उन्हें प्रोत्साहन राशि देंगे। इस तरह की योजना आरंभ की जा रही है।

इस तरह यह सरकार इस तथ्य से पूर्णत: अवगत है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमें कृषि पर ध्यान देना आवश्यक है। जब तक कृषि की वृद्धि दर चार प्रतिशत नही होगी तब तक यह कहने से संतुष्टि नही होगी कि उद्योग में दो अंको में वृद्धि हो रही है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर दो अंको में है। निस्संदेह उन क्षेत्रों में अच्छा कार्य निष्पादन हो रहा हैं। लेकिन इसका लाभ भारत की जनसंख्या के एक छोटे से वर्ग को ही मिल रहा है।

वृद्धि केवल तीव्र ही नही होनी चाहिए बल्कि इसमें सभी क्षेत्र शामिल होने चाहिए। कृषि में चार प्रतिशत की वृद्धि दर होनी चाहिए। यही कारण है कि यह सरकार, उत्पादन और प्रति एकड़ उत्पादकता में आए ठहराव के मद्देनजर ये दो पहलू अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू कर रही है। और राज्यों को 25000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दे रही है। मुझे उम्मीद है कि पूरी सभा इन पहलों का स्वागत करेगी।

कृषि संबंधी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट का कुछ जिक्र किया गया था। यह रिपोर्ट मेरे पास है। मैं समझता हूं कि मैंने इसे ध्यान से पढ़ा है। लेकिन हो सकता है कि मुझसे कुछ पहलू छूट गए हों। स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या कहा गया है? यह रिपोर्ट पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर, 2006 में प्रस्तुत की गई थी। पैरा 1.2.1 में कहा गया है:

> "सौभाग्यवश कृषि उत्पादन में अधोमुखी प्रवृत्ति को बदलने के लिए और कृषि संकट का स्थाई हल निकालने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान दो वर्ष संप्रग सरकार के कार्यकाल के संदर्भ में हैं-अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।
>
> नई पहलों में से कुछ इस प्रकार हैं: 1. भारत निर्माण; 2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना; 3. राष्ट्रीय बागवानी मिशन; 4. कृषि ऋणों का विस्तार (यदि आप इसे मेरी अशिष्टता न कहें तो यह आंशिक रूप से वित्त मंत्रालय के प्रयासों के कारण है) 5. ब्याज करों में कमी; 6. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण; 7. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड; 8. कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम को कृषकों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें परिवर्तन; 9. समेकित खाद्य कानून; 10. भंडारागार अभिप्राप्ति अधिनियम जिससे भंडारागार अभिप्राप्तियां विक्रेय हुंडी हो गई हैं इससे मजबूरन बिक्री को रोकने में मदद मिलेगी; 11. 100,000 ग्रामीण कृषि सेवा केन्द्रों के माध्यम से ज्ञान संपर्क।"

इस प्रकार, स्वामीनाथन समिति ने माना है कि कृषि में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्षों में इस सरकार ने ग्यारह बड़े कदम उठाए हैं।

उसमें ब्याज दरों का भी जिक्र किया गया था। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है मैं उसे उद्धृत करता हूं: ऋण और बीमा के बारे में, पैरा 1.5.6.1 में कहा गया है:

> "ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के विस्तार और उसकी कार्यकुशलता में सुधार की आवश्यकता है। वित्तीय सेवाएं उचित ब्याज दर पर समय पर और अपेक्षित मात्रा में मिलनी चाहिए। ब्याज दर यथासंभव न्यूनतम होनी चाहिए।"

[श्री पी. चिदम्बरम]

स्वामीनाथन रिपोर्ट में यही बात कही गई है। हम तीनों मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। हम अधिक से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह सुविधा औसतन एक वर्ष में 65 लाख किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। हमने ऋण की मात्रा में भी वृद्धि की है। मैंने ये आंकड़े भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करते समय तीन दिन पूर्व ही दिए हैं। ऋण की राशि 84,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,05,000 करोड़ रुपये कर दी गई हैं। इस वर्ष मैने 2,25,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उचित ब्याज की दर से 2,25,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य से भी आगे निकल जाएंगे। मैं ब्याज मुक्त ऋण देना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में यह संभव नही है। राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान, ब्याज दर 9.5 प्रतिशत थी; जब हम सत्ता में आए तो हमने इसे 9 प्रतिशत कर दिया और उसके दो वर्ष बाद हमने इसे कम करके सात प्रतिशत कर दिया। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि मेरे दिमाग में कोई ब्याज दर है तो वह कृषि ऋणों की ब्याज दर है। मैं इस दिशा में भरसक प्रयास करूंगा लेकिन मैं कोई वादा नही कर सकता, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से ब्याज दरों को यथासंभव कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, कृषि जोखिम निधि का भी कुछ जिक्र किया गया है। जैसे कि आप जानते है कि यह रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है। इसमें कृषि जोखिम निधि का जिक्र किया गया है। मैं आपको केवल, एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

> "बार-बार होने वाली सूखा और मौसम के अन्य प्रकोपों से उत्पन्न जोखिमों से किसानों को बचाने के लिए एक कृषि जोखिम निधि की स्थापना की जानी चाहिए।"

यह सब रिपोर्ट में कहा गया है। इसलिए इसकी जांच कृषि मंत्रालय करेगा। मंत्रालय एक नीति बनाएगा और तब सरकार इस मुद्दे का निश्चित रूप से हल निकालेगी। ऐसा नहीं है कि हम इस सिफारिश से अनभिज्ञ हैं; हम इससे भिज्ञ हैं। लेकिन इसे नीतिगत रूप दिया जाना चाहिए।

श्री रामकृपाल यादव और अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने कहा: ठीक है सरकार धन दे रही है; योजनाओं की घोषणा कर रही हैं? लेकिन उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। महोदया, इसके बचाव में मैं कह सकता हूं कि हम बहुत बड़ी धनराशि दे रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में अभूतपूर्व धनराशि दी गई है। मैंने 'अभूतपूर्व' शब्द का प्रयोग भली भांति सोच समझ कर किया है।

मैं आपको दो प्रकार के आंकड़े देता हूं। राजग सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष यह कोई आलोचना नही है बल्कि यह एक सच्चाई है- और संप्रग सरकार के कार्यकाल के चौथा वर्ष अर्थात वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की तुलना कीजिए। वर्ष 2003-04 में कृषि के लिए 3,262 करोड़ रुपये दिए गए और इस वर्ष 8,090 करोड़ रुपये दिए गए; वर्ष 2003-2004 में शिक्षा के लिए 7,024 करोड़ रुपये दिए गए थे और इस वर्ष 28,672 करोड़ रुपये दिए गये। यह लगभग चार गुना है। ...*(व्यवधान)* कृपा मेरी बात सुनिए। अब मैं मुद्रा स्फीति का जिक्र करता हूं मैं इसे भिज्ञ हूं। मैं राजग के कार्यकाल के दौरान मुद्रा स्फीति और 1979-80 में मुद्रा स्फीति के आंकड़ें पढ़ूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यदि आप इन आंकड़ों की तुलना स्वर्गीय श्री पी. वी. नरसिंहराव के प्रधानमंत्रित्व काल के आंकड़ों से करें तो आप भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: बिल्कुल ठीक, और इसमें कोई संदेह नही है, इसलिए मैंने कहा था 'श्री स्वाई, यह कोई आलोचना नहीं है और यह तथ्यात्मक ब्यौरा है, स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2003-04 में 6,983 करोड़ रुपये दिए गए थे और इस वर्ष 14,384 करोड़ रुपये दिए गए हैं. पेयजल के लिए वर्ष 2003-04 में 2,750 करोड़ रुपये दिए गए थे और इस वर्ष 7,560 करोड़ रुपये दिए गए हैं; सड़क परिवहन के लिए 2003-04 में 7,236 करोड़ रुपये दिए गए थे और इस वर्ष 14,066 करोड़ रुपये दिए गए हैं; यदि आप कुछ विशेष योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ब्यौरा दे सकता हूं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, सर्व शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2003-04 में 1,951 करोड़ रुपये दिए गए और चालू वर्ष के दौरान 10,671 करोड़ रुपये दिए गए; ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए वर्ष 2003-04 में 4,986 करोड़ रुपये दिए गए और इस वर्ष 14,800 करोड़ रुपये दिए गए है; प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए वर्ष 2003-04 में 2,320 करोड़ रुपये दिए गए और इस वर्ष 6,789 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

अत: कोई भी यह नहीं कह सकता कि धन नहीं दिया जा रहा है, वस्तुत: विकास के चलते और माननीय सदस्यगणों से मेरी यह अपील है कि आप हर एक पर दोषारोपण कीजिये और मैं अपनी क्षमता के अनुरूप उत्तर दूंगा परन्तु विकास पर दोषारोपण मत कीजिए। विकास का हमारी समस्याओं से क्या लेना देना है? कृपया स्वयं विकास पर दोषारोपण न करें। विकास वह झरना है जहां से यह सारा धन आता है और विकास वह झरना है जहां से यह सारा राजस्व आता है यदि अर्थव्यवस्था चार या पांच प्रतिशत की दर से बढ़ती तो यह धन प्रदान नही किया जा सकता। यह धन इसीलिए प्रदान किया जा सका है क्योंकि अर्थव्यवस्था लगभग नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। विकास पर दोष मत लगाइए। विकास के बाद यदि सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति में समस्याएं आती हैं तो, निश्चित रूप से यह सही आलोचना है।

इस धनराशि पर निगाह डालिए जो हमने राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई है। चालू वर्ष 2007-08 में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, 1,42,450 करोड़ रुपये होगा। गैर-योजनाकाल अनुदान और ऋण 38,498 करोड़ रुपये होंगे, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 46,609 करोड़ रुपये होगी। केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता राशि 21,880 करोड़ रुपये होगी। यदि राज्यों के हिस्से में आने वाले करों की राशि 142,000 करोड़ रुपये रहती है और यदि केन्द्र सरकार अनुदान और ऋण के रूप में और 1,06,000 करोड़ रुपये दे देती है तो इस वर्ष राज्य सरकारों को कुल 2,50,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम केन्द्रीय योजना के अंतर्गत राज्यों, जिला स्तर के स्वायत्तशासी निकायों को सीधे 49,607 करोड़ रुपये दे रहे हैं, इसके बाद निश्चित रूप से राज्यों को एन.एस.एस.एफ. उपलब्ध होगा। अत: राज्यों के सम्मुख धन की कोई समस्या नहीं है। मैंने बार-बार कहा है कि काफी धनराशि उपलब्ध है, चौदह तारीख को सरकारी धन का नकद शेष लगभग 39,000 करोड़ रुपये है, जैसा भी है, वह यही है।

एक अन्य आलोचना यह की गई है कि हमारी सड़कें शीघ्रतापूर्वक क्यों नहीं बन रही है; राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्यों को हासिल क्यों नहीं किया गया है; जैसा कि आपने कहा था कि पेयजल अधिकाधिक गांवों तक पहुंचेगा तो पर क्यों नही पहुंच रहा है, विद्युत संयंत्रों की स्थापना में विलंब क्यों हो रहा है, उर्वरक सहायता के लोगों तक पहुंचने में विलंब क्यों हो रहा है? ये आलोचनाएं उचित हैं। लेकिन इनका धन उपलब्ध कराए जाने से कोई सरोकार नहीं है। धन उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि कोई प्रशासनिक या संस्थागत या व्यवस्थागत रूकावटें है तो इन्हें दूर किया जाना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं: क्या आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए धन उपलब्ध कराया है? कृपया मुझे बताएं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, कृपया इनसे कहिए कि बीच में व्यवधान न डालें। मैंने इनकी बात में व्यवधान नहीं डाला था। इसलिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है ...*(व्यवधान)* श्री स्वाईं कृपया बैठ जाइए ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहता। इन्हें मुझे मेरा भाषण पूरा करने देना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

इसलिए मैं केवल यह कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 9 प्रतिशत है। थोक मूल्य सूचकांक घटकर 4.05 पर आ गया है। बड़ी मात्रा में राजस्व सृजित किया गया है। इस राजस्व का आबंटन विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मंत्रालयों और राज्यों को किया गया है। हां, प्रत्येक सरकार भारत के लोगों और संसद के प्रति उत्तरदायी है कि कार्य शीघ्रतापूर्वक क्यों नही हो रहे हैं; परिणाम अधिक कार्यकुशलता पूर्व से क्यों नही निकल रहे है; वास्तविक लक्ष्यों को हासिल क्यों नहीं किया जा रहा है; केवल इसी उद्देश्य से हमने परिणामी बजट की संकल्पना प्रस्तुत की थी। प्रत्येक मंत्रालय संसद के समक्ष मई या किसी अन्य महीने में परिणामी निष्पादन बजट प्रस्तुत करता है। मैं माननीय सदस्यगणों से परिणामी बजट का अध्ययन करने का अनुरोध करता हूं। यदि परिणामी बजट में कुछ कमियां पाई जाती है तो मेरे विचार से यह आपका अधिकार है और यह आपका कर्त्तव्य बनता है कि आप इस मंत्रालय या विभाग से प्रश्न पूछें कि ये लक्ष्य हासिल क्यों नही किए जा रहे हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम वृहत अर्थव्यवस्था का इस प्रकार प्रबंधन कर रहे हैं कि वृद्धि हो, राजस्व की प्राप्ति हो और धनराशि का समुचित रूप से आबंटन किया जाए।

मैं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में उत्तर देना चाहूंगा। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को हमने दो वर्ष पूर्व आरम्भ किया था। इसे केन्द्र सरकार के उपक्रमों जैसे एनटीपीसी और एनएचपीसी आदि के माध्यम से बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जा रहा है, इसमें कई अन्य एजेंसियां भी शामिल हैं, यह एक बहुत जटिल कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है लेकिन इस कार्यक्रम के लिए कम धनराशि निर्धारित की गई हमारे विचार से इस कार्यक्रम की लागत का सही अनुमान नहीं लगाया गया था। जब हमने इसे कार्यान्वित किया तो पाया कि गांवों तक बिजली पहुंचाने की लागत मूल अनुमान से अधिक थी क्योंकि इसकी लागत का कम अनुमान लगाया गया था और इसका दूसरा पहलू यह है कि इस कम लागत के कारण कम वित्त पोषण किया गया था। इस बीच इसकी लागत की समीक्षा की गई और इसके लिए अधिक धन की मांग की जा रही है, अत: मैंने वादा किया है कि अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा। अब जबकि अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना गति पकड़ेगी। लेकिन मै इस बात को स्वीकार करता हूं कि पहले इसकी लागत का कम अनुमान लगाया गया और इसके लिए कम धनराशि प्रदान की गई। अब इसकी लागत में संशोधन किया जा रहा है, अनुमानों में संशोधन किया जा रहा है, अधिक धन की मांग की गई है और जब भी इसे कार्यान्वित किया जाएगा, इसके लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: धन्यवाद।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि यह केवल अनुपूरक बजट है ...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि जो सदस्य इस वाद-विवाद में नही बोल पाये हैं उन्हें अतिरिक्त एक करोड़ रुपया दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): एम.पीज. के लिए क्या दिया है?

उपाध्यक्ष महोदय: गोपाल साहब की रिक्वैस्ट का ख्याल रखिये।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के बारे में एक ही बात उठाई गई थी। एन.ए.आई.एस को 1999-2000 में आरम्भ किया गया था। हमने एन.ए.आई.एस. के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है।

वर्ष 1999-2000 में जो भी परिस्थितियां थी वे ही आज भी हैं। फसल की कटाई के लिए जो भी इकाई ली जाती थी वही आज भी ली जाती है तथा जो भी मशीनरी 1999-2000 में भी वह आज भी मौजूद है। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है। परन्तु हमने यह महसूस किया है कि यह कोई स्कीम नहीं है जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए, पिछले दो वर्षों से मैं कह रहा हूं कि एन ए आई एस को संयोजित कर दिया जा रहा है। कृषि मंत्रालय ने संशोधित एन ए आई एस का प्ररूप तैयार किया है। योजना आयोग में इसकी जांच की जा रही है। एक बार संशोधित एन.ए.आई.एस आ जाता है तो हम संशोधित एन.ए.आई.एस को शुरू करेंगे। मैंने इस वर्ष के बजट भाषण में भी यह कहा था।

परंतु जहां तक दावों का संबंध है, मैं स्पष्ट कर दूं कि दावों का निपटारा किया जा रहा है। मैं पिछले तीन वर्षों के आंकड़े देता हूं। वर्ष 2004-05 में कुल दावा राशि 1,198.45 करोड़ रुपये थी, निपटान 1,198.22 करोड़ रुपये था, उस वर्ष केवल 23 लाख रुपये का निपटान शेष रह गया था। वर्ष 2005-06 में, 1,398.06 करोड़ रुपये का दावा था; निपटान 1394.79 करोड़ रुपये था, शेष केवल 3.26 करोड़ था। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि वर्ष 2006-07 में दावा 1273.49 करोड़ रुपये था, अब तक 452.85 करोड़ रुपये का निपटान किया गया है, अन्य दावों पर कार्यवाही की जा रही है क्योंकि वर्ष 2006-07 के दावों का वर्ष 2007-08 में भुगतान किया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: क्या आप ग्राम पंचायत को इकाई मानेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं केवल यह कह रहा हूं कि वर्तमान इकाई पर निर्णय 1999-2000 में किया गया था। हम एन.ए.आई.एस को संशोधित कर रहे हैं। जब हम इसे संशोधित करेंगे, हम सभा में बतायेंगे कि नई योजना क्या है। जिस स्कीम को आज कार्यान्वित किया जा रहा है, उसे 1999-2000 में लाया गया था।

[हिन्दी]

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों (लुधियाना): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं फाइनैंस मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि क्राप लोन के लिये कितना इंटरैस्ट चार्ज किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां बैंक ऑफ इंडिया में 12 परसेंट के हिसाब से फार्मर्स से चार्जेज लिये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: यदि माननीय सदस्य मुझे आज पत्र लिखे कि बैंक ऑफ इंडिया की फलां-फलां शाखा 12 प्रतिशत की दर से फसल ऋण प्रभारित कर रही है तो मैं कल सायं 5.00 बजे से पहले कार्यवाही कर दूंगा। वह गलत कह रहे है। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक रबी व खरीफ मौसम के लिए केवल 7 प्रतिशत फसल ऋण के रूप में प्रभारित कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल 7% कर रहे हैं। हमने सहकारी ऋण प्रदाता संस्थानों को 2% की दर से राजसहायता दी है तथा उनसे 7% की ब्याज की दर प्रभारित करने का अनुरोध किया है। यदि कोई राज्य 7% से अधिक प्रभारित कर रहा है तो संबंधित मुख्य मंत्री की ओर से त्रुटि है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों: डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या कुसूर है, बैंक ही 7 परसेंट से ज्यादा ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: आप आज ही मुझे पत्र लिखिये। कल सायं 5 बजे तक कार्यवाही कर देगें।

महोदय, अनेक राज्यों ने इसके आगे भी राजसहायता दी है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु अतिरिक्त 2% की राजसहायता देता है तथा वहां पर ब्याज की दर 5% है। मेरा विचार है कि कर्नाटक में 5% की दर से ऋण देते हैं। आंध्र प्रदेश 5% या 6% की दर से ऋण देता है। मुझे स्मरण है कि उड़ीसा 6% की दर से ऋण देता है। अनेक राज्यों ने अपनी राजसहायता दी हैं। हम 2% राजसहायता दे रहे हैं तथा राज्य अपनी स्वयं की राजसहायता दे रहे हैं मेरा विचार है कि पंजाब भी 2% या 1% राजसहायता दे

रहा है तथा उन्होंने ब्याज दर कम कर दी है। इसलिए हम 2% राजसहायता दे रहे हैं राज्यों को भी 1 या 2% या कम ब्याज दर की राजसहायता देनी आरम्भ करनी चाहिए। इस मामले पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं।

महोदय, मुद्रा स्फीति पर कुछ कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुद्रा स्फीति मौद्रिक परिकलन है। तथा आप देखेंगे कि आर्थिक परामर्शदात्री परिषद द्वारा प्रकाशित इकोनोमिक आऊटलुक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी जिसका अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया है। मुद्रा स्फीति को ऊर्जा मूल्यों तथा खाद्य मूल्यों का परिकलन कर मापा जाता है। मौद्रिक नीति वास्तव में खाद्य मूल्यों तथा ईंधन मूल्यों को प्रभावित नहीं करती है। कच्चे तेल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। आज कच्चा तेल 7.2 डालर प्रति बैरल है तथा खाद्य मूल्य मांग और आपूर्ति का एक फलन है।

खाद्य मूल्यों पर दबाब होने का कारण, जैसा कि मैंने बताया है, वह गेहूं, चावल और दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में ठहराव होना है। जब तक हम गेहूं चावल तथा दालों का तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं तब तक देश इस दबाव को झेलता रहेगा इसलिए मैंने अनेक मंचों पर कहा है कि भारत की तरह बृहद कोई भी देश आयातित खाद्यान्नों पर निर्भर नहीं रह सकता है। हमें लगभग उन सभी खाद्यान्नों को उगाना होगा जिनकी हमें आवश्यकता है। इसलिए हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरम्भ किया है। इसलिए हम 25,000 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव ला रहे हैं ताकि राज्यों को प्रोत्साहन दिया जा सके। परन्तु अल्पकाल में हमें आयात के माध्यम से निर्वाह करना पड़ेगा, हमें स्टाक में वृद्धि करनी होगी।

परन्तु कोर मूल्य वृद्धि पर ईंधन, खाद्य मूल्यों, को हटा देने पर केवल मौद्रिक नीति के कदमों तथा राजकोषीय कदमों ने प्रभाव डाला है। अब कोर मुद्रा स्फीति नीचे है। जब थोक मूल्य सूचकांक मुद्रा स्फीति 4.05% तक नीचे है तथा हमें थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना होगा। इस देश में मुद्रास्फीति के रिकार्ड पर नजर डाले। वर्ष 1979-80 में डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति 17.1%, 1990-1995 के बीच जब सुधारों की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी औसत मुद्रास्फीति 11% थी। 2004 तथा 2004 के बीच डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति, 4.9 प्रतिशत थी। इस वर्ष भा.रि.बै. विकास दर को ध्यान में रखते हुए 4.5 से 5% के बीच लक्ष्य निर्धारित किया हैं हम मौद्रिक व राजकोषीय और आपूर्ति की ओर के उपाय करेंगे, ताकि डब्ल्यू पी आई मुद्रा स्फीति को 4 से 4.5% के बीच रखा जा सके, आशातीत रूप से इसे 4% के नजदीक रखा जाएगा।

परन्तु आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, दूध तथा तिलहनों का मामला आपूर्ति एवं मांग का मामला है जब तक कि आपूर्ति नही बढेगी, तब तक मूल्यों पर दबाब रहेगा। परन्तु मुझे यकीन है कि यदि आप उचित चर्चा करेंगे, तो कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाये गए कदमों का विस्तार से उत्तर देंगे।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक मामलों का स्वागत करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि इन्हें पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: एम.पी.लैड्ज़ के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। सारे सदन की निगाह आपकी तरफ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ करने का अनुरोध करूंगा ...*(व्यवधान)* वे आज आश्वासन नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आपको केवल प्रधानमंत्री ही आवश्वासन दे सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: यह अगली सरकार करेगी।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष जी, सारे सदन ने इस पर अपनी भावनाएं रखी हैं और पूरा सदन मंत्री जी के साथ है। माननीय मंत्री जी भी अंदर से साथ हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री यादव जी अब बैठ जाइये, माननीय सदस्यों, अनुपूरक मांगों को पारित करने के बाद हमें शून्य काल की कार्यवाही भी करनी है।

अब मैं वर्ष 2007 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) को सभा के मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है कि

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 28, 32, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 52 से 54, 56, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 70, 78, 86, 87, 93, 99, 100 तथा 104 के संबंध में 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में सदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अधिक संबधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सायं 7.35 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 19 लेंगे, श्री पी. चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2007-08 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 20 लेगी। मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करें।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम 'विशेष उल्लेख' पर चर्चा करेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार, विशेष उल्लेख में केवल एक मिनट का समय दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी मंत्री जी एवं माननीय सदस्य सदन से जा रहे हैं हम किसे इंगित करेंगे? संसदीय कार्य मंत्री भी जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इसी सदन से यह पास हुआ और इसे केन्द्रीय स्तर का दर्जा दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मिनी ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, लेकिन जब से इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तब से वहां पर छात्रों की फीस में असंतुलन की स्थिति है। जो तमाम डिग्री कालेज हैं, वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध किए गए हैं। वहां के बच्चों की फीस और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनकी फीस में बड़ा अंतर है। उसे लेकर पूरे विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज के छात्र वहां उद्वेलित हैं और ये लगातार धरना, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कल आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि पुलिस ने बड़े ही बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों पर लाठी चार्ज किया, जिसकी वजह से बहुत से छात्र घायल हुए। उन्हें जेल भेजने का काम भी किया गया।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 22.8.07 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि मानव संसाधन मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। अगर इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है तो तमाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय की सहूलियतें और आर्थिक मदद इन्हें दी जाती है, इसलिए इन छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए।

महोदय, फीस एक सी होनी चाहिए। वह फिक्स होनी चाहिए जिससे जो फीस विश्वविद्यालय के छात्रों से ली जाए वही फीस डिग्री कॉलेज के छात्रों से भी ली जाए। मैं पुन: अपनी बात पर पुरजोर बल देते हुए कहना चाहूंगा कि आप केन्द्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्री को निर्देशित करें कि वे इसमें पहल करें ताकि जो छात्र फीस में विसंगति के कारण उद्वेलित हैं और आंदोलन कर रहे हैं, वे शान्त हों और वहां पठन-पाठन का सिलसिला शुरू हो, जिससे उस विश्वविद्यालय को जो भारत का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है, वह दर्जा बरकरार बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह -उपस्थित नही! अब श्री प्रबोध पाण्डा

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं।

कल, उचित दर की दुकानों के हजारों डीलरों ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री जी के समक्ष 18-सूत्री मांगें रखी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी राज्यों में शुरू किया जाना उनकी प्रमुख मांगों में से एक मांग थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रणाली की समीक्षा करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की मांग भी रखी। आजकल देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिनों दिन चरमरा रही है। सरकार को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकानों की स्थिति बहुत खराब है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मामलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी राज्यों में शुरू करने संबंधी मामलों के लिए एक विशिष्ट आयोग स्थापित किया जाय।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोक सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस समय मौजूदा सरकार का, उत्तर प्रदेश में तीन माह का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन इस सरकार के कार्यकलापों ने प्रदेश में दहशत और भय का माहौल पैदा कर दिया है। पिछले तीन वर्षों और उससे भी पुराने केसों को उखाड़ा जा रहा है और गलत ढंग से मुकदमें दर्ज कर, वारदात दिखाकर राजनीतिक लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखकर पुलिस को बड़ी मात्रा में ले जाकर उनके घरों में तोड़फोड़ करते हैं और उनके बच्चों और रिश्तेदारों को बेइज्जत करते हैं। इसका उदाहरण उ.प्र. के पूर्व गन्ना राज्य मंत्री स्वामी ओमेश जी हैं। ...*(व्यवधान)* भारी पुलिस लेकर उनके आश्रम में घुस गए जहां साधु सन्यासी रहते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुन्शी राम जी द्वारा उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्रीमती जयाबहन बी ठक्कर।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बडोदरा): महोदय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पवई बोर्ड ने गुजरात में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नालाजी गोल्डन जुबली कैम्पस शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भेजा था। मैं इस मामले में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहती हूं।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिल लोगों के प्रिय नेता श्री वैको के नेतृत्व वाली मरूमालार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से बोल रहा हूं।

अप्रैल 2007 के पहले सप्ताह के दौरान परमाणु हथियारों से लैस निमित्ज युद्ध पोत, जो कि अमरीकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, को सात दिनों के लिए चेन्नई पत्तन पर रूकने की अनुमति दी गयी थी। पहली बार परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत को चेन्नई पत्तन के इस्तेमाल की अनुमति दी गयी।

उस समय भारत सरकार के वक्तव्य के बावजूद पोत के अधिकारियों ने पोत में परमाणु हथियारों की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी के बारे में कुछ भी नही बताया।

परमाणु हथियारों से लैस बड़े परमाणु युद्धपोत के चेन्नई पहुंचने के बारे में वहां के लोग बहुत चिन्तित, भयभीत और आन्दोलित थे। परमाणु विकिरण होने की स्थिति में, जिससे मानव स्वास्थ्य स्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है, के भय से अधिकांश लोग भयभीत थे।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है?

डा. सी. कृष्णन: मैं इसके द्वारा केन्द्र सरकार का ध्यान अप्रैल 2007 के पहले सप्ताह के दौरान निमित्ज परमाणु पोत के चेन्नई पहुंचने पर तमिलनाडु के लोगों के भयपूर्ण और दुखद अहसास की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे भयप्रद और दुखद अनुभवों से लोगों का और उनकी सुरक्षा हेतु भविष्य में ऐसी अनुमति देने से बचा जाए।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, राठ तहसील के ग्राम जिगनी में धंसान नदी से एक किलोमीटर पहले ढाई से आठ फीट की चौड़ाई में लगभग दस किलोमीटर तक की धरती अचानक फट गई है, जिसके कारण वहां कि जनता में भय व्याप्त है। इस तरह की घटनाएं ग्राम खण्डेह और ग्राम परछा में भी घटित हुई है। इससे भयभीत होकर वहां के लोग पलायन करने को मजबूर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सर्वेक्षण दल बुंदेलखण्ड के प्रभावित जिलों में भेजकर सर्वेक्षण करवाकर, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की कृपा करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की बोली को भाषा का दर्जा दिए जाने के संबंध में मैं अनुरोध करना चाहूंगा। यह भाषा छत्तीसगढ़ एवं अन्य प्रान्तों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विरासत और कारोबार छत्तीसगढ़ी भाषा में किया जाता है। जिस तरह से केरल की भाषा मलयालम है, तमिलनाडु की भाषा तमिल है, पश्चिम बंगाल की भाषा बंगाली है, राजस्थान में राजस्थानी और गुजरात में गुजराती बोली जाती है एवं उन्हें दर्जा प्राप्त है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बोली को भाषा का दर्जा दिया जाए। लोक सभा और विधानसभा में 13 भाषाओं का अनुवाद किया जाता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बोली का अनुवाद होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा शासकीय संकल्प का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ की भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): महोदय, मैं इस प्रतिष्ठित सभा का ध्यान विमान कम्पनियों द्वारा खाड़ी क्षेत्र के लिए विमान सेवाओं के किराए में हाल ही में वृद्धि किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। विमानों के किराए में हुई इस वृद्धि से अप्रवासी भारतीय विशेषकर केरल में ओणम के त्यौहार के इस अवसर पर खाड़ी देशों से आवागमन करने वाले अप्रवासी भारतीय बहुत प्रभावित हुये हैं। उन्हें अपने परिवारों के साथ रहने का अवसर कभी-कभी ही मिल पाता है और सामान्यत: ऐसा ओणम जैसे त्यौहारों के मौके पर ही हो पाता है कि वे गरीब अप्रवासी भारतीय जो खाड़ी देशो में नौकरी कर रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों पर आ पाते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस दौरान सामान्य की तुलना में दस गुना अधिक यात्री यात्रा करते हैं, विमान कम्पनियों ने अपने किराए में वृद्धि कर दी है। गत वर्ष भी ऐसा ही किया गया था। खाड़ी देशों में रहने वाले गरीब श्रमिकों का धन चूस लेने की इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। गत वर्ष, विमान कम्पनियों ने हज यात्रा के दौरान अपने किरायों में वृद्धि कर दी थी। इस रवैये को रोका जाना चाहिए। वास्तव में दो से चार हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से बढ़ोतरी की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्रीमती पी. सतीदेवी: अत: मैं भारत सरकार विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय से यह अनुरोध करती हूं कि वह इन कम्पनियों को खाड़ी क्षेत्र के लिए किराए में की गई इस बढ़ोत्तरी को वापस लेने का निर्देश दें।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त डा. एम.एस. स्वामीनाथन समिति, जिसका गठन कुट्टानाड में आजीविका संकट ओर वहां 'वेटलैण्ड सिस्टम' की पारिस्थितिकी अनुरक्षण का अध्ययन करने के लिए किया गया था, ने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। पहले भी कुट्टानाड में कृषि की समस्या को लेकर बहुत से अध्ययन कराए गए हैं परन्तु सब व्यर्थ गए। लेकिन कुट्टानाड के लोगों को डा. स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। इस प्रतिवेदन में कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किए जाने की सिफारिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्यारहवीं योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 25000 करोड़ रुपये की घोषणा की है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे डा. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने और कुट्टानाड के लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करें।

***श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों** (लुधियाना): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सभा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

को उठाने का अवसर प्रदान किया, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित बड्डोवाल आयुद्ध डिपो की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बड्डोवाल आयुद्ध डिपो की स्थापना लुधियाना से 12 किलोमीटर की दूरी पर की गयी थी, तथापि इस शहर की आबादी बढ़ने के साथ इसका विस्तार भी होता गया और बड्डोवाल डिपों लुधियाना का हिस्सा बन गया और आज यह शहर के बीचों बीच स्थित है। इस प्रकार अब इस आयुद्ध डिपो के आसपास रहने वाली जनसंख्या को लगातार इससे खतरा बना हुआ है।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कश्मीर के अनंतनाग के खुन्डु में स्थित सैन्य आयुध डिपों में 11 अगस्त को अचानक विध्वंसक आग लग गई। इस आग और विस्फोटों से कम से कम 18 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 20 से 25 लोग बुरी तरह से घायल हुए। इसी प्रकार, भरतपुर आयुध डिपो में लगी आग से भी जान-माल की भारी हानि हुई थी।

महोदय, बड्डोवाल आयुध डिपो में भारी विस्फोटक बम और अन्य हथियार तथा गोला-बारूद रखा गया है लुधियाना में इस आयुध डिपो के आसपास रहने वाले 40 लाख लोगों की जान और माल भारी खतरे में है। यदि यहां आग लग गई तो बड़े पैमाने पर मृत्यु और तबाही होगी।

महोदय, लुधियाना के लोग बारंबार यह मांग करते आ रहे है कि बड्डोवाल आयुध डिपो को कहीं और स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपको यह सूचना भी देना चाहता हूं कि इस डिपो के आसपास की जमीन का मूल्य 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है जबकि यदि इसे कहीं और स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक जमीन का मूल्य केवल 10 लाख रुपये प्रति एकड़ है। अत: सरकार और रक्षा मंत्रालय को वर्तमान में वित्तीय हानि भी हो रही है। इसके अतिरिक्त लुधियाना एक मेट्रोशहर है व इसे कही और स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

अत: मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह लुधियाना के लोगों की इस जायज मांग को स्वीकार करे और बड्डोवाल आयुध डिपो को शीघ्रतापूर्वक कही और स्थानांतरित करे जिससे कि लुधियाना के 40 लाख लोगों का जीवन सुरक्षित बनाया जा सके आपका धन्यवाद।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कन्नड़ भाषा को एक क्लासिकल भाषा का दर्जा देने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।)

महोदय, कन्नड़ भाषा का 2000 वर्षों से भी अधिक का लंबा इतिहास रहा है और इसे देश में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरूस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले है। कर्नाटक के लोग गत 4 वर्षों से लगातार कन्नड़ को 'क्लासिकल' भाषा का दर्जा देने की मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए पूरे राज्य में प्रदर्शन और आंदोलन हुए हैं। साढ़े छह करोड़ कन्नड़ भाषी लोग कन्नड़ को 'क्लासिकल' भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।

मैं इस प्रतिष्ठित सभा में कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी और संस्कृति मंत्री श्री एच.एम. महादेव प्रसाद दोनों माननीय प्रधानमंत्री, संस्कृति मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री से मिलकर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं, कन्नड़ भाषा को 'क्लासिकल' भाषा का दर्जा देने के समर्थन में कर्नाटक राज्य सरकार ने कन्नड़ भाषी लोगों के एक लाख हस्ताक्षरों वाली एक पुस्तिका सहित सभी आवश्यक ब्यौरा भेज दिया है

लेकिन यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि भारत सरकार ने इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और इस मामले को गति प्रदान करने में अनावश्यक विलंब कर रही है। इस वर्ष कर्नाटक सरकार 'सुवर्ण कर्नाटक वर्ष' मना रही है। अत: मैं सरकार से एक नवम्बर 2007 को या उससे पूर्व कन्नड़ भाषा को 'क्लासिकल' भाषा का दर्जा दिए जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री हितेन बर्मन (कूचबिहार): उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जूट उत्पादकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जूट उत्पादक इस समय जे.सी.आई. के माध्यम से जूट की बिक्री की समस्या से जूझ रह हैं। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में भी जूट मुख्य नकदी फसल है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में 40 लाख जूट उत्पादक परेशान हैं।

इस वर्ष सरकार ने जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी जो गरीब जूट उत्पदकों के लिए उचित मूल्य नहीं है। जूट उत्पादक कम कीमत पर अपनी फसल बिचौलियों को बेच देते हैं। जे.सी.आई. की सरकारी एजेंसी ने अपने केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जूट की खरीद शुरू की थी। लेकिन जे.सी.आई ने वाणिज्यिक दर पर जूट की खरीद नही की थी।

मेरे चुनाव क्षेत्र कुचबिहार में किसान पिछले महीने से ही अपना जूट मजबूरन बिचौलियों को बेचते रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सीधे किसान से वाणिज्यिक दर पर तत्काल जूट खरीदने के लिए जे.सी.आई. को निर्देश दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के जनपद झांसी के अंतर्गत एक तहसील गरौठा है। गरौठा के अंतर्गत एक गुरसरांय नगर है। गुरसरांय नगर के नगरवासी पानी, बिजली और सड़क के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे थे। 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक उन्होंने अनशन किया। जिला प्रशासन ने उनकी सारी मांगों को मान लिया, लेकिन बाद में जानकारी हुई कि जिला प्रशासन ने वहां के नगरवासियों के खिलाफ एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया है, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ नामजद और 3 सौ लोगों अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वह गुरसरांय थाने में दर्ज किया गया है, उसका अपराध संख्या है-269-2007 है, जो धारा 147, 331, 341 आईपीसी व अन्य 7 अपराधों के तहत दर्ज किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि शांतिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया है, उसे तुरंत वापस लें।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के बीना में भारत सरकार के द्वारा बीना रिफाइनरी का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह रिफाइनरी जब प्रारम्भ हुयी थी, तब इसकी लागत साढ़े 7 हजार करोड़ रुपये थी, लेकिन इसमें देरी होने के कारण आज इसकी कास्ट लगभग 10 हजार करोड़ के आसपास पहुंच गयी है। उसमें काम करने वाले मजदूरों का जी-तोड़ परिश्रम करने के बाद भी, बहुत शोषण किया जा रहा है। उनसे निर्धारित समय से ज्यादा काम लिया जा रहा है। सुबह साढ़े 8 बजे वे आते हैं, शाम साढ़े 7 बजे जाते हैं और उनको निर्धारित मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा जो बोर्ड पर मजदूरी लिखी जाती है, वह मजदूरी उन्हें न देकर, उनको निर्धारित दर से कम मजदूरी दी जा रही है। उनको हेल्मेट नहीं दिए जा रहे हैं, गमबूट नहीं दिए जा रहे हैं और जूते नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों के घायल होने की घटनाएं होती रहती है। पिछले बजट सत्र के दौरान मैंने वहां की एक घटना को उठाया था जिसमें एक निर्माणधीन दीवार के गिरने से एक महिला मजदूर की वहां मृत्यु हो गयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीना रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए। निर्धारित दरों पर मजदूरों को संरक्षण प्रदान करके, काम के समय के अनुसार उनको मजदूरी दी जानी चाहिए। उनके साथ हो रहे शोषण को रोका जाए, ज्यादा काम करने पर उनको अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाए और मजदूरों की सुरक्षा संबंधी उपकरण एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता करायी जाए।

रात्रि 8.00 बजे

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र अर्थात गुजरात के कच्छ जिले से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो सीमा पर अत्यधिक महत्वपूर्ण गाधूली-संतालपुर सड़क के निर्माण से संबंधित है, उठाना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने गांधूली-हजपुर-खवादा-संतालपुर से गुजरने वाली सीमावर्ती सड़क जो कच्छ तथा बनासकठा जिलों को जोड़ती है तथा जिसकी कुल लम्बाई 151.7 किलोमीटर है के निर्माण/सुधार का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार कार्य शुरू करने की स्थिति में होगी जिसकी अनुमानित लागत 84.95 करोड़ रुपये है जिसे बाद में संशोधित करके 127.119 करोड़ रुपये किया गया। प्रस्तावित कार्य शुरू होने के दिन से 12 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। 151 किलोमीटर लम्बाई की इस सड़क की जरूरत बृहद कच्छ के रन के सामने के क्षेत्र में अभी तक अनुपलब्ध सम्पर्क को जोड़ने के लिए है जिससे इस क्षेत्र में हमारी सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उनकी गतिशीलता और पहुंच को बढ़ाया जा सके।

महोदय, यह सड़क घौलविरा स्थल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। घौलाविरा के इस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल को हड़प्पा युग का विरासत स्थल घोषित किया गया है। जो पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। खावदा-घौलाविरा सड़क के निर्माण से पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी क्योंकि इसके द्वारा पर्यटक युग से वहां आसानी से पहुंच पायेंगे जो कच्छ जिला का मुख्यालय है। इस समय बचाऊ और रापड़ से होते हुए भुज शहर से इस स्थान तक पहुंचने में करीब आधा दिन लग जाता है। खावदा से घौलाविला तक वे उपर्युक्त मार्ग के बन जाने से खावदा-कुनारिया-घौलाविरा होते हुए गुज से घौलाविरा 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इससे पर्यटकों के लिए घौलाविरा का दौरा कर उसी दिन भुज लौट आने में मदद मिलेगी। इस सड़क के निर्माण से वहां आना जाना बहुत आसान हो जाएगा।

इससे सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए भी महीने भर के लिए पेयजल इकट्ठा करके रखने के बजाए प्रति दिन ताजा पानी

ले जाना आसान हो जाएगा। एक बार यदि सड़क बन जाती है तो सड़क के साथ-साथ पानी की पाइप भी बिछाई जा सकती है। इससे टैंकरों द्वारा रोज पानी पहुंचाने पर आने वाला खर्च भी कम करने में मदद मिलेगी।

इसलिए मैं गुजरात सरकार द्वारा भेजे गये संशोधित अनुमानित लागत 127.119 करोड़ रुपये को यथा शीघ्र अनुमोदित करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, मेरे विचार से आपको पहली बार मौका मिला है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं यह बात दोहराता हूं कि केरल में मुख्यालय के साथ ही एक नया रेलवे जोन बनाया जाना चाहिए। यह बहुत लम्बे समय से मांग हो रही है। इसलिए यह न केवल उचित है कि पायलट डिवीजन को दो भागों में बांटकर केरल में एक नया जोन बनाया जाए बल्कि दो पड़ोसी राज्यों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए राष्ट्रहित में भी इसे अवश्य ही स्वीकृति मिलनी चाहिए। इसलिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार को राज्य के लोगों में भविष्य में अस्वस्थ परंपरा को रोकने के लिए केरल राज्य में एक नया जोन बनाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से पुन: एक बार सरकार से अपील करता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य इनके साथ ऐसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपना नाम टेबल पर दे दें।
[अनुवाद]

श्रीमती पी. सती देवी, डा. के.एस. मनोज, श्रीमती सी.एस. सुजाता और श्री सी.के. चन्द्रप्पन को सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, जीवन बीमा निगम अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। निश्चित रूप से यह गौरव और खुशी की बात है कि सभी तरह की परेशानियों के बावजूद जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारी निगम को सतत उत्तम निष्पादन सुनिश्चित करने, राष्ट्रीयकरण के इसके प्रतिबद्ध उद्देश्यों को पूरा करने, राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में मदद करने और सामाजिक कल्याणकारी उपाय करने तथा सार्वजनिक बचत की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बधाई और अभिवादन के पात्र है।

मुझे यह नोट करके खुशी है कि इस अवसर को मनाने के लिए जीवन बीमा निगम ने अपने सेवारत कर्मचारियों को सोने का सिक्का वितरीत किया है तथा जीवन बीमा निगम की शानदार सफलता में अपने क्लब सदस्यों के योगदान को स्वीकर करते हुए इसने उन्हें अनुग्रह राशि प्रदान की है। उनको पुरष्कृत करने की जीवन बीमा निगम के निर्णय की मैं सराहना करता हूं लेकिन साथ ही मैं उन लाखों एजेंटों की भूमिका का अभी उल्लेख करना चाहता हूं जिन्हे कोई पुरस्कार नही दिया गया जो इस विशाल वित्तीय संस्थान के आधार स्तंभ है। पूरे देश में छोटी-छोटी बसावटों, गांवों, कस्बों, शहरों नगरों और महानगरों में कार्यरत इन एजेंटों के योगदान को कम करके नहीं देखा जा सकता। यह उनके ही कठिन श्रम का परिणाम है कि जीवन बीमा निगम के पास इतनी अपार परिसम्पतियों का भंडार है। इसलिए वे भी पुरस्कार के पात्र है और उन्हें पुरस्कार से वंचित नही किया जाना चाहिए।

पुन: यह भी दुखद है कि विभिन्न स्तरों पर क्लब के सदस्यों को पुरस्कृत किया गया है, जबकि उनमें से काफी लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है। कृपया अपनी मांग रखिये।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन: महोदय, यह स्वाभाविक रूप से उनको हतोत्साहित करेगा जो छूट गए हैं और उन्हें सामान्य होने के लिए किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नही करेगा। इस भेदभाव से बचने के लिए आवश्यक है कि उन्हें भी उचित अनुग्रह राशि प्रदान की जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन एजेन्टों को भी यह अधिकार देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के बहुत से निवासी अपने पड़ोसी देश नेपाल राष्ट्र की सीमा में रहते हैं और कारोबार करते हैं। उन्होंने और नेपाल के बहुत से नागरिकों ने भारत-नेपाल मंत्री संघ के माध्यम से दिल्ली से काठमांडू तक अंतर्राष्ट्रीय बस यातायात सेवा प्रारंभ करने के लिए आग्रह किया है क्योंकि इन लोगों को व्यापार तथा अन्य कई कारणों से हिन्दुस्तान और नेपाल के बीच आना जाना पड़ता है।

अत: मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में पहल करते हुए सारी औपचारिकताएं जल्दी पूरी कराकर दिल्ली के काठमांडू के बीच बस यातायात सेवा वाया गौरी फंटा घनगढ़ी, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, वहां से चालू कराने की मेहरबानी करें।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में जो मुद्दा उठा रहा हूं वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को संबंधित मंत्री महोदय तक पहुंचा दें।

आंध्र प्रदेश से 10 लाख से अधिक लोग काम की खोज में संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में चले गए हैं। उनमें से कुछ पर्यटक वीजा पर और नौकरी वीजा पर गए हैं। हाल ही मैं संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों की सरकारों ने इन लोगों को वापस उनके मूल स्थान पर भेजने का निर्णय लिया है और इस कार्य के लिए समय सीमा सितंबर 2007 तक निर्धारित की गई है। आंध्र प्रदेश से लगभग दो लाख लोग संयुक्त अरब अमीरात और अन्य पड़ोसी देशों में रह रहे हैं और वे उन्हें वापस आंध्र प्रेदश भेजना चाहते हैं।

हम भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह उन देशों से उन व्यक्तियों के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए कहे क्योंकि वे अत्यंत गरीब लोग है। उनके पास वापसी के लिए पैसा नही है। इसलिए भारत सरकार-आंध्र प्रदेश सरकार से विचार-विमर्श करके संयुक्त अरब अमीरात और अन्य पड़ोसी देशों की समय सीमा बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों को समय सीमा बढ़ाने के लिए कहे। उन्होंने बिजली की लाइनें हटा दी हैं और वे उन्हें हॉस्टलों से निकाल रहे हैं। उस परिदृश्य में मैं भारत सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि वह संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों से समय सीमा बढ़ाने के लिए कहे और उनकी सकुशल वापसी के लिए उन्हें मुफ्त टिकट भी दे। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही विदेश मंत्री को एक पत्र लिख चुके हैं और एक टीम संयुक्त अरब अमीरात भेजी जा चुकी है। यह मेरा विनम्र आग्रह है।

श्री सी.के चन्द्रप्पन (त्रिचूर): यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। वस्तुत: यह शर्म की बात है क्योंकि भारत 60 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ था लेकिन हजारों स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिन्हें आज भी पेंशन नही मिल रही जबकि यह उनको देय है। मेरे राज्य केरल में, 1945-46 में 3-4 महत्वपूर्ण संघर्ष हुए अर्थात पुन्नापरा-वायालार संघर्ष, कय्यूर संघर्ष और इससे भी काफी पहले हुए -कावूम्पाई संघर्ष और अन्य संघर्ष।

इसके अलावा, यदि आप आंध्र प्रदेश का मामला लें तो वहां तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष हुआ। कुछ नौकरशाही आधारों पर इन लोगों को उनकी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं दी जा रही है। यह अत्यंत अनुचित है क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनके बलिदान के कारण ही हम यहां बैठे हैं और संसद सदस्यों के रूप में अपने कर्त्तव्य का वहन कर रहे है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सरकार से कहें कि वह इन मामलों को नौकरशाही की मर्जी पर छोड़ने के बजाय संसद सदस्यों की एक समिति गठित करे। यह समिति स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के समूचे मामले की जांच कर सके और यदि ये मामले एक निर्धारित समय सीमा, मान लीजिए एक वर्ष के अंदर निपटाए जा सकें तो यह उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बहुत बड़ा न्याय होगा।

मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसा करेगी और मैं यह भी आशा करता हूं कि इस उद्देश्य के लिए आप भी अपने कार्यालय के प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं श्री चन्द्रप्पन द्वारा इस सभा में उठाए गए मुद्दों से स्वयं को संबद्ध करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से उन लोगों की बात सदन के सामने रखना चाहता हूं जिनकी संख्या देश में 15 करोड़ के आस-पास है। ऐसे करोड़ों लोग जिनके पास राशनकार्ड नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिनके पास अपना मकान नही है, यहां तक कि उनके पास अपना गांव भी नहीं है और अगर गांव है तो उसका कोई नाम नहीं है। देश में ऐसे 15 करोड़ लोग रहते हैं जिनको डिनोटीफाइड एण्ड नोंमेडिक ट्राइब्स कहा जाता है।

महोदय, वर्ष 1952 से 1957 के बीच उनके लिए बजट प्रावधान था। जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू बाबा साहब डा. अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इन पर ध्यान दिया था। लेकिन उनके बाद मुझे नही लगता कि देश में किसी का ध्यान उन पर गया है। पिछली बार हमने श्री अटल जी का ध्यान इस ओर दिलाया था और उन्होंने इसके लिए एक कमीशन भी बैठाया था। लेकिन अब वह कमीशन भी खत्म कर दिया गया है और अभी तक उनके लिए कुछ भी प्रावधान नही किया गया है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाए। इन लोगों को कांस्टीटयूशन के दायरे में लाने की जरूरत है। जिस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए संविधान में प्रावधान हैं, उसी तरह के प्रावधान इन ट्राइब्स के लिए भी होने चाहिए। आज देश में ऐसे 15 करोड़ लोग हैं, जो दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात पहले ही कह चुके हैं।

श्री हरिभाऊ राठौड़: महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जिस प्रकार से संविधान में एस.सी., एसटी और ओबीसी के लिए प्रावधान है, उसी तरह से इनको भी संविधान का प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। जब तक संविधान में प्रावधान करके आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनकी प्रगति होना मुश्किल या नामुमकिन है। ऐसे लोगों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ऐसा होगा कि वे इस देश के नागरिक कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, ओणम केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सभी जाति और धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष हम ओणम अगस्त के अंतिम सप्ताह में मना रहे हैं। वस्तुत: लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उत्सव के मुख्य दिन, 27 अगस्त को संसदीय अवकाश घोषित किया गया है।

इस अवसर पर भारत सरकार प्रतिवर्ष जब वितरण प्रणाली आबंटन के अलावा अतिरिक्त खाद्य सामग्री आबंटित करती है। इस वर्ष राज्य को वायरल बुखार और प्राकृतिक आपदाओं जैसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, और राज्य सरकार को इन आपदाओं से प्रभावित अनेक लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ा था। इसलिए इस वर्ष ओणम पर्व के अवसर पर उत्पन्न आवश्कता पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री का आबंटन आवश्यक है।

कृषि राज्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, भारत सरकार ने केवल 22,000 मीट्रिक टन चावल और 8,000 मीट्रिक टन चीनी का आबंटन किया है। वस्तुत: 71 लाख राशन कार्ड धारकों में प्रत्येक को 10 कि.ग्रा. अतिरिक्त चावल देने के लिए केरल सरकार ने 71000 मीट्रिक टन चावल की मांग की थी।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं मांग करता हूं कि राज्य त्यौहार के अवसर पर, अतिरिक्त आवश्यकता के मद्देनजर सभी 71 लाख राशन कार्ड धारकों में से प्रत्येक को 10 किलोग्राम अतिरिक्त चावल और 5 किलो ग्राम अतिरिक्त गेहूं देने के लिए केन्द्र 71000 मीट्रिक टन चावल और 35,500 मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन करे।

केरल नकदी फसलों और मसालों का उत्पादन करता है। जिससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही यह प्रतिबद्धता है कि केन्द्रीय पूल से केरल को पर्याप्त खाद्य सामग्री प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: अपनी मांग रखने के स्थान पर आप भाषण दे रहे हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मेरी मांग है कि इस त्यौहार के अवसर पर केरल को पर्याप्त चावल, गेहूं और चीनी का आंबटन किया जाए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं अपने आप को उससे संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं भी अपने आप को उससें संबद्ध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार दुर्घटनाओं के चलते हर रोज मौतें हो रही हैं, लोग दुर्घटना स्थलों में तड़पते-तड़पते जान गंवा रहे हैं, जबकि केन्द्रीय सड़क सुरक्षा नियमों के तहत प्रति 50 किलोमीटर में एंबुलेस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के अंदर किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग में कहीं दूर-दूर तक एंबुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलों में दीवार नहीं हैं, रेल क्रांसिग पर ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज नहीं हैं, सड़कें गढ्ढों में समा गयी हैं। हर वर्ष सड़क दुर्घटना का औसत बढ़ रहा है, जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं है। श्री साहिब सिंह वर्मा, श्री राजेश पायलट, श्री के.पी. सिंह सहित कई महत्वपूर्ण लोगों की जान चली गयी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर 18 मई को दीवार-विहीन पुलिया में मेरा एक कार्यकर्ता दिलीप तिवारी अमदरा के पास साईकिल से जाते समय, ट्रक की क्रासिंग की वजह से गिर गया और रातभर वहां पड़े रहने के कारण मृत्यु का शिकार हो गया। यदि मोबाइल एंबुलेंस या पास में कोई सूचना केन्द्र होता तो शायद उस कार्यकर्त्ता की जान बचाई जा सकती थी। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 सतना से रीवां मार्ग पर हर रोज कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती ही रहती है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क सुरक्षा के तत्काल उपाय किए जाएं, जिससे लोगों को असमय मौत से बचाया जा सके। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक सात पर मैहर के रेलवे क्रासिंग पर ओवर एंड अंडर ब्रिज का तत्काल निर्माण कराया जाए। साथ ही नेशनल हाइवे-75 में सतना शहर में बाइपास बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.16 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 23 अगस्त 2007/ 1 भाद्रपद, 1929 (शक) को पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री जे.एम. आरून रशीद डा. अरूण कुमार शर्मा	141
2.	श्री रघुवीर सिंह कौशल	142
3.	श्रीमती के. रानी	143
4.	श्री किन्जरपु येरननायडु	144
5.	श्री सूरज सिंह श्री अबु अयीश मंडल	145
6.	श्री अनंत गुढे श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	146
7.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील श्री असादूद्दीन ओवेसी	147
8.	श्री रशीद मसूद	148
9.	प्रो. प्रेम कुमार धूमल	149
10.	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	150
11.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	151
12.	श्री कीरेन रिजीजू श्री धर्मेन्द्र प्रधान	152
13.	श्री संतोष गंगवार	153
14.	श्री रामदास आठवले श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	154
15.	श्री पी.सी. गद्दीगउडर	155
16.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	156
17.	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	157
18.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री निखिल कुमार	158
19.	श्रीमती पी. सती देवी	159
20.	श्री सनत कुमार मंडल श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम	1466
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1398, 1493
3.	आदित्यनाथ, योगी	1414, 1504
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1418, 1462, 1513, 1556
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1416
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1342, 1360, 1448, 1527, 1565
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1365, 1503
8.	आठवले, श्री रामदास	1365, 1469, 1539
9.	'बाबा' श्री के.सी. सिंह	1390, 1485, 1553
10.	'बचदा' श्री बची सिंह रावत	1494
11.	बारड़ श्री जसुभाई धानाभाई	1387, 1412, 1502, 1559
12.	बर्मन श्री हितेन	1348
13.	बर्मन श्री रनेन	1363, 1365,1449
14.	बखला, श्री जोवाकिम	1357
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	1356, 1445, 1467, 1524
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1417
17.	भगोरा, श्री महावीर	1404, 1498, 1515
18.	भक्त, श्री मनोरंजन	1403, 1496
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1355
20.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1343, 1350, 1446, 1525

1	2	3
21.	बोस, श्री सुव्रत	1395
22.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1414, 1540
23.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1471, 1541
24.	चन्द्रप्पन श्री सी.के.	1566
25.	चावड़ा श्री हरिसिंह	1376
26.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1394, 1488
27.	चौधरी, श्री पंकज	1405, 1499
28.	चौधरी, श्री अधीर	1374, 1489, 1542, 1554
29.	देवरा, श्री मिलिन्द	1339, 1435, 1530
30.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1380, 1463, 1560
31.	धोत्रे , श्री संजय	1351. 1428, 1514
32.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	1440, 1531
33.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	1434
34.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1379, 1495
35.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1371, 1454
36.	गद्दीगउडर श्री पी.सी	1470
37.	गढवी, श्री पी.एस.	1535
38.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1435, 1456
39.	गंगवार, श्री संतोष	1444, 1467, 1561
40.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1351, 1428, 1514
41	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	1467
42.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1411
43	हुसैन, श्री अनवर	1375, 1444, 1545
44	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	1379, 1406, 1419, 1444, 1467
45.	जगन्नाथ, डा. एम.	1387, 1482, 1551
46.	जयाप्रदा, श्रीमती	1350
47.	झा, श्री रघुनाथ	1481, 1491, 1555
48.	जिन्दल, श्री नवीन	1338, 1401, 1424, 1468, 1523
49.	जोगी, श्री अजीत	1408, 1501
50.	जोशी, श्री प्रहलाद	1352
51.	कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम.	1369, 1453
52.	कलमाडी, श्री सुरेश	1387
53.	कनोडीया, श्री महेश	1430
54.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1345, 1391, 1439, 1562
55.	खां, श्री सुनील	1366, 1478, 1547, 1560
56.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1389, 1484
57.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1349, 1467
58.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1354, 1443, 1522, 1556, 1564
59.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1412, 1457, 1484, 1533
60.	कोया, डा. पी.पी.	1436, 1520
61.	कृष्ण, श्री विजय	1382, 1502, 1519
62.	कृष्णदास, श्री एन.एन	1495
63.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	1391
64.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	1467
65.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	1393, 1487
66.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1372, 1461, 1389, 1532
67.	महरिया, श्री सुभाष	1467, 1509
68.	महतो, श्री नरहरि	1364, 1510
69.	महताब, श्री भर्तृहरि	1377, 1396, 1518
70.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1467

1	2	3
71.	मंडल, श्री सनत कुमार	1438, 1528, 1532
72.	माने, श्रीमती निवेदिता	1435
73.	मनोज, डा. के. एस.	1426, 1509
74.	मसूद, श्री रशीद	1458, 1536
75.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1481, 1550
76.	मिश्रा, डा. राजेश	1466
77.	मोहन, श्री पी.	1410
78.	मो. ताहिर, श्री	1425, 1467
79.	मंडल, श्री अबु अयीश	1465, 1544
80.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1468, 1537
81.	नन्दी, श्री अमिताभ	1401
82.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1371, 1454
83.	निखिल कुमार, श्री	1538, 1554
84.	ओराम, श्री जुएल	1427, 1444, 1563
85.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1396, 1418, 1486, 1541
86.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1361, 1418, 1490, 1567
87.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1444, 1493
88.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1338, 1406, 1467, 1476
89.	पटेल, श्री जीवाभाई ए,	1402, 1477, 1506
90.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	1424, 1459, 1511, 1558
91.	पटैरिया, श्रीमती नीता	1467
92.	पाठक, श्री ब्रजेश	1425, 1437, 1467, 1521
93.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1386, 1480, 1549
94.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	1370, 1456, 1509, 1515
95.	पाटील. श्रीमती रूपाताई डी.	1452, 1494, 1531, 1535
96.	पाटील. श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1346
97.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1387, 1412, 1512, 1559
98.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1338, 1467, 1476, 1538
99.	प्रधान, श्री प्रशान्त	1399
100.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1521
101.	राजगोपाल, श्री एल.	1388, 1467, 1483, 1552
102.	रामदास, प्रो. एम.	1422, 1536
103.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	1362, 1635, 1476
104.	राणा, श्री काशीराम	1413, 1494
105.	राव, श्री के.एस.	1358, 1497
106.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1392, 1486
107.	राठौड़ श्री हरिभाऊ	1388, 1432
108.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1423
109.	रावले, श्री मोहन	1467, 1516
110.	रेड्डी श्री जी. करूणाकर	1353, 1441, 1557, 1411, 1416
111.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1429, 1516
112.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1342, 1392, 1473, 1516
113.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1486
114.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1402, 1412, 1494, 1546
115.	रिजीजू, श्री कीरेन	1442, 1494, 1538, 1532
116.	सज्जन कुमार, श्री	1466
117.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1359, 1383, 1447, 1460, 1526

1	2	3
118.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	1385, 1479
119.	सरोज, श्री तूफानी	1420, 1508
120.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1472
121.	सत्यानारायण, श्री सर्वे	1400
122.	सत्पथी, श्री तथागत	1425, 1427
123.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1383, 1467, 1474, 1538, 1543
124.	सेन, श्रीमती मिनाती	1368, 1492
125.	सेन्थिल, डा. आर.	1500
126.	सेठी, श्री अर्जुन	1378, 1412, 1467
127.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1409
128.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1468, 1537
129.	शर्मा, श्री मदन लाल	1422, 1536
130.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1418, 1462, 1486, 1494, 1507
131.	शिवन्ना, श्री एम.	1349
132.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	1532
133.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1505
134.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1406, 1421, 1509
135.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	1496
136.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1396, 1467, 1484
137.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1396, 1467, 1484
138.	सिंह, श्री दुष्यंत	1400, 1433, 1467, 1517, 1563
139.	सिंह, श्री मोहन	1381, 1467, 1494, 1537
140.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1347, 1481, 1491, 1555
141.	सिंह, श्री रेवती रमन	1444, 1495
142.	सिंह, श्री सुग्रीव	1424, 1459, 1511, 1552
143.	सिंह, श्री उदय	1415, 1505
144.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1430
145.	सुब्बा, श्री एम.के.	1340, 1387, 1442, 1450, 1529
146.	सुब्बारायण, श्री के.	1507
147.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1367, 1451, 1503
148.	सुजाता, श्री सी.एस.	1344
149.	सुमन, श्री रामजीलाल	1393, 1487
150.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1431
151.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1341, 1509
152.	थामस, श्री पी.सी.	1467
153.	ठुम्मर श्री. वी.के.	1397
154.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1338, 1406, 1467, 1476
155.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1373, 1464, 1548
156.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1384, 1475, 1545
157.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1413, 1416, 1506
158.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1515
159.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1418, 1462, 1486, 1540
160.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1515
161.	यादव, श्री करण सिंह	1516
162.	यादव, श्री मित्रसेन	1407, 1484, 1537
163.	यादव, श्री पारसनाथ	1468
164.	येरननायडु श्री किन्जरपु	1460, 1534

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	146, 154
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	141, 142, 147, 150, 156, 160
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	144, 148, 149, 151, 152, 155, 157, 158, 159
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	153
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	145
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	143

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1344, 1348, 1356, 1357, 1363, 1379, 1395, 1399, 1510, 1524
कोयला	:	1351, 1360, 1364, 1373, 1384, 1396, 1415, 1424, 1425, 1434, 1438, 1475, 1478, 1481, 1492, 1493, 1526, 1550, 1565
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	1385, 1442, 1479
पर्यावरण और वन	:	1340, 1341, 1346, 1347, 1353, 1359, 1370, 1372, 1377, 1387, 1390, 1391, 1416, 1417, 1418, 1421, 1427, 1429, 1431, 1432, 1440, 1448, 1450, 1453, 1456, 1466, 1468, 1473, 1485, 1490, 1498, 1500, 1514, 1529, 1533, 1534, 1544, 1548, 1553, 1558, 1560, 1564
विदेश	:	1338, 1339, 1345, 1383, 1386, 1405, 1409, 1419, 1423, 1443, 1444, 1447, 1451, 1459, 1467, 1474, 1484, 1489, 1495, 1499, 1523, 1536, 1538, 1541, 1543, 1554, 1561, 1566, 1567
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1349, 1350, 1352, 1358, 1362, 1366, 1367, 1368, 1369, 1371, 1374, 1376, 1388, 1398, 1400, 1407, 1410, 1411, 1414, 1420, 1422, 1426, 1428, 1439, 1441, 1446, 1452, 1454, 1458, 1462, 1463, 1465, 1471, 1476, 1486, 1488, 1491, 1501, 1502, 1503, 1505, 1513, 1519, 1522, 1525, 1530, 1535, 1539, 1540, 1542, 1545, 1546, 1551, 1552, 1557, 1559, 1561, 1562,
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1365, 1408
पंचायती राज	:	1354, 1378, 1483, 1507, 1518, 1531
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1461, 1469, 1482, 1494
योजना	:	1342, 1343, 1355, 1375, 1380, 1381, 1460, 1487, 1512, 1528, 1532, 1537

''विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों सहित सभी संसदीय प्रकाशन बिक्री फलक, स्वागत कक्ष, संसद भवन (दूरभाष सं. 23034726, 23034495, 23034496) लोक सभा सचिवालय और प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली (दूरभाष सं. 24367260, 24365610) और उनके बिक्री केन्द्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उक्त जानकारी वेबसाइट www.parliamentofindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।''

संसद का प्रतीक चिह्न (लोगो) के साथ स्मारक मदें भी बिक्री फलक, स्वागत कक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं। संसदीय संग्रहालय के प्रतीक चिह्न लगे स्मारक मदें 'सोवनियर शॉप' (दूरभाष सं. 23035323), संसदीय संग्रहालय, संसदीय ग्रंथागार भवन, नई दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उपरोक्त मदों की सूची ऊपर में उल्लेख की गयी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और श्री इन्टरप्राइजेज द्वारा मुद्रित।